वार्षिक रिपोर्ट 2015 - 2016

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित
विबा प्रेस प्रा. लि., नई दिल्ली-20 द्वारा मुद्रित

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

दूरदर्शन के किसान चैनल का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां	07
1	एक झलक	13
2	मंत्रालय की भूमिका और कार्य	17
3	नई पहल	21
4	सूचना क्षेत्र की गतिविधियां	27
5	प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां	87
6	फिल्म क्षेत्र की गतिविधियां	201
7	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	241
8	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण	245
9	सेवाओं में दिव्यांग जनों का प्रतिनिधित्व	249
10	राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग	253
11	महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां	255
12	सतर्कता संबंधी मामले	257
13	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	259
14	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले	263
15	लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा	267
16	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	271
17	कैट के फैसलों/आदेशों का पालन	273
18	योजना परिव्यय	275
19	मीडिया इकाई-वार बजट	281
20	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	287

46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

सूचना क्षेत्र

- माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह का 16 नवंबर, 2015 को उद्घाटन किया। श्री मुखर्जी ने इस अवसर पर पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी वितरित किए।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पुस्तकालय में 'संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण' नामक शीर्षक से मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसका आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय संग्रहालय एवं अभिलेखागार और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने 26 से 30 नवंबर 2015 तक किया।
- मंत्रालय ने सरकार की पहलों को उजागर करने के लिए 360 डिग्री के आधार पर मल्टीमीडिया मुहिम चलाई। व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी मीडिया इकाइयों की संलिप्तता वाली कई गतिविधियां की गईं। इन गतिविधियों के तहत पत्र सूचना कार्यालय द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर विशेषज्ञों के साथ विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण, देशभर में डीएवीपी और डीएफपी द्वारा आयोजित मल्टीमीडिया एवं मोबाइल प्रदर्शनियां, इंफोग्राफिक, एनीमेशन, ग्राफिक प्लेट, लघु वीडियो स्पॉट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर समग्र कवरेज और सरकार की योजनाओं से संबंधित समारोहों/उद्घाटन समारोहों/सम्मेलनों का सीधा प्रसारण करना शामिल है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 8 सितंबर 2015 को गांधी पीस फाउंडेशन में *द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी* के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण का विमोचन किया। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित *द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी,* (संपूर्ण गांधी वाड्.मय) गांधीजी के उन शब्दों का स्मारकीय दस्तावेज है जो उन्होंने 1884 से 30 जनवरी 1948 तक दिन-प्रतिदिन बोले और लिखे। मंत्री ने ई-संस्करण गांधीवाद के एक समग्र प्रामाणिक भंडार को गांधी हेरीटेज पोर्टल पर भी अपलिंक किया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 23 दिसंबर 2015 को ''विकास की नई उड़ान'' विषय पर भारत सरकार का 2016 का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में लोगों को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाली मुद्रा योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्मार्ट सिटी जैसे विकासात्मक कार्यों के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को दर्शाया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2016 के कैलेंडर का डिजिटल संस्करण भी जारी किया गया ताकि उन लोगों तक सूचना पहुंचाई जा सके जो नई तकनीकों और पद्धतियों के बारे में जानते हैं और सक्षम हैं ताकि वे सरकार को प्रतिक्रिया दे सकें। यह पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से समाचार एवं ट्वीट तक पहुंच भी मुहैया कराता है।

नई दिल्ली में साल एक शुरुआत अनेक की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री अरुण जेटली

- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 29 दिसंबर, 2015 को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा तैयार एवं संकलित प्रिंट मीडिया पर 59वीं वार्षिक रिपोर्ट ''प्रेस इन इंडिया 2014-15'' भी जारी की।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत पीआईबी, दूरदर्शन, आकाशवाणी और सोशल मीडिया शाखा जैसी विभिन्न मीडिया इकाइयों के जरिए अनेक मीडिया मंचों पर 67वें गणतंत्र दिवस समारोह, 2016 और गणतंत्र दिवस समारोह, 2016 के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की भारत की यात्रा की कवरेज के लिए कई गतिविधियां कीं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति की चंडीगढ़ यात्रा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम माननीय राष्ट्रपति के संबोधन का सीधा प्रसारण,

नई दिल्ली में साल एक शुरुआत अनेक की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए श्री अरुण जेटली

गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट का सीधा प्रसारण और नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित 67वीं गणतंत्र दिवस परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 67वें गणतंत्र दिवस समारोहों के तौर पर विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराईं। विभिन्न वर्गों में सोशल मीडिया प्रतियोगिता के विजेताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 27 जनवरी 2016 को सम्मानित किया।

- ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट (बीएसआई) ने प्रसारण, प्रिंट और फिल्म क्षेत्र के लिए मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न अनुमतियों/लाइसेंसों के संदर्भ में आईएसओ 9001:2008 की आवश्यकता के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन प्रणाली के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया। इसमें उपग्रह टेलीविजन चैनलों, टेलीपोर्टों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, डाइरेक्ट-टू-होम सेवाओं, समाचार एवं समसामयिक क्षेत्र की विदेशी, विदेशी तकनीकी एवं वैज्ञानिक पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रसारण और विदेशी समाचार पत्रों के प्रतिरूप संस्करण के लिए अनुमति/लाइसेंस और विदेशी फिल्म के लिए अनुमति देना शामिल है।
- भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय ने 01 अप्रैल 2015 से वर्ष 2014-15 की वार्षिक विवरणियां ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा शुरू की ताकि पंजीकृत प्रकाशक विवरणी ऑनलाइन भर सकें और विवरणी की हार्डकॉपी जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा 14 मई 2015 को आयोजित ''इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्यूनिकेशन यूनिवर्सिटी'' नाम के एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस में भाग लेने वालों ने तकनीकी बदलावों, नवोन्मेष, कौशल विकास

की आवश्यकता और मीडिया जगत की उभरती जरूरतों समेत मीडिया जगत के नए एवं उभरते पहलुओं पर वार्ता की।

- मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें प्रकाशित कीं। 11 दिसम्बर, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा पुस्तकों की पहली प्रति महामहिम राष्ट्रपति को प्रदान की गई। इनमें *सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ प्रेजीडेंट* (खंड III) और *प्रेसिडेंशियल रिट्रीट्स ऑफ इंडिया* शामिल हैं। इससे पहले 25 जुलाई, 2015 को माननीय उपराष्ट्रपति तथा गृहमंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति को *सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड* तथा *एबोड अंडर द डोम* पुस्तकों की पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट की थी।

- 18 फरवरी, 2016 को केंद्रीय वित्त, कार्पोरेट कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने प्रकाशन विभाग की वार्षिक संदर्भ पुस्तक इंडिया/भारत 2016 के प्रिंट तथा डिजिटल संस्करण का विमोचन किया। श्री जेटली ने प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय पत्रिकाओं जैसे योजना, कुरुक्षेत्र तथा अन्य के लिए गैर-कर रसीद पोर्टल भारतकोश का भी विमोचन किया। उसी दिन 'रोज़गार समाचार' के डिजिटल तथा प्रिंट संस्करण के चंदे का भुगतान भारतकोश पोर्टल के जरिए करने की भी शुरुआत हुई। प्रकाशन विभाग की कुछ अन्य पुस्तकों की ऑनलाइन बिक्री ई-कामर्स के माध्यम से करने की भी शुरुआत की गई।

आकाशवाणी द्वारा आयोजित सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए श्री अरुण जेटली

- आजादी की 69वीं वर्षगांठ के मौके पर मंत्रालय ने अपने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया। राष्ट्रपति के स्वतंत्रता दिवस संबोधन का पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर लाइव वेबकास्ट किया गया। इसके अलावा एक विशेष वेब पेज बनाया गया, जिसमें फैक्ट शीट्स, ब्लॉग, फोटोग्राफ, प्रेस विज्ञप्तियों और प्रधानमंत्री का संबोधन वेबकास्ट किया गया। पीआईबी ने एक ब्लाग www.pibindia.worldpress.com शुरू किया। इस पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों/मंत्रालयों के पोस्ट/लेख डाले गए हैं, जो सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताते हैं।

- मंत्रालय ने केंद्रीय प्रेस मान्यता समिति (सीपीएसी) का पुनर्गठन किया। डीजी, पीआईबी को इसका पदेन चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही, इसमें प्रिंट और प्रसारण उद्योग की विभिन्न एसोसिएशनों/यूनियनों/फेडरेशनों से 11 प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया। यह सीपीएसी के कार्यकाल में इसकी पहली बैठक से दो साल के लिए किया गया।

प्रसारण क्षेत्र

- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 14 अप्रैल, 2015 को न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस, दिल्ली में आकाशवाणी के विविध भारती की एफएम सेवा का उद्घाटन किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिये न्यूनतम 60 किलोमीटर के दायरे में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम बेहद साफ ध्वनि में सुनने को मिलेंगे। प्रौद्योगिकी उन्नयन और एफएम मोड पर उपलब्धता से विविध भारती और आकाशवाणी के अन्य चैनल मोबाइल फोन, कार स्टीरियो और इंटरनेट पर उपलब्ध होंगे।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई, 2015 को विशेष रूप से किसानों के लिए दूरदर्शन के डीडी किसान चैनल का शुभारंभ किया। किसान चैनल किसानों को कृषि क्षेत्र की नीतिगत पहलों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, यह लक्षित दर्शकों को कृषि क्षेत्र के ताजा घटनाक्रमों की जानकारी भी देगा। इनमें पशुपालक, मधुमक्खी पालक, पॉल्ट्री मालिक, मेकेनिक और क्रॉफ्टमैन शामिल हैं।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 7 मई, 2015 को नई दिल्ली में डीडीन्यूज मोबाइल एप्लिकेशन

का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य चैनल के प्रसारण का दायरा बढ़ाना है ताकि आईटीसी प्लेटफार्म के जरिए टीवी समाचार और समाचारों के वीडियो मोबाइल फोन पर भी देखे जा सकें। इस मौके पर इंडिया-2015 और भारत-2015 के ई-संस्करण का भी विमोचन किया गया।

- पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की पहल के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 30 मई, 2015 को 'टॉकाथन' का आयोजन किया। अपनी तरह के पहले प्रयास में 'टॉकाथन' में तीन केंद्रीय मंत्रियों - मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भागीदारी की। 'टॉकाथन' इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया को वास्तविक विश्व के साथ जोड़ने की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है। इस प्लेटफॉर्म के तहत सोशल मीडिया के भागीदार ट्विटर के जरिये सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब मेहमानों द्वारा तत्काल आधार पर दिया जाता है।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त, 2015 को रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण, आकाशवाणी द्वारा निर्मित सीडी के सेट के रूप में जारी किया। गोस्वामी तुलसीदास की ऐतिहासिक कृति की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी ने 20-22 वर्ष के दौरान की है। 1980 के बाद से भोपाल घराने के प्रमुख गायकों ने इसको अपनी आवाज दी है।
- निजी एफएम रेडियो चरण-तीन के पहले बैच के चैनलों, चरण-दो के मौजूदा 69 शहरों में 135 चैनलों की ई-नीलामी 27 जुलाई, 2015 को शुरू होकर 9 सितंबर, 2015 को संपन्न हुई। 56 शहरों में 97 चैनल इसमें अस्थायी विजेता बने। इसके लिए कुल विजेता मूल्य 1,156.9 करोड़ रुपये रहा, जबकि इसका आश्रित मूल्य 459.8 करोड़ रुपए था।
- एफएम रेडियो चरण-तीन के पहले बैच की ई-नीलामी से एफएम चरण-दो के चैनलों का एफएम चरण-तीन में अंतरण सुनिश्चित हुआ। सरकार को 168 चरण-दो के चैनलों के एफएम चरण-तीन व्यवस्था में स्थानांतरण के लिए 1257.36 करोड़ रुपये माइग्रेशन फीस के रूप में भी मिले। पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर के निजी एफएम चैनलों को सालाना शुल्क और किराए में कटौती के जरिये विशेष प्रोत्साहन दिया गया। इन क्षेत्रों में चैनलों को शुरुआती तीन वर्ष के लिए प्रसार भारती को आधा शुल्क देना होगा।
- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने हिन्दुजा समूह द्वारा प्रवर्तित हेड एंड इन द स्काई (हिट्स) डिजिटल प्लेटफार्म पहले एनएक्सटी डिजिटल को 16 सितंबर, 2015 को लांच किया। इस पहल से उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प मिलेगा और उनकी पहुंच 500 अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय चैनलों तक होगी। इसके अलावा उन्हें कई अन्य सेवाएं मसलन ई-एप्लिकेशन और हर जगह टीवी मिलेगा।
- मंत्रालय ने केबल टीवी डिजिटलीकरण तक बाधारहित पहुंच के लिए उपभोक्ताओं तथा अन्य अंशधारकों के वास्ते टोल फ्री टेलीफोन नंबर (1-800-180-4343) शुरू किया। इस नंबर पर किसी तरह की पूछताछ का जवाब आठ भारतीय भाषाओं - हिन्दी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में दिया जाएगा।

फिल्म क्षेत्र

- माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 3 मई, 2015 को विज्ञान भवन में आयोजित 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2014 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 10 मई, 2015 को मुंबई के पृथ्वी थियेटर में एक अनौपचारिक समारोह में वरिष्ठ फिल्म अभिनेता एवं निर्माता शशि कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। शशि कपूर को यह सम्मान भारतीय सिनेमा के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है।
- मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' अभियान की क्षमता के प्रचार की एक प्रमुख पहल के तहत सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 14 से 16 मई, 2015 को आयोजित 68वें कान फिल्म समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। उन्होंने कान फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर 46वें आईएफएफआई, 2015 नियमनों तथा 'इंडिया फिल्म गाइड' का भी अनावरण किया गया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 13.5.2015 को हुई बैठक में भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच आडियो-वीडियो को-प्रोडक्शन करार को मंजूरी दी गई।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म एवं

टेलीविजन संस्थान, पुणे सोसायटी का तीन साल के लिए पुनर्गठन किया। श्री गजेन्द्र चौहान को एफटीआईआई सोसायटी का अध्यक्ष और इसकी संचालन परिषद का चेयरमैन मनोनीत किया गया।

- सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा सिरी फोर्ट आडिटोरियम परिसर में 21 से 23 अगस्त, 2015 तक आयोजित तीन दिवसीय समारोह 'फ्रैगरेंसेस ऑफ नार्थ-ईस्टर्न फिल्म्स' का उद्घाटन किया। इस समारोह के आयोजन का मकसद पूर्वोत्तर फिल्म समारोह को जन आंदोलन बनाना है। साथ ही इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के लोकप्रिय सिनेमा को आगे बढ़ाना है, जिससे इस क्षेत्र की फिल्मों की लंबे समय तक टिकने वाली ब्रांड इक्विटी को स्थापित किया जा सके।
- मंत्रालय ने 46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) का 20 से 30 नवंबर, 2015 तक गोवा में आयोजन किया। इस समारोह में 100 देशों से 790 फिल्मों की प्रविष्टियां आईं। इस साल विश्व सिनेमा खंड में 89 देशों की विभिन्न वर्गों की करीब 187 फिल्में प्रस्तुत की गईं।
- सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पणजी, गोवा में आईएफएफआई, 2015 में राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन पर मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का 21 नवंबर को उद्घाटन किया। राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना है। यह परियोजना देश की फिल्मी विरासत के अधिग्रहण और संरक्षण से संबंधित है।
- मंत्रालय ने 14.11.2015 से 20.11.2015 तक हैदराबाद में 19वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन किया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने पूर्वोत्तर की फिल्मों के तीन दिन के समारोह फ्रैंगरेंस फ्रॉम द नार्थ ईस्ट का 8 से 10 दिसंबर तक पुणे में आयोजन किया। समारोह के दौरान कुल 22 फिल्में - 13 फीचर और 9 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई।

श्री अरुण जेटली भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2015 में श्री इलैयाराजा को शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित करते हुए

1 एक झलक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जन संचार के पहुंच वाले माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस और प्रिंट प्रकाशनों, तथा विज्ञापनों के साथ–साथ संचार के परंपरागत तरीकों मसलन नृत्य और नाटक के जरिये लोगों तक सूचनाओं के मुक्त प्रवाह में प्रभावी भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग की मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने में शामिल है। साथ ही मंत्रालय लोगों का ध्यान राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित तबकों की ओर खींचता है। मंत्रालय को चार शाखाओं या विभागों में बांटा गया है – सूचना शाखा, प्रसारण शाखा, फिल्म शाखा और एकीकृत वित्तीय शाखा।

मंत्रालय अपनी 21 मीडिया इकाइयों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कामकाज करता है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के मुखिया सचिव होते हैं। उनकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव, एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए), एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, एक मुख्य लेखा नियंत्रक, चार संयुक्त सचिव और एक अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार होता है। मुख्य सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में निदेशक/उपनिदेशक स्तर के 15 पद, अवर सचिव स्तर के 27 पद, उपनिदेशक (ईडब्ल्यू), उपनिदेशक (ओएल) और दो सहायक निदेशक (ओएल), 1 वरिष्ठ पीपीएस, 5 पीपीएस, अन्य राजपत्रित अधिकारियों के 57 पद और 260 गैर–राजपत्रित स्तर के पद हैं।

संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन) के तहत सूचना विभाग प्रेस और प्रिंट मीडिया से संबंधित नीतिगत मामलों को देखने के अलावा सरकार की प्रचार की जरूरतों का कामकाज भी देखता है। यह विभाग मंत्रालय के सामान्य प्रशासन का कामकाज भी देखता है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण–एक) और संयुक्त सचिव (प्रसारण–दो) के तहत प्रसारण विभाग या शाखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मामलों को देखता है। साथ ही यह विभाग निजी टीवी चैनलों की सामग्री का नियमन और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों से संबंधित मामलों को भी देखता है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण-एक) के तहत विभाग टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए लाइसेंसों और पंजीकरण से संबंधित मामलों, नए टीवी कार्यक्रमों, डिजिटल केबल सेवा के परिचालन के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, डीटीएच परिचालन, हेड-एंड-इन-द-स्काई (हिट्स) परिचालन और टीआरपी एजेंसियों से संबंधित मामलों को देखता है। निजी टीवी चैनलों की सामग्री का नियमन, केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के क्रियान्वयन में मदद देना और देश में सामुदायिक रेडियो अभियान को मजबूत करना इसका अन्य प्रमुख कार्य है। अधीनस्थ कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी) इसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण–एक) मंत्रालय की सोशल मीडिया/क्यू मीडिया विंग का कामकाज भी देखता है। यह जनता तक सरकार की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये पहुंचाने के साथ–साथ लोगों की राय कायम करने का काम करता है। संयुक्त सचिव (प्रसारण–दो) के तहत विभाग हार्डवेयर विकास से संबंधित मामलों को देखता है। इसमें ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन का उन्नयन और विस्तार शामिल है। इसके अलावा यह विभाग प्रसारण क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने और नियम और नियमन तय करने से संबंधित कामकाज भी देखता है। इसमें सार्वजनिक सेवा प्रसारण और एफएम रेडियो भी शामिल है।

संयुक्त सचिव (फिल्म्स) के तहत फिल्म विभाग फिल्म क्षेत्र से संबंधित मामलों को देखता है। यह वृतचित्रों के निर्माण और वितरण से संबंधित कार्य करता है। साथ ही फिल्म उद्योग से संबंधित विकास और प्रोत्साहन की गतिविधियों मसलन प्रशिक्षण, फिल्म समारोह का आयोजन, आयात और निर्यात नियमन का कार्य भी करता है।

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अगुवाई वाली आर्थिक शाखा योजना बजट, योजना समन्वय, ओ एंड एम गतिविधियों और विभिन्न मुद्दों पर कैबिनेट सचिवालय को ऑनलाइन पोर्टल के जरिये समय–समय पर रिपोर्ट करने का काम करती है। वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की मदद के लिए विभाग में आर्थिक सलाहकार होता है।

श्री अरुण जेटली 'प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट' के 59वें संस्करण का विमोचन करते हुए

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय

मंत्रालय को उसकी गतिविधियों में 13 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, छह स्वायत संगठनों और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मदद करते हैं :

संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय
2. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
3. भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
4. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
5. प्रकाशन विभाग
6. न्यू मीडिया विंग
7. गीत एवं नाटक प्रभाग
8. फोटो प्रभाग
9. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र
10. फिल्म प्रभाग
11. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
12. राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय
13. फिल्म समारोह निदेशालय

स्वायत संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद
2. भारतीय जन संचार संस्थान
3. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
4. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे
5. सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
6. बाल चित्र समिति, भारत

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लि.
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यक्षेत्र

- आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये देश के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए समाचार सेवा
- प्रसारण और टेलीविजन का विकास
- फिल्मों का आयात और निर्यात
- फिल्म उद्योग का विकास एवं संवर्द्धन

46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर जूरी के सदस्यों के साथ श्री अरुण जेटली

- फिल्म समारोहों का आयोजन और इस उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार और प्रकाशनों पर प्रतिक्रिया लेना
- प्रेस का प्रशासन तथा समाचार पत्रों के संदर्भ में बुक्स अधिनियम, 1867 का पंजीयन
- फिल्मों को प्रमाणन के संदर्भ में सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 का प्रशासन
- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 257) का प्रशासन और प्रसारण की निगरानी
- केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7वां)
- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 का (1978 का 37) प्रशासन
- भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' और 'ख') का कैडर प्रबंधन
- राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर देश और विदेश में प्रकाशनों के माध्यमों से सूचनाएं पहुंचाना
- मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को सहयोग के लिए शोध, ब्योरा और प्रशिक्षण
- मंत्रालय के संस्थानों में योगदान करने वाले उल्लेखनीय कलाकारों, संगीतकारों, वादकों, नृतकों, नाट्यकारों आदि को वित्तीय सहायता
- प्रसारण और समाचार सेवाओं के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय संबंध।

श्री अरुण जेटली शशि कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करते हुए

2 मंत्रालय की भूमिका और कार्य

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की भूमिका और कार्य निम्नलिखित हैं:

I. प्रसारण नीति एवं प्रशासन

1 संघ के अंतर्गत लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के उपयोग का नियमन करने और किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रीय शोक के मौकों पर सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रसारण से संबंधित सभी मामले।

2. भारतीय निजी कम्पनियों या भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रसारण से संबंधित कानून का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन।

3. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 का (1990 का 25वां) के अनुसार प्रसारण की निगरानी और प्रशासन।

4. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा एवं भारतीय प्रसारण (अभियांत्रिकी) सेवा से संबंधित सभी मामलों की देखभाल, जब तक वे प्रसार भारती को सौंपे न जाएं।

II. केबल टेलीविजन नीति

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7वां)

III. आकाशवाणी

1. घरेलू कार्यक्रमों के अंतर्गत समाचार सेवा, विदेशों और अनिवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रम, प्रसारण अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शोध कार्य, विदेशी प्रसारणों की निगरानी, कार्यक्रम विनिमय तथा प्रतिलेखन सेवाएं, सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को रेडियो सेटों की आपूर्ति और संबद्ध सभी कार्य।

2. आकाशवाणी के प्रसारण का विकास, आकाशवाणी स्टेशनों तथा ट्रांसमीटरों की स्थापना एवं प्रसारण सेवाओं का संचालन।

IV. दूरदर्शन

1. दूरदर्शन कार्यक्रमों के सांस्कृतिक विनिमय सहित अन्य आदान-प्रदान।

2. कार्यक्रम निर्माण केंद्रों एवं ट्रांसमीटरों की स्थापना सहित देश भर में दूरदर्शन का विकास और प्रसारण सेवाओं का संचालन।

3. दूरदर्शन से बाहर टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहन।

V. फिल्म

1. केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 60 के अंतर्गत कानून अर्थात 'सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन की मंजूरी'।

2. सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) का क्रियान्वयन।

3. फीचर और लघु फिल्मों का थियेटरों और अन्य प्रदर्शन के लिए आयात।

4. भारतीय फीचर एवं लघु फिल्मों का निर्यात।

5. उपयोग में नहीं लाई गई चलचित्र फिल्मों तथा फिल्म उद्योग में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों का आयात।

चलचित्र अधिनियम की विस्तृत व्याख्या के लिए गठित श्याम बेनेगल समिति

6. फिल्म उद्योग का विकास तथा संवर्धन गतिविधियों सहित सभी मामले।

7. भारत में बनी फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कारों की स्थापना के जरिये एवं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करना।

8. देश के अंदर और विदेशों में प्रचार के लिए वृतचित्र और न्यूज रील एवं अन्य फिल्म तथा फिल्म-स्ट्रिप्स का निर्माण एवं वितरण।
9. फिल्मों तथा फिल्म-सामग्री का संरक्षण।
10. भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन एवं विदेशों में होने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी।
11. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोहों का आयोजन।
12. फिल्म सोसाइटी की गतिविधियां।

VI. विज्ञापन और दृश्य प्रचार

1. भारत सरकार की तरफ से विज्ञापनों का निर्माण और उन्हें जारी करना।

VII. प्रेस

1. भारत सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों की प्रेस के जरिये प्रस्तुति और व्याख्या।
2. सरकार को प्रेस से संबंधित समस्याओं के बारे में सलाह देना, समाचार पत्रों में रिपोर्टों के आधार पर लोगों की राय एवं विचारों से सरकार को अवगत कराना और सरकार एवं प्रेस के बीच संपर्क कायम करना।
3. सशस्त्र सेनाओं के लिए और उनकी ओर से प्रचार करना।
4. प्रेस के साथ सरकार के सामान्य संबंध, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 95 एवं 96 का कार्यान्वयन शामिल नहीं है।
5. समाचार पत्रों के संदर्भ में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25वां) का क्रियान्वयन।
6. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37वां) का अनुपालन।
7. समाचार पत्रों को न्यूजप्रिंट का आवंटन।

VIII. प्रकाशन

1. भारत के बारे में देश-विदेश में लोगों को अद्यतन जानकारी प्रदान करना और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में आंतरिक एवं बाहरी प्रचार के लिए पुस्तिकाओं, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री तथा वितरण।

IX. अनुसंधान एवं संदर्भ

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाइयों की प्रकाशित सामग्रियों से संबंधित अनुसंधान संबंधी सामग्री तैयार करने, उसके संग्रह एवं संकलन करने में सहायता प्रदान करना।
2. मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी का सार-संग्रह तैयार करना और समसामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शक और संदर्भ सामग्री संकलित करना।

X. विविध कार्य

1. भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना।
2. पत्रकार कल्याण कोष का संचालन।
3. आकाशवाणी एवं दूसरी प्रचार इकाइयों की सफलता में उल्लेखनीय योगदान करने वाले प्रतिष्ठित संगीतकारों (गायन एवं वादन), नर्तकों और रंगमंच कलाकारों अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिनकी माली हालत अच्छी नहीं हो।
4. एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ, राष्ट्रमंडल प्रसारण संघ एवं गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल से संबंधित सभी मामले।
5. भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' तथा 'ख') का संवर्ग (कैडर) प्रबंधन।

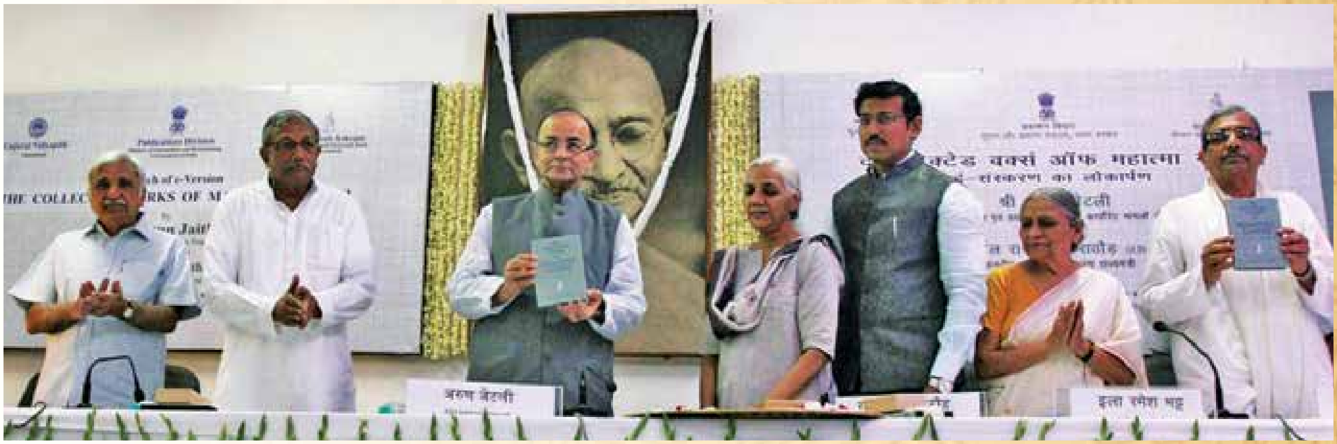

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली और सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' के ई-संस्करण का विमोचन करते हुए

भारतीय जनसंचार संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

आकाशवाणी द्वारा तैयार किए गए रामचरित मानस के डिजिटल संस्करण का विमोचन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

3 नई पहल

किसान चैनल का शुभारंभ

- चैनल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किया गया था। 24x7 किसान चैनल पर कृषि और अपने लक्षित दर्शकों, जिसमें किसान, पशु पालक, मधुमक्खी पालक, पोल्ट्री मालिक, मिस्त्री और शिल्पी शामिल हैं, के लाभ से संबंधी ताजा जानकारी प्रसारित की जाती है। डीडी किसान 24 घण्टे का चैनल है, जिसमें 7-8 घण्टे ताजा कार्यक्रमों का प्रसारण होता है और दो कार्यक्रम रिपीट टेलीकास्ट होते हैं। चैनल की सामग्री में काल्पनिक और गैर-काल्पनिक घटकों के विवेकपूर्ण मिश्रण से सूचना और मनोरंजन का प्रभावी संतुलन बनाया जाता है जो ग्रामीण विषयों पर आधारित होते हैं। ग्रामीण भारत के लोगों के लिए कई विशेष कार्यक्रम जैसे महिला सशक्तिकरण, दक्षता विकास, सफलता की कहानी, कृषि आधारित रियलिटी शो, लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। समय-समय पर कई सरकारी योजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाए तथा दिखाए जाते हैं। कृषि से संबंधित जानकारी वाले कार्यक्रमों को मुख्य रूप से विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों के कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श द्वारा तैयार किया जाता है। दर्शकों के बीच चैनल काफी लोकप्रिय हो रहा है और छह महीनों के अंतराल में 1.52 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ सप्ताह में टीआरपी रेटिंग (बार्क) दर्ज की है। चैनल को किसान समाज से भी उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

निजी एफएम रेडियो चैनल के तीसरे चरण के पहले बैच की ई-नीलामी

- निजी एफएम रेडियो चैनलों के तीसरे चरण के पहले बैच की ई-नीलामी, जिसमें द्वितीय चरण के 69 मौजूदा शहरों में 135 चैनल भी शामिल हैं, 9 सितंबर 2015 को पूरी हो चुकी है। 32 दिनों में बोली के 125 राउंड के बाद यह प्रक्रिया पूरी हुई। सरकार को 1156.9 करोड़ रुपए के प्रतिबद्धता हासिल हुए, जो कि आरक्षित मूल्य 550 करोड़ रुपए से 110 प्रतिशत अधिक है। सरकार को एफएम तीसरे चरण के तहत 54 शहरों में 91 नए चैनल की ई-नीलामी के जरिये 1055.91 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।
- निजी एफएम रेडियो पर समाचार के प्रसारण की अनुमति से (आकाशवाणी समाचार के लिए प्रतिबंधित) श्रोताओं को बिना किसी शुल्क के मनोरंजन के अलावा विश्वसनीय जानकारी भी हासिल होगी।
- jk"Vªh; fQYe fojklr vfHk;ku ¼,u,Q,p,e½

46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राज्यमंत्री

% यह भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के माध्यम से फिल्म और फिल्म सामग्री के संग्रह, डिजिटाइजेशन और अभिलेखन की नई योजना है। इस परियोजना को एक अभियान के तौर पर शुरू किया गया है और इसे 2014-15 से 2020-21 की अवधि में पूरा किया जाना है। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 597.41 करोड़ रुपए है - 291 करोड़ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 306.41 करोड़ रुपए 13वीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित किए जाएंगे। परियोजना में अवशिष्ट जीवन का आकलन करने के लिए फिल्म्स प्रिंट्स का संग्रह, 1,32,000 फिल्म रील का हिफाजत से संरक्षण, 1145 फिल्म और 1108 लघु फिल्मों के चित्र और ध्वनि का पुनरुद्धार, 1200 फीचर फिल्म और 1660 लघु फिल्मों का डिजिटलीकरण, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के पुणे परिसर में नियंत्रित परिस्थितियों के साथ पुरालेख और संरक्षण सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा।

फिल्म सुविधा केंद्र कार्यालय

विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में फिल्म सुविधा केंद्र कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

- ✓ फिल्म निर्माताओं को आवश्यक मंजूरी दिलाने में उनकी सहायता के लिए एक सुविधा केंद्र के रूप में काम करना।
- ✓ शूटिंग के लिए उपयुक्त स्थानों की जानकारी का

मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 'साल एक–शुरुआत अनेक' के उद्घाटन अवसर पर प्रदर्शनी वैन को झंडी दिखाते हुए श्री अरुण जेटली सूचना और प्रसारण मंत्री

प्रसार करना और प्रोडक्शन व पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भारतीय फिल्म उद्योग के पास मौजूद सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

- ✓ राज्यों में इसी प्रकार की सुविधाओं की स्थापना के लिए संबंधित सरकारों के साथ मिलकर काम करना।
- ✓ भविष्य में, अन्य मंत्रालय के साथ भी मिलकर काम करना जैसे भारत में शूटिंग के सिलसिले में वीजा जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना, संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर दिशा-निर्देश तैयार करना, जो फिल्म निर्माताओं की एक अति संवेदनशील जरूरत है और पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर विभिन्न शूटिंग स्थानों को 'अतुल्य भारत' के उप ब्रांड के रूप में प्रचारित करना।
- ✓ इस उद्देश्य के लिए वेब पोर्टल का निर्माण। ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सूचना के एक केंद्रीय भंडार के रूप में सेवा प्रदान करना और भारत की सीमा में किसी भी स्थान पर फिल्म निर्माण में सहायता प्रदान करना तथा प्रोडक्शन कंपनियों को एक केंद्रीय संपर्क बिंदु के माध्यम से प्री-प्रोडक्शन सेवाओं की संपूर्ण श्रृंखला की पेशकश करना।

- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को एफएफओ को संचालित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। एनएफडीसी अपने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में स्थित परिसर में ही एफएफओ इकाइयों की स्थापना करेगा। एफएफओ की स्थापना और इसके कार्यों में शामिल हैं शूटिंग अनुमति को आसानी से हासिल करने और भारत को फिल्मों के लिए बेहतर गंतव्य के रूप में प्रोत्साहित करने में मदद करना।

मल्टीमीडिया अभियान

- सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के व्यापक प्रचार के लिए सम्पूर्ण मल्टीमीडिया अभियान है। मंत्रालय अपनी विभिन्न मीडिया इकाइयों के माध्यम से लक्षित दर्शकों के बीच इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में सफल रहा है। मंत्रालय ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तृत सामग्री उपलब्ध कराई है। इन गतिविधियों में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता, विशेषज्ञों के साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण, डीएवीपी

रायपुर, छतीसगढ़ में 'साल एक शुरुआत अनेक' पर फोटो प्रदर्शनी को निहारते हुए दर्शक

और डीएफपी द्वारा देशभर में प्रदर्शनियों का आयोजन, सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम/कॉन्फ्रेंस की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग, इंफोग्राफिक्स, एनीमेशन, ग्राफिक प्लेट्स, शॉर्ट वीडियो स्पॉट की मदद से विस्तृत कवरेज शामिल हैं। इस तरह की कुछ पहल नीचे वर्णित हैं :

- ✓ साल एक शुरुआत अनेक
- ✓ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
- ✓ राष्ट्रीय एकता दिवस
- ✓ स्वच्छ भारत
- ✓ मेक इन इंडिया
- ✓ स्किल इंडिया
- ✓ डिजिटल इंडिया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ई-पहल

- ✓ महात्मा गांधी के संकलित कार्यों का ई-संस्करण (सीडब्ल्यूएमजी)
- ✓ रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण
- ✓ डीडी न्यूज मोबाइल एप : इसने डीडी न्यूज को 24x7 आधार पर तुरंत समाचार को संचारित करने का एक मंच उपलब्ध कराया है और भारतीय दर्शकों की व्यापक जरूरतों को समझते हुए इसके प्रोफाइल में एक नया आयाम जोड़ा है। डीडी न्यूज मोबाइल एप उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है और खराब नेटवर्क की स्थिति में भी उपलब्ध है। इस एप के एंड्रयॉड और आई-फोन दोनों संस्करण उपलब्ध हैं।
- ✓ डीएवीपी कैलेंडर का ई-संस्करण
- ✓ इंडिया/भारत-2016, संदर्भ वार्षिक का ई-संस्करण पेश किया गया। इसका लक्ष्य नागरिकों को पढ़ने का बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है। ई-इंडिया/ई-भारत में पाठकों के अनुकूल विशेषताएं जैसे खोज क्षमता, हायपरलिंक्स, आसान संदर्भ, बैकअप और पुनः प्राप्ति शामिल की गई हैं।
- ✓ मंत्रालय ने प्रकाशन विभाग के लोकप्रिय पत्रिकाओं और रोज़गार समाचार के लिए भारत कोष के जरिये ऑनलाइन भुगतान और सदस्यता सेवाओं की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय के गैर कर रसीद पोर्टल की शुरुआत भी की गई है। ऑनलाइन पाठकों के लिए प्रकाशन विभाग की पुस्तकों के डिजिटल संस्करण को कोबो मंच पर उपलब्ध्ध कराया गया है।
- ✓ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ई-पुस्तक

  इस ई-पुस्तक में पिछले एक साल के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हासिल उपलब्धियों और उसकी पहलों को संकलित किया गया है। ई-पुस्तक की सामग्री को तस्वीरों और एम्बेडेड वीडियो के साथ मल्टी मीडिया और पाठक के अनुकूल प्रारूप में पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

डिजिटलीकरण का तीसरा व चौथा चरण

- केबल टीवी डिजिटलीकरण की प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'डिजिटल इंडिया' पहल का एक अभिन्न अंग है। डिजिटलीकरण के तीसरे चरण को लागू करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2015 थी, जिसमें सभी शहरी क्षेत्रों में इसे लागू किया जाना था, जबकि चौथे चरण में शेष भारत में इसे लागू किया जाना है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2016 है। यह पूरे देश को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के तहत लाने की एक परिकल्पना है,

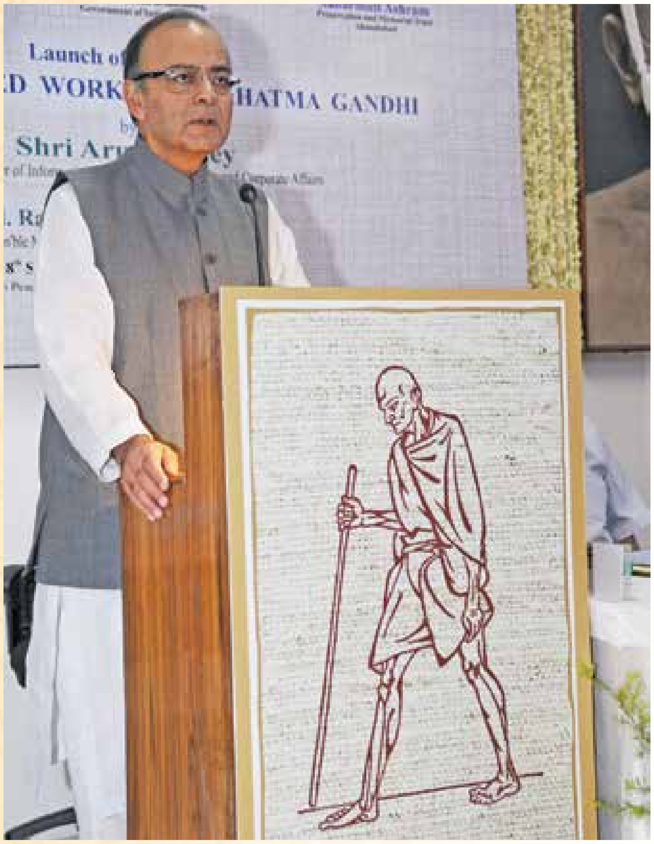

नई दिल्ली में 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी,' के ई-संस्करण के विमोचन के अवसर पर संबोधित करते हुए श्री अरुण जेटली

जो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को पूरा करता है।

मन की बात

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिये लोगों को संबोधित करने के लिए आकाशवाणी को एक माध्यम के रूप में चुना है। आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन समाचार के समाचार सेवा विभाग (एनएसडी) ने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संदेश को देश तक पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। अब तक 15 संस्करण पूरे किये जा चुके हैं। पिछला संस्करण 31 जनवरी 2016 को प्रसारित किया गया था।

कार्यशालाएं

- ✓ पीआईबी द्वारा सरकार के संचार की व्यवस्था का आयोजन : एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 2 फरवरी 2015 को किया गया। इसमें बदलते मीडिया परिदृश्य अर्थात् उभरते सोशल मीडिया पर विभिन्न दृष्टिकोण/मुद्दों पर परिचर्चा, पैनल चर्चा, ओपन-हाउस परिचर्चा, प्रश्नोतर सत्र आदि शामिल थे।
- ✓ राष्ट्रीय फोटोग्राफी कार्यशाला और राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फोटो डिवीजन ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में कौशल विकास और उन्नयन के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय फोटोग्राफी कार्यशाला (19 मार्च, 2015) का आयोजन किया था।
- ✓ संचार विश्वविद्यालय पर संगोष्ठी : भारत में एक संचार विश्वविद्यालय की स्थापना के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 14 मई 2015 को एक राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उद्योग ओर अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श चर्चा का आयोजन 30 जून 2015 को किया गया। संचार विश्वविद्यालय की स्थापना पर एक व्यवहार्यता रिपोर्ट आईआईएमसी से प्राप्त की गई है जिस का मंत्रालय में परीक्षण किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना

- देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की पहल का हिस्सा बनने और फिल्म तथा टेलीविजन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के युवाओं के बीच प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे और सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश में भी एक फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एसआरएफटीआई द्वारा सम्मिलित की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और अब यह अन्य जरूरी मंजूरियां हासिल करने की प्रक्रिया में है।
- आईएफएफआई 2015 ने इस साल कई नए कदम उठाए हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय फिल्म परिषद, टेलीविजन और ऑडियो विजुअल कम्यूनिकेशन (आईसीएफटी), पैरिस यूनेस्को के सहयोग से एक विशेष पुरस्कार - 'आईसीएफटी-यूनेस्को फेलीनी पुरस्कार' शामिल है। भारत में यह पुरस्कार पहली बार यूनेस्को द्वारा पदोन्नत शांति, सहिष्णुता, अहिंसा और मैत्री के आदर्शों को दर्शाने वाली एक फिल्म को दिया गया। यह पुरस्कार कौशिक गांगुली द्वारा निर्मित 'सिनेमावाला' को दिया गया। यह फिल्म उद्धार के विचार को उजागर करने के लिए 'वर्ल्ड सिनेमा रिस्टोर्ड क्लासिक्स'पर एक विशेष वर्ग था। इसमें क्लासिक पैकेज की मदद से राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन (एनएफएचएम) पर प्रकाश डालने की विशेषता थी। एनएफएआई और डीएवीपी ने एनएफएचएम पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी आयोजित की थी। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर सिनेमा पर विशेष ध्यान दिया गया था। फिल्म महोत्सव में एक नया सेगमेंट - 'फर्स्ट कट' पेश किया गया, इसमें सिनेमा क्षेत्र के युवा प्रतिभा को पहचान दिलाने पर बल दिया गया। इस दौरान 2015 में प्रदर्शित बेहतर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। यह महोत्सव एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस (ओस्कर) के सहयोग से आयोजित किया गया था। प्रमुख एकेडमी सदस्यों के साथ कुछ कक्षाओं का आयोजन कर फिल्म निर्माण में कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया गया। आईएफएफआई 2015 ने भी फिल्म और सांस्कृतिक विविधता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। श्याम बेनेगल जैसे कुछ प्रख्यात भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ 'बातचीत में' नाम से एक विशेष श्रृंखला आयोजित की गई।

पणजी, गोवा में 46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन समारोह में सिनेमावाला के लिए कौशिक गांगुली को आइसीएफटी - यूनेस्को पुरस्कार देते हुए

- टॉकाथन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की यह अभिनव पहल अब पब्लिक डोमेन में जानकारी प्रदान करने का एक नियमित फीचर बन गया है। यह वर्चुअल सोशल

मीडिया मंच पर एक रियल टाइम कार्यक्रम है। टॉकाथन का पहला संस्करण गोवा में अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके बाद बजट, काला धन कानून और केंद्रीय मंत्रियों के साथ सरकार के एक साल के कार्यक्रमों जैसे तमाम विषयों पर टॉकाथन का आयोजन किया गया। हाल ही में सुलभ भारत, सड़क सुरक्षा और सीओपी 21 पर टॉकाथन का आयोजन किया गया था।

- आपदा प्रबंधन : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सूचना इकाई विशेषकर आकाशवाणी ने चेन्नई बाढ़ संकट के दौरान महत्वपर्णू भूमिका निभाई। संकट के दौरान लोगों को सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराई गई और प्रशासन को समर्थन दिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति को लगातार रिपोर्ट और ताजा जानकारी उपलब्ध कराई गई। कश्मीर बाढ़, हुद-हुद चक्रवात जैसे प्रारंभिक संकट के दौरान सूचना प्रसार के लिए इसे मानक संचालन प्रक्रिया के तौर पर अपनाया गया था।
- संपूर्ण विविधभारती का एफएम में परिवर्तन : आकाशवाणी ने चार मेट्रो शहरों, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के विविधभारती केंद्रों पर 4 मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स के बदलाव के जरिये संपूर्ण विविधभारती को एफएम में परिवर्तित करने का काम पूरा कर लिया है। अब सिग्नल फ्रेंक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) के जरिये उपलब्ध होंगे, जिसमें स्टीरियोफोनिक साउंड क्वालिटी होगी और इसमें मोबाइल फोन तथा कार स्टीरियो पर भी इसे उपलब्ध कराने की सुविधा होगी। यह पहल दर्शकों को अलग-अलग खंडों के कार्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ-साथ मनोरंजन खंड में समकालीन विषयों के साथ तालमेल बनाए रखेगी।
- देश में सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा : भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन देने के लिए केंद्रीय बजट 2014-15 में 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। यह राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में 600 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने में सक्षम होगी। वर्तमान में भारत के विभिन्न हिस्सों में 187 सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की जीवंत निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र में एक तंत्र की स्थापना की जा रही है।
- सारांश: सरकार के कार्यक्रम/पहलों को समग्र कवरेज उपलब्ध्र कराने के लिए मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों की गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए इसे तैयार किया गया था। (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, साल एक शुरुआत अनेक, कौशल भारत अभियान)।

प्रकाशन विभाग के लिए नई व्यापार नीति

- अपनी व्यापार प्रक्रिया को प्रकाशन उद्योग में समकालीन प्रवृतियों के अनुसार बनाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रकाशन विभाग के लिए नई व्यापार नीति बनाई है। प्रकाशन क्षेत्र में ई-कॉमर्स की बढ़ती संभावना और विभाग की ई-पुस्तकों की बिक्री ऑनलाइन मंच से करने पर भी इस नई नीति में बल दिया गया है। कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ विपणन करार इसके प्रकाशनों को बेहतर दृश्यता और उन तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

गैर-कर राजस्व ई-पोर्टल का लोकार्पण

- एनटीआरपी पोर्टल नागरिकों/उद्यमियों/अन्य उपयोगकर्ताओं को भारत सरकार को दिए जाने वाले गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत सरकार की गैर-कर प्राप्तियों का कुल वार्षिक संग्रहण 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा दिए जाने वाले लाभांश का इसमें बड़ा हिस्सा है। गैर कर प्राप्तियों में ब्याज प्राप्तियां, स्पेक्ट्रम शुल्क, लाइसेंस शुल्क, फॉर्म की बिक्री, सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क आदि का प्रमुख योगदान है। पूर्णता सुरक्षित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सामान्य उपयोगकर्ता/नागरिकों को ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक परिसर में जाने और इसे बाद में सरकारी कार्यालयों में जमा कराने के झंझट से मुक्ति दिलाने में मददगार होगा। इसके अलावा यह सरकार के खाते में इन उपकरणों के प्रेषण में होने वाली देरी को कम करने के साथ ही बैंक खातों में इन उपकरणों की राशि देरी से जमा करने की अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करने में मदद करता है। प्रकाशन विभाग के कई पत्रिकाएं इस पोर्टल पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली

- केंद्रीय ढांचा योजना निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस), इसे लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार का लोक वित्तीय प्रबंधन सुधार कार्यक्रम है जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की निगरानी और राशि वितरण पर नजर रखता है। सीपीएसएमएस केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल है, जो निर्धारित उद्देश्य के अनुसार धन खर्च को सुनिश्चित करता है और इसके लिए लेखांकन उपलब्ध कराता है। मंत्रालय के चार भुगतान और लेखा कार्यालयों (पीएओ-व्यक्तिगत बही लेखा तंत्र, पीएओ-विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, पीएओ-मुख्य सचिवालय, पीएओ-फिल्म विभाग मुंबई) ने सीपीएसएम ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना शुरू कर दिया है। इस प्रणाली में (i) मंजूरी निकालना (ii) बिल बनाना (iii) बिल स्वीकृत करना (iv) विक्रेता का भुगतान और (v) व्यय का लेखा शामिल हैं। ये सभी गतिविधियां ऑनलाइन हैं और किसी भी समय लेखा की वास्तविक तस्वीर प्रदर्शित होती है।

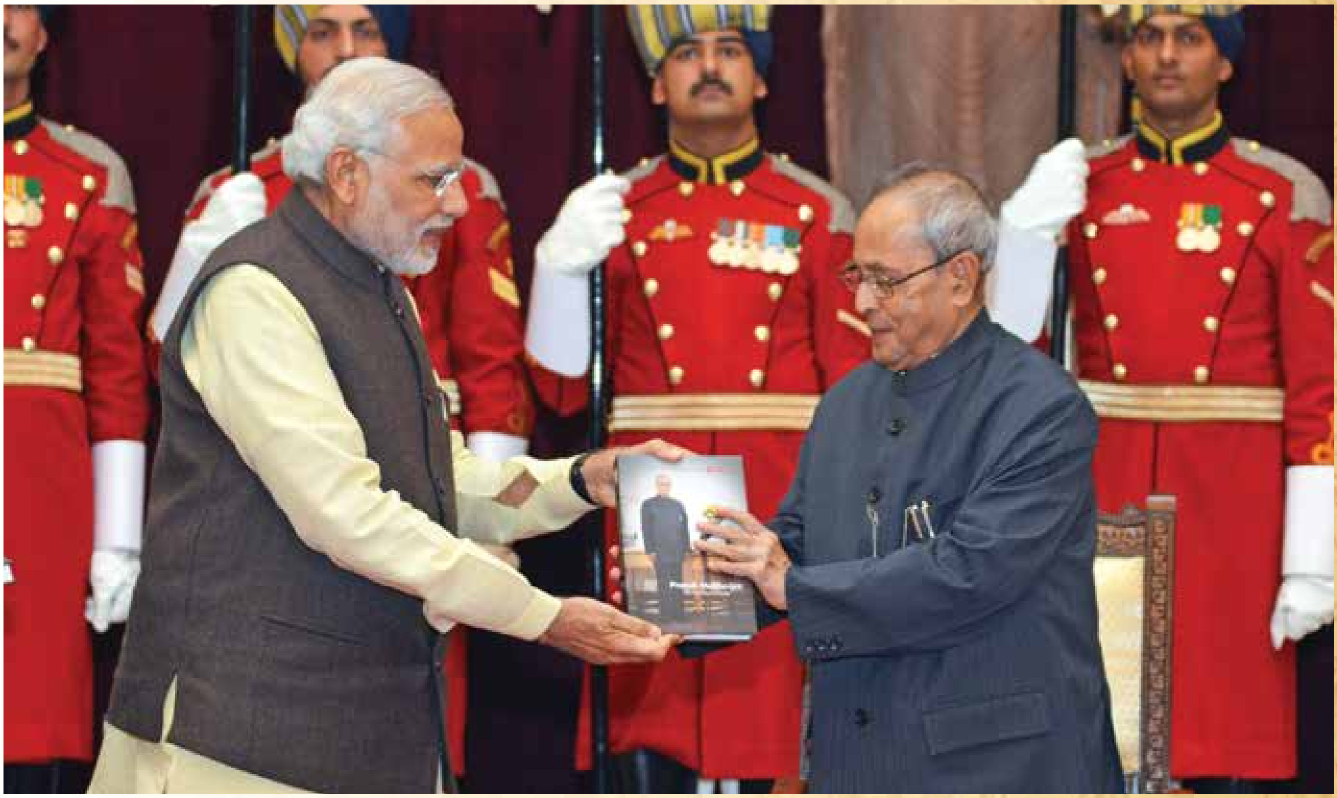

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'सेलेक्टेड स्पीचेज़ ऑफ प्रेसीडेंट' के खंड III के विमोचन अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से पुस्तक की प्रति स्वीकार करते हुए

4 सूचना क्षेत्र की गतिविधियां

मंत्रालय का सूचना खंड मुख्यतः सरकार के मीडिया एवं विज्ञापन से जुड़े नीतिगत मामलों को देखता है। यह खंड मंत्रालय का सामान्य प्रशासनिक कामकाज और भारतीय सूचना सेवा संवर्ग का कार्य भी देखता है। इन गतिविधियों का संचालन सूचना क्षेत्र के अंतर्गत निम्न मीडिया इकाइयां देखती हैं :

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) यानी पत्र सूचना कार्यालय सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों एवं उपलब्धियों के बारे में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचना प्रसारित करने वाली सरकारी एजेंसी है। यह सरकार एवं मीडिया के बीच में सेतु का काम करती है और मीडिया के जरिए व्यक्त की गई लोगों की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाती है।

पीआईबी की परिकल्पना

- भारत के नागरिकों को शिक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी सूचनाएं प्रसारित करना।

पीआईबी प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस नोट्स, फीचर आलेखों, बैकग्राउंडर्स, तस्वीरों एवं ब्यूरो की वेबसाइट पर डेटाबेस के जरिए सूचना प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त, इसी कार्य हेतु ब्यूरो प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार एवं प्रेस टूर भी आयोजित करता है। प्रेस विज्ञप्तियां एवं प्रेस नोट्स आदि अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू में जारी किए जाते हैं जिनके बाद अन्य भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद कर देश भर के हजारों समाचार पत्रों, न्यूज एजेंसियों एवं मीडिया संस्थानों में भेजा जाता है।

नेपाल में भूकम्प के बारे में पत्र सूचना कार्यालय के वेब पेज का स्क्रीनशॉट

पीआईबी अधिकारी अपने संबंधित मंत्रालयों को अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते रहे हैं और साथ ही इन मंत्रालयों की आवश्यकतानुसार उनकी मीडिया संबंधी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। अधिकारी अपने मंत्रालयों को मीडिया एवं मंत्रालयों की सूचना एवं विज्ञापन संबंधी जरूरतों के बारे में भी सलाह देते हैं।

किसी मंत्रालय/विभाग से संबद्ध ब्यूरो का अधिकारी उसका आधिकारिक प्रवक्ता भी होता है। वह मीडिया के समक्ष उस मंत्रालय/विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों से जुड़ी सूचना, प्रश्नों के उत्तर, स्पष्टीकरण एवं किसी भी किस्म के भ्रम और भ्रांतियों पर सफाई भी देता है। यह अधिकारी मीडिया के संपादकीय लेखों, आलेखों एवं टिप्पणियों के जरिए सामने आने वाले जन रुझानों का आकलन कर के उनके अनुरूप मंत्रालय/विभाग को उसकी मीडिया एवं आईईसी नीति बनाने की सलाह देता है।

सांगठनिक स्वरूप

पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक (मीडिया एवं कम्युनिकेशन) इसके शीर्ष अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं जिनके सहयोगी के तौर पर एक महानिदेशक एवं आठ अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। इसके अलावा, ब्यूरो में निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक, मीडिया एवं कम्युनिकेशन अधिकारी एवं सूचना सहायक भी नियुक्त होते हैं। ये विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध होते हैं और अधिकारी के तौर पर प्रत्येक मंत्रालय के परिमाण, महत्व एवं संवेदनशीलता के अनुरूप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, पीआईबी के मुख्यालय में सूचना प्रसारित करने के लिए एक कंट्रोल रूम (न्यूज रूम) भी है। इसके जरिए कार्यदिवसों पर रोजमर्रा के कामकाज के बाद सायं 6:00 से 9:00 बजे के बीच एवं सप्ताहांत व अवकाश दिवसों में दोपहर बाद 3:00 से सायं 9:00 बजे के बीच सूचना प्रदान करने का काम किया जाता है।

क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार

प्रादेशिक मीडिया को सूचनाएं देने के लिए पीआईबी के आठ प्रादेशिक केंद्र हैं जिनकी कमान अतिरिक्त महानिदेशकों के हाथ में होती है। इसके अलावा, सूचना केंद्रों सहित उसके 34 शाखा कार्यालय भी हैं। मुख्यालय द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन सामग्री जारी किए जाने के अलावा, पीआईबी के ये स्थानीय एवं शाखा कार्यालय केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र

की इकाइयों द्वारा उनके क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी सूचनाओं के बारे में प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस नोट्स एवं बैकग्राउंडर्स आदि भी जारी करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में विशेष महत्व के मुद्दे पर लगातार सूचनाएं प्रसारित करने के केंद्र सरकार के फैसले को भी ये प्रादेशिक कार्यालय क्रियान्वित करते हैं। पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय इन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं :

- सूचनाओं का प्रचार-प्रसार और केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं पहलों को क्षेत्रीय स्तर पर वहां की भाषा में पहुंचाना।
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के स्थानीय स्तर पर आयोजनों के लिए केंद्रीय मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को मीडिया सहयोग देना।
- प्रादेशिक/स्थानीय मीडिया में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामने आने वाले विचारों के संबंध में लगातार फीडबैक देना।
- क्षेत्र में केंद्र सरकार के संस्थानों को सूचना संबंधी कार्यों के बारे में सलाह।
- मीडिया आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जन सूचना अभियानों (पीआईसी) का आयोजन।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों एवं सचिवों के क्षेत्र/राज्य के दौरों के अवसर पर भी पीआईबी स्थानीय/शाखा कार्यालय मीडिया कवरेज को सुचारू बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय की विस्तृत संचार नीतियां

- राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर संचार के पारंपरिक रूप यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस (वीडियो के जरिए भी), प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेस निवेदिका, प्रेस विज्ञप्तियां, फीचर्स, बैकग्राउंडर्स, आम सवाल (एफएक्यू), तस्वीरें, ग्राफिक्स, निमंत्रण, प्रेस टूर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैम्पेन (पीआईसी) आदि का आयोजन।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार, विशेष परिचर्चाओं आदि का आयोजन।
- ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाइन, वेबसाइट, शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) का इस्तेमाल।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, आम बजट, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई), प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आदि अवसरों पर विशेष प्रचार प्रबंध।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी सरकारी पहलों के लिए लगातार व्यापक प्रचार।
- प्रधानमंत्री कार्यालय एवं अन्य सभी मंत्रालयों के लिए मीडिया से फीडबैक उपलब्ध कराना।
- अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त मलयालम, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया एवं बांग्ला भाषाओं में पीआईबी के स्थानीय/शाखा कार्यालयों के जरिए देश भर से कवरेज कराना।
- फिल्म समारोह, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जैसे विशेष अवसरों पर पीआईबी के माध्यम से पत्रकारों के लिए विशेष प्रमाणन के जरिए मीडिया को सुविधा प्रदान करना।
- जनजातीय, पिछड़े और अशांत क्षेत्रों सहित दूर-दराज के इलाकों में जन सूचना अभियानों (पीआईसी) के जरिए भी पीआईबी पहुंच बनाता है।
- देश में अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में चौबीस घंटे चलने वाले न्यूज चैनल शुरू हो गए हैं। पीआईबी वीडियो रिलीज भी करता है जिनसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सरकारी प्रयासों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री इकाई

प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रचार एवं मीडिया सहयोग देने के लिए पीआईबी की एक विशेष इकाई है। यह इकाई साल में 365 दिन चौबीस घंटे सक्रिय रहती है। यह इकाई प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, अवकाश दिवसों सहित, सभी दिन पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध यह इकाई दो पालियों में कार्य करती है- प्रातः 6:30 से सायं 8:00 बजे तक। अक्सर प्रधानमंत्री की कार्य व्यस्तताओं के अनुसार इस इकाई को देर रात/अवकाश के समय भी मंत्रिमंडल बैठकों/ब्रीफिंग्स आदि के समय भी कार्य करना पड़ता है। यह इकाई स्थानीय/शाखा कार्यालयों से भी देशव्यापी प्रचार के लिए संपर्क में रहती है और वहां से प्राप्त फीडबैक को प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपती है। इस इकाई की जिम्मेदारियों में शामिल हैं :

- माननीय प्रधानमंत्री के लिए प्रतिदिन समयबद्ध विधि से मीडिया रिपोर्ट तैयार कर प्रातः 9:15 बजे तक उन्हें सौंपना। इसमें अंग्रेजी, हिंदी एवं स्थानीय समाचार पत्रों की सामग्री होती है।
- साप्ताहिक पत्रिका रिपोर्ट तैयार करना।
- कैबिनेट सचिव के लिए समाचार पत्रों की कतरनें भेजना।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए श्रीनगर से विशेष फीडबैक रिपोर्ट।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए उर्दू समाचार पत्रों का फीडबैक।
- कैबिनेट ब्रीफिंग्स का आयोजन।
- मंत्रिमंडल के निर्णयों को जारी व अपलोड करना; प्रधानमंत्री के भाषणों/वक्तव्यों का प्रतिलेखन कर उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करना।

- राष्ट्रपति की चुनिंदा आधिकारिक कार्यक्रमों की कवरेज एवं उनसे संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों/वक्तव्यों/संदेशों को जारी करना।
- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एवं अन्य परिषदों/समितियों अधीनस्थ इकाइयों के लिए प्रचार व्यवस्था करना।

चुनावों के समय सूचना का प्रसार

राज्य विधानसभाओं के चुनावों के समय सूचनाओं के प्रसारण के लिए, पीआईबी निर्वाचन आयोग एवं मीडिया के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद ही पीआईबी विगत चुनावों की सूचना देने वाली हैंडबुक्स रिलीज करता है। इसके अतिरिक्त, चुनावों के नजदीक आने पर यह लगातार मीडिया में बैकग्राउंडर्स एवं फैक्ट शीट्स के जरिए चुनाव संबंधी सूचनाएं भी प्रसारित करता है। वोटों की गिनती के दिन, पीआईबी भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं पीआईबी के स्थानीय व शाखा कार्यालयों से गिनती के रुझान एवं नतीजे प्राप्त करता है। इसके लिए वह एक विशेष चुनाव मीडिया केंद्र स्थापित करता है और अपनी वेबसाइट के जरिए मीडिया को अपडेट करता है।

2015-16 के दौरान नई पहलें व झलकियां

- सरकार की विभिन्न उपलब्धियों एवं पहलों को लोगों तक आकर्षक, रंगीन एवं सुगठित तरीके से इन्फोग्राफिक्स के जरिए तैयार किया जा रहा है। लिखित टेक्स्ट की बजाय ऐसी सामग्री ज्यादा पसंद की जा रही है।
- ब्रांडिंग में सुधार आमजन को अधिकाधिक स्थान एवं पीआईबी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए ट्विटर कार्ड्स के इस्तेमाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- पीआईबी की वेबसाइट के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और 2016 की शुरुआत में इसे औपचारिक तौर पर शुरू किया जाएगा। आज के मीडिया जगत में सोशल मीडिया के असर को ध्यान में रखकर नये वेबसाइट को डिजाइन किया जा रहा है।
- पीआईबी की पारंपरिक प्रेस विज्ञप्तियों में ट्वीट्स, ट्वीट विजेट्स एवं इन्फोग्राफिक्स को शामिल करना।
- मल्टीमीडिया प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन।
- अफसरों को प्रचार संबंधी उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के बेहतर इस्तेमाल में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न सोशल एजेंसियों के साथ मंत्रणा की गई है।
- विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियों को विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शित करने के लिए वर्ष के अंत में दिसंबर में रिलीज किया गया।

सोशल मीडिया : पीआईबी द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल

गत एक वर्ष के दौरान पीआईबी ने बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद संपर्क बनाने, फॉलोअर्स जुटाने एवं नए मंचों पर अपनी पहचान स्थापित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है।

- fVoVj % गत एक वर्ष के दौरान पीआईबी के ट्विटर हैंडल/PIB_India पर फॉलोअर्स की संख्या नवंबर अंत तक 3.7 लाख से 6.8 लाख तक यानी लगभग दोगुनी हो चुकी है। इस हैंडल पर प्रतिमाह औसतन 1.2 करोड़ इम्प्रेशन्स जेनरेट होते हैं।
- u, ep % पीआईबी ने तीन प्लेटफॉर्म्स : फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं वाइन पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। फेसबुक पर एक वर्ष के भीतर ही पीआईबी ने 50,000 से अधिक फॉलोअर्स को आकर्षित किया। पीआईबी की इंस्टाग्राम गैलरी www.instagram.com/pibindia में आकर्षक तस्वीरें अपलोड की जाती हैं, जबकि वाइन प्लेटफॉर्म को छोटे समाचार वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, पीआईबी ने एक ब्लॉग pibindia.wordpress.com भी शुरू किया है जिसमें सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों पर सॉफ्ट स्टोरीज एवं फीचरनुमा आलेख पोस्ट किए जाते हैं।
- ;V;c % गत एक वर्ष के दौरान पीआईबी के यूट्यूब चैनल www.youtube.com/pibindia के ग्राहकों की संख्या दोगुनी यानी 6,800 से अधिक हो गई है। यूट्यूब पेज को तीन गुना यानी 3.6 लाख लोग देख रहे हैं, जबकि वीडियो की संख्या पांच गुना यानी 750 से अधिक पहुंच चुकी है।

ऑनलाइन मान्यता व्यवस्था

पीआईबी अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों सहित अन्य पत्रकारों को मान्यता प्रदान करता है। इस व्यवस्था को सुचारु एवं त्वरित बनाए जाने के लिए पीआईबी ने 2010 से मान्यता दिए जाने की पूर्णतया ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की थी। ब्यूरो ने ऑनलाइन मान्यता देने की प्रक्रिया का 2014-15 में सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 3 दिसंबर, 2015 तक, ब्यूरो ने 474 मान्य प्रेस कार्ड जारी किए हैं।

आईएफएफआई, गोवा में मीडिया सेंटर

पत्र सूचना कार्यालय ने गोवा में भारत के 46वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई)-2015 के

दौरान एक मीडिया केंद्र स्थापित किया था जिसका कार्य समारोह स्थल से मीडिया को समारोह के बारे में सूचनाएं भेजना था। यह मीडिया केंद्र 18 नवंबर, से 30 नवंबर, 2015 तक कार्यरत रहा था। समारोह में शिरकत करने वाले मीडिया कर्मियों को मीडिया केंद्र से हितकारी एवं प्रोत्साहक कार्य वातावरण प्राप्त हुआ। फिल्म समारोह के लिए 455 मीडिया कर्मियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए मान्यता दी गई।

आपात परिस्थितियों में नियंत्रण कक्ष

किसी भी आपात चुनौती का सामना करने के लिए पीआईबी का एक न्यूज रूम/कंट्रोल रूम भी है जो साल के 365 दिन, दिन-रात कार्यरत रहता है। रात्रि 9 बजे के बाद किसी भी किस्म की अप्रत्याशित घटनाओं एवं आकस्मिक परिस्थितियों से जूझने के लिए देश भर में पीआईबी के केंद्र तैयार रखे जाते हैं जो सीमित समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एवं उनका उसी समय वेबकास्ट करने में सक्षम होते हैं। आपात एवं संकट कालीन स्थितियों से निपटने के लिए चौबीस घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम चालू रहते हैं। महत्वपूर्ण न्यूज चैनलों पर निगाह रखी जाती है एवं प्रत्येक नई घटना व तथ्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने के बारे में प्रमुख महानिदेशक को कार्रवाई करने हेतु तुरंत सूचित किया जाता है।

पत्रकार कल्याण योजना

पत्र सूचना कार्यालय ने पत्रकार कल्याणकारी योजना (जेडब्ल्यूएस) को भी आगे बढ़ाया है। संशोधित योजना में पत्रकारों एवं उनके परिवारों को कठिन परिस्थितियों के दौरान अविलंब अनुग्रहपूर्वक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत पत्रकार को पांच लाख रुपये तक की राशि मुहैया कराई जाती है। यह सहायता राशि पत्रकार की मृत्यु अथवा उसके किसी कारणवश स्थायी तौर पर अशक्त होने की स्थिति में उसके परिवार को दी जाती है। यह सहायता कैंसर, गुर्दे का रोग, हृदयरोग, मस्तिष्क आघात आदि समस्याओं के उपचार हेतु भी दी जाती है। दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर भी वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे मामले पीआईबी द्वारा जांचे जाते हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री के समक्ष पारित करने के लिए भेजा जाता है।

मीडिया आउटरीच प्रोग्राम एवं विशेष कार्यक्रमों का प्रचार

मौजूदा मीडिया दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए पीआईबी ने एक नई मीडिया आउटरीच नीति बनाई है। यह प्रोग्राम पीआईबी की गतिविधियों को नया आयाम देगा, जो अब तक केवल सरकार और मीडिया के बीच एक सेतु की भूमिका निभा रहा था। नई शुरुआत से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक उनके काम आने वाली सूचनाओं के प्रसार का काम किया जाएगा। मीडिया आउटरीच नीति की अभिकल्पना ही सूचना प्रसार करने वाले एक कारगर औजार के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत आमजन, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में

जगदलपुर इकाई, छत्तीसगढ़ द्वारा 'साल एक शुरुआत अनेक' तथा 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' पर रैली का आयोजन

जमीनी स्तर तक सीधी पहुंच बनाने की योजना पर गौर किया गया है ताकि प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी को उन तक पहुंचाया जा सके और वे अपने जीवनस्तर को बेहतर करने के लिए उन कार्यक्रमों से लाभ उठा सकें।

इस अभियान का लक्ष्य है कि ग्रामीण, दूर-दराज, पहाड़ी एवं अशांत क्षेत्रों व अनुसूचित जाति/जनजाति एवं नक्सल प्रभावित इलाकों के लोग इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर अपने जीवनस्तर को बेहतर बनाएं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की मदद से केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता प्रसार मल्टीमीडिया पद्धति के जरिए किया गया। मुहिम चलाए जाने के दौरान इन कार्यक्रमों के प्रसार हेतु फील्ड अधिकारी राज्य एवं जिलों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करते हैं। इसके अलावा, अभियानों के दौरान आमजन के विचार एवं फीडबैक भी एकत्रित किए जाते हैं।

22 दिसंबर, 2015 तक देश भर में स्थित पीआईबी के स्थानीय एवं शाखा कार्यालयों में 35 पीआईसी आयोजित किए गए। इन अभियानों में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। स्थानीय समाचार पत्रों ने इन अभियानों की व्यापक कवरेज की और इससे जुड़ी सूचनाओं की हजारों कतरनें एकत्रित की गई। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्री, जन प्रतिनिधि (सांसद, एमएलए एवं एमएलसी), पंचायती राज नुमाइंदे, नौकरशाह, अकादमिक एवं गैर-सरकारी संगठन इन अभियानों का हिस्सा बने।

मीडिया संवाद सत्र/वार्तालाप/प्रेस टूर

सामाजिक-आर्थिक विकास, आधारभूत ढांचा, विकास योजनाओं आदि मुद्दों पर चुनिंदा राज्यों की राजधानियों में आयोजित होने वाला मीडिया संवाद सत्र 'मीडिया आउटरीच प्रोग्राम' के तौर पर होता है। इस शुरुआत में, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री एवं मंत्रालयों के अन्य संबंधित अधिकारियों संवाद सत्र में राष्ट्रीय व स्थानीय मीडिया के साथ सरकार की योजनाओं पर विमर्श करने के लिए बुलाया जाता है। अभी तक ऐसे दो मीडिया संवाद सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

शहरी/ग्रामीण आबादी के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से शहरी/ग्रामीण पत्रकारों को परिचित कराने के लिए वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मीडिया संवाद सत्रों के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न प्रोग्राम/परियोजनाओं से संबंधित बुकलेट्स/छोटी प्रचार पुस्तिकाएं भी वितरित की जाती हैं। 2015-16 में नवंबर तक 54 वार्तालापों का आयोजन किया जा चुका है।

देश भर में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की सफलता गाथाएं बताने के लिए पीआईबी के स्थानीय व शाखा कार्यालय प्रेस दौरों का आयोजन करते हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में नवंबर तक पीआईबी ऐसे चार दौरे आयोजित कर चुका है।

राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का प्रचार 2015

इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण समेत कई विषयों पर उनके वक्तव्यों, बातचीत और पहलों का व्यापक प्रचार किया गया। पीआईबी की पीएम यूनिट ने राष्ट्रपति के 669 चित्र भी जारी किए। इस इकाई द्वारा राष्ट्रपति के कार्यक्रमों से जुड़ी 521 प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गईं।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का प्रेस वक्तव्यों, भाषणों एवं फोटो आदि के जरिए प्रचार किया गया। अनेक राज्यों में प्रधानमंत्री की यात्राओं का भी उचित प्रचार किया गया। कैबिनेट एवं उसकी समितियों के निर्णयों के कवरेज के लिए भी प्रेस सम्मेलन कर उनका प्रचार को सुनिश्चित किया गया। प्रधानमंत्री के दृश्य प्रचार हेतु उनकी 4067 तस्वीरें जारी की गईं। इस इकाई की ओर से कुल 1190 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। प्रेस विज्ञप्तियों में 852 प्रधानमंत्री कार्यालय, 170 कैबिनेट के निर्णयों एवं 68 सीसीईए से संबद्ध रहीं।

2015-16 चुनावों में मीडिया कवरेज

पीआईबी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों के दौरान मीडिया एवं चुनाव आयोग के बीच में सेतु का काम करता है। 2015 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी पीआईबी ने व्यापक करवेज कराई। चुनावों के दौरान पीआईबी अधिकारियों ने चुनाव आयोग और राज्यों के चुनाव आयुक्तों के साथ जागरूकता प्रेक्षक के रूप में पूरे तालमेल से काम किया और आयोग की हिदायतों/दिशानिर्देशों का शीघ्रता से व्यापक प्रचार किया।

फीडबैक, फीचर एवं फोटो सेवाएं

पत्र सूचना कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मीडिया में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में की धारणा विचारों से सरकार को अवगत कराना है। इस बारे में देश की राजधानी में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी एवं हिंदी के समाचारों से, पीआईबी के स्थानीय/शाखा कार्यालयों से स्थानीय भाषा के समाचारपत्रों से प्राप्त होने वाले व टीवी समाचार चैनलों, वेब मीडिया एवं पत्रिकाओं से इनपुट प्राप्त किए जाते हैं। पीआईबी इस फीडबैक को अपने संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को भेजता है। इसके अलावा, पीआईबी अधिकारी मंत्रालयों/अपने विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मीडिया के रुझानों के इनपुट भेजते हैं।

विशेष सेवाओं के तौर पर पीआईबी का फीडबैक सेल दैनिक एवं विशेष संकलन भी तैयार करता है जो मंत्रालयों के इस्तेमाल हेतु राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक व नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीयों व समाचारों पर आधारित होते हैं।

कार्यालय की फीचर यूनिट द्वारा जारी फीचर, सक्सेस स्टोरीज, बैकग्राउंडर्स, सूचनांश, फोटो फीचरों को प्रादेशिक मीडिया में वितरण के लिए स्थानीय/शाखा कार्यालयों में अनुवाद हेतु भेजा जाता है। पीआईबी की फीचर यूनिट औसतन सालाना 200 फीचर्स जारी करती है। अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2015 तक 137 फीचर्स जारी किए गए। इनमें पीआईबी की प्रकाशन परिधि में आने वाले सभी विषय समाहित किए जाते हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों, सचिवों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, विशेष पत्रकारों एवं मुख्यालय, स्थानीय व शाखा कार्यालयों में कार्यरत पीआईबी अधिकारी योगदान करते हैं। फीचर्स यूनिट गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने वाले विशेष फीचर भी जारी करती है।

योजना निष्पादन 2015-16

भारत सरकार एवं मीडिया के बीच एकमात्र आधिकारिक कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर पत्र सूचना कार्यालय सरकार एवं नागरिकों के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। गत कई वर्षों से अपने देशव्यापी नेटवर्क के आधार पर पीआईबी ने तकनीकी एवं अभ्यास रूप में खुद को समकालिक साबित करते हुए अपनी क्षमता साबित की है। पिछले आठ दशकों के अनुभव एवं पेशेवराना नजरिए के आधार पर हमें अगले कुछ वर्षों में राज्य व्यवस्था में सूचना की कमी वाले क्षेत्रों में असंतुलन दूर करके एक समावेशी समाज बनाने की जरूरत है।

इस पृष्ठभूमि के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया गया हैः-

1. सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को वास्तविक समय में प्रेस विज्ञप्तियों, एसएमएस आदि के साथ-साथ लाइन स्ट्रीमिंग वीडियो तथा मोबाइल फोन पर ई-मेल के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाना।
2. संकट के समय व राष्ट्रीय आपदाओं के समय प्रचार व्यवस्था के नियोजन, निर्देशन और पर्यवेक्षण के जरिए सरकार की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना।
3. उन लोगों तक संचार के पारंपरिक (पीआईसी) तरीकों से पहुंच बनाना जो अभी आधुनिक तकनीकी से दूर हैं।
4. मोबाइल व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी साझीदारों के बीच नीतियां बनाना व कार्रवाइयों का संचालन करना।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, पीआईबी को मौजूदा परिदृश्य में आधुनिक तकनीक व तौर-तरीकों को बेहद असरदार तरीके से अपनाना व काम में लाना होगा, जिसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न योजनाओं को समाहित किया गया हैः

योजना 1 : मीडिया आउटरीच कार्यक्रम एवं विशेष आयोजनों का प्रचार

इस योजना को 70 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना का बीईं आवंटन 8.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के मुख्य अंश निम्न हैंः

क) ehfM;k vkmVjhp dk;Øe% इस योजना का लक्ष्य 70 सूचना अभियानों, 1 मीडिया संवाद सत्रों व 84 वार्तालापों के जरिए सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करना।

ख) vkbl,Q,Qvkbl ,o iokl h Hkkjrh; fnol ¼ihchMh½ dk vk;ktu % इस घटक का मुख्य लक्ष्य मीडिया केंद्र के लिए कंप्यूटरों की प्राप्ति के दौरान पत्रकारों को मान्यता देने हेतु अधिकारियों को तैनात करना है। 2015-16 के दौरान एसबीजी के तौर पर 25 लाख रुपये आवंटित किए गए। गोवा में आईएफएफआई के दौरान अक्तूबर 2015 में इस काम के लिए 6.03 लाख रुपये प्रयोग किए गए थे। जनवरी 2016 में प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य पर भी इस निधि का इस्तेमाल किया गया। 2015-16 के लिए बीई द्वारा 25 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

योजना 2 : पीआईबी का आधुनिकीकरण

मंत्रालय की 'मीडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम' योजना के अंतर्गत पीआईबी ने 'पीआईबी का आधुनिकीकरण' नामक उप-योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य है पीआईबी के संचार एवं सूचना प्रसारण तरीकों को आधुनिक तकनीक से समृद्ध करना एवं पीआईबी के स्थानीय एवं शाखा कार्यालयों की कार्यक्षमता में आमूल परिवर्तन लाना। इस योजना के लिए 2015-16 में पीआईबी ने 4 करोड़ रुपये आवंटित किए। अनेक आईटी संबंधित कार्य भी अमल में लाए गए, जिनमें: ये शामिल हैं।

1. एनएमसी में आईटी आधारभूत ढांचा, 2. अधिकारियों को तकनीक इस्तेमाल में सक्षम बनाना 3. सोशल मीडिया उपकरणों का इस्तेमाल 4. मुख्य वेबसाइट में निरंतर सुधार 5. ऑनलाइन मीडिया प्रमाणन 6. वीडियो/डिजिटल स्रोत निर्माण 7. लाइव वेबकास्ट 8. वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग 9. नए सॉफ्टवेयर्स का निर्माण 10. ई-ऑफिस, 11. सभी कार्यालयों में आधुनिक सूचना-प्रौद्योगिकी आधारभूत ढांचा।

नवंबर 2015 तक 1.80 करोड़ रुपये की राशि इन कार्यों में इस्तेमाल की जा चुकी है।

बजट आंकड़े - 2015-16

I.	1.	बीई 2015–2016 (नॉन–प्लान)	54.81 करोड़
	2.	आरई 2015–2016 (नॉन–प्लान)	59.06 करोड़ (प्रस्तावित)
II.	1.	बीई 2015–2016 (प्लान)	12.00 करोड़
	2.	आरई 2015–2016 (प्लान)	13.00 करोड़ (प्रस्तावित)
okLrfod 0;; ¼uocj 2015 rd½			
III.	1.	नॉन–प्लान	39.55 करोड़
	2.	प्लान	5.81 करोड़

राजभाषा नीति पर अमल करने के लिए सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना

राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों पर कार्रवाई व अमल तथा सरकारी काम काज में हिंदी के

प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी पत्र सूचना कार्यालय ने अनेक प्रयास किए हैं। महानिदेशक (एमएंडसी) की अध्यक्षता में लगातार त्रैमासिक बैठक आयोजित होती है जिसमें हिंदी प्रशिक्षण, प्रेस विज्ञप्तियों, हिंदी इस्तेमाल हेतु स्थानीय/शाखा कार्यालयों का निरीक्षण आदि विषयों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, समय-समय पर पीआईबी मुख्यालय के अधिकारी इन कार्यालयों का दौरा करते हैं जिस दौरान राज भाषा से जुड़ी योजनाएं व नियम समझाए जाते हैं तथा उन कार्यालयों में हिंदी के इस्तेमाल की जांच भी की जाती है। पीआईबी की वेबसाइट तीन भाषाओं में है।

प्रत्येक वर्ष की तरह सितंबर 2015 में इसमें 'हिंदी पखवाड़ा' आयोजित किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्पण व लेखन, हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी टंकण व हिंदी स्टेनोग्राफी एवं एमटीएस हेतु हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही, अधिकारियों व कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान में वृद्धि के लिए ब्यूरो ने इस वर्ष हिंदी वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया।

हिंदी व उर्दू इकाइयों की गतिविधियां

हिंदी व उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों के अंतर्गत अंग्रेजी समाचार पत्रों की सुर्खियों का अनुवाद, हिंदी/उर्दू दैनिक समाचार पत्रों के संपादकीय, प्रेस विज्ञप्तियों का हिंदी/उर्दू अनुवाद, फीचर्स, बैकग्राउंडर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के भाषणों का संकलन, नियमावलियों व पुस्तिकाओं आदि के अनुवाद व जांच का कार्य किया जाता है। 1 अप्रैल, 2015 से 30 नवंबर, 2015 के बीच हिंदी व उर्दू में 96 फीचर्स व बैकग्राउंडर्स तथा 10326 हिंदी व उर्दू प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं।

103 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (3-7 जनवरी, 2016)

पीआईबी बंगलुरु ने मैसूर विश्वविद्यालय के साथ इस आयोजन की मीडिया कवरेज की। मीडिया वर्क रूम स्थापित करने के अतिरिक्त, इस आयोजन के लिए दिल्ली के 15 और बंगलुरु के 30 पत्रकारों को एक प्रेस पार्टी में ले जाया गया। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में नियमित प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस पर एक फीचर भी जारी किया गया।

जयपुर में 1-2 फरवरी, 2016 को आयोजित अखिल भारतीय क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन

इस सम्मेलन में राजस्थान राज्य सहित देश भर के 100 संपादकों ने भाग लिया। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में 10 केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के संपादकों को संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सम्मेलन को दोनों-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया।

रेल बजट 2016-17

रेल बजट 2016-17 के व्यापक प्रचार के लिए विस्तृत प्रबंध किए गए जिसमें शामिल था- प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करने के लिए पृथक जोन (क्वारेंटाइन जोन) स्थापित करना, बजट से जुड़े सभी आयोजनों की मीडिया कवरेज को सुविधाजनक बनाना, विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वन टू वन इंटरेक्शन, विभिन्न पैनल चर्चाओं में रेलवे अधिकारियों की भागीदारी, बजट के बाद प्रेस वार्ता और मीडियाकर्मियों को बजट दस्तावेज वितरित करना। बजट के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए 35 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। पहली बार प्रश्नोत्तर प्रारूप में बजट का क्षेत्रवार ब्योरा तैयार किया गया। रेल मंत्री ने एक टॉकेथॉन में भाग लिया जिसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया गया।

आम बजट 2016

मीडिया के साथ वित्त मंत्री की बजट पूर्व बातचीत की कवरेज की गई। वित्त मंत्रालय के सचिवों की बजट पूर्व बातचीत/साक्षात्कारों को यूट्यूब पर प्रसारित किया गया। बजट पर सिटीजन गाइड शीर्षक से प्रश्नोतर प्रारूप में एक डॉक्यूमेंट को पीआईबी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। बजट पर दिलचस्प तथ्यों पर एक वीडियो बनाया गया और यूट्यूब पर शेयर किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों सहित पीआईबी के 175 कर्मचारियों को प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया। संसद में बजट पेश करने के तुरंत बाद बजट के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 32 प्रेस विज्ञप्तियां और 21 इन्फोग्राफिक्स को जारी किया गया। #VikasKaBudget हैशटैग के साथ इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। इसी प्रकार वित्त मंत्री के भाषण के लाइव ट्वीट्स को ट्विटर पर कैरी किया गया। वित्त मंत्री के रिकॉर्डेड संदेश को आकाशवाणी पर प्रसारित करने और लोकसभा चैनल पर उनके एक साक्षात्कार की व्यवस्था की गई। बजट के बाद वित्त मंत्री की प्रेस वार्ता का इंतजाम किया गया, साथ ही प्रिंट और वायर एजेंसियों के साथ उनके साक्षात्कार का बंदोबस्त किया गया।

31-01-2015 तक लेखा परीक्षण संबंधी टिप्पणियां एवं 30-11-2015 तक लंबित मामले

	तीन वर्षों से बकाया		तीन वर्ष या उससे कम समय से बकाया		टिप्पणियां
मीडिया इकाई का नाम पीआईबी	पर्यवेक्षणों की संख्या	संबद्ध राशि (लाख में)	पर्यवेक्षणों की संख्या	संबद्ध राशि (लाख में)	बकाया लेखा परीक्षणों का व्यापक आकलन
पीआईबी मुख्यालय	7	59.48	-	-	तीन वर्षों से लंबित पड़े 20.30 लाख रुपये के लेखा परीक्षण का मुद्दा जिसके अंतर्गत एएमएसएस, टेलिफोन की 59,314 रुपये भुगतान भरपाई जो गृहफोन के रूप में था, 88,925 रुपये खर्चे का गैर-पुनर्भुगतान, ठेका देने में बरती गई अव्यवस्था, भारत सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ जो 37.00 लाख रुपये के रूप में ब्याज के तौर पर रहा, वह बीईसीआईएल में असमायोजित अग्रिम राशि के रूप में थे, फोटोकॉपियर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान से जुड़ा 69,975 रुपये का अनियमित भुगतान।
	-	-	19	4540.26	नेशनल मीडिया सेंटर के गठन से जुड़ी अनियमित्ताएं, एनपीसी की इमारत के निर्माण में हुई देर और कीमत में वृद्धि, अवधि में बिना जुर्माने के प्रावधान के वृद्धि, विशेषज्ञों की पूर्व मंजूरी के बिना पारित परियोजना के कार्य को रोकना, अव्यवस्था के कारण हुई देरी से खर्च में 4.00 करोड़ की वृद्धि एवं डिजाइन व ड्रॉइंग में परिवर्तन, अधिक कंसल्टेंसी खर्च भुगतान, 1.40 करोड़ रुपये मूल्य के एसी के अनियमित पुरस्कार, अन्य अनियमित्ताएं, समायोजन रहित 39.98 करोड़ रुपये की राशि, बिजली के बिल भुगतान में अनियमित्ताएं, सूचना-प्रौद्योगिकी 1,04,800 राशि के सामान का बंटवारा, वितरण सेवाओं पर 61,304 रुपये अधिक सेवा कर का भुगतान, अग्रिम राशि रिलीज में अनियमित्ता, 35,888 रुपये के यातायात भते की अनियमित्ता, सरकारी निर्देशों के विपरीत पेट्रोल, डीजल का अधिक दोहन, समायोजन रहित 24,000 रुपये की एलटीसी राशि, आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं कराया जाना, व्यर्थ रखी पुस्तकालय की किताबें, पुस्तकालय की पुस्तकों की देखरेख नहीं करना, सीजीईआईएस की कम कटौती, पुराने या अधिक या बेकार पड़े स्टोर्स को इस्तेमाल में नहीं लाना।

31.03.2015 तक जारी जांच रिपोर्ट व पैरा तथा 30.11.2015 तक लंबित मामले

ehfM;k bdkbZ dk uke	Ckdk;k			Yk[kk ijh{k.k esa izsf'kr vfu;ferrk Jf.k;ksa dk ekSVs rkSj ij C;kjk
	iSjkxzkQ dh la[;k	fujh{k.k	fjiksVZl dh la[;k	
पीआईबी मुख्यालय	1(एक) (वर्ष 2010–11 के लिए लेखा परीक्षण रिपोर्ट) 5 (पांच) वर्ष 2011–15 के लिए	1(एक) (वर्ष 2010–11 के लिए 5 (पांच) वर्ष 2011–15 के लिए	2	ठेका दिये जाने में बरती गई अनियमितताएं। फोटोकॉपियर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान से जुड़ा 69,975 रुपये का अनियमित भुगतान। एएमसी के लिए 1.40 करोड़ रुपये का अनियमित कार्य देना, कार्य की व्यापकता में 22.26 लाख रुपये अतिक्रम/परिवर्तन, बिजली के बिल के भुगतान में 8.04 लाख रुपये की अनियमितताएं, यातायात भते में अनियमितता, अग्रिम राशि रिलीज करने में अनियमित्ता।

सूचना का अधिकार, 2005, से संबंधित मामले

पीआईबी मुख्यालय में सूचना का अधिकार (आरटीआई) मामलों में पीआईबी के प्रशासन I संभाग को नोडल संभाग का दर्जा दिया गया है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सीआईसी अनुभाग में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, अपीलों एवं निर्णयों को तुरंत पीआईबी के संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। डीओपीएंडटी के निर्देशों के अनुसार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना चाहने वाले लोगों के लिए सीपीआईओ एवं पुनर्विचार प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यालय में इन दायित्वों को धारा 4(बी) (i) एवं 4(बी) (ii) के अंतर्गत पूर्ण किया गया है जिसमें जन अधिकारी के अधीन सूचना का स्वतः प्रकटन और उसे वेबसाइट के जरिए पब्लिक डोमेन में लाने का अधिकार दिया गया है। सीआईसी की वेबसाइट पर प्राप्त, अस्वीकृत, हस्तांतरित प्रार्थना पत्र/अपीलों के आंकड़ों वाली त्रैमासिक रिपोर्ट को लगातार अपलोड किया जाता है।

नागरिक घोषणापत्र एवं शिकायत सुधार तंत्र

पत्र सूचना कार्यालय के नागरिक घोषणापत्र को सितंबर 2012 को जारी किया गया था और उसे पीआईबी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। शिकायत निपटान प्रणाली के लिए श्रीमती रंजना देव सरमा (निदेशक) को शिकायत निस्तारण अधिकारी नियुक्त किया गया और इस विभाग में प्राप्त सभी प्रार्थनाओं पर नियत समय में कार्रवाई की जाती है।

कैग पैरा

जहां तक पीआईबी का प्रश्न है, इससे संबंधित कोई कैग पैरा लंबित नहीं है।

महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों व निर्धारित मानकों के आधार पर पीआईबी में महिलाकर्मियों की शिकायतों के समाधान लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। यह समिति कार्यस्थल पर यौन शोषण के मामलों को देखती है जिन्हें 1964 के सीसीएस (कंडक्ट) नियमों, नियम-3सी के अंतर्गत रखा गया है।

सतर्कता से संबंधित मामले

(1) मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता का ब्योरा :

पीआईबी का सतर्कता ढांचा पूरी तरह डीजी (एमएंडसी) की देखरेख में काम करता है, जिन्हें सतर्कता अधिकारी (निदेशक स्तर के), उप निदेशक एवं अन्य सहयोगी स्टाफ मदद करता है। स्थानीय कार्यालयों को भी निगरानी के मामलों से जुड़े अधिकार दिए गए हैं। ब्यूरो के स्थानीय/शाखा कार्यालयों में सतर्कता से जुड़े मसलों के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो ऐसे मामलों में स्थानीय प्रमुख के साथ मिलकर कार्य करता है। समय-समय पर स्थानीय कार्यालयों को दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन दिया जाता है।

¼2½ lrdZrk ls tqMs lq{kkRed dne ½

(i) अवधि के दौरान पीआईबी के सभी अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

(ii) अवधि में किए गये औचक निरीक्षण-शून्य

¼3½ leh{kk/khu vof/k esa dh xbZ fuxjkuh o [kkst xfrfof/k;ka ½

(i) निगरानी के लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्योराः- ब्यूरो के

जनरल, प्रेस रिलेशन एवं ऑफिस ऑटोमेशन क्षेत्रों को निगरानी के लिए चुना गया है। इन तीनों विभागों में काम करने वाले कर्मियों व विभागाध्यक्षों के पदों को संवेदनशील माना जाता है। अतः तीन वर्षों से अधिक समय से इन विभागों में काम करने वाले कर्मियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। नीतिगत आधार पर इन विभागों के अधिकारियों को भी दूसरे विभागों में भेजा जाता है।

(ii) निगरानी के अंतर्गत रखे गए व्यक्तियों की संख्या-शून्य

¼4½ nM lcèkh dkjokb;k ¼l[;k 4¼i½ ls ¼x½ rd n'kkbZ tk,xh ftuesa fu;fDr vfèkdkjh jk"Vªifr ls brj gksrs gSA½

(i) इस अवधि में प्राप्त शिकायतें/संदर्भ-5

(ii) मामले जिनमें शुरुआती जांच की गई-शून्य

(iii) मामले जिनमें शुरुआती जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई-शून्य

(iv) मामले जिनमें बड़े जुर्माने से जुड़ी चार्जशीट जारी की गई-शून्य

(v) मामले जिनमें छोटे जुर्माने से जुड़ी चार्जशीट जारी की गई-शून्य

(vi) व्यक्तियों की संख्या जिन पर बड़ा जुर्माना किया गया-शून्य

(vii) व्यक्तियों की संख्या जिन पर छोटा जुर्माना किया गया-शून्य

(viii) निलंबन के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या-शून्य

(ix) चेतावनी जैसी प्रशासनिक कार्रवाइयों के अधीन आने वाले व्यक्तियों की संख्या-शून्य

(x) उचित नियम प्रावधानों के अंतर्गत समयपूर्व सेवानिवृत हुए व्यक्तियों की संख्या-शून्य

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (www.davp.nic.in)

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की स्थापना 1955 में की गई थी। यह भारत सरकार की केंद्रीय मल्टी-मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। डीएवीपी पिछले 60 वर्षों से लगभग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, स्वायत संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संचार संबंधी जरूरतों को एक ही स्थान पर तथा किफायती सेवा उपलब्ध करवाते हुए पूरा करती है। संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया विज्ञापन, ऑडियो विजुअल विज्ञापन, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, आउटडोर प्रचार, न्यूज मीडिया और मास मेलिंग के जरिए यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण तथा शहरी जनता को सूचना देती है और उन्हें शिक्षित करती है। साथ ही उन्हें विकास कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुख्यालय में डीएवीपी का संगठनात्मक ढांचा अभियान, विज्ञापन, आउटडोर प्रचार, प्रदर्शनी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग संटर, मास मेलिंग, ऑडियो विजुअल विंग, डिजाइन स्टूडियो, प्रशासन तथा लेखा विंग जैसे विभिन्न विभागों से मिलकर बनता है।

इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, बंगलुरु और गुवाहाटी में हैं। डीएवीपी के पास देश भर में फैली 32 क्षेत्र प्रदर्शनी यूनिट हैं। डीएवीपी की क्षेत्र प्रदर्शनी यूनिट सरकार तथा जनता के बीच महत्वपूर्ण संचार कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। क्षेत्र प्रदर्शनी इकाई प्रमुख राष्ट्रीय विषयों पर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए देश के दूर दराज क्षेत्रों में सामाजिक तथा विकास के मुद्दों पर आधारित मल्टी मीडिया प्रदर्शनी लगाती हैं।

2015-16 के दौरान लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णय

- इंटरनेट वेबसाइट, सोशल मीडिया, निजी एफएम रेडियो स्टेशनों को डीएवीपी के पैनल में शामिल करना और दर निर्धारण के मापदंडों के विभिन्न पहलूओं पर गौर करना।
- निजी सी एंड एस टीवी चैनलों को डीएवीपी के पैनल में शामिल करना और दर निर्धारण के लिए मापदंडों में संशोधन करना।
- विज्ञापन एजेंसियों को डीएवीपी के पैनल में शामिल करने के लिए मापदंड की समीक्षा करना।
- समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को डीएवीपी के पैनल में शामिल करने और दर में संशोधन के लिए मापदंड अपनाना।
- तब के एएस (सूचना एवं प्रसारण) (अब के एसएस, सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में अनेक समितियों ने डीएवीपी के विज्ञापनों से संबंधित मामलों पर विचार किया था। इस पहलू से निपटने के लिए एकल समिति का गठन 2 जुलाई, 2015 को किया गया था ताकि वह प्रिंट मीडिया, निजी सी एंड एस टीवी चैनल, निजी एफएम रेडियो स्टेशन, इंटरनेट वेबसाइटों और सोशल मीडिया में दिशानिर्देशों और दर संरचना की समीक्षा करे और उसे अंतिम रूप दे। साथ ही उपरिलिखित क्षेत्रों में सरकार के वित्तीय प्रभाव की समग्र रूप से जांच करे।
- उपरिलिखित समिति को उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ एसएस (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में 13 नवंबर, 2015 को फिर से गठित किया गया, जबकि पिछली समिति की संरचना को पुनर्गठित समिति में संशोधित किया गया।
- उपरिलिखित समिति ने 15 जून, 2016 तक या निजी सी एंड एस चैनलों के लिए नए दिशानिर्देशों की मंजूरी पर नए पैनल और दरों को अंतिम रूप देने तक, जो भी पहले

हो, निजी सी एंड एस टीवी चैनलों के वर्तमान पैनल का विस्तार छह महीने तक करना स्वीकार कर लिया।

- समिति ने 30 जून, 2016 तक या निजी एफएम स्टेशन के लिए नए दिशानिर्देशों की मंजूरी तक, जो भी पहले हो, निजी एफएम स्टेशन के वर्तमान पैनल का विस्तार 6 महीने की अवधि तक मौजूदा नियमों और दरों पर स्वीकार कर लिया है।
- समिति ने डीएवीपी को अस्थायी रूप से क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय चैनलों, जो डीएवीपी की वर्तमान पैनल सूची में नहीं हैं (और जो निजी सी एंड एस टीवी चैनलों के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार पैनल संबंधी मापदंडों को पूर्ण करते हैं) को 150 रुपये की आधार दर (सकल दर) (या 128 रुपये शुद्ध दर) पर सूचीबद्ध करने की अनुमति दी है, अगर पैनल की इच्छा रखने वाले चैनल के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, (या सूत्र के अनुसार यदि आंकड़े वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध हैं और एजेंडा नोट में उल्लिखित हैं) जब तक कि नए दिशानिर्देशों को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।
- मंत्रालय में एक उपसमूह का गठन 15 सितंबर, 2015 को किया गया था जिससे प्रिंट मीडिया में डीएवीपी की विज्ञापन दरों के लिए दर निर्धारण का एक सही फार्मूला बनाया जा सके। उपसमूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।
- डीएवीपी में एक पैनल सलाहकार समिति (पीएसी) है जो डीएवीपी के पैनल में शामिल होने के इच्छुक समाचार पत्र/पत्रिकाओं के आवेदनों की जांच करती है। डीएवीपी की एक सूची है जिसमें उन समाचार पत्र/पत्रिकाओं के नाम होते हैं जिन्हें सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं। पीएसी को एक वर्ष की अवधि के लिए 23 सितंबर, 2015 को पुनर्गठित किया गया था।

2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

पिछले एक वर्ष के दौरान डीएवीपी ने अपने दायरे और पहुंच का विस्तार करने, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी एकीकृत अभियानों के माध्यम से देश के सभी भागों में लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं:

साल एक शुरुआत अनेक

- सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक मल्टीमीडिया अभियान साल एक शुरुआत अनेक का प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य देश भर में जमीनी स्तर पर सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों से संबंधित संदेश/सूचनाओं का प्रसार करना था।
- प्रधानमंत्री के संदेश से संबंधित पहला विज्ञापन 26 मई को बिजनेस समाचार पत्रों सहित लगभग 4052 समाचार पत्रों को जारी किया गया था। आधे पन्ने का रंगीन विज्ञापन 27 से 31 मई, 2016 को जारी किया गया था।
- डीएवीपी ने नई सरकार का एक साल पूरे होने पर देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में 193 मल्टी मीडिया फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन किया।
- विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियों के अतिरिक्त डीएवीपी ने देशभर के 643 जिलों में 345 मोबाइल प्रदर्शनी वैन भी तैनात कीं। जीपीएस वाली इन मोबाइल वैनों में ऑडियो-वीडियो उपकरण, एंकर और सहायक कर्मचारियों के साथ सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली भी मौजूद थी।
- 26 मई से 1 जून, 2015 के दौरान 60-60 सेकेंड की अवधि वाले तीन जिंगल एफएम/आकाशवाणी रेडियो अभियान के तहत चलाए गए। इस अभियान को निजी एफएम स्टेशनों के साथ ही आकाशवाणी स्टेशनों के माध्यम से जारी किया गया। टीवी अभियान 26 मई से 1 जून के दौरान चलाया गया। इन सात स्पॉटों में से 3 स्पॉट 60-60 सेकंड के और शेष 40-40 सेकंड के थे।
- पिछले एक साल में सरकार की उपलब्धियों की 30 पृष्ठीय क्षेत्रवार पुस्तिका अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त 11 भारतीय भाषाओं में मुद्रित की गई। डीएवीपी ने 15 लाख मुद्रित पत्रिकाओं को डाक विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक वितरित किया।
- डीएवीपी ने साल एक शुरुआत अनेक के साथ प्रसिद्ध रथ यात्रा में भाग लिया। डीएवीपी ने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दावणगेरे, कर्नाटक में आयोजित उद्योग मेला में भी भाग लिया।

LoPN Hkkjr fe'ku % डीएवीपी ने स्वच्छ भारत मिशन पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जोकि वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की प्रधानमंत्री की पहल के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। लक्षित जन समुदाय में अपेक्षित स्तर तक व्यवहारगत बदलाव लाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत पर एक मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया गया। इसके लिए प्रिंट, टीवी, रेडियो और नए मीडिया प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल किया गया।

Mh,ohih dk o,y dyMj tkjh % इस साल डीएवीपी ने 23 दिसंबर, 2015 को वर्ष 2016 का अपना वॉल कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर का विषय है- विकास की नई उड़ान। इस कैलेंडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने जारी किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (सेवानिवृत) एवीएसएम, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री सुनील अरोड़ा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विशेष सचिव जे. एस. माथुर और डीएवीपी के महानिदेशक श्री के. गणेशन उपस्थित थे।

सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के प्रमुख, मीडिया की प्रख्यात हस्तियां, टीवी, एफएम चैनलों और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी इस समारोह में भाग लिया।

Mh,ohih dk fMftVy dSysaMj 2016 tkjh% इस साल भी डीएवीपी द्वारा एक डिजिटल कैलेंडर शुरू किया गया। इसके लिए डीएवीपी ने उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप/सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिसके द्वारा डिजिटल कैलेंडर डाउनलोड किया जा सकता है। यह एंड्रॉयड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध है।

इस ऐप को शुरू में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया गया है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। यह उपयोगकर्ताओं को एक प्लानर के साथ-साथ आकाशवाणी और डीडी न्यूज से खबरों के अपडेट्स भी उपलब्ध कराता है। यह भारत सरकार की सभी वेबसाइटों के लिए सिंगल स्टॉप विंडो है। इसके अतिरिक्त यह ऐप प्रधानमंत्री कार्यालय से नवीनतम ट्विट्स का एक लिंक भी प्रदान करता है।

Hkkjrh; vUrjjk"Vªh; 0;kikj esyk 2015% पिछले वर्ष की तरह डीएवीपी ने इस बार भी भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंडप लगाया जिसकी थीम थी- रोकथाम इलाज से बेहतर है। इस मंडप का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया।

मुंबई में जनवरी 2015 में संपन्न हुई भारतीय विज्ञान कांग्रेस में डीएवीपी ने सर्वश्रेष्ठ स्टॉल के लिए स्वर्ण पदक जीता। जनवरी 2016 में मैसूर में आयोजित इसी समारोह में डीएवीपी ने अपना स्तर बरकरार रखा और एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ स्टॉल के लिए स्वर्ण पदक जीता।

xkok esa Hkkjrh; vUrjjk"Vªh; fQYe egksRlo] 2015 % गोवा में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2015 को प्रचारित करने में डीएवीपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निदेशालय ने वर्ल्ड सिनेमा-आईएफएफआई हैंडबुक एंड कैटेलॉग, इंडियन सिनेमा आईएफएफआई कैटेलॉग, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर आदि का प्रकाशन किया। द इंडियन हेरिटेज ऑफ इंडिया शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन 20 से 30 नवंबर, 2015 को गोवा में किया गया जिसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने किया।

इनके अतिरिक्त डीएवीपी की अन्य महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

- वन रैंक वन पेंशन पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक विज्ञापन की अवधारणा बनाई गई और उसकी डिजाइनिंग और मुद्रण किया गया।
- बिहार के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज का प्रचार- प्रिंट, एवी और न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन जारी किए गए।
- 1965 के युद्ध की स्मृति में मल्टीमीडिया अभियान का निष्पादन किया गया।
- महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर क्रमशः 2 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को गांधी जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित एक मल्टीमीडिया अभियान का शुभारंभ किया गया।
- अक्षय तृतीया के पर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से सोने की शुद्धता पर विज्ञापन- क्या आप गुणवता के बारे में सुनिश्चित हैं, जारी किया गया।
- उपभोक्ता मामले से संबंधित विभाग की ओर से फार्मा जन समाधान।
- डीजी नागरिक सुरक्षा की ओर से अग्नि सेवा दिवस।
- दिव्यांग मामलों से संबंधित विभाग की ओर से विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, मुंबई में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए दिव्यांगों को सशक्त करना और गाजीपुर, बंगलुरु, देवरिया और गुड़गांव में सहायक उपकरणों का वितरण।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से बाबू जगजीवन राम, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, राष्ट्रीय पुरस्कार-वयोश्रेष्ठ सम्मान और डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का शिलान्यास समारोह।
- उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से मन की बात अभियान (इंटरनेट, प्रिंट)।
- शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस के अवसर पर संबंधित विज्ञापन जारी किया गया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से डीएवीपी ने स्वाइन फ्लू और नशीली दवाओं के सेवन के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया।
- वित्त मंत्रालय की ओर से अग्रिम कर से संबंधित एक टीवी अभियान चलाया गया।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान जारी रहा।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश के सबसे दुर्गम और दूरदराज के गांवों में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के संदेश को पहुंचाने के लिए 22 जनवरी से 21 फरवरी, 2015 के दौरान मोबाइल वैन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 22 जनवरी, 2015 को माननीय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत, हरियाणा से इस प्रदर्शनी वैन को हरी झंडी दिखाई। 96 वैनों ने कुल 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 99 जिलों को कवर किया।

- ➢ प्रवासी भारतीय दिवस के लिए डॉकेट्स की डिजाइनिंग और मुद्रण।
- ➢ निदेशालय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से क्लाइमेट चेंज-चैलेंजेस पर बुकलेट्स प्रकाशित कीं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से हिंदी दिवस पर संदेश (वॉल हैंगर) प्रकाशित किए।
- ➢ निदेशालय ने वर्ष 2015 में देश के विभिन्न भागों में अनेक विषयों जैसे साल एक शुरुआत अनेक, महात्मा गांधी, मतदाता जागरूकता, स्वस्थ मां स्वस्थ शिशु और स्वामी विवेकानंद पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी के अतिरिक्त विंग ने बिहार में गया मेला और मेरठ में गणेश मेला (चंदौसी मेला) को कवर किया।

वर्ष के दौरान प्रमुख पहल

डीएवीपी देश में बदलते मीडिया के मद्देनजर लगातार मीडिया वाहनों की अपनी श्रृंखला का विस्तार कर रही है। लगभग 900 करोड़ मोबाइल कनेक्शन के साथ, टेक्स्ट मैसेज लोगों तक पहुंच बनाने के एक शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे हैं। इसी तरह इंटरनेट भी छोटे और मध्यम कस्बों तक पहुंच गया है। नतीजतन, यह समाज के युवा और शिक्षित वर्गों तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी माध्यम बन गया है।

बाह्य प्रचार और डिजिटल सिनेमा

- डिजिटल सिनेमा के लिए मीडिया रणनीति ऑनलाइन तैयार कर ली गई है।
- डिजिटल सिनेमा के लिए रिलीज ऑर्डर ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं।
- डिजिटल सिनेमा के बिल भी ऑनलाइन प्राप्त किए गए हैं।
- दिल्ली में बैनर लगाकर हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे जनता को जागरूक किया जा सके।

क्रिएटिव एजेंसियां

- क्रिएटिव एजेंसियों के पैनल की ऑनलाइन सूची बनाई गई।
- क्रिएटिव एजेसियों का ब्योरा डीएवीपी वेबसाइट पर दिया गया।

डीएवीपी वेबसाइट

- विभिन्न रिपोर्टों सहित वार्षिक रिपोर्ट डीएवीपी की वेबसाइटः www.davp.nic.in पर प्रस्तुत की गई।
- सभी परामर्श वेबसाइट पर जारी किए गए।
- सभी क्लासीफाइड विज्ञापन वेबसाइट पर प्रस्तुत किए गए।
- सभी टेंडर वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए।
- इन कदमों से उच्च स्तरीय पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।
- डीएवीपी ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न समाचार पत्रों को दिए गए कारोबार का ब्योरा वास्तविक समयावधि के साथ, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया।

प्रिंट मीडिया पैनल

- पैनल की रिपोर्ट को वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया।
- आवेदक को व्यक्तिगत रूप से अपनी फाइल की जांच करने और उसे सत्यापित करने की अनुमति दी गई।
- अस्वीकृति के कारण आवेदक को बताए जाते हैं।

पत्रिकाओं सहित सभी समाचार पत्र पैनल में शामिल होने और दरों के नवीकरण आदि से संबंधित आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं। इसी तरह चैनलों, बाहरी प्रचार, बिलों का निपटान (अर्थात बिलों को प्राप्त करना, प्रोसेसिंग और भुगतान) और विज्ञापनों का वितरण (ऑडियो विजुअल/समाचार पत्र) के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।

आधुनिकीकरण एवं पारदर्शिता संबंधी पहल

प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर निम्नलिखित कदम तकनीक का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में योगदान देते हैं :

- ऑनलाइन दिए गए रिलीज ऑर्डर (100 प्रतिशत)।
- रिलीज ऑर्डर के बारे में एसएमएस एलर्ट।
- 100 प्रतिशत ऑनलाइन (ई-बिल) बिलिंग।
- जॉब ऑर्डर, ऑडियो स्पॉट, बिल की प्राप्ति की ऑनलाइन डिलिवरी।
- सी एंड एस चैनलों और एफएम स्टेशनों के आवेदनों को पैनल में शामिल करने की ऑनलाइन रसीद।
- चैनलों से टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट सर्टिफिकेट और टैम डेटा में अन्य के लिए दो मानदंड स्वीकार करने के लिए बिलों की पुष्टि।
- सी एंड एस चैनलों के लिए दर संशोधन टैम के आंकड़ों (टीवीआर) और ईएसी के दिशानिर्देशों पर आधारित है।
- पहली बार मोबाइल टेलीफोनी (एसएमएस) और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के लिए एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया।
- टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की डिजिटल डिलिवरी।
- डीएवीपी के साथ पैनल में शामिल सभी बाहरी प्रचार माध्यमों की विस्तृत सूची बनाने का काम प्रगति पर है

जिससे मंत्रालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एक समग्र योजना प्रदान की जा सके।

- डीएवीपी में आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और परिचालन के तकनीकी उन्नयन की प्रक्रिया चालू है। डीएवीपी ने अपनी सभी नियमित गतिविधियों को कंप्यूटरीकृत कर लिया है; जैसे, पैनल आवेदनों को ऑनलाइन जमा करना, मीडिया प्लानिंग, बिल जमा करना, सत्यापन के विभिन्न तरीकों के आधार पर बिल प्रोसेसिंग और ऑनलाइन भुगतान। हालांकि इन प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण का काम अभी चल रहा है।
- डीएवीपी द्वारा एक नई सुविधा की शुरुआत की जा रही है जिसमें किसी विज्ञापन के रिलीज ऑर्डर को अपलोड करने के कुछ ही सेकेंड में संबंधित प्रकाशक को उसका एसएमएस अलर्ट मिल जाएगा। इससे प्रकाशक को जारी किए गए विज्ञापन के बारे में पता चल जाएगा, भले ही उस समय वह डीएवीपी की वेबसाइट ब्राउज़ नहीं कर रहा हो।
- डीएवीपी ने अपनी वेबसाइट www.davp.nic.in को दिव्यांगों के अनुकूल बना दिया है। अब दृष्टिहीन बिना किसी बाधा के वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं।
- नए उभरते मीडिया में डिजिटल सिनेमा और सामुदायिक रेडियो डीएवीपी के पैनल में शामिल कर दिए गए हैं। विज्ञापन नए माध्यमों, थोक एसएमएस और वेबसाइटों को भी प्रारंभिक चरण में पैनल में शामिल किया गया है।

विंग-वार ब्योरा

न्यू मीडिया विंग

भारत सरकार के मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के अनुरोध पर डीएवीपी का न्यू मीडिया (एनएम) विंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल सिनेमा, इंटरनेट वेबसाइटों और एसएमएस के माध्यम से विभिन्न मीडिया अभियान चलाता है। वर्तमान में 9 डिजिटल सिनेमा एजेंसियां, 42 इंटरनेट वेबसाइट (सीआरआईएस सहित) और 8 एसएमएस एजेंसियां डीएवीपी के साथ पैनल में शामिल हैं।

1 अप्रैल, 2015 से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुख अभियान चलाए गए। इनमें भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों से संबंधित अभियान भी शामिल हैं।

एनएम विंग ने डिजिटल सिनेमा के जरिए अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित अभियान 19 अगस्त से 16 नवंबर, 2014 के दौरान और इंटरनेट वेबसाइटों के जरिए 14 अक्टूबर, से 19 नवंबर, 2015 के दौरान चलाए।

अलग अलग अभियानों से संबंधित मीडिया योजना तैयार की है और एनआईसी द्वारा विकसित मॉड्यूल के माध्यम से उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) जारी की गयी। सभी अभियानों के संबंध में पैनल में शामिल एजेंसियों को मीडिया नियोजन, रिलीज ऑर्डर, पैनल में शामिल एजेंसियों से अभियान से संबंधित संवाद, बिल सौंपने और बिल के भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन लागू किया जाता है।

चौथे राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के विजेता

डीएवीपी के एनएम सेल द्वारा जारी मुख्य अभियान इस प्रकार हैं:

e=ky ;	Fkhe
महिला एवं बाल विकास	1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (डिजिटल सिनेमा)
वित्त	1. फाइल आयकर रिटर्न (एसएमएस और डिजिटल सिनेमा) 2. आयकर, दिल्ली का विशेष वापसी रसीद शिविर (डिजिटल सिनेमा और एसएमएस) 3. एनपीएस का संवर्धन (एसएमएस) 4. अग्रिम कर (एसएमएस, इंटरनेट और डिजिटल सिनेमा) 5. आय कर - कंपनी और अन्य व्यक्ति (इंटरनेट) 6. टीडीएस की फाइलिंग - सरकार कटौतीकर्ता (इंटरनेट) 7. टीडीएस की फाइलिंग - गैर सरकारी कटौतीकर्ता (इंटरनेट)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1. नाको - पीपीटीसीटी (डिजिटल सिनेमा) 2. आयुष - अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (एसएमएस) 3. विश्व जनसंख्या दिवस (एसएमएस) 4. कायाकल्प (डिजिटल सिनेमा) 5. कुष्ठ (डिजिटल सिनेमा) 6. नाको - लांछन और भेदभाव (डिजिटल सिनेमा) 7. मिशन इंद्रधनुष (डिजिटल सिनेमा) 8. नाको - लांछन और भेदभाव (डिजिटल सिनेमा) 9. हेपेटाइटिस बी (डिजिटल सिनेमा) 10. नोटो - अंग दान (एसएमएस)
सूचना एवं प्रसारण	1. बिहार पैकेज (डिजिटल सिनेमा) 2. स्वच्छ भारत (डिजिटल सिनेमा, क्रिस और इंटरनेट वेबसाइट) 3. सरदार पटेल जयंती (डीसी) 4. केबल टीवी डिजिटलीकरण (एसएमएस)
पेयजल एवं स्वच्छता	1. स्वच्छता (डिजिटल सिनेमा)
रक्षा	1. भारतीय नौसेना - इमेज प्रोजेक्शन (एसएमएस और डिजिटल सिनेमा) 2. भारतीय वायु सेना (एसएमएस) 3. भारतीय वायु सेना - भर्ती (इंटरनेट) 4. भारतीय सेना - (डिजिटल सिनेमा, एसएमएस) 5. भारतीय वायु सेना - भर्ती (अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, छतीसगढ़-एसएमएस)
पर्यटन	1. सामाजिक जागरूकता (डिजिटल सिनेमा और इंटरनेट)
अल्पसंख्यक मामले	1. अल्पसंख्यक मामले (डिजिटल सिनेमा) 2. राष्ट्रीय वक्फ विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (इंटरनेट)
गृह मामले	1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (डीसी) 2. आरजीआई (डिजिटल सिनेमा)
भारत का निर्वाचन आयोग	1. भारत का निर्वाचन आयोग (डीसी)
ऊर्जा	1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीसी) 2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिजिटल सिनेमा) 3. बीईई - पेंटिंग प्रतियोगिता (एसएमएस)
उपभोक्ता मामले	1. बीआईएस (एसएमएस) 2. उपभोक्ता जागरूकता अभियान (डिजिटल सिनेमा)
संचार एवं आईटी	1. पोस्ट - संवर्धन एवं प्रचार (एसएमएस) 2. स्पीड पोस्ट (डिजिटल सिनेमा) 3. ग्रामीण डाक जीवन बीमा (इंटरनेट)
सड़क परिवहन और राजमार्ग	1. सड़क सुरक्षा (डिजिटल सिनेमा)
कॉरपोरेट मामले	1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (डिजिटल सिनेमा)

मास मेलिंग इकाई

प्रधानमंत्री के भाषणों के अलावा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व संगठनों की ओर से प्रस्तुत पुस्तिकाएं, फोल्डर, पोस्टर, लीफलेट, ब्रोशर आदि प्रकाशित प्रचार सामग्री समूह मेलिंग विंग को प्राप्त होती हैं। इन प्रचार सामग्रियों का वितरण ग्राहक विभाग द्वारा निर्देशों अथवा आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाले कैलेंडर व डायरी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महत्वपूर्ण लोगों, सभी मंत्रालयों और संबंधित कार्यालयों को निःशुल्क, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों व स्वायत संस्थाओं को भुगतान के आधार पर और पूरे देश में ब्लॉक, पंचायत व ग्राम पंचायतों में भेजा जाता है।

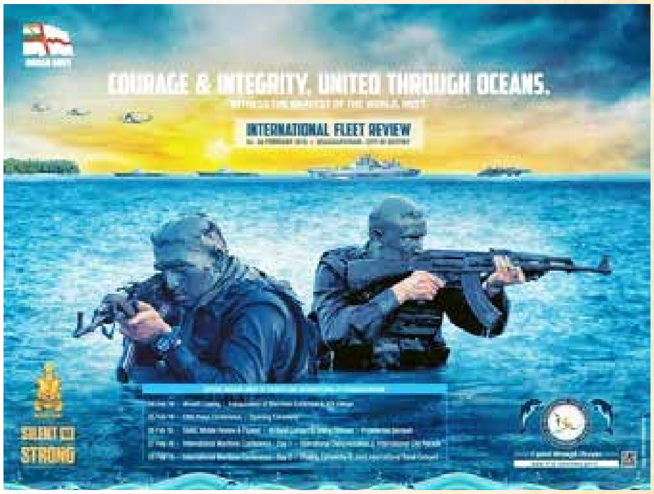

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी विषय 'अंतरराष्ट्रीय जहाजी बेड़े की समीक्षा – भारतीय नौसेना' पर डीएवीपी द्वारा जारी चित्र रचनात्मक प्रिंट

मुद्रित प्रचार स्कंध

मुद्रित प्रचार स्कंध (प्रिंट पब्लिसिटी विंग) प्रकाशित सामग्री के जरिए प्रचार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बहुरंगी पोस्टर, फोल्डर, कैलेंडर, डायरी, ब्रोशर, स्टिकर, वॉल हैंगर, टेबल कैलेंडर व अन्य सामग्री के प्रकाशन कार्य की योजना, छपाई व देखरेख आदि यह विंग करता है। आवश्यकता व बजट आवंटन के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के योजना आकलन तैयार करने का कार्य भी किया जाता है।

डीएवीपी द्वारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, ओड़िया, पंजाबी, उर्दू व हिंदी समेत सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। इस विंग के पास मुद्रकों, टाइपसेटरों और डायरी बनाने वालों का एक पैनल है जिससे काम समय पर समाप्त किया जा सके तथा खर्च को भी नियंत्रित किया जा सके।

पीपी विंग ने सूचना एवं प्रसारण और विभिन्न अन्य मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 168 आइटमों के साथ 88 कार्य पूरे किए हैं और सभी प्रकार की प्रचार सामग्री की 60 लाख प्रतियां बनाई हैं। चार पोस्टर और एक इनफॉरमेशन फोल्डर दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषण मुद्रित और वितरित किए गए हैं। इसके कवर के फॉरमेट और स्टाइल को सुंदर और चमकीला रूप देने के लिए कलर-कोडेड पट्टी का इस्तेमाल किया गया है।

दृश्य-श्रव्य स्कंध

डीएवीपी का दृश्य श्रव्य स्कंध (एवी विंग) निजी एस एंड सी चैनल, दूरदर्शन, निजी एफएम स्टेशन, आकाशवाणी, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को व्यापक सेवा मुहैया कराता है। इस समय 323 एस एंड सी चैनल, 215 निजी एफएम चैनल और 72 सामुदायिक रेडियो स्टेशन डीएवीपी के पैनल में शामिल हैं।

1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रमुख अभियान चलाए गए। इनमें भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों से संबंधित अभियान भी शामिल हैं। एवी विंग द्वारा जारी प्रमुख अभियान इस प्रकार हैं :

> *स्वच्छ भारत अभियान, पेयजल और स्वच्छता अभियान, अतुल्य भारत अभियान, साल एक शुरुआत अनेक अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अभियान, आयुष अंतरराष्ट्रीय योग अभियान दिवस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के विभिन्न कार्यक्रम भी विशेष अभियान में प्रसारित किए गए। भारतीय सेना ने नवंबर 2015 में टीवी और रेडियो के माध्यम से अपनी नई छवि प्रचारित करने वाले अभियान का शुभारंभ किया। भारत सरकार की एक और बड़ी पहल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को भी टीवी और रेडियो पर शुरू किया गया।*

एवी विंग ने 16 अगस्त से 30 अक्टूबर, 2015 के दौरान टीवी और रेडियो पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से अभियान जारी किया।

निजी सी एंड एस चैनलों एवं निजी एफएम स्टेशनों को पैनल में शामिल करने और दरों के निर्धारण के मापदंड तय करने हेतु पैनल सलाहकार समिति (ईएसी) की सिफारिशों की समीक्षा के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई (दिनांक 2 जुलाई, 2015 आदेश संख्या 1/50/2008-एमयूसी)।

अलग अलग अभियानों से संबंधित मीडिया योजना तैयार की गई है और एनआईसी द्वारा विकसित मॉड्यूल के माध्यम से उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) जारी की गई है। सभी अभियानों के संबंध में पैनल में शामिल एजेंसियों को मीडिया नियोजन, रिलीज ऑर्डर, पैनल में शामिल एजेंसियों के अभियान से संबंधित संवाद, बिल सौंपने और बिल के भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन लागू किया गया है।

डीएवीपी द्वारा मैसूर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2016 की प्रदर्शनी का दृश्य जिसे सर्वश्रेष्ठ डिजाइन स्टॉल के रूप में सम्मानित किया गया

प्रदर्शनी विंग

अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान डीएवीपी ने 1,145 दिनों के साथ कुल 193 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। यह वर्ष डीएवीपी प्रदर्शनी के लिए विशेष है। इसने पहली बार एक मल्टीमीडिया अभियान साल एक शुरुआत अनेक का आयोजन किया जो पूरे भारत में एक ही दिन यानी 26 मई, 2015 को शुरू किया गया।

इस मल्टीमीडिया अभियान (एमएमसी) को राजग सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया। कुल 69 एमएमसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है और डीएवीपी ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों और एलईडी, प्लाज्मा टीवी, टच स्क्रीन कियोस्क जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से हर नुक्कड़ और भारत के कोने-कोने तक अपना संदेश पहुंचा सकती है। इस अवसर पर 30 दिनों के लिए 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 643 जिलों में मोबाइल प्रदर्शनी वैन तैनात की गईं (28 मई से 14 जुलाई, 2015)। मोबाइल वैन प्रदर्शनी का विषय था साल एक शुरुआत अनेक। वैन में तेरह भारतीय भाषाओं की सामग्री थी।

मल्टीमीडिया अभियान प्रदर्शनी 492 दिन लगाई गई और उनमें कई वीवीआईपी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। दिल्ली और अहमदाबाद में प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने किया। देश के अन्य भागों में प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़, विभिन्न सांसदों और विधायकों ने किया। बैंक, एलआईसी, डाक विभाग और अन्य सरकारी संगठनों ने डीएवीपी के सहयोग से इस अभियान में भाग लिया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर, 2015 को संसद के पुस्तकालय में संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण पर आयोजित पांच दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

डीएवीपी ने इस वर्ष 23 जन सूचना अभियानों (पीआईसी) में भी भाग लिया। कुल 69 दिन यह अभियान चलाया गया। आम लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए डीएवीपी ने साल एक शुरुआत अनेक और सबका साथ सबका विकास नाम की प्रदर्शनियों में भाग लिया।

इनके अतिरिक्त डीएवीपी ने प्रदर्शनियों को सफल बनाने के लिए प्रमुख मेलों, पुस्तक मेलों में भाग लिया। इस साल डीएवीपी ने आईआईटीएफ, नई दिल्ली; आईएफएफआई, गोवा; राजगीर मेला, बिहार; उत्तर-पूर्व फिल्म महोत्सव, सिरी फोर्ट, गया मेला, बालि यात्रा, कटक, जेएनयू परिसर में सीआरपीएफ मेला, रायपुर में दशहरा मेला, पुरी रथ यात्रा, ओडिशा, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, केरल आदि में भाग लिया। 28 प्रमुख प्रदर्शनियों में डीएवीपी ने 269 दिन प्रदर्शनी में भाग लिया।

बाह्य प्रचार स्कंध

आउटडोर मीडिया निश्चित तौर पर ध्यान आकर्षित करता है। किसी निश्चित समाचार पत्र, चैनल तक सीमित न होने के कारण इसकी पहुंच व्यापक है। अन्य प्रचार के मुकाबले बाह्य प्रचार दिन-रात सुलभ रहता है। ग्रामीण इलाकों में सचित्र विवरण बड़े-बड़े अक्षरों में दीवार पर की गई पेंटिंग के जरिए ग्रामीणों को आकर्षित करते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रेरित करने के लिए आउटडोर ही प्रमुख मीडिया है। अभियानों के प्रभाव को बढ़ाने हेतु डीएवीपी ने आउटडोर के सभी माध्यमों को तैयार करने व प्रदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के साथ-साथ भारत सरकार के स्वायत संस्थाओं के लिए जानकारी प्रदान करने व लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न अभियानों को लेकर प्रचार किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम व विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रचार कार्य किए गए।

हवाई डिस्प्ले बोर्ड, एयरपोर्ट साइनेज और होर्डिंग-यूनिपोल, रेलवे टिकट, पूछताछ, बैनर, ब्रिज पैनल, बस पैनलों, बस क्यू शेल्टर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड, फ्लेक्स,

भारत सरकार के कैलेंडर – 2016 के विमोचन के अवसर पर श्री अरुण जेटली नेशनल मीडिया सेंटर में।

गैंट्रीज, होर्डिंग, कियॉस्क, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा टीवी स्क्रीन, मेट्रो-जन सुविधाओं, स्टेशन डिस्प्ले बोर्ड, डक्ट पैनल, पिलर कियॉस्क, स्ट्रीट फर्नीचर, निशुल्क स्टैंडिंग पैनलों, सूचना पैनलों, पुलिस बूथ, निर्जल शौचालय, वेंडिंग कियॉस्क और ट्रैफिक सिग्नल पिलर कियॉस्क का प्रयोग करते हुए ओपी अभियान चलाए गए।

इस अवधि में विभिन्न महत्वपूर्ण अभियान जैसे स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, फिल्म समारोह, महिला एवं बाल विकास, उपभोक्ता मामले, आयकर, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज को प्रचारित किया गया। इसके अतिरिक्त बाहरी प्रचार के माध्यम से फिल्म समारोहों सहित महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रचारित किया गया।

लेखा स्कंध

डीएवीपी का अकाउंट विंग प्रतिवर्ष लगभग 950 से 1000 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब रखता है। अपने बजट के अतिरिक्त डीएवीपी को अपने सभी ग्राहकों-मंत्रालयों, विभागों, स्वायत निकायों, पीएसयू से फंड मिलता है और पुष्टि के पश्चात इस फंड को जॉब ऑर्डर और प्रूफ ऑफ डिलिवरी के बाद विभिन्न मीडिया संगठनों, जैसे समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों, आउटडोर पब्लिसिटी से लेकर एजेंसियों, पैनल में शामिल प्रोड्युसर व मुद्रकों को दिया जाता है।

अपर महानिदेशक (लेखा) के नेतृत्व में इस विंग में निदेशक (लेखा), वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, 6 लेखा अधिकारी, 5 सहायक लेखा अधिकारी और 4 लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार होते हैं। डीएवीपी के रिलीज ऑर्डर में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार विज्ञापन के प्रसारण और प्रकाशन की पुष्टि के बाद भुगतान किया जाता है।

प्रमुख उपलब्धियां

(1) प्रदर्शनी व वेतन समेत सभी भुगतानों का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में सफल रूपांतरण।

(2) ओपी खाते का कंप्यूटरीकरण हाल ही में पूरा किया गया है।

(3) निजी पक्षों को किया जाने वाला शत-प्रतिशत भुगतान अब त्तकाल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के जरिए किया जाता है जिससे विलंब से बचने के साथ-साथ ट्रांजिट के दौरान चेक के खोने का डर नहीं रहता।

(4) बिल की स्थिति के बारे में अब वेबसाइट से ट्रैक किया जा सकता है। बिल की स्थिति क्या है, किसी कारणवश

बिल यदि खारिज हुआ है या फिर उसे मंजूरी प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी भी वेबसाइट के जरिए ली जा सकती है।

(5) बिल दाखिल करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा का निर्धारण (ऑडियो विजुअल बिल के लिए एक माह तथा समाचार पत्रों के लिए दो माह) किया गया, इसके बाद बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) बिल खारिज होने वाले प्रत्येक बिल के लिए निदेशक (लेखा) का पत्र।

(7) हाल ही में सिंगल ईआरपी प्लेटफॉर्म में अलग एकाउंट मॉड्यूल को एकीकृत किया गया है।

(8) ओपी एजेंसियों सहित सभी भागीदार अपने लॉगिन एरिया में अपने भुगतान संबंधी विवरण देख सकते हैं।

जारी प्रमुख पहल

लेखा विंग में प्रमुख पहल इस प्रकार हैं :

1. खातों से संबंधित शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन और कॉल सेंटर की स्थापना करना।
2. ईआरपी के तहत एक सिंगल मॉड्यूल में अलग खाता मॉड्यूल का एकीकरण- इससे ग्राहक विभाग और अन्य हितधारक आसानी से मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने फंड की स्थिति/समेकित बिल की स्थिति को जान सकेंगे।

सतर्कता प्रभाग

डीएवीपी में जून 2004 में पूर्ण रूप से सतर्कता विभाग स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह सतर्कता विभाग महानिदेशक की संपूर्ण देखरेख में काम कर रहा है। इस कार्य के लिए एडीजी, निदेशक (सतर्कता), डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन) एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी उनका सहयोग करते हैं।

अभियान विंग

डीएवीपी ने सभी अनिवार्य विज्ञापनों की क्राउड-सोर्सिंग शुरू कर दी है। 1 जनवरी, 2015 से अब तक निदेशालय के विभिन्न अभियान शाखाओं द्वारा की गई प्रमुख पहल और महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं :

संस्कृति मंत्रालय

- पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और रानी गैदिनलिउ की जयंती के अवसर पर विज्ञापन जारी किए गए।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) पर आउटडोर प्रचार और ऑडियो विजुअल अभियान के लिए कई विज्ञापन जारी किए गए।
- विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।

कृषि मंत्रालय

- 'आईसीएआर स्थापना दिवस' के अवसर पर पूरे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- फसल बीमा पोर्टल पर चौथाई पेज का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- पशुपालन और डेयरी द्वारा पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम पर अनेक रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर आधे और चौथाई पेज के रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की ओर से 72 राउंड सर्वेक्षण पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- अभिनव पुरस्कार पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- सस्ते ग्रामीण आवास पर राष्ट्रीय कार्यशाला नामक विषय पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पूरे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन - भारत सरकार की पहल जारी किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- महिलाओं और बच्चों एवं किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विश्वव्यापी सलाह पर एक चौथाई पेज का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- बिहार में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की ओर से फाइलेरिया पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से सार्वजनिक व्याख्यान पर एक चौथाई पेज के रंगीन तिमाही विज्ञापन जारी किए गए।
- वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से सार्वजनिक व्याख्यान पर एक रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- टीबी डिवीजन द्वारा टीबी मुक्त भारत के लिए कार्रवाई के आह्वान पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- विश्व मलेरिया दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ग्लोबल आयोडीन की कमी से विकार निवारण दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विभिन्न रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।
- लिंग चयन बंद करो पर विभिन्न रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।

- डायरिया नियंत्रण, मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, स्वाइन फ्लू, मिशन इंद्रधनुष, कायाकल्प, मौसमी फ्लू पर जागरूकता संबंधी विभिन्न रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।
- जनसंख्या स्थिरता कोष की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता पर चौथाई पेज का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- जनसंख्या स्थिरता कोष की ओर से विश्व जनसंख्या दिवस पर आधे पेज और चौथाई पेज के रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।
- आईआईटीएफ पर चित्रकला प्रतियोगिता पर चौथाई पेज के दो रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।

जनजातीय मामलों का मंत्रालय

- राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव पर 34x24 पेज आकार के पांच रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।
- राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव पर चौथाई पेज के दो रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।

जल संसाधन मंत्रालय

- केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की ओर से जल संरक्षण पर 5वीं राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता पर चौथाई पेज का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- जल संरक्षण पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।

पंचायती राज मंत्रालय

- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन पर चौथाई पेज का ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन जारी किया गया।

शहरी विकास मंत्रालय

- स्मार्ट सिटी पर पूरे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।

आयुष मंत्रालय

- 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बाहरी प्रचार और ऑडियो विजुअल अभियान के लिए विज्ञापन जारी किया गया।
- राष्ट्रीय आरोग्य 2015 पर चौथाई पेज का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।
- राष्ट्रीय आरोग्य मेले पर आधे पेज के विभिन्न रंगीन विज्ञापन जारी किए गए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

डीएवीपी ने इस अवधि में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए समाज कल्याण से संबंधित विज्ञापन हेतु प्रिंट, टीएम, एफएम रेडियो, डिजिटल सिनेमा और एसएमएस अभियान चलाया। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य महिला मुद्दों से संबंधित अभियानों को मोबाइल वैन प्रदर्शनियों, बाहरी प्रचार, ऑडियो-विजुअल, न्यू मीडिया और प्रिंट के माध्यम से भी प्रसारित किया गया।

डीएवीपी द्वारा कारा और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से बालिकाओं को गोद लेने और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विशेष संदेश भी प्रसारित किए गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल अधिकारों पर जन जागरूकता अभियान के लिए बाह्य प्रचार (मेट्रो ट्रेनों) का प्रयोग किया।

डीएवीपी ने मंत्रालय के लिए सूचना/निविदा/भर्ती और अन्य वर्गीकृत विज्ञापन के लिए प्रिंट विज्ञापन का समायोजन किया। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उसके सहायक विभागों/संगठनों ने निम्नलिखित विषयों पर विज्ञापन चलाए :

(क) महिलाओं की प्रदर्शनी

(ख) बाल दिवस पुरस्कार

(ग) महिला अधिकारों के अभाव/उल्लंघन से संबंधित

(घ) गोद लेने के लिए प्रोत्साहन

(ड़) नारी शक्ति पुरस्कार

(च) गोद लेना सरल बनाना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

डीएवीपी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसके सहायक विभागों/संस्थानों की ओर से मध्याह्न भोजन, साक्षर भारत आदि प्रमुख विषयों पर विज्ञापन अभियान चलाए गए। शिक्षक दिवस और साक्षरता दिवस के अवसर पर मंत्रालय द्वारा देश भर के अखबारों में डिस्प्ले प्रिंट विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। शिक्षक पुरस्कार समारोह दिवस पर चुनिंदा शहरों में एक अन्य डिस्प्ले विज्ञापन जारी किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने बाहरी प्रचार (रेलवे टिकट और बस पैनलों) के माध्यम से साक्षर भारत अभियान को शुरू किया है। मध्याह्न भोजन पर दृश्य-श्रव्य माध्यम से अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों/संस्थानों के लिए टेंडर नोटिस और भर्ती जैसे नियमित प्रिंट विज्ञापन जारी किए गए। अभियान के कुछ विषय इस प्रकार हैं :

(क) शिक्षा दिवस

(ख) सीबीएसई द्वारा शिक्षक दिवस पुरस्कार

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा ट्रॉमा सेंटर, बीएचयू का उद्घाटन

(घ) अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, ग्राहक मंत्रालय ने देश भर में समाचार पत्रों में 3/आधे पेज के विज्ञापन जारी किए। उनमें से एक विज्ञापन विभिन्न सरकारी शैक्षिक योजनाओं, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं, मैट्रिक पूर्व और उपरांत छात्रवृत्ति, महिला शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, शिक्षण संस्थानों को अनुदान के बारे में जागरूकता

फैलाने के लिए जारी किया गया था। मंत्रालय ने देश भर में अपने संदेश को प्रसारित करने के लिए एवी, डीसी और ओपी का प्रयोग किया। अल्पसंख्यकों पर प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों पर विशेष विज्ञापन भी इस वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए।

सामाजिक न्याय मंत्रालय

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ग्राहक मंत्रालय ने विभिन्न विषयों पर दस से अधिक डिस्प्ले विज्ञापन जारी किए। मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों पर ओपी (मेट्रो ट्रेन) के माध्यम से अभियान चलाया। इस थीम पर रेलवे पूछताछ संख्या 139 पर भी ओपी अभियान शुरू किया गया। संविधान दिवस पर विशेष मल्टी मीडिया योजना और डॉ बी.आर.अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम साल भर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। दिव्यांग व्यक्ति सशक्तीकरण विभाग के सहयोग से सुगम्य भारत अभियान संदेश को विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रसारित किया गया। मंत्रालय और उसके सहायक विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के प्रमुख विषय इस प्रकार हैं :

(क) नशीली दवाओं का सेवन - क्षेत्रीय कार्यशाला

(ख) एडीआईपी शिविर

(ग) विश्व दृष्टि दिवस - 8 अक्टूबर, 2015

(घ) अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

(ड़) अकुशल महिला सफाई कर्मचारियों को दक्षता

च) अंतरराष्ट्रीय बधिर सप्ताह

छ) सहायक उपकरणों के वितरण पर शिविर

उपर्युक्त अभियानों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकार (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय), पर्यटन मंत्रालय की ओर से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभियान अतिथि देवो भव, विदेश मंत्रालय की कैलाश मानसरोवर यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) पर अभियान, विश्व युवा दक्षता दिवस आदि पर बहुमुखी विज्ञापन जारी किए गए। गृह मंत्रालय के आने वाले अर्ध सैनिक बल में भर्ती के संबंध में विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत विज्ञापन डीएवीपी द्वारा जारी किए गए।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। अपने वैधानिक और व्युत्पन्न कार्यों के तहत यह समाचार पत्रों के नामों को मंजूरी देता और उन्हें सत्यापित करता है, उन्हें पंजीकृत करता है एवं उनके प्रसार के दावों की जांच करता है तथा उन्हें स्थापित करता है। कार्यालय हर वर्ष 31 दिसंबर तक सूचना एवं प्रसारण सचिव को देश में प्रेस की स्थिति पर में 'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट नामक सौंपता है। इसे भारत में 'प्रेस इन इंडिया' के नाम से प्रकाशित किया जाता है। अपने गैर-वैधानिक कार्यों के तहत, आरएनआई पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं को अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) के आयात के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है, साथ ही मुद्रण मशीनरी आदि के आयात के लिए भी अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करता है।

शीर्षक का सत्यापन

आरएनआई को शीर्षकों के सत्यापन के लिए इच्छुक प्रकाशकों के आवेदन जिलाधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित किए जाते हैं और कार्यालय पीआरबी अधिनियम की धारा 6 के तहत सत्यापन प्रक्रियाओं पर कार्य करता है। अप्रैल से दिसंबर, 2015 के दौरान आरएनआई ने नामों के सत्यापन के लिए 15,293 आवेदनों की जांच की जिनमें से 9,272 नाम सत्यापित किए गए।

आवेदकों की सुविधा के लिए आरएनआई ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। संबद्ध डीएम द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदक से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने की अपेक्षा की जाती है जिसे आरएनआई को अग्रेषित करने के लिए संबद्ध डीएम को सौंपा जाता है। आवेदकों को आरएनआई द्वारा आवेदन प्राप्ति और नाम के सत्यापन के संबंध में एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा जिससे पारदर्शिता बनी रहे। आवेदनों की स्थिति के बारे में आरएनआई वेबसाइट से जाना जा सकता है। विसंगति पत्र और नाम सत्यापन पत्र भी आरएनआई वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

शीर्षकों की डी-ब्लॉकिंग

शीर्षक संबंधी सत्यापन प्राप्त होने के बाद प्रकाशक को शीर्षक को पंजीकृत करना होता है। अगर आरएनआई को दो साल के अंदर पंजीकरण का दस्तावेज न मिले तो शीर्षक को डी-ब्लॉक कर दिया जाता है और वह शीर्षक किसी और इच्छुक आवेदक को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

पंजीकरण

शीर्षक के सत्यापन के बाद अधिनियम के तहत प्रकाशक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत घोषणापत्र, प्रमाणीकरण के बाद निर्दिष्ट दिनों के भीतर प्रकाशित प्रथम अंक की एक प्रति और कोई विदेशी टाई-अप न होने के संबंध में एक शपथ पत्र सौंपना होता है। यह सुनिश्चित होने के बाद कि पीआरबी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उसके तहत निर्दिष्ट नियमों के तहत प्रकाशन प्रकाशित और मुद्रित किया गया है, अखबार/पत्रिका को एक रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित किया जाता है और आरएनआई के रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी जाती है। इसके बाद प्रकाशक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र (सीआर) जारी किया जाता है। अप्रैल-दिसंबर, 2015 के दौरान कुल 5,737 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए जिसमें 4315 नए मामले और 1,422 संशोधित मामले शामिल हैं।

कंप्यूटरीकरण

नामों के सत्यापन और पंजीकरण के कंप्यूटरीकरण के अतिरिक्त सभी सत्यापित नाम आरएनआई की वेबसाइट www.rni.nic.in पर मिल जाते हैं और आवेदकों द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस सुविधा के साथ कोई भी व्यक्ति/भावी प्रकाशक मौजूदा डेटा बेस का प्रयोग कर सकता है। डेटा राज्य/भाषा के लिहाज से उपलब्ध हैं। प्रकाशकों के विभिन्न प्रश्न सरल प्रारूप में संकलित हैं और एफएक्यू के रूप में आरएनआई वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वार्षिक विवरण

पीआरबी अधिनियम की धारा 19डी के तहत, समाचार पत्र के प्रकाशक से अपेक्षा की जाती है कि वह हर वर्ष 31 मई तक फॉर्म 2 में वार्षिक विवरण, जोकि समाचार पत्र पंजीकरण (सेंट्रल) नियम, 1956 में निर्दिष्ट है, प्रेस रजिस्ट्रार को सौंपे जिसमें नियम के तहत विभिन्न सूचनाएं दर्ज होती हैं। यह हर प्रकाशक के लिए बाध्यकारी है कि वह अपने प्रकाशन में हर साल फरवरी माह के अंतिम दिन के पहले अंक में फार्म 4 में स्वामित्व और अन्य संबंधित विवरणों को प्रकाशित करे। वार्षिक विवरण वह बुनियादी दस्तावेज है जिसके आधार पर आरएनआई प्रेस संबंधी संकलन और विश्लेषण करता है जिसे उसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत में प्रेस में शामिल किया जाता है। पहली बार 2013-14 में शत-प्रतिशत ऑनलाइन वार्षिक विवरण प्राप्त हुए थे जिनकी संख्या 19,755 थी। 2014-15 में 23,394 वार्षिक विवरण प्राप्त किए गए।

भारत में प्रेस

29 दिसंबर, 2015 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया 2014-15' को सीडी संस्करण के साथ जारी किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और विशेष सचिव (सूचना एवं प्रसारण) भी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में समाचार पत्र/पत्रिकाओं के मालिकों, प्रकाशकों और मुद्रकों ने भी भाग लिया।

न्यूजप्रिंट

1 मई, 1995 से न्यूज प्रिंट को ओपन जनरल लाइसेंस में रखा गया है। वास्तविक उपयोगकर्ता ग्लेज्ड एवं स्टैंडर्ड, सभी प्रकार के न्यूजप्रिंट बिना किसी प्रतिबंध के आयात कर सकता है। वर्ष 2006-2007 के दौरान मंत्रालय ने वार्षिक रिटर्न के फॉर्म को संशोधित कर दिया जिसमें न्यूजप्रिंट के आयात और उपभोग विवरण को प्रदर्शित करना होगा। संशोधित प्रारूप के साथ, आरएनआई योग्यता प्रमाणपत्र जारी करता है जिसमें यह बताया जाता है कि समाचार पत्र कितनी मात्रा में न्यूजप्रिंट आयात कर सकता है। पिछले दो वर्षों के इस्तेमाल किए गए न्यूजप्रिंट के आधार पर तथा इस साल इस्तेमाल होने वाले प्रस्तावित न्यूजप्रिंट के संबंध में प्रकाशक द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर आरएनआई इसकी अधिकतम मात्रा तय करता है। अप्रैल-दिसंबर 2015 तक आरएनआई द्वारा न्यूजप्रिंट के आयात के लिए 1,311 योग्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए।

राजभाषा

आरएनआई के कार्यालय ने 14-28 सितंबर, 2015 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अनुवाद और भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और निगरानी में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायक निदेशक (राजभाषा) और एक वरिष्ठ अनुवादक को कार्यालय में तैनात किया गया है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर 8 सितंबर, 2015 को राजभाषा पर संसदीय समिति ने कार्यालय का निरीक्षण किया। वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा नीति को लागू करने में सराहनीय प्रयास के लिए आरएनआई को राजभाषा विभाग द्वारा प्रशस्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

जन शिकायत

कार्यालय में एक जन शिकायत केंद्र कार्य कर रहा है। आवेदक और प्रकाशक अपने प्रश्न प्रत्यक्ष या वेबसाइट पर ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं: pqrc-rni@nic.in, उत्तर भी ई-मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं। डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार आंतरिक शिकायत निस्तारण मशीनरी के प्रमुख हैं। अप्रैल-दिसंबर, 2015 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत 672 आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई।

कैट के निर्णय/आदेश का कार्यान्वयन

जहां तक इस कार्यालय का संबंध है। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 17 में शामिल करने के लिए कैट के निर्णय/आदेश कार्यान्वयन से संबंधित अपेक्षित विवरण/आंकड़ों को 'शून्य' माना जा सकता है।

क्र. सं.	मीडिया इकाइयां/अनुभाग	वर्ष 2015-16 के दौरान कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	वर्ष 2015-16 दौरान लागू निर्णयों/आदेशों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भारत में समाचार पत्रों का पंजीयन (आरएनआई)	शून्य	शून्य

दिव्यांग जनों के लाभ के लिए नीतिगत निर्णय एवं क्रियाकलाप

आरएनआई तत्कालीन समूह 'डी' के पदों को छोड़कर आईआईएस/सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस/सीएसओएल/एसएसएस आदि के संबंध में कैडर नियंत्रक प्राधिकारी नहीं है। वर्तमान में, चौकीदार का एक पद और रिकार्ड सॉर्टर का एक पद रिक्त है, जो मौजूदा भर्ती नियम के अनुसार भरा जाएगा। जहां तक संभव होगा, उपर्युक्त पदों को भरने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिव्यांगता अधिनियम, 1995 और भर्ती नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर तैयार किया गया है और इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.rni.nic.in) पर अपलोड किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना: आरएनआई के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2012-13 के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए योजना स्कीम मीडिया बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम के लिए अपना प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है। इस योजना के तहत आरएनआई की उप-योजना आरएनआई के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण के तीन उप-घटक हैं- 1. आरएनआई के दस्तावेजों/रिकार्डों का डिजिटलीकरण 2. वार्षिक स्टेटमेंटों की ई-फाइलिंग 3. नामों की ऑनलाइन जांच/नामों का ऑनलाइन पंजीकरण। 2012-17 की अवधि के लिए इस योजना का परिव्यय 1.00 करोड़ रुपये है जिसे बाद में संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) के जरिए 25 फरवरी, 2015 को 2.87 करोड़ रुपये कर दिया गया।

25.00 लाख रुपये की राशि वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना के तहत प्रदान की गई है और इस आवंटन का पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान बीई 2015-16 के लिए 20.00 लाख रुपये की राशि दी गई है जो आरई 2015-16 में 50 लाख रुपये बढ़ा दी गई है। इसमें से 17.88 लाख रुपये की राशि 31 दिसंबर, 2015 तक दी जा चुकी है।

प्रेस और पुस्तक एवं प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण (पीआरबीपी) विधेयक

वर्तमान में लागू, प्रेस और पुस्तकों तथा प्रकाशनों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम का उद्देश्य भारत में प्रकाशित समाचार वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं की प्रतियों को संरक्षित करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करना और समाचार वाली ऐसी पुस्तकों और पत्रिकाओं का पंजीकरण है।

प्रिंट मीडिया के क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि और प्रिंट मीडिया नीति/दिशा-निर्देश/नियम से उठने वाले कुछ विषयों के कारण पीआरबी अधिनियम, 1867 को अद्यतन और संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, प्रेस और पुस्तकों तथा प्रकाशनों का पंजीकरण (पीआरबीपी) विधेयक तैयार किया गया और 7 सितंबर, 2011 को कैबिनेट की मंजूरी के लिए सौंपा गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयक को 16 दिसंबर, 2011 को संसद में पेश किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा इसे 5 जनवरी, 2012 को लोकसभा में भेजा गया। आईटी पर स्थायी समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 20 दिसंबर, 2012 को अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें कीं। विधेयक स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया और मार्च 2014 में कैबिनेट से कमेटी की मंजूरी के लिए विधेयक को पेश करने का प्रयास किया गया। हालांकि मई 2014 में आम चुनाव के बाद 15वीं लोकसभा के भंग होने के कारण विधेयक को निरस्त कर दिया।

16वीं लोकसभा के गठन के बाद मंत्रालय द्वारा एक नया पीआरबीपी विधेयक तैयार किया गया और टिप्पणियों के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया है। मसौदा विधेयक में पीआरबी अधिनियम, 1867 को निरस्त करके नए सिरे से कानून बनाने का प्रस्ताव है। इसमें नई और संशोधित परिभाषाएं करने के अतिरिक्त, नाम के सत्यापन के लिए विस्तृत प्रावधान, नाम सत्यापन के लिए निर्धारित समय सीमा और घोषणा के प्रमाणीकरण के अतिरिक्त प्रसार संबंधी सत्यापन के लिए वैधानिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।

विधि और न्याय मंत्रालय ने एक अंतिम मसौदा विधेयक भेजा है जोकि कैबिनेट को सौंपने से पहले मंत्रालय के विचाराधीन है।

o"kZ 2015-16 ds nkSjku dk;kZy; dh xfrfofèk;k
¼vçSy 2015 ls fnlacj 2015 dh vofèk ds fy,½

क्रम. सं.	गतिविधि का नाम	पिछले वर्ष 2014–15 के दौरान प्रदर्शन	वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लक्ष्य	चालू वर्ष के दौरान प्रदर्शन 2015–16	प्रत्याशित
1-	uke dk eatwjh				*
i)	प्राप्त संदर्भ	20216	*	15293	*
ii)	स्वीकृत	13494	*	9272	*
ii)	अस्वीकृत	6106	*	4627	*
iv)	डी–ब्लाक किए गए नाम	7818	*	5365	*
2-	iathdj.k lfVZfQdsV ¼dqy½	6325	*	5737	*
i)	नए मामले	5720	*	4315	*
ii)	संशोधित सीआर	605	*	1422	*
3-	çdk'ku e'khujh o mlls tqMh lkexh				
i)	प्रिंटिंग मशीनरी आयात करने के लिए जारी आवश्यकता प्रमाणपत्र	0	*	1	*
ii)	फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में छूट के लिए प्रमाणपत्र	2	*	2	*
iii)	आरटीआई के तहत आवेदनों पर कार्रवाई	865	*	672	
4-	U;wt fçaV				
i)	न्यूजप्रिंट आयात के लिए प्रकाशकों को जारी किए गए योग्यता प्रमाणपत्र	1314	*	1311	*
ii)	मीट्रिक टन में मानक न्यूजप्रिंट की मात्रा	1543443	*	1510886	*
iii)	मीट्रिक टन में ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट की मात्रा	72338	*	49118	*
5-	fjiksVZ lsy				
i)	प्रेस इन इंडिया	2013-14		2014-15	*
ii)	प्राप्त किए गए वार्षिक विवरण	19755	*	23394	*

अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 तक

टिप्पणी– प्रकाशकों द्वारा दिए गए आवेदन व अनुरोध के आधार पर। इन कार्यों में कोई भी लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

fofHkUu xfrfofèk;k dk vkdMk–okj fooj.k

(अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 के लिए)

en	fooj.k
शीर्षक संबंधी प्राप्त आवेदन पत्र	15,293
सत्यापित शीर्षक	9,272
अस्वीकृत शीर्षक	4,627
डी–ब्लॉक शीर्षक	5,365
कुल जारी सीआर	5,737
नए जारी सीआर	4,315
संशोधित जारी सीआर	1,422
मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र	1
एफसीआरए के लिए छूट प्रमाणपत्र	2
प्राप्त आरटीआई आवेदन	672
जारी पात्रता प्रमाणपत्र (ईसी)	1,311
मीट्रिक टन में मानक न्यूजप्रिंट की मात्रा	15,10,886
मीट्रिक टन में ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट की मात्रा	49,118
वार्षिक विवरण प्राप्त	23,394

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। सरकार के विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों की सफलता इनके लाभार्थियों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रति जागरूक होने पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निदेशालय लोगों को जागरूक बनाता है और विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अमल में उनका स्वैच्छिक तथा उत्साहपूर्ण योगदान सुनिश्चित करता है। निदेशालय के प्रयास अंतर वैयक्तिक संपर्क पर आधारित हैं जो संचार का सबसे कारगर तरीका है। स्थानीय सम्मानित नागरिकों और लाभार्थियों से सीधी बातचीत, सामूहिक चर्चाओं, घर-घर जाने और जनसभाओं के जरिए ये उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक और लोकशैलियों तथा अन्य माध्यमों का समुचित इस्तेमाल किया जाता है। निदेशालय अपने कामकाज में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभागों और एजेंसियों का भी सहयोग लेता है। डीएफपी के क्षेत्र पदाधिकारी भी कार्यान्वयन एजेंसियों के लाभ के लिए सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिक्रिया एकत्र करते हैं।

1. निदेशालय के उद्देश्य

- सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए निदेशालय अपने संपूर्ण संसाधनों के साथ आम लोगों तक पहुंचता है और उन्हें इन प्रयासों से मिलने वाले लाभों की जानकारी देता है,
- निदेशालय आम लोगों के बीच लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों का प्रचार-प्रसार करता है, और
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा इनके अमल के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानता है और उचित कार्रवाई एवं उपायों के लिए अधिकारियों को सूचित करता है ताकि जहां जरूरी हो, सुधार किए जा सकें।

लोगों को सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की भूमिका अन्य मीडिया इकाइयों से विशिष्ट है क्योंकि यह ग्राहक मंत्रालयों/विभागों और लक्षित समूहों से उनकी प्रतिक्रिया भी हासिल करता है। इस तरह क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सरकार और आम लोगों के बीच पुल का काम करता है।

2. संस्थागत ढांचा

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तीन स्तरों पर कार्य करता है:-

(1) नई दिल्ली स्थित मुख्यालय

(2) प्रादेशिक कार्यालय

(3) क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां।

डीएफपी के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों में हैं एवं 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां पूरे देश भर में अधिकतर जिला मुख्यालयों में हैं। प्रत्येक कार्यालय करीब 6 से 13 प्रादेशिक क्षेत्रीय इकाइयों का नियंत्रण करता है। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के अधीन कार्य करती हैं। प्रचार अधिकारी की सहायता के लिए एक प्रचार सहायक एवं अन्य स्टाफ होते हैं। इकाइयों में गाड़ियों एवं दृश्य-श्रव्य उपकरणों की पूरी व्यवस्था रहती है। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्रीय प्रचार इकाई महीने में करीब 10-12 दिन यात्राएं (रात्रिकालीन विश्राम सहित) करती है। ये यात्राएं खासकर देश के दूर-दराज एवं ग्रामीण इलाकों में की जाती हैं। नजदीकी क्षेत्र में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान रात्रिकालीन विश्राम नहीं किया जाता है।

3. ई-गवर्नेंस

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) ने अपने प्रादेशिक कार्यालयों एवं इकाइयों के बेहतर संचालन के लिए सूचना एवं संचार की नवीन तकनीकों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। सभी कार्यालयों एवं क्षेत्रीय इकाइयों में कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है ताकि उनके एवं मुख्यालय के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तेजी से किया जा सके। विश्लेषण, संदर्भ एवं रिकॉर्ड के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा फोकस्ड (केंद्रित) रिपोर्ट एवं डेटाबेस नियमित रूप से तैयार किया जाता है एवं इस पर अपलोड भी किया जाता है। 22 प्रादेशिक कार्यालयों के वेब पेज लांच किए जा चुके हैं।

4. मुख्य गतिविधियां

सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां

सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए मई से जुलाई, 2015 के दौरान निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालयों/क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने डीएवीपी की राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनी साल एक शुरुआत अनेक के संबंध में सहयोग प्रदान किया और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल प्रदर्शनी वैन चलाई गई। डीएफपी ने देश के विभिन्न भागों में डीएवीपी प्रदर्शनी वैन मार्गों से सटे स्थानों पर 83 विशेष आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर इकाइयों ने फिल्म शो, क्विज प्रतियोगिता, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ समूह चर्चाओं का आयोजन किया।

डीएवीपी की प्रदर्शनियों में कैबिनेट मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/विधायकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

स्पेशल आउटरीच कार्यक्रम (एसओपी)

12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना विकास संचार और सूचना प्रसार के तहत, डीएफपी की एक उप-योजना है- प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम। प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के एक घटक में डीएफपी की दो क्षेत्रीय इकाइयों को मिलाकर एक स्थान पर चिह्नित विषय पर दो दिवसीय गहन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोप घटक के तहत जून 2015 में कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। सोप का मुख्य उद्देश्य उन स्थानों को चिह्नित करना है जहां वह लोगों तक अधिक संख्या तक पहुंचे और पारंपरिक शैली में संदेश पहुंचाए। सोप को सीमावर्ती क्षेत्रों और अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में आयोजित किया जा रहा है।

एसओपी की विषय-वस्तुएं हैं:

- स्वच्छ भारत मिशन
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- कौशल भारत मिशन

30 नवंबर, 2015 तक स्पेशल आउटरीच कार्यक्रमों को 626 कार्यक्रमों के लक्ष्य की तुलना के रूप में देश भर में 170 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

डीएफपी द्वारा आयोजित बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान पर आयोजित प्रेस कवरेज के लिए पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर द्वारा सुविधा प्रदान की गई।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और मिशन इंद्रधनुष अभियान

डीएफपी ने जुलाई-दिसंबर, 2015 के दौरान देश के 184 उच्च प्राथमिकता प्राप्त जिलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दो चरणों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू किया। यह कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया जहां शिशु और मातृ मृत्यु दर उच्च है। इसके तहत लक्षित लाभार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अभियान के अंत तक 686 लक्षित कार्यक्रमों की तुलना में 30 नवंबर, 2015 तक 454 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। छतीसगढ़ के जगदलपुर जिले के धनोरा गांव में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और मिशन इंद्रधनुष पर जनसभा

असम के नागांव जिले के कोंडोली गांव में मिशन इंद्रधनुष तथा मां एवं बाल स्वास्थ्य पर जागरूकता रैली

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मेघालय-मिजोरम-त्रिपुरा (एमएमटी), नगालैंड एवं मणिपुर, उत्तर-पश्चिम (पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश), राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (उत्तर), सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल (दक्षिण) के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने अधीन आने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। फील्ड यूनिट ने सीमा से लगे गांवों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई विविध स्कीमों की विस्तृत जानकारी दी। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय संप्रभुता एवं सांप्रदायिक सद्भावना पर जोर दिया गया।

नक्सलवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां

नौ क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छतीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की फील्ड पब्लिसिटी यूनिट ने नक्सल प्रभावित इलाकों में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीमों

डीएफपी अगरतला, त्रिपुरा द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों पर एक जन रैली

एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया।

जन सूचना अभियान में भागीदारी (पीआईसी)

डीएफपी ने अप्रैल से नवंबर 2015 तक 11 क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले देश के विभिन्न भागों में 21 जन सूचना अभियान आयोजित किए। प्रत्येक पीआईसी में दो से चार क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों (एफपीयू) ने भाग लिया और सरकार की प्रमुख योजनाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए।

आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में बशीरबद गांव में साल एक शुरुआत अनेक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते श्रोतागण

नियमित जागरूकता कार्यक्रम

डीएफपी की फील्ड यूनिट ने सरकार की विभिन्न योजनाओं पर नियमित कार्यक्रमों का आयोजन किया और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं/दिवसों/सप्ताहों को भी मनाया।

miyfCek;k % vçSy 2015 ls uocj 2015

1.	फिल्म शो की संख्या	11,986
2.	विशेष कार्यक्रमों की संख्या	1,896
3.	समूह चर्चा की संख्या	24,404
4.	फोटो प्रदर्शनियों की संख्या	12,862
5.	फीडबैक स्टोरीज की संख्या	16,918
	कुल गतिविधियां	68,066
	कवर किए गए गांवों की संख्या	13,163

प्रकाशन विभाग

(www.publicationsdivision.nic.in)

मुख्य बिंदु और उपलब्धियां

- सितंबर 2015 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पीडीएफ प्रारूप में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (ई-सीडब्ल्यूएमजी) के 100 खंडों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की डीवीडी जनता को समर्पित की। गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से तैयार यह ई-संस्करण गांधीजी के लेखन और उनके बोले गए शब्दों का प्रामाणिक दस्तावेज है। यह वर्ष 1884 से लेकर उनकी हत्या तक गांधीजी के भाषणों और लेखन की मास्टर कॉपी है।
- विभाग ने राष्ट्रपति भवन की समृद्ध विरासत पर अनेक उत्तम पुस्तकें प्रकाशित की हैं। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों *द प्रेजिडेंशियल रिट्रीट्स* और *सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ द प्रेजिडेंट (वॉल्यूम तीन)* की पहली प्रतियां भेंट कीं। इससे पहले जुलाई 2015 में उपाध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को प्रकाशन विभाग की पुस्तकों-*द प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, एबोड अंडर द डोम* और *सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ द प्रेजिडेंट (वॉल्यूम एक और दो)* की पहली प्रतियां भेंट की थी।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रकाशन विभाग की पुस्तक *बिलीफ इन द बैलेट* की पहली प्रति भेंट की। प्रकाशन विभाग ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेताओं पर एक संकलन *लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिल्वर स्क्रीन* भी प्रकाशित किया जिसे माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा आईएफएफआई, 2016 के दौरान जारी किया गया। कुल मिलाकर, प्रकाशन विभाग द्वारा इस वर्ष फरवरी 2016 तक 79 पुस्तकें प्रकाशित की गईं।
- प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2015 में पहली बार ई-पुस्तकों के क्षेत्र में प्रवेश किया। एक कठोर प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों का पालन करते हुए संदर्भ वार्षिकी *भारत* और *इंडिया 2015* का डिजिटलीकरण और ई-पुस्तक में रूपांतरण किया गया। साथ ही पहली बार इन ई-पुस्तकों को प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बेचा गया। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इन ई-पुस्तकों का 7 मई, 2015 को लोकार्पण किया।
- *भारत 2016/इंडिया 2016* के मुद्रित और ई-संस्करणों को 18 फरवरी, 2016 को वित्त, कॉरपोरेट मामले तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक साथ लोकार्पित किया। प्रकाशन विभाग ने पहली बार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर *भारत* तथा *इंडिया* संदर्भ वार्षिकी के साथ-साथ अन्य मुद्रित पुस्तकों की सीधी बिक्री शुरू की। इस प्रतिष्ठित वार्षिक संदर्भ के साथ-साथ विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य पुस्तकों के ई-संस्करणों का भी अब ऑनलाइन विक्रय किया जा रहा है।

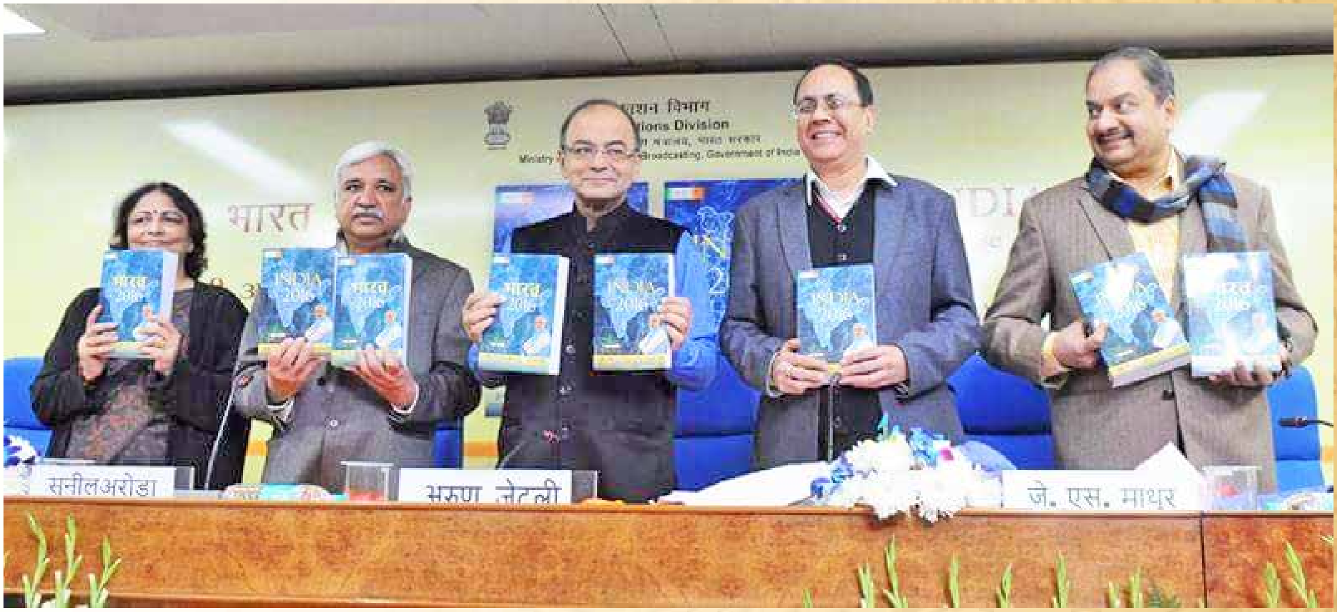

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में भारत 2016 और इंडिया 2016 का लोकार्पण किया

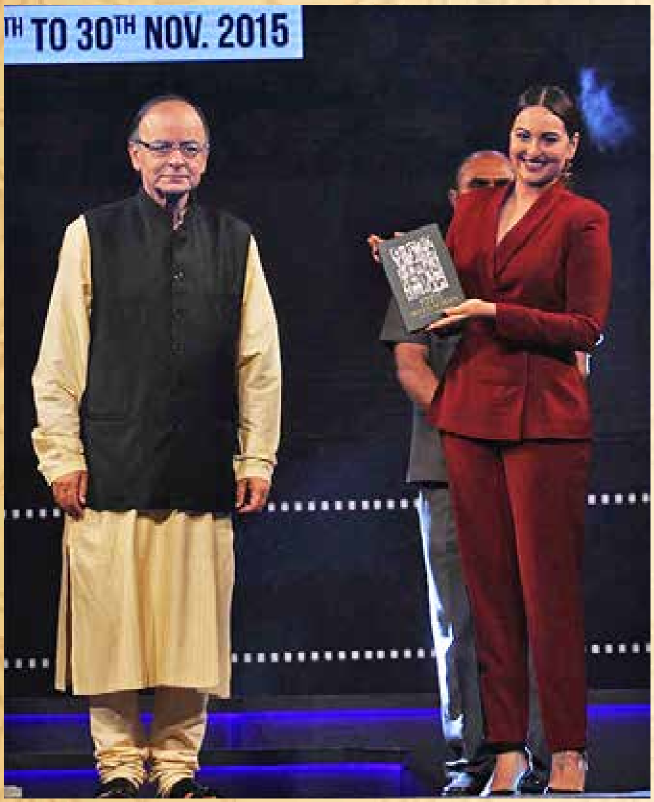

46वें आईएफएफआई, गोवा में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिल्वर स्क्रीन' का विमोचन

- अपनी मुद्रित पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री के क्षेत्र में भी प्रकाशन विभाग ने मील का पत्थर कायम किया है। विभाग ने वित्त मंत्रालय के सहयोग से भारतकोश भुगतान गेटवे पर अपनी मुद्रित पत्रिकाओं के विक्रय के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। *रोज़गार समाचार/एम्प्लॉयमेंट न्यूज* के डिजिटल संस्करण की ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक अन्य पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल ग्राहकों से ऑनलाइन सदस्यता शुल्क स्वीकार कर सकता है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट न्यूज के डिजिटल संस्करण की खोज करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 18 फरवरी, 2016 को इन दोनों पोर्टलों का लोकार्पण किया।
- प्रकाशन विभाग की वेबसाइट publicationsdivison.nic.in, yojana.gov.in और bharatkosh.gov.in पर जाकर योजना, *कुरुक्षेत्र, आजकल* और *बाल भारती* जैसी लोकप्रिय पत्रिकाओं की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। *रोज़गार समाचार/एम्प्लॉयमेंट न्यूज* के डिजीटल संस्करण को http:www.en.eversion.in पर देखा जा सकता है।
- प्रकाशन विभाग अपने प्रकाशनों के लिए एक समृद्ध डिजिटल संग्रह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह ऐतिहासिक महत्व की किताबों को संरक्षित करने के लिए लगभग 300 पुराने प्रिंट प्रकाशनों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है।
- प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, कौशल विकास* जैसी सरकार की महत्वपूर्ण पहल पर गहराई से जानकारी प्रदान करती हैं। 13 भाषाई संस्करणों और 2 लाख से अधिक मासिक प्रसार के साथ विभाग की प्रमुख पत्रिका *योजना* विकास पत्रकारिता में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा में निकलने वाला समाचार पत्र *रोज़गार समाचार*, रोज़गार के अवसरों पर प्रामाणिक जानकारी के साथ लोगों को लाभ पहुंचाता है। इसकी प्रसार संख्या लगभग 3 लाख है।
- प्रकाशन विभाग, दिल्ली तथा आठ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और 21 पत्रिकाओं का संयुक्त प्रिंट ऑर्डर लगभग 46 लाख प्रतियों का है।
- गहन विचार-विमर्श के बाद, प्रकाशन विभाग ने उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और कारोबार को आसान करने के लिए प्रकाशन की दुनिया में बदलती जरूरतों के साथ तालमेल करते हुए व्यापार संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। मंत्रालय के अनुमोदन के बाद ये व्यापार दिशानिर्देश 31 दिसंबर, 2015 से प्रभाव में आए हैं जोकि वितरण एजेंटों को आकर्षक छूट और ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस नीति के तहत प्रकाशन विभाग कुछ नियमों और शर्तों के साथ सीधे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पाठकों को किताबें उपलब्ध कराता है।
- प्रकाशन विभाग ने अनेक पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाई है जैसे- नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2016, जहां कई नए प्रकाशनों का लोकार्पण हुआ और रिकॉर्ड बिक्री की गई। विभाग ने भारत में 24 प्रदर्शनियों में भाग लिया और फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच अपने महत्वपूर्ण प्रकाशनों को प्रदर्शित किया।
- प्रकाशन विभाग डाक विभाग के साथ एक साझेदारी के तहत देशभर में अपनी पत्रिकाओं और पुस्तकों को पहुंचा रहा है।
- योजना के संपादकों और बिक्री इंपोरिया के व्यापार प्रबंधकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य योजना कार्यालयों और बिक्री केंद्रों को नई दिशा प्रदान करना है जिससे अंतर्वस्तु में गुणात्मक सुधार हो और प्रसार बढ़ाने में आईटी रणनीतियों का प्रयोग किया जाए।
- प्रकाशन विभाग ने एक सक्रिय सोशल मीडिया प्रोफाइल

विकसित की है। प्रकाशन विभाग के प्रधान कार्यालय, *योजना* (अंग्रेजी और हिंदी) और *रोज़गार समाचार* के फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में उनकी संख्या दो लाख पार कर गई है।

- प्रकाशन विभाग ने *रोज़गार समाचार/एम्प्लॉयमेंट न्यूज* के राजस्व सहित पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से 3,779 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है (अनंतिम आंकड़े)।

परिचय

प्रकाशन विभाग भारत सरकार के प्रमुख प्रकाशन संगठनों में एक प्रमुख संस्थान है। 1941 में स्थापित यह विभाग राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर पुस्तकों और पत्रिकाओं का भंडार है। विभाग अन्य विषयों के साथ भारतीय पैनोरमा के विविध पहलुओं, कला और संस्कृति, देश और लोगों, वनस्पति और जीव-जंतुओं, आधुनिक भारत के निर्माताओं और सांस्कृतिक नेताओं की जीवनियों, विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय हस्तियों, भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। इसने गांधीवादी दर्शन पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें 100 खंडों में *कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी* (सीडब्ल्यूएमजी) शामिल है जोकि अंग्रेजी और हिंदी में है। गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह सीडब्ल्यूएमजी अब डिजिटल पीडीएफ प्रारूप में भी उपलब्ध है।

विभाग ने उच्च स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में उन दिनों में भी प्रवर्तनकारी काम किया था जब भारतीय प्रकाशन उद्योग नवजात था और मीडिया की पहुंच सीमित थी। इसने भारत की समग्र सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने में और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।

विभाग की पत्रिकाएं अनेक भारतीय भाषाओं में व्यापक विषयों को प्रस्तुत करती हैं। इन पत्रिकाओं में आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बच्चों के साहित्य और जानकारी, रोज़गार और कैरियर के अवसरों जैसे समकालीन मुद्दों को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाएं और एक साप्ताहिक अखबार प्रकाशित करता है। प्रमुख पत्रिका *योजना* (स्थापना: 1957) विकास के मुद्दों पर चर्चा और प्रचार-प्रसार के लिए मंच प्रदान करती है। यह हिंदी, अंग्रेजी और 11 अन्य भाषाओं में प्रकाशित होती है। अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित *कुरुक्षेत्र* (स्थापना : 1952), ग्रामीण विकास के विषय पर केंद्रित है। *आजकल* (स्थापना : 1945) हिंदी और उर्दू की एक साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका है। *बाल भारती* (स्थापना : 1948)-बच्चों की पत्रिका है और *'रोज़गार समाचार'* (स्थापना : 1977) एक साप्ताहिक पत्रिका है जोकि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत संगठनों आदि में रोज़गार और कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

प्रमुख उद्देश्य

प्रकाशन विभाग को भारत के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए सस्ती कीमतों पर राष्ट्रीय महत्व की लोकप्रिय पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन, बिक्री और वितरण का काम सौंपा गया है।

इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(क) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा ज्ञान अंतरण का उपक्रम करना और लोगों तक व्यापक पहुंच बनाना,

(ख) देश और विदेश में आम लोगों तक भारत के बारे में सही जानकारी पहुंचाने के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री करना,

(ग) भारत के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों को प्रकाशित करना, जिससे भावी पीढ़ी को विचारों का खजाना प्राप्त हो,

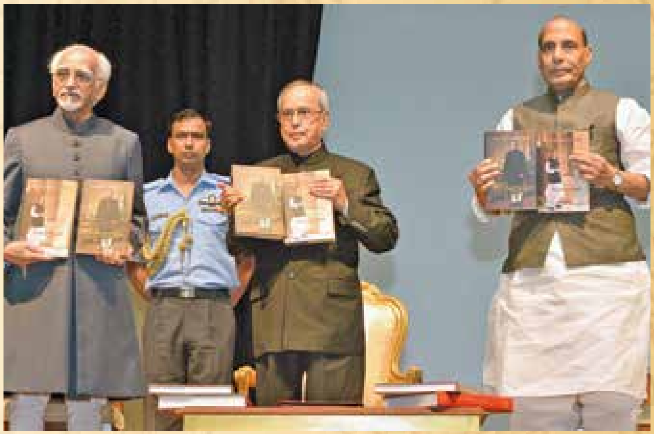

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'सेलेक्टेड स्पीचेज़ ऑफ प्रेज़ीडेंट' के खंड 1 और 2 के लोकार्पण अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृहमंत्री

(घ) *रोज़गार समाचार* के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना,

(ङ) पुस्तक प्रदर्शनियों और पुस्तकों को बढ़ावा देने से संबंधित

गतिविधियों में भाग लेना, लोगों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना और अपने प्रकाशनों के व्यापक पहुंच के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना।

संगठनात्मक संरचना

प्रकाशन विभाग निदेशालय का नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) करते/करती हैं जिन्हें संपादकीय, व्यापार, उत्पादन और प्रशासन प्रभागों के प्रमुख-निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। एडीजी को महाप्रबंधक, जो *रोज़गार समाचार* का प्रकाशन देखते हैं, भी सहयोग प्रदान करते हैं। प्रकाशन विभाग का मुख्यालय सूचना भवन, नई दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है और यह नई दिल्ली (मुख्यालय), दिल्ली (पुराने सचिवालय), मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम में अपने विभिन्न बिक्री केंद्रों और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, बंगलुरु और तिरुअनंतपुरम में स्थित *योजना* कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'दि प्रेसिडेंशियल रीट्रिट्स' का माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विमोचन

प्रमुख गतिविधियां

1. पुस्तकों का प्रकाशन

प्रकाशन विभाग भारतीय पैनोरमा के विभिन्न पहलुओं जैसे- कला, संस्कृति, इतिहास, भूमि और जन-जीवन, वनस्पति और जीव, गांधीवादी साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रख्यात भारतीयों की जीवनी से लेकर *इंडिया/भारत* जैसी संदर्भ पुस्तकों को प्रकाशित करता है।

(क) वार्षिक संदर्भ ग्रंथ - भारत 2016 और इंडिया 2016 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा 18 फरवरी, 2016 को लोकार्पित किया गया। ये ई-पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही हैं। प्रामाणिक और व्यापक संदर्भ पुस्तकें, *इंडिया* और *भारत*, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करती हैं। ये भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती हैं। वार्षिकी की मांग लगातार बढ़ रही है और 2016 के संस्करण के लिए

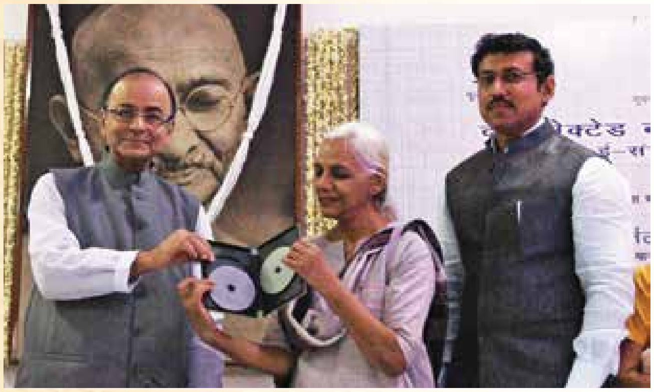

कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के ई-संस्करण को जारी करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली और सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

1.14 लाख प्रतियां प्रारंभिक प्रिंट ऑर्डर के रूप में मुद्रित की गई हैं।

(ख) वर्ष 2015-2016 में पुस्तकें- प्रकाशन विभाग ने जनवरी 2016 तक विभिन्न विषयों पर 65 किताबें प्रकाशित की हैं। विभाग ने राष्ट्रपति भवन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है। इनके नाम हैं- *द प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड, एबोड अंडर द डोम* और *सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ द प्रेजिडेंट* श्री प्रणव मुखर्जी के तीन खंड। अंग्रेजी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं,- *लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिल्वर स्क्रीन, बिलीफ इन द बैलेट, सागा ऑफ वेलर, असेंशियल राइटिंग्स ऑफ धर्मपाल, द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लेइंग तबला।*

महत्वपूर्ण हिंदी प्रकाशनों में शामिल हैं : *भारतीय कला : उद्भव और विकास, हिंदी बाल साहित्य, कुछ पड़ाव* और *लक्ष्मी नारायण मिश्र*।

क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों में आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला में *पं. मदन मोहन मालवीय,* (मराठी, तेलुगु, गुजराती), *पंजाब दा लोक संगीत* (पंजाबी), *अली सरदार जाफरी* (उर्दू) शामिल हैं।

बच्चों के साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में *ऐसे जंगल स्वच्छ हुआ, शरारत, मिजोरम की लोक कथाएं* और *रॉबिन्सन क्रूसो* और *ब्लैक ब्यूटी* का हिंदी अनुवाद शामिल हैं।

प्रकाशन विभाग ने अपनी कुछ लोकप्रिय पुस्तकों के संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए जैसे *द गॉस्पल ऑफ बुद्ध, बांग्ला थियेटर-200 ईयर्स, इंडियन क्लासिकल डांस, एन*

विश्व पुस्तक मेला, 2016 में प्रकाशन विभाग का पेवेलियन

इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, नंदू भैया की पतंगें और *आइए आविष्कारक बनें*।

प्रकाशन विभाग ने दिसंबर 2015 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली के सहयोग से 'भारतीय कला और संस्कृति शीर्षक' पर एक पुस्तक चर्चा आयोजित की जिसमें प्रभाग द्वारा हाल ही में प्रकाशित चार पुस्तकों पर संबंधित क्षेत्रों के प्रख्यात विद्वानों द्वारा चर्चा की गई।

2. पत्रिकाओं का प्रकाशन

प्रभाग कुल 18 पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भाषाओं में *योजना, कुरुक्षेत्र* (अंग्रेजी और हिंदी में), *आजकल* (हिंदी और उर्दू में) और *बाल भारती* (हिंदी में) के साथ-साथ अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में *रोज़गार समाचार* शामिल हैं।

(क) योजना (अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में)

1957 से प्रकाशित होने वाली पत्रिका *योजना* आर्थिक विकास के लिए सरकार की नीतिगत पहल की व्यापक संरचना मे विषय पर केंद्रित है। 13 भाषाई संस्करणों (अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) और 2 लाख के संयुक्त मासिक प्रसार के साथ विकास पत्रकारिता में *योजना* की भूमिका राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, दोनों स्तर पर उल्लेखनीय है। यह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से समृद्ध सामग्री प्रदान करती है और व्यापक पाठकों को लक्षित करती है जैसे नीति निर्माताओं, विद्वानों और विद्यार्थियों को। सरकार के विभिन्न प्रयासों जैसे राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन और राष्ट्रीय दक्षता विकास और उद्यमिता नीति 2015, भारत के आईएनडीसी लक्ष्य, मुद्रा और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्मार्ट सिटी आदि को *योजना* के 2015 के अंकों में शामिल किया गया। इन अंकों में प्रकाशित विशेष लेखों में देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उदाहरण के लिए, दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक चुनौतियों के मुद्दे को शामिल किया गया, 'ट्रैवेलिंग टू द फ्यूचर विद ग्रीन ट्रांसपोर्ट में परिवहन के हरित माध्यम की क्षमता का प्रदर्शन किया गया' और विशेष लेख 'इक्विटी एंड अ ग्लोबल क्लाइमेट' एग्रीमेंट में विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन समझौतों में समानता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अन्य विशेष लेखों में प्रमुख हैं-इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसमें किसान और किसानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा की गई, एक्स्पर्ट्स फ्रॉम गांधीजीज डिस्कशन विद टीचर ट्रेनीज (अक्टूबर 2015 में गांधी जयंती के संबंध में) और टुवर्ड्स अ वैल्यू बेस्ड सोसायटी : लर्निंग टू लिव टुगेदर जिसमें बच्चों में स्कूलों में मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया। वर्ष 2015 के दौरान, *योजना* ने चार विशेष अंक प्रकाशित किए। जनवरी 2016 का विषय शिक्षा-सफलता की कुंजी था।

योजना 'क्या आप जानते हैं' जैसा नियमित कॉलम भी प्रकाशित करती है जिसमें विद्यार्थियों को लक्ष्य करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल और जवाब संकलित होते हैं। *झरोखा, जम्मू-कश्मीर का* और *नॉर्थ ईस्ट डायरी* में जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व के विकास से संबंधित समाचार होते हैं और 'विकास रोडमैप' सरकार के विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है।

(ख) कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिंदी)

1952 से *कुरुक्षेत्र* जैसी अग्रणी पत्रिका ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित जमीनी स्तर के विषयों पर व्यापक संदर्भ के मुद्दे प्रकाशित करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान पत्रिका का औसत संयुक्त (हिंदी और अंग्रेजी) मासिक प्रिंट ऑर्डर एक लाख से अधिक प्रतियों का था। यह एक ऐसा मंच है, जहां शिक्षाविद, योजनाकार, गैर-सरकारी संगठन और विचारक ग्रामीण विकास के मुद्दों पर निष्पक्ष और विस्तार से चर्चा करते हैं। पत्रिका का मुख्य लक्ष्य इस बात का मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर उत्तरा जा रहा है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, *कुरुक्षेत्र* ने ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की पहल पर प्रकाश डाला जैसे ग्रामीण विकास का बजट 2015-16, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण पर्यटन, पंचायती राज और ग्रामीण-शहरी संबंध, ग्रामीण संपर्क आदि। पत्रिका का विशेष वार्षिक अंक (अक्टूबर 2015) खादी और ग्रामीण रोज़गार पर केंद्रित था। पत्रिका ने सरकार की नई पहल विशेष रूप से वित्तीय समावेशन के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आदर्श ग्राम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष रूप से प्रकाश डाला।

(ग) *आजकल* (हिंदी और उर्दू)

साहित्यिक पत्रिका *आजकल* भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। *आजकल* (हिंदी) ने भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और माखनलाल चतुर्वेदी, रघुवीर सहाय और भीष्म साहनी पर फोकस किया। *आजकल* उर्दू में विख्यात लेखक इस्मत चुगताई, फिल्म निर्माता और लेखक राजेन्द्र सिंह बेदी और अख्तरुल ईमान की जन्म शताब्दी पर विशेष सामग्री प्रकाशित की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं के लेखन, उर्दू पत्रकारिता और भारत की स्वतंत्रता पर विशेष अंक प्रकाशित किए गए। प्रसिद्ध उर्दू कवियों और लेखकों गालिब, हाली शिबली का साहित्य भी प्रकाशित किया गया।

(घ) *बाल भारती* (हिंदी)

मासिक पत्रिका *बाल भारती* 1948 से प्रकाशित की जा रही है। यह लोकप्रिय पत्रिका बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के साथ, जानकारीपूर्ण लेखों, लघु कहानियों, कविताओं और सचित्र कहानियों के माध्यम से सामाजिक मूल्यों और वैज्ञानिक समझ प्रदान करने में मदद करती है। *बाल भारती* युवा पीढ़ी में रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करती है। इस वर्ष की प्रतियोगिता के लिए विषय स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल भारत, स्वच्छ गंगा और स्मार्ट सिटी अभियानों के साथ जुड़े थे। प्रकाश पर एक विशेष विज्ञान अंक जून में प्रकाशित किया गया। *बाल भारती* विश्व विरासत पर जानकारीपूर्ण लेख और उत्तर-पूर्व की कहानियां भी प्रकाशित करती है।

3. महात्मा गांधी के कलेक्टेड वर्क्स का डिजिटलीकरण (100 खंड)

वर्ष 2015 में *कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी* (ई-सीडब्ल्यूएमजी) की डिजिटल मास्टर कॉपी जनता को पीडीएफ प्रारूप में समर्पित की गई, जिससे इस महत्वपूर्ण काम को आसानी से तलाशा जा सके। ई-सीडब्ल्यूएमजी मूल्यवान राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण और लोगों तक उसे प्रसारित करने में सहायक होगा। प्रकाशन विभाग ने इस डिजिटल संस्करण को गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से तैयार किया है। इसे 8 सितंबर, 2015 को सूचना और प्रसारण तथा वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में जारी किया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (सेवानिवृत्त) भी उपस्थिति थे। मंत्री जी ने गांधी विरासत पोर्टल पर इसके ई-संस्करण की अपलिंक शुरू की जो साबरमती आश्रम संरक्षण और मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है।

ई-सीडब्ल्यूएमजी गांधीजी के संकलित कार्य की मास्टर कॉपी है जिसमें 100 पुस्तकों की श्रृंखला है और जिसके 55,000 से अधिक पृष्ठ हैं। यह गांधीजी का स्मारक दस्तावेज है जो उन्होंने 1884 से अपनी हत्या तक यानी 30 जनवरी, 1948 तक बोला और लिखा। इस श्रृंखला में दुनियाभर में बिखरे हुए महात्मा गांधी के लेखन को एकत्र किया गया है और कड़े अकादमिक अनुशासन के साथ निर्मित किया गया है। महात्मा गांधी के समूचे लेखन के प्रमाणीकृत रिकॉर्ड प्रकाशित करने का कार्य सावधानीपूर्वक प्रोटोकॉल के माध्यम से और उच्च शैक्षणिक स्तर के साथ पूरी निष्ठा के साथ किया गया है। सीडब्ल्यूएमजी प्रकाशन विभाग की सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है।

अन्य प्रकाशनों का डिजिटलीकरण

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना मीडिया संरचना विकास कार्यक्रम में प्रकाशन विभाग और *रोज़गार समाचार* के पुनरुद्धार, उन्नयन और आधुनिकीकरण की उप योजना के तहत प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों की डिजिटल संग्रह बनाने का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान में अपनी पुरानी मूल्यवान पुस्तकों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने का काम भी कर रही है जिनमें से ज्यादातर खराब हालत में हैं। लगभग 300 किताबें डिजिटल रूपांतरण की प्रक्रिया में हैं।

4. व्यापार और विपणन

प्रकाशन विभाग का व्यापार विंग, विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री और वितरण का कार्य करता है। उनकी बिक्री अपने स्वयं के कार्यालयों और पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से की जाती है। विभाग पुस्तक प्रदर्शनियों, पुस्तक मेलों, जन सूचना अभियान और बिक्री संवर्धन गतिविधियों में भाग लेकर अपने प्रकाशनों की पहुंच का विस्तार करने, अपनी दृश्यता और प्रयोग में सुधार करने का प्रयास लगातार कर रहा है।

(क) व्यापार संबंधी नए नीतिगत दिशानिर्देश

गहन विचार-विमर्श के बाद, प्रकाशन विभाग ने मंत्रालय के अनुमोदन के साथ वर्ष 2015 में नए व्यापार नीति दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो इस साल से लागू हो गए हैं। नई व्यापार नीति संबंधी दिशा-निर्देशों से प्रकाशन विभाग की पहुंच में सुधार और प्रकाशन की दुनिया में व्यापक परिवर्तन के साथ तालमेल की उम्मीद की जा रही है। नीति में उत्पादन लागत के आधार पर पत्रिकाओं और *रोज़गार समाचार* के मूल्य निर्धारण में संशोधन किया है। इसी तरह, पुस्तकों के मूल्य निर्धारण को मार्क-अप प्रतिशत में संशोधन द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया है। ई-मार्केटिंग के मामले में, ई-पुस्तकों की बिक्री के राजस्व के अनुसार लोकप्रिय प्लेटफार्मों का प्रयोग किया जा सकता है। ई-विक्रेताओं के साथ समझौते के बाद मुद्रित किताबों का भी विपणन किया जा रहा है। एजेंटों, व्यक्तियों और सरकारी एजेंसियों के लिए

25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत छूट की सीमा में संशोधन किया जा रहा है। प्रदर्शनियों के दौरान 10 से 45 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। नीति में सख्त विनियमित तरीके से एजेंटों के लिए क्रेडिट और विनिमय सुविधा की समीक्षा की गई है।

(ख) प्रकाशन विभाग की मुद्रित पत्रिकाओं की बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल

ग्राहकों के लिए प्रकाशन विभाग की मासिक पत्रिकाओं (*योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती* और *आजकल*) की सदस्यता के लिए भुगतान आमतौर पर चेक और ड्राफ्ट आदि के माध्यम से किया जाता रहा है जिससे विलंब और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए देशभर से ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन सुविधा की मांग की गई। अब प्रकाशन विभाग ने वित्त मंत्रालय के भारतकोष पोर्टल की मदद से अपनी पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल भारतकोश पेमेंट गेटवे के जरिए ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने में सक्षम है।

इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रकाशन विभाग के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में ऑनलाइन भुगतान है। ऑनलाइन पत्रिका पोर्टल पूरी तरह से जांचा गया है।

(ग) प्रेषण और वितरण को व्यवस्थित बनाना

प्रकाशन विभाग पूरे देश में अपनी पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रेषण को कारगर बनाने के लिए डाक विभाग के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी ने प्रकाशन विभाग के प्रकाशन के नियत समय पर वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रेषण और वितरण के संबंध में शिकायतों की संख्या में गिरावट हुई है।

(घ) पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी

अपने प्रकाशनों की दृश्यता बढ़ाने के लिए, प्रकाशन विभाग ने देश के विभिन्न भागों में प्रमुख पुस्तक मेलों में भाग लिया। अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक, प्रकाशन विभाग ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नैवेली, इरोड, नई दिल्ली, पटना, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, जयपुर आदि में 24 महत्वपूर्ण पुस्तक मेलों में भाग लिया। प्रकाशन विभाग ने दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2016 (09-17 जनवरी, 2016) में भाग लिया। संगठन ने अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 1,100 किताबें प्रदर्शित की और 13.85 लाख रुपये की कुल बिक्री की। विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने प्रकाशन विभाग स्टॉल का दौरा किया और उसकी किताबों की सराहना की। विषयों के एक विस्तृत फलक पर नए प्रकाशनों जैसे *सागा ऑफ वेलर, असेंशियल राइटिंग्स ऑफ धर्मपाल, भारतीय कला: उद्भव* और *विकास, हिंदी बाल साहित्य: कुछ पड़ाव, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऐसे जंगल स्वच्छ हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो* और *शरारत* को प्रकाशन विभाग के मंडप में विशेष सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, श्री जे.एस. माथुर द्वारा जारी किया गया।

मंत्रालय के संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशा.) के नेतृत्व में प्रकाशन विभाग के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला अक्टूबर 2015 में भाग लिया जिसमें प्रकाशन विभाग ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए अपने महत्वपूर्ण प्रकाशनों के प्रदर्शन के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य अकादमी के साथ एक सह-प्रदर्शक के रूप में भाग लिया। महात्मा गांधी, हमारा स्वतंत्रता संग्राम, कला और संस्कृति, राष्ट्रपति भवन, आधुनिक भारत के निर्माताओं और सांस्कृतिक विभूतियों पर पुस्तकों की श्रृंखला को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने पसंद किया।

'भारतीय कला और संस्कृति की छवियां' पर प्रकाशन विभाग द्वारा पुस्तक परिचर्चा सत्र का आयोजन

स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, हिंदी पखवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को चिह्नित करने के लिए, प्रकाशन विभाग ने देशभर में अपने 10 बिक्री आउटलेट्स के परिसर के भीतर पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

पुस्तकों के अतिरिक्त, प्रकाशन विभाग दिल्ली और आठ क्षेत्रीय कार्यालयों से 21 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। वर्ष 2015-16

के दौरान इन पत्रिकाओं का संयुक्त प्रिंट ऑर्डर 46 लाख प्रतियां का रहा। अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान पुस्तकों, पत्रिकाओं की बिक्री और विज्ञापन के माध्यम से अर्जित राजस्व 757.34 लाख (अनंतिम-*रोज़गार समाचार* को छोड़कर) रुपये था।

5. *एंप्लायमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार* (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू)

1976 में प्रारंभ *रोज़गार समाचार* का उद्देश्य देशभर में *रोज़गार* के अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार करना और युवाओं को अपने करियर के बारे में पसंदीदा विकल्प चुनने में मदद करना था। *रोज़गार समाचार*, केंद्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत निकायों, विश्वविद्यालयों, पेशेवर पाठ्यक्रमों के विज्ञापन और यूपीएससी, एसएससी और अन्य सामान्य भर्ती निकायों जैसे संगठनों के परीक्षा नोटिस और परिणाम प्रकाशित करता है। इसके अलावा, रोज़गार समाचार विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और कैरियर मार्गदर्शन पर संपादकीय लेख भी प्रकाशित करता है।

रोज़गार समाचार हमारे युवा स्नातकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अन्य योग्य व्यक्तियों को रोज़गार की तलाश में और अपनी संभावनाओं में सुधार करने में मदद करता है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और रोज़गार संबंधी नई पत्रिकाओं और पोर्टल के शुभारंभ के साथ, नकली विज्ञापनों के माध्यम से धोखाधड़ी की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। प्रति सप्ताह लगभग 3 लाख के औसत संयुक्त प्रसार के साथ, पत्रिका रोज़गार की तलाश करने वालों के बीच लोकप्रिय है। अखबार के 7,000 से अधिक ग्राहक हैं। अखबार ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मौजूदगी बना रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान इसका राजस्व 55.19 करोड़ रुपये था। वर्ष 2015-16 के दौरान दिसंबर तक इसका राजस्व 33.9 करोड़ रुपये था। रोज़गार समाचार ने 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक 3,691 विज्ञापन प्रकाशित किए।

ई-रोज़गार समाचार

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत *रोज़गार समाचार* ने पुराने और वर्तमान अंकों का डिजिटलीकरण किया गया है। *रोज़गार समाचार* की वेबसाइट www.employmentnews.gov.in; www.rojgarsamachar.gov.in को एक नया रूप दिया गया है। पोर्टल सदस्यता के आधार पर *रोज़गार समाचार* ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है और इसे वित्त मंत्रालय के भारत कोष पोर्टल के ई-पेमेंट गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है। विभाग की वेबसाइट के माध्यम से, *रोज़गार समाचार* का डिजिटल संस्करण व्यापक खोज सुविधाओं और अग्रिम फिल्टर के साथ पठनीय, डाउनलोड मोड में सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इससे ग्राहक/पाठक *रोज़गार समाचार* के लिए सदस्यता शुल्क भेजने और साधारण डाक के माध्यम से पत्रिका की प्रतियां प्राप्त करने के विलंब से बचेंगे। पोर्टल पर ऑनलाइन पहुंच/डाउनलोड का स्तर सक्षम और नियंत्रित किया जा सकता है जोकि विभाग के आंतरिक निर्णय पर आधारित होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के तहत *रोज़गार समाचार* के कार्यालय का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। *रोज़गार समाचार* की वेबसाइटों को प्रतिदिन 30,000 हिट मिलते हैं।

6. योजनागत स्कीम, बजट और राजस्व

12वीं पंचवर्षीय योजना की उप योजना प्रकाशन विभाग और *रोज़गार समाचार* का पुनरुद्धार, 'उन्नयन और आधुनिकीकरण' के तहत कई विशिष्ट विषयों को स्वीकृत किया गया जैसे विशेष विषयों पर प्रकाशन जिनमें प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों का डिजिटल संग्रह बनाना, वस्तु सूची प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण, निदेशालय की रॉयल्टी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, कार्यालयों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, *रोज़गार समाचार* को वेब पर उपलब्ध कराना और उसका डिजिटल अभिलेखागार बनाना।

योजना का कार्यान्वयन : मूल ईएफसी के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 10 करोड़ रुपये था। ऊपर बताए गए घटकों के दायरे के विस्तार के लिए फरवरी 2015 में आवंटन 29.78 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया।

बजट और राजस्व : वित्त वर्ष 2016-17 के लिए गैर-योजनागत बजट अनुमान, प्रकाशन विभाग के लिए 37.15 करोड़ रुपये और *रोज़गार समाचार* के लिए 22.35 करोड़ रुपये था। प्रकाशन विभाग के आवंटन, व्यय और राजस्व की स्थिति निम्नलिखित है :

वर्ष	आवंटन	व्यय	अर्जित राजस्व
2013-14	5,032.00	4,678.80	5,376.47
2014-15	5,124.00	4,975.12	6,340.65
2015-16	5,275.00	4,209.28*	4,198.94*

*जनवरी 2016 के लिए हैं

7. अन्य पहल

- बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की स्थापना

प्रकाशन विभाग ने सफलतापूर्वक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से दिल्ली में तैनात अपने सभी कर्मचारियों को रजिस्टर करने और हाजिरी लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई है।

- राजभाषा का संवर्धन

विभाग भारत सरकार के राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति लागू कर रहा है। कार्यालय ने सितंबर 2015 में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जिसमें 30

श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक हर तीन माह में आयोजित की गई। वर्ष के दौरान चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दिल्ली के कार्यालयों/अनुभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित निरीक्षण किया गया।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत और नाटक प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई है। इसमें विभिन्न प्रदर्शन कलाओं जैसे नाटक, नृत्य-नाटक, मिश्रित कार्यक्रमों, कठपुतली, बैले, ओपरा, लोक और पारंपरिक गायन, पौराणिक गायन, जादू और अन्य स्थानीय लोक तथा पारंपरिक विधाओं के माध्यम से लोगों के साथ अंतर-संवाद स्थापित किया जाता है और साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। प्रभाग का प्रमुख कार्य जन-सामान्य के बीच मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरूकता और भावनात्मक संवेदनशीलता के जरिए पैदा करना है जो राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

संगठन का ढांचा

- वर्तमान में इस विभाग का प्रमुख निदेशक होता है, जो तीन स्तरों पर कार्य करता है जैसे:

1. दिल्ली मुख्यालयः नई दिल्ली में इस प्रभाग की दस प्रमुख इकाइयां हैं। इन इकाइयों के पास नीति और समन्वय, नकदी और लेखा, बजट और लेखा, प्रतिष्ठान का रखरखाव, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों का आयोजन, केंद्रीय नाटक मंडली की सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन कराना और सशस्त्र सेना के मनोरंजन स्कंध के कलाकारों की प्रतिभा के सहारे कार्यक्रमों का आयोजन करना इन इकाइयों की जिम्मेदारी है।

   1. नीति और समन्वय, 2. प्रशासन I और II, 3. सतर्कता विभाग, 4. सशस्त्र सेना, मनोरंजन स्कंध, 5. ध्वनि और प्रकाश इकाई, 6. केंद्रीय नाटक मंडली, 7. नकदी और लेखा इकाई, 8. बजट और लेखा इकाई, 9. हिंदी प्रकोष्ठ, 10. सूचना का अधिकार संभाग। हरेक संभाग और इकाई की अलग जिम्मेदारियां हैं।

2. 10 क्षेत्रीय केंद्रः प्रभाग के 10 क्षेत्रीय केंद्र बंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में स्थित हैं। गीत और नाटक प्रभाग के ये केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन कराने के लिए उत्तरदायी हैं। हरेक क्षेत्रीय केंद्र का अपना अधिकार क्षेत्र है। इसका प्रमुख उप-निदेशक या प्रभारी उप-निदेशक होता है।

3. उप-केंद्रः 7 सीमाई केंद्र दरभंगा, गुवाहाटी, इंफाल, जम्मू, जोधपुर, नैनीताल और शिमला में स्थित हैं जिनका मुखिया सहायक निदेशक होता है। विभागीय नाटक मंडली के 6 केंद्र भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) में स्थित हैं। यहां का काम प्रबंधक देखते हैं।

गतिविधियां

गीत एवं नाटक प्रभाग का काम जीवंत कलाओं के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संवाद, शिक्षा और सूचनापरक कार्यक्रमों का आयोजन कराना है क्योंकि यह राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभाग भारत सरकार की एक अंतर वैयिक्तिक इकाई है। इसका काम देश के इतिहास,

गीत एवं नाटक प्रभाग, जम्मू द्वारा आयोजित जन सूचना अभियान में भाग लेते जम्मू के कलाकार

कला, संस्कृति और विरासत के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है और साथ ही सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों के बारे में सूचना-समाचार प्रदान करना है जो आम लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। प्रभाग के पास देश के ग्रामीण हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित कराने का विशेष अधिकार प्राप्त है। इसीलिए यह प्रभाग

सुदूर कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देता है। इन कार्यक्रमों की विषयवस्तु ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों पर आधारित होती है।

संपर्क कार्यक्रमों के लिए संगीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तंत्र

गीत एवं नाटक प्रभाग भारत सरकार का एक मात्र ऐसा अभिकरण है जो पिछले पांच दशकों या इससे भी ज्यादा समय से सूचना, शिक्षा और संवाद के अपने कार्यक्रमों के लिए पारंपरिक मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रामीण भारत की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितयों में अब भी लोक और पारंपरिक मीडिया बेहद प्रभावशाली है। अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए यह प्रभाग (1) पंजीकृत निजी मंडलियों, (2) विभागीय कलाकारों और (3) सूचीबद्ध कलाकारों की सेवाएं लेता है।

1. iath—r futh eMfy;k ¼ihvkjVh½ वर्तमान में 919 पंजीकृत निजी मंडलियां हैं जो क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़ी हैं और यह संख्या हाल ही के सूचना प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद अल्प समय में ही बढ़ाई जा सकती है। इन निजी मंडलियों की अलग-अलग श्रेणियां हैं जैसे नाटक, मिश्रित, एफटीआर, एमआर, कठपुतली इत्यादि और इनकी कोटियां भी अलग हैं जैसे ए, बी या सी। इन निजी मंडलियों का मेहनताना भी अलग ही है। यह प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 4 हजार रुपये से शुरू होकर 5 हजार 600 रुपये तक हो सकता है। कार्यक्रमों की अवधि एक से डेढ़ घंटे की हो सकती है। मंडली में 3 से लेकर 11 कलाकार तक हो सकते हैं।

2. foHkkxh; dykdkj% विभाग के पास अपने प्रतिभावान कलाकार हैं। ये भारत सरकार के नियमित कर्मचारी हैं जो संगीत और नाटक प्रभाग के मुख्यालय, दिल्ली या विभिन्न क्षेत्रीय और उप केंद्रों में नियुक्त हैं। प्रभाग के इन कलाकारों की उपलब्धता अत्यधिक सीमित है क्योंकि इनकी ज्यादातर सेवाएं वीवीआईपी कार्यक्रमों के लिए ली जाती हैं। यही नहीं ये कलाकार महत्वपूर्ण आयोजनों, सभा-संगोष्ठियों और मेलों तथा महोत्सवों को कवर करने का काम भी करते हैं।

'साल एक–शुरुआत अनेक' अभियान के हिस्से के रूप में गीत व नाटक प्रभाग के कलाकारों की चंडीगढ़ में प्रस्तुति

3. l|phc) dykdkj% फिलहाल प्रभाग के पास कोई भी सूचीबद्ध कलाकार उपलब्ध नहीं है। कलाकारों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इन सूचीबद्ध कलाकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे विभागीय कलाकारों के सहायक की भूमिका निभाते हैं। देश के पहाड़ी, आदिवासी, मरुस्थली, संवेदनशील और उग्रवाद से प्रभावित इलाकों की विभिन्न लोक और पारंपरिक कलाओं का इस्तेमाल करने के कारण प्रभाग को उन कलाओं को पुनर्जीवित करने का एक मजबूत स्रोत मिल जाता है और दूसरी तरफ हजारों कलाकारों को उनकी आजीविका भी हासिल हो जाती है। इसी बहाने इन कलाकारों की स्थानीय भाषा, मुहावरों और बोली का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण संवाद में संभव हो जाता है।

उद्देश्य

सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावशाली तरीके से प्रचार-प्रसार और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। जीवंत मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं को देश के अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना भी इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है ताकि देशवासियों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बल प्रदान हो। देश के संविधान की प्रस्तावना में जो विचार दिए गए हैं उन्हें लोगों तक इन कार्यक्रमों के जरिए पहुंचाने, खास तौर से ग्रामीण इलाकों, उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों, मरु क्षेत्रों, छोटे शहरों, सीमाई इलाकों और समाज के कमजोर तबकों तक सरकारी कार्यक्रमों को पहुंचाना भी एक उद्देश्य है।

भाग-1

(गीत और नाटक प्रभाग के 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2015 तक के कार्यक्रमों की रपट)।

कार्ययोजना

अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान गीत और नाटक प्रभाग की ओर से कार्ययोजना के तहत 5,931 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

Ø-l-	^Hkkjr dh dyk&lL—fr dk;Zdze* 2015&2016 2015&16 esa fgLlk ds eqrkfcd tkudkjh	y{;	vk;kstu
1	2	3	4
1.	देश के पहाड़ी, आदिवासी, मरु, संवेदनशील और सीमांत इलाकों में गतिविधियां	3480 कार्यक्रम	3536
2.	उग्रवाद प्रभावित इलाके	1360 कार्यक्रम	1497
3.	स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रेष्ठ कार्यक्रम	1160 कार्यक्रम	898
	dqy	6000 dk;Øe	5931

गैर-योजनागत

प्रभाग द्वारा अप्रैल से दिसंबर, 2015 के दौरान कुल 3605 कार्यक्रम कराए गए।

1. अप्रैल से दिसंबर, 2015 के दौरान पंजीकृत निजी मंडलियों की सहायता से 3,249 कार्यक्रम कराए गए।
2. इसी अवधि के दौरान विभागीय कलाकारों द्वारा देश भर में 356 कार्यक्रम किए गए।

कार्ययोजना के तहत ए श्रेणी और गैर योजनागत बी श्रेणी में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों जैसे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सौहार्द, भाषायी सौहार्द, कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न, बालिकाओं के अधिकार, महिला सशक्तीकरण अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विषयों पर कार्यक्रम, कुपोषण के खिलाफ जागरूकता जैसे विषयों पर अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में रौशनी डाली गई। इसी दौरान *'स्वच्छ भारत अभियान'* (एक कदम स्वच्छता की ओर), *एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सबका साथ-सबका विकास* और *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* अभियानों को कार्यक्रमों में रेखांकित किया गया।

ये कार्यक्रम अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान मीडिया की सहायक इकाइयों, सरकार के स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, उप प्रभागों, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की मदद से आयोजित कराए गए।

अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान गीत और नाटक प्रभाग द्वारा विभिन्न अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों का ब्योरा।

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा कराए गए कार्यक्रमों की संख्या।

क्रम संख्या	क्षेत्रीय केंद्र का नाम	अधिकार-क्षेत्र में आने वाले राज्य	अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान किए गए कार्यक्रमों की संख्या	
			योजनागत कार्यक्रम	गैर-योजनागत
1	संगीत और नाटक प्रभाग गुवाहाटी	असम	475	159
		अरुणाचल प्रदेश	34	20
		मणिपुर	118	162
		मिजोरम	38	10
		मेघालय	21	42
		नगालैंड	26	46
		त्रिपुरा	62	26
2.	गीत और नाटक प्रभाग कोलकाता	सिक्किम	50	-
d|y			**824**	**465**

fo"k;&oLrq राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सौहार्द, भाषायी सौहार्द, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, बालिकाओं के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विषयों पर कार्यक्रम, कुपोषण के खिलाफ जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओर), एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सबका साथ-सबका विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान।

गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

Øe	{k=h; dæ	{k=h; dæ d vèkhu vku oky vkrdokn xLr jkT;	dk;Øe
1.	भोपाल	मध्य प्रदेश (1 जिला)	326
		छत्तीसगढ़ (16 जिले)	
2.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल (4 जिले)	871
		ओडिशा (19 जिले)	
3.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश (3 जिले)	24
4.	पुणे	महाराष्ट्र (4 जिले)	90
5.	रांची	झारखंड (21 जिले)	186
		बिहार (22 जिले)	
d|y			1497

fo"k;&oLrq राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सौहार्द, भाषायी सौहार्द, कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न, बालिकाओं के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विषयों पर कार्यक्रम, कुपोषण के खिलाफ जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओर), एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सबका साथ-सबका विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान।

गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाके में किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा

Øe	jkT;	ftyk	dk;Øe
1	अरुणाचल प्रदेश	अनजॉ, चांगलांग, दिबांग घाटी, पूर्वी कामेंग, पश्चिमी कामेंग, कुरांग कुमे, निजला दिबांग, तवांग, तीरप, ऊपरी सियांग, ऊपरी सुबनसरी, पश्चिमी दामेंग और पश्चिमी सियांग	-
2	असम	धुबरी, कचार, करीमगंज, कोकराझार, बकसा, चिरांग, उगलगुड़ी	89
3	बिहार	अररिया, चम्पारण (पू. और प.), किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल	-
4.	गुजरात	बनासकांठा, कच्छ, पाटन, भुज	60
5.	हिमाचल प्रदेश	किन्नूर, लाहौल-स्पीति	-
6.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, कठुआ, पुंछ, राजौरी, बारामुला, बड़गांम, कुपवाड़ा करगिल, लेह, माढ़, विजयपुर, अखनू, खोर, आर.एस. पुरा, सतवाड़ी, सांबा, बिशनाह, बूनियार, लांगट	
7.	मणिपुर	चांदेल, सी.सी.पुर, सिपूर चांदेल, उखरुल, चूड़ाचांदपुर	57
8.	मेघालय	पश्चिमी और दक्षिणी गारो पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ी, पूर्वी और पश्चिमी खासी पहाड़िया	22
9	मिज़ोरम	चंफाई, लॉन्गतलाल, मामिट, सेहा, सेरचिप	
10	नगालैंड	कीफेर, मोन, फेक, त्वेनसांग	05
11	पंजाब	अमृतसर, तरन-तारन, फीरोजपुर, गुरदासपुर, अजनाला और चोगवान	
12	राजस्थान	बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर	59
13	सिक्किम	सिक्किम पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सिक्किम	91
14	त्रिपुरा	त्रिपुरा (द.) ढलाई, त्रिपुरा (उ.), सिद्धार्थनगर, पश्चिमी त्रिपुरा	10
15	उत्तर प्रदेश	बहराइच, बलरामपुर, खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर	43
16	उत्तराखंड	चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी	87
17	प. बंगाल	कूच बिहार, दार्जीलिंग, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शीदाबाद, नाडिया, उत्तरी 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर	379
कुल कार्यक्रम अप्रैल से दिसंबर 2015 तक			1066

fo"k;&oLrq राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सौहार्द, भाषायी सौहार्द, कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न, बालिकाओं के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विषयों पर कार्यक्रम, कुपोषण के खिलाफ जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओर), एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सबका साथ-सबका विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वास्थ्य संबंधी तथा परिवार कल्याण संबंधी अन्य विषयों पर प्रकाश डाला गया।

गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओर) के बारे में जागरूकता के लिए अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान किए गए कार्यक्रमों का ब्योराः

क्र.	क्षेत्रीय	राज्य अधिकार क्षेत्र-स्थान	योजनागत कार्यक्रम	गैर योजनागत कार्यक्रम	
				पीआरटी	विभागीय
1.	बंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्ष्यद्वीप दमन और दीव	504	555	-
2.	भोपाल	मध्यप्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़	930	423	30
3.	पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और अन्य द्वीप (दादर और नगर हवेली)	684	400	10
4.	रांची	झारखंड और बिहार	186	-	08
5.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	649	339	52
6.	चेन्नई	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी	-	-	36
7.	कोलकाता	ओडिशा, प. बंगाल, सिक्किम (पूर्वोत्तर का एक राज्य), अंडमान और निकोबार	1,546	429	71
8.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	797	459	39
9.	चंडीगढ़	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर चंडीगढ़ (केंद्र शासित)	452	330	59
10.	दिल्ली	दिल्ली और हरियाणा	183	314	-
कुल			**5,931**	**3,249**	**305**

गीत एवं नाटक प्रभाग की मंडली लद्दाख में 'लाइव कार्यक्रम' पेश करते हुए

विभिन्न अवसरों पर अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच पेश किए गए कार्यक्रम

- पुरी, ओडिशा में 13वें लोक उत्सव के दौरान संगीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम।

पुरी में आयोजित 13वें लोक उत्सव के दौरान संगीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा 55 विशेष कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। यह उत्सव 25 मई से 29 मई, 2015 के दौरान आयोजित किया गया। इस आयोजन में सांस्कृतिक सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए गीत एवं नाटक प्रभाग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छतीसगढ़, असम और ओडिशा की पंजीकृत निजी मंडलियों और विभागीय कलाकारों का सहयोग लिया। सभी निजी मंडलियों ने इस आयोजन में अपनी स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुतियां दीं जिनकी सभी ने खूब सराहना की।

आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए गीत एवं नाटक प्रभाग ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सौहार्द, भाषायी सौहार्द, स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओर), एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सबका साथ-सबका विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को अपनी विषयवस्तु बनाया।

- **आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई, 2015)।**

आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई) पर गीत एवं नाटक प्रभाग ने कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों

की विषयवस्तु अहिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, समाज में शांत और स्वस्थ वातावरण की स्थापना, भ्रातृत्व, मातृभूमि से लगाव, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर आधारित थी। इस तरह के कार्यक्रम मई महीने के दूसरे पखवाड़े में देश भर में आयोजित किए गए।

- रबीन्द्र जयंती (9 मई / बंगाल में बैशाख 25वां)

कविगुरु रबीन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस यानी रबीन्द्र जयंती पर गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अखंडता. सांप्रदायिक सौहार्द और परस्पर भ्रातृत्व जैसे विषयों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।

- नजरुल जयंती (24 मई, 2015)

गीत एवं नाटक प्रभाग, कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र ने विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के जन्म दिवस पर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। काजी नजरुल इस्लाम एक प्रख्यात कवि और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और देशभक्ति जैसे विषयों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।

- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2015) के अवसर पर गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2015) के अवसर पर गीत एवं नाटक प्रभाग ने दैनिक जीवन में योग और इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए 552 कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये कार्यक्रम 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए आयोजित किए गए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने से संबंधित हर तरह की सामग्री और जानकारी प्रभाग के सभी क्षेत्रीय केंद्रों को समय रहते उपलब्ध करा दी गई थी। जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय केंद्रों और उप केंद्रों पर 552 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसकी जानकारी यहां दी जा रही है :

क्रम	क्षेत्रीय केंद्र	योग का महत्व रेखांकित करने के लिए कार्यक्रम
1.	बंगलुरु	104
2.	भोपाल	64
3.	चंडीगढ़	38
4.	पुणे	28
5.	गुवाहाटी	15
6.	कोलकाता	126
7.	लखनऊ	177
d|y		**552**

- अवैध व्यापार और नशीली दवाओं के सेवन के विरोध में अंतरराष्ट्रीय दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन

गीत और नाटक प्रभाग ने 26 और 27 जून, 2015 को अवैध व्यापार और नशीली दवाओं के सेवन के विरोध में अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर 26 जून को नई दिल्ली के मावलंकर सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दूसरे कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली हाट (आईएनए) में किया गया। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति राजभाषा हिंदी में की गई। कार्यक्रमों की विषयवस्तु शराब और नशीली दवाओं के विरोध तथा इनके शिकार लोगों के पुनर्वास पर आधारित थी। कार्यक्रमों का उद्देश्य आम लोगों को जागरूक करना था। इस मौके पर आयोजित नाटकों का शीर्षक था- पुनर्वास की आस। इस छोटे से नाटक की पटकथा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की थी।

गीत एवं नाटक प्रभाग की इस प्रस्तुति को देखने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृशनपाल गुर्जर, यूएनओडीसी की प्रतिनिधि क्रिस्टीना एल्बर्टिन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती अनीता अग्निहोत्री समेत मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी ने प्रभाग की इस प्रस्तुति को सराहा।

- विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई, 2015) पर गीत एवं नाटक प्रभाग की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन।

जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रभाग ने जुलाई महीने के दौरान कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना था। प्रभाग के क्षेत्रीय केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार :

1. विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बंगलुरु क्षेत्रीय केंद्र ने कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा, गडग, गुलबर्गा, मैंगलौर और बगलकोट जिलों तथा केरल के कोट्टायम, तिरुअनंतपुरम, मलप्पुरम, अलपुआ, कासरगोड, कन्नूर, वयनाड और त्रिशूर जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये कार्यक्रम आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे।

2. लखनऊ केंद्र ने भी उन्नाव और बुंदेलखंड के कई इलाकों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। सभी कार्यक्रमों के केंद्र में जनसंख्या नियंत्रण का विषय रखा गया था ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो सके।

3. क्षेत्रीय केंद्र गोवाहाटी ने पूर्वोत्तर के विविध जिलों और राज्यों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। सभी कार्यक्रमों के केंद्र में जनसंख्या नियंत्रण का विषय रखा गया था ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो सके।

4. इसी तरह कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र ने भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) के अवसर पर आयोजित इन सभी कार्यक्रमों के केंद्र में जनसंख्या नियंत्रण का विषय रखा गया था ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो सके।

- अगस्त, 2015 में विविध अवसरों पर गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की जानकारी।

1. प्रभाग ने 6 अगस्त, 2015 को विश्व शांति दिवस मनाते हुए कई विशेष कार्यक्रम पेश किए। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द और भाषायी सौहार्द जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि लोगों में इन्हें लेकर जागरूकता पैदा हो सके।

2. प्रभाग ने भारत छोड़ो दिवस (9 अगस्त, 2015) पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। जन जागरूकता के लिहाज से इन कार्यक्रमों में भारत छोड़ो आंदोलन और देश के स्वतंत्रता संग्राम पर फोकस किया गया।

3. प्रभाग ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए।

4. इसी तरह प्रभाग ने 20 अगस्त, 2015 का दिन सद्‌भावना दिवस के रूप में मनाया। इस दिन आयोजित किए गए कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और भाषायी सौहार्द जैसे विषयों पर फोकस किया गया ताकि लोगों में इनको लेकर जागरूकता और चेतना पैदा हो सके।

- सितंबर के महीने में विभिन्न अवसरों पर प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम :

1 प्रभाग ने 1 से 7 सितंबर के दौरान राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया और इस दौरान अनेक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों में कुपोषण से बचाव और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों को केंद्र में रखा गया ताकि आम जनता जागरूक हो सके।

2. 5 सितंबर को प्रभाग की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

3. इसी तरह प्रभाग ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 28 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा के दौरान कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।

भाग-2

1 जनवरी से 31 मार्च के दौरान संगीत एवं नाटक प्रभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों की रपट

क. कार्य-योजना

- 1 जनवरी से 31 मार्च 2015 के दौरान गीत एवं नाटक प्रभाग की ओर से कार्य योजना के तहत 739 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्योरा यहां दिया जा रहा है।

क्रम सं.	कार्य-योजना भारत के लिए कला और संस्कृति 2014-2015	जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 के दौरान किए गए कार्यक्रम
	ब्योरा	
1	2	5
1.	देश के पहाड़ी, आदिवासी, मरुस्थली, संवेदनशील और सीमा से लगे इलाके	**203**
2.	उग्रवाद से प्रभावित इलाके और जिले	**450**
3.	स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रमुख कार्यक्रम	**83**
कुल		**736**

बी. गैर-योजनागत के अंतर्गत

प्रभाग की ओर से गैर योजनागत श्रेणी में कुल मिलाकर 3,056 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1. जनवरी से मार्च 2015 तक पंजीकृत नाटक मंडलियों की सहायता से देशभर में 2,990 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
2. इसी दौरान विभागीय कलाकारों की सेवाओं का सदुपयोग करते हुए देशभर में 66 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क. (कार्य-योजना के तहत) और बी (गैर योजनागत) श्रेणी के तहत अप्रैल से दिसंबर, 2015 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों जैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सौहार्द, भाषायी सौहार्द, कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न, बालिकाओं के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विषयों पर कार्यक्रम, कुपोषण के खिलाफ जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओर), एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वास्थ्य संबंधी तथा परिवार कल्याण संबंधी अन्य विषयों पर प्रकाश डाला गया। ये कार्यक्रम जनवरी से मार्च 2015 के दौरान मीडिया की सहायक इकाइयों, सरकार के स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, उप प्रभागों, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों की मदद से आयोजित कराए गए।

- देश के प्राथमिक क्षेत्रों में जनवरी से मार्च, 2015 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का ब्योराः

- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में गीत एवं नाटक प्रभाग की ओर से जनवरी और मार्च, 2015 के दौरान वास्तव में 100 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें से 91 कार्यक्रम पंजीकृत निजी कलाकारों की मदद से 9 कार्यक्रम प्रभाग के विभागीय कलाकारों की मदद से आयोजित किए गए।

- जनवरी से मार्च, 2015 के दौरान उग्रवाद से प्रभावित इलाकों और चिह्नित जिलों में हुए कार्यक्रमों की जानकारीः

क्रम	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्रों के दायरे में उग्रवाद प्रभावित जिले	कार्यक्रम
1.	भोपाल	मध्य प्रदेश (01 जिला) छतीसगढ़ (16 जिले)	110
2.	कोलकाता	प. बंगाल (04 जिले) ओडिशा (19 जिले)	240
3.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश के तीन जिले	12
4.	पुणे	महाराष्ट्र (04 जिले)	88
d|y			450

ये कार्यक्रम जनवरी से मार्च, 2015 के दौरान प्रभाग की सहायक इकाइयों, सरकार के स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, उप प्रभागों, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की मदद से आयोजित कराए गए। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सौहार्द, देशभक्ति, राष्ट्रीय गान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, महिला सशक्तिकरण, कुपोषण के खिलाफ प्रचार अभियान, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सबका साथ-सबका विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वास्थ्य संबंधी तथा परिवार कल्याण संबंधी अन्य विषयों पर प्रकाश डाला गया।

- गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा जनवरी से मार्च, 2015 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा

Øe	jkT;	ftys	dk;Øe
1	अरुणाचल प्रदेश	अनजॉ, चांगलांग, दिबांग घाटी, पूर्वी कामेंग, पश्चिमी कामेंग, कुरांग कुमे, निजला दिबांग, तवांग, तीरप, ऊपरी सियांग, ऊपरी सुबनसरी, पश्चिमी दामेंग और पश्चिमी सियांग	-
2	असम	धुबरी, कचार, करीमगंज, कोकराझार, बकसा, चिरांग, उगलगुड़ी	17
3	बिहार	अररिया, चम्पारण (पू. और प.), किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल	-
4.	गुजरात	बनासकांठा, कच्छ, पाटन, भुज	15
5.	हिमाचल प्रदेश	किन्नूर, लाहौल-स्पीति	-
6.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, कठुआ, पुंछ, राजौरी, बारामुला, बड़गांम, कुपवाड़ा, करगिल, लेह, माढ़, विजयपुर, अखनू, खोर, आरएस पुरा, सतवाड़ी, सांबा, बिशनाह, बूनियार, लांगट	155
7.	मणिपुर	चांदेल, सीसीपुर, सिपूर, उखरुल, चूड़ाचांदपुर	-
8.	मेघालय	पश्चिमी और दक्षिणी गारो पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी खासी पहाड़िया	-
9	मिजोरम	चम्फाई, लॉन्गतलाल, मामिट, सेहा, सेरचिप	-
10	नगालैंड	कीफेर, मोन, फेक, त्वेनसांग	-
11	पंजाब	अमृतसर, तरन-तारन, फीरोजपुर, गुरदासपुर, अजनाला और चोगवान	-
12	राजस्थान	बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर	-
13	सिक्किम	सिक्किम पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सिक्किम	-
14	त्रिपुरा	त्रिपुरा (द.) ढलाई, त्रिपुरा (उ.) सिद्धार्थनगर, पश्चिमी त्रिपुरा	10
15	उत्तर प्रदेश	बहराइच, बलरामपुर, खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर	17
16	उत्तराखंड	चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी	72
17	प. बंगाल	कूच बिहार, दार्जीलिंग, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शीदाबाद, नाडिया, उत्तरी 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर	226
tuojh l| ekp] 2015 d| nkjku d|y dk;Øe			512

इन कार्यक्रमों में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों जैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सौहार्द, भाषायी सौहार्द, राष्ट्र गान, कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न, बालिकाओं के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विषयों पर कार्यक्रम, कुपोषण के खिलाफ जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओर), एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वास्थ्य संबंधी तथा परिवार कल्याण संबंधी अन्य विषयों पर प्रकाश डाला गया। ये कार्यक्रम जनवरी से मार्च, 2015 के दौरान मीडिया की सहायक इकाइयों, सरकार के स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, उप प्रभागों, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की मदद से आयोजित कराए गए।

गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जनवरी से मार्च, 2015 के दौरान आयोजित कार्यक्रम:

सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिह्नित इलाकों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए प्रभाग ने जनवरी से मार्च, 2015 के दौरान 4,334 कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम देश के दूरदराज के हिस्सों में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पंजीकृत निजी मंडलियों की सहायता से कराए गए। कार्यक्रमों का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से किया गया था। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार जो संदेश देना चाहती है और जागरूकता पैदा करना चाहती है वह प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंच सके इसके लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय बोलियों में किया गया। इसकी जानकारी यहां दी जा रही है:

{k=h; dæ	dk;Øe	jkT;@dæ'kkflr çn'k
बंगलुरु	117	कर्नाटक और केरल राज्य तथा लक्षद्वीप
भोपाल	644	मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़
पुणे	613	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव
लखनऊ	664	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार
कोलकाता	304	प. बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और झारखंड राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
गुवाहाटी	398	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और त्रिपुरा राज्य
चंडीगढ़	806	पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्य तथा केंद्रशासित चंडीगढ़
दिल्ली	758	दिल्ली और हरियाणा राज्य
dqy	4334	

- **मेलों और उत्सवों में मार्च महीने में कार्यक्रमों की प्रस्तुति:-**

1. इंफाल केंद्र के विभागीय कलाकारों ने दूरदर्शन केंद्र इंफाल की सहायता से 14 मार्च, 2015 को वसंत उत्सव मनाते हुए कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2. सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन-धन योजना और स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओर) के प्रति जागरूकता को लेकर 3 महीने तक चले कार्यक्रमों की समाप्ति पर आयोजित विदाई कार्यक्रम में इंफाल केंद्र के विभागीय कलाकारों ने विशेष प्रस्तुतियां

दीं। इन कार्यक्रमों के लिए आदिवासी अनुसंधान संस्थान, इंफाल की भी सहायता ली गई। इस कार्यक्रम में मणिपुर सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्री श्री आई हेमोचंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने प्रभाग द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की।

3. गुवाहाटी के विभागीय कलाकारों ने 13 मार्च को 151 बेस अस्पताल में सेना के जवानों और उनके परिजनों के लिए एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया और विशेष कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

फोटो प्रभाग

परिचय

फोटो प्रभाग भारत सरकार की विविध गतिविधियों को दृश्यमान सहायता प्रदान करने वाली एक स्वतंत्र मीडिया इकाई है। इसका कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है और फोटोग्राफी के क्षेत्र में यह देश की एक सबसे बड़ी उत्पादन इकाई है।

फोटो प्रभाग की स्थापना 1959 में की गई थी। चूंकि छाया-चित्र किसी भी अवसर के सबसे प्रामाणिक और सत्य दस्तावेज होते हैं इसलिए सरकार ने इसे एक अलग और स्वतंत्र प्रभाग के तौर पर स्थापित किया है। प्रभाग में पेशेवर विशेषज्ञों की देखरेख में फोटोग्राफों का अभिलेख के रूप में सहेज कर रखा जाता। यह काम प्रकाशन विभाग के फोटो स्टूडियो और पत्र सूचना कार्यालय की फोटो इकाई और डीएवीपी के साथ मिलकर किया जाता है ताकि गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो सके। भारत सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और गतिविधियों के आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए यह प्रभाग छाया चित्रों के उत्पादन का काम करता है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक के 55 साल में प्रभाग के पास लगभग लाख चित्रों का संकलन है। प्रभाग ने प्रभाग अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर साल 2010 में राष्ट्रीय फोटो-चित्र पुरस्कारों की शुरुआत की ताकि देश की कला, संस्कृति, विकास, विरासत, इतिहास, दैनिक जीवन, समाज और इसकी परंपराओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इस पुरस्कार को शुरू करने का एक उद्देश्य यह भी था कि देशभर के पेशेवर और उभरते हुए छायाकारों को बढ़ावा दिया जा सके। आधिकारिक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रभाग की अपनी वेबसाइट है। अब प्रभाग इस प्रयास में है कि तस्वीरों को आन लाइन बेचा जा सके।

2. कार्य और कार्यक्रम

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य देश में होने वाले सामाजिक और आर्थिक बदलावों, विकास और इतिहास-क्रम को छाया-चित्रों के रूप में संजोना और एकत्र करना है। फोटो प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों को चित्र उपलब्ध कराता है ताकि सरकार की दैनिक गतिविधियों को सत्त रूप से प्रचारित किया जा सके। यह काम व्यवस्थित रूप में प्रदर्शनी और प्रकाशन के माध्यम से भी किया जाता है। सरकार की विभिन्न गतिविधियों को रेखांकित करने वाली जिन घटनाओं की जानकारी पत्र सूचना ब्यूरो की वेबसाइट पर दी जाती है उसे भी सामग्री प्रभाग द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा हार्ड कॉपी के रूप में भी चित्र उपलब्ध कराए जाते हैं।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से प्रभाग के अभिलेखागार पर ही निर्भर करता है। इसका विकास बीते 5 दशकों में इसलिए किया गया ताकि विभिन्न तरह की प्रदर्शनियों, होर्डिंग्स, प्रचार सामग्री, प्रचार पत्रों और अन्य विवरणिकाओं को तैयार किया जा सके, उनका उत्पादन किया जा सके। इसके बाद यह सामग्री देश-विदेश में प्रचार के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जाती है। विदेश मंत्रालय का बाह्य प्रचार विभाग फोटो प्रभाग से पूरी सहायता प्राप्त करता है। विदेश मंत्रालय के इस प्रभाग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के प्रचार के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यही नहीं विदेशों से जो राष्ट्र-प्रमुख, सरकारी प्रतिनिधि, विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल हमारे देश की यात्रा पर आते हैं उन्हें भी फोटो-प्रभाग चित्र उपलब्ध कराकार सहायता प्रदान करता है। फोटो प्रभाग से सहायता पाने वालों में केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियां, मंत्रालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय और विदेश स्थित भारतीय मिशन शामिल हैं। ये विदेश मंत्रालय के फोटो प्रभाग के माध्यम से सहायता प्राप्त करते हैं। यही नहीं फोटो प्रभाग भुगतान करने पर गैर-प्रचारी संगठनों, निजी प्रकाशकों और जनता को भी चित्र उपलब्ध कराता है।

3. संगठन का ढांचा

फोटो प्रभाग सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित है। प्रभाग का प्रमुख निदेशक (फोटो प्रभाग) होता है और उसके साथ उप निदेशक, वरिष्ठ

फोटो अधिकारी, फोटो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य तकनीकी तथा सहायक अधिकारी होते हैं। कर्मचारियों की कुल क्षमता 76 है और अभी 47 है। वर्ष 2002 में लागत सुधार आयोग की सिफारिश पर कई पद खत्म कर दिए गए थे। कुछ पद इसलिए भी खत्म हुए क्योंकि सीधी भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेखा अधिकारी का एक पद भी समाप्त कर दिया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों और लेखा अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण प्रशासनिक और अन्य दैनिक कामकाज भी वरिष्ठ अधिकारी ही देख रहे हैं।

4. सेवा का स्वरूप

प्रभाग की कार्य-पद्धति के मुताबिक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई बार अन्य मंत्रियों की घरेलू या विदेश यात्राओं के दौरान वरिष्ठ फोटो अधिकारियों, फोटो अधिकारियों और विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सदस्यों को साथ जाना होता है। वरिष्ठ अधिकारी विकास गतिविधियों और समय-समय पर होने वाले सामाजिक और आर्थिक बदलावों के दस्तावेजीकरण का काम भी करते हैं ताकि अभिलेखागार को और समृद्ध किया जा सके। जरूरत के मुताबिक दो फोटो अधिकारी साल के 365 दिन रोटेशन के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन में तैनात रहते हैं ताकि वीवीआईपी गतिविधियों को प्रेस-द्वारा प्रचारित किया जा सके। विदेश मंत्रालय को प्रभाग अपनी विशेष सेवाएं प्रदान करता है। भारत और विदेशों में यात्रा करने वाले राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रमुखों को तकनीकी स्टाफ के साथ-साथ वरिष्ठ छाया सहायक और कनिष्ठ फोटो सहायक उपलब्ध कराकर प्रभाग यह सेवा प्रदान करता है। जब कोई बड़ी हस्ती अपनी यात्रा समाप्त करती है तो चमड़े से मढ़ी हुई एक विशेष अलबम जिस पर सोने के रंग की स्याही अंकित होती है मेहमान को सौंपी जाती है। इस अलबम में यात्रा से जुड़ी तमाम अहम गतिविधियों की डिजिटल छवियां और फोटो-चित्र संग्रहीत होते हैं।

5. अन्य मीडिया इकाइयों से तालमेल

मीडिया की अन्य इकाइयों से तालमेल स्थापित करने के लिए प्रभाग ने कई उपाय किए हैं। 8-10 लाख अभिलेखीय और वर्तमान चित्रों के बीच वैश्विक स्तर पर तालमेल के लिए प्रभाग ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के माध्यम से प्रभाग ने छवियों को ई-कॉमर्स के जरिए खरीदने और बेचने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। अभिलेखीय छवियों की आन लाइन और ऑफ लाइन प्राप्ति के लिए एक उच्च क्षमता वाला सर्वर लगाया गया है। समाचार पत्रों और पत्र-सूचना कार्यालय को चित्र भेजने में देरी न हो इसके लिए फोटो समाचार नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल शैली में काम कर रहा है। दैनिक गतिविधियों के डिजिटल और फोटो चित्रों की आपूर्ति के लिए पीआईबी की आधिकारिक वेबसाइट को प्रभाग पूरी तरह से मदद करता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वीवीआईपी हस्तियों के साथ यात्रा पर जाने वाले छायाकारों को डिजिटल कैमरों के साथ ही लैपटॉप और वी-डाटा कार्ड से लैस किया गया है ताकि घटना स्थल से डिजिटल छवियों को अपलोड और डाउनलोड किया जा सके। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय प्रदर्शनी के उद्देश्य से बड़ी डिजिटल छवियों की आपूर्ति कर सके इसके लिए भी प्रभाग पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

6. 12वीं पंचवर्षीय योजना

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान प्रभाग ने नेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी (एनसीपी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष अभियान तथा जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के उपेक्षित क्षेत्रों की खातिर योजना शुरू की है। नेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी योजना के अंतर्गत प्रभाग डिजिटल फोटो लाइब्रेरी को सरलीकृत करने का काम कर रहा है। इसके लिए लाइब्रेरी के पेशेवरों की आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है ताकि वे डिजिटल छवियों से जुड़ी जानकारी को सुधार सकें। इसके अतिरिक्त प्रभाग ने डाटा एंट्री करने का काम भी आउटसोर्स कर दिया है। यह काम फोटो नेटवर्क को सक्रिय और उन्नत बनाने के लिए किया गया है। डिजिटल छवियों और जानकारी को प्रभाग के उच्च क्षमता वाले सर्वर पर अपलोड किया जाता है।

7. महत्वपूर्ण गतिविधियां

साल एक शुरुआत अनेक प्रदर्शनीः प्रभाग ने वर्तमान सरकार के शासन का एक साल पूरा होने पर राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। 26 मई से शुरू हुई यह प्रदर्शनी दृश्य एवं प्रचार निदेशालय, मीडिया की अन्य इकाइयों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर लगाई गई। इसका आयोजन 30 राज्यों की राजधानियों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 40 शहरों में किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार

द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की गतिविधियों को जन-जन तक पहुंचाना था।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-फोटो प्रभाग ने 20 से 30 नवंबर तक गोवा में हुए 46वें फिल्म महोत्सव की बड़े पैमाने पर कवरेज उपलब्ध कराई। अंतरराष्ट्रीय समारोह को कवर करने के लिए फोटो प्रभाग ने अधिकारियों की तैनाती की ताकि प्रभाग की वेबसाइट पर डिजिटल छवियों को अपलोड किया जा सके और पीआईबी को भी भेजा जा सके।

नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड-मीडिया के ढांचागत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया नेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी कार्ययोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पुरस्कार फोटो प्रभाग का प्रतिष्ठित और सालाना कार्यक्रम है। यह आयोजन देश में फोटोग्राफी के क्षेत्र में सक्रिय असाधारण प्रतिभाओं को सामने लाने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2013 के लिए इस सम्मान समारोह का आयोजन 20 मार्च, 2015 को किया गया। फोटो सम्मान के साथ ही दूरदर्शन के सहयोग से फोटोग्राफी कार्यशाला 19 मार्च, 2015 को आयोजित की गई। यह कार्यशाला दो हिस्सों में विभक्त थी छाया चित्र और वीडियोग्राफी। वर्ष 2014 के लिए 5वां फोटोग्राफी सम्मान समारोह मार्च के पहले पखवाड़े में होना तय किया गया है।

8. साधारण गतिविधियां

अपनी दैनिक गतिविधियों के तहत फोटो प्रभाग और भी चित्र-दस्तावेज उपलब्ध कराता है:

1. भारत के उप राष्ट्रपति की यात्राएं- फोटो प्रभाग ने दिसंबर 2015 तक महामहिम उप राष्ट्रपति की भारत के विभिन्न राज्यों में 3 यात्राएं कवर कीं। कर्नाटक में दो और महाराष्ट्र में तीन। इनके अलावा कंबोडिया, इंडोनिशिया और लाओ पीडीआर की 4 यात्राएं भी शामिल हैं।
2. प्रधानमंत्री की यात्राएं- इसी अवधि में फोटो प्रभाग ने माननीय प्रधानमंत्री की देश और विदेश की यात्राओं की जमकर कवरेज की। फोटो प्रभाग ने माननीय प्रधानमंत्री की 14 राज्यों (जैसे बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक की एक से अधिक यात्राएं) के अलावा 21 विदेश यात्राओं (फ्रांस दो बार), जर्मनी, कनाडा, चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अबूधाबी, अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, मलेशिया, सिंगापुर, रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान) को कवर किया।
3. राष्ट्र और सरकार के प्रमुखों की यात्राएं- तंजानिया और मोजाम्बिया के राष्ट्रपति, चीन के उपराष्ट्रपति तथा सेशल्स और जापान के प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा को फोटो प्रभाग न केवल कवर किया बल्कि चित्रों का दस्तावेजीकरण करके भी सौंपा। अलबम रूपी यह दस्तावेज फोटो प्रभाग विदेशी मेहमानों को उनकी यात्रा पूरी होने पर विदाई के वक्त भारत सरकार की ओर से प्रदान करता है।

9. उत्पादन के आंकड़े

वर्ष 2015-16 के दौरान फोटो प्रभाग ने जितने भी आधिकारिक कार्यक्रम कवर किए, छवियां प्राप्त की, प्रिंट अपलोड किए और अलबम तैयार की उनका ब्योरा इस प्रकार है: समाचार और फीचर से जुड़े कार्यक्रम 3,032, पीआईबी वेबसाइट के लिए छवियां भेजी या अपलोड की 9,930, फोटो प्रभाग की वेबसाइट पर चित्र अपलोड किए 9,648, सदन में डिजिटल छवियां 2,69,647 (वी), डिजिटल प्रिंट बनवाए और आपूर्ति किए 40,037 और 54 फोटो अलबम तैयार किए।

10 . राजभाषा का क्रियान्वयन

फोटो प्रभाग अपने छोटे से मुख्यालय में राजभाषा के क्रियान्वयन को लेकर लगातार सक्रिय रहता है। लेखा और प्रशासन विभागों की अधिकांश फाइलों का कामकाज हिंदी में ही किया जाता है। प्रभाग ने हिंदी से जुड़ी कई गतिविधियां भी शुरू की है। सितंबर 2015 में हिदी पखवाड़े के दौरान हिंदी में एक निबंध लेखन प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

11. स्वीकृत बजट

फोटो प्रभाग की कार्य योजना के लिए 2015-16 के दौरान स्वीकृत बजट अनुदान 52 लाख रुपये था जोकि बढ़ाकर 170 लाख कर दिया गया। दिसंबर 2015 तक वास्तविक खर्चा 11 लाख रुपये हुआ। गैर योजनागत वर्ग में स्वीकृत बजट अनुदान 417 लाख रुपये था जोकि घटाकर 368 लाख रुपये कर दिया गया। दिसंबर 2015 तक वास्तविक खर्च 260 लाख रुपये हुआ।

12. सतर्कता रपट

1.	क्षेत्र कार्यालयों तथा मुख्यालय में संगठन के लिए सतर्कता ढांचे का ब्योरा	सतर्कता या निगरानी से जुड़े किसी काम के लिए अलग से किसी स्टाफ की स्वीकृति नहीं की गई। इस तरह के मामलों का निपटारा वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया। मुख्यालय में 4 क्षेत्रीय कार्यालयों ने सतर्कता से जुड़े मामले देखे।
2.	इस दौरान सतर्कता निवारक गतिविधियां: 1. इस दरम्यान किए जाने वाले लगातार निरीक्षण 2. औचक निरीक्षणों की सख्या	 5 3
3.	3. इस दौरान चौकसी और खोज की गतिविधियां: 1. चौकसी के लिए चुने गए इलाके 2. निगरानी में रहने वाले लोगों की संख्या	वे सभी इलाके जहां उत्पादन का महत्वपूर्ण काम किया जाता है। कोई नहीं।
4.	nMkRed xfrfofèk;k@tgk fu;fDr vfèkdkjh vè;{k dk vykok dkbZ vkj g 6. इस दौरान प्राप्त शिकायतें/हवाले 7. कितने मामलों में प्राथमिक जांच की गई 8. कितने मामलों की प्राथमिक जांच रिपोर्ट मिली 9. कितने मामलों में भारी जुर्माने के लिए चार्जशीट दाखिल की गई 10. कितने मामलों में हल्के जुर्माने की लिए चार्जशीट दाखिल की गई 11. कितने लोगों पर भारी जुर्माना लगाया गया 12. कितने लोगों पर हल्का जुर्माना लगाया गया 13. संदेहास्पद व्यक्तियों की संख्या 14. कितने लोगों के खिलाफ चेतावनी जैसी प्रशासनिक कार्रवाई की गई 15. प्रावधानों के अंतर्गत कितने लोग समय से पहले सेवानिवृत्त हुए	 शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य

भारतीय जन संचार संस्थान

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत संस्था और संचार, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र है। इस संस्थान की स्थापना 17 अगस्त, 1965 को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में, देश के समग्र विकास की रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में संचार संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए एक पद्धति विकसित करने की जरूरत को देखते हुए की गयी थी। यह संस्थान 22 जनवरी, 1966 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (xxi) 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। यह संस्थान अपने खर्चों की पूर्ति के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करता है। आईआईएमसी छात्रों को प्रिंट, फोटोग्राफी, रेडियो एवं टेलीविजन, विकास संचार, कम्युनिकेशन रिसर्च और विज्ञापन एवं जनसंपर्क जैसे विभिन्न विषयों में ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। यह संस्थान सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कार्यशाला इत्यादि के आयोजन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम करता है। साथ ही यह रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ ही उद्योग, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाता है।

1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक शैक्षणिक गतिविधियां

1. भारतीय सूचना सेवा के पाठ्यक्रम

भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के अधिकारी 8 प्रशिक्षुओं का 9 महीनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 अक्टूबर, 2015 को संपन्न हुआ। इसके ट्रेनिंग के दौरान, संचार सिद्धांत के अलावा ट्रेनी ऑफीसर्स को बदलती मीडिया रणनीति और स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में मीडिया रिलेशन से संबंधित वास्तविक अनुभव प्रदान किए जाते हैं।

वित्तीय समावेशन, जिस पर वित्त मंत्रालय का मुख्य फोकस है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति इंश्योरेंस और सुरक्षा बीमा योजना पर विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के साथ मुलाकात के साथ इस सिरीज का समापन हुआ। ट्रेनी अधिकारियों को कोलकाता में वित्तीय समावेशन के लिए "बंधन" के साथ संलग्न किया गया।

प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए गृह मंत्रालय के साथ मिलकर "नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासनः प्रशासनिक हस्तक्षेप और सूचनात्मक आवश्यकताएं" विषय पर एक लेक्चर सिरीज आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न इलाकों में बढ़ रही इस प्रशासनिक चुनौती से अवगत कराना था।

कार्यक्षेत्र से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के लालगढ़ का दौरा कराया गया, यह इलाका एक समय नक्सल गतिविधियों का केंद्र था। लेकिन आज यह क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं के चलते शांति और संपन्नता की राह पर चल रहा है।

माननीय राष्ट्रपति महोदय से भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षणार्थियों की भेंट

क्षेत्र के दौरे के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों की मुलाकात राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के साथ भी कराई गई।

(ii) 10 सीनियर ग्रेड आईआईएस ग्रुप बी ऑफीसर्स के लिए 9 महीने का प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 14 दिसंबर, 2015 से शुरू हुआ है।

2. संचार विश्वविद्यालय के लिए स्वर्ण जयंती सेमिनार

(i) भारत में मीडिया एवं संचार की जोरदार संवृद्धि के साथ

14 मई, 2015 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा संचार विश्वविद्यालय पर संगोष्ठी का उद्घाटन

मीडिया और संचार के क्षेत्र में शिक्षा का महत्व भी तेजी से बढ़ा है। इस क्षेत्र में शिक्षा को ज्यादा स्पष्टता, दृष्टि, गहराई, स्तर और गुणवता की बेहद जरूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में 14 मई, 2015 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने संचार विश्वविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम आईआईएमसी के स्वर्ण जयंती समारोह का एक हिस्सा भी था। इस सेमिनार का उद्देश्य संचार विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशना था। इस सेमिनार में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अग्रणी विशेषज्ञ और वरिष्ठ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

(ii) गांधी का चंपारण (आईआईएमसी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री) की स्क्रीनिंग 01 अक्टूबर, 2015 को बापू की जयंती और आईआईएमसी की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर की गई।

3. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम

निम्नांकित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक वर्ष 2015-16 की प्रवेश की प्रक्रिया मार्च 2015 के दौरान प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशित होने के बाद शुरू हुई। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने अंतिम तिथि 8 मई, 2015 निर्धारित की गई थी। संस्थान में निम्नलिखित पीजी डिप्लोमा कोर्स हैं:

1. पत्रकारिता (हिंदी) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम दिल्ली में।
2. पत्रकारिता (अंग्रेजी) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम दिल्ली, ढेंकनाल, आइजॉल, अमरावती, जम्मू एवं कोट्टायम में।
3. विज्ञापन एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम दिल्ली में।
4. रेडिया एवं टीवी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम दिल्ली में।
5. पत्रकारिता (ओडिया) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम ढेंकनाल में।

ऊपर दिए गए पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 5,509 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 15 फीसदी से भी ज्यादा रही। इससे पता चलता है कि आईआईएमसी की लोकप्रियता और प्रसिद्धि कितनी तेजी से बढ़ रही है। पाठ्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो जिन 5,509 उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया, उनमें से 2,175 ने पत्रकारिता (576 हिंदी पत्रकारिता और 1,599 अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए), 1,416 ने रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता के लिए, 1,847 ने विज्ञापन एवं जनसंचार और 71 ने ओडिया में पत्रकारिता के लिए आवेदन दिया।

इन सभी पाठ्यक्रम (ओडिया में पत्रकारिता छोड़कर) के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 31 मई, 2015 को आयोजित की गई। ओडिया पत्रकारिता के लिए 1 जून, 2015 को भुवनेश्वर में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। ये प्रवेश परीक्षाएं, पहली बार देश के 18 शहरों में आयोजित की गईं। इससे पहले ये 15 शहरों में आयोजित होती थीं। ये परीक्षाएं नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बंगलुरु, मुंबई, नागपुर, आईजॉल, भोपाल, चेन्नई, जम्मू, कोच्चि, रायपुर, रांची और हैदराबाद में आयोजित की गई। इनमें से अहमदाबाद, रायपुर, रांची और हैदराबाद पहली बार अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के केंद्र बनाए गए थे। श्रीनगर भी परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में था, लेकिन सिर्फ एक उम्मीदवार द्वारा श्रीनगर सेंटर चुना गया, जिसके बाद निवेदन कर उसे परीक्षा के लिए जम्मू सेंटर शिफ्ट कर दिया गया।

2015-16 के शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई और नई दिल्ली एवं अन्य क्षेत्रीय केंद्रों में शिक्षण सत्र 3 अगस्त, 2015 को आरंभिक व्याख्यान के साथ शुरू हुआ।

गुट निरपेक्ष और विकासशील देशों के लिए विकास पत्रकारिता 64वां डिप्लोमा कोर्स 2 जनवरी, 2015 को शुरू होकर 29 अप्रैल, 2015 तक चला। इसका डिप्लोमा प्रमाणपत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव और आईआईएमसी के चेयरमैन श्री बिमल जुल्का ने प्रदान किए।

4. सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षाएं

शिक्षण सत्र 2014-15 के सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अनुपूरक परीक्षाएं 4 से 8 अगस्त, 2015 के बीच नई दिल्ली एवं दूसरे क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित की गईं।

शैक्षणिक सत्र 2015-16 के सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 से 17 दिसंबर, 2015 के बीच नई दिल्ली और दूसरे क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित की गईं।

5. उर्दू पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए उर्दू पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया की शुरुआत मई 2015 में हिंदी एवं उर्दू के अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के साथ शुरू हुई। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की आखिरी तारीख 17 जुलाई, 2015 तय की गई।

उर्दू पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2015-16 की प्रवेश परीक्षा 2 अगस्त, 2015 को आईआईएमसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई और प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 13 अगस्त, 2015 को घोषित किया गया। साक्षात्कार 25 अगस्त, 2015 को आयोजित किए गए। पाठ्यक्रम 5 अक्टूबर, 2015 को शुरू हुआ और 8 छात्रों को इस कोर्स में प्रवेश दिया गया।

6. व्याख्यानमाला

भारतीय जन संचार संस्थान ने एक पखवाड़े की व्याख्यान माला की शुरुआत की, जिसमें प्रसिद्ध शिक्षाविदों को समकालीन विकास और सामाजिक मुद्दों पर व्याख्यान देने को आमंत्रित किया गया। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध वक्ताओं के व्याख्यानों की मदद से छात्रों के बीच शैक्षिक विचार-विमर्श को बढ़ाना है। इस सिरीज में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी के डायरेक्टर प्रो. महेश रंगराजन ने 'पर्यावरण एवं विकास: भारतीय अनुभव' और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की

प्रो. निवेदिता मेनन ने 'भारत में नारीवादः गंभीर मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर व्याख्यान दिया।

7. विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) गुट निरपेक्ष और विकासशील देशों के मिड कैरियर पत्रकारों के लिए साल में दो बार विकास पत्रकारिता में प्रतिष्ठित डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह पाठ्यक्रम इंडियन टेक्निकल एवं इकोनोमिक कोऑपरेटिव (आईटीईसी), द स्पेशल कॉमनवेल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्लान (एससीएएपी) और विदेश मंत्रालय के कोलंबो प्लान स्कीम के द टेक्निकल कोऑपरेटिव स्कीम (टीसीएस) के तहत आयोजित किया गया। यह कोर्स, जिसकी अवधि 4 महीने की है, हर साल दो बार जनवरी से अप्रैल और अगस्त से दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है।

30 अप्रैल, 2015 तक, संस्थान 123 देशों के 1,457 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दे चुका है।

2 जनवरी को 65वें पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें 17 देशों के 25 मध्य स्तर के कार्यशील पत्रकार भाग ले रहे हैं।

8. कार्यशाला

(i) आईआईएमसी द्वारा दो कार्यशालाओं की शृंखलाएं आयोजित की गईं। 7 और 8 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 15 प्रतिभागियों के साथ और मुंबई में 21 और 22 अप्रैल, 2015 को 21 प्रतिभागियों के साथ "बायोसेफ्टी पर क्षमता निर्माण मीडिया वर्कशॉप" आयोजित की गई।

(ii) आईआईएमसी द्वारा भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के लिए 'संचार में क्षमता निर्माण एवं प्रभावी डीडब्ल्यूएस कार्यक्रम प्रबंधन एवं कार्यान्वयन' विषय पर तीन अन्य केआरसी ट्रेनिंग कार्यशाला 6 से 8 मई, 2015, 26 से 28 मई और 9 से 11 जून, 2015 के बीच क्रमशः 43, 30 और 71 प्रतिभागियों के साथ आयोजित की गईं।

(iii) आईआईएमसी ने महाराष्ट्र के सभी जिलों में आईईसी कंसल्टेंट्स "न्यू मीडिया टूल्स" पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर, 2015 के बीच किया गया। इसके उद्देश्य पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित मसलों से प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए प्रतिभागियों को विशेष कौशल प्रदान करना था। यह कार्यशाला पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित की गई। इस कार्यशाला में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के 29 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

(iv) संस्थान ने मुंबई और कोलकाता में मीडिया प्रोफेशनल्स और पत्रकारों के लिए "कम्युनिकेटिंग साइंस एंड बायोसेफ्टी" विषय पर दो कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला ने पत्रकारों को प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रचारकों से मिलने का मौका दिया। 50 से अधिक पत्रकारों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ संस्थान ने पारस्परिक संवाद में क्षमता निर्माण पर दो कार्यशाला आयोजित की, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 60 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

(v) 21 जून, 2015 को पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारतीय जन संचार संस्थान, दिल्ली ने शांति एवं सामंजस्य के लिए योग पर कार्यशाला आयोजित की। विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में से जम्मू एवं अमरावती केंद्रों में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

(vi) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से संस्थान द्वारा 9 से 11 जून 2015 के बीच पारस्परिक संवाद में क्षमता निर्माण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों के 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

संस्थान ने कम्युनिकेटिंग साइंस एंड बायोसेफ्टी विषय पर मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 5 और 6 जून को एक दो दिवसीय अन्य कार्यशाला आयोजित की। 20 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया।

(vii) संस्थान ने कम्युनिकेटिंग साइंस एंड बायोसेफ्टी विषय पर मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए भोपाल में 14 और 15 जुलाई, 2015 को और 22 और 23 जुलाई को अहमदाबाद में दो कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 20 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

(viii) संस्थान ने यौन उत्पीड़न कानून, 2013 (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) पर आईआईएमसी के शिक्षक, अधिकारी और स्टाफ के लिए दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच एक अर्ध-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। सीआरईए से श्रीमती शालिनी सिंह, एक बाहरी विशेषज्ञ, एक वकील और एक प्रशिक्षक ने शिक्षकों और स्टाफ को संबंधित विषय पर संबोधित किया और कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।

(ix) संस्थान ने 20 अगस्त, 2015 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए *कम्युनिकेटिंग साइंस एंड बायोसेफ्टी* विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

9. विशेष अल्पकालिक पाठ्यक्रम

विकासशील देशों के पत्रकारों के कौशल उन्नयन की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, आईआईएमसी ने 4 महीने का विकास पत्रकारिता कोर्स संचालित किया। इसमें 16 देशों से हिस्सा लेने वाले 19 प्रतिभागियों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें एक विशेष सत्र सोशल मीडिया पर समर्पित था।

10. जन स्वास्थ्य पत्रकारिता कार्यक्रम

सरकार के जन स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों विशेष रूप से टीकाकरण से जुड़े इंद्रधनुष कार्यक्रम के सफलतापूर्वक अनुपालन की जरूरत को देखते हुए भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा यूनिसेफ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के साथ मिलकर छात्रों के लिए जन स्वास्थ्य पत्रकारिता कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह एक प्रायोगिक कार्यक्रम है और छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर पेश किया गया है। यह कार्यक्रम आईआईएमसी की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लागू किया गया है।

11. बच्चों के लिए मीडिया कार्यक्रम

पहली बार भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मीडिया एवं सूचना साक्षरता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। केरल सरकार और आईआईएमसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में हायर सेकेंडरी शिक्षा विभाग के 35 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान, छात्रों ने मीडिया से जुड़े मुद्दों पर केरल के मुख्य मंत्री ओमान चांडी के साथ विचार-विमर्श किया।

12. 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान आयोजित लघु पाठ्यक्रम/कार्यशाला

Ø-la-	ikBîØe dk uke	fnukad	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikBîØe dh vof/k
1.	सामान्य अधिकारियों के लिए मीडिया उन्मुखीकरण कार्यशाला	7-11 सितंबर 2015	श्री सुनीत टंडन	14
2	ब्रिगेडियर/कर्नल के बराबर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम	14-24 सितंबर 2015	श्री सुनीत टंडन	14
3	ब्रिगेडियर/कर्नल के बराबर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम	28 सितंबर से 9 अक्टूबर, 2015	श्री सुनीत टंडन	14
4	मीडिया एंड स्टाफ एपाइंटमेंट्स/पीआरओ/प्रशिक्षक अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम	16 नवंबर से 4 दिसंबर, 2015	प्रो. विजय परमार	15
5	मीडिया एंड स्टाफ प्रशि./पीआरओ/प्रशिक्षक अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पाठ्यक्रम	7 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2015	प्रो. विजय परमार	15
6	जीसीओ/एनसीओ (जूनियर लीडर्स) के लिए वीडियोग्राफी पाठ्यक्रम	14 दिसंबर, 2015 से 8 जनवरी, 2016	सुश्री शास्वती गोस्वामी, एसोशिएट प्रोफेसर	25

13. संचार अनुसंधान विभाग

अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियां इस प्रकार रहीं:

परियोजना : कार्य प्रगति

1) डीएफपी की प्लान योजना के मूल्यांकन के लिए जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण हेतु आयोजित टूर और कौशल उन्नयन के डीएफपी योजना स्कीम का मूल्यांकन

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंजूर

परियोजना : चालू

1) विदेशी समाचार एजेंसियों को भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय संचालित करने की मंजूरी देने/न देने पर नीतिगत निर्णय : 20 देशों में विदेशी समाचार एजेंसी के कार्य करने संबंधी नियमों और दिशा-निर्देशों का संकलन और विश्लेषण।

प्रशिक्षण कार्यशाला

1) जैव सुरक्षा पर क्षमता निर्माण परियोजनाः चरण दो के सार्वजनिक जागरूकता घटक के तहत जैव सुरक्षा पर मीडिया कार्यशालाएंः यूएनईपी-जीईएफ और पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित।

   यूएनईपी एंड जीईएफ तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से।

dk;l'kkyk	'kgj	LFkku	fnukd
राष्ट्रीय कार्यशाला	मुंबई	मुंबई विश्वविद्यालय	22-23 अप्रैल, 2015
	दिल्ली	आईआईएमसी	20 अगस्त, 2015
क्षेत्रीय कार्यशाला	बंगलुरु	बंगलुरु विश्वविद्यालय	15-16 मई, 2015
	कोलकाता	कलकता विश्वविद्यालय	21 मई, 2015
	भोपाल	माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय	14-15 जुलाई, 2015
	अहमदाबाद	गुजरात विश्वविद्यालय	22-23 जुलाई, 2015
	चंडीगढ़	पंजाब विश्वविद्यालय	28-29 जुलाई, 2015
आईआईएस अधिकारियों के लिए कार्यशाला	समूह ए	आईआईएमसी	7-8 अप्रैल, 2015
	समूह बी	आईआईएमसी	5-6 जून, 2015

2) प्रभावी डीडब्यूएस कार्यक्रम प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए संचार और भागीदारी अनुसंधान में क्षमता निर्माणः भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) के महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र के रूप में आईआईएमसी ने प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। एमडीडब्ल्यूएस मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित।

क्र.सं	दिनांक	राज्य प्रतिनिधित्व
1.	6 से 8 मई, 2015	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू, बिहार, हरियाणा
2.	26 से 28 मई, 2015	हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब
3.	9 से 11 जून, 2015	मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय, महाराष्ट्र और बिहार

3) भागीदारी संचार दृष्टिकोण और प्रभावी पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रम प्रबंधन के लिए नए मीडिया उपकरणों का इस्तेमालः आईईसी कंसल्टेंट्स, डब्ल्यू एसएसओ, महाराष्ट्र के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर, 2015 को हुआ। 29 प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

आंतरिक अध्ययन

1) भारतीय प्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दों का कवरेज
2) मीडिया नैतिकता पर प्रोजेक्ट
3) आईआईएमसी रिसर्च रिपोर्ट का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन

समवर्ती पाठ्यक्रम

ykd LokLF; i=dkfjrk vkj lpkj dk fy, egRoi.k eY;kdu dk'ky dk;Øe% स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं, विशेषकर उनके प्रभाव, का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष कौशल और क्षमता की शर्त होती है। पत्रकारिता और संचार के छात्रों के लिए, लोक स्वास्थ्य रणनीतियों की समझ, विशेष उपायों की लागत-लाभ विश्लेषण की सराहना और उनके महत्वपूर्ण मूल्यांकन के लिए कौशल विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे वे एक संतुलित माध्यम में रिपोर्ट और संवाद करने की अपनी क्षमता को मजबूत करेंगे। इस संदर्भ में, भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) ने यूनीसेफ के साथ मिलकर पायलट तौर पर महत्वपूर्ण मूल्यांकन कौशल कार्यक्रम (सीएएसपी) शुरू किया है, इसके जरिए पत्रकारिता छात्रों के लिए महत्वतपूर्ण मूल्यांकन कौशल और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य रिपोर्टिंग या लोक स्वास्थ्य मुद्दों पर संचार कार्यक्रम के जरिए क्षमता निर्माण किया गया। बाद में जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ (जीआईजीएच), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन भी तकनीकी सहयोग और प्रमाणपत्र देने के लिए यूनीसेफ के जरिए बोर्ड में शामिल हुए। सीएएसपी के तहत तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स (15 सितंबर, 2015 से 30 नवंबर, 2015) आईआईएमसी की चार शाखाओं (प्रत्येक शाखा से 10) के चयनित 40 छात्रों को कराया गया। यह पाठ्यक्रम आईआईएमसी द्वारा जीआईजीएच, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और यूनीसेफ की मदद से विकसित किया गया था। इसे समवर्ती पाठ्यक्रम के तौर पर छात्रों को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया और सभी कक्षाएं अवकाश (रविवार और अन्य अवकाश) के दिन आयोजित की गईं। इसलिए प्राथमिक पाठ्यक्रम, जिसमें छात्रों ने प्रवेश लिया था, में कोई व्यवधान नहीं आया। पाठ्यक्रम में कक्षा व्याख्यान, प्रयोग और चार दिन फील्ड में रहना दोनों

शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के मूल्यांकन को पूरा करने में लगभग 25 अवकाशों का प्रयोग किया गया तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आईआईएमसी के इस संयुक्त पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को अलग से प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

प्रस्तावित रिसर्च अध्ययन

1) देश के एलडब्ल्यूई राज्यों में स्वास्थ्य और कुपोषण पर कार्यक्रम का मूल्यांकन

   गीत एवं नाटक प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

2) ग्रामीण विकास संदेशों का कवरेज और प्रभावः सांसद आदर्श ग्राम योजना संदेशों को रेलवे पूछताछ सेवा 139 पर प्रसारित करने का मूल्याकंन अध्ययन।

   ग्रामीण विकास मंत्रालय

शोध पत्रों पर कार्य

1) आईएसएम के ज्ञान और तरीकों की मापः बंगलुरु और देहरादून से अनुभवसिद्ध साक्ष्य।

2) चिकित्सीय सेवाओं की भारतीय प्रणाली में सुधार और बदलते नजरिये में आयुष अभियान का प्रभावः बंगलुरु और देहरादून से अनुभवसिद्ध साक्ष्य।

14. संकाय और अनुसंधान स्टाफ

भारतीय जन संचार संस्थान के फैकल्टी और अनुसंधान स्टाफ में शिक्षाविद, शोधकर्ता और मीडिया पेशेवर शामिल हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके अलावा प्रमुख मीडिया संगठनों/उद्योग से विजिटिंग फैकल्टी को आमंत्रित किया जाता है।

शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए एक तीन स्तरीय फैकल्टी प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें प्रमुख फैकल्टी, इंडस्ट्री के पेशेवर और वरिष्ठ कार्यकारी शामिल हैं, जिन्हें समय-समय पर आमंत्रित किया जाता है और वे अपने अनुभव प्रशिक्षुओं/छात्रों के साथ बांटते हैं तथा उन्हें इंडस्ट्री से अवगत कराते हैं।

15. योजनागत परियोजना

(i) आईआईएमसी को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन बनाने की योजनागत परियोजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था और इसके लिए कुल 62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से सरकारी अनुदान 51.50 करोड़ रुपये के आस-पास रहा। इस योजना में आईआईएमसी के उन्नयन जैसे मौजूदा प्रमुख बिल्डिंग में अतिरिक्त फ्लोर और आईआईएमसी कैम्पस, नई दिल्ली में लेक्चर ब्लॉक का निर्माण, आईआईएमसी कैम्पस नई, दिल्ली में खाली पड़ी जमीन पर नई बिल्डिंग का निर्माण और आईआईएमसी कैम्पस, ढेंकनाल में नई बिल्डिंग का निर्माण, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल और जम्मू और कश्मीर में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय केंद्र की शुरुआत करना, जहां संबंधित राज्य सरकार मुफ्त में अस्थाई परिसर उपलब्ध कराएगी, प्रस्ताव शामिल थे।

   नई दिल्ली कैम्पस में अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण 2011 में पूरा हुआ। ढेंकनाल में नई बिल्डिंग का निर्माण दिसंबर 2014 में पूरा हो चुका है। अमरावती और ऐजवाल में दो नए क्षेत्रीय केंद्र अगस्त 2011 में संचालन में आ चुके हैं, जबकि दो अन्य क्षेत्रीय केंद्र जम्मू और कोट्टायम में अगस्त 2012 से संचालित हो रहे हैं। सभी चार नए क्षेत्रीय केंद्र वर्तमान में संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए अस्थाई परिसर में स्थित हैं और उनकी मदद से संचालित हैं।

(ii) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र को खोलने की योजनागत परियोजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया और इसके लिए 94 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिसमें से सरकारी अनुदान 90 करोड़ रुपये का था। इस योजना में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई गई जमीन और संचालन लागत पर स्थाई कैम्पस का निर्माण का प्रस्ताव शामिल था।

आईआईएमसी ऐजवाल कैम्पस की नई बिल्डिंग का निर्माण 2015-16 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू कर दिया गया है, इसके लिए आईआईएमसी ने सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईआईएमसी के कोट्टायम कैम्पस की जहां तक बात है, केरल सरकार ने कोट्टायम स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिली 77 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन आईआईएमसी के क्षेत्रीय केंद्र के स्थाई कैम्पस निर्माण के लिए आवंटित की है। आईआईएमसी ने इस जमीन को अपने अधिकार में ले लिया है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मिट्टी जांच पूरी हो चुकी है। इस परियोजना के लिए आईआईएमसी द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), आर्किटेक्चरल ड्राइंग और अनुमानित खर्च प्रस्तुत किया जा चुका है। आईआईएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के बीच बिल्डिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ठेका देने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

जम्मू और अमरावती में अन्य दो नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जमीन आबंटित की जा चुकी है और इस जमीन पर जल्द से जल्द कब्जा लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।

16. अल्पसंख्यक कल्याण पर कार्यक्रम

(i) 2014-15 शैक्षणिक सत्र में 49 छात्र अल्पसंख्यक समुदाय से थे, जबकि 2015-16 शैक्षणिक सत्र में 29 छात्र अल्पसंख्यक समुदाय से थे।

(ii) यहां अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है और संस्थान में एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण है।

17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

संस्थान की सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। छात्रों के लिए, भारत सरकार की आरक्षण नीति के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाती है।

18. प्रमुख नीतिगत फैसले/विधान/उपलब्धियां/घटनाएं

वर्ष 2015-16 की अब तक की विस्तृत जानकारी इस प्रकार हैः

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से यह प्रस्ताव दिया गया है कि संसद के कानून के जरिए आईआईएमसी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। इस प्रस्ताव को पहले ही कानून और न्याय मंत्रालय की विधायी विभाग द्वारा पुनरीक्षित किया जा चुका है। इस प्रस्ताव पर सचिवों की समिति की सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणी प्राप्त की जा रही है।

19. आईआईएमसी के कार्यकारी परिषद/एजीएम की गतिविधियां

अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 के दौरान आईआईएमसी सोसाइटी की कार्यकारी परिषद की तीन बैठक और एक वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया।

20. दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए नीतिगत निर्णय

(i) संस्थान की सेवा के साथ ही साथ विभिन्न पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी सरकारी नीतियों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है।

(ii) मौजूदा बिल्डिंग को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए रैंप का निर्माण और लिफ्ट प्रावधान का कार्य पूरा हो चुका है।

21. नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण प्रणाली

नए दिशा-निर्देशों के आधार पर नए नागरिक चार्टर को तैयार किया गया है और इसे आईआईएमसी के वेबसाइट पर लगाया गया है। इस नागरिक चार्टर के तहत कोई भी नागरिक संस्थान से जुड़ी अपनी किसी भी समस्या को उठा सकता है और उसका समाधान पा सकता है। संस्थान द्वारा एक अधिकारी को लोक शिकायत अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। प्राप्त शिकायत का परीक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है और सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के साथ उसका समाधान किया जाता है।

आईआईएमसी के शिकायत अधिकारी का पताः

विशेष कार्य अधिकारी

भारतीय जन संचार संस्थान,

जेएनयू, न्यू कैंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067

कोई भी व्यक्ति जो आईआईएमसी की किसी भी सेवा से संतुष्ट नहीं है या संस्थान की किसी कार्यवाही से व्यथित है, ऊपर बताए गए अधिकारी से अपनी शिकायत का निवारण करवा सकता है। शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर उठाए गए कदमों की जानकारी शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति या संस्थान का सदस्य् अपनी शिकायत के संबंध में शिकायत अधिकारी से मिलना चाहता है, तो वह बिना किसी पूर्व अप्वाइंटमेंट के सभी कार्यदिवस में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मिल सकता है।

22. उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

आईआईएमसी में एक उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी है, जिसमें निम्न सदस्य हैंः

श्री अनुराग मिश्रा, नोडल अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी, आईआईएमसी, नई दिल्ली

डॉ. ए. के. प्रधान, सह-प्राध्यापक, आईआईएमसी, नई दिल्ली

23. सूचना का अधिकार, 2005

सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आईआईएमसी के डिप्टी रजिस्ट्रार को अपीलीय प्राधिकरण का सीपीआईओ, ओएसडी नामित किया गया है और आरटीआई कानून के तहत डायरेक्टर जनरल को पारदर्शिता अधिकारी नामित किया गया है।

भारतीय प्रेस परिषद

(www.presscouncil.nic.in)

परिचय

भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक अर्ध-न्यायिक स्वायत संस्था है, जिसकी स्थापना संसद द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और संस्थानों के साथ ही साथ पत्रकारों पर बराबर अर्ध-न्यायिक कार्यों के जरिए निगरानी रखते हुए भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और सुधार के दोहरे उद्देश्य से की गई है। इसका एक चेयरमैन और 28 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत न्यायाधीश होते हैं। 28 सदस्यों में से 20 प्रेस के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 8 सदस्य पाठकों के प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं, जिनमें दोनों सदनों के सांसद (तीन लोकसभा से और दो राज्य सभा से), यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी जैसी प्रमुख साहित्यिक और कानूनी निकायों के प्रतिनिधि होते हैं। परिषद अपने कार्यों के लिए स्वयं के कोष का इस्तेमाल करती है। परिषद कानून के तहत समाचार पत्रों से शुल्क, अन्य प्राप्तियों और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान के जरिए अपने कोष का संचालन करती है। परिषद के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए परिषद का कुल स्वीकृत बजट 663 लाख रुपये है।

परिषद मुख्य रूप से पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन के खिलाफ प्रेस की शिकायत या प्रेस द्वारा अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की शिकायतों के मामलों पर निर्णय के माध्यम से अपने कार्यों का निर्वहन करती है। जांच के बाद यदि कोई समाचार पत्र या समाचार एजेंसी पत्रकारिता के आदर्शों के मानकों के खिलाफ या लोक रुचि या एक संपादक या श्रमजीवी पत्रकार कोई भी पेशेवर कदाचार करते पाया जाता है तो परिषद उन्हें चेतावनी, धिक्कार या निंदा या उनके आचरण को अस्वीकृत कर सकती है। परिषद के पास यह अधिकार है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता में बाधक सरकार सहित किसी भी संस्था के आचरण पर अपनी टिप्पणी कर सकती है। परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और संविधान के प्रासंगिक लेख के तहत रिट के माध्यम को छोड़कर किसी न्यायालय में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

परिषद के समक्ष शिकायतें

एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के बीच भारतीय प्रेस परिषद के पास 677 शिकायतें पहुंची, जिसमें से 181 मामले प्रेस द्वारा दर्ज कराए गए जबकि 496 मामले प्रेस के खिलाफ दर्ज हुए, पूर्व के लंबित मामलों को मिलाकर कुल मामले 1938 हैं। इनमें से परिषद ने 149 मामलों पर निर्णय सुनाया (परिषद के समक्ष प्रस्तुत 4 मामलों समेत), जबकि 591 मामले बिना मौखिक पूछताछ के बंद कर दिए गए। एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के बीच परिषद ने 740 मामलों को खारिज कर दिया। शेष 1198 मामले प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और इनके शीघ्र निपटान के लिए समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद ने निम्नलिखित रिपोर्ट को स्वीकार किया और अपनाया:

1. पत्रकारों की सुरक्षा पर रिपोर्ट
2. पत्रकार (श्री जगेंद्र सिंह) की शाहजहांपुर में हत्या पर रिपोर्ट
3. मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता में प्रवेश करने से मना करने पर रिपोर्ट: साक्षी और नमस्ते तेलंगना के पत्रकार
4. ओडिशा में विज्ञापन के मुद्दों के परीक्षण पर रिपोर्ट

परिषद द्वारा निम्नलिखित मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया गया

इन मामलों में स्वत: संज्ञान लिए गए (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 6 मई, 2015 को जारी सर्कुलर जो प्रेस की स्वतंत्रता पर अपमानसूचक टिप्पणी करता है, (2) मुंबई में पत्रकार श्री राघवेंद्र दुबे की हत्या और अन्य पत्रकारों पर क्रूर हमला, (3) पश्चिम बंगाल के पत्रकार श्री छयन सरकार का लापता होना, (4) उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री विजय बहादुर पाल द्वारा मीडिया को धमकी, (5) *हिंदुस्तान* समाचार-पत्र के कार्यालय के साथ पत्रकारों/कर्मचारियों पर हमला और पुलिस की निष्क्रियता, (6) नौकरशाहों के पत्रकारों के साथ जानकारी साझा करने पर रोक लगाने वाला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश, (7) महाराष्ट्र सरकार द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर राजद्रोह पर 27 अगस्त, 2015 को जारी सर्कुलर नंबर 014/1272/63, (8) अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा चंदौली, वाराणसी के पत्रकार श्री हेमंत यादव की हत्या, (9) पश्चिम बंगाल में नगरीय चुनावों के दौरान पत्रकारों पर सताधारी पार्टी के गुंडों द्वारा हमला, (10) गया (बिहार) में दैनिक जागरण के संवाददाता मिथिलेश पांडे की हत्या, (11) असम राइफल्स द्वारा नगालैंड मीडिया पर झूठी अधिसूचना। परिषद ने एक पत्रिका द्वारा गृह मंत्री के गलत बयान छापने और एक कार्टून के प्रकाशन पर लोकमत पर हुए हमले पर भी स्वत: संज्ञान लिया।

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

प्रेस और पंजीकरण कानून, 1867 की धारा 8सी भारतीय प्रेस परिषद की धारा 6 या उक्ती अधिनियम की धारा 8बी के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। इस बोर्ड में एक चेयरमैन और एक सदस्य होता है। भारतीय प्रेस परिषद अपने सदस्यों में से एक सदस्य को नामित करता है। समीक्षाधीन अवधि में दो बैठकों के दौरान इसने 9 मामलों की सुनवाई की है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2015

राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल का विषय 'अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्टून और कैरीकेचर का प्रभाव' रखा गया था। परिषद ने प्रेस दिवस समारोह 2015 को देश के दो दिग्गज कार्टूनिस्ट श्री आर. के. लक्ष्मण और राजिंदर पुरी की याद में समर्पित करने का निर्णय लिया।

इस समारोह का उद्‌घाटन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने किया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत के माननीय राष्ट्रपति के चित्रण पर एक प्रदर्शनी भी इस अवसर पर प्रदर्शित की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय सहभागिता

बांग्लादेश प्रेस परिषद के एक दल ने 15 से 18 नवंबर, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। बांग्लादेश प्रेस परिषद के चेयरमैन श्री जस्टिस मोहम्मद ममताज उद्दीन अहमद और इसके सदस्यों ने माननीय चेयरमैन श्री जस्टिस सी.के. प्रसाद के साथ भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों से 17 नवंबर, 2015 को मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रेस परिषद की रचना, कार्यों और शक्तियों तथा उसके धन प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। प्रतिनिधिमंडल ने पेड न्यूज, पत्रकारों की सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके कार्य तथा सामग्री के अधिकार क्षेत्र पर भी विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा से दोनों दलों को फायदा हुआ और दोनों ओर से भविष्य में भी मुलाकात करने का आश्वासन दिया गया।

पारदर्शिता तंत्र

भारतीय प्रेस परिषद के सचिव इसके मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं। परिषद की विजिलेंस टीम में उप सचिव, अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल होते हैं, यह टीम सीधे सचिव/मुख्य सतर्कता अधिकारी और परिषद के चेयरमैन की सीधी देखरेख में सचिवालय में किसी भी भ्रष्ट आचरण की निगरानी करती है।

आंतरिक एवं बाह्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है, प्रेस परिषद के सचिव निवारण तंत्र के निदेशक होते हैं। स्टाफ से संबंधित शिकायतों की सुनवाई परिषद का स्टाफ शिकायत अधिकारी सुनता है। यह उप सचिव स्तर का अधिकारी होता है। भारत सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए तय आरक्षण नीति परिषद के सचिवालय में भी लागू होती है।

राजभाषा का प्रचार

परिषद जो कि पहले से ही राजभाषा नियम, 1976 (1987 में संशोधित) के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है, राजभाषा के रूप से हिंदी भाषा के प्रचार पर विशेष ध्यान देती है। इसके स्टाफ के ज्यादातर सदस्यों, को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठक प्रत्येक तिमाही आयोजित की जाती है। कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए परिषद के सचिवालय में 14 सितंबर, 2015 से 28 सितंबर, 2015 के बीच हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस का मुख्य कार्यक्रम 23 सितंबर को आयोजित हुआ। इस अवसर पर सचिवालय में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'संविधान के साक्षी और 14 सितंबर, 1949' प्रदर्शित की गई। इसके बाद माननीय चेयरमैन और परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना संदेश देने के साथ ही परिषद में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारियों को कार्यालय के काम में हिंदी के प्रयोग के लिए "हिंदी प्रोत्साहन योजना" के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए।

आकाशवाणी दिल्ली से विविध भारती की एफएम सेवा की शुरुआत करते हुए श्री अरुण जेटली

5 प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां

भारत में प्रसारण क्षेत्र की झलक

1. भारत में केबल और सेटेलाइट टेलीविजन बाजार का उद्भव 1990 के दशक के प्रारंभ में खाड़ी युद्ध और स्वदेशी मीडिया कंपिनयों के विकास के कारण हुआ। इस उद्योग का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके ग्राहकों की संख्या 1992 में सिर्फ 0.41 मिलियन की तुलना में 2014 के अंत तक 168 मिलियन से अधिक हो गई है। भारत में 31.12.2015 तक करीब 847 टीवी चैनल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड 655 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)? डीटीएच/सैटेलाइट टीवी ऑपरेटर, 2 एचआईटीएस ऑपरेटर और अनेक आईपीटीवी सेवा प्रदाता हैं।

2. टेलीविजन उद्योग में कंटेंट (सामग्री) उत्पादन, प्रसारण और वितरण तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। कंटेंट उत्पादन उद्योग का नियंत्रण नहीं किया जाता जबकि प्रसारण और वितरण क्षेत्र का नियंत्रण सूचना और प्रसारण मंत्रालय व भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किया जाता है। निर्धारित नीति के अनुसार, विदेश से बड़ी संख्या में चैनलों के सेटेलाइट फुटप्रिंट भारत में उपलब्ध हैं। इन चैनलों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपलिंकिंग नीति/दिशा-निर्देशों और डाउनलिंकिंग नीति/ दिशा-निर्देशों के तहत जनता के लिए वितरक वितरित कर सकते हैं। प्रसारक द्वारा अपनाए गए राजस्व मॉडल पर आधारित कोई टीवी चैनल या तो पे-चैनल या फ्री-टू-एयर (एफटीए) हो सकता है। पे-चैनलों का राजस्व मॉडल टीवी चैनल वितरकों द्वारा प्राप्त किये गये उपभोक्ताओं से फीस और चैनलों पर विज्ञापनों से प्राप्त आय पर आधारित हो सकती है। जबकि फ्री-टू-एयर चैनलों का राजस्व मॉडल सिर्फ विज्ञापनों से प्राप्त आय पर निर्भर होता है। वितरकों को पे-चैनलों के साथ वार्षिक भुगतान के आधार पर अपने नेटवर्कों पर कंटेंट के वितरण के लिए एक समझौता करना होता है। भारत में चार प्रकार से वितरण की अनुमति है। इनमें केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवाएं और हेड-एंड-इन-दी-स्काई सेवाएं (हिट्स) हैं। भारत में करीब 847 अनुमति प्राप्त निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल हैं।

3. भारत में केबल टीवी सेवाओं का नियमन केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत बने नियमों और आदेश से होता है। साथ में प्रसारण सेवाओं के विनियामक ट्राई द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों द्वारा किया जाता है। चूंकि केबल अधिनियम में यह प्रावधान है कि केबल आपरेटरों का पंजीकरण डाक प्राधिकरणों में हो इसलिए उनकी वास्तविक संख्या से संबंधित प्राधिकृत सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केबल टीवी सेवाओं की चार श्रृंखला हैं। इनमें प्रसारक, मल्टीसिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), स्थानीय केबल आपरेटर (एलसीओ) और अंतिम उपभोक्ता शामिल है। प्रसारक टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट के मालिक होते हैं जो दर्शकों को प्राप्त होता हैं। आपूर्ति श्रृंखला में प्रसारक की भूमिका कंटेंट उपग्रह तक अपलिंक करना होता है और एमएसओ उपग्रह से चैनल को डाउनलिंक करता है और उसे इन्क्रिप्टेड या डीक्रिप्टेड कर लोकल केबल आपरेटर तक पहुंचाता है। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में भारतीय बाजार में तकरीबन छह हजार एमएसओ उपलब्ध हैं। इनमें 655 सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत हैं। एमएसओ का व्यवसाय प्रसारक के कंटेंट और लोकल केबल वाले की अंतिम छोर तक कनेक्टीविटी और सब्सक्रिप्शन वसूली पर निर्भर करता है। एमएसओ को टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए एक हेडएंड की आवश्यकता होती है। आपूर्ति श्रृंखला में एलसीओ की भूमिका एमएसओ से फीड (सिग्नल) प्राप्त करना है और केबलों के माध्यम से अपने इलाके में सिग्नलों को ग्राहकों तक पहुंचाना है। केबल उद्योग का अनुमान है कि देश में तकरीबन 60 हजार स्थानीय केबल ऑपरेटर उपलब्ध हैं। एमएसओ ग्राहकों को सीधे भी सिग्नल उपलब्ध करा सकते हैं।

4. देश में डीटीएच सेवाओं को 15.3.2001 को भारत सरकार द्वारा जारी डीटीएच सेवाओं से संबंधित नीतिगत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई थी। प्रथम डीटीएच सेवा प्रदाता ने अपनी सेवाओं का संचालन 2.10.2003 को शुरू कर दिया था। उस समय से अब तक निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की संख्या तक बढ़ गई है। इसके अलावा दूरदर्शन भी फ्री-टू-एयर आधारित डीटीएच सेवा प्रदान करता है। डीटीएच सेवा प्रदाता प्रसारकों द्वारा अपलिंक किए गए सेटेलाइट टीवी चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करता है, उन चैनलों को यथा आवश्यकता डिक्रिप्ट करता है, सिग्नलों को एकत्र करके उन्हें पुनः इनक्रिप्ट करता है और अपने अर्थ स्टेशन के माध्यम से सेटेलाइट को भेजता है और उसे अधिकृत उपभोक्ता तक पहुंचाता है। उपभोक्ताओं

को छत पर एक छोटा डिश एंटीना लगाना होता है। वहां से सिग्नल सेटटॉप बाक्स से टीवी पर प्राप्त किया जाता है। सेटेलाइट सुविधा संपूर्ण भारत में उपलब्ध होने के कारण डीटीएच सेवाएं दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में समाचार और मनोरंजन चैनलों के वितरण का महत्वपूर्ण साधन हैं। डीटीएच के माध्यम से कंटेंट का प्रेषण डिजीटल तरीके से होता है इसलिए डीटीएच सेवाओं में अच्छी गुणवता वाली पिक्चर मिलती है। इस माध्यम से अनेक प्रकार की मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। डीटीएच सेवा सीमित उपग्रह ट्रांस्पोंडर क्षमता, वर्षा या खराब मौसम के कारण प्रभावित होती है।

5. भारत में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाएं को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 8.9.2008 जारी आईपीटीवी सेवा के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। इन दिशा-निर्देशों में इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए केबल आपरेटरों के साथ-साथ योग्य टेलीकॉम या इंटरनेट प्रावधान किए गए हैं। आईपीटीवी सेवाएं डिजीटल कंटेंट और संवादात्मक सेवाएं प्रदान करती हैं इसलिए आईपीटीवी सेवाओं का विकास ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी की पहुंच और विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है।

भारत में सेटेलाइट टीवी चैनलों की स्थिति

1. नीति

वर्ष 2000 में पहले निजी टीवी चैनल को भारत की धरती से अपलिंक करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इससे पहले निजी टीवी चैनलों को केवल विदेश से ही अपलिंकिंग करने की अनुमति थी। भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के कई गुणा विकास और देश से ही टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग करने की बढ़ती मांग को देखते हुए 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाउनलिंकिंग के लिए नीति और दिशा-निर्देश तय किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों को दिसंबर 2011 में संशोधित किया गया। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं :

(क) अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के तहत समाचार एवं सम-सामायिकी टीवी चैनल को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधी मापदंड:

- आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए।
- आवेदक कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा पेड-अप इक्विटी का 26 प्रतिशत से अधिक न हो।
- शेयर होल्डरों में सबसे बड़े भारतीय शेयर होल्डर के पास कम्पनी की कुल इक्विटी का 51 प्रतिशत होना चाहिए।
- पहले चैनल की कंपनी का सकल मूल्य (नेट वर्थ) 20 करोड़ रुपये और उसके बाद के प्रत्येक चैनल के लिए अतिरिक्त चैनल के लिए 5 करोड़ रुपए होना चाहिए।
- कम्पनी के निदेशक मंडल के निदेशक तथा सभी कार्यकारी अधिकारियों और संपादकीय मंडल के कम-से-कम तीन/चौथाई लोग भारतीय नागरिक होने चाहिए।
- कम्पनी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व जहां तक संभव हो शेयर होल्डिंग के समानुपाती हो।
- टीवी चैनलों को अपलिंक करने के लिए वार्षिक शुल्क 2 लाख रुपये प्रति चैनल होगा।
- आवेदक कम्पनियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या-एक के साथ 10,000 हजार रुपये का प्रक्रिया शुल्क लगाकर आवेदन कर सकती हैं।

(ख) अपलिंकिंग निर्देशों के अनुसार भारत से गैर-समाचार तथा सम-सामयिकी टीवी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड

- आवेदक की कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए। कम्पनी का मालिकाना हक, इक्विटी ढांचा या प्रबंधन व्यवस्था चाहे किसी का भी हो, इसका उद्देश्य भारतीय दर्शक होने चाहिए।
- पहले चैनल के लिए कंपनी की सकल मूल्य (नेट वर्थ) 5 करोड़ रुपये और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 2.50 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
- टीवी चैनलों को अपलिंक करने के लिए वार्षिक शुल्क 2 लाख रुपये प्रति चैनल होगा।
- आवेदक कम्पनियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या-1 में 10,000 हजार रुपये प्रक्रिया शुल्क के साथ आवेदन कर सकती हैं।

(ग) अपलिंकिंग निर्देशों के अनुसार टेलीपोर्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधी मापदंड

- आवेदक की कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।
- एनआरआई/ओसीबी/पीआईओ सहित विदेशी इक्विटी होल्डिंग 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। (एफडीआई नीति-2013 के मुताबिक)
- नेटवर्थ की आवश्यकता: चैनल की क्षमता चाहे कुछ भी हो, टेलीपोर्ट की स्थापना के लिए नेटवर्थ यानी सकल मूल्य का नियम समान होना चाहिए। यह राशि पहले टेलीपोर्ट की स्थापना के लिए 3 करोड़ और प्रत्येक अतिरिक्त टेलीपोर्ट के लिए एक करोड़ रुपये होगी।
- टेलीपोर्ट की स्थापना की अनुमति के लिए वार्षिक शुल्क 2 लाख रुपये प्रति टेलीपोर्ट होगा।

- आवेदक कम्पनियां आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या-1 और 10,000 हजार रुपये के प्रक्रिया शुल्क के साथ आवेदन कर सकती हैं।
- टेलीपोर्ट की अनुमति 10 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद नवीनीकरण भी 10 वर्ष के लिए किया जाएगा।

(घ) डाउनलिंक दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत से गैर-समाचार तथा सम-सामयिकी टीवी चैनलों को डाउनलिंक करने की अनुमति/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधी मापदंड

- आवेदक की कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए। कम्पनी का मालिकाना हक, इक्विटी ढांचा या प्रबंधन व्यवस्था भले ही किसी का भी हो।
- पहले चैनल के लिए कंपनी की सकल मूल्य (नेट वर्थ) 5 करोड़ रुपये और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 2.50 करोड़ रुपये होने चाहिए।
- आवेदक चाहे किसी भी चैनल का मालिक हो, उसका डाउनलिंक होने वाला चैनल भारतीय सीमा क्षेत्र के नागरिकों के लिए होना चाहिए। उसके मार्केटिंग/वितरण के अधिकार भी भारतीय सीमा क्षेत्र के लिए होने चाहिए। उसके विज्ञापन एवं सब्सक्रिप्शन राजस्व भी भारत के लिए हो, आवेदक को आवेदन के समय समुचित प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।
- डाउनलिंक किये जाने वाले चैनलों के पास देश के प्रसारण नियामक अथवा लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा प्रसारण करने का लाइसेंस होने चाहिए। इसे भी आवेदन के समय जमा कराना होगा।
- भारत से अपलिंक हो रहे चैनल की डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति शुल्क 5 लाख रु. प्रतिवर्ष प्रति चैनल होगा।
- विदेश से अपलिंक हो रहे चैनल को डाउनलिंक करने के लिए अनुमति शुल्क 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति चैनल होगा।
- आवेदक कंपनी निर्धारित आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन सकती है। इसकी प्रोसेसिंग फीस 10 हजार रुपये है।

(च) डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अनुसार भारत से समाचार तथा समसामयिक टीवी चैनल को डाउनलिंक करने की अनुमति/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधी मापदंड

- आवेदक कंपनी भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो। भले ही इसका इक्विटी ढांचा, विदेशी मालिकाना या प्रबंधन नियंत्रण कैसा ही क्यों न हो।
- पहले चैनल के लिए सकल मूल्य 5.00 करोड़ रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 2.50 करोड़ रुपये।
- आवेदक कंपनी का या तो अपना चैनल हो जिसे वह दर्शकों को दिखाने के लिए डाउनलिंक करना चाहती हो, या उसके पास भारतीय क्षेत्र में विशिष्ट विपणन/वितरण का अधिकार हो जिसमें चैनल पर विज्ञापन तथा चंदे से होने वाले राजस्व का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही उसे आवेदन करते समय इस संबंध में पर्याप्त प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।
- डाउनलिंक चैनल लाइसेंस शुदा हो या नियामक से उसे प्रसारण की अनुमति मिली हो। अनुमति प्रसारण अधिनियम के तहत या देश में प्रसारण के लिए लाइसेंस अधिकृत, प्रमाण इत्यादि आवेदन के समय प्रस्तुत करने होंगे।
- समाचार और समसामयिक विषयों पर चैनल की अनुमति के लिए अतिरिक्त शर्तें :
  - ➢ इसमें भारतीय दर्शकों के मद्देनजर कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा।
  - ➢ वह विशेष रूप से भारतीय दर्शकों के लिए डिजाइन नहीं किया गया हो।
  - ➢ वह चैनल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।
  - ➢ देश में प्रसारण अपलिंकिंग हेतु अनुमति प्रसारण अधिनियम के तहत दिया जाएगा।
- भारत में टीवी चैनल के अपलिंक अनुमति के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति चैनल फीस तय है।
- विदेशों में टीवी चैनल के अपलिंक अनुमति के लिए 15 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति चैनल फीस तय है।

संशोधित दिशा-निर्देशों की अतिरिक्त विशेषताएं:

(1) सभी टीवी चैनलों को अनुमति की तिथि से एक साल की अवधि के भीतर अपने चैनलों को चालू करना होगा। गैर-समाचार एवं सम-सामयिकी चैनलों को एक करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी पर हस्ताक्षर करने होंगे, वहीं समाचार एवं सम-सामयिकी चैनलों को दो करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यदि चैनल एक वर्ष के भीतर चालू नहीं हुए तो प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा और अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

(2) चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति समान रूप से 10 वर्ष के लिए होगी।

(3) समाचार और गैर-समाचार दोनों ही चैनलों के प्रबंधन में शीर्ष पद-जैसे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य संचालन अधिकारी या मुख्य

बीईएस एक्सपो 2016 में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

तकनीकी अधिकारी को मीडिया में काम करने का न्यूनतम 3 वर्ष का पूर्व अनुभव होना चाहिए।

(4) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति के बाद कंपनी एक्ट के तहत चैनलों को मर्जर और डिमर्जर या एकीकृत करने के प्रस्ताव के लिए अनुमति दी जाएगी।

(5) टीवी चैनल की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी। टीवी चैनलों के नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष की होगी लेकिन साथ ही यह शर्त होगी कि उसने किसी कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पांच बार या उससे अधिक उल्लंघन नहीं किया हो। उल्लंघन का फैसला का फैसला स्व-नियमन के तहत स्थापित मानदंडों के अनुसार विचार-विमर्श के बाद तय किया जाएगा।

(6) विदेशों और वहां के दर्शकों के लिए भारत से अपलिंक तथा संचालित चैनलों को लक्षित देश के नियम और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

2. नए उपग्रह टीवी चैनलों के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया

अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नीति निर्देशों में दिए गए पात्रता मापदंड के प्रकाश में नए टीवी चैनलों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। कंपनी तथा उसके निदेशक मंडल के मामले में सुरक्षा अनुमति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। आवेदनो को साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग/राजस्व विभाग को आवश्यक स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अन्य पात्रता मानदंडो के साथ-साथ कंपनी की नेट वर्थ की भी जांच की जाएगी। अंतर-मंत्रालयी अनुमति मिलने के बाद आवेदकों से पंजीकरण और अनुमति शुल्क लेने के बाद अनुमति पत्र जारी किये जाएंगे।

क-टीवी चैनलों का विकास

1. वर्ष 2000 में पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल 'आज तक' को अनुमति दी गई। तबसे देश में बड़ी संख्या में निजी उपग्रह टीवी चैनलों का विस्तार हो रहा है। 31 दिसम्बर 2015 तक मंत्रालय 847 चैनलों को अनुमति दे चुका है। अपलिंकिंग तथा डाउनलिंकिंग निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदत्त चैनलों की संख्या

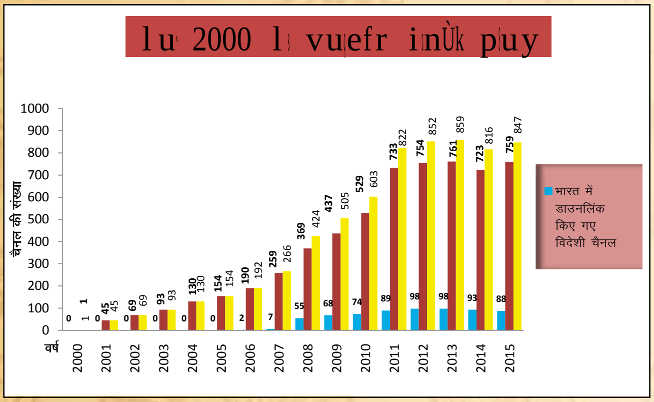

2. मंत्रालय द्वारा दो प्रकार के टीवी चैनलों को अनुमति दी गई है। पहली श्रेणी समाचार एवं सम-सामयिकी टीवी चैनल की है और दूसरी श्रेणी में गैर-समाचार एवं सम-सामयिकी टीवी चैनल हैं। कुल अनुमति प्राप्त चैनलों में समाचार तथा गैर समाचार चैनलों का हिस्सा यहाँ देखा जा सकता है:

श्रेणीवार अनुमति प्राप्त चैनल

अनुमति प्राप्त टीवी चैनल (समाचार तथा गैर-समाचार)

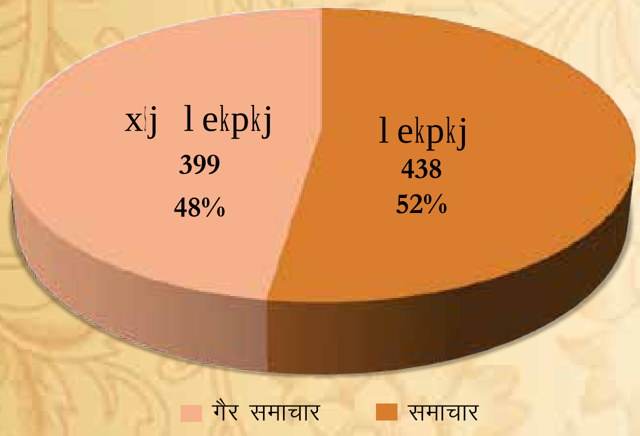

ख-टेलीपोर्टों का विकास

मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की संख्या

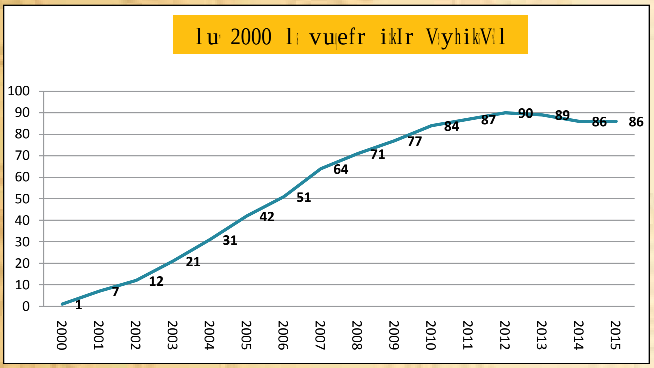

ग. दर्शकों की पसंद के अनुसार चैनलों का विकास

समाचार, खेल, सूचना-मनोरंजन, धार्मिक, स्वास्थ्य और लाइफ स्टाइल सी विशिष्ट श्रेणी में मनोरंजक चैनलों की संख्या में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। डिजिटलीकरण बढ़ने से प्रसारकों को इस श्रेणी में और भी चैनलों को शुरू करने का मौका मिलेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि विदेशों की तरह भारत में भी खान-पान, मोटर वाहन, बागवानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विशेष श्रेणी के चैनल अपनी जगह बनाएंगे। इससे प्रसारकों को स्थानीय सामग्री और विज्ञापनों को लेने का मौका मिलेगा जिससे उन्हें ऊंची दरों पर विज्ञापन मिलेंगे।

भारतीय मीडिया और मनोरंजन का विकास

भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग सकारात्मक विकास की तरफ बढ़ रहा है। फिक्की-केपीएमजी की भारतीय मीडिया मनोरंजन उद्योग रिपोर्ट 2015 के मुताबिक भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 2013 में 918 बिलियन रुपये से बढ़कर 2014 में 1026 बिलियन रुपये हो गया है। यह विकास 11.7 प्रतिशत की दर से हुई है। अंदाजा है कि अगले पांच सालों में समग्र वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) के अनुसार 13.9 प्रतिशत होगी। तब यह आंकड़ा 1964 बिलियन रुपये पहुंच जाएगा। टेलीविजन के दबदबे के बावजूद आज इस कारोबार में एनिमेशन, वीएफएक्स, डिजिटल विज्ञापन और गेमिंग रहा है और इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि रेडियो का विकास अगले पांच सालों में 18.1 प्रतिशत की दर से होगा। 2014 में इसका हिस्सा 17.2 बिलियन रुपये से बढ़कर 2019 तक 39.5 बिलियन हो जाएगा। यह एक स्वस्थ विकास को उजागर कर रहा हैं। फिक्की केपीएमजी ने अनुमान लगाया है कि प्रिंट मीडिया की विकास दर गिरेगी और यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में दूसरे नंबर पर रहेगा। डिजिटल विज्ञापन की सीएजीआर विकास दर अगले पांच वर्षों 2014 से 2019 तक के लिए 30.2 प्रतिशत रहेगी।

lkj.kh % Hkkjrh; ehfM;k vkSj euksjatu m|ksx dk vkdkj vkSj vuqeku

(अरब रु. में)

ehfM;k rFkk euksjatu m|ksx	2013	2014	2015 (ih)	2016 (ih)	2017 (ih)	2018 (ih)	2019 (ih)	lhth,vkj 2014-2019 (%)
Vhoh	417.2	474.9	543.2	631.2	739.6	854.6	975.5	15.5%
fiazV	243.1	263.4	284.5	307.1	331.9	358.0	386.8	8.0%
fQYe	125.3	126.4	136.3	155.6	170.7	186.3	204.0	10.0%
jsfM;ks	14.6	17.2	19.6	22.3	27.0	32.8	39.5	18.1%
laxhr	9.6	9.8	10.4	12.0	14.2	16.9	18.9	14.0%
vkvk,p	19.3	22.0	24.4	27.1	29.1	32.2	35.1	9.8%
,fues'ku rFkk oh,Q,Dl	39.7	44.9	51.0	58.7	68.5	80.6	95.5	16.3%
xsfeax	19.2	23.5	27.5	31.8	35.4	40.0	45.8	14.3%
fMftVy foKkiu	30.1	43.5	62.5	84.0	115.3	138.2	162.5	30.2%
dqy	**918**	**1026**	**1159**	**1330**	**1532**	**1740**	**1964**	**13.9%**

स्रोतः फिक्की केपीएमजी भारतीय मीडिया मनोरंजन उद्योग रिपोर्ट 2015

घ. भारत में टेलीविजन उद्योग का विकास

मीडिया उद्योग का सबसे बड़ा हिस्सा अकेला टेलीविजन माध्यन बना हुआ है चाहे वह राजस्व का मामला हो या फिर प्रतिनिधित्व का। टीवी मीडिया उद्योग का 45 प्रतिशत हिस्सा है। टीवी अभी भारत के 61 प्रतिशत घरों में जा चुका है। इसलिए इसके विकास की और ज्यादा संभावनाएं हैं। 2014 तक करीब 168 मिलियन घरों में टीवी है। केबल और सेटेलाइट उपभोक्ताओं की संख्या 2014 में 10 मिलियन बढ़कर 149 मिलियन पहुंचेगी। डीडी डायरेक्ट को छोड़कर केबल तथा सेटेलाइट उपभोक्ताओं की संख्या 139 मिलियन होने का अनुमान हैं जिसका अर्थ है कि इसका प्रतिशत 82 हो जाएगा। अनुमान है कि 2019 तक केबल सेटेलाइट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 175 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यह भारत के घरों (जिनके पास टीवी हैं) की संख्या का 90 प्रतिशत होगा।

3. नई पहल

क : सुरक्षा अनुमतिः

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा अनुमति देने संबंधी प्रक्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए अनुदेश जारी किये हैं। सुरक्षा अनुमति को चैनलों की अनुमति के समाप्ति के साथ ही जोड़ा जाएगा। मंत्रालय गृहमंत्रालय के साथ समय–समय पर समन्वय बैठकें करता रहता है ताकि सुरक्षा अनुमति प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। वर्ष 2015 के दौरान 60 चैनलों (53 अपलिंकिंग चैनल + 7 डाउन–लिंकिंग चैनल) को अनुमति दी गई जो पिछले 3 वर्षों में जारी अनुमतियों से बढ़कर है।

ख : प्रसारण क्षेत्र में एफडीआई

उपग्रह प्रसारण, ऑपरेटिंग टेलीपोर्ट्स, डीटीएच प्लेटफॉर्म जैसे अत्यधिक सघन पूंजी क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह को आसान बनाने के मद्देनजर इस मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थीं ताकि एफडीआई को बढ़ाया जा सके। अन्तर मंत्रालयी समिति की बैठक में भी इस पर विचार–विमर्श हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और योजना विभाग ने इस क्षेत्र में एफडीआई सीमा को संशोधित करते हुए प्रेस नोट जारी किया।

4. पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाना

1. प्रत्येक महीने की 20 तारीख को प्रसारकों के साथ ओपन हाउस बैठक होती है। यह बैठक बहुत उपयोगी साबित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में इस बैठक में शामिल होने वाले प्रसारकों की संख्या बढ़ी है। इन बैठकों के फीडबैक से मंत्रालय को अनुमति संबंधी कार्य को तेजी से निपटाने और पारदर्शिता लाने में मदद मिलती है। नये और वर्तमान चैनलों के मामले, टेलीपोर्ट, एसएनजी/डीएसएनजी

वाहन के उपयोग, अस्थायी अपलिंकिंग के मामले, उपग्रह बदलने, नाम और लोगो बदलने, शेयर होल्डिंग पेटर्न में बदलाव, नये डायरेक्टर को शामिल करने, आफआईपीबी मंजूरी समेत अनेक मुद्दों पर खुले और निष्पक्ष चर्चा होती है। इन बैठकों से नये आवेदकों को न केवल मंत्रालय के अधिकारियों से सीधे बातचीत करने का मौका मिलता है बल्कि आवेदकों को किसी मध्यस्थ के बिना सीधे सूचना की सुविधा मिलती है। सीधा संवाद व्यवस्था में विश्वास जगाता है, बिना वजह की पत्राचार व टेलीफोन कॉल पर से निर्भरता कम करता है।

शीघ्र मंजूरी के लिए कदम उठाना

मंजूरियों को फास्ट–ट्रैक बनाने के लिए मंत्रालय के इनसैट विभाग मंजूरी का इंतजार किये बगैर प्रस्तावों को एक साथ गृहमंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को 10 दिन के भीतर भेज देता है। इससे विलम्ब में महत्वपूर्ण कमी होती है।

प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा

एफडीआई नीति की समीक्षा की गई है तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के प्रेस नोट नं 12 (2015 शृंखला) के अनुसार अनुच्छेद 6.2.7.1 तथा अनुच्छेद 6.2.7.2 प्रसारण क्षेत्र के लिए है जो इस प्रकार है :

क्षेत्र / गतिविधि	विदेशी निवेश सीमा	प्रवेश मार्ग
6.2.7.1.1 (1) टेलीपोर्ट्स (अपलिंकिंग हब्स / टेलीपोर्ट्स स्थापित करना (2) डाइरेक्ट टू होम (डीटीएच) (3) केबल नेटवर्क्स (राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्तर पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओएस) तथा डिजिटलीकरण तथा संबोधनीयता की दिशा में नेटवर्क का उन्नयन करना) (4) मोबाइल टीबी (5) हेडेंड इन द स्काई प्रसारण सेवा (हिट्स)	100%	प्रवेश मार्ग 49% तक स्वतः 49% से ऊपर सरकारी मार्ग
6.2.7.1.2 केबल नेटवर्क्स (अन्य एमएसओ जहाँ डिजिटलीकरण, संबोधनीयता तथा स्थानी केबल ऑपरेटर्स (एलसीओएस) की दिशा में नेटवर्क्स का उन्नयन नहीं हो सका)	100%	49% तक स्वतः 49% से परे फरवरी मार्ग
6.2.7.2.1 भौमिक एफएम प्रसारण (एफएम रेडियो) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की शर्तों के अनुसार एफएम रेडियो स्टेशन की अनुमति की मंजूरी के लिए, जैसा कि समय-समय पर विशेषीकृत किया गया है	49%	सरकार
6.2.7.2.2 समाचार तथा सम-सामयिक टीवी चैनलों का अपलिंकिंग	49%	सरकार
6.2.7.2.3 गैर समाचार तथा सम-सामयिक टीवी चैनलों का अपलिंकिंग टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग	100%	स्वतः

2. मानक फार्म और आवेदन पत्र

ऐसा देखा गया है कि आवेदक एसएनजी/डीएसएनजी वाहनों को खरीदने या किराये पर लेने के लिए आवेदन करता है तो वह जरूरी सूचना और कागजात देने में नाकामयाब रहता है। एसएनजी/डीएसएनजी वाहनों को खरीदने या किराये पर लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मंत्रालय ने एक समग्र आवेदनपत्र का प्रारूप तैयार कर मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया है। इसमें आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तार से दिशा-निर्देश शामिल किया है। गलतियों को दूर करने के लिए एक मास्टर चेक लिस्ट और प्रोसेसिंग टेम्पलेट भी उपलब्ध कराई गई है।

नाम, लोगो, टेलीपोर्ट, उपग्रह बदलने और भाषा जोड़ने के मामलों में लंम्बे-लंम्बे नोट न केवल विभाग के कर्मचारियों को शीघ्र काम करने में बाधा बनते थे बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को फैक्ट शीट एक नजर में देख कर निर्णय लेने में दिक्कत होती थी। त्वरित निर्णय लेने में एक नयी टेम्पलेट का डिजाइन तैयार किया गया है। यह न केवल प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने में मददगार होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई महत्वपूर्ण मानदंड छूट तो नहीं गया है। फाइल को मंजूरी के लिए भेजने से पहले एक चेक लिस्ट भी पूरी की जाएगी।

3. सेटेलाइट टीवी एप्लीकेशन ट्रेकिंग सिस्टम (एसटीएटीएस)

कंपनियों के लम्बित मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए सेटेलाइट टीवी एप्लीकेशन ट्रेकिंग सिस्टम (एसटीएटीएस) सॉफ्टवेयर 21 जनवरी, 2010 से चालू कर दिया गया है। इस खास सॉफ्टवेयर को एनआईसी ने विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर से आवेदक को निजी उपग्रह टीवी चैनल के आवेदन पत्र की स्थिति का पता लग जाता है। इस सॉफ्टवेयर पर नियमित रूप से डाटा अपलोड किए जाते हैं ताकि आवेदक को अपने आवेदन की ताजा स्थिति की जानकारी मिलती रहे।

4. टीवी (इनसेट विभाग) के लिए समग्र ऑनलाइन पोर्टल का विकास

वर्ष 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देश में टीवी चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति देने का अधिकार है। मंत्रालय ने आवेदकों के लिए जरूरी अनुमति लेने के लिए एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध करायी है। इस प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, कागज भी ज्यादा लगता है और मंत्रालय के ज्यादा कर्मचारी भी जुटे रहते हैं। इस कारण अक्सर जरूरी लाइसेंस जारी करने में विलम्ब हो जाता है और जमा किये गये कागजात खोने की आशंका रहती है। चैनलों के सामग्री की निरंतर और योजनाबद्ध निगरानी में दिक्कतें आती हैं। संबंधित एजेंसियों, विभागीय कर्मचारियों और वेंडरों के लिए आवेदन की ऑन लाइन स्थिति जानने के लिए एक सुरक्षित ऑन लाइन पोर्टल विकसित किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सभी हितधारकों को आवेदन करने, निगरानी प्रबंधन और जरूरी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक समग्र ऑन लाइन समाधान ढूँढ़ने की कोशिश है जिसके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति देने/पंजीकरण/लाइसेंस देने का कार्य हो सके। इसे पूरा करने का कार्य बेसिल को सौंपा गया है और इसका निर्माण अंतिम स्तर पर है। यह पोर्टल शुरू होने के बाद प्रस्तावों का शीघ्र निपटान होगा और व्यवस्था में पारदर्शिता आयेगी।

टीवी चैनलों की सामग्री (कंटेंट) का नियमन

1. टेलीविजन पर प्रसारित सामग्री का विनियमन काफी चर्चा का विषय रहा है। उपग्रह चैनलों की सामग्री का नकारात्मक प्रभाव भारतीय नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर रहा है खासकर महिलाओं और बच्चों, जो कि सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, को लेकर हो रही चिंता का समाधान संविधान में प्रदत बोलने और रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए टीवी चैनलों की सामग्री को अनुकूल बनाना है। भारत में टेलीविजन उद्योग प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है। ऐसे में विभिन्न टीवी चैनलों के बीच प्रतियोगिता दिन-प्रतिदिन कड़ी होती जा रही है। मंत्रालय ने पहले ही 847 निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अनुमति दे दी है जिनमें से 449 गैर समाचार तथा सम-सामयिक चैनल तथा 398 समाचार एवं सम-सामयिकी चैनल हैं (31.12.2015 के आँकड़ों के अनुसार)। पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी के चैनलों के बीच प्रतियोगिता और भी कड़ी हो गयी है जबकि बाजार स्थिर बिंदु पर पहुंच चुका है। डीटीएच सेवाओं में तेजी से विकास होने के बावजूद आज भी चैनलों का वितरण केबल आपरेटरों द्वारा किया जा रहा है जो एनालॉग तकनीक का प्रयोग करते हैं और जिनकी वहन क्षमता सीमित है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि केबल टीवी नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 तथा इसके अंतर्गत नियमों के तहत प्रत्येक प्रसारणकर्ता को कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनिवार्य पालन करने का निर्देश दिया गया है।

3. आईपीटीवी समेत अन्य माध्यमों से दिखाये जाने वाले वीडियो की सामग्री पर केबल एक्ट के अधीन कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता लागू होती है।

4. मंत्रालय मुख्यतः अश्लीलता, महिलाओं की छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना, बच्चों पर बुरे प्रभाव, गुमराह करने के लिए बनाए गए विज्ञापन, गलत खबर और मानहानि वाली खबरें दिखाना जैसे विषयों पर कार्रवाई करता है। इन सभी मामलों में मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और जहां आवश्यक हो वहां परामर्श, चेतावनी या क्षमा-प्रार्थना प्रसारित करने के आदेश जारी किए जाते हैं।

5. 1.4.2015 से 22.1.2016 के बीच मंत्रालय ने विभिन्न चैनलों को विभिन्न परामर्श, चेतावनी, आदेश जारी किये। इसकी जानकारी विस्तार से नीचे दी जा रही हैः

   1) 01 सामान्य परामर्श – सुरक्षा बलों द्वारा गैर आतंकवादी ऑपरेशन की लाइव कवरेज के प्रसारण पर टीवी चैनलों को परामर्श पत्र जारी किए गए।

   2) 01 विशेष परामर्श - एशिया टीवी चैनल को कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

   3) 06 चेतावनी - कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए चैनलों को निर्देश जारी किया गया।

   4) 02 आदेश - विभिन्न चैनलों को कुछ दिन प्रसारण रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए।

   5) 02 आदेश - चैनलों को माफी मांगने के लिए स्क्रॉल चलाने को कहा गया।

अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमसी)

6. उपग्रह चैनलों की सामग्री की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, समिति में कुछ और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति तय करती है कि चैनलों ने किसी नियम का उल्लंघन किया है या नहीं। 2011 में समिति का पुनर्गठन किया गया है, उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। यह समिति सुझाव देती है। समिति के सुझाव के आधार पर दंड और दंड की सीमा मंत्रालय तय करता है। सामान्य तौर पर मंत्रालय चेतावनी, परामर्श और माफीनामा स्क्राल चलाने की हिदायत देता है। कभी-कभी उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए चैनलों का प्रसारण अस्थायी तौर पर या कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)

7. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सशक्त माध्यम है, जो आम जनता के विचारों को बहुत प्रभावित कर सकता है। सभी विकसित लोकतांत्रिक देश प्रसारण क्षेत्र और प्रसारण किये जाने वाली सामग्री का नियमन कर चुके हैं। इसलिए जनता की चिंताओं को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) की स्थापना की गयी है। इस अतिआधुनिक सुविधा युक्त सेंटर में केबल टीवी अधिनियम 1995 के अधीन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य होता है : (1) उपग्रह टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन को संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री की निगरानी की जाती है। (2) निजी एफएम चैनलों के लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाली सामग्री की रिकार्डिंग की जाती है ताकि उपभोक्ताओं को अवांछित सामग्री से बचाया जा सके। केंद्र चौबीस घंटे सातों दिन काम करता है। 30.11.2014 से इस केंद्र में 400 चैनलों की निगरानी की जा रही है। आने वाले समय में 600 चैनलों की निगरानी की जाएगी।

8. सामग्री की निगरानी के अलावा ईएमएमसी को सरकार को मिली शिकायतों की प्रक्रिया देखने की जिम्मेदारी दी गयी है। ये शिकायतें, अस्थायी तौर पर मिली सीधा प्रसारण की निगरानी, मंत्रालय के आदेशों का पालन होने की निगरानी भी यही केंद्र करता है। केंद्र 24 घंटे निगरानी, रिकार्डिंग करता है और प्रतिदिन एक रिपोर्ट तैयार कर उस पर प्रतिक्रिया लिखकर फीडबैक के तौर पर संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजता है। निगरानी केंद्र मंत्रियों की बैठक के लिए विशेष इनपुट सामग्री भी जुटाता है और आईबीएफ और बीसीसीसीसी के लिए सूचना भी उपलब्ध कराता है। अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक के लिए रिपोर्ट लेना और वितरित करना और जांच समिति की मदद करना और उल्लघंन से संबंधित सामग्री का संग्रह भी यही केंद्र करता है।

9. जिस गति से देश में उपग्रह चैनलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी अनुपात में वे सामग्री का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इसलिए ईएमएमसी को नवीनतम तकनीकी सुविधाओं से मजबूत करना चाहिए ताकि वह केबल टीवी नेटवर्क नियमन अधिनियम 1995 के तहत बने नियमों व संहिता का उल्लंघन करने वालों की ठीक से निगरानी कर सके और उसका सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दे सके।

10. 12वीं पंचवर्षीय योजना में ईएमएमसी को मजबूत करने की योजना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर' का सुदृढ़ीकरण मंजूर हो चुकी है। यह योजना 90 करोड़ रुपये की है और यह 2012-17 के बीच पूरी होगी। इसके अलावा ईएमएमसी में एफएम चैनलों और कम्युनिटी रेडियो (सीआरएस) की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

राज्यों और जिला स्तर पर निगरानी समितियां

11. राज्य जिला स्तर पर केबल कानून और नियमों को लागू करने के लिए मंत्रालय ने 6.9.2005 को राज्य जिला/स्थानीय स्तर पर केबल टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रम और विज्ञापनों के प्रसारण पर निगरानी के लिए 'निगरानी समिती' की व्यवस्था लागू की है। जिला और राज्य स्तर पर निगरानी समिती के लिए मंत्रालय ने 19.2.2008 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। जिला स्तर पर कमेटी की संरचना इस प्रकार हैः-

    1) जिला मजिस्ट्रेट (अथवा पुलिस आयुक्त) - अध्यक्ष
    2) जिला पुलिस अधीक्षक - सदस्य
    3) जिला जनसंपर्क अधिकारी - सदस्य
    4) जिले के महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य (जिनका चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा) - सदस्य
    5) बाल कल्याण से संबंधित एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (जिनका मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा) - सदस्य
    6) महिला कल्याण पर प्रमुख गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (जिनका मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा) - सदस्य
    7) शिक्षाविद/मनोवैज्ञानिक/समाजशास्त्री (इनमें से प्रत्येक का मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा) - सदस्य

जिला स्तरीय निगरानी समिति का कार्यक्षेत्र

1) एक ऐसा मंच मुहैया कराना जहां जनसामान्य केबल टीवी पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सके और निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई कर सके।

2) केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम 1995 को लागू करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

3) यदि कोई कार्यक्रम जनसामान्य के बीच शांति और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा हो या किसी समुदाय में व्यापक असंतोष पैदा कर रहा हो तो उसके बारे में राज्य और केंद्र सरकार को तत्काल सूचित करना।

4) केबल टीवी चैनलों पर स्थानीय स्तर पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु पर नजर रखने तथा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनाधिकृत या पायरेटेड चैनल प्रसारित नहीं हो रहे हैं, साथ ही यदि चैनल द्वारा स्थानीय समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं तो वे स्थानीय घटनाओं की जानकारी देने तक सीमित हों और उनका प्रस्तुतिकरण तटस्थ और संतुलित हो और किसी समुदाय के प्रति आक्रामक न हो।

5) निःशुल्क चैनलों तथा केबल नेटवर्क पर अनिवार्य वहन के लिए अधिसूचित चैनलों की उपलब्धता की निगरानी।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन इस प्रकार है-

1. राज्यों के सूचना एवं जनसंपर्क सचिव - अध्यक्ष
2. राज्यों के पुलिस महानिदेशक के प्रतिनिधि - सदस्य
3. राज्यों के समाज कल्याण सचिव - सदस्य
4. राज्यों के राज्य महिला एवं बाल विकास सचिव - सदस्य
5. राज्यों में महिलाओं के लिए काम करने वाले प्रमुख एनजीओ का प्रतिनिधि (मुख्य सचिव द्वारा नामांकित) - सदस्य
6. अकादमिक मनोवैज्ञानिक/समाजविज्ञानी (प्रत्येक मुख्य सचिव द्वारा नामांकित) - सदस्य
7. राज्य निदेशक सूचना - सदस्य।

जिला स्तरीय निगरानी समिति के कार्य इस प्रकार हैं-

क) यह देखना कि जिला स्थानीय समिति बनाई गई है या नहीं।

ख) यह देखना कि बैठकें नियमित हैं या नहीं।

ग) यह देखना कि अधिकारी अपने कर्तव्य को प्रभावी रूप से अंजाम दे रहे हैं या नहीं।

घ) यह देखना कि समिति द्वारा कितने मामलों पर विचार किया जा रहा है और वे निर्णय तक पहुंचे या नहीं।

ङ) जिला/स्थानीय स्तर की समिति द्वारा सुझाव/दिशा-निर्देश देना।

च) जिला/स्थानीय स्तर की समिति द्वारा भेजे गए मामलों पर निर्णय लेना।

छ) जिला/स्थानीय स्तर समिति से आंकड़े, जानकारी जुटाना और इसे सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजना।

ज) कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के अंतर्गत भारत सरकार के आदेशों के उल्लंघन के मामले में उपग्रह चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना और इस विषय में राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक शिकायत भेजना।

12. अब तक 19 राज्यों में राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। ये राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छतीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम।

13. पांच संघशासित प्रदेशों में राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। ये इस प्रकार हैं : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप।

14. अब तक 296 जिलों में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है।

15. संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रसारण क्षेत्र के लिए एक स्वायत एवं स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव पर सरकार 1997 से ही काम कर रही है। इस बाबत स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण विधेयक को सबसे पहले 1997 में पेश किया था लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। फिर 2001 में कन्वरजेंस विधेयक पेश कर कानून बनाने का प्रयास किया गया लेकिन यह लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के कारण निरस्त हो गया। 2006 और 2007 में स्वतंत्र प्रसारण सेवा नियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो प्रसारण सेवा के विकास को सुनिश्चित करेगा।

16. इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने 2008 में मौजूदा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं को बदलने के लिए प्रसारण क्षेत्र के लिए स्व-नियमन दिशा-निर्देश पर एक ड्राफ्ट तैयार किया था। समिति ने सामग्री के नियमन के लिए एक तीन स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया। प्रस्ताव में वैधानिक विनियमन के साथ स्व-नियमन का सह-अस्तित्व की परिकल्पना की गई। प्रथम स्तरीय चैनल खुद स्व-नियमन करें जबकि दूसरी श्रेणी का ढांचा प्रासंगिक उद्योग संघ द्वारा स्थापित एक स्व-विनियमन तंत्र हो तथा तीसरे स्तर में एक वैधानिक नियामक स्तर हो।

17. प्रस्तावित विनियामक ढांचे के विधेयक का मसौदा तैयार करने में सरकार प्रसारण उद्योग के साथ लगातार बातचीत कर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रसारकों और अन्य हितधारकों की तरफ से कड़ा विरोध हो रहा है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि इस मुद्दे को स्व-नियमन पर ही छोड़ दें। सरकार ने दिनांक 14.01.2009 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित सामग्री संहिता (प्रसारण क्षेत्र के लिए स्व-नियमन दिशानिर्देश) में परिवर्तन करने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।

18. इन मुद्दों पर मंत्रालय आम सहमति बनाने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। हालांकि, इस कार्य में बहुत कम प्रगति हुई है। इस मुद्दे को निर्णायक तरीके से निपटाने के लिए मंत्रालय ने तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण सचिव की अध्यक्षता में 2009 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। (आदेश की कॉपी अनुबंध-5 में शामिल है।) इस टास्क फोर्स को कंटेंट के नियमन को लेकर आम सहमति बनाना था। टास्क फोर्स में मंत्रालय और प्रसारण उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है जिनमें केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (कोफी), एमएसओ एलायंस, डीटीएच एसोसिएशन, आईपीटीवी फोरम और रेडियो ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एआरओआई) समेत सीआईआई, एसोचैम और फिक्की के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। मीडिया विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, शिक्षा और उपभोक्ता समूहों, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) की तरह वैधानिक निकायों से भी विचार विमर्श किया गया। परामर्श प्रक्रिया के दौरान अनेक विचार उभर कर आये। इस बीच, प्रसारण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में स्व-नियमन की शुरुआत होने लगी।

समाचार चैनलों के मामले में स्व-नियमन

19. न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) से स्व-नियमन तंत्र के रूप में नैतिक मूल्य एवं प्रसारण मानक संहिता तैयार की है जिसमें समाचार प्रसारण से संबंधित व्यापक स्वयं-नियमन सिद्धांतों को शामिल किया गया है। एनबीए ने समाचार प्रसारण मानक विनियमन भी तैयार किया है। एनबीए ने शिकायतों से संबंधित मामलों के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था बनाई है। पहले स्तर पर प्रसारणकर्ता द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर शिकायत का निपटारा किया जाता है। दूसरे स्तर पर समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) कार्य करता है। इस प्राधिकरण का गठन 2008 में किया गया।

20. समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण का उद्देश्य मनोरंजन या समाचार से संबंधित किसी भी तरह की सामग्री के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय करना है। प्राधिकरण में अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश होते हैं और आठ अन्य सदस्य विशेषज्ञ क्षेत्र से होते

नई दिल्ली में 10.9.2015 को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के बोर्ड के सदस्य सूचना एवं प्रसारण सचिव, श्री सुनील अरोड़ा से मुलाकात करते हुए

हैं। इनमें चार प्रतिष्ठित संपादक जो ब्रॉडकास्टिंग प्रसारकों के साथ कार्यरत हैं, को लिया जाता है और चार कानून, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, लोक प्रशासन, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, मानव मनोविज्ञान और संस्कृति क्षेत्र में विशेषज्ञता वालों को शामिल किया जाता है। एनबीएसए के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश आर.वी. रवींद्रन हैं। बाकी आठ सदस्य हैंः-

संपादक की श्रेणी से चार व्यक्तियों में शामिल हैं-

1. सुश्री मनिका राइकवार अहिरवाल
2. श्री हेमंत शर्मा
3. श्री राजीव खांडेकर
4. श्री विवेक लॉ

चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शामिल हैं-

1. श्री नितिन देसाई, अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर सचिव जनरल
2. श्रीमती विजयलक्ष्मी छाबड़ा, दूरदर्शन की पूर्व महानिदेशक
3. सुश्री लीला के. पोनप्पा, पूर्व राजदूत और उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
4. डॉ. एस.वाई कुरैशी, पूर्व चुनाव आयुक्त।

21. एनबीएसए ने 9.7.2015 तक प्राप्त 1970 शिकायतों पर विचार किया। ये शिकायतें सदस्यों, ईसीआई तथा सूचना एवं प्रमाण मंत्रालय के माध्यम से मिलीं। एनबीएसए ने 39 मामलों में निर्णय सुनाया, 11 दिशानिर्देश जारी किया तथा 41 मामलों में परामर्श दिया।

गैर-समाचार (सामान्य मनोरंजन) चैनलों में स्व-नियमन

22. भारतीय ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) ने मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद गैर-समाचार चैनलों के मामले में स्व-नियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना की है। आईबीएफ ने टेलीविजन पर सामग्री प्रसारण के लिए सिद्धांत और मापदंड, सामग्री संहिता और प्रमाणन नियम 2011 तय किये हैं।

23. इस तंत्र के हिस्से के रूप में शिकायतों के निवारण की द्विस्तरीय प्रणाली बनाई गई है। इसके पहले हिस्से में प्रत्येक प्रसारक को अपने चैनल पर प्रसारित विषय-वस्तु से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए विषय-वस्तु परीक्षक सहित मानक और कार्यप्रणाली विभाग स्थापित करना होता है।

24. तंत्र के दूसरे एवं शीर्ष स्तर के रूप में जुलाई 2011 में ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था की गई। बीसीसीसी में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में विभिन्न विषयों के 15 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में से चार गणमान्य, चार प्रसारण

उद्योग के, पांच राष्ट्रीय स्तर के संवैधानिक आयोग के और दो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं।

25. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) मुकुल मुद्गल वर्तमान में बीसीसीसी अध्यक्ष है। बीसीसीसी के 15 सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैं :

बीसीसीसी के चार प्रतिष्ठित व्यक्ति

1. श्री भास्कर घोष, रंगमंच व्यक्तित्व एवं पूर्व आईएएस अधिकारी
2. सुश्री शबाना आजमी, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता
3. श्री वीर संघवी, वरिष्ठ पत्रकार तथा सम्पादक
4. श्री वजाहत हबीबुल्लाह, पूर्व सीआईसी, पूर्व एनसीएम अध्यक्ष तथा पूर्व आईएएस

राष्ट्रीय वैधानिक आयोगों से पांच सदस्य हैं

1. डॉ. पी.एल. पूनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)
2. सुश्री स्तुति कक्कड़, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)
3. श्री एस.के. खारवेंथन, सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)
4. श्री नसीम अहमद, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)
5. सुश्री डिंगलियानी सैलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)

चार प्रसारण सदस्य हैं :

1. श्री ए. मोहन, जी नेटवर्क
2. श्री अमित ग्रोवर, डिस्कवरी
3. सुश्री शोभना बजाज, टर्नर
4. श्री सुजीत जैन, वायकॉम 18

क्षेत्रीय चैनलों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए दो विशेष आमंत्रित सदस्य :

1. सुश्री तारा मुरली, प्रख्यात संरक्षणवादी और वास्तुकार
2. सुश्री अरुंधति नाग, वरिष्ठ फिल्म और थिएटर पर्सनालिटी।

26. बीसीसीसी को बीस जून 2011 से आठ सितम्बर 2014 तक 21,449 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 3646 विशिष्ट शिकायतों के संबंध में निर्णय लिया गया।

टीवी चैनलों पर विज्ञापन के स्व-नियमन

27. टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के नियमन के संबंध में स्व-नियमन निकाय एडवरटाइजिंग स्टैंर्डडस काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के कोड को ग्रहण किया गया। इससे संबंधित नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम में सम्मिलित किए गए हैं। एएससीआई ने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) की स्थापना की है। सीसीसी के वर्तमान में 28 सदस्य हैं। इनमें 12 उद्योग से हैं और 16 सिविल सोसाइटी से हैं। प्रसिद्ध डॉक्टरों, वकीलों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

टेलीविजन रेटिंग की पृष्ठभूमि

- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 2008 में टेलीविजन रेटिंग प्रणाली को पारदर्शी और कवरेज एरिया को बढ़ाने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे ट्राई को अग्रसरित कर दिया।
- ट्राई ने 18 अगस्त, 2008 को टीवी उद्योग द्वारा प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बार्क) का गठन कर स्व-नियमन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। बार्क के बोर्ड के सदस्यों के नामित सदस्यों की निगरानी सरकार को करनी चाहिए।
- बार्क की स्थापना बिना लाभ वाली कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत 9 जुलाई, 2011 को की गयी।
- हालांकि बार्क ने वैकल्पिक टीआरपी तंत्र स्थापित नहीं किया लेकिन 2012 से इस तरफ प्रयास शुरू हुए हैं।
- नवंबर 2012 में बार्क तकनीकी समिति का गठन किया गया है जिसमें 12 सदस्यों को शामिल किया गया। जनवरी 2013 बार्क एडवाइजरी हाई टेबल (वीएएचटी) की स्थापना की गयी जिसमें पांच सदस्य शामिल किये गये। 2013 में प्रसार भारती के पांच सदस्यों को भी बार्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया और 2013 में ही डीएवीपी को बार्क की तकनीकी समिति में शामिल कर लिया गया।
- ट्राई ने 11 सितम्बर, 2013 को 'टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज के लिए दिशानिर्देशों के लिए अपनी सिफारिशें दीं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की अंतर मंत्रालयी समिति ने इस पर विचार किया तथा इसकी सिफारिशों को मंजूर कर किया। इसके बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली गई और 16 जनवरी, 2014 दिशानिर्देश जारी किए गए।

वर्तमान स्थिति

- एम/एस केंटर मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में इन दिशा-निर्देशों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। जो एम/एस टेलीविजन ऑडियंस मीडिया (इस समय की एकमात्र टीआरपी एजेंसी) का प्रमुख हिस्सेदार है। माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है :-
- पैरा 1.7 (क) कोई भी कंपनी/लीगल इकाई सीधे या उसके सहयोगियों या आपस में जुड़े उपक्रमों के माध्यम से रेटिंग एजेंसियों, प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों में ज्यादा शेयर न हों।
- पैरा 1.7 (घ) रेटिंग एजेंसी की प्रोमोटर कंपनी के निदेशक मंडल में प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसी सीधे में या उसके सहयोगियों या आपस में जुड़े उपक्रमों के माध्यम से सदस्य नहीं हो सकते।
- पैरा 16.1 ये दिशा-निर्देश भी मौजूदा रेटिंग एजेंसियों के लिए भी लागू होंगे।
- पैरा 16.2 कोई भी रेटिंग एजेंसी इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन बिना रेटिंग के आंकड़े जनरेट और प्रकाशित नहीं करेगी।
- इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने मौजूदा टीआरपी एजेंसी को नये दिशा-निर्देशों के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत कराने के लिए दो सप्ताह का और फिर एक महीने का समय दिया।
- तदनुसार, टैम ने मंत्रालय में पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।
- टीआरपी एजेंसी के रूप में बार्क का पंजीकरण मंजूर कर लिया गया है।

डाइरेक्ट-टू-होम (डीटीएच सेवा)

डीटीएच ट्रांसमिशन

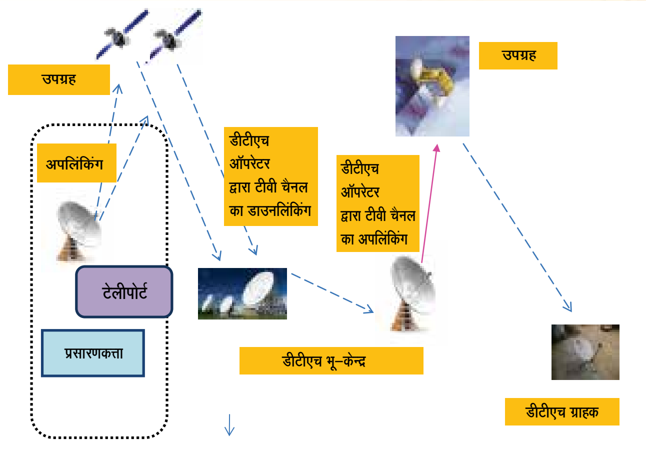

डीटीएच सेवाएं केबल प्रसारण की तुलना में हाल ही का विकास हैं। केबल तकनीक के मुकाबले डीटीएच सेवा तकनीकी रूप से अधिक लाभकारी है। डीटीएच समाधान योग्य व्यवस्था है जिसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। डीटीएच सेवा में उच्च क्षमता वाले उपग्रह के माध्यम से कहीं अधिक बड़ी संख्या में चैनलों को प्रसारित किया जा सकता है। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम सीधे घरों में भवन की सुविधाजनक स्थिति पर छोटे डिश एंटिना स्थापित करके सीधे प्राप्त किये जा सकते है। डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए किसी व्यावसायिक बिचौलिये की आवश्यकता नहीं है। डीटीएच संचालक द्वारा प्रदत सेवाएं उपभोक्ता को सीधे प्राप्त हो सकती है। डीटीएच सेवाएं उपभोक्ताओं के स्थान में सीधे टी.वी. सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए सेटेलाइट प्रणाली के उपयोग द्वारा कू बैंड में मल्टी चैनल कार्यक्रमों के वितरण के लिए दी जाती है। डीटीएच उपभोक्ता को भौगोलिक आवाजाही के अर्थों में इस प्रकार लाभ देता है कि ग्राहक एक बार डीटीएच हार्डवेयर खरीद कर वह उस एक इकाई का इस्तेमाल भारत में कहीं भी जारी रख सकता है।

सरकार ने 15-3-2011 (06-11-2007 में संशोधन) को भारत में डीटीएच सेवाओं के परिचालन के लिए आवेदन पत्र और लाइसेंसिंग समझौते के साथ विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किये थे। दिशा-निर्देशों में योग्यता की शर्तें, अन्य वस्तु पूर्ण विदेशी इक्विटी स्वामित्व उपलब्ध कराना जिसमें एफडीआई/एनआरआइ/ओसीबी/एफआईआई शामिल है, आवेदक कम्पनी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और विदेशी इक्विटी एफडीआई घटक 20 प्रतिशत से अधिक न हो। प्रसारण क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रेस नोट संख्या 12 के तहत 24-11-2015 को (2015 श्रृंखला) डीटीएच सेक्टर में 100: तक में विदेशी निवेश की सीमा बढाने को मंजूरी दी। कंपनी बोर्ड में प्रतिनिधित्व और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का निवासी भारतीय होने के रूप में यह आवेदक कम्पनी पर भारतीय प्रबंधन नियंत्रण उपलब्ध कराता है। डीटीएच सेवाओं के संचालन के लिए जारी लाइसेंस के लिए सभी आवेदनों को योग्यता प्रारूप के अनुसार जांच करने की आवश्यकता है। भारत में डीटीएच सेवाओं के संचालन और स्थापित करने के लिए मौजूदा डीटीएच लाइसेंस शर्तों में डीटीएच सेवाओं में अवांछित विषय वस्तु को ले जाने से रोकने के लिए समुचित उपाय शामिल हैं।

दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवा पर मुफ्त एयर चैनल उपलब्ध कराता है। (डी.डी. डायरेक्ट प्लस) जिसके लिए उपभोक्ता को खुले बाजार से डिश सेट-अप बॉक्स खरीदना होता है। जब

से दूरदर्शन ने अपने मुफ्त सिग्नलों का प्रसारण शुरू किया है। दर्शकों के संबंध में कोई समुचित आकलन उपलब्ध नहीं है। दूरदर्शन के डी.डी. डायरेक्ट प्लस के अलावा छह निजी कम्पनियां डी.टी.एच सेवा उपलब्ध करा रही है जिनके नाम है,- डिश टीवी. (मेसर्स डिश टी.वी. इंडिया लिमिटेड), टाटा स्काई (मेसर्स टाटा स्काई लिमिटेड), सनडायरेक्ट डीटीएच (मेसर्स सनडायरेक्ट टी.वी. प्राइवेट लिमिटेड), बिग टी.वी. (मेसर्स रिलायंस बिग टी.वी. लिमिटेड), एयरटेल डिजीटल टी.वी. (मेसर्स भारतीय टेली मीडिया लिमिटेड) और डी 2 एच (मेसर्स भारत बिजनेस चैनल लिमिटेड)। डीटीएच एक डिजिटल एड्रेसेबल डिजिटल प्रणाली है जो बेहतर गुणात्मक पिक्चर पेश करती है, वेल्यू एडिड सेवाओं में संवृद्धि करती है, प्रणाली में पारदर्शिता इसके ऑडिट और निगरानी के लिए सक्षम बनाती है। जिससे प्रसारणकर्ता और डीटीएच संचालक के बीच मुकदमेबाजी में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलती हैं और इस क्षेत्र का सिलसिलेवार विकास संभव होता। इस प्रकार डीटीएच में केबल टी.वी. क्षेत्र के लिए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश की है। जिसके परिणाम स्वरूप वह भी डिजीटल होने जा रहा है।

जब से विभिन्न डीटीएच संचालक इस बाजार में अलग-अलग समय पर शामिल हुए है, वे भारत के डीटीएच मार्केट में समकालीन विकसित प्रौद्योगिकी साथ लेकर आए हैं।

क्र.सं.	डीटीएच संचालक	अनुमति तिथि	प्रसारण मानक	कम्प्रेशन मानक (सशर्त पहुंच सेवाएं)	कंडीशनल एक्सेस सर्विसेज (एन्क्रिप्शन)
1	डिश टीवी	16-9-2003	डीवीबीएंडएस एंड डीवीएसएंडएस2	एमपीईजीएंड2 एंड एमपीईजीएंड4	कोनेक्स
2	टाटा स्काई	24-3-2006	डीवीएसएंडएस	एमपीईजीएंड2	एनडीएस
3	सन डायरेक्ट टी.वी	28-8-2006	डीवीएसएंडएस	एमपीईजीएंड4	इरडेटो
4	रिलायंस बिग टी.वी	24-5-2007	डीवीएसएंडएस	एमपीईजीएंड4	नगरविजन
5	एयरटेल डिजीटल टी.वी	10-9-2007	डीवीएसएंडएस2	एमपीईजीएंड4	सिसको
6	विडियोकोन डी 2 एच	28-12-2007	डीवीएसएंडएस2	एमपीईजीएंड4	इरडेटो

डीटीएच उपभोक्ताओं के बढ़ते हुए आधार को देखते हुए ट्राई ने डीटीएच उपभोक्ताओं की सुरक्षाओं के लिए डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं (सेवा गुणवता के मानक और विवादों का निपटारा) अधिनियम 2007 जारी किया जो डीटीएच उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के संबंध में अनिवार्य विनियामक प्रावधानों को कवर करता है। ट्राई ने इसकी दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं (चौथा) (एड्ररसेबल सिस्टम) टेरिफ आदेश 2010 के 21 जुलाई 2010 को सभी डीटीएच संचालकों को निर्देश दिया कि वह अपने भुगतान चैनलों को अपने उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग आधार पर तय करें और डीटीएच संचालक इस मामले में जो न्यूनतम मासिक ग्राहक राशि निर्धारित कर रहे हैं वह 150 रूपये से अधिक नहीं हो सकती है। उक्त टैरिफ आदेश कीमतों में बढोतरी से ग्राहकों की सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। ट्राई के विनियामक उपाय डीटीएच उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का एसटीबी (एक दम खरीद आधार पर, किराया खरीद आधार पर और किराये के आधार पर) अधिग्रहण करने में सक्षम बनाता है जिससे वह भुगतान करके उस चैनल का चयन कर सकते हैं, जिसे वे डीटीएच सेक्टर में देखना चाहते हैं।

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा

आईपीटीवी सेवा संबंधी नीति सरकार ने 08.09.2008 को आईपीटीवी के बारे में नीति निर्धारित की है और इस प्रकार दूरसंचार तथा केवल नेटवर्क के माध्यम से फिलहाल उपलब्ध अनुमति प्राप्त उपग्रह टीवी चैनलों के वितरण के लिए एक और मोड उपलब्ध कराया गया है। इससे भारतीय दर्शकों को डिजिटल तस्वीरों का एक नया अनुभव प्राप्त होगा साथ ही ग्राहकों की विभिन्न मूल्य वर्धित परस्पर जुड़ी नई सेवाओं की निरंतर बढ़ती मांग भी पूरी होगी। इससे प्रसारकों तथा प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को भी कारोबार के अलग-अलग मॉडल तैयार करने के नित नए अवसर मिलेंगे। आईपीटीवी संबंधी नीति में इन मुद्दों को और ज्यादा स्पष्ट किया गया है तथा दूरसंचार ऑपरेटर एवम् केबल ऑपरेटर दोनों आईपीटीवी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे और इन्हें उनके लाइसेंसिंग शर्तों

के अनुसार नियंत्रित किया जा सकेगा। केबल अधिनियम के तहत निर्धारित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के अनुसार विषय-वस्तु को विनियमित किया जाएगा। यह अधिनियम अश्लील विषय-वस्तु पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कई अन्य आशंकाओं को भी दूर करता है। इसमें विषय-वस्तु संबंधी संहिता के उल्लंघन का दायित्व तय किया गया है और यह भी बताया गया है कि उनसे किस प्रकार निपटा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को भी रखा गया है। इस नीति में व्यवस्था की गई है कि एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर और प्रसारक प्रसारण की विषय-वस्तु, आईपीटीवी सेवाओं का लाइसेंस प्रदान करने वाले दूरसंचार प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं। इसमें समाचार तथा सामयिक विषयों पर सामग्री तैयार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को अपनी विषय-वस्तु तैयार करने की छूट दी गई है।

परिभाषित टेलीकॉम और केबल ऑपरेटरों के लिए आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए नीति को एक अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है। डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के उपबंध 5.6 में परिवर्तन करके प्रसारकों को अपने कार्यक्रम आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को देना संभव बनाया गया है। इस नीति में, प्रसारकों से तत्संबंधी अधिकार प्राप्त केबल ऑपरेटरों और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों को दूरसंचार आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को समाहारित विषय वस्तु उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी गई है। आईपीटीवी सेवाओं में एनिमेशन और गेमिंग उद्योग बड़ी संभावनाएं देख रहा है। हालांकि इसमें ब्रॉडबैंड की पहुंच और उसकी कनेक्टिविटी गुणवत्ता इसकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे। उम्मीद है कि आईपीटीवी प्लेटफॉर्म द्वारा सेवाओं में सुलभ कराई गई विविधता से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में ग्राहकों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी।

वैश्विक स्तर पर आईपीटीवी केबल और डी.टीएच सेवाओं के लिए एक प्रमुख पे-टीवी प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। उम्मीद है कि इससे कार्यक्रम और सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त आमदनी होगी और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए लागत में भी कमी आएगी। उम्मीद है कि आईपीटीवी विनियामक फ्रेमवर्क में स्पष्टता और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में वृद्धि से भारत आईपीटीवी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले देश के रूप में उभरेगा। भारत में इस समय एमटीएनएल, बीएसएनएल और भारती एयरटेल आईपीटीवी सेवा उपलब्ध करा रहे हैं।

अपनी बेहतर गुणवता और परस्पर जुड़ी सेवा संभावनाओं के चलते इस प्रौद्योगिकी में काफी संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन इसकी पहुंच केवल उन्हीं घरों तक है जहा ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच जाने के बाद, आईपीटीवी सेवा की सफलता के अवसर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आशा है कि डीटीएच कनेक्शन की कीमत और इंटरनेट सेवा तथा एक अतिरिक्त सेवा के रूप में आईपीटीवी की कीमत में अंतर नाममात्र का रह जाने एवम् परीक्षण के

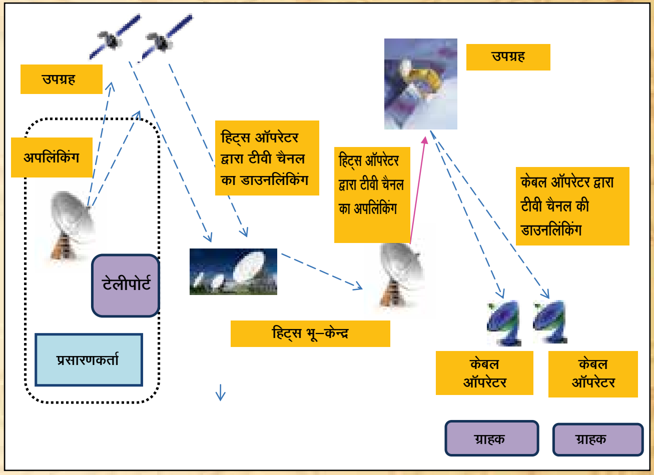

तौर पर उपयोगकर्ताओं को यह सेवा उपलब्ध कराने के बाद भारतीय घरों में आईपीटीवी की पहुंच बन जाएगी। लेकिन प्रसारण क्षेत्र में अन्य सेवाओं की तुलना में आईपीटीवी की शुरुआत अभी धीमी रहेगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आईपीटीवी की सफलता सीमित रही है और अनुमान है कि बाजार में इस सेवा को अपनी पैठ बनाने में कुछ समय लगेगा।

हिट्स (हेड-एंड इन द स्काई) सर्विस

हिट्स ट्रांसमिशन

प्रसारण के क्षेत्र में एक नई तकनीक का उदय हुआ हैं जिसे स्काई यानी हेड-एंड इन द स्काई (हिट्स) कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से भारत में डिजिटलीकरण और समयबद्ध पहुंच स्थापित करने के फैलाव में तेजी आ सकती है। सरकार ने, केबल ऑपरेटरों को हिट्स के तौर पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ट्राई के साथ परामर्श कर नीतिगत रूपरेखा तैयार की है।

मंत्रिमंडल ने 12.11.2009 को अपनी बैठक में हिट्स ऑपरेटरों हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 26.11.2009 को सरकार ने नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के तहत हिट्स सेवा प्रदाताओं को देश में सेवाएं देनी होती है हालांकि इस नीति के तहत यह जरूरी नहीं कि केबल ऑपरेटर या उपभोक्ता हिट्स मंच नेटवर्क से सिग्नल ले। उपभोक्ता और केबल ऑपरेटर किसी भी मौजूदा तंत्र का उपयोग कर सकते हैं या अगर केबल ऑपरेटर चाहें तो वह हिट्स प्रदान करने वाले नेटवर्क को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब,

यह आवश्यक-सीएएस (कंडीशनल एक्सेस सिस्टम) के लिए अधिसूचित क्षेत्रों से अलग है।

हिट्स पूरे देश में सेटेलाइट के जरिये कई एमएसओ/केबल आपरेटरों को सिगनल प्रदान करता है, जो आगे अपने केबल नेटवर्क का प्रयोग कर उपभोक्ताओं को सिगनल देते हैं। हिट्स ऑपरेटर और बहु-तंत्र ऑपरेटर (एमएसओ) में यह अंतर है कि एमएसओ सेटेलाइट के जरिए चैनलों का पुलिंदा केबल ऑपरेटरों तक पहुंचाता है, जबकि हिट्स यही कार्य केबल के जरिए करता है। हिट्स टीवी चैनल के वितरण का एक डिजिटल तरीका है और इससे देश के गैर सीएएस क्षेत्रों में मौजूद केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। हिट्स से न केबल ग्रामीण क्षेत्रों में केबल का बाजार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेटअप बॉक्स की कीमतों में कमी भी आएगी जहां अव्यवहारिकता के कारण यह कार्य संभव नहीं था। इससे केबल बाजार और सुदृढ़ होगा।

हिट्स के माध्यम से उपभोक्ता कई डिजिटल चैनलों की साफ तस्वीर और मुनासिब दामों पर बेहतर सेवाओं का लुत्फ उठा सकता है। मौजूदा प्राइम नॉन-प्राइम बैंड में रखे गए चैनलों की सीमित क्षमता के स्थान पर हिट्स अधिक चैनल क्षमता प्रदान करेगा। हिट्स की नीति सही दिशा में एक कदम है और इससे ऑपरेटर के स्तर पर जरूरी निवेश को कम किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज के इलाकों में केबल सेवाएं पहुंच सकती हैं, जिसे कुछ मूल्य सूची और अंतर-संपर्क मुद्दों के समाधान के बिना यह शुरू नहीं किया जा सका था। उम्मीद है कि ट्राई अब डिजिटल तंत्रों के लिए मूल्य सूची ला रहा है और उद्योग जगत भी अब हिट्स सेवाओं के प्रावधानों के लिए मंच तैयार करने के लिए आगे आएगा। ट्रांसपोंडर क्षमताओं की उपलब्धता के बारे में कुछ बाधाएं हैं, लेकिन उम्मीद है कि मांग बढ़ने से आपूर्ति भी होगी। डीएएस के आने से हिट्स सेवाओं को बहाल करने में भी तेजी आएगी। एक उत्प्रेरक के रूप में डीएएस की शुरुआत भी हिट्स सेवाओं के एक प्रतिद्वंदी के रूप में सेवाएं प्रदान करेगी।

वर्तमान में मैसर्स नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड और मैसर्स ग्रांट इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड नाम की दो कंपनियां हैं, जिनके पास देश में हिट्स सेवाओं को संचालित करने की अनुमति है।

केबल टीवी डिजिटलीकरण की प्रगति और इसके प्रभाव

1. देश में केबल टीवी प्रणाली

केबल टीवी ने प्रसारण वितरण उद्योग की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य किया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान केबल उद्योग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका अदा की है। डीटीएच सेवाओं के तेजी से होते विकास के बावजूद, केबल सेवाएं आज भी टीवी चैनलों के वितरण में सबसे आगे हैं। ट्रांसमिशन के एनालॉग प्रकृति के कारण इस मंच की कई सीमाएं हैं।

2. प्रसारण उद्योग की रूपरेखा

केबल टीवी सेवा मूल्य शृंखला में चार मुख्य आपूर्तिकर्ता वाले पक्ष शामिल होते हैं, जो इस प्रकार हैं : प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) और अंतिम उपभोक्ता। प्रसारक टीवी पर प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्माण करता है जिसे दर्शक देखते हैं। प्रसारक उपग्रह के लिए सामग्री के संकेत प्रेषण या अपलिंक करता है। एमएसओ उपग्रह से प्रसारकों के सिग्नल को डाउनलिंक करता है, किसी भी एन्क्रिप्टेड चैनल को डिक्रिप्ट करता है और कई चैनलों से मिलकर फीड का समूह प्रदान करता है। ट्राई के अनुसार, भारत में लगभग 6,000 एमएसओ काम कर रहे हैं। एमएसओ का व्यापार, सामग्री (कंटेट) और एलसीओ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी तथा सद्स्यता राजस्व संग्रह के लिए प्रसारणकर्ता पर निर्भर रहता है। एमएसओ को टीवी सिग्नल्स को प्राप्त करने के लिए हेड एंड्स की आवश्यकता है। एलसीओ एमएसओ से कई सिग्नल्स प्राप्त करता है और केबल के माध्यम से इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 60,000 केबल ऑपरेटर हैं।

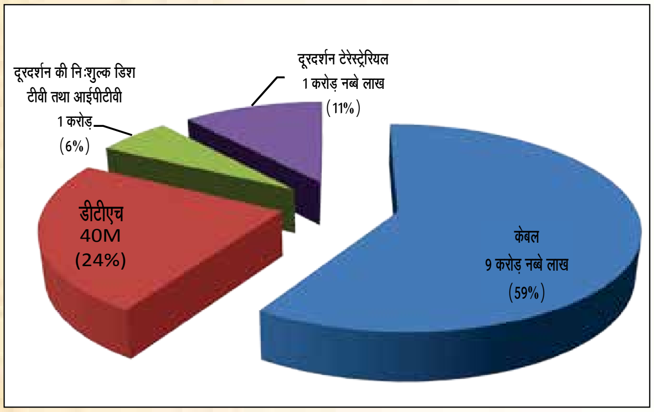

3. टेलीविजन वितरण प्लेटफार्मों की प्रगति

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है जिससे पहले केवल चीन का नंबर आता है। फिक्की केपीएमजी की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में निम्न प्लेफार्म वितरण के हिसाब 168 मिलियन घरों में टीवी हैं:

4. ऐनलॉग केबल टीवी की कमियां

ऐनलॉग केबल टेलीविजन में निम्नलिखित कमियां हैं :

- चूंकि स्वीकृत सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या 700 के पार चली गई है, ऐनलॉग प्रणाली के पास केवल 70-80 चैनलों ले जाने को सहन करने या ले जाने की क्षमता है। यह गंभीर रूप से ग्राहक के लिए उसकी पसंद पर पाबंदी लगाता है और प्रसारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपलब्ध टीवी चैनल को ग्राहक तक पहुंचाने से इनकार करते हैं।
- सीमित मात्रा में चैनल वहन करने की क्षमता से ऐनलॉग प्रणाली टीवी प्रसारकों के व्यापार में विकृति पैदा करती है,

जैसे प्रसारणकर्ता को भारी फीस का भुगतान करके अपने चैनलों का वहन करने के लिए एमएसओ को प्रोत्साहित करने पर मजबूर होना पड़ता है।

- ऐनलॉग केबल के पास में ए- ला- कार्टे (व्यक्तिगत) चैनलों के चयन की सुविधा वाली तकनीकी सुविधा नहीं है। इस वजह से ग्राहक को मजबूरी में स्वयं के समझौते से बाहर जाकर एक केबल ऑपरेटर द्वारा तैयार चैनलों का चयन करना पडता है। इस प्रकार, एनालॉग प्रणाली ग्राहकों के अनुकूल नहीं है।
- ऐनलॉग सेवाओं की एक अन्य गंभीर तकनीकी सीमा पारदर्शिता की कमी है जिसमें ग्राहक आधार सही नहीं बताया जाता है। इससे राजस्व की रिपोर्टिंग कम और कर राजस्व को छिपाया जाता है।
- सीमित वहनीय क्षमता और पारदर्शिता की कमी प्रसारकों के लिए व्यापार मॉडल को विकृत करती है और इससे उनकी निर्भरता केवल विज्ञापन राजस्व पर बढ़ जाती है और इससे सदस्यता का राजस्व सीमित रह जाता है (65:35)। के लिए गुंजाइश प्रतिबंधित। तदनुसार, उच्च टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के लिए चैनलों अक्सर टीवी पर उतेजक सामग्री का प्रयोग करते है।
- ऐनलॉग केबल में पिक्चर (तस्वीर) की गुणवता इस बात पर निर्भर रहती है कि एक चैनल प्राइम बैंड या गैर प्राइम बैंड में कितना देखा जा रहा है।
- केबल ऑपरेटरों को डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और आईपीटीवी सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो एक स्थिति में हैं कि वे ग्राहकों को उच्च गुणवता की सामग्री और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और जब तक वे (केबल ऑपरेटर) अपनी सेवाओं को उन्नत नहीं कर लेते वे नए प्लेटफॉर्म के व्यापार से बाहर हो जाएंगे।

5. ट्राई की सिफारिशें:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल प्रणाली (डास)' को लागू करने संबंधी सिफारिशों में दिनांक पाँच अगस्त 2010 को यह सिफारिश की थी कि केबल टीवी सेवाओं और केबल टीवी क्षेत्र में एक समयबद्धता के साथ एनालॉग प्रणाली को चार चरणों में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डास) के साथ डिजिटलीकरण को प्राथमिकता से कार्यान्वित किए जाए।

एड्रेसबिलिटी का अर्थ है केबल ऑपरेटर के सिगनल एन्क्रिप्टेड होते होंगे, सेवा प्रदायक से विधिवत कनेक्शन लेने के उपरांत सिग्नल केवल सेट टॉप बॉक्स के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह प्रत्येक ग्राहक की पहचान और डेटा बेस के रखरखाव, पारदर्शिता लाने और चोरी को रोकने के लिए सक्षम है। डास के कार्यान्वयन से सभी हितधारकों को लाभ होगा। डिजिटलाइजेशन के अन्य महत्वपूर्ण लाभ निम्नानुसार हैं-

I- xkgd

- ग्राहकों को यह अधिकार मिलता है कि वह अपनी रुचि और अपनी आवश्यकताओं तथा बजट के अनुसार कहीं ज्यादा चैनलों के विकल्प में से अपनी इच्छा के कार्यक्रमों का चयन करें।
- उपभोक्ताओं को अधिकतम चैनल की पेशकश की जाती है जो मौजूदा 70-80 के बजाय सैकड़ों तक में होते हैं। यह उपभोक्ताओं को एक बेहतर तकनीक देखने का अनुभव देने के लिए उच्च गुणवता/हाई डेफिनेशन डिजिटल टेलीविजन चैनलों की एक बड़ी संख्या को देखने के लिए सक्षम बनाएगा।
- डीटीएच और आईपीटीवी ग्राहकों की तरह, केबल टीवी ग्राहक भी सामग्री की गुणवता में सुधार कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड, मूवी-ऑन डिमांड, वीडियो-ऑन-डिमांड, व्यक्तिगत वीडियो, गेमिंग, आदि जैसे विभिन्न इंटरैक्टिव सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

II- dscy vkijsVj

- डिजीटलीकरण केबल ऑपरेटर ट्रिपल प्ले (तीन सेवाएं एक साथ) की सुविधा मुहैया कराता है जिसमें ध्वनि, वीडियो और डाटा मौजूद रहते हैं। केबल ऑपरेटर इससे प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व मिलता है। प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के अभिसरण में सक्षम बनाता है। केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन में वृद्धि होगी।

III- çlkj.kdrkZ

- बढ़ी हुई क्षमता प्रसारणकर्ताओं को आला चैनल और HDTV (हाई डेफिनिशन टेलीविजन) चैनलों की पेशकश करने के लिए सक्षम बनाएगी। बढ़ा हुआ सदस्यता राजस्व प्रसारकों को टीआरपी केंद्रित सामग्री से दूर रखने में मदद करेगा और प्रसारणकर्ता अंकेक्षण योग्य उपभोक्ता आधार पर अपना कारोबार चला पाने में समर्थ होगें।

IV- ljdkj

- सरकार के कर संग्रह से वास्तविक बाजार का आकार मैच मेल खाएगा।
- ग्राहक आधार में पारदर्शिता से घाटे में जबरदस्त कमी आई है जिस कारण सरकार के राजस्व चोरी में भी कमी आई है।
- उपभोक्ताओं की संख्या में पारदर्शिता के फलस्वरूप केंद्र तथा राज्य के करों की अपवंचना की घटनाओं में भारी कमी आएगी, जो मुख्यत सेवा एवं मनोरंजन कर के रूप में रहती हैं और इस प्रकार सरकार की राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
- डिजिटल केबल टीवी का ब्रॉडबैंड की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण और वृहद बुनियादी ढांचा है जिसके माध्यम से

केंद्र और राज्य सरकारों की ई-सरकारी सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है।

डीएएस को लागू करने के लिए केबल अधिनियम में संशोधन

ट्राई की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित बैठक में, केबल टीवी में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) को अनिवार्य रूप से लागू करने वाले मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ, केबल टीवी सेवाओं में अखिल भारतीय स्तर पर डिजिटलीकरण के साथ कार्यावन्यन की समय सीमा और रोड मैप को शामिल किया गया। 31 दिसंबर, 2014 तक पूर्ण रुप से एनालॉग टीवी सेवाओं को बदलने को कहा गया। मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के एलान के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) में कुछ संशोधन (विनियमन) को मंजूरी दे दी जिसे केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 कहा जाता है। इस अध्यादेश को 25 अक्टूबर 2011 को लागू किया गया था। इसके बाद 31 दसंबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 अस्तित्व में आया।

8- Mh,,l d pj.kc) dk;kUo;u d fy, vfèklpuk

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में दिनांक 11 नवम्बर 2011, को भारत में चार चरणों में केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण की लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था:

चरण I	दिल्ली, मुबंई, कोलकाता, और चेन्नई के मेट्रो शहर	मूल रूप से 30 जून 2012 तक रखा गया। इसे 31 अक्टूबर 2012 तक संशोधित किया गया।
चरण II	38 शहर (1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले)	31 मार्च 2013
चरण III	अन्य शहरी क्षेत्र (नगर निगम / नगर पालिकाएं)	मूल रूप से 30 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। 31 दिसंबर 2015 को संशोधित
चरण IV	शेष भारत	मूल रूप से 31 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ। 31 दिसबंर 2015 को संशोधित

9. पहले चरण में डिजिटलीकरण

इस समय भारत में चल रहे केबल टीवी डिजिटलीकरण के फलस्वरूप देश में ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आना तय है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई डिजिटलीकरण प्रक्रिया कदाचित विश्व में एनॉलॉग से डिजिटल की एक सबसे बड़ी पहल है जिसमें व्याप्त टीवी गृहों की कदाचित सबसे बड़ी संख्या अंतर्याप्त है। शायद, तीन वर्षों में अभिकल्पित डिजिटल परिवर्तन की यह सबसे तेज प्रगति है क्योंकि अनेक देशों में इन्हें पूरा करने में अनेकों वर्ष लग गए हैं।

पहले चरण में डिजिटलीकरण का कार्य 31 अक्टूबर, 2012 को पूरा हो गया था। इनमें से चार मेट्रों शहरों में से 3 शहरों, दिल्ली, मुबंई और कोलकाता में डिजिटलीकरण का कार्य पूरे होने को है जबकि चेन्नई में कई लंबित कोर्ट मामलों के कारण यह कार्य अभी जारी है।

पहले चरण के दौरान 31 अक्टूबर 2012 तक लगभग 85 लाख केबल सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके थे। सबसे ज्यादा दिल्ली में 34 लाख और उसके बाद मुंबई में 26 लाख और कोलकाता में 22 लाख तथा चेन्नई में 3.5 लाख सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके है।

10. डिजिटलीकरण की स्थिति: द्वितीय चरण

10.1 31 मार्च, 2013 तक 14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले 38 शहरों में द्वितीय चरण संपन्न हुआ।

10.2 38 शहरों में से 37 शहरों में कार्य पूरा हो गया है, जबकि कोयंबटूर में यह अदालती मामलों की वजह से यह जारी है।

11. प्रथम चरण और द्वितीय चरण का प्रभावी आकलन

केबल टीवी डिजिटलीकरण का औपचारिक प्रभावी आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी, विभिन्न हितधारकों से डेटा एकत्र किया जा रहा है जिससे निम्नलिखत प्रमुख लाभ होने की आशा है:

I. एचडी चैनल सहित बड़ी संख्या में विकल्प: एनालॉग व्यवस्था में, केबल प्रणाली में केवल 75 से 80 चैनलों को वहन करने की क्षमता होती थी। ये सभी चैनलों स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) गुणवता के थे लेकिन डिजिटल केबल की वहनीय क्षमता न केवल 600-700 चैनलों की है बल्कि इसमें हाई डेफिनिशन (एचडी) चैनलों को भी वहन किया जा सकता है। एमएसओ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में औसतन

300 एसडी और 20 एचडी चैनल प्रत्येक एमएसओ पर देखे गए हैं। उपभोक्ताओं के पास बड़ी संख्या में चैनलों को चुनने के लिए विकल्प है।

II. विज्ञापन मुक्त और उच्च गुणवता वाले चैनलः डिजिटल प्रणाली में चैनल एन्क्रिप्टेड होते हैं और एक उपभोक्ता केवल उन चैनलों को देख सकता है जिसके लिए उसने सदस्यता ली है। जब से डिजिटल प्रणाली में सैकड़ों चैनलों को वहन करने की क्षमता हुई है तब से प्रसारक नए उच्च गुणवता (एचडी) और यहां तक कि विज्ञापन मुक्त चैनलों की शुरुआत कर रहे हैं जिससे उपभोक्ता अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर इनकी सदस्यता ले रहे हैं। यह एनालॉग व्यवस्था में में संभव नहीं था।

III. चित्र (पिक्चर) और ध्वनि की गुणवताः एनालॉग सिस्टम में ने केवल चित्र और गुणवता बेकार थी, बल्कि यह बैंड (वीएचएफ -1, वीएचएफ -2 या यूएचएफ) पर भी निर्भर थी जिसमें चैनल वहन किया जाता था। डिजिटल प्रणाली में उत्कृष्ट गुणवता मिलती है और यह एमएसओ द्वारा वहन किए जा रहे रहे आवृति बैंड पर भी मुक्त अथवा स्वतंत्र है।

IV. कार्यक्रम (प्रोगाम) गाइडः डिजिटल डोमेन में केबल उपभोक्ताओं को कार्यक्रम की सारणी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और यह पता चलता है कि अभी कौन-सा कार्यक्रम चल रहा है और आगे अलग-अलग समय पर कौन-सा कार्यक्रम आने वाला है।

V. शिकायत निवारण तंत्रः ट्राई द्वारा नियमों के अनुसार, प्रत्येक एमएसओ और उसके केबल ऑपरेटर पास अनिवार्य रूप से एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए जिसमें एक टोल फ्री नंबर, शिकायतों की स्थिति जानने और लागिंग के लिए वेब आधारित प्रणाली और नोडल अधिकारियों की अधिसूचना होना अनिवार्य कर दिया है। जबकि एनालॉग प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार डिजिटल प्रणाली में शिकायतों का निवारण प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ट्राई भी प्रदाता को एक समय सीमा के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए एक समय प्रदान करता है।

VI. पारदर्शिता के कारण ईटी और एसटी संग्रह में वृद्धिः केबल टीवी डिजिटलीकरण से पारदर्शिता आई है। ग्राहक आधार पर उपभोक्ताओं की घोषणा करना एक एमएसओ या केबल ऑपरेटर के लिए संभव नहीं है।

प्रथम चरण और द्वितीय चरण के शहरों में से मनोरंजन कर विभाग द्वारा डेटा एकत्र किया गया था। प्राप्त आंकड़ों का विवरण नीचे सारणीबद्ध हैः

eukjatu dj lxg ¼yk[k #i;½ मनोरंजन कर विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार			
'kgjk dk uke	M,l ls igys	M,l ds ckn	
	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15
कोलकाता	233.90	1,199.43	2,848.00
पटना	5.92	75.96	207.62
बंगलुरु	199.03	462.56	937.43
मैसूर	21.15	30.04	67.07
विशाखापतनम	24.62	31.57	74.93
जबलपुर	13.62	5.35	32.35
पुणे और पिंपरी चिंचवाड़	454.25	440.99	2,216.98
ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण–डोम्बीवली	1,306.16	110.76	2,131.36
नासिक	209.22	363.85	661.20
औरंगाबाद	256.73	374.00	442.95
आगरा	217.97	313.17	459.87
इलाहाबाद	139.99	221.64	326.83
गाज़ियाबाद	530.64	643.58	1,026.43
कानपुर	478.80	915.34	1,324.09
लखनऊ	483.22	638.00	902.00
मेरठ	255.30	43.45	593.36
वाराणसी	152.71	210.52	422.01

डेटा से यह स्पष्ट है कि डॉस के कार्यान्वयन से पहले और लागू होने के बाद में से राजस्व कर संग्रह में 2 से 3 गुना वृद्धि हुई है।

VII. कैरिज शुल्क में कटौतीः जब से डिजिटल प्रणाली की क्षमता में वृद्धि हुई है तब से एमएसओ अपने सिस्टम पर वहन करने के लिए प्रसारकों से चैनलों की मांग कर रहे हैं और इस प्रकार एमएसओ द्वारा प्रसारकों पर लगाए जाने वाले कैरिज शुल्क की राशि में कमी आई है।

6 समाचार प्रसारकों और 4 राष्ट्रीय एमएसओ से प्राप्त डेटा इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्रसारकों द्वारा एमएसओ को भुगतान किए जाने वाली राशि में 30 प्रतिशत की कमी आई है।

VIII. सदस्यता राजस्व में वृद्धिः डिजिटल प्रणाली में ग्राहक आधार में पारदर्शिता के कारण, प्रसारकों को एमएसओ / एलसीओ से प्राप्त होने वाले उपभोक्ता राजस्व में वृद्धि देखने को मिली है।

राष्ट्रीय एमएसओ से प्राप्त डेटा इस बात की ओर इंगित करता है कि एमएसओ द्वारा प्रसारकों को भुगतान किए जाने वाले सदस्यता शुल्क में डॉस पूर्व से लेकर डॉस के बाद तक में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केबल नेटवर्क में ट्रिपल प्ले और मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए मंच की तैयारीः टीबी नेटवर्क का डिजिटलीकरण होने से एमएसओ/एलसीओ द्वारा उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित और ट्रिपल प्ले सेवाएं प्रदान करने का और अपना व्यवसाय बढ़ाने का मार्ग खुल गया है। हालांकि केबल टीवी डिजिटलीकरण के किसी भी औपचारिक प्रभाव का आकलन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि लेकिन प्रारंभिक से स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण से निम्नलिखित प्रमुख लाभ होने शुरू हो गए हैंः

12. सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी)

12.1 आवश्यकताएँः 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 117 मिलियन परिवारों (11.7 करोड़) के पास टीवी हैं।

- भारत में कुल घरों में टीवी (2011 की जनगणना के अनुसार) 11-7 djkM+
- घरों में एक से ज्यादा टीवी होने पर 20 प्रतिशत एसटीबी को और जोड़ने का प्रावधान 14 djkM+
- पहले और द्वितीय चरण में उपलब्धि 3 djkM+
- शेष III और IV चरण में शामिल किए जाने वाले 11 djkM+

12.1.1 जैसा की ऊपर से देखा जा सकता है, केबल टीवी डिजिटलीकरण के पहले और दूसरे चरण में एक साथ 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। आवश्यक 14 करोड़ एसटीबी में से 3 करोड़ पहले ही लगाए जा चुके हैं। तीसरे चरण में लगभग 4 करोड़ एसटीबी की आवश्यकता का अनुमान है जबकि पांचवे चरण में 7 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान है।

12.1.2 तीसरे चरण में शेष सभी शहरी क्षेत्रों (जो पहले और दूसरे चरण में कवर नहीं हुए थे) को कवर करना है। मंत्रालय द्वारा प्राप्त 2011 की जनगणनानुसार, तीसरे चरण में पूरे हुए क्षेत्र और क्षेत्रवार एसटीबी की आवश्यकता पर जिस पर कार्य किया गया है, का विवरण सूची में दिया जा रहा है। इस सूची को राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र सरकारों की टिप्पणी के अनुसार अपडेट किया गया है। अंतिम सूची इस प्रकार हैः

dscy Vhoh fMftVyhdj.k
fMftVyhdj.k ds rhljs pj.k ds rgr 'kgjh {ks=ksa dh lwph
lkjka'k

jkT;@dsæ 'kkflr çns'k	ftyksa dh la[;k	'kgjh {ks=ksa dh la[;k	Vhoh okys ifjokj
आंध्र प्रदेश	13	110	2,044,940
अरुणाचल प्रदेश	18	28	50,849
असम	27	94	559,187
बिहार	38	198	791,193
छत्तीसगढ़	18	169	818,954
गोवा	2	14	82,311

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	जिलों की संख्या	शहरी क्षेत्रों की संख्या	टीवी वाले परिवार
गुजरात	33	167	1,621,289
हरियाणा	21	78	1,073,021
हिमाचल प्रदेश	12	53	131,970
जम्मू और कश्मीर	22	81	252,724
झारखंड	24	40	539,126
कर्नाटक	30	211	2,028,622
केरल	14	66	1,158,766
मध्य प्रदेश	50	369	1,810,467
महाराष्ट्र	35	524	3,502,453
मणिपुर	9	55	117,233
मेघालय	11	22	84,351
मिजोरम	8	23	85,602
नगालैंड	11	26	78,167
ओडिशा	30	113	958,471
पंजाब	22	161	1,221,880
राजस्थान	33	185	1,536,024
सिक्किम	4	7	27,600
तमिलनाडु	32	1095	6,608,292
तेलंगाना	10	73	1,516,297
त्रिपुरा	4	20	131,455
उत्तर प्रदेश	75	906	3,194,426
उत्तराखंड	13	131	488,860
पश्चिम बंगाल	20	75	1,055,469
दिल्ली	प्रथम चरण में शामिल		
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	1	22,311
चंडीगढ़	प्रथम चरण में शामिल		
दादर और नगर हवेली	1	6	24,483
दमन और दीव	2	8	28,079
लक्षद्वीप	1	6	5,493
पुडुचेरी	4	5	150,030
कुल	**646**	**5,120**	**33,800,395**

मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध तीसरे चरण में शामिल किए जाने वाले जिलेवार क्षेत्रों की सूची (www.mib.nic.in and www.DigitalIndiaMIB.com).

12-2 lhfMax LVsVl

एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और हिट्स ऑपरेटरों से ऑनलाइन सीडिंग डेटा एकत्र करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली

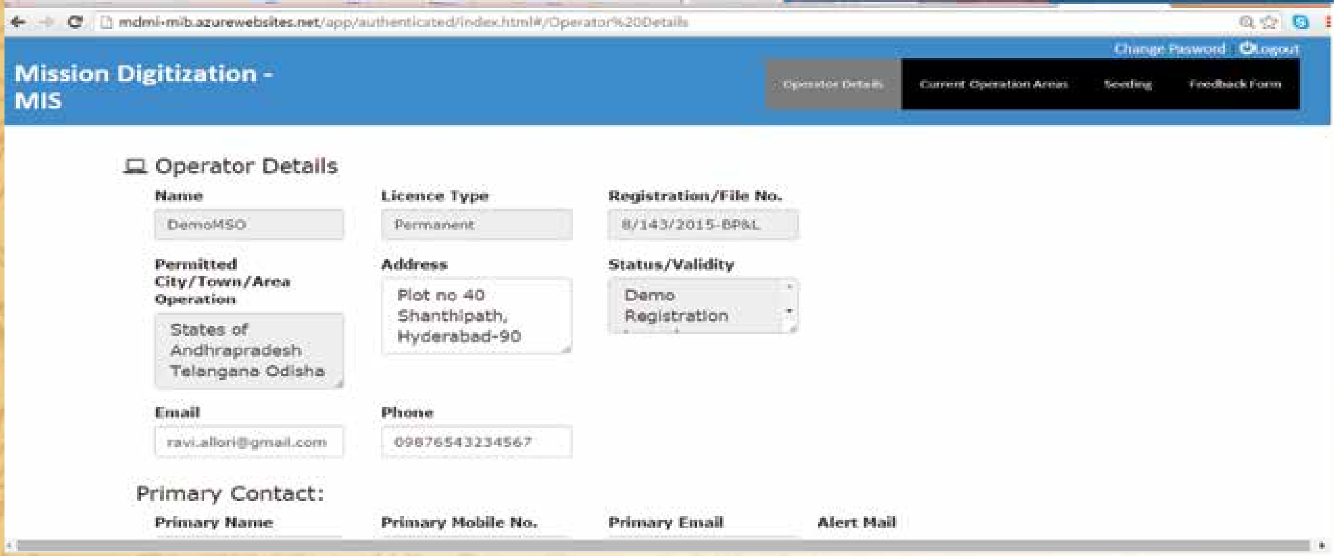

(एमआईएस) को विकसित किया गया है। सभी पंजीकृत एमएसओ, डीटीएच और हिट्स ऑपरेटरों ने 27 अक्टूबर 2015 को एमआईएस सॉफ्टवेयर में लॉग इन करने और तीसरे चरण के क्षेत्रों के लिए एसटीबी का क्षेत्रवार डेटा अपलोड करने के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी सलाह दी थी कि एक सप्ताह में कम से कम एक बार सीडिंग को अपडेट किया जाए। सभी बकाएदारों को अलर्ट जारी किए जा रहे हैं।

1 फरवरी 2016 तक, 625 एमएसओ जिन्होंने तीसरे चरण के तहत क्षेत्रों में संचालन के लिए पंजीकरण किया है, में से केवल 290 एमएसओ ने ही एमआईएस में सीडिंग डेटा के लिए एसटीबी अपलोड किया है। सभी 6 डीटीएच ऑपरेटरों ने सीडिंग डेटा अपलोड कर दिया है। 2 हिट्स ऑपरेटरों में से केवल एक ने ही सीडिंग डेटा जमा किया है।

एमआईएस के अनुसार, 1 फरवरी 2016 के अनुसार सीडिंग डाटा की स्थिति में कमी के संकेत मिले है। सभी पंजीकृत एमएसओ की वास्तविक स्थिति की ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है और हिट ऑपरेटरों ने सीडिंग डेटा प्रदान नहीं किया है:

डॉस की तीसरा चरण – 1.2.2016 की स्थिति के अनुसार सीडिंग की स्थिति							
Ø- l-	jkT;@dUn 'kkflr in'k	y{;	MhVh,p lhfMx	fgV~l lhfMx	,e,lvk lhfMx	dy lhfMx	lhfMx çfr'kr
1	आंध्र प्रदेश	2,453,928	733,443	13,390	998,126	1,744,959	71.11
2	अरुणाचल प्रदेश	61,019	75,082	296	0	75,378	123.53
3	असम	671,024	825,935	1,177	259,217	1,086,329	161.89
4	बिहार	949,432	715,814	311	241,832	957,957	100.90
5	छतीसगढ़	982,745	676,038	2,224	88,642	766,904	78.04
6	गोवा	98,773	95,893	0	11,561	107,454	108.79
7	गुजरात	1,945,547	661,201	10,623	1,260,017	1,931,841	99.30
8	हरियाणा	1,287,625	1,151,800	15,759	673,159	1,840,718	142.95
9	हिमाचल प्रदेश	158,364	124,735	8,203	174,361	307,299	194.05
10	जम्मू और कश्मीर	303,269	400,692	4,974	84,902	490,568	161.76
11	झारखंड	646,951	278,313	1,631	135,092	415,036	64.15
12	कर्नाटक	2,434,346	2,153,605	977	694,206	2,848,788	117.02
13	केरल	1,390,519	601,052	0	1,280,258	1,881,310	135.30
14	मध्य प्रदेश	2,172,560	1,002,417	504	370,752	1,373,673	63.23
15	महाराष्ट्र	4,202,944	4,382,966	3,865	947,115	5,333,946	126.91
16	मणिपुर	140,680	33,197	0	0	33,197	23.60
17	मिजोरम	102,722	14,490	0	15,280	29,770	28.98
18	मेघालय	101,221	100,286	0	6,725	107,011	105.72
19	नगालैंड	93,800	102,846	433	2,858	106,137	113.15
20	ओडिशा	1,150,165	865,668	1,941	174,891	1,042,500	90.64
21	पंजाब	1,466,256	1,134,281	6,862	1,098,463	2,239,606	152.74
22	राजस्थान	1,843,229	1,105,319	5,382	614,259	1,724,960	93.58
23	सिक्किम	33,120	56,436	0	5,770	62,206	187.82
24	तमिलनाडु	7,929,950	2,773,199	87	18,983	2,792,269	35.21
25	तेलंगाना	1,819,556	287,268	1,378	385,687	674,333	37.06
26	त्रिपुरा	157,746	97,055	0	20,800	117,855	74.71
27	उत्तर प्रदेश	3,833,311	2,792,745	3,212	799,856	3,595,813	93.80
28	उत्तराखंड	586,632	463,692	71	225,853	689,616	117.56
29	पश्चिम बंगाल	1,266,563	412,788	2,695	315,992	731,475	57.75
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	26,773	105	2,796	25,928	28,829	107.68
31	दादरा और नगर हवेली	29,380	28,297	0	0	28,297	96.32
32	दमन और दीव	33,695	17,389	0	125	17,514	51.98
33	लक्षद्वीप	6,592	1,300	0	0	1,300	19.72
34	पांडिचेरी	180,036	11,005	0	18,636	29,641	16.46
	dy	**40,560,474**	**24,176,352**	**88,791**	**10,949,346**	**35,214,489**	**86.82**

12-3 ,lVhch ds Lons'kh fuekZ.k dks c<kok nsus ds fy, lwpuk ,oa çlkj.k ea=ky; }kjk mBk, x, dne

सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश में स्वदेशी एसटीबी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. एमएसओ को स्वदेश में निर्मित एसटीबी का उपयोग करने की सलाह - लगभग सभी बैठकों में पंजीकृत एमएसओ को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि अगर संभव हो तो वो भारत में निर्मित एसटीबी की ही खरीद कर उसे लगाएं।
2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित लगभग सभी समितियों में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण विनिर्माण एसोसिएशन (सीईएएमए) का एक सदस्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि के रूप में रहेगा। सीईएएमए द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दे और उन पर लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नवत है:

I. Lons'k esa fufeZr ,lVhch ds fy, QkeZ ^lh* dh lqfo/kk dk foLrkj

i. चूंकि एमएसओ आम तौर पर उपभोक्ताओं को एसटीबी नहीं बेचते हैं लेकिन सक्रियण शुल्क का भुगतान प्रदान करते हैं, इस तरह वे सी-फार्म जारी करने में सक्षम नहीं हैं। नतीजतन उन्हें सी-फार्म जमा करने पर 2 प्रतिशत की जगह/14 प्रतिशत वैट का भुगतान करना होता है।

ii. इस मुद्दे को सक्रिय रूप से दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आगे किया गया था।

iii. दूरसंचार विभाग के अवलोकन पर 30 जून 2014 को को इस बात की पुष्टि हो गई कि एसटीबी दूरसंचार नेटवर्क का एक हिस्सा हैं।

iv. इसके बाद, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, ने 13 अगस्त, 2014 को जारी अपने ज्ञापन में, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 (3) (बी) के तहत इन्हें 'दूरसंचार नेटवर्क' में इस्तेमाल के लिए गुड्स की परिभाषा में शामिल कर सेट टॉप बॉक्स की सुविधा की विस्तार किया।

v. इस प्रकार इस मुद्दे का निराकरण हुआ।

II. स्थानीय एसटीबी विनिर्माण उद्योग के लिए लंबी अवधि का वित्तपोषण

i. एमएसओ और सीईएएमए को जानकारी मिली थी कि विदेशी एसटीबी आपूर्तिकर्ताओं भारतीय खरीदारों को सेट टॉप पर लंबी अवधि के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं लेकिन स्थानीय एफआईआई और बैंक सेट टॉप बॉक्स पर लंबी अवधि के वित्तीय सुविधा प्रदान नहीं करते हैं और वर्तमान में उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है।

ii. इस मुद्दे पर एमएसएमई, बैंकिंग सेवाओं के विभाग और सिडबी के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सिडबी (सीआईडीबीआई) ने सुझाव दिया था कि घरेलू एसटीबी निर्माता एस्क्रौ योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एमएसओ को यह व्यावहारिक नहीं लगा।

iii. Hkkjr&vkfl;ku ,QVh, le>kSrs ds rgr vk;kr 'kqYd esa deh

i. सीईएएमए ने 29-12-2014 को लिखित वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं 37/2014 और 38/2014- की तरफ ध्यान आकर्षित किया, जिसमें आसियान देशों से आयात पर 1 जनवरी 2015 से कस्टम शुल्क का 2 फीसदी लगेगा। आसियान देशों के साथ भारत सरकार द्वारा एक पुराने एफटीए समझौते के तहत कई सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सीईएएमए ने आगे इस बात का उल्लेख किया था कि 1 जनवरी 2016 से कस्टम ड्यूटी समाप्त हो जाएगी।

ii. सीईएएमए ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि सरकार द्वारा आसियान देशों से आयात पर कस्टम ड्यूटी में कमी से डीटीएच उद्योगपती और एमएसओ इन देशों में सेट टॉप बॉक्स की खरीद के लिए आकर्षित होंगे और इससे एसटीबी के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की कोशिश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

iii. इस मुद्दे को एमएसएमई और डाईट ने उठाया था। दो साल के लिए आसियान-भारत के तहत एसटीबी के आयात पर 2 प्रतिशत की रियायती बीसीडी लागू करने के डाईट के सुझाव को वाणिज्य विभाग को भेजा गया था।

iv. वाणिज्य मंत्रालय ने यह उल्लेख किया था कि 1 जनवरी को भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते के तहत के तहत बीसीडी पर 2 प्रतिशत की छूट बातचीत के जरिए हुए समझौते का परिणाम है, जिसे दूसरे के नुकसान के लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा एकतरफा तरीके से बदला नहीं जा सकता। आगे यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि देश पीड़ित है तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वैश्विक सुरक्षा उपायों का आह्वान कर सकती है। वाणिज्य मंत्रालय ने आगे

यह भी सुझाव दिया था कि घरेलू निर्माताओं उत्पादन पर सब्सिडी दी जाए जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत मान्य हो।

v. इस मुद्दे पर आगे सीईएएमए के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया, जिन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए:

- आसियान देशों से आने वाले माल पर सेफगार्ड कर लगाया जा सकता है।
- भारत सरकार एसटीबी निर्माण का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित कर सकती है।

vi. यह तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित एक नीति मुद्दा है जिसकी देख रेख डाइट द्वारा की जा रही है।

3- Hkkjrh; dSl dk fodkl & डिजाइन और घरेलू एसटीबी के विकास में एक प्रमुख बाधा भारतीय कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) की अनुपलब्धता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डाइट) को स्वदेशी कैस के विकास के लिए मैसर्स डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय कैस के विकास से देश में न केवल विकास और एसटीबी के निर्माण को आगे बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह एसटीबी का अंतर भी प्रदान करता है। केबल उपभोक्ता ही बिना सर्विस प्रोवाइडर को बदले एक ही एसटीबी का लगातार उपयोग कर सकते हैं। भारतीय कैस के कार्य का प्रयोग किया जा रहा है और यह और इसे डाइट का मंजूरी मिलना बाकी है। भारतीय कैस केबल टीवी डिजिटलीकरण के चौथे चरण के दौरान कार्यान्वित होने पर उपलब्ध होने की संभावना है। भारतीय कैस तैयार होने पर भारत निर्मित एसटीबी की मांग में वृद्धि हो सकती है।

यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में निर्मित एसटीबी के उत्पादन और आपूर्ति में, विशेषकर डिजिटलीकरण के चौथे चरण के प्रयासों के साथ वृद्धि होगी और इस रूप में भारतीय कैस के भी उस समय तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। उपर्युक्त मुद्दों के निपटान के साथ, घरेलू एसटीबी निर्माता अतिरिक्त घरों में टीवी के कारण एसटीबी की मांग को पूरा कर पाने की स्थिति में होगें।

13- rhljs pj.k ds fØ;kUo;u ds fy, mBk, tk jgs dne@j.kuhfr

i. भारत में सफलता के आयाम स्थापित करने के लिए नियमित रूप से घरेलू एसटीबी निर्माताओं के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

ii. मिशन डिजिटलीकरण योजना के तहत 12 क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना, राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के साथ कार्यशालाओं का संचालन करने, एक बहुभाषी टोल फ्री कॉल सेंटर, एक वेबसाइट और ऑनलाइन डाटा संग्रह सॉफ्टवेयर के लिए 13.02 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी गई थी।

iii. वेबसाइट अपडेशन – www.mib.nic.in के साथ-साथ www.DigitalIndiaMIB.com जैसी वेबसाइटों को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

iv. टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को तीसरे और चौथे चरण के लिए पुनर्गठित किया गया। इसमें एमएसओ और एलसीओ का व्यापक प्रतिनिधित्व था। एमएसओ और एलसीओ के नामांकन राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त हुए थे। टास्क फोर्स की मासिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। तेरह बैठकें पहले से ही आयोजित हो चुकी हैं। पहली टास्क फोर्स की बैठक को माननीय एमआईबी द्वारा संबोधित किया।

v. उप समूहों का गठन। 3 उप समूह/समितियों का गठन किया गया है:

क. जन जागरूकता अभियान की रणनीति के लिए सार्वजनिक उप-समिति की सिफारिश।

ख. पांच मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) का उप-समूह बनाया गया है और प्रत्येक उप समूह के साथ नियमित रूप से बैठकें की जा रही हैं।

ग. स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) संघों का उप समूह बनाया गये है। इस उप-समूह के गठन के लिए राज्य सरकारों से नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। उप-समूह की दो बैठकें पहले ही आयोजित हो चुकी हैं। राज्य / केंद्र शासित राज्य सरकारों से नामांकन की प्रतीक्षा की जा रही है।

vi. तीसरे चरण के क्षेत्रों में संचालन के लिए समयबद्ध एमएसओ का पंजीकरण - तीसरे चरण में एमएसओ से आवेदन आमंत्रित करने के लिए 7 नवंबर, 2014 को सभी क्षेत्रीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार अभियान के बाद

किया गया था। 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन तकालीन मांग पर तिथि को 6 फरवरी 2015 तक आगे बढ़ा दिया गया था। इनमें से अधिकांश को सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया।

क. 231 एमएसओ को नियमित पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ख. मई 2015 में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि एमएसओ के लिए सुरक्षा मंजूरी आवश्यक नहीं है। चूंकि केबल नियम सुरक्षा मंजूरी के अनुसार एमएसओ पंजीकरण का मुद्दा अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए जब तक केबल नियमों में गृह मंत्रालय की सहमति से संशोधन किया जाता है तब तक आवेदक को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के नियम 11E के अनुसार अनंतिम पंजीकरण के मुद्दे के लिए शपथ पत्र को साथ में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। 27 जनवरी 2016 तक 445 आवेदकों को अनंतिम पंजीकरण प्रदान किए जा चुके हैं।

ग. इस तरह कुल 27 जनवरी 2016 तक कुल 676 एमएसओ को मंत्रालय द्वारा पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

viii. एसटीबी सीडिंग स्टेटस के लिए एमआईएस सॉफ्टवेयर

क. एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और हिट ऑपरेटरों से ऑनलाइन सीडिंग डेटा के संग्रह के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

ख. सभी पंजीकृत एमएसओ, डीटीएच और हिट्स ऑपरेटरों से एमआईएस सॉफ्टवेयर में लॉग इन करने और क्षेत्रवार एसटीबीसी सीडिंग डेटा अपलोड करने का अनुरोध किया गया है।

ग. उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि वे कम से कम सप्ताह में एक बार सीडिंग डेटा को अपडेट करें।

घ. बकाएदारों को अलर्ट जारी किए जा रहे हैं।

viii.जन जागरूकता अभियान

क. मंत्रालय द्वारा 5 बार प्रिंट विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं - 15 नवंबर 2014, 11 जुलाई 2015, 19 अक्टूबर 2015, 29 नवंबर 2015 और 20 दिसंबर 2015।

ख. 29 नवंबर 2015 तथा 20 दिसंबर 2015 को मंत्रालय द्वारा देश में मोबाइल उपभोक्ताओं के मोबाइल पर 2 बार एसएमएस भेजे जा चुके हैं।

ग. आईबीएफ ने जनजागरूता अभियान की शुरुआत की।

घ. एनबीए ने सदस्यों को निर्देश जारी किए है कि वे विज्ञापन और स्क्रॉल साथ ले जाएं।

ड. मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2015 को सभी एमएसओ और प्रसारकों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 12 के तहत एक एडवाइजरी जारी की

नई दिल्ली में 3 जून 2015 को राज्य स्तरीय नोडल अफसरों की बैठक

नई दिल्ली में 3 नवम्बर 2015 को राज्य स्तरीय अफसरों की बैठक

गई है। कई प्रसारकों द्वारा रिपोर्ट भेजी दी गई है।

च. दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने चैनलों पर प्रचार कर रहे हैं।

ix. राज्यों / केंद्र शासित सरकारों की भागीदारी - स्थानीय स्तर पर केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 को लागू करने के लिए राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 के दूसरे अनुच्छेद में प्राधिकृत अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपजिलाधिकारी अथवा पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इस कानून के अनुच्छेद 11 और 12 में नियमों का उल्लंघन करने पर केबल संचालक के उपकरणों को जब्त और कुर्क करने की व्यवस्था का उल्लेख है।

क. मंत्रालय के अनुरोध पर, राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को नामांकित किया गया।

ख. 24 फरवरी 2015 को निवास आयुक्त कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई।

ग. 3 जून 2015 और 3 दिसंबर 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें केबल टीवी डिजिटलीकरण को लागू करने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।

घ. जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों और एमएसओ को डॉस के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के बारे

22 जुलाई 2015 को चंडीगढ़ तथा 29 जुलाई 2015 को लखनऊ में आयोजित कार्यशाला

में जागरूक करने के लिए लिए क्षेत्रीय स्तर पर 11 कार्यशालाओं का आयोजन चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, शिलांग, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, बंगलुरु और पटना में किया गया। पंजीकृत एमएसओ, जिन्हें क्षेत्रों में संचालन की अनुमति थी वहां पर कार्यशाला आयोजित की गई थी और उन्हें भी इसमें आमंत्रित किया गया था।

ज. 12 नवंबर, 2015 को सभी मुख्य सचिवों को उनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

x. क्षेत्रीय इकाइयां - संपर्क कार्य, और डेटा का संग्रह तथा डिजिटलीकरण की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए 12 क्षेत्रीय इकाइयां स्थापित की गई हैं।

LFkku	leUo;u
दिल्ली	समग्र समन्वय और हरियाणा
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप
भुवनेश्वर	ओडिशा और पश्चिम बंगाल
लखनऊ	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगलुरु	कर्नाटक और केरल
भोपाल	मध्य प्रदेश और छतीसगढ़
गुवाहाटी	मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम
चंडीगढ़	पंजाब, जम्मू–कश्मीर और हिमाचल प्रदेश
अहमदाबाद	गुजरात और दमन एवं दीव
जयपुर	राजस्थान
पुणे	महाराष्ट्र, गोवा और दादरा एवं नगर हवेली
पटना	बिहार और झारखंड

xi. Vksy Ýh gSYiykbu

i. बहुभाषी टोल फ्री हेल्पलाइन कार्य कर रही है।

ii. नंबर: 1800 180 4343।

iii. 8 भाषाओं में सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं- हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी।

iv. 31 दिसंबर 2015 की कट ऑफ तारीख से प्रत्येक

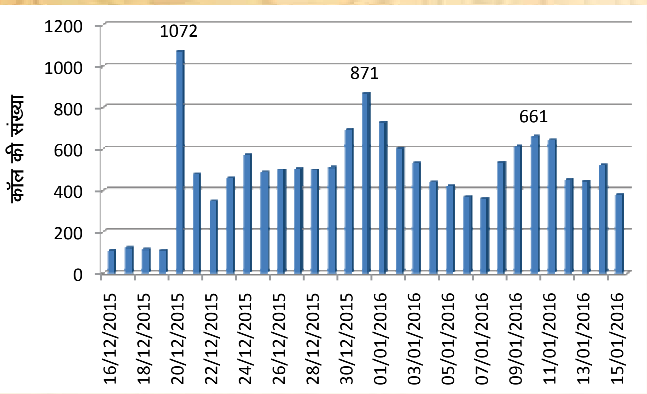

दिन 500 से अधिक कॉल प्राप्त हो रही हैं।

X. vkilh le>krk ij gLrk{kj

क. प्रसारकों एमएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी एमएसओ के साथ आपसी (इंटरकनेक्शन) समझौतों पर हस्ताक्षर करें।

ख. एमएसओ को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी एलसीओ के साथ आपसी समझौतों पर हस्ताक्षर करनें।

ग. 9 दिसंबर 2015 को सभी प्रसारकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे 1 जनवरी, 2016 के बाद तीसरे चरण क्षेत्रों के लिए केवल पंजीकृत एमएसओ हेतु सिग्नल की आपूर्ति करें और जो केवल डिजिटल एन्क्रिप्टेड सिग्नल प्रदान करते हैं।

XI. fujh{k.kdrk vfèkdkjh

क. दूरदर्शन और आकाशवाणी के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को एमएसओ के कैरीआउट निरीक्षण के लिए मनोनीत किया गया है।

ख. एक अधिकारी 2 से 3 एमएसओ का निरीक्षण करेगा।

XII. rhlj pj.k dh rkjh[k dk LFkfxr dju dk vuqjkèk

राज्य सरकारों, एमएसओ और अन्य हितधारकों द्वारा मंत्रालय को कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे जिसमें केबल टीवी डिजिटलीकरण के तीसरे चरण की अंतिम तिथि, 31 दिसंबर 2015 को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। इन पर सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 2015 को आयोजित टास्क फोर्स की 13 वीं बैठक में विचार किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि तीसरे चरण के लिए कट ऑफ तारीख की अधिसूचना 11/09/2014 को जारी की गई थी जिसका समय एक वर्ष से भी अधिक का हो गया है। इसके अलावा, इस दौरान राज्य और जिला नोडल अधिकारियों ने कई जागरूकता अभियान, टास्क फोर्स और एमएसओ उप-समूह की बैठकें और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित मुख्य सचिवों द्वारा इस पहल के महत्व पर समय-समय पर अवगत कराया गया। इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कोई मामला जो भी हो लेकिन कट ऑफ की तारीख 31 दिसंबर 2015 में किसी भी तरह का विस्तार नहीं किया जाएगा।

iii. अदालती मामले

प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी गई और एमआईएस के अनुसार 31.12.2015 तक 75 प्रतिशत समग्र सीडिंग की जा चुकी थी। परंतु, 30.12.2015 को एमएसओ संगठन ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें अदालत ने उन्हें दो महीने का विस्तारित समय मंजूर किया। इसके समरूप बम्बई हाई कोर्ट ने मैसर्स नाशिक जिला केबल आपरेटर्स असोसिएशन द्वारा दाखिल की गई एक रिट याचिका की सुनवाई करते समय 04.01.2016 को निम्नांकित आदेश पारित किया। "चूंकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और सिक्किम उच्च न्यायालय ने कुसुम इंगट्स एंड अलायज लिमिटेड बनाम भारतीय संघ (2004) 6 उच्चतम न्यायालय मामला 254, मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है, और विशेषकर उक्त आदेश के पैरा 22 को देखते हुए, इस मामले में अंतरिम आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता है।" इससे मिलते जुलते मामलों में, कुछ सम्बद्ध पक्षों ने भी अन्य उच्च न्यायालयों जैसे ओडिशा, असम, चंडीगढ़, छतीसगढ़, केरल, इलाहाबाद और कर्नाटक में मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से कुछ अदालतों ने भी दिनांक 11.02.2014 की गजट अधिसूचना के प्रचालन पर रोक लगा दी है, जिनमें फेस-3 डिजिटीकरण की कट-आफ तारीख 31.12.2015 पुनः निर्धारित की गई थी। मंत्रालय इन मामलों को डिफेंड कर रहा है और रोक समाप्त करवाने का प्रयास कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर अप्लीकेशन भी दाखिल की जा रही है।

स्पोर्ट्स ब्राडकास्टिंग सिगनल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007

भारत और विदेश में आयोजित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण निःशुल्क यानी फ्री टू एयर आधार पर अधिक से अधिक श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स ब्राडकास्टिंग सिगनल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 पारित किया गया। यह कार्य प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिग्नलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के जरिए किया जाता है। स्पोर्ट्स ब्राडकास्टिंग सिगनल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 की धारा 3(1) के अनुसार इस अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न खेल कार्यक्रमों के प्रसारण संकेत प्रसार भारती के साथ साझा करना अनिवार्य है। सरकार ने जी.एस.आर. 687(ई) दिनांक 31.10.2007 के जरिए खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) नियम 2007 अधिसूचित किए ताकि अधिनियम का सुचारू और समुचित कार्यान्वयन किया जा सके। अधिनियम की धारा 2(1)(एस) में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कवरेज के लिए राष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं को अधिसूचित कर सकती है। सरकार ने

एस.ओ. 1489(ई) दिनांक 04.07.2012 और एस.ओ. 1957(ई) दिनांक 23.08.2012 भी अधिसूचित किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं का ब्यौरा दिया गया है, जिनमें अन्य के अलावा क्रिकेट, टैनिस, हॉकी और फुटबॉल से संबंधित खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशा निर्देश

भारत में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) व्यापक बहस का मुद्दा रहे हैं, क्योंकि टीआरपी की वर्तमान प्रणाली में असंख्य विसंगतियां हैं, जैसे लघु नमूना आकार, जो प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं होता है, पारदर्शिता का अभाव, आंकड़ों की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता का अभाव आदि। प्रमुख सम्बद्ध पक्षों द्वारा वर्तमान रेटिंग प्रणाली की खामियों को उजागर किया गया है, जिनमें व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सरकार, प्रसारणकर्ता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसियां आदि शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध स्थाई समिति के सदस्यों ने भी वर्तमान टीआरपी व्यवस्था की खामियों को लेकर चिंता प्रकट की है। एमआईबी ने टीआरपी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में ट्राई से सिफारिशें मांगी हैं और रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति निर्देश मंजूर किए जाने हैं। ट्राई ने 19 अगस्त 2008 को अपनी सिफारिशों में अन्य बातों के अलावा स्वःनियमन की अनुशंसा की, जो उद्योग आधारित एक निकाय अर्थात् प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) की स्थापना के जरिए किया जा सकता है। मंत्रालय ने 2010 में त्तकालीन फिक्की महासचिव डॉ अमित मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे भारत में वर्तमान टीआरपी प्रणाली की समीक्षा का काम सौंपा गया था। अमित मित्रा समिति ने यह अनुशंसा भी की थी कि उद्योग द्वारा टीआरपी का स्वःनियमन आगे बढ़ने का उत्कृष्ट तरीका है।

बीएआरसी चूंकि टीआरपी सृजन व्यवस्था को प्रचालित नहीं कर पाई, अतः एमआईबी ने अगस्त 2012 में भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापक दिशा निर्देशों व उनके प्रत्यायन की व्यवस्था के लिए ट्राई से सिफारिशें देने को कहा ताकि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बेहतर मानक और सेवाओं की गुणवता सुनिश्चित की जा सके। टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश के बारे में ट्राई की अनुशंसाएं 11.9.2013 को प्राप्त हुईं। बीएआरसी की तरह के उद्योग आधारित निकाय के जरिए टेलीविजन रेटिंग के स्वःनियमन का समर्थन करते हुए ट्राई ने सिफारिश की कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों का नियमन एमआईबी द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों के एक फ्रेमवर्क के जरिए किया जायेगा। यह अनुशंसा की गई कि वर्तमान रेटिंग एजेंसियों सहित सभी रेटिंग एजेंसियों को उक्त दिशा निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार एमआईबी के साथ पंजीकरण कराना होगा।

ट्राई की सिफारिशों के आधार पर भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए मंत्रालय द्वारा 16.01.2014 को व्यापक नीति-निर्देश जारी किए गए। भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा-निर्देश इस बात को ध्यान में रख कर तैयार किए गए हैं कि वर्तमान टेलीविजन रेटिंग की खामियां दूर की जा सकें। इन दिशा-निर्देशों का लक्ष्य टेलीविजन रेटिंग को पारदर्शी, भरोसेमंद और जवाबदेह बनाना है। इस क्षेत्र में प्रचालित एजेंसियों को सरकारी प्रकटीकरण से संबंधित निर्णयों का अनुसरण करना होगा और अपनाई गई पद्धतियों में पारदर्शिता और त्तसंबंधी व्यवस्थाओं की तृतीय पक्ष जांच करानी होगी। इससे रेटिंग एजेंसियों को सरकार, प्रसारणकर्ताओं, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों जैसे सम्बद्ध पक्षों और सबसे ऊपर इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

टीएएम मीडिया रिसर्च में 51: रेटिंग रखने वाली कम्पनी कांतर मार्किट मीडिया रिसर्च ने मंत्रालय द्वारा टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के बारे में जारी नीति-दिशा निर्देशों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस कम्पनी ने दिशा निर्देशों के खंड 1.7(ए) और 1.7(डी), तथा खंड 16.1 और 16.2 को चुनौती दी है,जो क्रासहोल्डिंग प्रतिबंधों से संबंधित है।

'16.1 ये दिशा-निर्देश वर्तमान रेटिंग एजेंसियों पर भी लागू होंगे।

16.2 कोई रेटिंग एजेंसी इन दिशा-निर्देशों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किए बिना रेटिंग का सृजन और प्रकाशन नहीं करेगी'

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में इन प्रावधानों पर मामले के अंतिम निपटारे तक रोक लगा दी है। वर्तमान में मामला न्यायालय के अधीन है। मैसर्स टैम मीडिया रिसर्च और प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) ने मंत्रालय में पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है।

मैसर्स प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद ने 3.11.2014 को टीआरपी एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 28.7.2015 को उसे टीआरपी एजेंसी के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया।

मैसर्स टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने 19.2.2014 को टीआरपी एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। वर्तमान में उनका आवेदन मंत्रालय के विचाराधीन है।

समुदायिक रेडियो

विहंगावलोकन :

समुदायिक रेडियो, सार्वजनिक सेवा और वाणिज्यिक मीडिया से अलग, प्रसारण का महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है। यह स्थानीय लोगों को, उनके जीवन से संबंधित मुद्दों को स्वर देने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में यह क्षेत्र धीरे-धीरे, लेकिन प्रभावी ढंग से वृद्धि कर रहा है। सामुदायिक रेडियो, वास्तव में, कम क्षमता के रेडियो स्टेशन हैं, जो स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किए जाते हैं। भारत में सीआरएस अनुमतियां केवल शैक्षणिक संस्थानों, कृषि संस्थानों और नागरिक संगठनों जैसे गैर-लाभकारी संगठनों को प्रदान की गई हैं। सीआरएस स्थानीय समुदायों में स्थित हैं और इनका स्वामित्व और प्रबंधन स्वयं समुदायों द्वारा किया जाता है। यह उन्हें स्वास्थ्य, पोषण,

शिक्षा और कृषि आदि स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की विशेष सुविधा देता है। इसके अलावा, सीआर क्षेत्र हाशिये पर स्थित समूहों को उनकी चिंताओं को आवाज देने के लिए सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है।

यही नहीं, चूंकि प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, लोग इससे आसानी से जुड़ने में समर्थ होते हैं। सामुदायिक रेडियो, विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की भी क्षमता रखता है। भारत जैसे देश में, जहां प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सीआरएस स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का कोष भी है। कई सीआरएस, भावी पीढी के लिए स्थानीय गीतों को रिकार्ड और संरक्षित भी करते हैं और स्थानीय कलाकारों को समुदाय के समक्ष उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच मुहैया कराते हैं। सकारात्मक सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सीआरएस की अनूठी स्थिति, इसे समुदाय के सशक्तिकरण का एक आदर्श उपकरण बना देता है। सामुदायिक रेडियो के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और वर्तमान में संचालित सीआरएस की सूची डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट एमआईबी डाट एनआईसी डाट आईएन पर देखी जा सकती है।

दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने सुव्यवस्थित शिक्षण संस्थानों को सीआरएस की स्थापना के लिए अनुदान देने की एक नीति को मंजूरी दी। 2006 में, गैर-लाभकारी संस्थाओं को भी सीआरएस की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया, ताकि विकास और सामाजिक परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर नागरिक समाज की अधिक भागीदारी हो सके। वर्तमान समय में, 188 संचालित सीआरएस, 236 जीओपीए धारक और 432 एलओआई धारक हैं।

सीआर प्रसारण ने आवेदन कार्यप्रणाली के सरलीकरण, आवेदनों की प्रोसेसिंग की पारदर्शिता में सुधार, मंजूरी की गति में वृद्धि, बेहतर समन्वय, जागरूकता बढ़ाने, शेयर धारकों के मध्य बेहतर तालमेल और सीआर के प्रसारण में सरकारी मंत्रालयों की भागीदारी बढ़ाने जैसे कदम उठाकर भारत में सीआर के सार्थक विकास की ठोस नींव रखी है।

भारत में सीआरएस की स्थिति :

सरकार को शैक्षणिक संस्थानों, एनजीओ, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों से 1823 से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक, 432 आवेदकों को आशय पत्र (एलओआई)

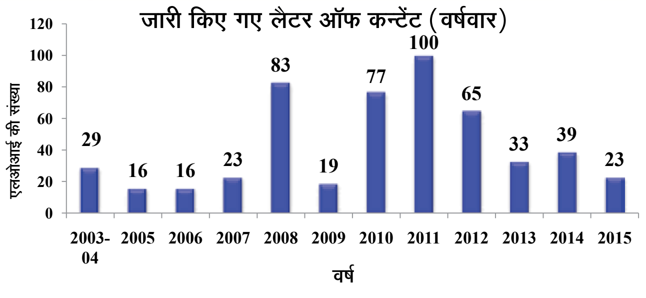

जारी किए जा चुके हैं। 432 एलओआई धारकों में, 236 अनुमति समझौतों की स्वीकृति (जीओपीए) पर हस्ताक्षर कर

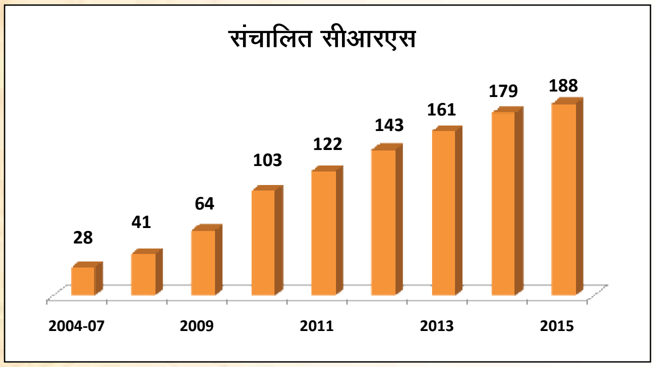

चुके हैं। सीआरएस की स्थापना से संबंधित लगभग 320 आवेदन अभी विचाराधीन हैं।

जारी एलओआई की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है :

अब तक, देश में 188 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 70 एनजीओ द्वारा, 105 शैक्षणिक संस्थानों और 13 एसएयू/केवीके द्वारा संचालित हैं।

संचालित सी आर एस का रेखाचित्रीय प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

मंत्रालय की नई पहल :

सीआरएस के नवाचार की अनुमति : सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को सहयोग देने और सामुदायिक रेडियो में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान जारी करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुवीक्षण समिति ने प्राप्त 60 प्रस्तावों में से, 2 प्रस्तावों को अनुमति देने की अनुशंसा की है और 5 मामलों में आवेदकों से आगे ब्योरा मांगा गया है।

सीआरएस की क्षमता निर्माण: सीआरएस की जरूरत के मुताबिक एक प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन किया गया है। इस मुद्दे पर हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की गई है। अंत: 5 विषयों की पहचान की गई है, जिन पर सीआरएस की क्षमता का निर्माण किया जाएगा। सीआरएस की क्षमता निर्माण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एफआरपी का मसौदा तैयार किया गया है।

संचालित सीआरएसों का राष्ट्रीय सम्मेलन: सरकारी

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान करते हुए

पदाधिकारियों, मीडिया कार्यकर्ताओं और सीआर संचालकों को विचारों के आदान-प्रदान और एक दूसरे से सीखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए 16 से 18 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संचालित सीआरएस का 5 वां तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन के दौरान सामुदायिक रेडियो संग्रह का 5वां संस्करण जारी किया गया। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय सीआर पुरस्कार भी प्रदान किए।

संचालित सीआरएस का 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2016 में होगा। सम्मेलन में सीआर संग्रह का 6वां संस्करण जारी किया जाएगा और वर्ष 2015-16 के लिए सीआर पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन : संचालित सीआरएस को उनकी जमीनी कहानियों, सफलताओं, मुद्दों और अच्छे कार्यों की हिस्सेदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के आशय से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआइबी) ने वर्ष 2014-15 में सामुदायिक रेडियो का क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू किया। वर्ष 2014-15 के दौरान, पुड्डुचेरी और लखनऊ में दो क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए।

वर्ष 2015-16 में भी भोपाल और पुणे में दो क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।

सामुदायिक रेडियो पर जागरूकता कार्यशाला : भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन की सफलता के लिए जागरूकता उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, 2007 के बाद से ही विभिन्न हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से मंत्रालय सामुदायिक रेडियो योजना का व्यापक प्रचार कर रही है। अब तक 63 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। ये कार्यशालाएं

वडोदरा, गुजरात में 22-24 जनवरी को आयोजित सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला के चित्र

सीआरएस से संबंधित दिशानिर्देशों, आवेदन प्रक्रिया, सामग्री और स्थिरता आदि मुद्दों को संबोधित करने में सफल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वडोदरा, जोधपुर, नागपुर, वाराणसी, रांची, शिलांग, तिरुपति और अमृतसर में आठ जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशालाओं में उन जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे, जिन क्षेत्रों में अभी तक कोई सीआरएस कार्य नहीं कर रहा है।

lhvkj,l dh fo"k; lkexh lk>k eap % एक दुनिया एक आवाज (ईडीएए) डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट ईडीएए डाट आईएन, सामुदायिक रेडियो प्रसारकों, सरकारी विभागों और अन्य आइइसी सामग्री उत्पादकों के लिए एक वेब आधारित सामग्री और जानकारी के आदान-प्रदान का एक स्वतंत्र और खुला मंच है। ईडीएए पोर्टल सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को आपस में उनके कार्यक्रमों की भागीदारी करने का अवसर उपलब्ध कराता है। मंत्रालय सामग्री प्रबंधन के लिए श्रमशक्ति हासिल करने में वित्तीय सहायता के जरिए इस मंच की मदद करता है।

वर्तमान में, पोर्टल के पास 29 विभिन्न भाषाओं/बोलियों में 11,000 ऑडियो क्लिप और रेडियो कार्यक्रमों का भंडार है। 110 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने इसमें, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, सफाई और पेयजल आदि विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम अपलोड किए हैं।

सफलता की कहानी/घटना अध्ययन

रेडियो मेवात, नुह, हरियाणा- सामुदायिक रेडियो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

वारिसा बानो के संघर्ष और आस्तिव रक्षा की कहानी। 2012 में महिला प्रसारकों की कार्यशाला के अंश के रूप में, वारिसा की कहानी का खुलासा सामुदायिक रेडियो मेवात में किया गया। अपनी आवाज को सुने जाने की संभावना से उत्साहित वारिसा, शीघ्र ही बाद में रेडियो स्टेशन में शामिल हो गई। उसने अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और गांव वालों के काफी प्रतिरोध का सामना किया। लेकिन उसके दादा एक ऐसे बुजुर्ग थे, जिन्हें उस पर विश्वास था। वह उनके साथ रेडियो स्टेशन आई और उनकी टीम से मिली। उन्होंने वादा लिया कि हम उसे प्रतिदिन 4 बजे शाम तक घर वापस जाने देंगे। सभी वादों के बाद उन्होंने एक एंकर के तौर पर अपने सपनों को पूरा करने की इजाजत वारिसा को दे दी। उसके परिवार द्वारा तय शर्तें कड़ी थीं- उसे स्टेशन आने से पहले घर के सभी काम पूरे करने पड़ते थे। नुह,जहां स्टेशन स्थित है, वहां से 23 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव लखनका में रहने की वजह से वारिसा को हर रोज सर्दी हो या गर्मी सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। लेकिन कड़ी मेहनत रंग लाई।

शर्मीली और कम बोलने वाली लड़की जल्दी ही एक सेलेब्रिटी बन गई। उसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसे दूरदर्शन

रेडियो मेवात, एंकर, वारिसा बानो का चित्र

और हरियाणा के स्थानीय चैनलों में चित्रित किया गया था। वह महिलाओं की आवाज बन गई- एक अनुकरणीय व्यक्ति। हाल में हुए पंचायत चुनाव में वारिसा जिला परिषद की सीट के लिए खड़ी हुई, दुर्भाग्यवश वह मात्र 6 मतों से हार गई। लेकिन वह निराश नहीं है। उसे लगता है कि वह चुनाव में भले ही हार गई हो, लेकिन उसने रेडियो से जीवन में जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हासिल किया है, उसे वह हमेशा याद रखेगी।

निजी एफएम रेडियो प्रसारण

1. विहंगावलोकन

मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर 2015 की अवधि के दौरान एफएम -के तीसरे चरण के पहले समूह की ई-नीलामी का आयोजन किया, जिसमें एफएम-के दूसरे चरण के मौजूदा 69 शहरों के 135 चैनल शामिल हैं। मंत्रालय अगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एफएम -के तीसरे चरण के अंतर्गत आगामी समूहों के नए 264 शहरों के लिए 831 एफएम चैनलों की ई-नीलामी की तैयारी कर रहा है। यह एफएम रेडियो का विस्तार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले और निजी एफएम रेडियो सेवा से वंचित सभी शहरों में हो जाएगा। इन नए 264 शहरों में पूर्वोत्तर राज्यों के 11 सीमावर्ती शहर और जम्मू-कश्मीर के एक लाख से कम आबादी के शहर शामिल हैं।

2. नई पहल

मंत्रालय ने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन एवं वितरण के लिए भेदभाव रहित विधि अपनाई है। जैसे नीलामी के स्तर में एफएम रेडियो फ्रिक्वेंसी, उच्चतम न्यायालय के 2 फरवरी 2012 के डब्ल्यूपी(नागरिक) संख्या 423, 2010 के फैसले के अनुरूप है। 15 प्रतिशत राष्ट्रीय पूंजी और 40 प्रतिशत शहर अनुसार पूंजी जैसे, तीसरे चरण के कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत मानदंडों स्वतः ई-नीलामी प्रणाली में शामिल हैं। जीतने वाले बोलीदाताओं को जीते हुए चैनल के लिए संबंधित शहर की पहले से चिन्हित फ्रिक्वेंसी में से एफएम फ्रिक्वेंसी चयन की अनुमति दी गई। फ्रिक्वेंसी चयन वरीयता बोलीदाताओं के पद पर आधारित थी, जैसे प्रथम पद के बोलीदाताओं की पहले से पहचान की गई फ्रिक्वेंसी में से चयन करने की पहली प्राथमिकता दी गई थी। सभी पहचान की गई फ्रिक्वेंसियों को चयन के लिए उपलब्ध कराया गया था और पहले समूह के लिए आवेदन आमंत्रित करने के समय में शामिल किया गया था।

2.1 एफएम-के तीसरे चरण की नीति की मुख्य विशेषताएं

i) रेडियो आपरेटरों को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को केवल स्थिर अपरिवर्तित रूप में ही लिए जाने की अनुमति दी गई है।

ii) खेल स्पर्धा, यातायात और मौसम से संबंधित सूचना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों की कवरेज, परीक्षा, परिणाम, प्रवेश, कैरियर परामर्श, रोज़गार के अवसरों की उपलब्धता संबंधी सूचनाएं, बिजली, जलापूर्ति, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य चेतावनी आदि सरकारी घोषणाओं सरीखी स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध सूचनाओं की कुछ श्रेणियों से संबंधित प्रसारणों को गैर-समाचार और समसामयिकी प्रसारण माना जाएगा। अतः उनके प्रसारण की अनुमति होगी।

iii) निजी आपरेटरों को एक शहर में एक से ज्यादा चैनलों के स्वामित्व की अनुमति दी गई है लेकिन शहर में तीन अलग आपरेटरों की न्यूनतम संख्या के अंतर्गत यह शहर के कुल चैनलों के 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती।

iv) लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व के 4 प्रतिशत या बोली मूल्य के 2.5 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जो भी उच्चतर हो।

v) निजी एफएम रेडियो प्रसारण कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संस्थागत विदेशी निवेश को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है।

vi) चैनलों की नेटवर्किंग देश भर में 'सी' और 'डी' श्रेणी के शहरों के बजाए एफएम प्रसारकों के खुद के नेटवर्क के भीतर ही अनुज्ञेय होगी, जिन क्षेत्रों की अनुमति चरण-दो के दूसरे चरण में है।

vii) एफएम प्रसारकों को एक विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है कि वह आशय पत्र (एलओआई) जारी होने के तीन महीने के अंदर वह सीटीआई के निर्माण के लिए बेसिल के अलावा कोई अन्य एजेंसी का चयन कर सकते हैं। ऐसा करने में असफल रहने पर बेसिल स्वतः व्यवस्था संयोजक हो जाएगा और सह-स्थान सुविधाओं और सीटीआई की स्थापना करेगा।

viii) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई) और जम्मू एवं कश्मीर और द्वीप प्रदेशों के लिए विशेष प्रोत्साहन :

- पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्रों और जम्मू एवं कश्मीर और द्वीप प्रदेशों को तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क की आधी दर का भुगतान उस दिन से करना होगा, जिस तारीख से वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय हो जाता है और 15 वर्ष की अनुमति की अवधि शुरू हो जाती है।
- दिशा निर्देश जारी करने की तारीख से संशोधित शुल्क संरचना भी तीन साल की अवधि के लिए लागू की गई है ताकि राज्य के मौजूदा आपरेटर, नए आपरेटरों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- प्रसार भारती ऐसे क्षेत्रों में समान श्रेणी के शहरों के लिए पट्टे की आधी किराया दर पर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराएगी।
- राष्ट्रीय स्तर पर चैनल के मालिकाना हक की सीमा एक इकाई के लिए आवंटित 15 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है। हालांकि जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप प्रदेशों में चैनलों के लिए बोली लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए आवंटित चैनलों को 15 प्रतिशत की राष्ट्रीय सीमा से परे और अधिक रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

2.2 एफएम चरण -तीन के पहले समूह की ई-नीलामी

चरण-तीन में लिए जाने वाले चैनलों की ई-नीलामी, दिनांक 25 जुलाई 2011 को चरण-तीन के लिए अनुमोदित नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार समूहों में की जाएगी। सरकार ने एफएम चरण-दो के 69 मौजूदा शहरों के लिए 135 रिक्त चैनलों की पहले समूह के तौर पर नीलामी की अनुमति दे दी है और मौजूदा द्वितीय चरण के लाइसेंस धारकों को एफएम चरण-तीन नीतिगत व्यवस्था में पलायन करने के लिए ट्राई द्वारा 20 फरवरी 2011 को अनुमोदित पलायन सूत्र के अनुसार शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी गई है।

इसके पूर्व, मुख्य सतर्कता आयुक्त के कार्यालय द्वारा एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आइइएम) सुश्री सोमी टंडन को मंत्रालय के लिए नामित किया गया था और उसकी नियुक्ति पूरी नीलामी प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की गई थी। मंत्रालय एफएम चरण-तीन की ई-नीलामी के लिए वैश्विक निविदा के आधार पर एक ई-नीलामीकर्ता का चयन करता है।

चरण-तीन के पहले समूह के लिए 21 जनवरी 2015 को सूचना ज्ञापन (आइएम) जारी किया गया, इसके बाद 28 जनवरी, 2015 को सभी हितधारकों के लिए एक नीलामी-पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बोली-पूर्व की अवधि में सरकार को 85 सवाल और सुझाव प्राप्त हुए और 17 फरवरी, 2015 तक सभी प्रश्नों का विधिवत जवाब दिया गया था।

सरकार ने उद्योग के कुछ सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों को स्वीकार कर लिया-जिनमें समग्र और अतिरिक्त मांग का प्रदर्शन, दूरसंचार विभाग की नीलामी के अनुसार नीलामी बंद होने का नियम, एक आवेदक कंपनी के निवल मूल्य का निर्धारण करने की कट-ऑफ तारीख में छूट और 135 चैनलों के लिए सभी संभव फ्रिक्वेंसी की पहचान करना शामिल है।

त्तपश्चात, चरण-तीन के पहले समूह में शामिल चरण-दो के मौजूदा 69 शहरों में 135 चैनलों के लिए 2 मार्च 2015 को एक आमंत्रण आवेदन सूचना (एनआइए) जारी की गई, जिसमें 23 मार्च 2015 तक आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके बाद 10 मार्च 2015 को दूसरी बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई। सरकार को इस सम्मेलन में 76 प्रश्न प्राप्त हुए और सभी प्रश्नों का विधिवत जवाब दिया गया। मंत्रालय ने हितधारकों के 30 सितंबर या बाद की तिथि में समाप्त हो रही वित्त वर्ष की अर्धवार्षिकी के लिए सीमित समीक्षा के अतिरिक्त, 31 मार्च, 2014 के वित्तीय ऑडिट पर आधारित सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने, स्वामित्व प्रमाण पत्र अनुपालन के प्रारूप में बदलाव और कोचीन शहर के लिए उपलब्ध फ्रिक्वेंसी की सूची से 104.8 मेगा हर्त्ज की पूर्व-चिन्हित फ्रिक्वेंसी को हटाने संबंधी सुझाव स्वीकार कर लिए। इन परिवर्तनों को 20 मार्च 2015 के संशोधन संख्या एक के माध्यम से सूचित किया गया। इस कारण, आवेदन प्राप्त करने की तारीख 23 मार्च 2015 से बढ़ाकर 27 मार्च 2015 कर दी गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, चरण-दो के मौजूदा 69 शहरों में 135 एफएम चैनलों की ई-नीलामी के लिए 2 मार्च 2015 को जारी एनआईए के जवाब में, मंत्रालय को कट-ऑफ तिथि 27 मार्च 2015 तक 28 आवेदन प्राप्त हुए। 30 मार्च 2015 के आदेश के अनुसार एफएम रेडियो (चरण-तीन) के अंतर्गत एफएम चैनलों के लाइसेंस प्रदान करने के लिए होने वाली ई-नीलामी में हिस्सा लेने वाले संभावित बोलीदाताओं के चयन के लिए एक आवेदन समीक्षा समिति (एआरसी) का गठन किया गया। एआरसी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय, राजस्व विभाग, कानूनी मामलों का विभाग और दूरसंचार विभाग के सदस्य शामिल थे। इसने सभी 28 आवेदनों की जांच की और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पूर्व-अर्हता वाले बोलीदाताओं की सूची को अंतिम रूप दिया।

पहले समूह में शामिल चरण-दो के मौजूदा 69 शहरों के 135 एफएम चैनलों के लिए 27 जुलाई 2015 को ई-नीलामी शुरू हुई और 125 दौर की बोलियों के बाद 9 सितंबर को समाप्त हुई। नीलामी के दौरान, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय अपनी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमआइबी डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर हर दिन बोली समाप्त होने के बाद रोजाना नीलामी रपट अपलोड करता था। ई-नीलामी की समाप्ति पर, 56 शहरों में लगभग 97 चैनल 1156.9 करोड़ के संचयी मूल्य के साथ अनंतिम जीते हुए चैनल बन गए। इस प्रकार, संचयी अनंतिम जीत की कीमत, पहले समूह के लिए कुल आरक्षित मूल्य से ज्यादा हो गई, जैसे 550.18 करोड़ के स्थान पर 606.72 करोड़ या 110.27 प्रतिशत। इनमें से 35 शहरों के लिए 53 चैनलों को आरक्षित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर बेचा गया, जबकि 21 शहरों में 44 चैनलों को आरक्षी मूल्य पर बेचा गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डीईए और दूरसंचार विभाग के सचिवों की सदस्यता वाली एक समिति और मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जीते हुए चैनल, जीती हुई कीमत के साथ ही संबद्ध फ्रिक्वेंसी और शहर सहित सफल बोलीकर्ताओं की सूची की घोषणा की गई। जिसमें शहर आधारित सफल बोलीदाताओं और सफल बोली राशि के साथ ही संबद्ध फ्रिक्वेंसी स्पॉट यानि 16 सितंबर 2015 को अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) को अधिसूचित किया गया। सरकार ने अदालती आदेश का पालन करते हुए 54 शहरों के लिए जीते गए 91 चैनलों की घोषणा की। सरकार ने 1055.91 करोड़ की कुल अधिसूचित एनओटीईएफ राशि प्राप्त की। इसके बाद, सरकार ने एफएम चरण-तीन चैनलों के पहले समूह के लिए आशय पत्र जारी किए।

2.3 एफएम चरण-तीन के लिए प्रवासन

सरकार ने चरण-तीन के मौजूदा ऑपरेटरों को प्रवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, 25 जुलाई 2011 के चरण-तीन नीतिगत दिशानिर्देशों के संशोधित पैरा 31 को 21 जनवरी 2015 को अधिसूचित किया। सरकार ने ट्राई के संस्तुत सूत्र के आधार पर 24 सितंबर, 2015 को 86 शहरों के मौजूदा आपरेटरों के लिए अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) को अधिसूचित किया, जो चरण-तीन के पहले समूह के अंतर्गत चरण-दो के रिक्त चैनलों की ई-नीलामी के दौरान मूल्यों की वृद्धि का एक कारक भी पाया गया। सरकार ने 23 मौजूदा आपरेटरों द्वारा उनके 168 चैनलों से एफएम चरण-तीन में प्रवासन के लिए देय प्रवासन शुल्क के माध्यम से लगभग 1257 करोड़ की राशि प्राप्त की और 168 चरण-दो के चैनलों के संबंध में चरण-तीन के लिए प्रवासन जीओपीए पर भी हस्ताक्षर किए, जिन्होंने प्रवासन शुल्क का भुगतान कर दिया था।

2.4 एफएम रेडियो (चरण-तीन, अनुवर्ती समूह) - प्रगति का रोड मैप

निजी एफएम चैनलों के चरण-तीन के पहले समूह की ई-नीलामी के बाद, एमआईबी एफएम चरण-तीन नीति के अनुसार 286 शहरों के लिए 869 चैनलों की समूहों में नीलामी करेगी। इनमें 264 नए शहरों में 831 चैनल और 22 शहरों के पहले समूह के 38 न बिकने वाले चैनल शामिल हैं। 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार 37 अतिरिक्त नए शहरों के लिए 112 चैनल शामिल किए गए हैं। ट्राई ने 264 नए शहरों के लिए कार्यप्रणाली के साथ ही अपनी आरक्षित मूल्यों के निर्धारण की सिफारिशें कर दी हैं, जो विचाराधीन हैं।

3. वर्ष की मुख्य बातें

2011 में निजी एफएम रेडियो के चरण-तीन की नीतिगत दिशानिर्देशों को अनुमति देने के बाद सरकार ने जुलाई-सितंबर, 2015 के दौरान एफएम चरण-दो के छूट गए/ रिक्त 91 चैनलों की मौजूदा 54 शहरों में चरण-तीन के पहले समूह के अंतर्गत नीलामी के जरिए चरण-तीन अवधि की शुरुआत की। सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम समूह की नीलामी के माध्यम से 1055.91 करोड़ की राशि और 79 शहरों में 168 चैनलों के चरण-तीन से चरण-तीन में प्रवासन के माध्यम से 1279 करोड़ प्राप्त किया।

4. निजी एफएम चैनलों का मानचित्र

एक उप मानचित्र में एफएम की चरण-एक और चरण-दो योजनाओं के तहत आने वाले शहरों में संचालित निजी एफएम चैनलों को दिखाया गया है। इसमें एफएम चरण-तीन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित शहरों को भी दर्शाया गया है।

5. सरकार के राजस्व स्रोत

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, सरकार ने निजी एफएम चैनलों की सालाना लाइसेंस शुल्क के जरिए 19 जनवरी 2016 की अवधि तक 124.37 करोड़ (लगभग) राजस्व की प्राप्ति की। देश में स्थित निजी एफएम रेडियो प्रसारण के माध्यम से सरकार ने 19 जनवरी, 2016 तक, एकमुश्त प्रवेश शुल्क, प्रवासन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के माध्यम से लगभग 2150 करोड़ की कुल राजस्व आय प्राप्त की।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में कार्यरत और प्रस्तावित निजी एफएम स्टेशन

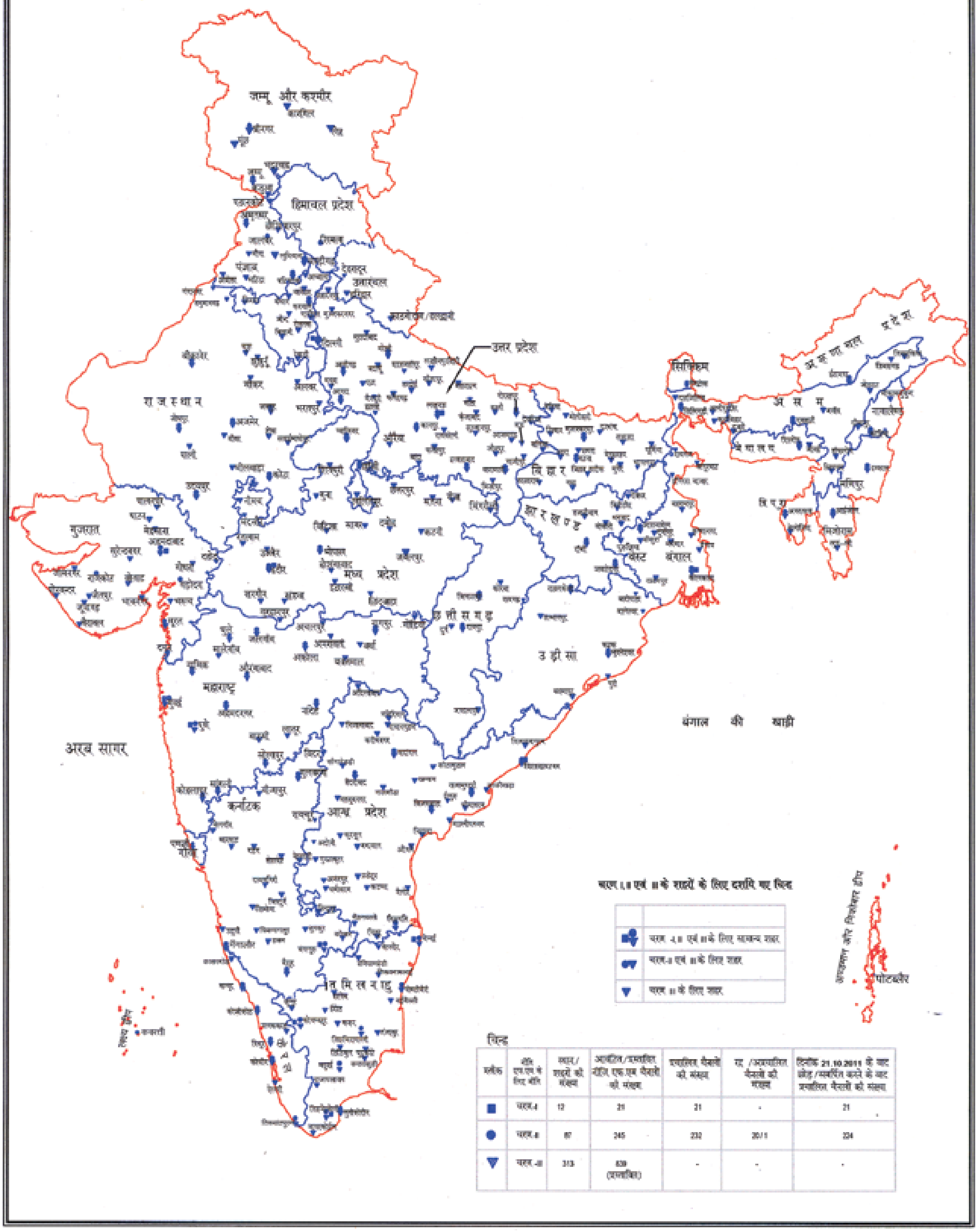

प्रसार भारती

प्रसार भारती, देश में लोक सेवा प्रसारक है। उसके दो संघटक आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने वाली लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करना तथा देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य

- देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान द्वारा संस्थापित मूल्यों को बनाए रखना,
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना,
- लोक हित के सभी मामलों की सूचना पाने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना और निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रदान करना,
- शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना,
- विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना,
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कामगारों तथा अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और
- प्रसारण तकनीक का विकास, इसकी सुविधाओं का विस्तार और शोध को बढ़ावा देना।

प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में और निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रसार भारती अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल तीन साल और सेवानिवृति की आयु 70 वर्ष होती है। कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल पांच वर्ष और सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष होती है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल छह वर्ष और सेवानिवृति की आयु 62 वर्ष होती है।

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जवाहर सरकार, श्री बीजू मैथ्यु तथा प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्य प्रकाश

प्रसार भारती बोर्ड की संरचना (दिनांक 21.01.2016 तक) निम्नलिखित है :

1)	डॉ. ए. सूर्य प्रकाश	अध्यक्ष
2)	श्री जवाहर सरकार	कार्यकारी सदस्य
3)	श्री सुरेश चंद्र पांडा	सदस्य (कार्मिक)
4)	श्री राजीव सिंह	सदस्य (वित्त)
5)	श्री जे. एस. माथुर, विशेष सचिव	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि
6)	श्री मुजफ्फर अली	अंशकालिक सदस्य
7)	श्री अनूप जलोटा	अंशकालिक सदस्य
8)	श्री सुनील अलघ	अंशकालिक सदस्य
9)	श्री अशोक कुमार टंडन	अंशकालिक सदस्य
10)	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
11)	रिक्त	अंशकालिक सदस्य
12)	दिनांक 28.7.2014 से रिक्त (श्री सी. लालरोसांगा करंट ड्यूटी चार्ज)	पदेन सदस्य महानिदेशक : दूरदर्शन
13)	दिनांक 01.11.2013 से रिक्त (श्री एफ. शहरयार करंट ड्यूटी चार्ज),	पदेन सदस्य महानिदेशकः आकाशवाणी

वर्तमान में, प्रसार भारती के कर्मचारियों में से निर्वाचित होने वाले दो सदस्यों के पद भी प्रसार भारती बोर्ड में रिक्त पड़े हैं।

संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारती बोर्ड करता है। बोर्ड समय-समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है, महत्वपूर्ण नीतियां तय करता है व नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं और बोर्ड के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का संपादन करते हैं जो बोर्ड उन्हें सौंपता है।

दो महानिदेशक आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रमुख होते हैं। वे बोर्ड के नीति-निर्देशों और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रोजमर्रा के मामलों के प्रबंधन के लिए सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे- प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, प्रशासन और वित्त के लिए मोटे तौर पर चार अलग-अलग स्कंध हैं।

प्रसार भारती अभिलेखागार

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन 218 रेडियो स्टेशनों और 67 दूरदर्शन केंद्रों का संचालन कर रहे हैं तथा कई दशकों से प्रख्यात नेताओं, महान विद्वानों, कलाकारों, इतिहासकारों, खेल और अन्य आयोजनों आदि से संबंधित ऑडियो और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास अतीत की पांडुलिपियां, पत्रिकाएं, फोटोग्राफ, विवरण पुस्तिकाएं भी उपलब्ध हैं।

डिजिटलीकरण और विश्वस्तरीय अभिलेखन के माध्यम से इस महान देश की समृद्ध धरोहर, कला और संस्कृति को सहेज कर रखना प्रसार भारती का कर्तव्य ही नहीं, अपितु जिम्मेदारी भी है, ताकि भावी पीढ़ियां उसे उपयोग में ला सकें।

प्रसार भारती ने इस सामग्री का डिजिटलीकरण और संरक्षण करने की दिशा में सूचियां बनाने, डिजिटलीकरण करने, मेटाडाटा तैयार करने, मेटा टैगिंग करने और डीप आर्काइविंग के माध्यम से संरक्षित करने जैसे कई कदम उठाए हैं। दूरदर्शन के लिए दिल्ली और कोलकाता में तथा आकाशवाणी के लिए पांच स्थानों यथा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में तकनीकी ढांचा अवस्थित है। सभी स्टेशनों से समस्त विवरण पुस्तिकाएं, पांडुलिपियां और पत्रिकाएं एकत्र की गयी हैं और वे डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। दूरदर्शन की 1000 घंटे की सामग्री और आकाशवाणी की 6,500 घंटे की सामग्री का डिजिटीकरण किया जा चुका है और डीप आर्काइव्ड किया जा चुका है। लगभग 35,000 धरोहर टेप्स का डीवीसी प्रो 50 फॉर्मेट में डिजिटीकरण किया गया है। वेब पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिसके माध्यम से आम जनता के अतिरिक्त, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थान इस सामग्री तक पहुंच बना सकेंगे।

डिजिटलीकरण और अभिलेखन के मिशन में तेजी लाने के लिए, प्रसार भारती ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी में पांच क्षेत्र या ज़ोन बनाए हैं। डिजिटीकरण को समयबद्ध रूप से संपन्न करने के लिए इन सभी क्षेत्रों में मानवशक्ति के साथ बुनियादी सुविधाएं जुटायी जा रही हैं।

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय सुविधाओं सहित एक केंद्रित पीबी अभिलेखागार योजना के अधीन है।

दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए दिव्यांगजनों

के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन में ग्रुप-ए के सात पदों तथा ग्रुप-बी और सी के 86 पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है।

अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान प्रसार भारती की आई आर गतिविधियां

सार्वजनिक सेवा प्रसारकों के साथ सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर :

- प्रसार भारती और सीसीटीवी, चीन के बीच 15 मई, 2015 को सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- प्रसार भारती और डिजिटल टेलीविजन रशिया (डीटीआर) के बीच 20 अगस्त, 2015 को सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- दूरदर्शन, भारत और डायेटे वेले, जर्मनी के बीच पांच नवंबर 2011 को हुए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के अनुसार, डीडब्ल्यू के साथ 23 नवंबर, 2015 को निम्नलिखित कार्यों के लिए संयुक्त समझौते/सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए :
    - ➢ यूरोमैक्स पत्रिका कार्यक्रम के भारतीय संस्करण का सह-निर्माण।
    - ➢ खेल सामग्री के लिए लाइसेंस समझौता।
    - ➢ मंथन कार्यक्रम की क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग

अंतरराष्ट्रीय सम्मान/पुरस्कार

- श्री बीजू मैथ्यू, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी, सीबीएस तिरुअनंतपुरम ने अपने कार्यक्रम 'निक्कमिवारक्कोप्पम' (उनके साथ खड़े हों...) के लिए की 'कम्युनिटी सर्विस एनाउंसमेंट' (सीएसए) श्रेणी में एबीयू पुरस्कार 2015 जीता।
- दूरदर्शन को 'एक्सपीरियेंस ऑफ इवॉल्यूशन ऑफ डिजिटल टेस्ट्रियल टेलीविजन इन इंडिया' शीर्षक वाले लेख के लिए वर्ष 2015 के सर्वश्रेष्ठ लेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस लेख की रचना श्री एम.एस. धुहान डीडीजी (इंजीनियरिंग) ने की है।
- यूनिट ने एआईडीबी पुरस्कार 2015 में आकाशवाणी की प्रविष्टियों के भाग लेने के क्रम में समन्वयन किया। आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम की प्रविष्टि 'श्री गुरुवे नमः' एआईबीडी रेनहार्डकेनेज स्मारक पुरस्कार-2015 में 'समाज में शिक्षकों पर प्रकाश डालना' विषय पर सर्वश्रेष्ठ रेडियो कार्यक्रम श्रेणी में रनर्स-अप रही।
- आकाशवाणी और दूरदर्शन ने हाल ही में तुर्की में संपन्न हुई एबीयू की तकनीकी समिति की बैठक/महासभा के लिए बहुत से तकनीकी दस्तावेजों में योगदान किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पांच दस्तावेज एबीयू द्वारा एबीयू तकनीकी समीक्षा में प्रकाशन के लिए भी चुने गए हैं।

विविध :

- इस्तांबुल में एबीयू महासभा के दौरान दूरदर्शन 3 साल के लिए एबीयू प्रशासनिक परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ।
- सुश्री संजीवनी भेलांदे (बाहरी कलाकार) ने अक्टूबर, 2015 में इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित चौथे एबीयू टीवी गीत महोत्सव (टीवीएसएफ 2015) में दूरदर्शन की ओर से प्रस्तुति दी।
- आकाशवाणी की गीत प्रविष्टि 'नयी खुशी', जिसे बंगलुरु के आर्मेचर गायकों के बैंड 'पीपुल ट्री' ने अपने सुरों से सजाया है, को 3 एबीयू रेडियो गीत महोत्सव के आखिरी दौर के लिए चुना गया। बैंड को म्यांमार में आयोजित समापन समारोह में मंच पर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया।
- डब्ल्यूआरसी-2015 के एजेंडों के विभिन्न मामलों के बारे में आकाशवाणी और दूरदर्शन के हितों की रक्षा के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन ने एपीटी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से भाग लिया।
- आकाशवाणी ने एशिया प्रशांत प्रसारण यूनियन (एबीयू) के सहयोग ने भुवनेश्वर में 21 से 25 अप्रैल, 2015 को 'आपदा के जोखिमों में कमी लाने के लिए आपात चेतावनी एवं संचार' विषय पर देश के भीतर एक कार्यशाला आयोजित की।

दूरदर्शन

दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में सितंबर, 1959 को प्रायोगिक सेवा के तौर पर हुई थी और बीत्ते दौर के साथ इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है। यह दुनिया के प्रमुख टीवी संगठनों में से एक बन चुका है। बीत्ते वर्षों के साथ दूरदर्शन ने सिर्फ देश के कोने-कोने तक ही अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं किया, बल्कि यह टीवी प्रसारण के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकीय घटनाओं के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चला है।

सेटेलाइट चैनल

दूरदर्शन वर्तमान में 36 सेटेलाइट चैनलों का संचालन करता है :

अखिल भारतीय चैनल-6	डी डी नेशनल	डीडी न्यूज	डीडी स्पोर्ट्स
	डीडी भारती	डीडी उर्दू	डीडी किसान
क्षेत्रीय चैनल-16	डीडी मलयालम	डीडी चन्दना	डीडी यादागिरी
	डीडी पोधिगई	डीडी सहयाद्रि	डीडी गिरनार
	डीडी उड़िया	डीडी कशीर	डीडी पूर्वोत्तर
	डीडी बांग्ला	डीडी पंजाबी	डीडी राजस्थान
	डीडी बिहार	डीडी उत्तर प्रदेश	डीडी मध्य प्रदेश
	डीडी सप्तगिरी		
राज्य नेटवर्क-13	हिमाचल प्रदेश	झारखंड	छतीसगढ़
	हरियाणा	उत्तराखंड	त्रिपुरा
	मिजोरम	मेघालय	मणिपुर
	अरुणाचल प्रदेश	नगालैंड	असम
	सिक्किम		
अंतरराष्ट्रीय चैनल-1	डीडी इंडिया		

दूरदर्शन नेटवर्क

कार्यक्रम निर्माण केंद्र

देशभर में इन-हाउस कार्यक्रम निर्माण के लिए 67 स्टूडियो केंद्र हैं। इनमें राज्यों की राजधानियों में 17 बड़े स्टूडियो केंद्र, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय निर्माण केंद्र और देश के विभिन्न भागों में 49 अन्य स्टूडियो केंद्र शामिल हैं। स्टूडियो केंद्रों की राज्यवार सूची अनुलग्नक-1 में दी गयी है।

स्थलीय ट्रांसमीटर

स्थलीय कवरेज के लिए, देशभर में अलग-अलग क्षमता के 1,416 ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। ये सभी चालू हैं। इन ट्रांसमीटरों का ब्योरा इस प्रकार है :

lsok	,pihVh	,yihVh	oh,yihVh	Vkliktj	dqy
डीडी1 ट्रांसमीटर	138	733	355	18	1244
डीडी समाचार ट्रांसमीटर	73	78	17		168
अन्य ट्रांसमीटर (डिजिटल)	4				4

राज्यवार स्थापित ट्रांसमीटरों की संख्या अनुलग्नक-2 में दी गई है। स्थलीय मोड में डीडी-1 (राष्ट्रीय) चैनल की कवरेज का दायरा देश की करीब 92.6 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है। डीडी न्यूज चैनल की भूभागीय कवरेज अनुमानित रूप से करीब 49 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है। डीडी-1 और डीडी-न्यूज की क्षेत्रवार कवरेज क्रमशः 81 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

फ्री-टू-एयर डीटीएच 'डीडी डाइरेक्ट प्लस'

दूरदर्शन ने अपनी फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा, 'डीडी फ्री डिश' (पहले इसका नाम 'डीडी डायरेक्ट प्लस' था) की शुरुआत दिसंबर 2004 में 33 टीवी चैनलों के समूह के साथ की थी। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य अब तक स्थलीय प्रसारण कवरेज के दायरे से बाहर रह गये क्षेत्रों को टेलीविजन कवरेज उपलब्ध कराना था। इसके बाद डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता बढ़ाकर इसमें 59 टेलीविजन चैनल शामिल कर लिए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर डीटीएच सिग्नल देश के सभी हिस्सों में छोटे आकार की डिश के जरिए उपलब्ध हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सितंबर 2009 में सी-बैंड के

साथ 10 चैनलों वाली डीटीएच सेवा शुरू की गई। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म 'डीडी फ्री डिश' का उन्नयन 59 से बढ़ाकर 112 चैनल करने का काम हाल ही संपन्न हुआ है और इस उन्नयित प्लेटफॉर्म का चालू होना सशर्त पहुंच प्रणाली (सीएएस) के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। वर्तमान में 64 टीवी चैनल डीटीएच प्लेटफॉर्म पर फ्री टू एयर (एफटीए मोड) में उपलब्ध हैं।

16 अगस्त, 2015 से चैनलों की सूची

1 डीडी नेशनल	17. डीडी राजस्थान	33 सिनेमा टीवी	49 खुशबू टीवी
2 डीडी न्यूज	18. डीडी उड़िया	34 डीडी उर्दू	50 फोकस न्यूज
3 डीडी स्पोर्ट्स	19 डीडी पोधिगई	35 टाइम टीवी	51 9एक्सएम
4 डीडी इंडिया	20. डीडी पंजाबी	36 डीडी सप्तगिरी	52. फ्रांस 24
5 डीडी भारती	21. डीडी सहयाद्रि	37 इंडिया टीवी	53 जी संगम
6 डीडी बांग्ला	22. डीडी यादागिरी	38 आस्था टीवी	54 स्टार उत्सव
7 डीडी चन्दना	23. डीडी मलयालम	39 मनोरंजन टीवी	55 जी अनमोल
8 डीडी गिरनार	24. लोकसभा	40 न्यूज नेशन	.56 मस्ती
9 डीडी कशीर	25. राज्यसभा	41 सोनी पल	57 बी 4 यू म्यूजिक
10 श्री न्यूज	26. हाउसफुल मूवीज	42 दबंग	58 दिल्लगी
11 आस्था भजन	27. दंगल	43 रिश्ते	59 डीडब्ल्यू टीवी
12. बी 4 यू सिनेमा	28. भोजपुरी सिनेमा	44 आशीर्वाद क्लासिक	60. न्यूज 24
13 मनोरंजन म्यूजिक	29. डीडी बिहार	45 महा मूवी	61 एनएचके वर्ल्ड
14. इंडिया न्यूज	30. डीडी पूर्वोत्तर	46 डीडी एमपी	62 आरटी मूवीज
15. आईबीएन 7	31. डीडी उत्तर प्रदेश	47 एंटर 10	63 एबीपी न्यूज
16. डीडी किसान	32. साधना भक्ति	48. एबीसी	64 रशिया टुडे।
रेडियो चैनल			
1 आकाशवाणी वीबीएस	7 आकाशवाणी गुजराती	13 आकाशवाणी कन्नड़	19. आकाशवाणी रागम
2 आकाशवाणी तेलुगु	8 एफएम रेनबो	14. आकाशवाणी बांग्ला	20. एफएम रेनबो बंगलुरु
3 आकाशवाणी मराठी	9. आकाशवाणी पंजाबी	15. आकाशवाणी हिंदी	21. आकाशवाणी उर्दू
4 आकाशवाणी तमिल	10. एफएम गोल्ड	16. आकाशवाणी पूर्वोत्तर	22. आकाशवाणी उड़िया
5 आकाशवाणी टेस्ट 105	11. रेडियो कश्मीर	17. एफएम रेनबो चेन्नई	23. आकाशवाणी मलयालम
6 आकाशवाणी टेस्ट 106	12. ज्ञान वाणी	18. गोल्ड मराठी	24. आकाशवाणी असमिया

वर्ष 2015-16 के दौरान विकास की गतिविधियां

डिजिटलीकरण

उच्च क्षमता वाले 40 डिजिटल ट्रांसमीटरों की संस्थापना की परियोजनाओं का कार्यान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना की जारी योजना के रूप में दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में, 19 डिजिटल ट्रांसमीटर्स का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 16 डिजिटल हाई पॉवर ट्रांसमीटरों (एचपीटी) को लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और ये पहले ही चालू हो चुके हैं। शेष तीन डिजिटल एचपीटी पूर्ण होने के करीब हैं। इन 19 डिजिटल एचटीपी के वर्तमान योजनावधि में चालू होने की संभावना है।

शेष 21 डिजिटल हाई पॉवर ट्रांसमीटर्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नयी योजनाओं के अंग के तहत स्वीकृत 23 अतिरिक्त डिजिटल हाई पॉवर ट्रांसमीटरों के साथ लगाए जाएंगे। इन 44 डिजिटल हाई पॉवर ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें से 21 डीटीटी 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा 23 डीटीटी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत की गई हैं। ट्रांसमीटर उपकरण के विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इन 44 डिजिटल हाई पॉवर ट्रांसमीटरों को लगभग 2 वर्ष के भीतर चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाने की संभावना है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 40 डिजिटल हाई पॉवर ट्रांसमीटर्स और 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 23 डिजिटल हाई पॉवर ट्रांसमीटरों के स्थानों की जानकारी अनुलग्नक-3 में दी गयी है।

चौबीसों घंटे प्रसारण वाले नए सेटेलाइट चैनल

चौबीसों घंटे प्रसारण वाला एक नया प्रादेशिक सेटेलाइट चैनल विजयवाड़ा दूरदर्शन केंद्र से प्रारंभ किया गया है।

डीटीएच

दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म 'डीडी फ्री डिश' पर टीवी चैनलों की संख्या 59 से बढ़ाकर 112 तक ले जाने के लिए उन्नत उपकरण की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। उन्नत प्लेटफॉर्म का चालू होना कंडीशनल एक्सैस सिस्टम (सीएएस) के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। वर्तमान में 64 टीवी चैनल डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

प्रसार भारती बोर्ड ने डीडी फ्री डिश पर सीएएस का कार्यान्वयन करने के लिए 16 अक्टूबर, 2015 को हुई अपनी 129वीं बैठक में डीईआईटीवाई द्वारा अनुमोदित भारतीय सीएएस वेंडर, मैसर्स बाईडिजाइन के साथ समझौते को मंजूरी दे दी।

हाई डेफिनेशन टेलीविज़न (एचडीटीवी)

एचडी टीवी का आशय ऐसे वीडियो रेजोल्यूशन से है, जो परंपरागत टेलीविजन सिस्टम्स (स्टेंडर्ड-डेफिनेशन टीवी) से 5 गुणा अधिक होता है। एचडी टीवी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : इसमें तस्वीर साफ और विचलन रहित होती है, रंग ज्यादा जीवंत दिखाई देते हैं, इसकी वाइड स्क्रीन पर चित्र ज्यादा वास्तविक प्रतीत होते हैं।

वर्तमान में निम्नलिखित एचडीटीवी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(1) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर्स (सभी स्थानों पर ट्रांसमीटर्स संस्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है और चालू होने के लिए तैयार हैं)

(2) दिल्ली में मल्टी-कैमरा मोबाइल निर्माण सुविधा।

(3) कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टुडियो (अभिविन्यास आयोजना और विनिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी)।

आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना

दूरदर्शन अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण, पुराने उपकरणों को अत्याधुनिक उपकरणों में बदलने और मौजूदा सुविधाओं में सुधार के लिए हमेशा से प्रयासरत रहा है। वर्तमान में, दूरदर्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और उसकी उन्नति के लिए निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं लागू की गईं हैं/की जा रही हैं:-

स्थलीय ट्रांसमीटर्स

क) कणकवली (महाराष्ट्र) और श्योपुरकलां (मध्य प्रदेश) में 2 पुराने 100 वॉट एलपीटी को 500 वॉट ऑटोमोड (1+1) एलपीटी से बदल दिया गया है।

ख) निम्नलिखित 15 मौजूदा पुराने ऐनालॉग हाई पॉवर ट्रांसमीटरों को बदलना :

डिब्रूगढ	जैसलमेर	जबलपुर	तुरा	कोलकाता (डीडी न्यूज)
रायपुर	पुणे	विशाखापत्तनम	आगरा	फाजिल्का
भुज	मऊ	अनंतपुर	डाल्टेनगंज	भवानीपटना

13 स्थानों के एचपीटी बदले जा चुके हैं। शेष 2 स्थानों (डिब्रूगढ़ और जैसलमेर) में, ट्रांसमीटर उपकरण लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और उसका परीक्षण किया जा रहा है।

ग) जम्मू और कश्मीर में स्थलीय नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए 5 हाई पॉवर ट्रांसमीटर्स (10के डब्ल्यू) की राजौरी (डीडी1 और डीडी न्यूज), ग्रीन रिज (डीडी1), हिम्बोतिंग्ला टॉप (डीडी1) और पटनी टॉप (डीडी1) में स्थापना। राजौरी में ट्रांसमीटर्स आकाशवाणी की मौजूदा इमारत में लगाए जाएंगे। इमारत में परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। राजौरी में ट्रांसमीटरों की खरीद की कार्रवाई जारी है। निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, खोली गई हैं और तकनीकी मूल्यांकन संपन्न हो चुका है। वित्तीय अनुमोदन

के लिए खरीद का प्रस्ताव दाखिल किया जा चुका है। तीन अन्य स्थानों पर साइट्स तय की जा चुकी हैं और आकाशवाणी ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया है और इमारत बनाने का काम जारी है।

दूरदर्शन की 12वीं पंचवर्षीय योजना

दूरदर्शन की 12वीं योजना की स्कीम 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' को दूरदर्शन की पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 1893.14 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें जारी योजनाओं के लिए 1,215 करोड़ रुपये और नई योजनाओं के लिए 678.14 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख क्षेत्र हैं : दूरदर्शन नेटवर्क का डिजीटलीकरण, डीटीएच का विस्तार, एचडीटीवी का विस्तार, दूरदर्शन के स्टूडियो ट्रांसमीटर तथा सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण।

12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के अंतर्गत उप-योजनावार ब्योरा (नई परियोजनाओं का) निम्नलिखित है :

1. डीटीएच का विस्तार
2. 250 टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए डीटीएच प्लेटफार्म का उन्नयन
3. हाई डेफिनेशन टीवी
4. कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो
5. दूरदर्शन नेटवर्क का डिजीटलीकरण
   i. 23 डिजिटल एचपीटी की स्थापना : 23 संख्या
   ii. आर्काइव्स का डिजीटलीकरण: सेंट्रल आर्काइव, दिल्ली तथा चार क्षेत्रीय आर्काइव्स की सुविधाओं में वृद्धि
6. स्टूडियो और ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन तथा स्थापना
   i. सीपीसी और केंद्रों का आधुनिकीकरण
   ii. समाचार मुख्यालय दिल्ली की सुविधाओं में सुधार।
7. सेटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और बदलाव
   i. 13 अर्थ स्टेशनों का उन्नयन, अर्थ स्टेशन उपकरण बदलना,
   ii. 2 अर्थ स्टेशन इमारतों का निर्माण।
8. अवसंरचना का संवर्धन और विविध कार्य
   i. सुरक्षा और अन्य ढांचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
   ii. चंडीगढ़ में सरकारी आवास
9. सीमावर्ती कवरेज को सुदृढ़ करना
10. नेपाल से सटे इलाकों में 8 एचपीटी की स्थापना : प्रसार भारती द्वारा मध्यावधिक समीक्षा के दौरान लिए गए फैसले के अनुसार नेपाल से सटे इलाकों में 8 एचपीटी की स्थापना संबंधी परियोजनाएं रद्द कर दी गईं और इस फैसले को प्रसार भारती बोर्ड द्वारा 16 अक्टूबर, 2015 की अपनी 129वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया।
11. रामेश्वरम स्थित टॉवर (300 मीटर) का सुदृढ़ीकरण
12. न्यू मीडिया प्रौद्योगिकी/वैकल्पिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स उपभोक्ता उपकरणों पर इंटरनेट के माध्यम से चुनिंदा डीडी चैनलों का सीधा प्रसारण और डिलिवरी
13. ओएफसी कनेक्टीविटी :

    चुनिंदा डीडी केंद्रों को ओएफसी नेटवर्क के जरिए लिंक करना।

प्रशिक्षण

अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 के दौरान 250 से ज्यादा इंजीनियरिंग अधिकारियों को 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण मुहैया कराया गया और 2015 -2016 की शेष अवधि के दौरान करीब 12 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

इनके अलावा, उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अपने कारखानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। नेटवर्क में नए उपकरण शामिल किये जाने के कारण अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 के दौरान उपकरण निर्माताओं द्वारा विभिन्न ए/टी में करीब 180 इंजीनियरिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/एबीयू कार्यशालाएं

वर्ष 2015-16 (नवंबर, 2015 तक) के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/एबीयू कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें डीडी अधिकारियों ने भाग लिया :

1. जेनेवा, स्विटजरलैंड में 27 मार्च, 2015 से 02 मार्च 2015 तक डब्ल्यूआरसी-15 के लिए सम्मेलन की तैयारी की बैठक

दूरदर्शन स्थापना दिवस 2015 पर कार्यक्रम-सत्यम शिवम् सुन्दरम्

2. बाली, इंडोनेशिया में 05 मई, 2015 से 06 मई, 2015 तक एबीयू टेक्निकल ब्यूरो वर्ष के मध्य में बैठक।

3. कुआलालंपुर, मलेशिया में 11-15 मई, 2015 को डीवीबी-टी2 ट्रांसमिशन पर उप-क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डीडी के दो इंजीनियरों ने विशेषज्ञों के तौर पर भाग लिया।

4. डीडीके कोलकाता में डिजिटल ऑडियो/वीडियो अभिलेखागार पर 06-10 जुलाई, 2015 को एआईबीडी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

महत्वपूर्ण कवरेज

दूरदर्शन द्वारा ओबी/ईएफपी वेन्स का उपयोग करते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान (30.11.2015 तक) 125 से ज्यादा कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया। इनके अलावा 31 मार्च, 2016 तक पांच अन्य प्रमुख कार्यक्रमों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है। दूरदर्शन द्वारा कवर किए गए और कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

Øe l-	dk;Øe dk fooj.k	LFky	frfFk
1	राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन	दिल्ली	06-अप्रैल-15
2	9वां लोक सेवा दिवस	विज्ञान भवन नई दिल्ली	21-अप्रैल-15
3	बंगलुरु में भाजपा की राष्ट्रीय शिक्षा बैठक की पीएम कवरेज	बंगलुरु	03-04-अप्रैल-15
4	वित्तीय समावेशन सम्मेलन का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन	मुंबई	02-अप्रैल-15
5	प्रधानमंत्री की राउरकेला यात्रा	राउरकेला	03-अप्रैल-15
6	सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन	दिल्ली	23-अप्रैल-15
7	एनआईए परिसर का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन	दिल्ली	25-अप्रैल-15
8	प्रधानमंत्री की आरसीटीसी यात्रा, सामाजिक सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ	कोलकाता	03-05-मई-15
9	प्रधानमंत्री की बेलूर मठ यात्रा	बेलूर मठ	07-09-मई-15
10	पोलो ग्राउंड में प्रधानमंत्री की जनसभा, आसनसोल	आसनसोल	09-13-मई-15
11	प्रधानमंत्री की मथुरा यात्रा	मथुरा	14-15-मई-15
12	अंतरराष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस - प्रधानमंत्री	दिल्ली	22-23-मई-15
13	प्रधानमंत्री की दंतेवाड़ा यात्रा	दंतेवाड़ा	24-मई-15
14	प्रधानमंत्री की रायपुर यात्रा	रायपुर	25-मई-15
15	टी -20 डेवेलेपिंग लीग क्रिकेट टूर्नामेंट	चेन्नई	05-06-जून-15
16	बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की कवरेज	बांग्लादेश	06-07-जून-15
17	योग दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण का टीवी कवरेज	विज्ञान भवन	21-जून-15
18	राजपथ पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की टीवी कवरेज	दिल्ली	21-जून-15
19	स्मार्ट सिटी समारोह में प्रधानमंत्री का भाषण	विज्ञान भवन	25-जून-15
20	राष्ट्रीय इस्पात निगम में प्रधानमंत्री की जनसभा	विजग	16-जुलाई-15
21	प्रधानमंत्री की जम्मू यात्रा	जम्मू	17-जुलाई-15
22	अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, प्रधानमंत्री की कवरेज	विज्ञान भवन	17-जुलाई-15
23	रथयात्रा	पुरी	18-27-जुलाई-15
24	पटना में प्रधानमंत्री कवरेज	पटना	25-जुलाई-15
25	बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री की कवरेज	बिहार शरीफ	25-जुलाई-15
26	भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सुपुर्द ए खाक और उन्हें श्रद्धांजलि	रामेश्वरम	29-30-जुलाई-15
27	पूर्वोत्तर की रानी गेदिनलियु की जन्म शताब्दी	विज्ञान भवन	01-अगस्त-15

Øe l-	dk;Øe dk fooj.k	LFky	frfFk
28	पशु चिकित्सा कॉलेज, पटना से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गंगा नदी पर दूसरे रेलवे की आधारशिला रखा जाना	गंगा नदी मोकामा घाट पटना	18-अगस्त-15
29	एफआईपीआईसी समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की जयपुर यात्रा	जयपुर	21-अगस्त-15
30	प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन	लाल किला दिल्ली	15-अगस्त-15
31	सेशेल्स के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की कवरेज	दिल्ली	26-अगस्त-15
32	जीएसएलवी / जीसैट-6 का शुभारंभ	श्री-हरिकोटा	27-अगस्त-15
33	अराणमुला नौका दौड़	केरल	31-अगस्त-15
34	विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन	दिल्ली	03-सितम्बर-15
35	माननीय प्रधानमंत्री की गया यात्रा (जनसभा)	गया	05-सितम्बर-15
36	प्रधानमंत्री द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन	भोपाल	10-सितम्बर-15
37	माननीय प्रधानमंत्री ने पीजीआई में दीक्षांत समारोह को संबोधित किया	चंडीगढ़	11-सितम्बर-15
38	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सेक्टर-25 में जनसभा को संबोधन	चंडीगढ़	11-सितम्बर-15
39	55वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप	कोलकाता	16-19-सितम्बर-15
40	पुणे फेस्टीवल	पुणे	18-सितम्बर-15
41	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रामनगर में डीएलडब्ल्यू से पीआरएस का रिमोट से उद्घाटन	वाराणसी	18-सितम्बर-15
42	पीएसएलवी-सी 30/एएसटीआरओएसटी लॉन्च	श्रीहरिकोटा	28-सितम्बर-15
43	माननीय प्रधानमंत्री की रांची और दुमका यात्रा	रांची और दुमका	02-अक्टूबर-15
44	सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 56वां संस्करण	दिल्ली	06-अक्टूबर-15
45	माननीय प्रधानमंत्री की जर्मनी चांसलर के साथ बैठक	बंगलुरु	06-अक्टूबर-15
46	सीएम ट्राफी प्रथम अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला	हैदराबाद	07-अक्टूबर-15
47	नवरात्रि का त्योहार	अहमदाबाद	13-22-अक्टूबर-15
48	माननीय प्रधानमंत्री की मुंबई यात्रा	मुंबई	11-अक्टूबर-15
49	पूर्व राष्ट्रपति श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की जयंती	डीआरडीओ दिल्ली	15-अक्टूबर-15
50	आरटीआई के दस वर्ष पूरे होने पर विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री का संबोधन	विज्ञान भवन	16-अक्टूबर-15
51	प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की आधारशिला रखना	अमरावती	22-अक्टूबर-15
52	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रेनीगुंटा हवाईअड्डे और मोबाइल विनिर्माण का उद्घाटन	तिरुपति	22-अक्टूबर-15
53	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन	दिल्ली	24-अक्टूबर-15
54	भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन	दिल्ली	26-29-अक्टूबर-15
55	पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की सोनीपत यात्रा का सीधा प्रसारण	सोनीपत	05-नवम्बर-15
56	प्रधानमंत्री द्वारा पनबिजली परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन करने और विकास संस्थान की आधारशिला आदि के लिए यात्रा	बगलिहार	07-नवम्बर-15

संगठनात्मक संरचना

प्रसार भारती के अंग - दूरदर्शन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, दूरदर्शन की इंजीनियरिंग शाखा की कमान इंजीनियर-इन चीफ संभालते हैं। निदेशालय में इंजीनियरिंग के कार्यों में नीति निर्माण, योजना एवं विकास, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन विकास, संचालन और रखरखाव संबंधी गतिविधियों आदि की निगरानी करना शामिल है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित चारों क्षेत्रीय कार्यालय, अपने संबंधित क्षेत्र में परियोजना एवं रखरखाव संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। गुवाहाटी में स्थापित एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में रखरखाव संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देता है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व अपर महानिदेशक (इंजीनियरिंग) करते हैं।

भारत

वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क

(नवम्बर 30, 2015 की स्थिति के अनुसार)

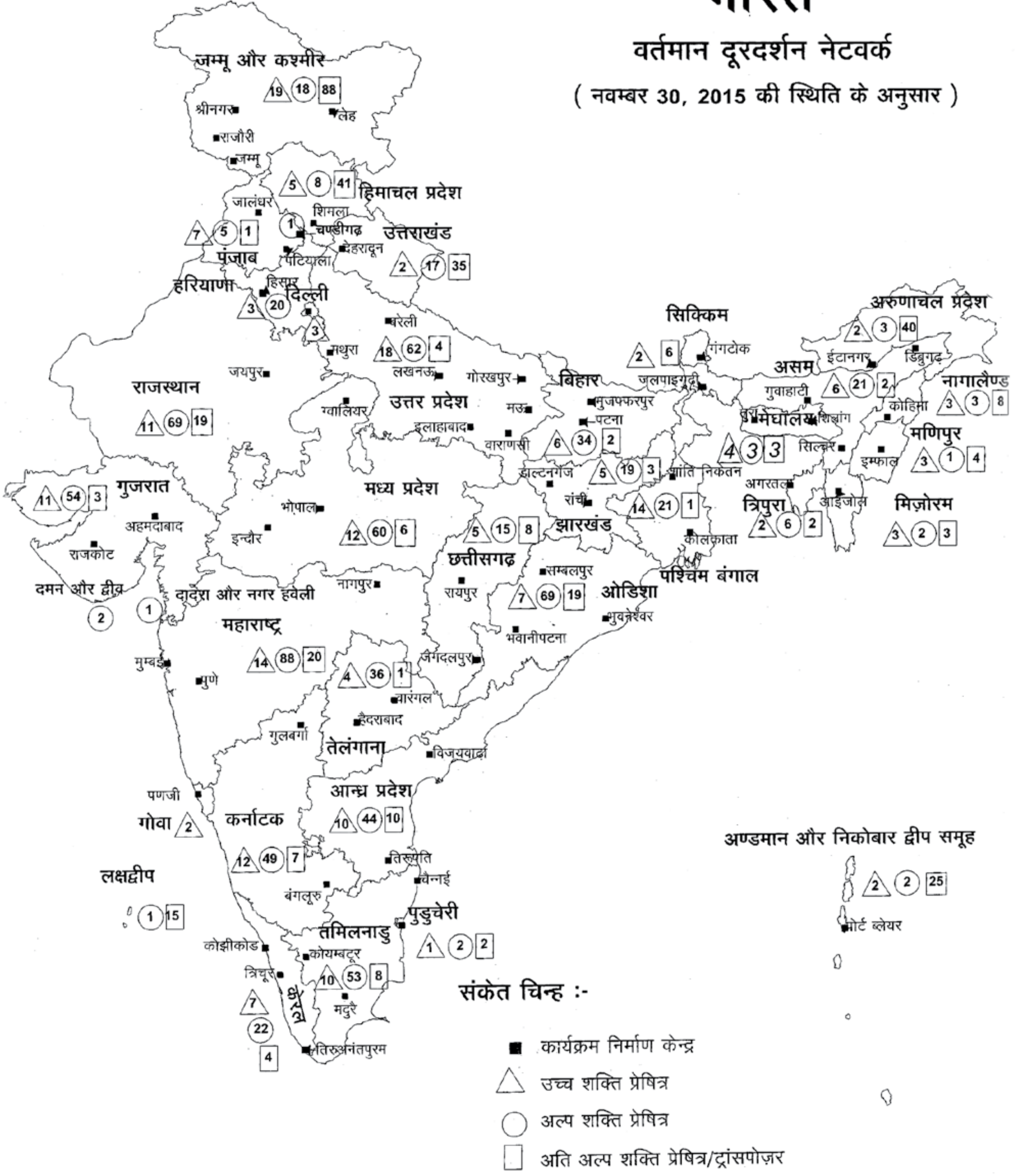

डीडी नेशनल : प्रमुख चैनल

डीडी नेशनल, विश्व का सर्वाधिक बड़े स्थलीय नेटवर्क वाला लोक सेवा प्रसारक है। यह देश की लगभग 92.6 प्रतिशत आबादी एवं 81 प्रतिशत भू-भाग को कवर करता है। मुख्य चैनल होने के नाते यह मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का स्वस्थ मिश्रण उपलब्ध कराता है। इसकी सेवाएं स्थलीय मोड में प्रातः 5.30 से लेकर मध्य रात्रि तक उपलब्ध हैं। उपग्रह मोड में ये सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं।

दूरदर्शन बोर्ड की 123वीं बैठक में हुए अनुमोदन के अनुसार स्व-वित्त कमीशनिंग (एसएफसी), रेवेन्यू शेयरिंग मोड या राजस्व साझा करने संबंधी माध्यम (आरएसएम), विज्ञापन वित्त पोषित कार्यक्रम (एएफपी) जैसी विविध अधिसूचित योजनाओं के माध्यम से कंटेंट या सामग्री खरीदता है। राजस्व साझा करने संबंधी योजनाओं के तहत दूरदर्शन उच्च गुणवत्ता के सॉफ्टवेयर जुटाने के लिए कुछ निजी चैनलों के साथ सहयोग करता है।

दूरदर्शन निदेशालय ने नेशनल रिसोर्स एक्सचेंज पूल की स्थापना की है, जिसका प्रयोजन प्रमुख कार्यक्रमों के रिकार्ड रखने के लिए एक कॉमन स्टोर हाउस बनाना तथा आरएलएसएस केंद्रों द्वारा भविष्य में उनका प्रसारण करना है।

सीधा प्रसारण

डीडी नेशनल पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समारोह जैसे समस्त राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रपति और प्रधानमत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन, संसद में होने वाली महत्वपूर्ण बहस, खेल की घटनाओं को कवर और प्रसारित किया जाता है।

महत्वपूर्ण हस्तियों की जयंती/पुण्यतिथि को डीडी नेशनल पर कवर किया गया और प्रसारित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जयंती को भी दूरदर्शन पर कवर और प्रसारित किया गया।

दूरदर्शन ने जीसेट-16 संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के सीधे प्रसारण के लिए इसरो के साथ मिलकर व्यापक इंतजाम किए।

कवरेज के साथ-साथ, स्वस्थ भारत, पल्स पोलियो अभियान, एंटी कैंसर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डेंगू, स्वाइन फ्लू और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मामले, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष अभियान, एड्स, उपभोक्ता शिक्षा, सड़क सुरक्षा, समाज आदि के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता आदि जैसे विकास कार्यक्रम, सामाजिक रूप से प्रासंगिक विशेष कार्यक्रम डीडी नेशनल पर प्रमुखता से प्रसारित किए जाते हैं।

(1) नए कार्यक्रमों और (2) विख्यात फिल्मकारों द्वारा बनाए गए प्रतिष्ठित पुराने धारावाहिकों के माध्यम से डीडी नेशनल की नए सिरे से ब्रांडिंग की गयी है। इसलिए इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम विशेषकर साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं और लोक नृत्यों सहित सोप्स और धारावाहिक होते हैं। इसका उद्देश्य श्रेष्ठतम सामग्री, अधिकतम दर्शक तथा दूरदर्शन के लिए राजस्व में वृद्धि लाना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईईटी)/एनसीईआरटी, विज्ञान प्रसार जैसे विभिन्न स्रोतों के योगदान से शैक्षिक कार्यक्रम प्राप्त किया जाना निरंतर जारी है।

कार्यक्रम और धारावाहिक

- जर्मन टीवी कार्यक्रम के सहयोग से 'मंथन' विज्ञान के संबंध में नवाचार है।
- दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम 'गली गली सिम सिम' बच्चों के लिए एक ऐनिमेशन श्रृंखला है।
- दूरदर्शन ने सोशल मीडिया के उपयोग सहित क्रॉस-चैनल के प्रचार-प्रसार के प्रयासों में वृद्धि की है।
- जहां तक डीडी नेशलन का प्रश्न है - एक नई टैगलाइन-'देश का अपना चैनल' के साथ नयी योजना शुरू की गयी है। 15 अगस्त 2015 और अक्टूबर 2015 से नए एसएफसी कार्यक्रमों की योजना बनायी गयी है। जनवरी 2016 से डीडी नेशनल को पूरी तरह एचडी प्रसारण में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- डीडी नेशनल पर शाम को प्रसारित हो रहे कुछ लोकप्रिय धारावाहिकों में - पवित्र बंधन ...दो दिलों का, ख्वाबों के दरमियां, जिंदगी एक भंवर, दर्द का रिश्ता, जन्मों का बंधन, 40 प्लस, रणभेरी, दिल को आज फिर जीने की तमन्ना है, अलबेली कहानी प्यार की, बेटी का फर्ज, आईपीएस डायरी और मशाल शामिल हैं।

नैरोकास्टिंग

वर्ष 2004 से दूरदर्शन कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में तीन स्तरीय दृष्टिकोण शामिल है।

1. राष्ट्रीय चैनल पर : कृषि से संबंधित कार्यक्रम सप्ताह में 6 दिन (सोमवार से शनिवार) प्रातः 6.30 बजे से 7.00 बजे प्रसारित किए जाते हैं।
2. 18 क्षेत्रीय चैनलों पर : राज्य की कृषि से संबंधित विशेष कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) 30 मिनट की अवधि के लिए संबंधित क्षेत्रीय भाषा में राज्य नेटवर्क पर 5 से 5.30 बजे (राष्ट्रीय प्रसारण समय में बदलाव के कारण) सायं प्रसारित किया जाता है।
3. 'नैरोकास्टिंग' मोड में (36 केंद्र) : 30 जून, 2015 तक क्षेत्र विशेष की सूचना संबंधी कार्यक्रम सप्ताह में दो बार निर्मित किया जाता था और 01 जुलाई, 2015 से एक कार्यक्रम सप्ताह में एक बार सप्ताह में 5 दिन (सोमवार

से शुक्रवार) प्रसारित किया जा रहा है जो देशभर के 140 से ज्यादा जिलों को कवर करता है।

प्रत्येक 55 निर्माण केंद्रों के कार्यक्रम की तिथिवार अनुसूची एक विशिष्ट पोर्टल www.dacnet.nicècsms पर अपलोड की गई है, ताकि प्रशिक्षित कामगारों, योजनाकारों और किसानों को प्रत्येक दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अग्रिम सूचना मिल सके।

फिल्में

दूरदर्शन निदेशालय की फिल्म यूनिट राष्ट्रीय नेटवर्क के विभिन्न स्लॉट्स के लिए रॉयल्टी के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग के अपने दर्शकों के लिए हिंदी फीचर फिल्में खरीदती है। नेशनल नेटवर्क पर हर शुक्रवार रात 10.00 बजे के स्लॉट में नयी ब्लॉकबस्टर फिल्में प्रसारित की जा रही हैं और सुपरहिट फिल्में हर शनिवार रात 10 बजे के स्लॉट में प्रसारित की जा रही हैं। प्रख्यात निदेशकों, अभिनेताओं आदि के रेट्रस्पेक्टिव हर रविवार दोपहर 12.00 बजे के स्लॉट में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। क्लासिक/लोकप्रिय फिल्में हर रविवार अपराह्न 03.00 बजे दिखायी जा रही हैं। पुरानी लोकप्रिय फिल्में मंगलवार और बुधवार रात 11.00 बजे धारावाहिक प्रारूप में बायोस्कोप स्लॉट में प्रदर्शित की जा रही हैं। भारतीय भाषाओं में निर्मित बेहतरीन भारतीय सिनेमा का अंग्रेजी उपशीर्षकों सहित रविवार और सोमवार को रात 10.00 बजे और 11.00 बजे दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है।

दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर हर सप्ताह पांच हिंदी फिल्मों के प्रसारण होने अर्जित होने वाला सकल राजस्व लगभग 1.24 करोड़ रुपये है। दूरदर्शन ने नयी ब्लॉकबस्टर फिल्में प्रदर्शित करने वाले फीचर फिल्म स्लॉट को 'फ्राईडे हाउसफुल' और लोकप्रिय फिल्मों को प्रदर्शन करने वाले शो को 'सैटर्डे जुबली' का नाम दिया है।

'बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा' परियोजना दूरदर्शन द्वारा 10 नवंबर, 2013 को प्रारंभ की गयी थी। बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा के अंतर्गत हर सोमवार और मंगलवार को रात 10.00 बजे और 11.00 बजे दिखायी जाने वाली फिल्मों में अंग्रेजी से लेकर तुलु एवं कोकबोरोक जैसी लुप्तप्रायः बोलियों की फिल्में शामिल हैं। अब तक 76 फिल्मों का प्रसारण हो चुका है।

हर प्रकार के साधन अपनाते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रचार की योजना बनायी गयी है। उनमें से कुछ साधन निम्नलिखित हैं :

1. भारत में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान जबरदस्त प्रचार करना।
2. ये फिल्में क्षेत्रीय चैनलों, डीडी उर्दू, डीडी भारती और डीडी इंडिया पर प्रसारित की जा रही हैं।
3. इन फिल्मों से राजस्व कमाने के लिए गहन विपणन प्रयास किए जा रहे हैं।
4. फिल्म विभाग ने आईजीएनसीए नयी दिल्ली, हैदराबाद, बंग भवन, नयी दिल्ली, एसआरएफटीआई, कोलकाता और सीएसएमवीएस मुंबई में बीआईसी फिल्म समारोह आयोजित किए हैं। प्रमुख बी-ग्रेड शहरों और महत्वपूर्ण महानगरों में ऐसे बीआईसी फिल्म समारोहों की शृंखला के आयोजन की योजना बनायी गयी है।

डीडी न्यूज

डीडी न्यूज 3 नवंबर, 2003 को डीडी मेट्रो चैनल के स्थान पर 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में शुरू किया गया था। इसके उपग्रह प्रसारण पूरे देश में उपलब्ध हैं। डीडी न्यूज स्थलीय संचार द्वारा देश के 49 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंच बनाए हुए है। यह वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इसमें 18 से ज्यादा घंटे लाइव प्रसारण द्वारा विभिन्न भाषाओं में 30 से अधिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण होता है। डीडी न्यूज चैनल हर रोज तीन खेल बुलेटिन, एक बिज़नेस शो तथा सामयिक विषयों पर दैनिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य, युवा मुद्दों, सिनेमा, कला और संस्कृति पर विशेष शो, वर्ल्ड न्यूज मैग्जीन और देश की एकमात्र संस्कृत समाचार पत्रिका आदि का प्रसारण करता है।

अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान, डीडी न्यूज ने निम्नलिखित कदम उठाए :

डीडी न्यूज ने जनता के कल्याण के लिए सरकार की ओर से किए गए विविध प्रयासों से संबंधित सूचना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष, स्मार्ट सिटी, 2022 तक सभी के लिए आवास, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), मुद्रा बैंक, डिजिटल लॉकर पहल, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति और दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के शुभारंभ की पूर्ण और लाइव कवरेज की गयी। इन योजनाओं से जन साधारण को पहुंचने वाले लाभ पर प्रकाश डालने वाले कई विशेष कार्यक्रम बनाए गए। किसानों के लिए देश के प्रथम चैनल ''डीडी किसान'' के शुभारंभ को कवर किया गया और डीडी न्यूज रोजाना डीडी किसान के लिए 30 मिनट के किसान समाचार का निर्माण कर रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री की देश-विदेश की यात्राओं के महत्व को देखते हुए उन पर विशेष ध्यान दिया गया। इन महीनों के दौरान प्रधानमंत्री की विभिन्न विदेश यात्राओं को कर्टन रेजर कार्यक्रमों, लाइव कवरेज और फॉलो-अप कार्यक्रमों सहित कवर किया गया। इस कवरेज में यात्राओं का महत्व और भारत के हितों के मामलों तथा वैश्विक परिदृश्य में भारत की उभरती भूमिका को शामिल किया गया। डीडी न्यूज ने 9 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2015 तक प्रधानमंत्री की तीन देशों जर्मनी, फ्रांस और कनाडा की यात्रा को व्यापक रूप कवर किया। इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और प्रधानमंत्री की यात्रा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांस, जर्मनी और

कनाडा से संवाददाताओं की लाइव जानकारी सहित कर्टन रेजर कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। 14 मई से 19 मई, 2015 तक प्रधानमंत्री की तीन देशों चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्राओं का भी व्यापक रूप से कवरेज किया गया। जून में प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा और जुलाई में रूस और 5 मध्य एशियाई देशों की यात्रा तथा अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा को व्यापक रूप से कवर किया गया। प्रधानमंत्री की सितंबर में आयरलैंड और अमरीका तथा नवंबर में ब्रिटेन की ऐतिहासिक यात्राओं की रिपोर्ट्स से मिली विशेष जानकारी और विशेष कार्यक्रमों सहित प्रमुखता से कवर किया गया। विविध वैश्विक और बहुराष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री की शिरकत - जैसे तुर्की के अंताल्या में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन और नवंबर में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर पक्षों के सम्मेलन (सीओपी 21) को डीडी न्यूज पर प्रमुखता से कवर किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में विविध विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित प्रधानमंत्री की यात्राओं साथ ही साथ राजनीतिक कार्यक्रमों को भी व्यापक रूप से कवर किया गया।

डीडी न्यूज ने राष्ट्रपति की बेलारूस, स्वीडन, इस्राइल, फिलीस्तीन और जॉर्डन की यात्राओं तथा उपराष्ट्रपति की कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, ब्रूनई और तुर्कमेनिस्तान की यात्राओं को भी प्रमुखता से कवर किया। अक्टूबर में विदेश मंत्री की न्यूयार्क यात्रा और दिसंबर में पाकिस्तान की यात्रा को भी व्यापक रूप से कवर किया गया। डीडी न्यूज ने तंजानिया, मोंजाम्बिक और सेशल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, जर्मनी की चांसलर और जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को भी व्यापक रूप से कवर किया। नेपाल में राहत और बचाव के कार्यों, यमन से भारतीयों की वापसी कराने संबंधी घटनाओं की विशेषज्ञों के साथ चर्चाओं, विशेष कार्यक्रमों और लाइव जानकारी सहित विस्तार से कवरेज की।

दूरदर्शन ने प्रधानमंत्री के रेडियो प्रसारण 'मन की बात' को टेलीविजन के लिए परिकल्पित और अंगीकार किया है। डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का रेडियो प्रसारण के समानांतर टीवी पर प्रसारण किया है, जिसे कई निजी चैनलों ने भी प्रसारित किया है। इसके साथ स्टोरीज़ का पैकेज और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल की गयी हैं। सितंबर में मन की बात का एक वर्ष पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम और मन की बात के पूर्व संस्करणों के अंशों सहित स्टोरीज प्रसारित की गयीं।

डीडी न्यूज ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने की व्यापक योजना तैयार की। बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रमों का निर्माण, प्रचार और प्रसारण किया गया और सप्ताह के बाकी दिनों में उनका पुनः प्रसारण किया गया। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन, विचारों और कार्यों तथा कमजोर वर्गों के लिए सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों पर एक घंटे के वृत्तचित्र 'युग प्रवर्तक' का 14 अप्रैल 2015 को प्रसारण किया गया। संविधान में बाबा साहेब के योगदान पर 30 मिनट का वृत्तचित्र 11 अप्रैल, 2015 को प्रसारित किया गया। दर्शकों पर आधारित एक घंटे की चर्चा का कार्यक्रम "डॉ. अंबेडकर व्यक्तिव और विचार' का 13 अप्रैल, 2015 को प्रसारण किया गया। जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार और दलित महिला उद्यमी कल्पना सरोज के साथ आधे-आधे घंटे के दो साक्षात्कार 9 और 10 अप्रैल 2015 को प्रसारित किए गए। इसके अतिरिक्त कम वर्गों और दलित किसानों की कामयाबी की गाथाओं से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालने वाले 'अहसास' और 'मेहनत रंग लाएगी' के विशेष एपिसोड 12 अप्रैल, 2015 को प्रसारित किए गए।

सरकार का एक वर्ष पूरा होने से संबंधित कार्यक्रमों की व्यापक योजना बनायी गयी। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का निर्माण, प्रचार और प्रसारण किया गया। 12 मई से 31 मई 2015 तक रोजाना आधे घंटे का विशेष कार्यक्रम 'पहला साल मोदी सरकार' प्रसारित किया गया और अगले दिन उसका पुनःप्रसारण किया गया। एक-एक घंटे की अवधि वाले दर्शकों पर आधारित पांच विशेष कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया गया। सरकार की उपलब्धियों पर एक घंटे के वृत्त चित्र 'एक मजबूत कदम नए भविष्य की ओर' का 25 मई, 2015 को प्रसारण किया गया और 26 मई, 2015 को उसका तीन बार पुनःप्रसारण किया गया। लगभग 20 केंद्रीय मंत्रियों का उनके मंत्रालयों की उपलब्धियों पर आधारित विशेष साक्षात्कारों का 1 मई से 31 मई, 2015 तक प्रसारण किया गया।

डीडी न्यूज ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की व्यापक कवरेज की। 21 जून को जनपथ पर हुए मुख्य समारोह का डी डी न्यूज पर सीधा प्रसारण किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया के कोने-कोने से विशेष समाचार प्रसारित किए गए। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 14 दिन तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार, साक्षात्कार और चर्चाएं प्रसारित की गयीं। डीडी न्यूज ने योग पर टोटल हेल्थ, तेजस्विनी, चर्चा में और जेननेक्स्ट के विशेष एपिसोड भी प्रसारित किए। प्रख्यात योग गुरुओं के विशेष साक्षात्कार यथा एच आर नागेंद्र, स्वामी वेद भारती, बाबा रामदेव, श्री श्री रवि शंकर और आयुश मंत्री श्री श्रीपद नाइक भी प्रसारित किए गए। विशेष वृत्त चित्र "योग-गाथा" भी प्रसारित किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) ने भी विशेष समाचार/ कार्यक्रम प्रसारित किए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निधन और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि एवं रामेश्वरम में उनके अंतिम संस्कार, सरदार पटेल की 140वीं जयंती, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, बैंकाक में आयोजित विश्व संस्कृत सम्मेलन, भोपाल में आयोजित 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ग्लोबल कॉल टू एक्शन

समिट-2015, जयपुर में आयोजित फोरम फॉर इंडिया-पेसिफिक आइलैंड कॉपरेशन (एफआईपीआईसी) तथा नयी दिल्ली में आयोजित भारती-अफ्रीका शिखर सम्मेलन पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपातकाल को 40 साल होने पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए। 23 जून से 27 जून 2015 तक विशेष वृत्त चित्र 'आपातकाल का सच' पांच हिस्सों में प्रसारित किया गया। आपातकाल पर विशेष विचार-विमर्श और दर्शकों पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए।

डीडी न्यूज ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कई विशेष कार्यक्रम, 1965 की स्वर्ण जयंती पर विशेष कार्यक्रम, टोटल हेल्थ के डेंगू, योग, विश्व स्वास्थ्य दिवस, भूकंप पीड़ितों के उपचार, थैलीसीमिया, मिशन इंद्रधनुष पर विशेष एपिसोड भी प्रसारित किये। डीडी न्यूज ने पीएसएलवी सी 28 के प्रक्षेपण, जीसेट-6 और स्वदेशी तकनीक से विकसित खगोलीय उपग्रह एस्ट्रोसेट के प्रक्षेपण को कवर किया और एमएच-370 दुर्घटना पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया गया।

डीडी न्यूज ने जून में भारत की प्रथम संस्कृत टीवी समाचार पत्रिका 'वार्तावली' का प्रारंभ किया। अंतरराष्ट्रीय समाचारों/घटनाओं पर दो नए साप्ताहिक कार्यक्रम अंग्रेजी में 'वर्ल्डकनैक्ट' और हिंदी में 'खबर दुनिया की' अक्टूबर 2015 से प्रारंभ किए गए हैं।

डीडी न्यूज ने हाल ही में अपने लोकप्रिय कार्यक्रम टोटल हेल्थ के 600 एपिसोड पूरे कर लिए हैं।

ऑडियो-वीडियो फीड के तेजी से संग्रहण के लिए यह अपने स्टुडियो पैनल को नवीनतम इंटरनेट टूल्स के साथ जोड़ रहा है। हाल की अंतरराष्ट्रीय कवरेज में, इसने जहां भी संभव हो सका उपग्रह के फीड्स के स्थान पर फीड्स के किफायती मोबाइल ट्रांसमिशन का उपयोग किया।

इस नवीकृत चैनल को दूरदराज तक विशेषकर आईसीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराने के लिए, डीडी न्यूज ज्यादा से ज्यादा ऑडियो-वीडियो सामग्री यूट्यूब और सोशल मीडिया की अन्य इकाइयों पर पोस्ट कर रहा है। इस दिशा में नया कदम मोबाइल एप्प है, जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों को लाइव टेलीविजन और अन्य वीडियो उपलब्ध कराता है।

डीडी भारती

दूरदर्शन का डीडी भारती चैनल संस्कृति, स्वास्थ्य एवं बच्चों के लिए उपयुक्त चैनल के रूप में भारतीय संस्कृति और धरोहर को प्रामाणिकता के साथ संरक्षित रखने और उसे बड़े पैमाने पर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जनवरी 2002 में प्रारंभ किया गया। इस चैनल ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई सार्वजनिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के अभिलेखागार में उपलब्ध दुर्लभ कार्यक्रमों का न्यायपूर्ण चुनाव कर उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके साथ भागीदारियां की हैं।

इन साझेदारियों के तहत डीडी भारती के पास भागीदार संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करने का कॉपीराइट है :

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए)
- फिल्म प्रभाग
- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हैरिटेज (इनटैक)
- स्पिक मैके
- इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हैरिटेज डेवेपमेंट (आईटीआरएचडी)
- साहित्य अकादमी
- विज्ञान प्रसार
- राष्ट्रीय ललित कला केंद्र (एनसीपीए)
- काला घोड़ा एसोसिएशन (काला घोड़ा कला महोत्सव)
- मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव
- राजारानी संगीत समारोह
- तानसेन संगीत समारोह
- श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन
- खजुराहो नृत्य महोत्सव
- सिरपुर नेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टीवल
- विदेश मंत्रालय
- दिल्ली अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव

विविधता सुनिश्चित करने के लिए चैनल के पास कुछ नियमित स्लॉट्स भी हैं।

- एक विशेष दैनिक स्लॉट 'आधा आकाश अपना' नारीत्व का अभिनंदन करने और स्त्रियों की समानता के सत्त संघर्ष का समर्थन करने के लिए बनाया गया है।
- 'संस्कृति भारती' विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक राउंड-अप्स को प्रदर्शित करता है।
- 'शास्त्रीय संगीत' रोजाना प्राइम टाइम में एक घंट का स्लॉट
- 'आसपास' शीर्षक वाले स्लॉट में 124 से अधिक घटनाओं को कवर किया गया।

सीधा प्रसारण : 30 नवंबर, 2015 तक चैनल ने 52 घंटे से अधिक का सीधा प्रसारण किया है। दिसंबर में लगभग 20 घंटे सीधा प्रसारण किया जाएगा।

आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रशंसा में प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित विजय किचलू द्वारा संकलित 52 एपिसोड की श्रृंखला।
- 'आओ एक ख्वाब बुने' - चैनल सलाहकार डॉ. यतींद्र मिश्रा द्वारा संकलित श्रृंखला, जिसमें कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र की उभरती प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया गया है।
- लोक रंग (लोक कलाकारों के कार्यक्रम), भजनांजलि (भक्ति संगीत का कार्यक्रम)।

डीडी उर्दू

डीडी उर्दू 15 अगस्त, 2006 को अस्तित्व में आया, 14 नवंबर 2007 से जिसका प्रसारण चौबीसों घंटे होने लगा। यह चैनल समाचार, स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह जैसे आयोजनों का सीधा प्रसारण, राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेशों, राज नेताओं पर विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के अतिरिक्त लक्षित दर्शकों के लिए धरोहर, संस्कृति, साहित्य, सूचना, शिक्षा और समाज से संबंधित मुद्दों का सार दर्शाने वाले नए और पुनः प्रसारित, प्राप्त और इन-हाउस सॉफ्टवेयर का मिश्रण उपलब्ध कराता है। इस प्रसारण का प्रमुख उद्देश्य/विषय लक्षित दर्शकों के शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के आधुनिकीकरण से संबंधित है।

'सरगर्मियां' शीर्षक वाला दैनिक कार्यक्रम दिल्ली और उसके आसपास की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का विजुअल फुटेज सहित राउंड अप प्रदान करता है।

चैनल के यूएसपी के रूप में रोजाना उर्दू में दस (10) समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं और पूरे प्रसारण के दौरान उर्दू में खबरों की सुर्खियां स्क्रोल करती हैं।

डीडी उर्दू की वर्षगांठ की पूर्वसंध्या पर डीडीके जयपुर, डीडीके जालंधर और डीडीके हैदराबाद के सहयोग से गज़ल कांसर्ट, कव्वाली कांसर्ट और स्किट जैसे विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

डीडी उर्दू की जनवरी 2016 से मॉर्निंग शो, हेल्थ शो, गुफ्तगू और दास्तानगोई जैसे नए वर्तमान शो के अतिरिक्त इन-हाउस कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू करने की योजना है।

वर्ष 2015-16 में डीडी उर्दू की मुख्य गतिविधियां

- डीडी उर्दू ने बेगम अख्तर के शताब्दी समारोह पर अखिल भारतीय रियलिटी शो 'जश्न-ए-बेगम अख्तर' का आयोजन किया और डीडी उर्दू पर 13 एपिसोड की शृंखला का प्रसारण किया।
- मन्ना डे और कैफी आजमी पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम (यादों के दरीचे से) 15 मई, 2015 को।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ डीडी किसान चैनल के शुभारंभ का सीधा प्रसारण (06. 05.2015 को)।
- सामाजिक मुद्दों पर पैनल चर्चा का कार्यक्रम 'मुबाहिसा' (योग और सेहत) 21 जून, 2015 को।
- ईद-उल-फितर (ईद मुबारक) पर विशेष कार्यक्रम 20 जुलाई, 2015 को।
- स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण।
- स्वतंत्रता दिवस पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम (यादों के दरीचे से) 15 अगस्त, 2015 को।
- डीडी उर्दू चैनल की सालगिरह 15 अगस्त, 2015 को (गजल कॉन्सर्ट, कव्वाली कॉन्सर्ट और स्किट) विशेष कार्यक्रम।
- तीज (हरियाली तीज) पर 22 अगस्त, 2015 को विशेष कार्यक्रम
- हज (हज कैसे करें) पर 18 सितंबर, 2015 को विशेष कार्यक्रम
- ईद-उल-अजहा (ईद-ए-कुर्बान) पर 25 सितंबर, 2015 को विशेष कार्यक्रम।
- दुर्गापूजा (जश्न-ए-फतेह) पर 22 अक्टूबर, 2015 को विशेष कार्यक्रम।
- मोहर्रम (शाम-ए-गम, शाम-ए-आलम) पर 24अक्टूबर, 2015 को विशेष कार्यक्रम।
- अबुल कलाम आजाद की जयंती पर (भारतीय तालीम के मयार... मौलाना अबुल कलाम आजाद) पर विशेष कार्यक्रम 11 नवंबर, 2015 को।
- दिलीप कुमार पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम (यादों के दरीचे से) 11 दिसंबर, 2015 को।

डीडी इंडिया

दूरदर्शन ने 14 मार्च, 1995 को अपना अंतरराष्ट्रीय चैनल प्रारंभ करके दुनिया के लिए अपनी खिड़कियां खोल दीं। पहले इस चैनल का नाम डीडी वर्ल्ड रखा गया, जिसे बाद में 2002 में बदल कर डीडी इंडिया कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के बारे में इस चैनल पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। डीडी इंडिया विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ संवाद स्थापित करने और उनके सामने वास्तविक भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने, उसकी संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, आधुनिकता, विविधता, एकता, वेदना और जोश को श्रेष्ठतम कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के सामने पेश करने के मिशन के साथ शुरू किया गया था, जो लोक सेवा प्रसारण की सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन करते हुए लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ उनका मनोरंजन भी करे।

डीडी इंडिया पर समाचार बुलेटिन, प्रासंगिक फीचर, मनोरंजक कार्यक्रम, फीचर फिल्में, संगीत और नृत्य, धारावाहिक, वृत्त चित्र, समाचार और सामयिक मामले, घटनाएं और कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

डीडी इंडिया के कार्यक्रम समुद्र तल में बिछी केबल, उपग्रह और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से 38 देशों तक पहुंच रहे हैं। यह जीसेट-10 पर उपलब्ध है, जिसकी कवरेज सार्क, आसियान, एफआईपीआईसी और पूर्वी अफ्रीकी तटीय देशों तक है। यह कनाडा में एटीएन नेटवर्क और अमेरिका में आईटीवी के अंग के रूप में तथा यूरोप में डीडब्ल्यू गुलदस्ते के अंग के रूप में उपलब्ध है। यह देश में ज्यादातर एमएसओ द्वारा केबल पर और टाटा स्काई पर डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। इसके वितरण को और ज्यादा व्यापक बनाने और विश्वभर में इसका प्रसारण पहुंचाने संबंधी कार्यनीति पर मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

वर्तमान में 8 घंटे का प्रोग्राम लूप प्रसारित किया जाता है और विश्व के प्राइम टाइम जोन के मुताबिक उसे ही 24 घंटों में दो बार दोहराया जाता है।

01 अप्रैल, 2015 से अब तक की उपलब्धियां :

- डीडी इंडिया पर माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों, से संबंधित कार्यक्रम और जन धन योजना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्वावलम्बन जैसे भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और नागरिक एवं रक्षा अधिकारियों के अधिष्ठापन और विभिन्न पुरस्कारों और सम्मान के वितरण संबंधी 78 कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया।
- डीडी-इंडिया की ट्रांसमिशन संबंधी अवसंरचना को उन्नत बनाते हुए 01 जून, 2015 से अत्याधुनिक डिजिटल सर्वर आधारित टेपलेस वर्कफ्लो पर कार्य करने के अनुरूप बनाया गया है।
- डीडी इंडिया के पुस्तकालय का डिजिटलीकरण किया गया है और टेप पर मौजूद सामग्री को डिजिटल फाइल में परिवर्तित कर दिया गया है और वह इसका मेटाडाटा सहित एलटीओ 6 पर अभिलेखन करने की प्रक्रिया में है।
- विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय आदि के पास उपलब्ध अच्छी अभिलेखीय सामग्री का डीडी इंडिया पर प्रसारण हेतु उपयोग करने के लिए उनके साथ संपर्क स्थापित करने के वास्ते सुविधा एवं प्रणाली विकसित करना।

भावी योजनाएं

- डीडी इंडिया की कवरेज का विस्तार उन क्षेत्रों तक करना, जहां तक अब तक इसकी पहुंच कायम नहीं हो सकी।
- डीडी इंडिया के प्रति समर्पित फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के माध्यम से दर्शकों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना और उनकी निगरानी करना। डीडी इंडिया के कार्यक्रमों के लिए यूट्यूब का उपयोग करना।
- दुनियाभर में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लाभ के लिए चैनल का चौबीसों घंटे वेबकास्ट आरंभ करना
- प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए व्यावसायिक अवसरों का सृजन करना।
- मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर वैश्विक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए एंड्रॉयड और विंडोज प्लेटफॉर्म पर एपीएस विकसित करना।

डीडी स्पोर्ट्स

दूरदर्शन का खेल चैनल 18 मार्च, 1999 को 10 घंटे के प्रसारण के साथ प्रारंभ किया गया जोकि 25 अप्रैल, 1999 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया तथा चैनल की लोकप्रियता पर गौर करते हुए जून, 2000 से इसे 24 घंटे का कर दिया गया। इस चैनल ने वर्ष के दौरान अपने दर्शकों के लिए सराहनीय कार्यक्रम/खेल आयोजनों की कवरेज प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

Ø-l-	vk;kstu
1	राष्ट्रीय खेल केरल, 2015
2	63वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2014 का इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली से सीधा प्रसारण
3	बेलावदी स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स पुणे में एबीयू रोबोकॉन 2015 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं
4	भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और नेपाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बीच फीफा विश्व कप रशिया 2018 क्वालिफाइंग राउंड 1 इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम सारूसगंज गुवाहाटी में
5	सीनियर वूमन फेड कप एशिया ओसियाना जोन ग्रुप 2 एसएएपी टेनिस कॉम्प्लेक्स एल बी स्टेडियम फतेह मैदान, बशीरबाग हैदराबाद में
6	राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रीमियर लीग विजया मॉल वदापालनी चेन्नई में
7	डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप आर. के. खन्ना टेनिस स्टेडियम नई दिल्ली में
8	दक्षिण कोरिया गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिडेड गेम्स 2015
9	विश्व जूडो चैंपियनशिप, ताशकंद रशिया में
10	आइजोल में आयोजित मिजो स्वदेशी खेल उत्सव 2015
11	जकार्ता, कुआलालंपुर और कुवैत में आयोजित एशियन रेसिंग चैम्पियनशिप (3 राउंड)
12	एशियन यूथ फुटबॉल फेस्टा 2015 अन्सियांग दक्षिण कोरिया में
13	कुआलालंपुर ग्रां प्री कार रैली।

आगामी आयोजन :

1. गुवाहाटी में सैफ खेल 2016
2. राष्ट्रीय खेल 2016
3. रियो ओलिंपिक खेल 2016
4. पैरा-ओलंपिक खेल 2016

उपरोक्त के अलावा डीडी स्पोर्ट्स ने भारत में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल आयोजनों की कवरेज की है। महत्वपूर्ण इन-हाउस निर्माणों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों से संबंधित अंग्रेजी और हिंदी में (आधे-आधे घंटे की अवधि वाला) एक घंटे का लाइव कार्यक्रम 'स्पोर्ट्स ऑर'।

ii) प्रत्येक शनिवार 'स्पोर्ट्स पल्स' और प्रत्येक शनिवार को रिपीट।

iii) लक्ष्य-खेल से जुड़ी प्रख्यात हस्तियों के साथ एक दिन

iv) अक्टूबर 2015 से चार नए कार्यक्रम-फिट रहे इंडिया, इंडियन खेल लीग, स्पोर्ट्स गुरू और स्पोर्ट कनेक्ट साप्ताहिक आधार पर शुरू किए गए।

v) दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन यूथ फुटबॉल फेस्टा 2015 पर तीन विशेष एपिसोड।

प्रसार भारती के लोक सेवा के अधिदेश के मद्देनजर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर प्रभार भारती ने निम्नलिखित के संदर्भ में नकद प्रवाह के सिद्धांत को छोड़ दिया :

1. डॉ. अम्बेडकर स्टेडियम, नयी दिल्ली में आयोजित 56वां सुबर्तो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2015
2. दीमाकुची स्टेडियम, उदलगुड़ी असम में आयोजित 20वां बोडोलैंड गेलेंट्स गोल्ड कप फुटबॉल फाइनल टूर्नामेंट 2015।

डीडी किसान

डीडी किसान का शुभारंभ 26 मई, 2015 को सीपीसी : दूरदर्शन से किया गया। यह पहला चैनल है, जो भारत की कृषि और किसानों को समर्पित है। डीडी किसान किसानों को सरकार की नीतियों, फैसलों से अवगत ही नहीं कराता, बल्कि उनके बीच की खाई को भी पाटता है। इनके अलावा कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों और संस्थानों की मदद से यह किसानों को खेती-बाड़ी की नयी तकनीकों से भी अवगत कराता है और अन्य सूचना मुहैया कराता है। 'प्रति बूंद अधिक उपज'(पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के नारे की अहमियत को ध्यान में रखते हुए डीडी किसान जल संरक्षण तथा इसके सही उपयोग को प्रोत्साहन देगा। नयी तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के इस्तेमाल, जमृदा की उचित देखभाल, विभिन्न मंडियों में सब्जियों के भाव, देश के विभिन्न भागों में मौसम का पूर्वानुमान और जल भंडारण के बारे में भी सूचित किया जाएगा। डीडी किसान में निम्नलिखित खंड हैं :

- किसान समाचार - ग्रामीण भारत के किसानों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले समाचार दैनिक रूप से प्रसारित करना।
- वार्ता एवं चर्चाएं - विशेषज्ञ किसानों की समस्याएं और कठिनाइयां सुनते हैं और उनके लिए समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किसान चैनल का उद्घाटन

- किसान प्रश्नमंच - किसानों के प्रश्नों का हल तलाशने के लिए डीडी किसान की टीम एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करती है। इसमें किसानों से प्रश्न पूछे जाते हैं और विजेता को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कृषि विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम का अंग हैं।
- चौपाल चर्चा - किसानों को गांव की स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मामलों सहित ग्राम विकास योजनाओं से अवगत कराया जाता है।
- हैलो किसान- किसान विशेषज्ञों के साथ फोन पर सीधे बात करते हैं।
- खेत खलिहान- यह एक घंटे का कार्यक्रम है, जो रोजाना प्रसारित होता है। इसमें कृषि, बीज, मृदा, सब्जी मंडी, मौसम, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण आदि के बारे में सूचना उपलब्ध करायी जाती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपरोक्त मामलों पर अपनी राय देते हैं और साथ ही साथ किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं से अवगत कराते हैं।
- घूमते फिरते- घूमते-फिरते किसानों का ज्ञानवर्धन करने वाला एक मोबाइल क्विज शो है। प्रश्न कृषि और सामान्य ज्ञान पर आधारित होते हैं। इस कार्यक्रम की अवधि 25 मिनट है।

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का डीडी किसान चैनल के शुभारंभ पर संबोधन

- वाद-संवाद- यह किसानों से सीधे तौर पर संबंधित कृषि मामलों के बारे में परस्पर संवादात्मक कार्यक्रम है।
- विचार-विमर्श- यह चर्चा पर आधारित एक घंटे की अवधि वाला कार्यक्रम है। यह कृषि और ग्रामीण मामलों पर किसानों के विचार और विरोधी विचारों पर आधारित है।
- मंडी खबर- यह ग्रामीण मंडी परिदृश्य से संबंधित रोजाना प्रसारित होने वाला आधे घंटे का कार्यक्रम है, जो एनसीडीईएक्स और अन्य विश्वसनीय स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए गए मानक आंकड़ों पर आधारित है।
- मौसम- यह मौसम के ताजा हालात के बारे में रोजाना प्रसारित होने वाला आधे घंटे का कार्यक्रम है, जो देश में मौजूद 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों के किसानों के लिए जरूरी परामर्श और एहतियाती उपायों की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- बात राज्यों की- एक विशेष कार्यक्रम है, जो विभिन्न क्षेत्रों की कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालता है।
- जीवन दर्शन- यह प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाला आधे घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें लोक संगीत अर्थात्- लोकगीत, भजन और कव्वाली आदि के स्वरूप में देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लोकाचार सम्मिलित किए जाते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल

डीडी सहयाद्रि

सहयाद्रि चैनल ने डीडी 10 नाम से 15 अगस्त, 1994 से मराठी कार्यक्रम प्रसारित करना प्रारंभ किया। 5 अप्रैल, 2000 से इसकी अवधि बढ़ाकर इसे 24 घंटे प्रसारण करने वाला चैनल बना दिया गया। टेरेस्टेरियल सपोर्ट पर प्रातः 6 से 9 और सांय 3 से 8 रविवार को छोड़कर सभी दिनों तथा उपग्रह मोड पर 24 घंटे उपलब्ध है। अगस्त 2013 में दूरदर्शन ने अपने मुंबई केंद्र में एक हाई डेफिनेशन (एच डी) प्रोडक्शन स्टूडियो की स्थापना की।

डीडी सहयाद्रि पर नए कार्यक्रम

1.	दूसरी बाजू	मई 2015
2.	उलट-सुलट	मई 2015
3.	मन करा रे प्रसन्न	मई 2015
4.	सवित्रिचया लेकी	जून 2015
5.	संकटमोचन हनुमान	जून 2015
6.	भारत के किले	जुलाई 2015
7.	गीत रंगोली	अगस्त 2015
8.	गणपति विसर्जन	27 सितंबर 2015
9.	हास्य रंग	नवंबर 2015

डीडी सहयादि्र के प्राइम टाइम स्लॉट में 9 नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं :

- पाशनपति, माटी कोकन्ची नाति जनमाचि, सुशीलेचा देव और वचनबद्ध 2 नवंबर, 2015 से प्रारंभ।
- संघर्ष मिलनचा, 'बन्तया टेलीविजन' और गोष्ठा उमलत्या मानाची 5 नवंबर, 2015 से प्रारंभ।
- ''अनाकल्निया''-5 नवंबर, 2015 से प्रारंभ।
- चित्रकथी-5 नवंबर, 2015 से प्रारंभ।
- आरबीआई क्यू - दिसंबर 2015

पुरस्कार :

- दूरदर्शन सहयादि्र सिने अवाड्‌र्स के छठे संस्करण का प्रसारण 12 जुलाई को किया गया।
- सहयादि्र सहयोग सिंधु पुरस्कार एवं जागो रे जागो का प्रसारण 14 अगस्त, 2015 को किया गया।

डीडी गिरनार

गुजराती में उपग्रह क्षेत्रीय भाषा चैनल डीडी-11, दिल्ली से अपलिंकिंग के माध्यम से 01 अक्टूबर, 1993 को प्रारंभ हुआ और इसी सेवा ने 15 अगस्त, 1994 को स्थानीय स्तर से अपलिंकिंग प्रारंभ कर दी। क्षेत्रीय उपग्रह भाषा सेवा पर 01 मई, 2000 से चौबीस घंटे का प्रसारण आरंभ हो गया और डीडी गिरनार 02 अक्टूबर, 2007 से ब्रांड की पहचान बन गया। डीडी गिरनार में मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का स्वस्थ मिश्रण उपलब्ध है। इस चैनल की टैगलाइन है-'' आपनी संस्कृति, आपनी ओलाख''।

डीडी-गिरनार पर गुजराती में सैटेलाइट मोड का प्रसारण केबल के माध्यम से डाउन लिंक किया जा सकता है तथा इसे भारत भर में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, इराक, आर्मिनिया, म्यामां, अजरबैजान, सीआईएस के कुछ भागों, ओमान, वियतनाम, तुर्की, उजबेकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, किर्गिस्तान, यूएई, मलेशिया, सुमात्रा, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, यमन, केएसए, अफगानिस्तान, थाइलैंड, मिस्र, बहरीन, नेपाल, ईरान, कुवैत, पाकिस्तान, साइप्रस, चीन, कतर, तजाकिस्तान, मंगोलिया जैसे 34 अन्य एशियाई राष्ट्रों में भी केबल के माध्यम से देखा जा सकता है।

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

- 08 अप्रैल 2015 से 11 अप्रैल, 2015 तक अस्मिता पर्व का प्रसारण
- 14 अप्रैल, 2015 को डॉ बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर विशेष प्रसारण
- 1 मई, 2015 को गुजरात के 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम ''रंग छे गुजरात'' का प्रसारण
- 22 मई, 2015 को 'मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्मार्ट सिटी' विशेष कार्यक्रम का प्रसारण
- 23 मई, 2015 को जीआईएफटी सिटी, गांधी नगर में मोदी सरकार ने एक वर्ष परिचर्चा का प्रसारण
- 21 जून, 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का सीधा प्रसारण
- 20 जुलाई, 2015 को चांद पर मानव के कदम रखने की वर्षगांठ के अवसर पर विशेष प्रसारण।
- 15 सितंबर, 2015 को भारतीय प्रसारण दिवस पर विशेष प्रसारण
- राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2015 तक गुजरात की 3 दिन की यात्रा की व्यापक कवरेज।
- गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री के स्वाधीनता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण।
- 18 जुलाई, 2015 को अहमदाबाद से 138वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का सीधा प्रसारण।
- 27 सितंबर, 2015 को विश्व पर्यटन पर विशेष प्रसारण।
- 05 सितंबर, 2015 को द्वारका, डाकोर, राजकोट और स्टूडियो से जन्माष्टमी का सीधा प्रसारण।
- 08 सितंबर, 2015 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।

डीडी पोधिगई

क्षेत्रीय भाषा के 'तमिल उपग्रह चैनल-पोधिगई का प्रारंभ 24 घंटे के प्रसारण के साथ 15 जनवरी 2001 को पोंगल के दिन हुआ। इस चैनल में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की शैली को ध्यान में रखते हुए इसे 'इन्फोटेन्मेंट चैनल' कहा जाने लगा।

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम:

i lkj.k dh frfFk	dk;Øe dk fooj.k
22.04.2015	कलिंगामलई में श्री वरदराजा पेरूमल मंदिर का महा सम्प्रोक्षनम
30.04.2015	आरुल्मिगु मीनाक्षी - मदुरै में सुंदरेश्वर थिरूकल्याणम
21.05.2015	श्रीरंगम, त्रिची में साधाभिषेगा महोत्सवम
12.06.2015	त्रिपलीकेन, चेन्नई में श्री पार्थसारथी स्वामी मंदिर का महा सम्प्रोक्षनम
10.07.2015	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसएचएआर), श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी-सी28/डीएमसी3 मिशन का प्रक्षेपण
30.07.2015	पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार
07.08.2015	माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का शुभारंभ
27.08.2015	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसएचएआर), श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी-डी6/जीसैट-6 मिशन का प्रक्षेपण
07.09.2015 और 08.09.2015	आउर लेडी ऑफ हेल्थ, वेलनकन्नी का वार्षिक उत्सव और कार फेस्टीवल
12.09.2015	ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडेमी, चेन्नई में पासिंग आउट परेड
22.10.2015	कुलसेकरापट्टिनम में दशहरा पर्व
08.11.2015	तिरूवरूर में आरुल्मिगु त्यागराज स्वामी मंदिर का महा कुंभाभिषेकम
25.11.2015	आरुल्मिगु अरुणाचलेश्वरर मंदिर, तिरूवनंनमलई में कार्तिगई महा दीपं महोत्सव

दिसंबर 2015 से मार्च 2016 तक कवर किए जाने वाले आयोजन :

दिसंबर 2015

नववर्ष की पूर्व संध्या और नववर्ष पर विशेष कार्यक्रम

जनवरी 2016 सबरीमाला में महाराज्योति महोत्सव

पोंगल के त्योहार के लिए विशेष पट्टिमानद्रम

फरवरी-2016

कुंभकोणम में महामंगलम महोत्सव

चिदंबरम में नट्यांजलि महोत्सव

डीडी यदागिरी

आंध्र प्रदेश के दो भागों अर्थात् आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के बाद डीडी सप्तगिरि चैनल को हैदराबाद में डीडी-यदागिरी चैनल और विजयवाड़ा में डीडी-सप्तगिरि चैनल में विभाजित कर दिया गया और उन्होंने 27 सितंबर, 2014 से कार्य करना शुरू कर दिया। डीडी-यदागिरी की टैगलाइन - सुमधुरम एवं सुमनोहरालु है।

15 vçSy ls uoacj 2015 rd izlkfjr dk;Øeksa ds uke%

62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण 03.05.2015

प्रधानमंत्री द्वारा डीडी किसान चैनल के उद्घाटन का सीधा प्रसारण – 26.5.2015

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का सीधा प्रसारण 21.6.2015

तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह का सीधा प्रसारण 02.06.2015

गोदावरी पुष्कर समरामहम 01.7.2015 से 13.7.2015 तक

जीएसएलवी–डी 6/जीसैट–6 मिशन के प्रक्षेपण का श्रीहरिकोटा से सीधा प्रसारण– 27.8.2015

नासिक–त्रयंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ मेले का नासिक से सीधा प्रसारण 29.8.2015

उज्जैनी महानकालि अम्मावारि बोनालु–सीधा प्रसारण 2.8.2015

स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद का–नई दिल्ली से सीधा प्रसारण 04.09.2015

भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन–2015 के उद्घाटन सत्र का – नई दिल्ली से सीधा प्रसारण 29.10.2015

महात्मा गांधी पर विशेष कार्यक्रम 02.10.2015

दशहरा पर विशेष कार्यक्रम 22.10.15

आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी अमरावती का प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास 22.10.2015

अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के कार्यक्रम13.11.2015 से 20.11.2015 तक

जनवरी से मार्च –16 तक प्रसारित होने महत्वपूर्ण कार्यक्रम

नववर्ष के कार्यक्रम 01.01.2016

संक्रांति पर विशेष कार्यक्रम और मकराविलाक्कु का सबरीमाला से सीधा प्रसारण 14.1.2016

गणतंत्र दिवस समारोह का नयी दिल्ली से सीधा प्रसारण 26.1.2016

डीडी सप्तगिरि

10 अक्तूबर, 1993 को प्रारंभ डीडी सप्तगिरि, तेलुगु भाषा का एक उपग्रह चैनल है, जो हैदराबाद, विजयवाड़ा तथा वारंगल के दूरदर्शन स्टूडियो द्वारा समर्थित है। यह 2000 में चौबीस घंटे प्रसारित होने वाला चैनल बन गया। 27.09.2014 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्र बाबू नायडु द्वारा डीडी सप्तगिरि आंध्र प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रसारित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम :-

कार्यक्रम	तिथि
डीडी-किसान चैनल का शुभारंभ - लाइव	26.5.15
विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम	5.6.15
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर समारोह-महासंकल्पम	8.6.15
राजपथ पर पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का सीधा प्रसारण	21.6.15
राजमुंदरी, नरसापुरम और कोव्वुर से गोदावरी पुशकारालु का सीधा प्रसारण	14.07.2015- 25.07.2015
गुरुपूजा महोत्सवम का विशाखापतनम से सीधा प्रसारण	5.9.15
विशाखापतनम से स्पोर्ट्स लाइव	05.09.2015
दशहरा के संबंध में नववरणा एवं नवरात्र कीर्तनालु	13.10.2015 -23.10.2015
तिरुमाला में आयोजित श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारि ब्रह्मोत्सवालु	14.10.2015 - 22.10.2015
आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी का उद्घाटन - लाइव	22.10.2015
19वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव	14.11.15
क्रिसमस समारोह	25.12.15
नववर्ष समारोह	01.01.2016
अंतरराष्ट्रीय नौसेनिक बेड़े की समीक्षा लाइव	फरवरी 2015

डीडी बांग्ला

20 अगस्त, 1992 को प्रारंभ डीडी बांग्ला 1 जनवरी, 2000 से 24 घंटे प्रसारण करने वाला चैनल बन गया। श्री जवाहर सरकार, सीईओ प्रसार भारती ने 15 अप्रैल, 2013 को एचडीटीवी फॉर्मेट में कोलाबोरेटिव नॉन-लाइनर पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा का उद्घाटन किया।

1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

अप्रैल 2105 से दिसंबर 2015 तक दूरदर्शन केंद्र कोलकाता से प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, तथ्यों, घटनाओं आदि का विवरण निम्नलिखित हैः

- 'चैत्र शेष बेलाय' (बंगाली साल के अंत पर विशेष कार्यक्रम)- 14.04.15
- नबबरशेर बैठक - 1422 (बंगाली नव वर्ष पर विशेष कार्यक्रम) पर 15.04.15
- ''कवि प्रणाम'' -रवींद्रनाथ टैगोर के 154 वीं जयंती समारोह का जोरासाँको ठाकुरबाड़ी कोलकाता से सीधा प्रसारण - 09.05.15
- परंपराय दर्शन - दूरदर्शन की 56वीं वर्षगांठ (डीडी दिवस) पर एक विशेष कार्यक्रम- 15.09.15 को रात 8.00 बजे
- ''स्वर्ण जुगेर पुजोर गान'' अभिलेखीय रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला का 21.09.15 से 09.10.15 (सोमवार से शुक्रवार) तक प्रसारण
- महालया पर -''महिषासुरमर्दिनी'' कार्यक्रम का प्रसारण-12.10.15
- आगोमनी गान पर संगीत कार्यक्रम (देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन से संबंधित गान) का ''बेहला रॉय बाड़ी'' से सीधा प्रसारण 18.10.15 (महा पंचमी)
- दुर्गा पूजा समारोह का 19.10.15 से 23.10.15 तक अलग-अलग समय स्लॉट में रामकृष्ण मठ बेलूर से सीधा प्रसारण
- ''इबार पुजोय भारत दर्शन'' दुर्गा पूजा समारोह पर विभिन्न केंद्रों के योगदान से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का प्रसारण - 19.10.15 से 23.10.15 तक अलग समय स्लॉट में
- विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों से सीधा प्रसारण- 20.10.15 को (गोल्फ ग्रीन पूजा पंडाल - सप्तमी), 21.10.15 (सिंघी पार्क पूजा पंडाल - अष्टमी) एवं 22.10.15 (संधानी बेलियाघाट पूजा पंडाल - नवमी)
- बाजा कदमताला, कोलकाता से 25.10.2015 को देवी दुर्गा के विसर्जन का सीधा प्रसारण
- 10.11.2015 को दक्षिणेश्वर मंदिर से श्याम पूजा का सीधे प्रसारण
- 14.11.15 को 21वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह का नेताजी इंडोर स्टेडियम से सीधा प्रसारण।
- ''पौष उत्सव''- दिसंबर 2015 में पौष उत्सव के उद्घाटन समारोह का बोलपुर, शांति निकेतन से सीधा प्रसारण
- 31.12.2015 को नववर्ष की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम।

1 जनवरी से 31 मार्च, 2016 के दौरान प्रसारित कार्यक्रमों का संक्षिप्त सांकेतिक विवरण :

- 01 जनवरी, 2016 को दक्षिणेश्वर काली मंदिर से 'कल्पतरु उत्सव' का सीधा प्रसारण।
- 12 जनवरी, 2016 को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विशेष कार्यक्रम
- 40वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2016 के उद्घाटन समारोह का जनवरी, 2016 में सीधा प्रसारण।
- जनवरी 2016 में 'गंगासागर मेला' पर आधारित कार्यक्रम
- 28 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम
- मार्च, 2016 में दोल पर विशेष कार्यक्रम

डीडी पंजाबी

डीडी पंजाबी 6 अगस्त, 1998 को प्रारंभ हुआ और 5 अगस्त 2000 से यह 24 घंटे प्रसारण अवधि वाला चैनल हो गया। यह भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध है और साथ ही उन देशों में भी उपलब्ध है, जहां उपग्रह इनसेट-3ए तथा उपग्रह इनसेट-4बी का प्रसारण उपलब्ध है। डीडी पंजाबी चैनल उपग्रह इनेसट 4बी उपग्रह पर डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) प्लेटफॉर्म पर पर भी उपलब्ध है।

- अप्रैल 2015 से मार्च, 2016 के दौरान कार्यक्रम/आयोजन
- मेला बैसाखी दा - 16 अप्रैल, 2015 को बैसाखी के त्योहार के अवसर पर प्रसारण।
- सुर सरताज-3 : 09 जून, 2015 को आयोजित सुर सरताज-3 के ग्रेंड फिनाले का सीधा प्रसारण।
- सुरां दा शहंशाह- 08 अगस्त, 2015 को मोहम्मद रफी पर दर्शकों पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण।
- सबरंग- 06 अगस्त, 2015 को आयोजित विशेष स्टेज शो का प्रसारण।
- जश्न दी रातः 15 सितंबर, 2015 को आयोजित भव्य लाइव शो का सीधा प्रसारण।
- त्रिभाषी कवि सम्मेलन : 22 सितंबर, 2015 को रंग सुनहरी त्रिभाषी कवि सम्मेलन का प्रसारण।

- पंजाबी अकादमी समारोह : 22 सितंबर, 2015 को पंजाबी अकादमी समारोह का प्रसारण
- सुनहरी शाम : 20 अक्टूबर, 2015 को वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर प्रसारण
- याद रहे कुर्बानी : 16 नवंबर, 2015 को विशेष स्टेज शो का सीधा प्रसारण

भावी कार्यक्रम और सीधा प्रसारण

- नववर्ष की पूर्वसंध्या पर कार्यक्रम
- हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन
- नचन नू जी करदा
- लोहड़ी शगना दी

डीडी कशीर

"डीडी कशीर" चैनल का शुभारंभ 28 अगस्त, 2000 को हुआ। इसे 15 अगस्त, 2003 से 24 घंटे वाले चैनल में परिवर्तित कर दिया। डीडी कशीर के प्रसारण में 'क्षेत्रीय सेवा' का 4 घंटे का सिमुलकास्ट और डीडी नेशनल से प्रतिदिन आधे घंटे का रिले शामिल है। पूरा प्रसारण डी डी डायरेक्ट प्लस पर उपलब्ध है, जबकि सुबह 06.00 बजे से रात बारह बजे तक का प्रसारण स्थलीय मोड में भी उपलब्ध है।

डीडी कशीर पर सभी भाषाओं/बोलियों को कार्यक्रमों के प्रसारण में जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इन भाषाओं में बाल्टी, डोगरी, गोजरी, कश्मीरी, लद्दाखी, पहाड़ी, पंजाबी, शीना और उर्दू शामिल हैं।

कार्यक्रम की सामग्री

इस अवधि के दौरान परंपरागत मूल्यों, परम्पराओं, सांस्कृतिक पहलुओं, लोकाचारों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सीपीजी कार्यक्रमों पर सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम गृह मंत्रालय और सैन्य खुफिया निदेशालय द्वारा चिह्नित विषयों पर आयोजित किए जाते हैं। इस अवधि में प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रमः

- रमजान के पवित्र महीने में सेहरी के दौरान पयाम-ए-रमजान नामक श्रृंखला का प्रसारण किया गया।
- आशूरा-ए-मुहर्रम के संबंध मेंयाद-ए-कर्बला नामक श्रृंखला का प्रसारण किया गया।
- नवरात्र के दौरान "यात्रा-तीर्थ-यात्रा" नामक श्रृंखला का प्रसारण किया गया।
- रमजान के पवित्र महीने के दौरान चार लाइव शो।
- कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में मुशायरे
- सीपीजी कार्यक्रम।

डीडी उड़िया

दूरदर्शन उड़िया का शुभारंभ 02 अक्टूबर, 1993 को हुआ। 01 अप्रैल, 2001 (उत्कल दिवस, ओडिशा राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर) को यह 24 घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया। 1 मार्च, 2014 से डीडी उड़िया चैनल को प्रति सप्ताह 48 घंटे 30 मिनट प्रसारण का टेरेस्टेरियल सहयोग मिल रहा है तथा शेष 119 घंटे 30 मिनट अवधि का प्रसारण केवल उपग्रह मोड पर ही प्राप्त हो रहा है।

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान गतिविधियां

क. भगवान जगन्नाथ का नबकालेरबारा 17 अप्रैल, 2015 से 27 जुलाई, 2015 तक

- अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी शृंखला (4 टेस्ट) कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर से 3, 5, 7 व 9 मई, 2015 को।
- ओडिशा के स्थापना दिवस के अवसर पर 01 अप्रैल, 2015 को विशेष कार्यक्रम 'मो ओडिशा' और ओडिशा दिवस के जश्न पर टीवी रिपोर्ट।
- योग पर विशेष कार्यक्रम 'योगासन ओ सुस्त जीवन' का प्रसारण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया था।
- 24 मई, 2015 को संबलपुर के सितल सष्ठी का प्रसारण।
- 08 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कटक के दीक्षांत समारोह का प्रसारण।
- 15 सितम्बर, 2015 को दूरदर्शन के स्थापना दिवस कार्यक्रम "सत्यम शिवम सुंदरम" का प्रसारण।
- पारबाना बेला (राज्य में दशहरे का उत्सव) का प्रसारण 21-24 अक्टूबर, 2015।
- 14 नवम्बर, 2015 को बाल दिवस पर बच्चों का विशेष का कार्यक्रम 'इंद्रधनुष'।

ख. प्रस्तावित लाइव प्रसारण (दिसंबर, 2015 से मार्च, 2016):

- कोणार्क महोत्सव 2015 : 1-5 दिसम्बर, 2015
- मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव : 14-16 जनवरी, 2016
- राजा रानी संगीत महोत्सव : 18-20 जनवरी, 2016

डीडी मलयालम

डीडी मलयालम ने 1985 में प्रारंभ होकर देश के कोने-कोने में अपनी पहचान बनाई है। केंद्र के पास तिरुअनंतपुरम, त्रिशूर तथा कालिकट में कार्यक्रम निर्माण की सुविधा है तथा राज्य भर में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का नेटवर्क भी है।

2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण कवरेज

izlkj.k dh rkjh[k	dk;Øe
29.04.2015 को	त्रिशूर पूरम का सीधा प्रसारण
15.05.2015 को	प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ
23.05.2015 को	मेक इन इंडिया पर संवादम
21.06.2015 को	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम
26.06.2015 को	नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस
23.07.2015 को	भारतीय प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम
28.07.2015 को	मन की बात का मलयालम संस्करण
28.07.2015 को	डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम पर कार्यक्रम
8.08.2015 को	नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का कर्टन रेजर
15.08.2015 को	स्वतंत्रता दिवस, डेफर्ड लाइव
27.08.2015 से 31.08.2015 तक	ओणम सप्ताह के समारोह
15.09.2015 को	कोट्टायम थाझाथंगडी नौका दौड़
02.10.2015 को	गांधी जयंती पर विशेष कार्यक्रम ''पारेबंदरिले सूर्योदयं'
23.10.2015 को	नवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम
24.10.2015 को	मुहर्रम, मुहर्रमासा मधुनिलवु, मुहर्रम संगीत कार्यक्रम
01.11.2015 को	केरलाप्पिरवी दिवस के विशेष कार्यक्रम
12.11.2015 को	लोक सेवा प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम
14.11.2015 को	बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम
17.12.2015–21/12.2015 को	चेम्बई संगीत समारोह
25.12.2015 को	क्रिसमस दिवस पर विशेष कार्यक्रम
31.12.2015 को	नववर्ष की पूर्वसंध्या विशेष कार्यक्रम
13.01.2016 को	सबरीमाला मकराविलाक्कु कर्टन रेजर
17.02.2016 को	शिवरात्रि, शिव स्तुतिकाल
26.03.2016 को	विश्व रंगमंच दिवस पर विशेष कार्यक्रम

डीडी चंदना

15 अगस्त, 1994 को प्रारंभ डीडी चंदना कन्नड़ भाषा का उपग्रह चैनल है जिसे बंगलुरु एवं गुलबर्गा के दूरदर्शन स्टूडियो का सहयोग मिलता है। वर्ष 2000 में यह चौबीस घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया तथा 24 मार्च, 2003 से इसकी कवरेज 30 से अधिक देशों में होने लगी है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान डीडी चंदना पर महत्वपूर्ण कवरेज

1. 3 और 4 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री की बंगलुरु यात्रा का सीधा प्रसारण

2. 17 अप्रैल को मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय के 95वें दीक्षांत समारोह की कवरेज
3. 5वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2015, मैसूर का 21-22 अप्रैल 2015 को सीधा प्रसारण
4. 26 अप्रैल 2015 को एलायंस फ्रैंकोइस डी, बंगलुरु में विश्व नृत्य दिवस की कवरेज
5. 21 जून, 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रदर्शन का नेशनल हाई स्कूल ग्राउंड्स, बंगलुरु से सीधा प्रसारण
6. 11 और 12 जून, 2015 को बंगलुरु में जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप का कवरेज
7. 14 जुलाई से 21 जुलाई, 2015 तक कुम्भ मेला, नरसापुर, आंध्र प्रदेश की कवरेज
8. 27 जुलाई 2015 को महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के उद्घाटन की कवरेज
9. 8 अगस्त, 2015 से 16 अगस्त 2015 तक तन्ना यान्ना की कवरेज
10. 5 और 6 सितंबर, 2015 को श्री कृष्ण मठ पर्याय कन्नियूर मठ, उडुपी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का सीधा प्रसारण
11. 18 से 20 सितंबर 2015, 25 से 27 सितंबर, 2015 और 2 से 4 अक्टूबर, 2015 को बंगलुरु में विविध स्थानों से अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव (बीआईएएफ) की कवरेज
12. 10 अक्टूबर, 2015 को बंगलुरु और मंगलूरू में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की कवरेज
13. 23 अक्टूबर, 2015 को मैसूर दशहरा जुलूस और बनिमनतप्पा से मशाल जुलूस का सीधा प्रसारण
14. 1 नवम्बर, 2015 को श्री कांतीरवा स्टेडियम, बंगलुरु में आयोजित कन्नड़ राज्योत्सव का सीधा प्रसारण

संभावित कार्यक्रम (1 दिसंबर 2015 से 31 मार्च, 2 016 तक)

1. 26 और 27 दिसंबर, 2015 को मधुर मधुरावी मंजुल गान।
2. 26 जनवरी, 2016 को गणतंत्र दिवस समारोह का परेड मैदान, बंगलुरु से प्रसारण।
3. 31 जनवरी, 2016 को त्यागरोत्सव और पूरनदारा अर्धाने का सीधा प्रसारण।
4. आमंत्रित दर्शकों के कार्यक्रम मधुर मधुरावी मंजुल गान (शिवरात्रि स्पेशल) की कवरेज।

डीडी पूर्वोत्तर

डीडी पूर्वोत्तर 01.11.1990 में कमीशन्ड किया गया और अंततः 15 अगस्त, 1994 को इसका शुभारंभ किया गया। 27 दिसंबर, 2000 से यह 24 घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया। प्रोग्राम प्रोडक्शन केंद्र (पूर्वोत्तर), डीडीके, गुवाहाटी के प्लेटफार्म से दूरदर्शन 24 घंटे बिना रुकावट कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। डीडी पूर्वोत्तर (डीडी-13) का कवरेज क्षेत्र पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों तक फैला है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य और अब सिक्किम भी पीपीसी (एनई), नेटवर्क के अंतर्गत आ गया है। पीपीसी (एनई), डीडीके, गुवाहाटी के इन-हाउस कार्यक्रमों के अलावा, क्षेत्र के विभिन्न डीडी केंद्र भी डीडी पूर्वोत्तर के प्रसारण में योगदान देते हैं। यह चैनल डीडी डायरेक्ट प्लस, वीडियोकोन डीटीएच, टाटा स्काई आदि विभिन्न डीटीएच प्लाटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं।

अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 के दौरान पीपीसी (एनई) डीडी, गुवाहाटी की प्रमुख उपलब्धियां :

- प्रख्यात फिल्म निर्देशक अडूर गोपालकृष्णन के साथ साक्षात्कार का 19 मई, 15 को प्रसारण।
- तेजपुर-असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, का 03 जून, 15 को प्रसारण।
- मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, का 26 जून, 15 को प्रसारण।
- दीमापुर-द ब्रिक सिटी ऑफ इंडिया, का 15 जुलाई, 15 को प्रसारण।
- मेघालय के री-भोई जिले के सी एंड आर डी ब्लॉक के तहत परियोजना-केंद्रीय विकास योजना का 23 जुलाई, 15 को प्रसारण।
- स्वतंत्रता की उड़ान, 15 अगस्त, 15 को प्रसारण।
- कॉयर फेस्टीवल ऑफ आइजोल आस्थगित लाइव प्रोग्राम, 23 अगस्त, 15 को प्रसारण।
- डीडी स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का 15.09.15 को प्रसारण।
- बापूजी को श्रद्धांजलि, 02 अक्टूबर, 15 को प्रसारण।
- हमें इतिहास मत बनाओ - वन्य जीव संरक्षण पर वृतचित्र, 11 अक्टूबर, 15 को प्रसारण।
- राष्ट्रीय एकता दिवस - सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि/रन फॉर यूनिटी का 31 अक्टूबर, 15 को प्रसारण।
- एनईएस, आकाशवाणी, शिलांग के 25 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम-डीडीके शिलांग से स्थगित लाइव प्रोग्राम, 06 नवंबर, 15 को प्रसारण।
- दलितों का मसीहा-डॉ. बी. आर. अंबेडकर पर कार्यक्रम, 17 नवंबर, 15 को प्रसारण।

डीडी राजस्थान

डीडी राजस्थान, चौबीस घंटे प्रसारण वाले हिंदी क्षेत्रीय चैनल के रूप में 1 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया और 15 अगस्त, 2013 से इसने औपचारिक रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया। 24 घंटे प्रसारण वाला यह केंद्र राज्य के दर्शकों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

डीडी राजस्थान द्वारा प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम (15 अगस्त, 2015 से मार्च 2016) :

1. एनआरईपी योजना - भारत एक खोज, निर्मला, संन्यासी, सोहनी महिवाल, तू तोता मैं मैना, सोल ऑफ इंडिया, अहसास, हिमालय दर्शन, नॉनसेन्स प्राइवेट लिमिटेड और "मैं कुछ भी कर सकती हूं" सीजन -1 वर्तमान में डीडीके जयपुर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2. एमसीयू - जयपुर में 19 और 20 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय रिसर्जेंट राजस्थान समिट का ओबी वैन और एमसीयू के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। मोमासर (जिला बीकानेर) में सितंबर में आयोजित शेखावटी उत्सव का डीडी-राजस्थान पर सीधा प्रसारण एमसीयू के माध्यम से किया गया।
3. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत योजना, अटल पेंशन योजना आदि जैसी प्रमुख योजनाओं पर विशेष कार्यक्रम।
4. 'कृषि दर्शन' का निर्माण - केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाइव फसल सेमिनार का आयोजन किया।
5. खेल कार्यक्रमों की कवरेज - जयपुर में आयोजित होने वाले कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स, बैडमिंटन और टेबल टेनिस चैम्पियनशिप्स का डीडी-स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया गया।
6. व्यक्तित्व पर आधारित कार्यक्रम संगीत निर्देशक नौशाद, रवि, लोककथाओं के अध्येयता कोमल कोठारी, राजस्थानी कहानीकार विजयदान देथा, रानी लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, कवि श्री कन्हैया लाल सेठिया, उर्दू शायर निदा फाजली, डॉ. शहरयार, फिल्म अभिनेता श्री महिपाल, मरूधर मृदुल, आदि की ओर से साहित्य और समाज में दिए गए उत्कृष्ट योगदान पर प्रसारित किए थे।
7. प्रश्नोत्तरी- यह लोकप्रिय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम अपने निरंतर प्रसारण के 22 वें वर्ष में प्रवेश गया है। इस कार्यक्रम के 500 से अधिक एपिसोड पूरे हो चुके हैं।
8. नववर्ष का कार्यक्रम - इस साल नए साल की पूर्व संध्या पर एक घंटे के वेराइटी प्रोग्राम के प्रसारण की योजना बनाई गई।

डीडी बिहार

डीडी पटना 13 अक्तूबर, 1990 को अस्तित्व में आया। इसके पश्चात मार्च 1996 में इसका उन्नयन किया गया और दिसंबर, 2003 में डिजीटल अर्थ स्टेशन चालू किया गया। विकास के साथ कदम मिलाते हुए और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डीडीके पटना को 1 मई, 2013 को चौबीसों घंटे के क्षेत्रीय हिंदी चैनल में परिवर्तित किया गया।

24 घंटे का यह चैनल लोक संगीत, सुगम संगीत, नाटक, टॉक शो, क्विज और कुछ अभिलेखीय कार्यक्रम, वृतचित्र, टेलीफिल्म/फीचर फिल्म, सीरियल/स्किट आदि जैसे शैलियों को कवर करता है।

वर्ष 2015-16 की अवधि में डीडी बिहार के प्रमुख कार्य-कलाप:

- चौथा अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट (बिहार कप) 04 अप्रैल, 2015 को प्रसारित किया गया।
- पटना उच्च न्यायालय के 100 वर्ष पर कार्यक्रम, उच्च न्यायालय से 18 अप्रैल, 2015 और 19 अप्रैल, 2015 को सीधा प्रसारण किया गया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' और रक्षा पुरस्कार समारोह का 26 अप्रैल, 2015 को प्रसारण।
- कवि गोष्ठी का प्रसारण 27 मई, 2015 को किया गया।
- आईना कार्यक्रम के तहत 20 मई, 2015 को हाफिज अब्दुल मन्नान के साथ बातचीत का प्रसारण किया गया।
- विशेष कार्यक्रम 'हमारे डॉक्टर हमारा गौरव' का प्रसारण 27.05.2015 को किया गया।
- सरोकार कार्यक्रम के तहत 29 मई, 2015 को नमामि गंगे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।
- काली मंदिर, दरभंगा हाउस, पटना पर एक रिपोर्ट, 12 जून, 2015 को प्रसारित की गयी।
- वैशाली संग्रहालय पर 19 जून, 2015 को एक रिपोर्ट प्रसारित की गयी।
- अमृत और स्मार्ट सिटी के उद्घाटन समारोह का 25 जून, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली (डीडी नेशनल से रिले) से सीधा प्रसारण किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री के 'मन की बात' का प्रसारण (डीडी नेशनल से रिले) 28 जून, 2015 को किया गया।
- पुरातात्विक स्थल कोलुहा, वैशाली पर एक टीवी रिपोर्ट, 05 जुलाई, 2015 को प्रसारित की गयी।
- राग-रसोई (आई डी स्पेशल) का प्रसारण 18 जुलाई, 2015 को किया गया।
- वेटनेरी कॉलेज, पटना से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण 25 जुलाई, 2015 को किया गया।

- माटी की गूंज (लोक गीत) 28.07.2015 को प्रसारित किया गया।
- राग- रसोई का प्रसारण 01.08.2015 को किया गया।
- गांधी मैदान, पटना से 15.08.2015 को स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण किया गया।
- ड्रामा 'समझौता' का प्रसारण 29.08.2015 को किया गया।
- महाबोधि मंदिर, बोधगया में समारोह का सीधा प्रसारण 05.09.2015 को किया गया।
- वृतचित्र पटना की शान : बॉटनिकल गार्डन का प्रसारण 04.10.2015 को किया गया।
- छठ पर्व का सीधा प्रसारण 17.11.2015 और 18.11.2015 को दीघा घाट (पटना), गाय घाट (पटना) और सूर्य मंदिर (औरंगाबाद) से किया गया।

ऐसे कार्यक्रमों (अस्थायी) की सूची जिनके (दिसंबर, 2015-मार्च, 2016) के दौरान प्रसारित होने की संभावना है :

- सोनपुर मेले पर कार्यक्रम।
- गुरु गोबिंद सिंह जयंती समारोह पर कार्यक्रम, मकर संक्रांति (14.01.2016) महाशिवरात्रि पर कार्यक्रम (08.03.2016), होली (23.03.2016), शहादत दिवस (23.03.2016)।

डीडी उत्तर प्रदेश

चौबीसों घंटे उपलब्ध होने वाला 'डीडी उत्तर प्रदेश' 16 अगस्त, 2013 को अस्तिव में आया। पहले डीडी उत्तर प्रदेष केवल स्थलीय नेटवर्क पर उपलब्ध था। 24 घंटे का यह चैनल लोक संगीत, सुगम संगीत, नाटक, टॉक शो, क्विज और कुछ अभिलेखीय कार्यक्रमों आदि जैसी शैलियों को कवर करता है। डीडी उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2015-16 के दौरान 3,49,54000 रुपये का राजस्व अर्जित किया।

वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए डीडी उत्तर प्रदेश की प्रमुख गतिविधियां :

- ज्ञानरंजन या इंफोटेनमेंट कार्यक्रम 'बोले यूपी' का नया संस्करण (01.09.15)
- स्थापना दिवस समारोह 'बेढब बेढंग' (26.11.15)
- कवि सम्मेलन (26.11.15)
- फाउंडेशन दिवस समारोह ''फसल संगोष्ठी''
- ''कथक नृत्य और लोक संगीत'' (27.11.15)

डीडी: मध्य प्रदेश

डीडीके भोपाल ने उपग्रह के माध्यम से 24 घंटे का प्रसारण प्रारंभ किया है और इसे 25 जून 2013 से डीडी : मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। पीजीएफः ग्वालियर और पीजीएफः इंदौर डीडी : मध्य प्रदेश पर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। यह केंद्र लाइव फोन-इन, सीरियल, टेलीफिल्म, वैराइटी शो, कंसर्ट, कवि सम्मेलन, क्विज और फीचर जैसे विभिन्न प्रकार के प्रारूपों में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। हिंदी के अलावा इसके कार्यक्रम स्थानीय बोलियों जैसे- मालावी, बुंदेली, बघेली और निमारी में भी बनाए जाते हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रसारित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम:

- दिव्यांगों पर आधारित विकास गाथा 04.02.2015 को प्रसारित।
- परिवेश- बचा रहेगा जल तो बची रहेगी धरती 04.12.2015 को प्रसारित।
- बालाघाट में कृषि सम्मेलन का 04.17.2015 को सीधा प्रसारण।
- नव प्रभात-'अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम' पर आधारित विशेष कार्यक्रम का 03.05.2015 को प्रसारण।
- 'परिवार' में 12.05.2015 'यौन शोषण' के बारे में और 09.06.2015 को ''महिला सशक्तिकरण और यौन उत्पीड़न'' विशेष कार्यक्रम।
- योग दिवस पर 21.06.2015 को विशेष प्रसारण और 22.06.2015 को टीवी रिपोर्ट का प्रसारण।
- 23.07.2015 को चंद्रशेखर की जयंती पर विशेष प्रसारण।
- स्वतंत्रता दिवस पर 'काव्यांजलि' 16.08.2015 को।
- भोपाल में ''विश्व हिंदी सम्मेलन' और टीवी रिपोर्ट का सीधा प्रसारण 10.09.2015।
- रीवा में 'कृषि सम्मेलन' का 24.09.2015 को सीधा प्रसारण
- सांसद आदर्श ग्राम पर 12.10.2015 को कार्यक्रम।
- घर संसार में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पर 30.10.2015 कार्यक्रम।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 31.10.2015 को विशेष कार्यक्रम।

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ है, जो मुख्यालय, दूरदर्शन केंद्रों, विपणन प्रभागों और डीसीडी द्वारा एजेंसियों/ग्राहकों/निर्माताओं से राजस्व एकत्र करने के साथ-साथ एयर टाइम की बिक्री जैसे सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में समन्वय करती है। डीसीएस प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन से विपणन प्रभागों और क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्ति सूचना के अनुसार व्यावसायिक नीतियों का गठन करने और दर कार्ड को अद्यतन करने का दायित्व निभाता है।

यह प्रकोष्ठ विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को पंजीकृत और प्रत्यायन स्टेट्स प्रदान करता है और इनसे एयर टाइम की बिक्री के लिए संपर्क करता है। बाजार के बदलते परिप्रेक्ष्य

में संबंधित नियमावलियों और नीतियों का गठन एवं उनकी समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान दूरदर्शन ने 1295.96 करोड़ रुपये (सकल) राजस्व अर्जित किया। वित्त वर्ष 2014-15 में इसने 1124.43 करोड़ रुपये (सकल) अर्जित किया। उपरोक्त राजस्व संबंधी आंकड़े लेखा-परीक्षित नहीं हैं।

विकास संचार प्रभाग (डीसीडी)

सरकारी विभागों/ मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिंगल विंडो विपणन प्रभाग और नवीनतम विकास संचार मॉडल सहित प्रोडक्शन हाउस के रूप में कार्य करने के लिए मार्च, 2001 में विकास संचार प्रभाग (डीसीडी) की स्थापना की गयी थी। विकास संचार प्रभाग निम्नलिखित के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करता है :

- दूरदर्शन के एयर टाइम का विपणन और उत्पादन क्षमता
- परामर्शी और अनुकूलित मीडिया प्लानिंग
- क्षेत्रीय भाषाओं में देशभर के स्टेशनों में कार्यक्रमों का निर्माण करना तथा
- प्रतिक्रिया और ग्राहकों के लिए अनुसंधान सर्वेक्षण

डीसीडी के अग्रसक्रिय दृष्टिकोण, गतिशील विपणन साधनों और युक्तियों तथा समय पर कार्य के प्रारंभ और समापन की वजह से राजस्व प्राप्ति हुई, जिसका योगदान दूरदर्शन के कुल राजस्व में 43 प्रतिशत रहा।

- डीसीडी ने डीडी-1 से ''स्वच्छ भारत अभियान'' का निर्माण

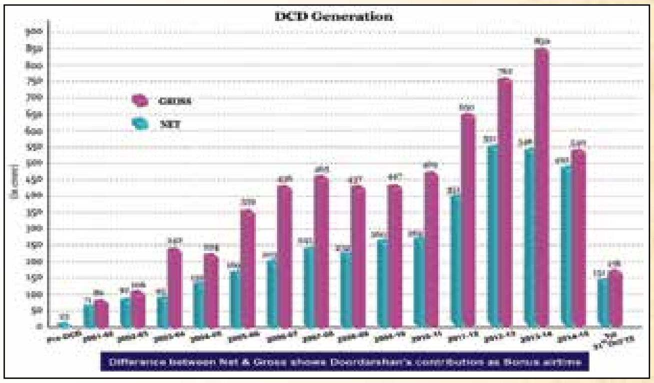

  और प्रसारण किया। स्वच्छ भारत अभियान का निर्माण और प्रसारण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है और यह अभियान जारी है।
- आयुष्मान भारत- दूरदर्शन ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम करते हुए चिकित्सा की परंपरागत व्यवस्था को पुनर्जीवित करते हुए शिक्षित करने और स्वस्थ भारत का लक्ष्य प्राप्त किया है।
- दूरदर्शन ने ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए 'अक्षय ऊर्जा' अभियान भी प्रारंभ किया। इसके लिए 2.2.2015 को साल भर चलने वाला अभियान प्रारंभ किया।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रम 'गांव विकास की ओर' 52 कड़ियों वाली श्रृंखला है। इसका प्रसारण नेशनल और 34 क्षेत्रीय चैनलों पर भी किया जा रहा है।
- पुलिस पराक्रम - पुलिस के शहीदों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के गुप्तचर ब्यूरो, गृह मंत्रालय के प्रयासों में योगदान देने के लिए दूरदर्शन आधे घंटे की श्रृंखला 'पुलिस पराक्रम' का प्रसारण कर रहा है।
- साथी हाथ मिलाना - पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के प्रयासों में भागीदार और सहायक बनते हुए साथ ही साथ पूर्वोत्तर से आने वाले लोगों के हितों के लिए दूरदर्शन भेदभाव मिटाने के संबंध में सार्थक चर्चा का मंच बनाने के लिए 'साथी हाथ मिलाना' कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है।
- बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नयी योजना मिशन इंद्रधनुष के स्पॉट्स और जागो ग्राहक जागो का दूरदर्शन की ओर से प्रारम्भ किया गया है। डीसीडी ने भारत सरकार के प्रमुख अभियानों साथ ही साथी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में भी स्पॉट्स का प्रसारण किया है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लाभ से संबंधित कार्यकलापों के स्पॉट्स भी बनाए गए हैं।
- वर्ष 2015-16 (31 अक्टूबर, 2015 तक) में डीसीडी द्वारा अर्जित कुल राजस्व 176.88 करोड़ रुपये रहा।

डीडी आर्काइव्स

वर्ष 1959 से 2003 तक डीडी आर्काइव्स कुल मिलाकर एक भंडारगृह जैसा था, जो सिर्फ इसलिए किसी रिकॉर्डिंग को नहीं मिटाता था, क्योंकि उसे लोगों द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाता था। वर्ष 2003 में डीडी आर्काइव्स नए दृष्टिकोण के साथ खुद में नयापन लेकर आया और उसने ऑडियो विजुअल डिजिटल वर्ल्ड की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार किया।

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन 218 रेडियो स्टेशनों और 67 दूरदर्शन केंद्रों का संचालन कर रहे हैं तथा कई दशकों से प्रख्यात नेताओं, महान विद्वानों, कलाकारों, इतिहासकारों, खेल और अन्य आयोजनों आदि से संबंधित ऑडियो और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास अतीत की पांडुलिपियां, पत्रिकाएं, फोटोग्राफ, विवरण पुस्तिकाएं भी उपलब्ध हैं।

डिजिटलीकरण और विश्वस्तरीय अभिलेखन के माध्यम से इस महान देश की समृद्ध धरोहर, कला और संस्कृति को सहेज कर रखना प्रसार भारती का कर्तव्य ही नहीं, अपितु जिम्मेदारी भी है, ताकि भावी पीढ़ियों उसे उपयोग में ला सकें।

प्रसार भारती ने इस सामग्री का डिजिटीकरण और संरक्षण

करने की दिशा में सूचियां बनाने, डिजिटलीकरण करने, मेटाडाटा तैयार करने, मेटा टैगिंग करने और डीप आर्काइविंग के माध्यम से संरक्षित करने जैसे कई कदम उठाए हैं। दूरदर्शन के लिए दिल्ली और कोलकाता में तथा आकाशवाणी के लिए पांच स्थानों यथा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में तकनीकी ढांचा अवस्थित है। सभी स्टेशनों से समस्त विवरण पुस्तिकाएं, पांडुलिपियां और मैग्जींस एकत्र की गयी हैं और वे डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। दूरदर्शन की 4,000 घंटे की सामग्री और आकाशवाणी की 6,500 घंटे की सामग्री का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और डीप आर्काइव्ड किया जा चुका है। लगभग 35,000 धरोहर टेप्स का डीवीसी प्रो 50 फॉर्मेट में डिजिटलीकरण किया गया है। वैब पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिसके माध्यम से आम जनता के अतिरिक्त, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थान इस सामग्री तक पहुंच बना सकेंगे।

डिजिटलीकरण और अभिलेखन के मिशन में तेजी लाने के लिए, प्रसार भारती ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी में पांच क्षेत्र या ज़ोन बनाए हैं। डिजिटीकरण को समयबद्ध रूप से संपन्न करने के लिए इन सभी क्षेत्रों में मानवशक्ति के साथ बुनियादी सुविधाओं जुटायी जा रही हैं।

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय सुविधाओं सहित एक केंद्रीकृत पीबी अभिलेखागार योजना के अधीन है।

जन-संपर्क (पीआर) अनुभाग

मीडिया और पब्लिसिटी विभाग में प्राथमिक तौर पर दो टीमें हैं, एक प्रिंट और आउटडोर टीम है और दूसरी सोशल मीडिया टीम है। प्रिंट और आउटडोर टीम अखिल भारतीय आधार पर प्रिंट अभियानों और आउट ऑफ होम/होर्डिंग कैम्पेन्स की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। चालू वित्त वर्ष (अप्रैल, 2015 -अक्टूबर, 2015) में प्रिंट मीडिया पर खर्च लगभग 3,40,42,575/रुपये रहा और ओओएच पर खर्च लगभग 1,19,50,000/रुपये रहा।

इस अवधि के दौरान दो बड़े मल्टी मीडिया अभियान चलाए गए, एक-डीडी नेशनल पर मिड-प्राइम टाइम स्लॉट (दोपहर 12:00 बजे-अपराहन 3:00 बजे) के प्रचार से संबंधित था और दूसरा डीडी नेशनल के प्राइम टाइम स्लॉट (शाम 7:00 बजे-रात 11:00 बजे) के व्यापक प्रचार से संबंधित है। पहली बार डीडी नेशनल का प्रचार दिल्ली मेट्रो (कोच पैनल्स के अंदर) और हो हो बसों में किया गया। डीडी नेशनल के प्राइम टाइम धारावाहिकों के प्रारंभ से संबंधित संवाददाता सम्मेलन बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी और हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों और ऑनलाइन पोर्टल्स में उल्लेखनीय मीडिया कवरेज हुई। टीम ने डीडी नेशनल, डीडी भारती और डीडी उर्दू की टीवी लिस्टिंग्स भी तैयार और कार्यान्वित की है, जो दैनिक आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की जा रही है। टीम द्वारा छह नेशनल चैनलों और क्षेत्रीय चैनलों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) भी एनडीटीवी को उपलब्ध करायी गयी, जिसे बाद में देश भर के केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स के साथ साझा किया गया। एमओयू पर हस्तारक्षर, प्रमुख उपलब्धियों और घटनाओं आदि जैसे सामयिक विषयों पर संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन करने आदि, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने और सकारात्मक मीडिया संबंध बनाए रखने पर भी ध्यान दिया गया है। एक प्रमुख परियोजना कार्यान्वित की गयी, जिसमें मंडी हाउस दूरदर्शन परिसर में और उसके आसपास, आकाशवाणी, टोडापुर और पीतमपुरा में यूनिपोल्स बनाये गए। शुरुआत में, इन स्थानों का उपयोग दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रचारित करने के लिए किया गया, हालांकि राजस्व अर्जित करने के लिए इन स्थानों का मुद्रीकरण करने की योजनाएं हैं।

दूरदर्शन की सोशल मीडिया टीम फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के आधिकारिक पेज को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए उत्तरदायी है। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप दूरदर्शन के आधिकारिक फेसबुक पेज 13 लाख लाइक्स हैं।

जनवरी 2015 से नवंबर 2015 तक के सीएटी के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

मीडिया इकाइयां/विभाग डीजी : दूरदर्शन	वर्ष 2015 के लिए सीएटी से प्राप्त निर्णयों/आदेशों की संख्या	वर्ष 2015 के दौरान लागू किए गए निर्णयों/आदेशों की संख्या
एस. I	15	15
एस. I (ए)	07	06
एस. II	13	04
एस. III	07	06
एस. IV	07	04
सतर्कता		शून्य
d|y	**49**	**35**

दूरदर्शन महानिदेशालय में हिंदी का लगातार बढ़ता अनुप्रयोग

हिंदी के लगातार बढ़ते अनुप्रयोग के संबंध में राजभाषा नीति और निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय में अलग से एक हिंदी अनुभाग कार्य कर रहा है। यह अनुभाग निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के बढ़ते अनुप्रयोग से संबंधित स्थिति की समीक्षा करता है और हिंदी का अनुप्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास करता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुभाग द्वारा किए गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

- वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) के तहत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए गए

और हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया।

- निदेशालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। समिति की एक बैठक दिसम्बर 2015 और दूसरी बैठक मार्च 2016 में करने का कार्यक्रम है।
- राजभाषा हिंदी के बारे में अधिकारियों/कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से समय-समय पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।
- 01 सितंबर से 30 सितंबर, 2015 तक हिंदी माह मनाया गया और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित डीडीके/डीएमसी/एचपीटी के कार्यालय प्रमुखों का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के जनवरी 2016 में होने की संभावना।

दर्शक अनुसंधान

देशभर में दूरदर्शन केंद्रों के साथ संलग्न 19 फील्ड इकाइयों सहित दूरदर्शन की दर्शक अनुसंधान इकाई, 1976 से प्रसारण के विभिन्न पहलुओं के बारे में शोध अध्ययन में जुटी है। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान दर्शक अनुसंधान इकाई का योगदान निम्नलिखित रहा :-

बीएआरसी टीवीआर का साप्ताहिक आधार पर विश्लेषण और रिपोर्टिंग।

प्रसार भारती की वर्ष 2014-15 की और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

अपने नेटवर्क पर डीडी चैनलों को अनिवार्य रूप से दर्शाने संबंधी नियम का पालन नहीं करने के संदर्भ में केबल टीवी विनियमन अधिनियम, 1995 के उल्लंघन का एमएसओ और एलसीओ द्वारा का पता लगाना।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में दर्ज प्रकरण संख्या 70/2012 (टीएएम बनाम प्रसार भारती) पर लगातार नजर रखना।

दूरदर्शन एलपीटी हथियाल (डीएमसी बंगलुरु के अंतर्गत) पर दर्शकों की संख्या का सर्वेक्षण।

पाधे समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर एआर कर्मियों की पुनःतैनाती के प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना।

दर्शक अनुसंधान एवं कार्यक्रम कर्मियों के लिए बीएआरसी, बीएमडब्ल्यू सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

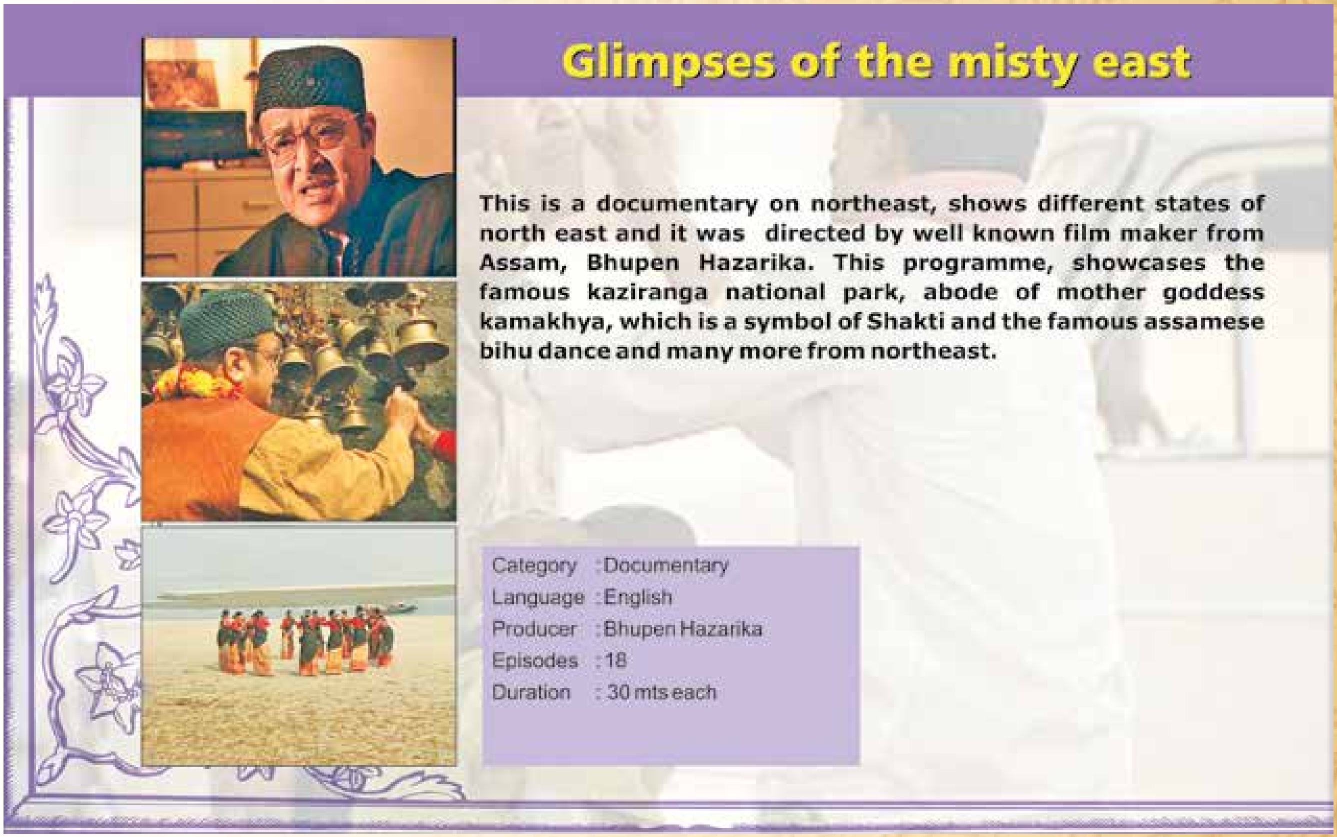

दूरदर्शन अभिलेखागार के खजाने से

दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो केंद्र)	
jkT;@l?k'kkflr in'k	LFkku
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, तिरुपति
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, गुवाहाटी (पीपीसी), सिलचर
बिहार	पटना, मुजफ्फरपुर
छत्तीसगढ़	जगदलपुर, रायपुर
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट
हरियाणा	हिसार
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू, लेह, राजौरी
झारखंड	रांची, डाल्टनगंज
कर्नाटक	बंगलुरु, गुलबर्गा
केरल	कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, त्रिचूर
मध्य प्रदेश	भोपाल, इंदौर, ग्वालियर
महाराष्ट्र	मुंबई, नागपुर, पुणे
मणिपुर	इंफाल
मेघालय	शिलांग, तुरा
मिजोरम	आइजोल
नगालैंड	कोहिमा
ओडिशा	भुवनेश्वर, भवानीपटना, संबलपुर
पंजाब	जालंधर, पटियाला
राजस्थान	जयपुर
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै
तेलंगाना	हैदराबाद, वारंगल
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, मथुरा
उत्तराखंड	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता, शांतिनिकेतन, जलपाईगुड़ी
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
चंडीगढ़	चंडीगढ़
दिल्ली	दिल्ली, दिल्ली (सीपीसी)
पुडुचेरी	पुडुचेरी

दूरदर्शन के ट्रांसमीटर

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	ट्रांसमीटर्स की संख्या												
		प्रमुख चालू (डीडी-1)					समाचार चालू (डीडी न्यूज)				अपने प्रसारण की पूरी अवधि में क्षेत्रीय कार्यक्रम रिले करने वाले डीडी-1 ट्रांसमीटर्स			
		एचपी टीएस	एलपी टीएस	वीएलपी टीएस	टीआ.रपी	कुल	एचपी टीएस	एलपी टीएस	वीएलपी टीएस	कुल	एचपी टीएस	एलपी टीएस	वीएलपी टीएस	कुल
1	आंध्र प्रदेश	7	38		1	46	3	6		9			9	9
2	अरुणाचल प्रदेश	1	3	39	1	44	1			1				0
3	असम	4	20	1	1	26	2	1		3				0
4	बिहार	4	32	2		38	2	2		4				0
5	छत्तीसगढ़	4	15	8		27	1			1				0
6	गोवा	1				1	1			1				0
7	गुजरात	7	51			58	4	3		7			3	3
8	हरियाणा	2	13			15	1	7		8				0
9	हिमाचल प्रदेश	3	7	39	2	51	2	1		3				0
10	जम्मू और कश्मीर	10	7	69	1	87	5	3		8	4	8	18	30
11	झारखंड	3	17	2		22	2	2	1	5				0
12	कर्नाटक	8	47			55	4	2		6			7	7
13	केरल	4	20			24	3	2		5			4	4
14	मध्य प्रदेश	8	60	6		74	4			4				0
16	महाराष्ट्र	8	78			86	5	10		15			20	20
17	मणिपुर	2	1	4		7	1			1				0
15	मेघालय	2	3	2	1	8	2			2				0
18	मिजोरम	2	1	2	1	6	1	1		2				0
19	नगालैंड	2	2	6	2	12	1	1		2				0
20	ओडिशा	5	62		1	68	2	7	2	11			16	16
21	पंजाब	4	4		1	9	3	1		4				0
22	राजस्थान	7	65	17	2	91	4	4		8				0
23	सिक्किम	1		6		7	1			1				0
24	तमिलनाडु	6	44		1	51	2	9		11	1		7	8
25	तेलंगाना	3	36			39	1			1			1	1
26	त्रिपुरा	1	5	1	1	8	1	1		2				0
27	उत्तर प्रदेश	11	53	3		67	7	9	1	17				0
28	उत्तराखंड	1	15	33	2	51	1	2		3				0
29	पश्चिम बंगाल	8	19			27	4	2		6	1		1	2
30	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1	1	19		21	1	1	6	8				0
31	चंडीगढ़		1			1				0				0
32	दादर एवं नगर हवेली		1			1				0				0
33	दमन और दीव		2			2				0				0
34	दिल्ली	1				1	1			1				0
35	लक्षद्वीप द्वीपसमूह		1	1		2			7	7			7	7
36	पुडुचेरी	1	1	1		3		1		1			1	1
	कुल	132	725	261	18	1136	73	78	17	168	6	8	94	108

नोट : उपरोक्त ट्रांसमीटर्स के अतिरिक्त चार महानगरों में चार डिजिटल ट्रांसमीटर्स (एचपीटी) चालू हैं। 1416 कुल ट्रांसमीटर्स

डिजिटल एचपीटी की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	(11वीं योजना एक भाग को अनुमोदित)		कार्यान्वित (12वीं योजना के एक भाग का अनुमोदित)-23
		चरण-1 (कार्यान्वयन हो रहे हैं)-19	चरण-2 (कार्यान्वित किए जाएंगे)-21	
1	आंध्र प्रदेश		विजयवाड़ा	तिरुपति
2	अरुणाचल प्रदेश			ईटानगर
3	असम	गुवाहाटी		
4	बिहार	पटना		मुजफरपुर
5	छत्तीसगढ़	रायपुर		जगदलपुर
6	गुजरात	अहमदाबाद	सूरत	
			वडोदरा	
			राजकोट	
7	हरियाणा			हिसार
8	हिमाचल प्रदेश		कसौली	शिमला
9	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर		जम्मू
10	झारखंड	रांची		जमशेदपुर
11	कर्नाटक	बंगलुरु	मैसूर	शिमोगा
				धारवाड़
12	केरल	तिरुअनंतपुरम	कोच्चि	कोझिकोड
13	मध्य प्रदेश	भोपाल	ग्वालियर	
			इंदौर	
14	महाराष्ट्र	मुंबई	नागपुर	अम्बाजोगई
		औरंगाबाद	पुणे	
15	मणिपुर			चुराचांदपुर
16	मेघालय			शिलांग
17	मिजोरम			लुंगलेई
18	नगालैंड			मोकोकचुंग
19	ओडिशा	कटक		बालासोर
20	पंजाब	जालंधर	अमृतसर	
21	राजस्थान		जयपुर	बाड़मेर
				बूंदी
22	सिक्किम			गंगटोक
23	तमिलनाडु	चेन्नई	कोडाइकनाल	रामेश्वरम
24	तेलंगाना	हैदराबाद		
25	त्रिपुरा			अगरतला
26	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	कानपुर	
			वाराणसी	
			इलाहाबाद	
			आगरा	
			बरेली	
27	उत्तराखंड		मसूरी	
28	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कुर्सियांग	आसनसोल
			कृष्णानगर	
29	दिल्ली	दिल्ली		

आकाशवाणी

तथ्य एक नजर में

1. प्रसारण केंद्र		**414**
क) स्टूडियो वाले केंद्र		**218**
i) स्थानीय रेडियो केंद्र		86
ii) एलआरएस से भिन्न स्टेशन और स्टुडियो		127
iii) सामुदायिक रेडियो स्टेशन		5
ख) रिले केंद्र		**196**
(100 वॉट क्षमता के 169 एमएम रिले सेन्टर)		
कुल स्टेशन		**414**
ग) एमएम ट्रांसमीटर वाले आकाशवाणी केंद्र		380
घ) विविध भारती केंद्र		37
ङ) विदेश सेवा प्रसारण केंद्र		11
च) रिकॉर्डिंग स्टूडियो		1 (भुवनेश्वर)
2. ट्रांसमीटरों की संख्या		**602**
क) मीडियम वेव		145
ख) शॉर्ट वेव		48
ग) एफएम		409
कुल ट्रांसमीटर :		**602**
3. प्रसारण कवरेज		
	क्षेत्र वार (%)	आबादीवार (%)
प्राइमरी ग्रेड सिग्नल वार (मिडियम वेब + एफएम)	92.00	99.20
केवल एफएम सिग्नल वार	32.50	45.00
केवल मिडियम वेब सिग्नल वार	90.63	98.41
4. कैपटिव अर्थ स्टेशन्स		32
5. स्टूडियो		221
6. आरएनयू		44
7. आकाशवाणी के डीटीएच चैनल		21

अभियांत्रिकी

(क) नेटवर्क का विकास और कवरेज

आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक है। स्वतंत्रता के समय 6 आकाशवाणी केंद्र और 18 ट्रांसमीटर (6 मीडियम वेव और 12 शार्ट वेव) थे, जो देश की 11 प्रतिशत आबादी और 2.5 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते थे। 31 दिसम्बर, 2015 तक आकाशवाणी नेटवर्क के विस्तार में 414 केंद्र और 602 ट्रांसमीटर (145 मीडियम वेव, 48 शार्ट वेव और 409 एफएम) थे, जो देश की 99.20 प्रतिशत आबादी और 92 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते थे।

(ख) वर्ष के दौरान गतिविधियों का ब्योरा:

(1) 01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या यथावत यानी 414 रही और ट्रांसमीटरों की संख्या 595 से बढ़ कर 602 हो गई।

आकाशवाणी कटक में विविध भारती एफएम के 10 किलोवाट एवं एफएम रेनबो के 6 किलोवाट के ट्रांसमीटरों की कमीशनिंग

वर्ष के दौरान वर्तमान केंद्रों पर चालू किए गए ट्रांसमीटर:

- दिल्ली (दिल्ली) — वी.बी. सेवाओं के लिए 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के लिए अंतरिम सेटअप)।
- परभनी (महाराष्ट्र) — 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
- रत्नागिरी (महाराष्ट्र) — 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)
- कटक (ओडिशा) — 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (मौजूदा 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर का स्थानापन्न)
- आदिलाबाद (तेलंगाना) — 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर (मौजूदा 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर का स्थानापन्न)
- जयपुर (राजस्थान) — 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर (मौजूदा 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का स्थानापन्न)
- सम्बलपुर (ओडिशा) — 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (अतिरिक्त चैनल)

2. तकनीकी रूप से तैयार स्टेशन/ट्रांसमीटर

निम्नांकित केंद्र चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार किए गए:

1. देहरादून, उत्तराखंड - 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर
2. बागेश्वर, उत्तराखंड - 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर
3. लोंगथेराई, त्रिपुरा - 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर (अंतरिम सेटअप)
4. गैरसैण, उत्तराखंड – 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, (रिले) और स्टाफ क्वार्टर
5. न्यू टिहरी, उत्तराखंड – 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, (रिले) और स्टाफ क्वार्टर

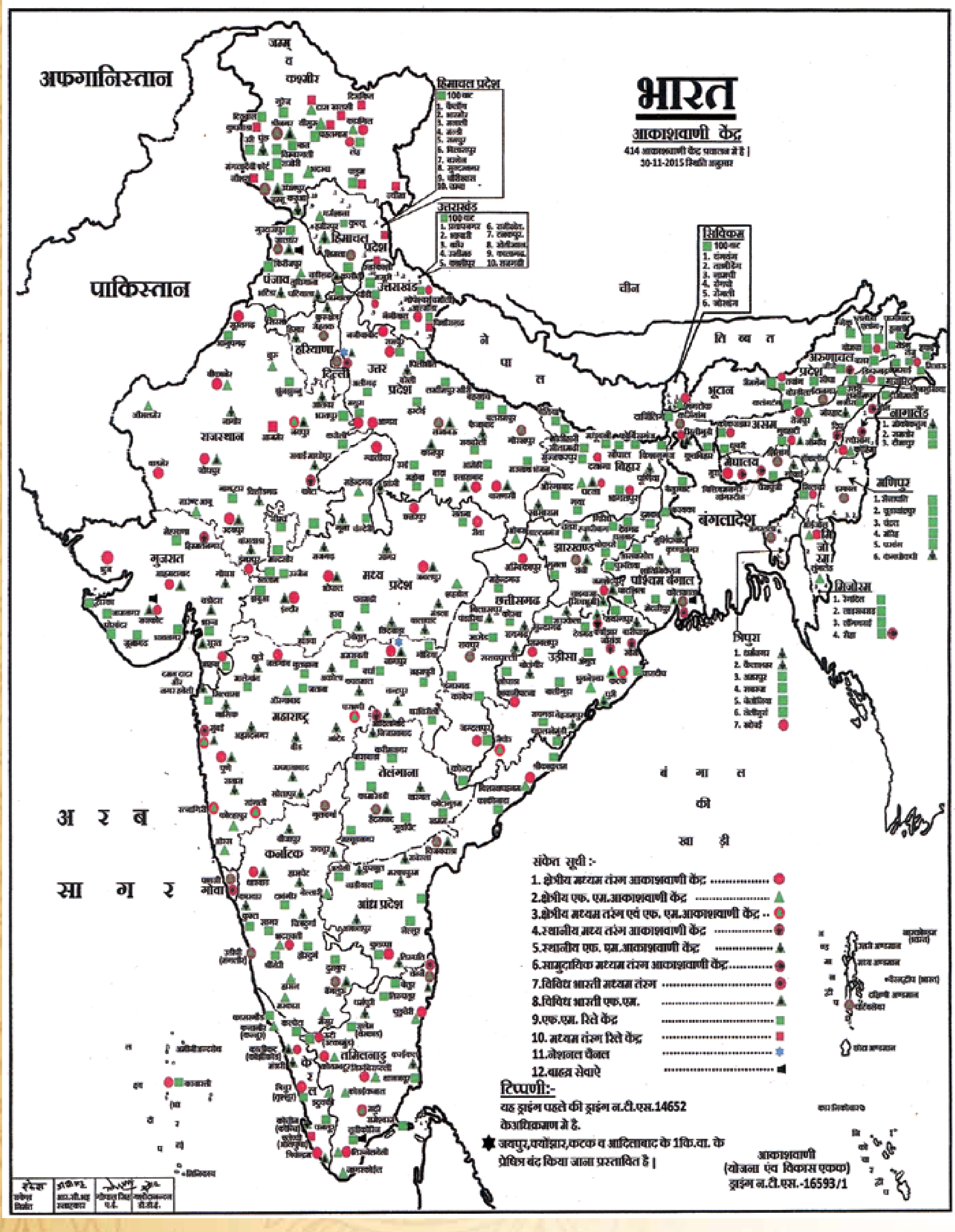
भारत
आकाशवाणी केंद्र
414 आकाशवाणी केंद्र प्रचालन में है |
30-11-2015 स्थिति अनुसार
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
चीन
ति ब्ब त
ने पा ल
भूटान
बंगलादेश
जम्मू व कश्मीर
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
उत्तराखंड
हरियाणा
दिल्ली
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
गुजरात
मध्य प्रदेश
बिहार
झारखण्ड
पश्चिम बंगाल
छत्तीसगढ़
उड़ीसा
महाराष्ट्र
तेलंगाना
कर्नाटक
आंध्र प्रदेश
गोवा
तमिलनाडु
केरल
सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश
असम
मेघालय
नागालैंड
मणिपुर
मिज़ोरम
त्रिपुरा
अ र ब
सा ग र
बं गा ल
की
खा ड़ी
संकेत सूची :-
1. क्षेत्रीय मध्यम तंरग आकाशवाणी केंद्र
2.क्षेत्रीय एफ. एम.आकाशवाणी केंद्र
3.क्षेत्रीय मध्यम तंरग एवं एफ. एम.आकाशवाणी केंद्र
4.स्थानीय मध्य तंरग आकाशवाणी केंद्र
5.स्थानीय एफ. एम.आकाशवाणी केंद्र
6.सामुदायिक मध्यम तंरग आकाशवाणी केंद्र
7.विविध भारती मध्यम तंरग
8.विविध भारती एफ.एम.
9.एफ.एम. रिले केंद्र
10. मध्यम तंरग रिले केंद्र
11.नेशनल चैनल
12.बाह्य सेवाऐ
टिप्पणी:-
यह ड्राइंग पहले की ड्राइंग न.टी.एस.14652 केअतिक्रमण में है.
जयपुर,क्योंझार,कटक व आदिलाबाद के 1कि.वा. के प्रेषित्र बंद किया जाना प्रस्तावित है |
आकाशवाणी
(योजना एंव विकास एकक)
ड्राइंग न.टी.एस.-16593/1

6. कोटा, राजस्थान – 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
7. अमृतसर (पंजाब) – 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
8. फाजिल्का, (पंजाब) – 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर
9. चौतन हिल (राजस्थान) – 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर

उपरोक्त सभी ट्रांसमीटर वर्तमान सेट अप पर लगाए गए हैं।

3. डिजिटलीकरण स्कीम

वर्ष के दौरान पूरी की गई और कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं:

(i) अरुणाचल प्रदेश में तीन स्थानों पर वर्तमान मी.वे. ट्रांसमीटरों का उन्नयन:

- त्वांग में 20 कि.वा. डीआरएम मी.वे. ट्रांसमीटर संस्थापित किया गया है और नियमित सेवा प्रदान कर रहा है।
- पासीघाट (100 कि.वा.) और ईटानगर (200 कि.वा.) के लिए डीआरएम ट्रांसमीटर खरीदे गए और संस्थापना के अंतर्गत हैं।

(ii) मौजूदा केंद्रों पर 31 पुराने मी.वे. ट्रांसमीटरों के स्थान पर नए डीआरएम मी.वे ट्रांसमीटर लगाए गए:

- 20 कि.वा. (संख्या 5) – सभी ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किए गए।
- 100 कि.वा. (संख्या 10) – 8 ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किए गए और 2 ट्रांसमीटर संस्थापना के अंतर्गत हैं।
- 200 कि.वा. (संख्या 9) – 7 ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किए गए और 2 ट्रांसमीटर संस्थापना के अंतर्गत हैं।
- 300 कि.वा. (संख्या 6) – 4 ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू किए गए और 2 ट्रांसमीटर संस्थापना के अंतर्गत हैं।
- मुम्बई के लिए 50 कि.वा. ट्रांसमीटर की खरीद स्थगित कर दी गई।

(iii) 5 शा.वे. ट्रांसमीटरों के स्थान पर डीआरएम शा.वे. ट्रांसमीटर लगाए गए:

- बंगलुरु में 500 कि.वा. डीआरएम शा.वे. ट्रांसमीटर संस्थापित किया गया है और नियमित सेवा प्रदान कर रहा है।
- दिल्ली के लिए दो 100 कि.वा. डीआरएम शा.वे. ट्रांसमीटर खरीदे गए और प्राप्त किए गए।
- अलीगढ़ के लिए दो 250 कि.वा. डीआरएम शा.वे. ट्रांसमीटर की खरीद की समीक्षा की जा रही है।

(iv) अभी तक कवर न किए गए ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में एफएम कवरेज के विस्तार के लिए 100 स्थानों (मौजूदा आकाशवाणी/डीडी के एलपीटी स्थलों) पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर:

- सभी स्थानों पर ट्रांसमीटर संस्थापित किए गए।

आमेर एफएम केंद्र का उद्घाटन करते हुए सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

(v) सुदूर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में 34 स्थानों पर पुराने एफएम ट्रांसमीटरों के स्थान पर उतनी ही क्षमता के नए ट्रांसमीटर (6 कि.वा. के 27 और 10 कि.वा. के 7) लगाना और 1 कि.वा. मी.वे. के 6 ट्रांसमीटरों के स्थान पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर लगाना:

- 10 कि.वा. के सभी 13 ट्रांसमीटर संस्थापित कर दिए गए हैं।
- 6 कि.वा. के 27 एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किए गए हैं और चालू किए जाने के अधीन हैं।

(vi) 24 स्थानों पर नए 1 कि.वा./5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों की संस्थापना:

- 1 कि.वा. (संख्या 12) और 5 कि.वा. (संख्या 12) एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किए गए हैं।

(vii) 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण:

- 48 स्टेशनों पर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, सर्वर, बैक-अप के साथ स्टोरेज उपलब्ध कराए गए।
- शेष 50 स्टेशनों के लिए, निविदा आमंत्रित किए गए।

(viii) अभिलेखागार सुविधा का डिजिटलीकरण:

- दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखागार सुविधा की स्थापना का काम पूरा किया गया है, जिसके अंतर्गत डाटा बेस सर्वर और स्टोरेज के साथ स्टेशनों का डिजिटलीकरण और जीर्णोद्धार कार्य शामिल है।

(ix) क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (संख्या 44) का संवर्द्धन और नई क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (संख्या 7) की स्थापना:

- सभी स्थानों पर संवर्द्धन कार्य पूरा किया गया।
- स्थापित की जाने वाली 7 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में से 2 स्थानों (जोधपुर और राजकोट) पर निर्माण कार्य पूरा। शेष 5 स्थानों (पुंछ, विशाखापट्टनम, सम्बलपुर, दरभंगा और पासीघाट) पर हार्डवेयर प्रदान कर दिया गया है और सॉफ्टवेयर प्रदान किया जा रहा है।

(x) डिजिटल स्टूडियो ट्रांसमीटर संपर्क (संख्या 127)–

- खरीद की प्रक्रिया जारी है। डिस्पैच–पूर्व निरीक्षण पूरा कर लिया गया है, उपकरण डिस्पैच के लिए तैयार किया जा रहा है।

(xi) नए कैपटिव अर्थ स्टेशन (संख्या 5)

- देहरादून, सिल्चर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और धारवाड़ में 5 नए कैपटिव अर्थ स्टेशनों के लिए आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमिशनिंग (एसआईटीसी) प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

4. जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पैकेज (चरण III)

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत चार 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना शामिल है।
- 3 ट्रांसमीटर 3 नए स्थानों पर संस्थापित किए जा रहे हैं। इन स्थानों के लिए ग्रीन रिज (उरी सेक्टर), हिम्बोटिंगला (लद्दाख क्षेत्र), पटनी टॉप (नाथा टॉप के स्थान पर) (जम्मू क्षेत्र), भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और सिविल कार्य प्रगति पर है।
- चौथा ट्रांसमीटर नौशेरा में मौजूदा टीवी साइट पर संस्थापित किया जाएगा।
- 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर और अनुषंगी उपकरणों की खरीद के लिए आर्डर कर दिया गया है और दिसंबर, 2015 तक इनके प्राप्त हो जाने की संभावना है। आंचलिक कार्यालय द्वारा 50 एम टावर की एसईटीसी सौंपी गई और दिसंबर, 2015 तक कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।
- उपरोक्त के अलावा, करगिल, द्रास, त्रिचूर और पदम में एफएम कवरेज प्रदान करने के लिए 100 वाट क्षमता के 4 एफएम ट्रांसमीटर पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

5. पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज (चरण II)

पूर्वोत्तर और द्वीप प्रदेश में आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए विशेष पैकेज कार्यान्वयन के अधीन है। इस पैकेज में निम्नांकित शामिल है:

i. 1 कि.वा. एफ एम स्टेशन - संख्या 19 -

1. अरुणाचल प्रदेश	:	रोइंग (अनिनि से हटा कर), बोमडिला, चांगलोंग, दापोरिजो, खोंसा
2 असम	:	करीमगंज, लुमडिंग, ग्वालपाड़ा
3 मणिपुर	:	उखरूल, तामेंगलोंग
4 मेघालय	:	चेरापूंजी
5 मिजोरम	:	तुइपांग, चेम्फल, कोलासिब
6 नगालैंड	:	वोखा, जुन्हेबोटो, फेक
7 त्रिपुरा	:	उदयपुर, नूतन बाजार

19 नए एफएम स्टेशन संस्थापित करने के लिए नए स्थल अपेक्षित थे। सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा स्थल प्रस्तावित किए जाने और मांग नोटिस भेजे जाने में देरी हुई है।

- उक्त 19 में से 17 स्टेशनों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। तामेंगलोंग और रोइंग (अनिनि से हटा कर) में स्थल/भवन आदि का अधिग्रहण अभी किया जाना है।
- 15 स्थानों अर्थात् ग्वालपाड़ा, उदयपुर, नूतन बाजार, कोलासिब, तुइपांग, लुम्डिंग, चम्पई, चांगलोंग, खोंसा, चेरापूंजी, दापोरिजो, वोखा और फेक, बोमडिला और करीमगंज में ट्रांसमीटर संस्थापित कर दिए गए हैं। शेष पांच स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
- तामेंगलोंग (मणिपुर) में एक स्थान की पहचान की गई है। इस बारे में एक मांग नोटिस प्राप्त हुआ है जो प्रक्रियाधीन है।
- अनिनि (अरुणाचल प्रदेश) पर कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया और अब इसके स्थान पर रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) को चुना है जिसके लिए उपायुक्त, रोइंग से मांग नोट प्राप्त किया जा रहा है।

ii- flYpj ¼5 fd-ok-½ vkj xxVkd ¼10 fd-ok-½ ,Q,e Vkl ehVj½

- गंगटोक में 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है।
- सिल्चर में 5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर को नियमित सेवा में लिया गया।

iii- 100 LFkkuks ij 100 okV ,Q,e fjys Vkl ehVj% 96 स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापित किए गए और 2 स्थानों पर स्थापना कार्य जारी है। दो ट्रांसमीटरों को डाइवर्ट किया गया।

iv- fpulqjkg% 1000 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर (मौजूदा 1000 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर का स्थानापन्न) - ट्रांसमीटर संस्थापित और चालू कर दिया गया है।

v- dkokjRkh% 10 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमिशन (एक कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर का स्थानापन्न)- ट्रांसमीटर संस्थापित कर दिया गया है और इसे चालू किया जा रहा है।

vi- fMftVy mixg ubl lxg.k ç.kkfy;k ¼l[;k 3½ & उपकरण खरीदा और लगाया जा चुका है।

vii. xqokgkVh esa vkpfyd dk;kZy; dk l–<hdj.k%

- गुवाहाटी में स्थायी कार्यालय स्वचलन का निर्माण पूरा हो गया है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्टाफ क्वार्टरों (संख्या 38) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

6. 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नए कार्यक्रम

1. सीमित कार्यक्रम निर्माण क्षमता के साथ नए एफएम ट्रांसमीटरः 11 स्थान

(i) 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 9)

काकिनाडा (आंध्र प्रदेश), मुजफ्फरपुर (बिहार) में टीवी साइट पर, रतलाम (मध्य प्रदेश), रीवा (मध्य प्रदेश) आकाशवाणी साइट पर, कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल) में टी.वी. साइट पर, लुधियाना (पंजाब), बूंदी (राजस्थान) में टी.वी. साइट पर, इटावा (उत्तर प्रदेश), मेरठ (उत्तर प्रदेश), :

मेरठ (उत्तर प्रदेश), इटावा (उत्तर प्रदेश) और रतलाम (मध्य प्रदेश) में नए केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकारों की मदद से किया जा रहा है। 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 9) की खरीद के लिए निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन के अधीन हैं।

(लुधियाना में बीएसएनएल के परिसर में 5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर का अंतरिम सेटअप पहले ही चालू किया जा चुका है)।

(ii) 5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर (संख्या 2) अलापुझा (केरल), अमेठी (उत्तर प्रदेश), : तकनीकी मूल्यांकन के अंतर्गत है। अमेठी में दूरदर्शन साइट पर 5 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर का एक अंतरिम सेटअप पहले ही चालू किया जा चुका है,।

2. एफएम ट्रांसमीटर के साथ अतिरिक्त चैनलः 7 स्थान

(i) 20 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर - 4

(दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई)

(ii) 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर - 3

कानपुर, (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), पणजी (गोवा),

20 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 4) और 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 3) की खरीद के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

3. वर्तमान एलपीटी/एचपीटी दूरदर्शन साइटों (100 स्थानों) पर 100 वाट क्षमता के एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना (यह कार्यक्रम रोक रखा है)।

मौजूदा एलपीटीवी साइटों पर 100 वाट क्षमता के 100 एफएम ट्रांसमीटरों के स्थान पर 1 कि.वा. क्षमता के 23 एफएम ट्रांसमीटरों की संस्थापना के लिए प्रस्ताव प्रसार भारती सचिवालय भेजा गया है।

4. 77 स्थानों पर पुराने एफएम ट्रांसमीटरों का परिवर्तन/उन्नयन नए ट्रांसमीटरों द्वारा किया गया।

एफएम ट्रांसमीटरों (20 कि.वा. – संख्या 3), (10 कि.वा. – संख्या 63) और (5 कि.वा. – संख्या 11) की खरीद के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

5. 6 स्थानों पर नए एफएम ट्रांसमीटरों के जरिए पुराने मी.वे. ट्रांसमीटरों का स्थानापन्न

- किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) – 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर
- जोरांडा (ओडिशा) – 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 कि.वा. एफ़एम ट्रांसमीटर
- सोरो (ओडिशा) – 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 कि.वा. एफ़एम ट्रांसमीटर
- अल्मोड़ा (उत्तराखंड) – 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर
- ऊटकमंड (तमिलनाडु) – 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर
- मथुरा (उत्तर प्रदेश) – 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर

10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 2) और 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों (संख्या 4) की खरीद के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

6. भारत-नेपाल सीमा पर दूरदर्शन के साथ एफएम प्रसारण सेटअपः 8 स्थानों परः

- यह कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के हिस्से के रूप में समीक्षाधीन है। इससे पहले, ये ट्रांसमीटर भारत–नेपाल सीमा पर दूरदर्शन सेटअपों के साथ संस्थापित किए जाने की योजना बनाई गई थी। अब चूंकि डीडी सेटअप प्रस्तावित नहीं हैं, अतः एफएम ट्रांसमीटरों के लिए मंजूर किए गए 40 करोड़ रुपये का इस्तेमाल भारत–नेपाल सीमा पर 6 एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित करने के लिए करने का प्रस्ताव है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत–नेपाल सीमा पर स्थानों की सूची (आईटीबीपी/बीएसएफ/आईसीपी आदि के परिसरों के भीतर निःशुल्क) प्रदान की है। 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर की संस्थापना की उपयुक्ता के लिए स्थानों का परीक्षण किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम निर्माण सुविधा और गोरखपुर एवं कर्सियांग में मौजूदा स्थलों पर अपलिंक सुविधा संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, बशर्ते अनुमोदित परिव्यय के भीतर धन उपलब्ध हो।

7. स्टूडियो

i. 29 स्टूडियो का डिजिटलीकरणः

ओबी मिक्सर, हैंड-हेल्ड रिकार्डर और फोन-इन-कंसोल जैसे उपकरण की खरीद के लिए एनआईटी प्रक्रियाधीन है। एसी प्लांटों की विशिष्टताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

ii. आकाशवाणी के 6 स्टूडियो का पुर्नसज्जा :

पुर्नसज्जा के लिए विस्तृत परियोजना नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

iii. गुवाहाटी में अभिलेखागार सुविधा का निर्माण:

गुवाहाटी में क्षेत्रीय अभिलेखागार केंद्र की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8. कनेक्टिविटी:

(i) 24 स्थानों पर 2-पोल से 4-पोल फीडों और डिशों का स्थानापन्न।

(ii) सिंगल चैनल प्रति करियर (एससीपीसी) के स्थान पर मल्टी चैनल प्रति करियर (एमसीपीसी) लगाना - 32

आकाशवाणी महानिदेशालय की उपग्रह कनेक्टिविटी डिवीजन इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

9. प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण:

दिल्ली और भुवनेश्वर के लिए डिजिटल प्रसारण उपकरण।

10. अनुसंधान एवं विकास का सुदृढ़ीकरण:

(i) डिफाइंड रेडियो सॉफ्टवेयर और वार्तालाप रेडियो सेवाओं का विकास।

(ii) सस्ते डिजिटल रिसीवरों का डिजाइन।

11. वैकल्पिक प्लेटफार्मों पर प्रसारण:

आकाशवाणी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग 8 चैनलों के साथ शुरू की गई है, जिसे 20 चैनलों तक विस्तारित करने की योजना है।

7. आईटी डिवीजन की गतिविधियां:

a. वर्ष (1 अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 तक) के दौरान प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां इस प्रकार रहीं:

1. एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड, उर्दू और विविध भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के पूरक के रूप में आकाशवाणी के निम्नांकित 8 अतिरिक्त लोकप्रिय चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई :

   i. गुजराती ii. मलयालम iii. पंजाबी iv. मराठी v. बांग्ला vi. तमिल vii. तेलुगु और viii. कन्नड़

2. मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) साफ्टवेयर के हिस्से के रूप में "बेसिक डेटा एंट्री" के लिए एक माड्यूल विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रसार भारती के सभी कर्मचारियों के बुनियादी आंकड़े समाहित किए जाएंगे। इस माड्यूल के लिए डेटा एंट्री पहले ही शुरू की जा चुकी है। आकाशवाणी महानिदेशालय के ईपीएम अनुभाग द्वारा मुख्य रूप से की जाने वाली इंजीनियरी अनुभाग की डेटा एंट्री का काम पूरा हो चुका है। आकाशवाणी महानिदेशालय के ईपीएम अनुभाग के साफ्टवेयर का पूरक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अन्य संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने से पहले यदि कोई खामियां हों तो उन्हें दूर किया जा सके। इस माड्यूल के बाद चरणबद्ध रूप में स्थानांतरण - नियुक्ति संबंधी माड्यूल विकसित किया जा रहा है।

3. "आल इंडिया रेडियो लाइव" के नाम और स्टाइल से एप्पल आईओएस, विंडोज और एंड्रायड प्लेटफार्मों के लिए मोबाइल एप्स शुरू किए गए हैं।

4. रोकड़ अनुभाग, आकाशवाणी महानिदेशालय के इस्तेमाल के लिए डीडीओ साफ्टवेयर सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।

5. एयरनेट में एक टेलीफोन डायरेक्टरी कार्यान्वित की जा रही है और उसे "कांटेक्ट्स" लिंक द्वारा होम पेज से जोड़ा गया है। प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी अधिकारी अपने सम्पर्क ब्योरे अद्यतन कर सकते हैं।

6. एनएबीएम, दिल्ली के सहयोग से नव-नियुक्त इंजीनियरी सहायकों के लिए साफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

vkbVh fMohtu dh çLrkfor xfrfofek;k] जनवरी 2016 से मार्च, 2016 तक

मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) साफ्टवेयर में स्थानांतरण–नियुक्ति से संबंधित माड्यूल विकसित किया जा रहा है, जिसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न अप्लीकेशन माड्यूल विकसित किए जाएंगे, जैसे अवकाश माड्यूल, प्रशिक्षण माड्यूल, शिकायत निवारण प्रबंधन, कार्य निष्पादन मूल्यांकन आदि।

8. राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी (तकनीकी)

यह अकादमी न केवल विभागीय उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है बल्कि उभरती हुई प्रसारण प्रौद्योगिकियों के बारे में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करती है। यह एशिया–पेसिफिक इंस्टिट्यूट ऑफ ब्राडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) मलेशिया और एशिया–पेसिफिक ब्राडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) के सहयोग से एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए भारत के बाहर निरंतर अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है। इसके अतिरिक्त अपनी बढ़ती भूमिका को महसूस करते हुए, एबीयू ने हाल ही में एनएबीएम के अपर महानिदेशक को अपने प्रशिक्षण पैनल में मनोनीत किया। इसके अलावा एनएबीएम पड़ोसी मित्र देशों के प्रसारणकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी विकसित कर रहा है।

अकादमी तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पोलिटेक्निक संस्थानों

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ नई दिल्ली में भारतीय प्रसारण दिवस पर संबोधन करते हुए

के लेक्चरर्स/विभागाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करती है। अकादमी, इंजीनियरी विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण प्रौद्योगिकी के बारे में समझ विकसित करने का एक अवसर प्रदान करती है। विभिन्न फील्ड कार्यालयों के लिए भी नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

अकादमी द्वारा अधीनस्थ इंजीनियरी संवर्गों में पदोन्नतियों के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं।

क्षेत्रीय अकादमी भी अपने अनुमोदित प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरी और प्रोग्राम कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करती है।

नव-नियुक्त कार्यक्रम अधिशासियों/इंजीनियरी सहायकों/प्रसारण अधिशासी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रसार भारती ने नव–नियुक्त कार्यक्रम अधिशासियों/इंजीनियरी सहायकों/प्रसारण अधिशासी के लिए भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का दायित्व अकादमी को सौंपा है। नव–नियुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया एनएबीएम में करीब 2 वर्ष तक अलग अलग बैचों में जारी रहेगी और प्रत्येक बैच को 9 सप्ताह का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण से नए कार्मिकों को ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकी, स्टूडियो प्रोडक्शन, फील्ड प्रोडक्शन और रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के सम्पादन की जानकारी मिलेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम तीन सप्ताहों में इंजीनियरी और कार्यक्रम प्रशिक्षार्थियों को वास्तविक कार्यक्रम निर्माण वातावरण में एक साथ काम करने का मौका मिलता है। इस भर्ती प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों में उपयुक्त स्तर तक यह विश्वास उत्पन्न करना है कि वे अपने अपने केंद्रों पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम निर्माण गतिविधियों में योगदान देना शुरू कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण प्रक्रिया एनएबीएम की दिल्ली और भुवनेश्वर शाखा में एकसाथ संचालित की जाती है। भर्ती पाठ्यक्रम के प्रथम बैच की शुरुआत 15 जून, 2015 से हुई और अभी तक प्रशिक्षण के 6 बैच (4 एनएबीएम दिल्ली और 2 भुवनेश्वर में) सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इस भर्ती प्रशिक्षण के अंतर्गत स्टाफ के कुल 1313 सदस्यों (832 इंजीनियरी सहायकों, 130 पेक्स, 334 ट्रैक्स, 17 पीए) को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें से 308 (166 ईए, 48 पेक्स, 93 ट्रैक्स) पहले ही प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय भागीदारी:

- अफगानिस्तान से तीन उम्मीदवारों के लिए शार्ट वेव ट्रांसमीटर के बारे में कार्यशाला का आयोजन 06–17 अप्रैल, 2015 के दौरान किया गया।
- भूटान से तीन उम्मीदवारों ने एनएबीएम दिल्ली में 07 सितंबर से 06 नवंबर, 2015 के दौरान नव–नियुक्त पेक्स/ट्रैक्स/इंजीनियरी सहायकों (बैच–5) के लिए आयोजित भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
- भूटान से चार उम्मीदवारों ने एनएबीएम दिल्ली में 28 सितंबर से 27 नवंबर, 2015 के दौरान नव–नियुक्त पेक्स/ट्रैक्स/इंजीनियरी सहायकों (बैच–6) के लिए आयोजित भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

एआईबीडी पाठ्यक्रम:

डिजिटल ऑडियो/वीडियो आर्काइविंग के बारे में विभागीय कार्यशाला डीडीके कोलकाता में 6–10 जुलाई, 2015 के

दौरान आयोजित की गई। कार्यशाला में कुल 24 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

- डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में एआईबीडी/एनएबीएम उप–क्षेत्रीय कार्यशाला 12–16 अक्तूबर, 2015 के दौरान आयोजित की गई। इरान/मोजाम्बिक/फिलिपीन्स और वियतनाम से उम्मीदवारों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया।

विशेष पाठ्यक्रमः

- नेतिया स्टूडियो और न्यूजरूम आटोमेशन सिस्टम के बारे में तीन पाठ्यक्रम एनएबीएम दिल्ली में 06–10 अप्रैल, 2015; 20–24 अप्रैल, 2015 और 25–29 मई, 2015 के दौरान आयोजित किए गए।
- नव–नियुक्त पेक्स/ट्रैक्स/इंजीनियरी सहायकों के प्रथम बैच के लिए भर्ती पाठ्यक्रम एनएबीएम दिल्ली में 11 जून से 14 अगस्त, 2015 के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें 51 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इसके बाद दूसरे बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 06 जुलाई से 04 सितम्बर, 2015 के दौरान एनएबीएम दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 53 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पांचवें और छठे बैच के लिए क्रमशः 07.09.2015 से 06.11.2015 और 28.09.2015 से 27.11.2015 के दौरान एनएबीएम दिल्ली में भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें क्रमशः 53 और 54 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
- आरएबीएम शिलांग में कम्प्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस कोर्स 18–29 मई, 2015 के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें 18 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
- 10 कि.वा. वीएचएफ एनालॉग टीवी ट्रांसमीटर के प्रचालन एवं रखरखाव के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएबीएम भुवनेश्वर में 25–29 मई, 2015 के दौरान 18 उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया।

नए प्रोग्राम एवं इंजीनियरिंग अधिकारियों के प्रबोधन कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार उन्हें संबोधित करते हुए

- नव–नियुक्त पेक्स/ट्रैक्स/इंजीनियरी सहायकों के बैच 3, 4 और 7 के लिए 3 भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएबीएम भुवनेश्वर में 03.08.2015 से 01.10.2015, 24.08.2015 से 20.10.2015 और 12.10.2015 से 11.12.2015 के दौरान आयोजित किए गए।
- महाराष्ट्र अकादमी के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 27–31 जुलाई, 2015 की अवधि में आकाशवाणी पुणे में आयोजित किया गया, जिसमें 47 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
- एनआईईएलआईटी के जरिए सॉफ्टवेयर विकास प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम एनएबीएम दिल्ली में 26 अगस्त से 30 सितम्बर, 2015 की अवधि में आयोजित किया गया, जिसमें 21 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
- सेबी द्वारा मध्यम आय समूह के बारे में एक कार्यशाला एनएबीएम दिल्ली में 14 मई, 2015 को आयोजित की गई। तकनीकी/कार्यक्रम/प्रशासन से सम्बद्ध करीब 40 कर्मचारियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया।
- ''प्रबंधन और प्रशासनिक कौशल विकास'' के बारे में एक पाठ्यक्रम 20–24 अप्रैल, 2015 के दौरान आयोजित किया गया। इसमें कुल 13 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
- ''सी–बैंड डाउनलिंक सिस्टम एंड ट्रबल शूटिंग आफ इट्स इक्विपमेंट'' नाम की एक कार्यशाला एसपीटी बंगलुरु में 05–08 मई, 2015 के दौरान आयोजित की गई। कार्यशाला में कुल 17 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।

उदयपुर में इंजीनियरिंग प्रमुखों का सम्मेलन – 2015

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण

- एनएबीएम नई दिल्ली में 64 इंजीनियरी विद्यार्थियों के लिए 6 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 जून, 2015 से 17 जुलाई, 2015 तक आयोजित किया गया।
- इंजीनियरी डिग्री विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएबीएम भुवनेश्वर में 18 मई से 12 जून, 2015 तक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 32 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

परीक्षा संबंधी प्रशिक्षण

- वरिष्ठ तकनीशियन (अजा/अजजा उम्मीदवारों) के लिए वरिष्ठ तकनीशियन से लेकर इंजीनियरी सहायकों तक की भर्ती के लिए परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन एनएबीएम नई दिल्ली में 20 से 24 अप्रैल, 2015 के दौरान किया गया। कुल 21 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया।
- हेल्पर से तकनीशियन तक (अजा/अजजा उम्मीदवारों) के लिए एक परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जून से 03 जुलाई, 2015 के दौरान एनएबीएम भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिसमें 11 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण गतिविधियां

- डीई/डीडीई/एडीईज (आकाशवाणी/दूरदर्शन) के लिए उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम एमसीएफ हासन में 07–10 दिसंबर, 2015 के दौरान।
- डीडीई/एडीई/एईज (डीडी) के लिए एनएबीएम दिल्ली में 14–18 दिसंबर, 2015 के दौरान डीवीबी टी–2 ट्रांसमीशन टेक्नोलॉजी के बारे में कार्यशाला।
- एनएबीएम दिल्ली में 14–18 दिसंबर, 2015 के दौरान एनजेड और डब्ल्यूजेड (आकाशवाणी/दूरदर्शन) के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस कोर्स।
- एनएबीएम दिल्ली में नव–नियुक्त पेक्स/ट्रैक्स/सहायक (आकाशवाणी/दूरदर्शन) (बैच–ix) के लिए 14.12.2015 से 13.02.2016 तक भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एनएबीएम दिल्ली में डीई/डीडीई/एडीई/(आकाशवाणी/दूरदर्शन) के लिए 08.02.2016 से 12.02.2016 के दौरान प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशल पाठ्यक्रम।
- एनएबीएम दिल्ली में नव–नियुक्त पेक्स/ट्रैक्स/सहायक (आकाशवाणी/दूरदर्शन) (बैच–ix) के लिए दिसम्बर, 2015 में भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एनएबीएम दिल्ली में डीडीजी/डीई/एडीई (आकाशवाणी/दूरदर्शन) के लिए 15–19 फरवरी, 2015 के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई/विभागीय जांच के बारे में पाठ्यक्रम।
- एनएबीएम दिल्ली में यूपी पोलिटेक्निक के लिए 04–08

जनवरी, 2016 के दौरान रेडियो एवं टीवी प्रसारण प्रौद्योगिकी के बारे में कार्यशाला।

- आकाशवाणी गुवाहाटी में 04–08 जनवरी, 2016 के दौरान पेक्स/ट्रैक्स/उद्घोषकों के लिए नेतिया स्टूडियो एवं समाचार ऑटोमेशन प्रणाली का प्रशिक्षण।
- किर्लोस्कर, पुणे में मार्च 2016 के दौरान सहायक/वरिष्ठ तकनीशियन (आकाशवाणी/दूरदर्शन) के लिए डीजल जेनेरेटर कार्यशाला।
- डीडीजी/डीई/डीडीई (आकाशवाणी/दूरदर्शन) के लिए मार्च 2016 में एनआईटीआईई मुंबई में तकनीकी कार्मिक प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण।

9. 'आकाशवाणी संसाधन' यानी 'एआईआर रिसोर्सेज' की गतिविधियां

प्रसार भारती ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फेज 1 और फेज 2 कार्यक्रमों के अंतर्गत 85 शहरों में, जहां 243 एफएम चैनल प्राइवेट एफएम प्रसारणकर्ताओं को आवंटित किए गए हैं, में प्राइवेट एफएम प्रसारणकर्ताओं के साथ बुनियादी सुविधाओं जैसे भूमि, भवन और टावर की किराए के आधार पर हिस्सेदारी की है। प्रसार भारती फेज 3 के अंतर्गत भी प्राइवेट एफएम आपरेटरों के साथ बुनियादी सुविधाओं को साझा करने की प्रक्रिया में है।

प्रसार भारती ने 49 शहरों में 83 मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ किराए के आधार पर टावर, भवन और भूमि में हिस्सेदारी की है ताकि वे अपनी मोबाइल सेवा प्रचालित करने के लिए एफएम/टीवी/एसटीएल टावरों और बीटीएस उपकरणों पर अपने जीएसएम/सीडीएमए/ डब्ल्यूएलएल एंटिना लगा सकें।

आकाशवाणी रिसोर्सेज इंजीनियरी/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को साप्ताहिक/मासिक शुल्क आधार पर प्रशिक्षण (आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों पर) प्रदान करते हुए भी राजस्व अर्जित कर रहा है।

आकाशवाणी रिसोर्सेज ने इग्नू के साथ संयुक्त उद्यम समझौता भी किया था, जिसके अंतर्गत वह भारत में 37 स्थानों पर ज्ञान वाणी एफएम ट्रांसमीटरों के प्रचालन और रख–रखाव में योगदान करते हुए राजस्व अर्जित कर रहा था। इग्नू के साथ इस व्यवस्था को फिर से शीघ्र शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आकाशवाणी रिसोर्सेज अपनी स्थापना के वर्ष (2001–02) से ही राजस्व अर्जित कर रहा है। 2001–2002 से 2014–15 तक निरंतर अर्जित राजस्व रुपये 5,54,98,77,664/– रहा है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2015 तक अर्जित राजस्व रुपये 16,78,69,122/– रहा है, जबकि नवम्बर, 2015 से मार्च 2016 तक रुपये 50,16,28,724/– राजस्व के रूप में अर्जित किए जाने की संभावना है। यह अनुमान पिछले वर्ष नवम्बर, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि में अर्जित राजस्व के आधार पर लगाया गया है।

10. अनुसंधान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन:

चालू वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार रही हैः

अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 के दौरान गतिविधियां:

1. एडवांस रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल (ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटरों के लिए टेलीमीटरी सिस्टम):

- ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटरों की टेलीमीटरी में आईटी प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए, आर एंड डी विभाग डेवलपमेंट आफ एडवांस टेलीमीटरी सिस्टम नाम की एक परियोजना पर काम कर रहा है।
- आकाशवाणी, रोहतक में कैनोपी लगाई गई है। इसे टेलीमीटरी सिस्टम के साथ परीक्षित किया जाना है।
- आकाशवाणी तिरुनेलवेली में एएम टेलीमीटरी प्रणाली संस्थापित और चालू की गई है।
- मार्च, 2016 तक 2–3 अन्य स्टेशनों पर टेलीमीटरी प्रणाली लगाई जाएगी।
- आकाशवाणी रोहतक में एफएम टेलीमीटरी सिस्टम की संस्थापना, परीक्षण और उसे चालू करने का काम पूरा किया गया।
- आर एंड डी विभाग 100 वॉट बीईएल मेक एफएम ट्रांसमीटर के लिए यह सुविधा प्रदान करने हेतु एक प्रणाली का विकास पहले ही कर चुका है।

2- ,Vhuk ç;kx'kkyk% एंटीना प्रयोगशाला में, 'हाई पावर एफ एम एंटीना डिजाइन' नाम की एक परियोजना प्रगति पर है।

3- çkiks.x'ku ç;kx'kkyk% यह प्रयोगशाला देश के विभिन्न भागों में स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन के टेरिस्ट्रियल ट्रांसमीटरों द्वारा विकिरित आरएफ संकेतों के बारे में प्रेपोगेशन अध्ययन कर रही है और इसने तकनीकी रिपोर्टें भी तैयार की हैं, जो एसएमएस और आयोजना डिवीजन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

4- èofu lcaèkh leg% ध्वनि संबंधी प्रयोगशाला आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के विभिन्न ध्वनि संबंधी मापनों, ध्वनि संबंधी सामग्रियों के परीक्षण और मूल्यांकन (एनआरसी, एसटीसी, एफआईआईसी आदि) कार्यों में निरंतर संलग्न रही है। इनमें इलेक्ट्रो-अकाउस्टिक ट्रांसडूसर्स जैसे माइक्रो फोन और स्पीकर्स का मौजूदा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मूल्यांकन भी शामिल है। इस योजना कार्यक्रम के अंतर्गत अकाउस्टिक मापन ढांचे के उन्नयन की प्रक्रिया जारी है।

5- Mhvkj,e ç;kx'kkyk% स्वदेशी डीआरएम रिसीवर के अध्ययन, डिजाइन और विकास की प्रक्रिया जारी है। रिपोर्ट अवधि के दौरान डीआरएम सिग्नल रिसेप्शन के अनुकूल समेकित सर्किट तलाश करने के प्रयास किए

गए। अभी तक कुछ विनिर्माता बाजार में उपलब्ध हैं, परंतु उनकी चिप्स आसानी से उपलब्ध नहीं है।

6- MhVh,p@Mhohch&Vh ç;kx'kkyk% प्रयोगशाला में डीटीटी आधारित (डीवीबी-टी-2) रेडियो रिसीवर और आरएफ स्पलिटर विकसित किए गए हैं। इसका प्रोटोटाइप मॉडल बीईएस एक्सपो-2015 में पहले ही दिखाया जा चुका है। इस रिसीवर का कार्य निष्पादन संतोषजनक है। डीआरएम रिसीवर/त्तसंबंधी परिष्कार के बारे में आगे अध्ययन जारी है।

7- MhVh,p flXuy e,uhVfjax ç;kx'kkyk% आर एंड डी ने विभिन्न प्राइवेट डीटीएच प्लेटफार्मों पर डीडी मस्ट कैरी चैनल (अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले डीडी चैनल) की निगरानी के लिए एक पूर्ण व्यवस्था की है। वर्तमान में 6 प्राइवेट डीटीएच प्लेटफार्मों पर 21 चैनलों की निगरानी की जा रही है। इसकी मासिक रिपोर्ट दूरदर्शन निदेशालय को भेजी जाती है, ताकि वह उसे आगे प्रसार भारती और मंत्रालय को भेज सके।

8- vrjjk"Vªh; fuxjkuh ,oa fjlhfoax LVs'ku] VksMkiqj] ubZ fnYyh% अंतरराष्ट्रीय निगरानी एवं रिसीविंग स्टेशन, टोडापुर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली में आकाशवाणी की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को अंजाम देने वाले मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम और डीटीएच की प्रसारण सिग्नल मॉनीटरिंग की जा रही है। अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2015 के दौरान संचालित गतिविधियों का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(i) आकाशवाणी के एमएफ और एचएफ ट्रांसमीटरों की फ्रीक्वेंसी निगरानी।

(ii) स्पष्ट चैनल निगरानी और आकाशवाणी के शॉर्ट वेव चैनल के इंटरफेस की पहचान।

(iii) आर एन चैनलों/एफ एम चैनलों की मॉनीटरिंग।

(iv) डीटीएच रेडियो मॉनीटरिंग।

(v) विदेशी संगठनों के ट्रांसमिशनों की निगरानी।

(vi) विदेशी प्रसारण संगठनों के लिए रिसेप्शन रिपोर्ट।

dk;Øe xfrfofèk;k%

- विभिन्न मुद्दों/विषयों के बारे में (प्रत्येक माह) भारत के लोगों को 'मन की बात' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री का संबोधन।
- पोस्ट बाक्स नम्बर 111 – "मन की बात" (श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम) – (महीने में एक बार)।
- नेहरू युवक केंद्र, नई दिल्ली, द्वारा 6 अप्रैल, 2015 को आयोजित सातवें युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट।
- सीआईआई, नई दिल्ली, द्वारा 6 अप्रैल, 2015 को आयोजित दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट।
- 8 अप्रैल, 2015 को सिविल इन्वेस्टिट्यूट समारोह–2 का राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से सीधा प्रसारण।
- 14 अप्रैल, 2015 को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण, वित्त एवं कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली की विविध भारती सेवा के एफएम मोड में प्रसारण के उद्घाटन समारोह का आंखों देखा हाल।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अप्रैल, 2015 को फ्रांस यात्रा के दौरान यूनेस्को मुख्यालय में दिए गए भाषण का प्रसारण।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2015 को जर्मनी यात्रा के दौरान विभिन्न समारोहों में दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- डॉ बी.आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल, 2015 को दिल्ली में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और जर्मनी यात्रा के बारे में 15 अप्रैल, 2015 को एक परिचर्चा का प्रसारण।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर सुश्री एंजेला मार्कल द्वारा 14 अप्रैल, 2015 को बर्लिन, जर्मनी में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दिए गए वक्तव्यों के सारांश का 15 अप्रैल, 2015 को प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 अप्रैल, 2015 को कनाडा यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- 17 अप्रैल, 2015 को कनाडा यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- 20 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में डॉ. आम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण का सीधा प्रसारण।
- 24 अप्रैल, 2015 को सीआईआई द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एग्जीबीशन सर्विसेज समारोह के अवसर पर दिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण का प्रसारण।
- प्रोफेसर भाल चंद्र नेमाड़े को 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर 25 अप्रैल, 2015 को बाल योगी ऑडिटोरियम, संसद पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का सीधा प्रसारण।
- 26 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में

आयोजित डिफेंस इन्वेस्टीट्यूट समारोह–2 का सीधा प्रसारण।

- 27 अप्रैल, 2015 को 16वें डी.पी. कोहली स्मारक व्याख्यान के अंतर्गत 'महत्वाकांक्षी भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियां' विषय पर केंद्रीय वित्त, कार्पोरेट कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा दिए गए भाषण के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट।
- 3 मई, 2015 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण।
- ''वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे–2015'' के अवसर पर यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र और प्रसार भारती द्वारा ''लेट जर्नलिज्म थ्राइवः टेलीविजन एंड मीडिया फ्रीडम'' विषय पर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में अंग्रेजी में रेडियो रिपोर्ट।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई, 2015 को कोलकाता में 3 कार्यक्रमों – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण।
- 15 मई, 2015 को चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- 18 मई, 2015 को दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की दो पुस्तकों की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।
- 25 मई, 2015 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में आयोजित सार्वजनिक रैली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का सीधा प्रसारण।
- सूचना और प्रसारण, वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में आयोजित मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किए जाने से संबंधित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण।
- भारत और बांग्लादेश के बीच 7 जून, 2015 को प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा के दौरान विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का प्रसारण।
- 07.07.2015 को उज्बेकिस्तान और कजाखिस्तान की यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान 6 जुलाई, 2015 को ताशकंद में दिए गए मीडिया वक्तव्य और विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग क्रमशः 7 और 8 जुलाई, 2015 को प्रसारित की गई।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान 8 जुलाई, 2015 को दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जुलाई, 2015 को ऊफा, रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में दिए गए भाषण का प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई, 2015 को रूस में ऊफा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र में दिए गए भाषण का प्रसारण।
- 13 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ताजिकिस्तान यात्रा के दौरान दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- नगालैंड के एनएससीएन ग्रुप के नेता तुइंगालेंग मुइवा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अगस्त, 2015 को भारत सरकार और एनएससीएन के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद दिए गए भाषण का प्रसारण।
- प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और एक ब्रैंड के रूप में इंडिया हैंडलूम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 अगस्त, 2015 को मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई में दिए गए भाषण का लाइव प्रसारण।
- माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 14 अगस्त, 2015 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उनके मूल भाषण और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संस्करणों का सम्बद्ध आकाशवाणी केंद्रों द्वारा प्रसारण किया गया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2015 को लालकिले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह और राष्ट्र के नाम संदेश का सीधा प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की दो दिन की यात्रा के दौरान दिए गए भाषणों का 17 अगस्त, 2015 को प्रसारण।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुबई यात्रा के दौरान 17 अगस्त, 2015 को भारतवंशियों के समक्ष दिए गए भाषण का 18 अगस्त, 2015 को प्रसारण।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित काल टू एक्शन सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का सीधा प्रसारण।

- 29 अगस्त, 2015 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राजीव खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और अन्य खेल पुरस्कार दिए जाने के अवसर पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण।
- 31 अगस्त, 2015 को पंचवटी, 7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामचरित मानस के डिजिटल संस्करण के विमोचन के अवसर पर दिए गए भाषण का प्रसारण।
- 4 सितंबर, 2015 को मानेक शॉ ऑडिटोरियम, जोरावर हाल, मानेक शॉ सेंटर, परेड ग्राउंड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वार्तालाप का सीधा प्रसारण।
- माननीय राष्ट्रपति द्वारा 5 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण।
- माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 4 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में शिक्षकों के एक समूह के समक्ष दिए गए भाषण का 5 सितम्बर, 2015 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रसारण।
- माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 9 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के अवसर पर दिए गए भाषण का राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण।
- 10 सितंबर, 2015 को भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के लिए आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
- 23 सितंबर, 2015 को आयरलैंड की यात्रा के दौरान डबलिन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- 25 सितंबर, 2015 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास सम्मेलन में दिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण का प्रसारण।
- 27 सितंबर, 2015 को संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों का प्रसारण।
- 27 सितंबर, 2015 को कैलिफोर्निया, अमरीका में सैप सेंटर में भारतीय समुदाय के समक्ष दिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण का 28 सितम्बर, 2015 को प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैलिफोर्निया, अमरीका की यात्रा के दौरान 28 सितम्बर, 2015 को दिए गए भाषण का प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरीका यात्रा के दौरान न्यूयार्क में दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग का 29 सितम्बर, 2015 को प्रसारण।
- 6 अक्तूबर, 2015 को बंगलुरु में नेस्कॉम द्वारा फ्रौनहोफर के सहयोग से आयोजित भारत–जर्मन शिखर सम्मेलन के बारे में रेडियो रिपोर्ट, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मन फेडरल चांस्लर डॉ. एंगेला मार्केल उपस्थित थीं।
- 16 अक्तूबर, 2015 को आयोजित केंद्रीय सूचना आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन का सीधा प्रसारण, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे।
- 31 अक्तूबर, 2015 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर रन फार यूनिटी द्वारा राजपथ, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
- पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2015 को 1, अकबर रोड, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जम्मू और कश्मीर यात्रा के बारे में 7 सितंबर, 2015 को एक समेकित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण।
- व्यावसायिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों का उत्कृष्ट योगदान हासिल करने के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना की गई है। वर्ष 2014 के लिए विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से कार्यक्रम श्रेणियों में प्राप्त प्रविष्टियों हेतु जूरी की बैठक नवंबर, 2015 में आयोजित की गई।
- 26 कड़ियों वाले विज्ञान धारावाहिक ''एटम टू स्टार्स'' का प्रसारण भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आकाशवाणी केंद्रों से किया गया।
- आपदा प्रबंधन के बारे में 26 कड़ियों वाले एक अन्य विज्ञान धारावाहिक ''आपदाओं की समझ और प्रबंधन'' का प्रसारण 2015–16 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा।
- देश के नागरिकों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास आकाशवाणी का अंतरभूत लक्ष्य है। देश में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी के सभी केंद्रों से कहा गया है कि वे वैज्ञानिक मानसिकता को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रसारित करें।

चुनाव कार्यक्रम

- 16.09.2015 से 05.10.2015 के बीच 5 चरणों में हुए बिहार राज्य विधानसभा चुनाव–2015 से संबंधित कार्यों के बारे में भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रसारित की गई।
- बिहार राज्य विधानसभा चुनाव–2015 के लिए राजनीतिक दलों का प्रसारण भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया।
- बिहार में विधानसभा चुनावों के बारे में द्विभाषी लाइव रेडियो ब्रिज कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित किया गया।

- उक्त विधानसभा चुनावों के मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा के सिलसिले में विशेष कम्पोजिट लाइव कार्यक्रम और लाइफ फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

प्रस्तावित कार्यक्रम

- 03.12.2015 को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन से राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए जाने संबंधी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
- 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर आतंकवादियों के हमले के दौरान अपना जीवन न्यौछावर करने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए 13 दिसंबर, 2015 को संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
- गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर 07.01.2016 को श्री तख्त हरमंदिरजी पटना साहेब, पटना से शबद कीर्तन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
- गणतंत्र दिवस, 2016 के संदर्भ में निम्नांकित कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव हैः–
    1. माननीय राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। संबद्ध आकाशवाणी केंद्रों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के भाषण के रूपांतरण का प्रसारण।
    2. 25.01.2016 को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की रिकार्डिंग का प्रसारण।
    3. 26.01.2016 को नई दिल्ली में राजपथ से गणतंत्र दिवस परेड समारोह का सीधा प्रसारण।
    4. 29.01.2016 को बीटिंग रिट्रीट समारोह के बारे में रेडियो रिपोर्ट।
    5. गणतंत्र दिवस, 2016 के सम्बंध में अन्य समारोहों/ कार्यक्रमों की कवरेज।
- 28.01.2016 को परेड ग्राउंड, दिल्ली छावनी से प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली का सीधा प्रसारण।
- बजट सत्र (फरवरी में) के उपलक्ष्य में संसद के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा प्रसारण।
- केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए रेल बजट प्रस्तुत किए जाने का लोकसभा से सीधा प्रसारण।
- केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किए जाने का लोकसभा से सीधा प्रसारण।
- केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए आम बजट प्रस्तुत किए जाने का लोकसभा से सीधा प्रसारण।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान

आकाशवाणी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में 1969 में वार्षिक स्मारक व्याख्यान माला प्रारंभ की थी। यह देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्मारक व्याख्यान मालाओं में से एक है। यह व्याख्यान बारी-बारी से देश के विभिन्न भागों में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष हर वर्ष आयोजित किया जाता है। साहित्य, संस्कृति, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों से संबद्ध विशिष्ट व्यक्ति और विद्वानों को उनकी पसंद के एक विषय पर हिंदी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अन्य विशिष्ट जनों के अतिरिक्त जाने-माने साहित्यकार डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, डॉ. हरिवंश राय बच्चन, सुप्रसिद्ध सामाजिक चिंतक डॉ. पी.सी. जोशी पिछले वर्षों में यह स्मारक व्याख्यान दे चुके हैं। 2015 के लिए स्मारक व्याख्यान जाने माने लेखक और चिंतक डॉ. नरेंद्र कोहली द्वारा दिया गया।

इस वर्ष का व्याख्यान 23 नवम्बर, 2015 को नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में डॉ. नरेंद्र कोहली ने ''हमारा समय, समाज और महाभारत'' विषय पर दिया। व्याख्यान की रिकार्डिंग 3 दिसंबर, 2015 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर रात साढ़े नौ बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई।

सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान

यह व्याख्यानमाला स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 1956 से आयोजित की जा रही है। इस व्याख्यानमाला में जाने माने विद्वानों, प्रशासकों, न्यायविदों, इतिहासकारों, सामाजिक चिंतकों, अर्थशास्त्रियों आदि विशिष्ट व्यक्तियों को उनके द्वारा चुने हुए विषय पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रथम व्याख्यान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डॉ. सी. राजगोपालाचारी ने दिया था। उसके बाद से भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री पी. एन. भगवती, जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर बिपिन चंद्र एवं प्रोफेसर रोमिला थापर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन सहित अनेक विशिष्टजन ये व्याख्यान देने वालों में शामिल रहे हैं।

वर्ष 2015 के लिए सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान 26 अक्तूबर, 2015 को माननीय वित्त, कार्पोरेट कार्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा दिया गया। इसका विषय था– ''इट इज पोसिबल टू इम्पोज रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आन स्पीच एंड एक्सप्रेशन, गिवन टुडेज मीडिया लैंडस्केप''। इस व्याख्यान की रिकार्डिंग 31 अक्तूबर, 2015 को रात 9.30 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई।

संस्कार गीत

आकाशवाणी ने देश की लोक परम्परा और धरोहर के संरक्षण के महान लक्ष्य के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की है। भारत अपनी जातीय और भाषायी विविधता के लिए बेजोड़ हैं। विविध रंगों में अपने सांस्कृतिक मोजेइक (चित्र) को बनाए रखना एक विशाल कार्य है। यह चित्र देश के असंख्य क्षेत्रों,

समुदायों और संस्कृतियों के प्रचुर एवं समृद्ध लोक साहित्य में व्यक्त होता है। इन शानदार गीतों और धुनों का एक विशिष्ट आनंद है, परंतु वे अस्तित्व के खतरे से गुजर रही हैं। देश के लोक सेवा प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने इस दिशा में आगे आने और लोक गीतों तथा रस्मी गीतों को उनकी परम मौलिकता के साथ रिकार्ड करने का बीड़ा उठाया है।

आकाशवाणी की इस परियोजना के अंतर्गत (1) विभिन्न अनुष्ठानों (संस्कारों) – किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न चरणों/ऐतिहासिक अवसरों से सम्बद्ध गीतों (2) ऋतु गीत, पर्व गीत, शर्म गीत, नदी गीत, वृक्ष गीत, स्थल गीत, पर्वत गीत और आंदोलन गीत जैसे विभिन्न प्रकार के लोक गीतों और (3) लोक गाथाओं (आख्यानों) की रिकार्डिंग शामिल है। आने वाली संततियों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में आकाशवाणी की कई प्रमुख उपलब्धियों में एक यह भी शामिल है।

आकाशवाणी ने इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया। हाल ही में 26 और 27 नवंबर, 2015 को जयपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें राजस्थान और गुजरात के केंद्र प्रमुखों को इस परियोजना के लक्ष्यों से अवगत कराया गया।

राष्ट्रीय सर्व-भाषा कवि सम्मेलन

सर्व–भाषा कवि सम्मेलन (नेशनल सिम्पोजयिम आफ पोयट्स) के आयोजन की शुरुआत 1956 में की गई थी। इसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं की सम–सामयिक कवित्तओं में उत्कृष्ट रचनाओं को राष्ट्रीय एकता और भाषायी सद्भाव के जरिए परस्पर वार्तालाप और समन्वित ढंग से प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करना है। इसकी विशिष्टता इस तथ्य से रेखांकित होती है कि यह अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम है, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं के वरिष्ठ कवि एकसाथ एक मंच पर एकत्र होते हैं, ताकि अपनी उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत कर सकें। सभी भाषाओं में कवित्तएं पहले स्वंय कवियों द्वारा आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और बाद में विभिन्न भाषाओं के जाने माने कवियों द्वारा उन रचनाओं के हिंदी रूपांतरण सुनाए जाते हैं। इस कार्यक्रम की 2 घंटे की रिकार्डिंग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को रात दस बजे प्रसारित की जाती है। इसी समय क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम के रूपांतरण संबद्ध आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होते हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम देश के कोने–कोने में पहुंचता है।

2005 में, चार नई भाषाएं अर्थात् डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो इस कार्यक्रम की सूची में शामिल की गईं और भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। यह कार्यक्रम भारतीय भाषाओं की समृद्ध सांस्कृतिक और साझा विरासत को व्यक्त करने में अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है, जिसकी तुलना इस तरह के किसी अन्य कार्यक्रम से नहीं की जा सकती।

इस वर्ष ''सर्व भाषा कवि सम्मेलन'' 8 जनवरी, 2016 को नागपुर में आयोजित किया गया, जिसकी रिकार्डिंग 25 जनवरी, 2016 को प्रसारित की गई।

कृषि और गृह प्रसारण

आकाशवाणी का कृषि और गृह प्रसारण एकांश मिले–जुले कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिनमें ग्रामीण विकास योजनाओं और विशुद्ध खेती के कार्यक्रमों की बराबर हिस्सेदारी होती है। इनमें बागवानी, पशुपालन, पोल्ट्री और डेरी फार्मिंग, मत्स्य उद्योग, वानिकी, पर्यावरण संरक्षण जैसे खेती कार्यक्रम और अनुषंगी कृषि गतिविधियों जैसे – खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, शुष्क और बंजर भूमि खेती तथा रोज़गार कार्यक्रमों, ऋण, बीमा और प्रशिक्षण सुविधाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण आदि पर आधारित गतिविधियां शामिल की जाती हैं।

आकाशवाणी ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के सहयोग से फरवरी, 2004 में 'किसानवाणी' शीर्षक से कृषि विस्तार में जनसंचार माध्यम सहायता की एक व्यापक परियोजना शुरू करते हुए अपने कृषि प्रसारण का विस्तार किया। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को रोजमर्रा के बाजार भावों से अवगत कराना, मौसम संबंधी खबरें और उनके क्षेत्रों से संबद्ध रोजमर्रा की जानकारी सूक्ष्म स्तर पर उन तक पहुंचाना है। वर्तमान में किसानवाणी कार्यक्रम देशभर में चुने हुए 96 आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया जा रहा है। नैरो कास्टिंग मोड पर प्रसारित यह कार्यक्रम अधिकतर वार्तालाप आधारित होता है, जिसमें किसानों के खेतों पर आधारित रिकार्डिंग और स्टूडियो में विशेषज्ञों और कृषक समुदाय के बीच फोन के जरिए वार्तालाप शामिल किए जाते हैं, जो लक्षित श्रोताओं में अत्यंत लोकप्रिय हैं। वित्त वर्ष 15–16 के दौरान किसानवाणी कार्यक्रम के देशव्यापी सफल प्रसारण से विभाग ने 38 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व के रूप में अर्जित किए।

कीटनाशकों का सुरक्षित और युक्तिसंगत इस्तेमाल अभियान

कीटनाशकों के सुरक्षित और युक्तिसंगत इस्तेमाल के बारे में आम लोगों और विशेष रूप से कृषक समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इनमें फलों और सब्जियों को इस्तेमाल से पहले कीटनाशकों के अवशेष न्यूनतम करने के तौर तरीकों की जानकारी दी जाती है।

किसानों के लिए विस्तृत मौसम पूर्वानुमान

आकाशवाणी के सभी केंद्रों के दैनिक कृषि एवं गृह कार्यक्रमों में किसानों को 5 मिनट के बुलेटिन के रूप में मौसम के व्यापक पूर्वानुमान की जानकारी दी जाती है और सभी 96 केंद्र किसानवाणी कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। दैनिक मौसम पूर्वानुमान कवरेज के अंतर्गत वर्षा, तापमान, मृदा और वायु में नमी, रेडिएशन, गर्म, शुष्क, शीत और आर्द्र चक्रों और सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि, तूफान, आंधी, पाला आदि अतिवादी

स्थितियों की जानकारी शामिल होती है ताकि किसानों को सचेत किया जा सके और फसल के नुकसान को कम करने में मदद की जा सके।

पर्यावरण

आकाशवाणी केंद्रों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2015 को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इन कार्यक्रमों में सामाजिक वानिकी, भू–कटाव और रेगिस्तानीकरण रोकने, ओजोन की परत में सुराख, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण जैसे मुद्दों को उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया।

केंद्रों ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत स्वच्छता के महत्व का प्रचार किया, जिसमें सभी के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सफाई के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया।

विश्व शौचालय दिवस पर भी 19 नवंबर, 2015 को आकाशवाणी के सभी केंद्रों से कहा गया कि वे खुले में मल त्याग करने के सामाजिक–पर्यावरण विषयक जोखिमों को उजागर करने वाले और शौचालयों तक पहुंच, विशेष कर महिलाओं के लिए शौचालय उपलब्ध कराने की आवश्यकता दर्शाने वाले कार्यक्रम प्रसारित करें।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत मीडिया अभियान के हिस्से के रूप में खेती और गृह तथा किसानवाणी कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले आकाशवाणी केंद्रों को सलाह दी गई कि वे विभिन्न प्रारूपों में उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करें ताकि कृषक समुदाय में कार्बनिक ठोस कचरे को कृषि कार्यों में खाद के रूप में इस्तेमाल करने के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। आकाशवाणी के इन केंद्रों को निर्देश दिए गए कि वे कृषि और फार्मिंग मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में ऑडियो स्पाट प्रसारित करें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

महिला कार्यक्रम

आकाशवाणी के महिला कार्यक्रमों में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य और पोषण, वैज्ञानिक गृह प्रबंधन, महिला उद्यमशीलता, प्रौढ़ शिक्षा सहित महिलाओं की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लिंग असमानता संबंधी मुद्दे आदि विषय कवर किए गए।

बेटी बचाओ– बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 24 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद आकाशवाणी महानिदेशक ने सभी केंद्रों को निर्देश जारी किए कि वे अपने कार्यक्रमों की योजना बनाते समय इस अभियान को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। इसके अलावा आकाशवाणी ने बालिकाओं के कल्याण के लिए विभिन्न प्रारूपों में अनेक कार्यक्रम भी प्रसारित किए। केंद्रों के परिवार कल्याण अनुभाग के कार्यक्रमों का लक्ष्य कानून की जानकारी के प्रसार के जरिए कन्या भ्रूण हत्या और लिंग संबंधी भेदभाव जैसे मुद्दों और महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा करना है।

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विषय महिला सशक्तिकरण–मानवता का सशक्तिकरण था। आकाशवाणी महानिदेशक ने सभी केंद्रों को विशेष निर्देश जारी किए कि वे अपने महिला मुद्दों से संबंधित कार्यक्रमों में इस विषय पर भी ध्यान केंद्रित करें। समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देते हुए इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह भी मनाया गया।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

पिछले वर्ष जनवरी–फरवरी महीने में स्वाइन फ्लू देश के कई भागों में फैल गया था और जन स्वास्थ्य की एक गंभीर समस्या बन गया था। आकाशवाणी महानिदेशालय ने सभी केंद्रों, विशेषकर स्वाइन फ्लू प्रभावित क्षेत्रों में स्थित केंद्रों को अनुदेश जारी किए कि वे इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करें।

इसी प्रकार अगस्त, सितंबर और अक्तूबर के महीनों में देश के कुछ भागों में डेंगू फैलने पर उसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आकाशवाणी नेटवर्क से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

रक्तदान और नेत्रदान का व्यापक प्रचार किया गया। नशीली दवाओं की लत, तम्बाकू सेवन, मादक पदार्थों की तस्करी, एड्स और कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास और उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

वैश्विक आयोडीन न्यूनता विकृतियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। आकाशवाणी के सभी केंद्रों ने कुपोषण के प्रति आईईसी यानी सूचना शिक्षा संचार अभियान का व्यापक प्रचार किया। केंद्रों ने "आरोग्य भारतम" के अंतर्गत इबोला, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ग्लूकोमा और चिकनगुनिया के बारे में अधिकतम संभव उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किए। "एजिंग एंड हेल्थ" यानी वृद्धावस्था और स्वास्थ्य के नारे को देखते हुए आंखों की देखभाल और दिव्यांगजनों के बारे में कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

विषम शिशु लिंग अनुपात और कन्या भ्रूण के गर्भपात की नकारात्मक मनोदिशा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देशभर में आकाशवाणी के केंद्रों द्वारा विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम और इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघनों तथा उसमें वर्णित दंड के प्रावधानों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

राष्ट्रीय कीटाणुरहित दिवस एक ऐसी पहल है, जिसमें पैरासिटिक

वार्मिंग इन्फेक्शन के उपचार और उसका प्रसार रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह स्वास्थ्य का एक व्यापक मुद्दा है, जिसका प्रभाव भारत में 24.1 करोड़ बच्चों पर पड़ता है। आकाशवाणी के सभी केंद्रों ने बाल स्वास्थ्य के इस गंभीर मुद्दे के बारे में उपयुक्त कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

टीकाकरण कवरेज में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अप्रैल 2015 में मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया। आकाशवाणी नेटवर्क के जरिए इस अभियान का व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

बच्चों के कार्यक्रम

आकाशवाणी के सभी केंद्र नियमित आधार पर बच्चों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। आकाशवाणी सभी केंद्रों से 3 श्रेणियों के बच्चों, अर्थात् 5 से 7 वर्ष, 8 से 14 वर्ष और ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करता है।

साप्ताहिक आधार पर प्रसारित कुछ कार्यक्रम, नाटक, लघु कथाएं, फीचर, समूह वृंदगान, साक्षात्कार, महाकाव्यों से कहानियां आदि इस प्रसारण का हिस्सा होती हैं।

14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बच्चों की गतिविधियों, स्टेज शो और आमंत्रित श्रोता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

संगीत

हिंदुस्तानी संगीत

संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम और रविवारीय अखिल भारतीय संगीत सभा के अंतर्गत अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 की अवधि में शामिल किए जाने वाले कुछ वरिष्ठ कलाकारों के नाम इस प्रकार हैः—

तपन नाट्टा (शहनाई), पंडित ऋत्विक सान्याल (ध्रूपद/धमार), संगीता शंकर (सारंगी), पंडित हरविंदर शर्मा (सितार), सुमित्रा गुहा (कंठ संगीत), अल्लारखा कलावंत (सारंगी), अनुराधा पाल (तबला), पंडित कैवल्य कुमार गौरव (कंठ संगत), अनुप्रिय देवताले (सारंगी) और ऐसे ही अन्य कलाकार।

आकाशवाणी ने 2015 (10 अक्तूबर, 2015) में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया। इस वर्ष आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। निम्नांकित प्रमुख और उदीयमान कलाकारों ने इन संगीत सम्मेलनों में हिस्सा लिया।

विकास बाबू और पार्टी (शहनाई), पंडित मोरमुकुट केडिया और पंडित मनोज केडिया (सितार और सरोद), पंडित प्रभाकर धाकड़े (सारंगी), पंडित विद्याधर व्यास (कंठ संगीत), पंडित सुनील कांत गुप्ता (बांसुरी) विदुषी अश्विनी बिडे देशपांडे (कंठ संगीत), गोपालदास (शहनाई), जयश्री रानाडे (हल्का शास्त्रीय कंठ संगीत)...... और अन्य कलाकार।

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता आकाशवाणी का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं तक पहुंच कायम करना और उनमें से नई प्रतिभाओं की तलाश करना है। वर्ष 2015 के लिए अंतिम प्रतियोगिता का आयोजन हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के लिए क्रमशः दिल्ली और चेन्नई में किया गया।

विदूषी बेगम अख्तर का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए ठुमरी/दादरा तथा गजल श्रेणियों में विशेष पुरस्कार दिए गए।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में निम्नांकित कलाकारों को शामिल किया गया।

लक्ष्मी मधुसूदन (गीत/भजन), श्री सूर्यनारायण दिक्षितुलु (सुगम संगीत–तेलुगु), श्री धर्मपुरी सम्बामूर्ति (हरिकथा), बसंत लोक गीत, मालवी लोकगीत, प्रहलाद तिपानिया (कबीर भजन), श्रीमती एन. नतिका (सुगम कंठ संगीत–मलयालम), श्री वी. एम. कुट्टि (मप्पिला पट्टू), आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 2013 का प्रसारण, श्री सुभाष दास (ओड़िया लोकगीत), सुश्री आशा केसर (जम्मू के लोकगीत–डोगरी), सुश्री नूरजहां (गोजरी लोक), श्री रघुवेंद्रा बादाशेषी (सुगम कंठ संगीत कन्नड़), श्रीमती सरेखा गोपाल हेगड़े (देवरनामा), असमिया लोकसंगीत, तंजावुर श्री एस संबंदा ओडुवर (भक्ति–कंठ संगीत), श्रीमती चिंगामुति और पार्टी (लोक गीत)।

कर्नाटक संगीत

त्रिमूर्ति और अन्य वाग्यकार संगीत उत्सव का आयोजन 29 और 30 मई, 2015 को तिरुचिरापल्ली में किया गया। इस उत्सव में युवा और वरिष्ठ दोनों तरह के कलाकारों ने अपनी उपस्थिति से अवसर की शोभा बढ़ाई। पपुरी गौरीनाथ द्वारा त्यागराज की रचनाएं प्रस्तुत की गईं, श्वेता वेंकटेश द्वारा मैसूर वासुदेवाचार की रचनाएं, स्वामी मलई एस. के. सुरेश द्वारा शाम शास्त्री की रचनाएं, बी. रंजिनी वर्मा द्वारा मुतुस्वामी दीक्षितर की रचनाएं प्रस्तुत की गईं। यह रचनाएं जून से जुलाई, 2015 के दौरान संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रसारित की गईं।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिताएं 2015 (कर्नाटक संगीत) से संबंधित पुरस्कार वितरण समारोह था, जिसमें पुरस्कार विजेता संगीतकारों ने 8 मई, 2015 को कोलकाता, पुणे, इंदौर, लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

इस वर्ष आकाशवाणी संगीत सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम 24 स्थानों पर आयोजित किए गए, जिनमें से 10 स्थानों पर कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा सुगम और लोक संगीत कलाकारों के दो संगीत कार्यक्रम कोयम्बटूर और विजयवाड़ा में हुए। इसके अंतर्गत कुछ अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रमों में तलचंगाडू पीएम रामनाथन (ताविल सोलो) जयराज कृष्णन और जयश्री कृष्णन (वीणा युगल), जे योगानंदना (वीणा), गायत्री वेंकटाराघवन (कंठ संगीत), यू.पी.

राजू और पी. नागमणि (मंडोलियन युगल), पेरी श्रीराम मूर्ति (सारंगी), डॉ. येल्ला वेंकटेश्वरा राव (मृदंगम लयविन्यासम) और कई अन्य कलाकारों ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

कुछ कलाकारों ने संगीत के राष्ट्रीय प्रोग्राम/रविवासरीय संगीत सभा में हिस्सा लिया:

मैसूर एम. नागराज और डॉ. मैसूर एम मंजूनाथ, कस्तूरी कमला दीप्ति, तुरावूर आर. नारायण पाणिकर, डॉ. राधा वेंकटाचलम, एम. चंद्रसेकरन, सी. चेलूवराजू, त्रिचूर वी. रामचंद्रन, पुदुकोट्टई कृष्णा मूर्ति, निर्मला राजसेखर, डा. के. सरसवती विद्यार्थी, गुरुवायूर दोराई, एस शंकर।

खेल

1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक आकाशवाणी ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल गतिविधियों की व्यापक कवरेज अपने राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से प्रदान की/प्रदान करने की योजना बनाई। राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज में शामिल कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थी:–

(1) क्रिकेट

1. भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट शृंखला 2015 की लाइव कवरेज- (01 टैस्ट मैच, 03 ओडीआई) जो 10 से 24 जून, 2015 के दौरान खेले गए।
2. भारत और जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट शृंखला 2015 की लाइव कवरेज- जुलाई, 2015.

(2) हॉकी

1. 23.04.2015 को मैसूर (कर्नाटक) में खेली गई पुरुषों की जूनियर नेशनल हाकी प्रतियोगिता (ए डिवीजन) पर रेडियो रिपोर्ट।
2. 28.04.2015 को पुणे (महाराष्ट्र) में खेले गए पुरुषों की जूनियर नेशनल हाकी प्रतियोगिता (ए डिवीजन) के फाइनल मैच की लाइव कमेंट्री।
3. 03.05.2015 को सैफई (उत्तर प्रदेश) में खेले गए महिलाओं की सीनियर नेशनल हाकी प्रतियोगिता (ए डिवीजन) के फाइनल मैच की लाइव कमेंट्री।
4. 03 से 09 मई 2015 के दौरान भुवनेश्वर (ओडिशा) में भारत और जापान के बीच चार मैचों की हाकी टेस्ट शृंखला की लाइव कमेंट्री।
5. 11.10.2015 को कोलकाता में 120वीं बेटन कप हाकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच की लाइव कमेंट्री।
6. 05.11.2015 को जालंधर में 32वें सुरजीत मेमोरियल हाकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच की लाइव कमेंट्री।

(3) हैंड बाल

1. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के बीच नई दिल्ली में 5.8.2015 को खेले गए मैत्री कप हैंड बाल मैच की लाइव कमेंट्री।

(4) टेनिस

क. विम्बल्डन टेनिस चैम्पियनशिप 2015

1. 28.06.2015 को प्रीव्यू कार्यक्रम
2. 29.06.2015 से 13.07.2015 तक हिंदी और अंग्रेजी में दैनिक रिपोर्टें।
3. 18 से 20 सितम्बर, 2015 तक दिल्ली में हुए भारत और चेक गणराज्य के बीच डेविस कप टेनिस वर्ल्ड ग्रुप प्ले-आफ मुकाबले की लाइव कवरेज।

(5) फुटबाल

1. फीफा विश्व कप 2018 के दूसरे दौर में 11.06.2015 को बंगलुरु में भारत और ओमान के बीच खेले गए क्वालिफाइंग मैच की लाइव कमेंट्री।
2. फीफा विश्व कप 2018 के दूसरे दौर में 09.08.2015 को बंगलुरु में भारत और इरान के बीच खेले गए क्वालिफाइंग मैच की लाइव कमेंट्री।
3. 16.10.2015 को दिल्ली में सुब्रोतो कप फुटबाल टूर्नामेंट में लड़कों के अंडर-17 वर्ग के फाइनल मैच की लाइव कमेंट्री।
4. फीफा विश्व कप 2018 के दूसरे दौर में 12.11.2015 को बंगलुरु में भारत और गौम के बीच खेले गए क्वालिफाइंग मैच की लाइव कमेंट्री।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का ब्योरा, इसका सीधा प्रसारण (प्रसारण अधिकार मिलने के अधीन) आकाशवाणी ने 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च 2016 के बीच प्रस्तावित की है।

क. क्रिकेट

1. भारत और आस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट शृंखला-2016 (05 एक दिवसीय मैच, 03 टी-20) फरवरी, 2015 में आस्ट्रेलिया में प्रस्तावित।
2. भारत और वेस्ट इंडीज के बीच क्रिकेट शृंखला (03 टैस्ट मैच, 05 एक दिवसीय मैच और 01 टी-20) फरवरी-मार्च 2016 में वेस्ट इंडीज में प्रस्तावित।
3. आईसीसी टी-20 क्रिकेट विश्व कप - 2016 (मार्च-अप्रैल, 2016)

ख. बैडमिंटन

1. सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप-2016 (जनवरी, 2016)

2. बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन सुपर स्टार्स- 2016 (मार्च, 2016)

ग. टेनिस

1. चेन्नई ओपन टेनिस चैम्पियनशिप (10 जनवरी, 2016)

बहु-विषयी खेल गतिविधियां

1. गुवाहाटी/शिलांग में 6 से 16 फरवरी, 2016 के बीच होने वाले 12वें सैफ खेल।

समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) समाज के विविध वर्गों तक पहुंचने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित करता है। लोगों को उनकी भाषा में समाचार सम्प्रेषित करने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हुए निःशुल्क एआईआर न्यूज एसएमएस सर्विस शुरू की गई। 2015–16 के दौरान समाचार सेवा प्रभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति में महत्वपूर्ण इजाफा किया और दूर–दराज के श्रोताओं तक पहुंचने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

एनएसडी अपनी गृह, क्षेत्रीय और डीटीएच सेवाओं में 91 भाषाओं/बोलियों में हर रोज 651 बुलेटिन प्रसारित करता है। इन बुलेटिनों की कुल अवधि 56 घंटे है। एफएम मोड पर विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से 346 न्यूज हेडलाइन्स हर घंटे प्रसारित की जाती हैं। समाचार सेवा प्रभाग दिल्ली मुख्यालय से 179 समाचार बुलेटिन हर रोज प्रसारित करता है, जिनकी कुल अवधि 21 घंटे 42 मिनट है।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने संसद के बजट सत्र, रेल और आम बजट तथा बिहार विधानसभा चुनाव–2015 सहित महत्वपूर्ण खबरें और परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित किए। कवर किए गए आर्थिक विषयों में अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए बीमा सुरक्षा, 2022 तक सब के लिए आवास, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, किसानों को विशेष कर गन्ना उत्पादकों के कष्ट कम करने के लिए केंद्रीय सहायता, कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि जैसे विषय शामिल थे। दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने के उपायों के बारे में भी कार्यक्रम प्रसारित किए गए। केंद्रीय रूप से संगठित समाचार सेवा प्रभाग की 16 भाषा इकाइयों ने ऊपर वर्णित विषयों और अपने–अपने राज्यों से संबंधित मुद्दों के बारे में समाचार अपने बुलेटिनों में शामिल किए।

क्षेत्रीय समाचार इकाइयां

आकाशवाणी की 45 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयू) लोगों की सूचना आवश्यकताएं पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 76 क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में बुलेटिन और कार्यक्रम प्रसारित करती हैं ताकि खबरों को क्षेत्र विषयक और जनोन्मुखी बनाया जा सके। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक क्षेत्रीय समाचार इकाई है और बड़े राज्यों में चार तक क्षेत्रीय समाचार इकाइयां कार्यरत हैं, ताकि समूचे राज्य में गतिविधियों की प्रभावकारी कवरेज की जा सके। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 530 बुलेटिन हर रोज प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल प्रसारण अवधि करीब 35 घंटे है। इनमें क्षेत्रीय, विदेशी, डीटीएच सेवाएं, एफएम हेडलाइन्स और न्यूज आन फोन बुलेटिन शामिल हैं। ये इकाइयां हर महीने 1076 समाचार आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल अवधि करीब 140 घंटे होती है। राज्य विधानसभाओं के सत्र के समय इन इकाइयों से विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

एफएम हेडलाइन्स शहरों और कस्बों में रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के दौरान श्रोताओं की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करती हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा वर्तमान में 16 भाषाओं में 250 हेडलाइन बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। न्यूज आन फोन– एनओपी सेवाएं भी 5 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों – मुंबई, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और रायपुर में उपलब्ध हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाओं की हर घंटे अद्यतन जानकारी देती हैं।

क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में देशभर में करीब 90 पूर्णकालिक संवाददाता/संपादक (7 गैर–आरएनयू संवाददाताओं सहित) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर 515 अंशकालिक संवाददाताओं (पीटीसीज) की सेवाएं ली जा रही हैं ताकि दूर दराज के क्षेत्रों से खबरें प्राप्त की जा सकें। अंशकालिक संवाददाताओं को क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में नियमित संवाददाताओं और संपादकों द्वारा मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक सहायता दी जाती है। बेहतर मात्रात्मक और गुणात्मक योगदान के लिए पीटीसीज का व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के वास्ते, एनएसडी समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करता है।

समाचार सेवा प्रभाग और क्षेत्रीय समाचार इकाई पटना द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की व्यापक कवरेज के लिए विस्तृत योजना बनाई गई। आरएनयू श्रीनगर ने बाढ़ के खतरे के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए आकस्मिक योजना बनाई और अतिरिक्त बुलेटिन प्रसारित किए। आरएनयू चेन्नई ने भारी वर्षा के कारण अचानक बाढ़ के दौरान अपने प्रसारणों के माध्यम से बेहतरीन कार्य किया, जिसकी सराहना मुख्यधारा मीडिया द्वारा भी की गई। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां सरकार द्वारा समय समय पर शुरू किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार भी करती हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों की विस्तृत कवरेज की गई। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के लिए संशोधित विशेष बजट अनुदान (एसबीजी) (2015–16) 18.19 करोड़ रुपये था।

रिपोर्टिंग यूनिट

रिपोर्टिंग यूनिट ने वर्ष के दौरान वर्तमान और सामयिक रुचि की घटनाओं के समाचार कवर किए। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वर्ण मौद्रिकरण, सावरिन गोल्ड बांड की शुरुआत, आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री की मन की बात जैसे विषयों की व्यापक कवरेज की गई। राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की विस्तृत कवरेज के लिए विशेष संवाददाता विदेश भेजे गए। इनमें राष्ट्रपति की स्वीडन, इस्राइल, फिलिस्तीन और जार्डन यात्रा, उपराष्ट्रपति की इंडोनेशिया, कम्बोडिया और लाओस यात्रा, प्रधानमंत्री की फ्रांस, जर्मनी और कनाडा यात्रा, रूस स्थित ऊफा में ब्रिक्स सम्मेलन में उनकी भागीदारी, मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाखिस्तान, संयुक्त राष्ट्र महासभा, तुर्की में अंताल्य में जी–20 शिखर बैठक और क्वालालम्पुर में आसियान–भारत तथा पूर्वी एशिया सम्मेलन से संबंधित खबरें आकाशवाणी के बुलेटिनों में व्यापक रूप में कवर की गईं। हाल ही में नई दिल्ली में हुए भारत–अफ्रीका फोरम सम्मेलन को भी मुख्य रूप से कवर किया गया।

इसके अलावा, रिपोर्टिंग यूनिट द्वारा कवर की गई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में संसद के बजट और वर्षाकालीन अधिवेशन, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा. बी.आर. आम्बेडकर की 125वीं जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती शामिल थीं।

वार्ता एवं सम-सामयिक घटना एकांश

वार्ता एवं सम–सामयिक घटना एकांश को विभिन्न विषयों पर विश्लेषणात्मक समाचार आधारित कार्यक्रम प्रसारित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसका लक्ष्य श्रोताओं को प्रमुख समाचार गतिविधियों को समझने में मदद करना, चीजों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना और किसी विषय की विस्तृत जानकारी देना है। इसके लिए विशेषज्ञों और वरिष्ठ पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है। तदनुरूप वार्ता एकांश ने अपने करंट अफेयर्स, स्पॉटलाइट/न्यूज एनालिसिस, सामयिकी, मनी टॉक, वाद संवाद, कंट्रीवाइड, सुर्खियों से परे, पब्लिक स्पीक और चर्चा का विषय है, जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नांकित विषयों पर विस्तार से चर्चा कीः–

विदेश व्यापार नीति–2015–2020, यमन से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना, प्रदूषण नियंत्रण, सक्षम न्यायपालिका, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे, मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री की विभिन्न देशों की यात्राएं, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई सामान्य सुरक्षा योजनाएं, एनडीए सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्किल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना जैसे कार्यक्रमों का शुभारंभ आदि।

इस अवधि में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर विशेष कार्यक्रम और बिहार विधानसभा चुनाव–2015 के बारे में विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए।

अनुश्रवण एकांश (मॉनीटरिंग यूनिट) (अंग्रेजी/हिंदी)

अनुश्रवण एकांश आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है, जो अंग्रेजी (जीएनआर) और हिंदी (एचएनआर) के समाचार पूल में शामिल किए जाने के लिए विदेशी खबरें प्रदान करती है।

एकांश में तैनात किए गए रिपोर्टर विभिन्न विदेशी प्रसारण संगठनों जैसे बीबीसी, चैनल न्यूज एशिया (सीएनए), रेडियो पाक, चाइना रेडियो इंटरनेशनल (सीआरआई), आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन (एबीसी), वायस आफ अमरीका, रेडियो ईरान, रेडियो जापान–एनएचके, डीएंडब्ल्यूएन, अल–जजीरा आदि द्वारा प्रसारित खबरों की मॉनीटरिंग करते हैं और तदनुरूप न्यूज आइटम बनाते हैं। दोनों एकांश हर रोज औसतन 20 से 25 स्टोरी का योगदान करते हैं। अनुश्रवण एकांश हर वर्ष जुलाई और सितम्बर के बीच पर्वतारोहियों के लिए 2 से 5 विशेष मौसम बुलेटिन भी प्रसारित करता है। दोनों एकांशों के रिपोर्टर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध सांसदों की सलाहकार समिति की बैठकों की कवरेज के लिए भी तैनात किए जाते हैं।

संदर्भ एकांश (रेफ्रेंस यूनिट)

संदर्भ एकांश सरकार और राजनीतिक दलों की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के बारे में दैनिक आधार पर पूर्व जानकारी एनएसडी, एआईआर की विभिन्न यूनिटों को प्रदान करता है। एकांश का प्रमुख उपनिदेशक स्तर का अधिकारी होता है। संदर्भ एकांश पुस्तकालय गतिविधियों की भी देखरेख करता है और जीएनआर/एचएनआर को कम्प्यूटरीकृत बैकअप सहित संदर्भ सामग्री प्रदान करता है। एकांश द्वारा संदर्भ सामग्री, विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन संबंधी जानकारी, समाचार बुलेटिनों का विश्लेषण और श्रोताओं के पत्रों आदि के उत्तर देने जैसे कार्य भी किए जाते हैं। एकांश हर रोज आगामी घटनाओं की डायरी जारी करता है और इसके अंतर्गत एक पुस्तकालय है, जिसमें बीस हजार से अधिक पुस्तकें हैं। समूचे संग्रह में से करीब 800 पुस्तकें जन–संचार और प्रसारण से संबंधित हैं। पुस्तकालय करीब 26 समाचार पत्र और 52 पत्रिकाएं खरीदता है।

आईटी यूनिट

आईटी यूनिट एनएसडी की आधिकारिक वेबसाइट newsonair.nic.in का रख रखाव करता है और उसे अद्यतन बनाता है। फेसबुक, ट्वीटर और साउंड क्लाउड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म इसी यूनिट के अंतर्गत कार्य करते हैं। आकाशवाणी

की राष्ट्रव्यापी निशुल्क समाचार एसएमएस सेवा भी आईटी यूनिट द्वारा संचालित की जाती है। एनएसडी के एआईआर न्यूज मोबाइल ऐप का रख रखाव और उसे अपग्रेड करने का कार्य भी इसी यूनिट द्वारा किया जाता है।

समाचार आधारित कार्यक्रमों, फीचर्स और विशेष कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, खेलों, व्यापार आदि से संबंधित खबरें वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। एनएसडी और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के समाचार बुलेटिनों का ऑडियो और टेक्स्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण, केंद्रीय बजट, रेल बजट आदि का ऑडियो और टेक्स्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग एनएसडी वेबसाइट द्वारा विशेष विंडो के जरिए की जाती है।

मन की बात कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो पर राष्ट्र को संबोधन की 14 कड़ियां आईटी यूनिट द्वारा सफलतापूर्वक कवर की गईं। मन की बात कार्यक्रम के लिए वेबसाइट newsonair.nic.in पर लाइव वेबकास्टिंग की जाती है। इस प्रयोजन के लिए विशेष विंडो और पेज सृजित किया जाता है। एनएसडी के ट्वीटर अकाउंट @airnewsalerts के जरिए अंग्रेजी और हिंदी में लाइव ट्विटिंग की जाती है। एनएसडी के ट्वीट्स का करीब 30 प्रतिशत प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक अकाउंट @pmoindia द्वारा रि–ट्वीट किया जाता है। 16 भाषाओं में 9 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाइव एसएमएस भेजे जाते हैं। कार्यक्रमों का ऑडियो उनके प्रसारण होने के त्तकाल बाद साउंड क्लाउड पर अपलोड किया जाता है। कार्यक्रमों के लिंक ट्वीटर और फेसबुक दोनों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

सोशल मीडिया:

फेसबुक और ट्वीटर

एनएसडी की सोशल मीडिया पर प्रभावशाली मौजूदगी है। एनएसडी के फेसबुक पेज पर लाइक्स (पसंद करने वालों) की संख्या 25.3 लाख को पार कर गई। विश्वसनीयता के संदर्भ में 5 के स्केल पर, एनएसडी ने 22,000 से अधिक रिव्यूज के साथ 4.5 अंक हासिल किए। एनएसडी के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल @airnewsalerts के फॉलोअरों की संख्या 7.3 लाख को पार कर चुकी है। विशेष अवसरों और जागरूकता अभियानों के बारे में लाइव ट्वीटिंग की जाती है। प्रधानमंत्री के योग प्रदर्शन के बारे में फेसबुक पोस्ट करीब 17 लाख पर पहुंच गई थी, जिसे 75 हजार दर्शकों ने लाइक और 4 हजार ने शेयर किया। ट्वीटर हैंडल पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के चित्र दर्शाते हुए कुल 22 ट्वीट्स किए गए। फोलॉअर्स को उनके योगाभ्यास के अनुभवों को आकाशवाणी के साथ शेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया था और उनके चित्र #MeandYoga का इस्तेमाल करते हुए आकाशवाणी ट्वीटर पेज पर रि–ट्वीट किए गए। राष्ट्रीय एकता दिवस – यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वार्षिक जयंती को एनएसडी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यापक प्रचारित किया गया। एनएसडी के आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट @airnewsalerts ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम–2015 को भी लाइव ट्वीट किया। आकाशवाणी समाचार द्वारा प्रयुक्त हैशटैग #Biharresults पूरे दिन भारत में शीर्ष ट्वीटर ट्रेंड रहा।

एसएमएस के जरिए खबरें

अंग्रेजी में निशुल्क एसएमएस सेवा 9 सितम्बर 2013 को प्रारंभ की गई थी। यह सेवा एप 16 भाषाओं में उपलब्ध है। इनमें गुजराती, असमिया, तमिल, मलयालम, हिंदी, मराठी, डोगरी, संस्कृत, नेपाली, अंग्रेजी, बंगला, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, अरुणाचली और कश्मीरी शामिल हैं। मन की बात, बजट प्रस्तुतिकरण, स्वतंत्रता दिवस आदि विशेष अवसरों के दौरान एसएमएस के जरिए लाइव न्यूज अपडेट्स भेजे जाते हैं।

मोबाइल न्यूज ऐप

आकाशवाणी समाचारों के श्रोताओं को एक अन्य माध्यम प्रदान करने के लिए एक एआईआर ऐप का शुभारंभ किया गया। श्रोता अपने मोबाइल फोन पर समाचार और समाचार आधारित कार्यक्रम सुन सकते हैं। यह ऐप इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। अन्य प्लेटफार्मों – विंडोज और ब्लैक बैरी के लिए ऐप विकसित किए जा रहे हैं और वेबसाइट पर होस्ट करने से पहले उनका परीक्षण किया जा रहा है। आईओएस ऐप के विकास की दिशा में भी काम हो रहा है।

वेबसाइट

1. आईटी यूनिट एनएसडी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् newsonair.nic.in को संचालित और अद्यतन बनाती है। समाचार आधारित कार्यक्रमों और विशेष कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, खेलों और व्यापार संबंधी खबरों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
2. एनएसडी और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के समाचार बुलेटिनों का ऑडियो और टेक्स्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।
3. एनएसडी वेबसाइट पर स्पेशल विंडो और पेज के जरिए मन की बात कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग की जाती है और इस कार्यक्रम का ऑडियो और टेक्स्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

4. एनएसडी के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिंक वेबसाइट पर प्रदान किए जाते हैं।

5. एंड्रायड फोन के लिए एआईआर न्यूज मोबाइल ऐप के डाउनलोड की सुविधा वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है।

प्रशासनिक स्कंध

संवेदनशील पदों पर विभिन्न कर्मचारियों को तैनात करने के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। प्रशासन और लेखा विभाग के रोजमर्रा के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम प्रगति पर है। आरटीआई से सम्बद्ध सभी 73 सवालों के जवाब आरटीआई अधिनियम 2005 में निर्धारित समय सीमा के भीतर दिए गए।

राजभाषा हिंदी के इस्तेमाल के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के अनुपालन को वरीयता दी जाती है। अजा/अजजा/अपिव और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। महिला स्टाफ की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए एनएसडी में विभागीय शिकायत समिति काम कर रही है। यह समिति कारगर ढंग से काम करती है और सतत निगरानी करती है।

व्यावसायिक स्कंध

आकाशवाणी के कमर्शियल विंग को राजस्व जुटाने का कार्य सौंपा गया है। आकाशवाणी पिछले कुछ वर्षों में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में तेजी से बदलते परिदृश्य का गवाह रहा है और आकाशवाणी का व्यावसायिक स्कंद मुम्बई स्थित अपने सेंट्रल सेल्स यूनिट, देश के विभिन्न भागों में स्थित 15 मुख्य व्यावसायिक प्रसारण सेवा केंद्रों, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और जालंधर स्थित दस कमर्शियल रेवेन्यू डिविजनों के माध्यम से इन बदलावों के साथ गति बनाए रखने में सफल रहा है। यह विंग लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी की बुनियादी पहचान बनाए रखते हुए वर्ष–दर–वर्ष समग्र कमर्शियल राजस्व बढ़ाने में सफल रहा है।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों और कमर्शियल प्रसारण में एक निर्धारित आचार संहिता का पालन किया जाता है। प्रसारण और वाणिज्यिक संहिताओं का सख्ती से अनुपालन करते हुए और सीबीएस केंद्रों, विविध भारती स्टेशनों और एफएम चैनलों सहित आकाशवाणी के लगभग सभी केंद्रों में बजट और स्टाफ संबंधी दबावों के बावजूद कमर्शियल विंग प्रमुख कार्पोरेट ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं और सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से विज्ञापन हासिल करने में सफल रहा है। पिछले 6 वर्षों में अर्जित राजस्व की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

2010–11	372.96 करोड़ रुपये
2011–12	359.65 करोड़ रुपये
2012–13	376.68 करोड़ रुपये
2013–14	510.95 करोड़ रुपये
2014–15	479.46 करोड़ रुपये

2015–16 (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 तक) रुपये 211.00 करोड़।

राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए कुछ प्रमुख उपायों का ब्योरा इस प्रकार है:–

(i) आकाशवाणी के टॉल फ्री नम्बर 15102 की शुरुआत करते हुए सीबीएस, अहमदाबाद ने अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया। (ii) सीबीएस बंगलुरु और प्राइमरी चैनल लखनऊ ने क्रिकेट विश्व कप से अतिरिक्त राजस्व कमाया। (iii) इसी प्रकार सीबीएस मुम्बई ने मन की बात कार्यक्रम से राजस्व अर्जित किया। (iv) सीएसयू वेबसाइट को नया रूप दिया गया है।

हमने विज्ञापनों की आनलाइन बुकिंग शुरू की है और आकाशवाणी की प्रथम वास्तविक विज्ञापन एजेंसी के रूप में मेसर्स रिलीज माई ऐड को पंजीकृत किया है और नई एजेंसियों को ग्रांट आफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत एजेंसियों को ग्रांट आफ एक्रिडिटेशन का दर्जा देने के लिए नए अनुनयकर्ता तैनात किए हैं। सभी 15 सीबीएस स्टेशनों और सीएसयू, आकाशवाणी मुम्बई में विपणन कार्यकारियों की भर्ती करने पर भी विचार किया जा रहा है। सभी आकाशवाणी केंद्रों को राजस्व बढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु सर्वोत्कृष्ट सीबीएस स्टेशन को आर.के. तालिब पुरस्कार दिया जाता है। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। सभी आकाशवाणी केंद्रों के लिए राजस्व अर्जित करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

विपणन विभाग

पिछली सदी में 90 के दशक के अंत में, मार्केटिंग डिवीजन के अस्तित्व में आने के बाद से प्रसार भारती के समग्र राजस्व अर्जन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। प्रथम मार्केटिंग डिवीजन की स्थापना मुंबई में की गई थी और वर्तमान में नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और जालंधर में मार्केटिंग डिवीजन काम कर रहे हैं। ये सभी डिवीजन आकाशवाणी के लिए वाणिज्यिक राजस्व अर्जित करने के लिए काम करते हैं और इन्हें कमर्शियल एंड रेवेन्यू डिवीजन्स यानी वाणिज्यिक एवं राजस्व प्रभागों का नया नाम दिया गया है।

प्रसार भारती के वाणिज्यिक और राजस्व डिवीजन समूचे

मीडिया बाजार और प्रोग्रामिंग लिंक के बीच फ्लैश बिंदुओं के रूप में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेडियो और दूरदर्शन पर प्रगतिशील ढंग से सर्वोत्कृष्ट बाजार पद्धतियों का अनुपालन किया जा रहा है। इन डिवीजनों की योजनाबद्ध, कार्यनीतिक और सजग बाजार पद्धतियों से प्रसार भारती के समग्र राजस्व सृजन में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों के लिए एकल विंडो सुविधा, सीआरडीज विज्ञापन संबंधी सभी जरूरतें पूरी करती है।

हमारे मुख्य ग्राहकों में कृषि मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, जन्म एवं मृत्यु महापंजीयक कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पीसीआरए, बीएसएनएल जैसे सरकारी विभाग और कोकाकोला, एयरटेल, वोडाफोन, पेप्सीको, ग्लेक्सो, स्मिथक्लाइन हेल्थ केयर, मारुति सुजुकी, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, एयरसेल और हार्लिक्स आदि प्राइवेट कम्पनियां शामिल हैं।

मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के आकाशवाणी से जुड़ने के कारण न केवल आकाशवाणी की छवि में सुधार आया है, बल्कि विभाग को अधिक राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इस वर्ष की उपलब्धियों में बिहार राज्य विधानसभा चुनाव के प्रसारण से प्राप्त राजस्व, और नए प्राइवेट ग्राहकों जैसे टेलीनॉर, अपोलो टायर, एचपीएल, जी मीडिया, वी–मार्ट, एसआरएल डायग्नोस्टिक्स और जेके सीमेंट से राजस्व प्राप्त करना शामिल है। अकेले सीआरडी दिल्ली ने 209 करोड़ रुपये का योगदान किया है। आकाशवाणी ने 2014–15 में कुल 407 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान आकाशवाणी के सीआरडी दिल्ली द्वारा अक्तूबर 2015 के अंत तक 122 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में अर्जित किये जा चुके थे।

हर वर्ष जनवरी से मार्च की अवधि, ऐसा समय होता है, जब विभिन्न मंत्रालयों और सम्बद्ध विभागों से राजस्व अर्जित करने संबंधी गतिविधियों में तेजी आती है। वर्तमान में हम प्रवासी भारतीय मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक, स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से अनुमोदनों का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह की परियोजनाएं अमल के लिए विचारणीय हैं, उन्हें देखते हुए हमें लगता है कि निवल शुद्ध राजस्व में हम अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

लिप्यंतरण और कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा

आकाशवाणी का केंद्रीय अभिलेखागार

आकाशवाणी की लिप्यंतरण सेवा 3 अप्रैल, 1954 को प्रारंभ हुई थी और इसे सभी गणमान्य व्यक्तियों के भाषणों की लिपि तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का आलेख तैयार करना महत्वपूर्ण था। यह यूनिट विनियल डेस्क लेबल्ड "एआईआर–टीएस रिकार्ड" की प्रोसेसिंग के दायित्व का भी निर्वाह करती है ताकि भावी प्रसारण के लिए रिकार्डिंगों को संरक्षित किया जा सके। 1 अप्रैल 1959 से इस सेवा को "ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस" यानी लिप्यंतरण एवं कार्यक्रम आदान प्रदान सेवा का नाम दिया गया और एक "निदेशक" के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत इस सेवा को रखा गया। प्रोसेस किए गए रिकार्ड लागत की दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध न हो पाने के कारण प्रोसेसिंग कार्य जून 1967 में बंद कर दिया गया और एनालाग मैगनेटिक टेप्स आदि नए संरक्षण माध्यम इस्तेमाल किए गए। उस समय देश में अनौपचारिक अभिलेख रखे जा रहे थे। इस यूनिट ने बाद में एक संगठित गतिविधि के रूप में इस कार्य को शुरू किया।

आकाशवाणी अभिलेखागार की प्रस्तुतियां

आकाशवाणी को पिछले अनेक वर्षों में सभी प्रमुख संगीतकारों की रिकार्डिंग, प्रसारण और प्रस्तुतियों को संरक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज इसके पास भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों, की रिकार्डिंग का समृद्ध भंडार है। अप्रैल 2003 से आकाशवाणी अभिलेखागार ने "आकाशवाणी संगीत" के बैनर तले अपने बहुमूल्य संगीत संग्रह से चुनी हुई चीजें जारी करना शुरू किया। अभी तक केंद्रीय अभिलेखागार से 85 संगीत एल्बम जारी की जा चुकी है। इसके लिए आकाशवाणी के 100 केंद्रों और दूरदर्शन के कई केंद्रों में बिक्री काउंटर खोले गए। इसके अतिरिक्त दिल्ली हाट, नई दिल्ली में भी एक खुदरा म्यूजिक स्टाल पर आकाशवाणी द्वारा जारी किए गए एल्बम उपलब्ध हैं।

वर्तमान गतिविधियां

1. स्क्रीनिंग, चयन, ऑडियो क्वालिटी सुधार और अंतिम रूप देने के बाद गुरबानी और क्रिश्चियन कैरोल्स रिलीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
2. हम्द, नात और मंगाबत युक्त एक सीडी की स्क्रीनिंग, चयन, ऑडियो क्वालिटी सुधार और अंतिम रूप देने का काम जारी है।

विभिन्न कलाकारों की ऑडियो सीडी के संदर्भ में स्क्रीनिंग, चयन, ऑडियो क्वालिटी सुधार और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है और ऑडियो प्रोग्राम प्रारूप एक सत्त प्रक्रिया का रूप ले चुकी है।

नई विपणन नीतियां

"आकाशवाणी संगीत" के बैनर के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा प्रामाणिक और मौलिक अभिलेखीय संगीत जारी किए जा रहे हैं। लेकिन, आनलाइन और अन्य प्रचार माध्यमों के अभाव के

कारण बाजार में उनकी उपलब्धता दृष्टिगत नहीं होती है। इस खामी को देखते हुए अधिकतम वैश्विक विपणन का लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ताकि समुचित वितरण और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

ध्वनि अभिलेखागार

आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार को देश का राष्ट्रीय ध्वनि अभिलेखागार कहा जा सकता है। चूंकि यह भारतीय संगीत की रिकार्डिंग्स की सबसे बड़ी ऑडियो लायब्रेरी है।

इस लायब्रेरी में वरिष्ठ व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की आवाज की रिकार्डिंग संरक्षित की गई है। इसके अलावा पुरस्कार प्राप्त रेडियो नाटक, फीचर, डाक्युमेंट्रीज और स्मारक व्याख्यान इस लायब्रेरी में उपलब्ध हैं। भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमत्रियों की रिकार्डिंग भी इस लायब्रेरी में उपलब्ध है।

डिजिटल ध्वनि अभिलेखागार

ट्रांसक्रिप्शन और प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस (टी एंड पीईएस) ने समस्त ऐनलाग सामग्री को डिजिटल रूप देने की एक बड़ी परियोजना शुरू की है। सभी अभिलेखीय रिकार्डिंगों को डिजिटीकृत करने की एक विशेष परियोजना 2001 में शुरू की गई थी और यह अभी भी जारी है। इसे देखते हुए आकाशवाणी की ध्वनि लायब्रेरी अंतरराष्ट्रीय रूप में स्वीकृत मानदंड का अनुपालन करते हुए प्रसारण नेटवर्क में सबसे बड़ी डिजिटल लायब्रेरियों में से एक है।

अभी तक करीब 25,300 घंटे की प्रोग्राम रिकार्डिंग को डिजिटल माध्यम में अंतरित किया जा चुका है।

रेडियो ऑटोबायोग्राफी

रेडियो ऑटोबायोग्राफी श्रेणी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध विशिष्ट व्यक्तियों की रिकार्डिंग संरक्षित की जाती है। आकाशवाणी का केंद्रीय अभिलेखागार जाने माने संगीतकारों, सार्वजनिक विशिष्ट व्यक्तियों, साहित्यकारों आदि की रेडियो ऑटोबायोग्राफियों की बहुमूल्य रिकार्डिंगों का समृद्ध खजाना है। इनमें श्री जेआरडी टाटा, उस्ताद अली अकबर खान, श्री हरिवंश राय बच्चन, और डॉ. वर्गिस कुरियन शामिल हैं। हाल ही में हमने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, श्री अमीन सयानी, डॉ. केदारनाथ सिंह और श्री के.जी. सुब्रह्मण्यम जैसी हस्तियों को रिकार्ड किया है। इस संग्रह को और समृद्ध करने के लिए केंद्रीय अभिलेखागार जीवन के विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों की रिकार्डिंग की योजना बना रहा है।

कार्यक्रम आदान प्रदान लायब्रेरी

इस लायब्रेरी का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न केंद्रों के बीच उनकी आवश्यकता अनुसार अच्छी क्वालिटी के ऑडियो कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना है। इस प्रयोजन के लिए पीईयू लायब्रेरी में उपलब्ध 8000 टेपों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें संगीत और स्पोकन वर्ड कार्यक्रमों के साथ रेडियो धारावाहिकों और भाषाओं और सामुदायिक गीतों संबंधी पाठों का इस्तेमाल किया जाता है।

ट्रांस्क्रिप्शन और प्रोग्राम आदान प्रदान सेवा को 11.10 बजे से 12.15 बजे के बीच आरएन चैनल पर नियत चंक दिया गया है ताकि वह आकाशवाणी के सभी केंद्रों के लिए कार्यक्रम ट्रांसमिट कर सके। इनमें ध्वनि अभिलेखागार, कार्यक्रम आदान प्रदान लायब्रेरी और केंद्रों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम शामिल होते हैं। कार्यक्रम आदान प्रदान लायब्रेरी चुने हुए आकाशवाणी केंद्रों को ऐसे रेडियो धारावाहिक भेजती है, जिनका निर्माण आकाशवाणी महानिदेशालय की पीपी एंड डी यूनिट द्वारा साफ्टवेयर विकास परियोजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी महानिदेशालय की केंद्रीय नाटक इकाई द्वारा तैयार नाटकों की मासिक श्रृंखला भी चुने हुए केंद्रों को भेजी जाती है, जिसे नियमित आरएन चैनल चंक के जरिए फीड किया जाता है।

ट्रांसक्रिप्शन यूनिट

इस यूनिट के महत्वपूर्ण कार्यों में एक है – राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों का लिप्यंतरण करना तथा उन्हें काल क्रमानुसार खंडों के रूप में संरक्षित करना।

आकाशवाणी केंद्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक सभाओं में दिए गए सभी भाषणों को रिकार्ड करे। उपरोक्त भाषणों के जिल्दबंद खंड तैयार किए जाते हैं और अभिलेखागार में रखे जाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सभी भाषण सीडी फार्म में संरक्षित हैं जिनकी विस्तृत डाटा एंट्री की गई है।

पुनर्सज्जा इकाई

अभिलेखागारों में पुरानी संगीत रिकार्डिंगों का पुर्नसज्जा करने के लिए कुछ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इस इकाई का गठन किया गया था। संगीत और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आदि की सैकड़ों घंटों की रिकार्डिंग का जीर्णोद्धार इस इकाई में किया गया है। वर्तमान में यह इकाई आकाशवाणी और दूरदर्शन अभिलेखागारों द्वारा जारी की जाने वाली रिकार्डिंग की ऑडियो गुणवता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 के दौरान मुख्य गतिविधियां

1. आकाशवाणी द्वारा तैयार की गई रामचरित मानस के सात कांडों की डिजिटल सीडीज का विमोचन 31 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
2. उड़िया भाषा में भगवान जगन्नाथ के पुराने गीतों, 'श्री जगन्नाथ भजनावली' का विमोचन पुरी के धार्मिक

गजपति महाराज द्वारा नबकलेवर के अवसर पर पुरी में किया गया। इस सीडी में तीन खंडों में आकाशवाणी द्वारा तैयार किए गए तीस भजन शामिल हैं।

3. आकाशवाणी संगीत सीडी और अभिलेखागार की सामग्री के प्रोत्साहन और उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नांकित अवसरों पर स्टाल लगाए गएः–

   (क) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 23 से 25 अप्रैल 2015 के दौरान सेवाओं के बारे में सीआईआई की ग्लोबल प्रदर्शनी।

   (ख) इंडिया गेट प्रांगण में 15 से 30 सितम्बर, 2015 के दौरान ''शौर्यांजलि'' अर्थात् 1965 के भारत-पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती स्मारक प्रदर्शनी के अवसर पर। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

   (ग) होटल ताज पैलेस नई दिल्ली में 19-20 अक्तूबर, 2015 के दौरान सीआईआई बिग पिक्चर सम्मेलन।

   (घ) 26 नवम्बर, 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाए जाने के अवसर पर संसदीय परिसर में 'मेकिंग आफ कंस्टिट्यूशन' नामक प्रदर्शनी में। यह प्रदर्शनी 30 नवम्बर, 2015 तक चली। इसका उद्घाटन प्रधानमत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

4. ''इम्मोर्टल वायसः महात्मा गांधी'' नाम की एक सीडी का देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी के 31 ऑडियो कट्स रिकार्डिड हैं।

5. LoPN Hkkjr vfHk;ku d fy,% स्वच्छता के बारे में महात्मा गांधी के ऑडियो कैस्ट्स विभिन्न मंत्रालयों में वितरित किए गए ताकि जन जागरूकता अभियान चलाया जा सके।

6. पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों से चुने गए 20 आडियो कैस्ट्स शामिल करके बनाई गई एक सीडी कई सरकारी विभागों में वितरित की जा रही है।

7. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. बी. आर. आम्बेडकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. एस. राधाकृष्णन के भाषणों के सारांश शामिल करते हुए बनाई गई एक सीडी कई सरकारी विभागों को वितरित की जा रही है।

विदेश सेवा प्रभाग

क. संक्षिप्त परिचय

अंतरराष्ट्रीय/विदेश प्रसारण सेवा विदेश नीति और सरकारी कूटनीति में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्रसारण को विशेष महत्व दे रहा है क्योंकि इसके माध्यम से उसे विदेश में अपनी छवि और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का एक माध्यम मिलता है।

इंग्लैंड के साथ औपनिवेशिक संपर्क के कारण, भारत और इंग्लैंड में प्रसारण लगभग एक साथ प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार बीबीसी द्वारा प्रथम विदेशी प्रसारण 1938 में अरबी भाषा में शुरू किए जाने के बाद आकाशवाणी ने भी 1 अक्तूबर, 1999 को विशुद्ध रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के प्रचार के माध्यम के रूप में विदेश प्रसारण पश्तो भाषा में शुरू किया। इसका लक्ष्य क्षेत्र में जर्मनी रेडियो ब्लिट्जक्रेग के प्रचार का सामना करना और विश्व के इस भाग में बीबीसी के प्रयासों को बल प्रदान करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ईएसडी को एक उभरते हुए राष्ट्र, एक प्राचीन सभ्यता की आवाज और कूटनीति के एक साधन के रूप में नया रूप धारण करना पड़ा। विभिन्न प्रकार के संकटों के समय एक कारगर प्रचार मशीनरी के रूप में भी उसे अपनी भूमिका निभानी थी।

उसके बाद से आकाशवाणी का विदेश प्रसारण प्रभाग भारत और शेष विश्व के बीच, विशेष रूप से उन देशों के साथ, जिनमें भारतीय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, एक महत्वपूर्ण सम्पर्क बिंदु रहा है। जो भारतीय बेहतर जीवन की तलाश में दशकों पहले स्वदेश छोड़ कर चले गए, वे आज विश्व के कोने कोने में रह रहे हैं और अभी भी यह जानने के इच्छुक रहते हैं कि ''उनके जन्म के राष्ट्र'' में उनके लिए क्या है। स्वाभाविक है कि विदेश प्रसारण सेवा विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मामलों के बारे में भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।

आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग का रैंक पहुंच और रेंज दोनों ही दृष्टियों से विश्व के विदेश रेडियो नेटवर्कों के बीच बहुत ऊंचा है, जो करीब सौ देशों में 27 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करता है। विदेश प्रसारण का लक्ष्य विदेश स्थित श्रोताओं को भारत के लोकाचार से जोड़ना है। आकाशवाणी जिन भाषाओं में अपने विदेशी श्रोताओं तक पहुंचता है, उनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्वाहिली, अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी और इंडोनेशियाई भाषा शामिल हैं। हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और गुजराती में भी प्रसारण सेवाएं विदेश स्थित भारतीयों को ध्यान में रख कर की जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप और भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देशों में रह रहे श्रोताओं के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सरायकी, सिंहला, बांग्ला और नेपाली में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश प्रसारण प्रभाग एक मिश्रित पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें आमतौर पर समाचार बुलेटिन, समीक्षाएं, सम–सामयिक कार्यक्रम और भारतीय प्रेस समीक्षा शामिल की जाती है।

न्यूजरील के अलावा खेलों और साहित्य के बारे में पत्रिका कार्यक्रम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक

और सांस्कृतिक विषयों पर वार्ताएं और परिचर्चाएं, विकासात्मक गतिविधियों, महत्वपूर्ण घटनाओं और संस्थानों, भारत के विविध क्षेत्रों के शास्त्रीय, लोक और आधुनिक संगीत के बारे में फीचर, समग्र कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं।

विदेश प्रसारण सेवा में सभी कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय एक सुदृढ़ धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की वास्तविक छवि प्रस्तुत करना है। श्रोताओं को यह एहसास कराना है कि भारत एक सशक्त, प्रगतिशील राष्ट्र है, जो आर्थिक, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संबंधी तीव्र प्रगति में संलग्न है। भारत की विस्तृत तकनीकी कार्मिक क्षमता और उसकी उपलब्धियों तथा पारिस्थितिकी संतुलन संबंधी तथ्यों को सरल और सामान्य कार्यक्रमों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है।

इसी प्रकार अहिंसा में भारत के विश्वास, सार्वभौमिक मानवाधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रति उसकी वचनबद्धता और नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण में उसका योगदान प्रभाग के कार्यक्रमों के जरिए बार बार व्यक्त किया जाता है। विदेश सेवा प्रभाग ने करीब 25 विदेशी प्रसारण संगठनों को मौजूदा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत संगीत, स्पोकन वर्ड और कम्पोजिट कार्यक्रमों की रिकार्डिंग की आपूर्ति जारी रखी। इसके अतिरिक्त विदेश सेवा प्रभाग ने अपने सभी प्रसारणों में सम–सामयिक और प्रासंगिक मुद्दों पर टिप्पणियां और प्रेस समीक्षाओं के रूप में विश्वभर में कार्यक्रम प्रसारित किए।

ख. नई पहल और आधुनिकीकरण के प्रयास

जीर्णोद्धार

(1) ईएसडी सेवाओं विशेषकर नेपाली, तिब्बती, बलूची, दरी, पश्तो, सिंधी और अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र के लिए लक्षित अन्य सेवाओं के जीर्णोद्धार और सुदृढीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस संदर्भ में भारत विरोधी दुष्प्रचार का सामना करने के लिए नेपाल केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए गए।

इसके अतिरिक्त धारणा प्रबंधन और भारत विरोधी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के बारे में भी ईएसडी की विभिन्न सेवाओं के जरिए नियमित रूप से प्रसारण किए जाते हैं। इनमें प्राय:द्वीप से सम्बद्ध प्रसारण सेवाओं की अहम भूमिका रहती है।

(2) ईएसडी की वार्ता एकांश को सुदृढ़ बनाने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि अधिक संख्या में क्षेत्र विषयक समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

(3) अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रसारणकर्ताओं के समान लाइव इंटरनेट रेडियो और रेडियो आन डिमांड घटकों के साथ ईएसडी के लिए एक मल्टी मीडिया वेबसाइट शुरू की गई है, जिसके जरिए ईएसडी विश्वभर में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा। विशेषकर उन क्षेत्रों में उसकी सेवाएं पहुंच सकेंगी, जिनमें अभी तक नहीं पहुंच पा रही थीं।

(4) ईएसडी की सभी 27 सेवाओं के लिए लाइव इंटरनेट रेडियो प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विश्वभर में इसकी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। इस संदर्भ में ईएसडी की पांच सेवाओं अर्थात् उर्दू, हिंदी, बांग्ला और नेपाली की लाइव स्ट्रीमिंग इस वर्ष शुरू की गई। जबकि शेष सेवाओं के लिए यह कार्य निकट भविष्य में किया जाएगा।

(5) अभिलेखीय महत्व की सभी रिकार्डिंगों के डिजिटीकरण का व्यापक काम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में 20,000 टेपों का डिजिटीकरण समयबद्ध तरीके से किया गया है और शेष डिजिटीकरण कार्य प्रगति पर है।

(6) ईएसडी ने सभी विदेशी भाषा एकांशों के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि धीरे धीरे कागज रहित प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

(7) ईएसडी ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप आदि का इस्तेमाल शुरू किया है ताकि अपने कार्यक्रमों को अधिक प्रचारित और वार्तालाप विषयक बनाया जा सके। वाट्सअप आधारित अनुरोध कार्यक्रम उर्दू सेवा में शुरू किया गया है, जिसमें विश्वभर के श्रोताओं ने रुचि प्रदर्शित की है।

ग. विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग और समन्वय

रेडियो के माध्यम से विदेश में भारत के प्रति समझ बढ़ाने, विशेषकर उसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए हाल ही में विदेश मंत्रालय (एक्सपी डिवीजन के साथ, यह समझते हुए कि विदेश मंत्रालय की एक्सपी डिवीजन और आकाशवाणी के ईएसडी के उद्देश्य साझा हैं) के साथ सहयोग और समन्वय बढ़ाने के उपाय किए गए।

1 जनवरी से 31 मार्च, 2016 की अवधि के लिए कार्यक्रम

1. प्रवासी भारतीय दिवस, 2016 के बारे में रेडियो रिपोर्ट (उद्घाटन समारोह)।
2. प्रवासी भारतीय दिवस, 2016 के बारे में रेडियो रिपोर्ट।
3. प्रवासी भारतीय दिवस, 2016 के समापन समारोह के बारे में रेडियो रिपोर्ट।
4. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश।

5. गणतंत्र दिवस परेड और सांस्कृतिक झांकियों के बारे में रेडियो रिपोर्ट।
6. बीटिंग रीट्रिट के बारे में रेडियो रिपोर्ट।
7. महात्मा गांधी (उनकी शहादत) पर एक फीचर।
8. वसंतोत्सव पर एक फीचर।
9. होली के त्योहार पर एक वृत चित्र।
10. प्रातः 9.20 बजे से राजपथ इंडियागेट से गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल (हिंदी)।
11. गणतंत्र दिवस परेड पर एक रेडियो रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय संबंध एकांश

अंतरराष्ट्रीय संबंध एकांश आकाशवाणी महानिदेशालय का एक नोडल अनुभाग है, जो आकाशवाणी के प्रोग्राम विंग से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय मामलों की देखरेख करता है।

एकांश के प्रमुख दायित्वों में (i) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं में आकाशवाणी के अधिकारियों की भागीदारी (ii) अंतरराष्ट्रीय रेडियो प्रतियोगिताओं में आकाशवाणी के कार्यक्रमों से संबंधित प्रविष्टियों की भागीदारी (iii) सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम समझौतों और विदेशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के प्रसारण संबंधी अनुच्छेदों का कार्यान्वयन (iv) प्रसार भारती/आकाशवाणी द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रमों, सम्मेलनों और स्वदेश में प्रशिक्षण कार्यशालाओं की मेजबानी आदि कार्यों में समन्वय करना शामिल है।

2015-16 के दौरान गतिविधियां और उपलब्धियां

1. आकाशवाणी ने एशिया पेसिफिक ब्राडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) के सहयोग से देश में ''आपदा जोखिम कम करने के लिए आपातकालीन चेतावनी एवं सूचनाएं'' विषय पर 21 से 25 अप्रैल 2015 के दौरान, भुवनेश्वर में एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें आपदा की आशंका वाले तटवर्ती क्षेत्र में स्थित आकाशवाणी केंद्रों और दूरदर्शन केंद्रों के 25 रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माताओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का आयोजन श्री रश्ल इसाक (यूके) और एबीयू की सुश्री नतालिया इलिएवा ने संयुक्त रूप से किया।

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध एकांश ने 29 मई, 2015 को यंगून, म्यामां में हुए तीसरे एबीयू रेडियो गीत उत्सव 2015 के ग्रैंड फिनाले में 5 सदस्यीय लोक संगीत दल की हिस्सेदारी के लिए समन्वय किया। आकाशवाणी की गीत प्रविष्टि 'नई खुशी' जिसे बंगलुरु स्थित गायकों के समूह ने प्रस्तुत किया है, को तीसरे एबीयू रेडियो गीत उत्सव के फिनाले के लिए चुना गया और भारतीय दल को म्यामां में आयोजित गाला फिनाले समारोह में मंच प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। अलग अलग देशों से फाइनल में पहुंचे 12 कलाकारों ने फिनाले कार्यक्रम में अपने अपने देश के रेडियो संगठनों का प्रतिनिधित्व किया।

3. आकाशवाणी ने नाटक श्रेणी में प्राप्त प्रविष्टियों के चयन के लिए एक विशेषज्ञ जूरी प्रदान करते हुए एबीयू पुरस्कार 2015 के प्रारंभिक चयन में एबीयू की सहायता की।

4. आकाशवाणी की प्रविष्टि निलक्कम इवारक्कोपम (उनके साथ खड़े हैं), जिसका निर्माण आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में सीबीएस अनुभाग के कार्यक्रम अधिशासी, श्री बीजू मैथ्यू ने किया है, को 'समुदाय सेवा उद्घोषणा (सीएसए)' श्रेणी के अंतर्गत एबीयू पुरस्कार 2015 के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के रूप में एक ट्राफी, प्रमाणपत्र और 2000 अमरीकी डॉलर नकद दिए गए।

5. एकांश ने एआईबीडी पुरस्कार 2015 में आकाशवाणी की प्रविष्टियों की भागीदारी के लिए भी समन्वय किया। आकाशवाणी नजीबाबाद की कार्यक्रम प्रविष्टि 'श्री गुरुवे नमः' एआईबीडी रीइनहार्ड केयुनेज मेमोरियल पुरस्कार–2015 में सर्वोत्कृष्ट रेडियो प्रोग्राम के लिए उप विजेता चुनी गई। इसमें ''समाज में शिक्षकों की भूमिका'' पर प्रकाश डाला गया है।

6. विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम समझौतों के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा विदेश सेवा प्रभाग के माध्यम से कई देशों में संगीत कार्यक्रम भेजे गए। आकाशवाणी ने सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौते के अंतर्गत बल्गारिया के राष्ट्रीय महत्व के दो अवसरों पर बल्गारियाई संगीत के कार्यक्रम भी प्रसारित किए।

7. अनेक देशों/प्रसारण संगठनों के शिष्टमंडलों ने प्रसार भारती/आकाशवाणी के दौरे किए, जिनका उद्देश्य प्रसार भारती और उनके देशों के रेडियो और टेलीविजन संगठनों के साथ आपसी संबंध सुदृढ़ बनाना था।

राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया (प्रोग्राम) अकादमी

किंग्सवेकैंप, दिल्ली, में स्थित राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी प्रसार भारती का प्रशिक्षण विंग होने के नाते आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों/कार्यालयों में सेवारत कार्यक्रम और प्रशासनिक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसे 01.01.1990 को आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली का अधीनस्थ कार्यालय घोषित किया गया। बाद में अन्य 6 प्रशिक्षण संस्थान एसटीआई (पी) भुवनेश्वर और अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और तिरुवनंतपुरम स्थित आरटीआई (पी) अस्तिव में आए, जो देश के समूचे क्षेत्र को विभिन्न जोनों के अंतर्गत कवर करते हैं ताकि आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), दिल्ली द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

गतिविधियों का क्षेत्र

1. आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टाफ के लिए विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रसार भारती के एनएबीएम्स और आरएबीएम्स का उद्देश्य उपयुक्त, उपयोगी और प्रासंगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के जरिए कर्मचारियों की योग्यता के विकास, उनके कार्य क्षेत्र के विस्तार और उनकी अंतर्निहित क्षमता को तीव्र बनाते हुए एक कारगर कार्मिक दल का सृजन करना है। पाठ्यक्रम इस लक्ष्य के साथ डिजाइन किए जाते हैं कि कर्मचारियों की विशिष्टताओं को सुदृढ़ और विकसित किया जा सके तथा उनकी जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें बदलते समय के साथ मीडिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। ये कार्यशालाएं आकाशवाण ी और दूरदर्शन के प्रोग्राम और प्रशासनिक स्टाफ के लिए तैयार की जाती हैं। तकनीकी और कार्यक्रम स्टाफ के बीच घनिष्ठ समन्वय और सहयोग का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोग्राम, इंजीनियरी और प्रशासनिक विंग के कर्मचारियों के लिए संयुक्त पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित होते हैं, जिनमें युवा और बाल कार्यक्रम की रिडिजाइनिंग, लिंग संबंधी मुद्दे और लिंग संबंधी कार्यक्रम वाणी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, रेडियो नाटक का पुनर्वालोकन, अभिलेखागार सामग्री का डिजिटीकरण, रेडियो एग्रीविजन, विशेष श्रोता भागीदारी कार्यक्रम, ड्यूटीरूम मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और प्रोग्रामिंग, पुस्तकालयों का ऑटोमेशन, अभिलेखागार का प्रबंधन, प्रसारण में नवाचार, बाजार कार्यनीति और संचार, खेल और गैर–खेल गतिविधियों के बारे में कमेंट्री आदि शामिल होते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रशासनिक स्टाफ और कार्यक्रम एवं इंजीनियरी अनुभागों में तैनात स्टाफ के लिए प्रशासनिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आरटीआई और रिकार्ड मैनेजमेंट, अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच, वित्तीय प्रशासन, सेवाओं में आरक्षण, स्थापना संबंधी नियम, खरीद प्रबंधन, अदालत/कैट से संबंधित मामलों से निपटना और आशुलिपिकों के लिए सोशल मीडिया कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यसंबंधी सभी जरूरतों को कवर करना है ताकि वे कारगर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

शुल्क आधारित बाहरी पाठ्यक्रम

1. वाणी (वायस आर्टिक्यूलेशन एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव)

आकाशवाणी देश में पहला इलेक्ट्रोनिक मीडिया है, जहां उद्घोषकों, प्रस्तुतकर्ताओं, सूत्रधारों, समाचार वाचकों ने प्रस्तुति शैली निर्धारित की है। इस बेजोड़ विशेषज्ञता के आधार पर, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), दिल्ली ने प्रसारण मीडिया में काम करने के लिए विशेष रूप से पाठ्यक्रम डिजाइन किए हैं। वाणी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ऐसा ही एक पाठ्यक्रम है, जो प्रस्तुतिकर्ताओं, उद्घोषकों और सूत्रधारों आदि का कौशल बढ़ाने में मदद करता है।

पांच दिन का वाणी (वायस आर्टिक्यूलेशन एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव यानी वाक पटुता और पहल करने की क्षमता) पाठ्यक्रम आकाशवाणी केंद्रों द्वारा संचालित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक स्टेशन पर स्वर परीक्षण के बाद किया जाता है, और चुने हुए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाता है। अप्रैल, 2015–दिसम्बर 2015 के दौरान कुल 58 पाठ्यक्रम संचालित किए गए जिनमें 1325 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके जरिए रुपये 55,88,032 (पचपन लाख अट्ठासी हजार और बतीस रुपये) का राजस्व अर्जित किया गया।

2. जनसंचार (व्यावहारिक प्रशिक्षण)

राजधानी/क्षेत्रीय शहरों में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के जनसंचार पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप (प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) दी जाती है। अप्रैल 2015–दिसम्बर 2015 की अवधि में ऐसे तीन पाठ्यक्रम संचालित किए गए जिनमें 18 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और रुपये 72,000/– (बहतर हजार मात्र) का निवल राजस्व अर्जित किया गया।

अर्जित राजस्व

राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया (प्रोग्राम) अकादमी, दिल्ली ने अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 की अवधि में सभी पाठ्यक्रमों से रुपये 77,69,827 (सतहतर लाख उनहतर हजार आठ सौ सताईस रुपये मात्र) का निवल राजस्व अर्जित किया। एनएबीएम को मार्च 2016 तक सभी स्रोतों से अपने राजस्व में चालीस लाख रुपये और जुड़ने की उम्मीद है।

श्रोता अनुसंधान स्कंध

जनसंचार माध्यमों के बदलते परिप्रेक्ष्य में श्रोता अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। विश्वभर में सभी बड़े मीडिया संगठन विभागीय आधार पर किसी एक या अन्य रूप में श्रोता अनुसंधान अथवा विपणन की भाषा में 'बाजार अनुसंधान' कराते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी मीडिया संगठन संभावित श्रोताओं (उपभोक्ताओं) और अपनी विषयवस्तु के लिए बाजार के अभाव में अपने दुर्लभ संसाधन दांव पर नहीं लगा सकता। इसके अलावा वे विभिन्न मीडिया और बाजार अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए व्यावसायिक अनुसंधान को खरीदते भी हैं। प्राइवेट टीवी और रेडियो चैनलों की सफलता के पीछे राज यह है कि वे निरंतर श्रोता अनुसंधान के जरिए श्रोताओं की आवश्यकता को महसूस करने की क्षमता रखते हैं और तदनुरूप, प्रस्तुति सहित कार्यक्रम की विषयवस्तु का डिजाइन और परिष्कार करते हैं।

आकाशवाणी इस क्षेत्र में अग्रणी है। इसके अंतर्गत देशभर में श्रोता अनुसंधान एकांशों का व्यापक नेटवर्क है, जो 1946 से संचालित है। यह कार्यक्रम निर्माताओं को प्रोग्राम फीडबैक प्रदान करता है ताकि वे लक्षित श्रोताओं की जरूरतों, रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार कार्यक्रमों की योजना, डिजाइन तैयार कर सकें और उन्हें संशोधित कर सकें। इसके अलावा प्रायोजकों, विज्ञापनदाताओं और विपणनकर्ताओं को कार्यक्रम रेटिंग/श्रोताओं संबंधी आंकड़े प्रदान करने होते हैं ताकि उनके वाणिज्यिक लक्ष्य पूरे किए जा सकें। श्रोता अनुसंधान एकांश, संगठन के लिए डाटा बैंक और संदर्भ अनुभाग के रूप में भी काम करता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नांकित श्रोता अनुसंधान गतिविधियां/अध्ययन संचालित किए गए/प्रस्तावित हैं :

1. नवम्बर, 2015 तक प्रसारित ''मन की बात'' की सभी आठ कड़ियों के लिए टेलीफोन के जरिए त्वरित फीडबैक अध्ययन किया गया।
2. विशेष कार्यक्रम 'मन की बातः एक साल जन जुड़ाव का' के बारे में आकाशवाणी के 28 केंद्रों पर अध्ययन कराया गया।
3. फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) – एफएम गोल्ड, आकाशवाणी चेन्नई पर एक गुणात्मक अध्ययन।
4. 10 स्टेशनों पर आरटीआई अभियान के बारे में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (डीओपीटी द्वारा प्रायोजित)।
5. पांच स्टेशनों पर आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो केंद्रों की प्रभावकारिता के बारे में अध्ययन।
6. पूर्वोत्तर सेवा (एनईएस) के बारे में रेडियो श्रोता सर्वेक्षण आठ स्टेशनों पर प्रगति पर है।
7. विविध भारती चैनल के बारे में रेडियो श्रोता सर्वेक्षण चार मेट्रो स्टेशनों पर कराया गया।
8. प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्ट 2014–15 का संकलन।
9. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया–2016 का संकलन।

1 जनवरी से 31 मार्च 2016 के दौरान अध्ययन की योजना

1. 26 स्टेशनों पर ''एमडब्ल्यू ट्रांसमिशन'' के बारे में रेडियो श्रोता सर्वेक्षण।

प्रशासन

1. अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षण

आकाशवाणी ने अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के सभी अपेक्षित उपाय किए हैं। इसके लिए प्रतिबद्ध अजा/अजजा प्रकोष्ठ बनाया गया है। नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अजा/अजजा/अपिव समुदायों को सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ देने संबंधी जारी किए गए परिपत्रों को सभी कार्यालयों और आकाशवाणी की क्षेत्रीय इकाइयों को भेजा गया ताकि वे उनका अनुपालन करें। अजा/अजजा के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश सभी राजधानी स्टेशनों को दिए गए और ज्यादातर राजधानी स्टेशनों ने सम्पर्क अधिकारी मनोनीत कर दिए हैं।

2. जन शिकायत और निवारण व्यवस्था

प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण और पहुंच व्यवस्था केंद्र स्तर पर, जोनल मुख्यालय और केंद्रीय मुख्यालय के स्तर पर की गई है। इस व्यवस्था पर केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के जरिए निगरानी की जाती है। आकाशवाणी के सभी कार्यालयों में सूचना और सुविधा काउंटर बनाए गए हैं। निदेशालय के आदेश संख्या ए–11013/4/2015–आईडब्ल्यूएसयू दिनांक 23.06.2015 के अनुसार निदेशालय में एक कराधान प्रकोष्ठ बनाया गया है ताकि आकाशवाणी महानिदेशालय से संबंधित सभी कर पहलुओं का समाधान किया जा सके। शिकायत निवारण के बारे में नियमित स्थिति रिपोर्टें सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती सचिवालय को भेजी जाती हैं।

3. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

आकाशवाणी के सभी केंद्रों ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी लोगों को प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रारूपों में अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए ताकि लोगों का सशक्तिकरण किया जा सके और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में योगदान किया जा सके। सभी आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रम प्रमुखों से कहा गया कि वे कार्यक्रम में अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। यह अधिनियम सितम्बर, 2008 से प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। आकाशवाणी इस अधिनियम का प्रचार भविष्य में भी जारी रखेगा।

सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आकाशवाणी में 60 सीपीआईओज और निदेशालय में 6 अपील प्राधिकारी तथा फील्ड स्तर पर 295 सीपीआईओज और 20 अपील प्राधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं। वर्ष 2015–16 (01.04.2015 से 31.12.2015) में आरटीआई के 924 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका जवाब निर्धारित समय के भीतर दिया गया। अपील प्राधिकारी द्वारा इस अवधि (01.04.2015 से 31.03.2016) में 186 अपीलें प्राप्त की गईं और सभी का निपटारा किया गया।

4. अनुमोदित संख्या

आकाशवाणी में अधिकारियों और कर्मचारियों की विंगवार स्वीकृत संख्या निम्नानुसार हैः–

,dk'k	vkdk'kok.kh
कार्यक्रम	6,896
इंजीनियरी	5,974
आकाशवाणी मुख्यालय	723
प्रशासन (आकाशवाणी स्टेशन)	10,835
नए एकांश	209
सीसीडब्ल्यू	1,492
कुल	**26, 129**

कल्याण अनुभाग

1. देशभर में फैले 414 स्टेशनों/कार्यालयों के साथ आकाशवाणी का विस्तृत नेटवर्क है। आकाशवाणी में तीन वर्गों-कार्यक्रम, इंजीनियरी और प्रशासन के अंतर्गत करीब 14,157 कर्मचारी सेवारत हैं।

2. आकाशवाणी में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के अंतर्गत कार्यरत कुल मानव संसाधन में करीब 25: महिलाएं हैं। आकाशवाणी के सभी स्टेशनों/कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यौन उत्पीड़न के मामलों/शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत समिति का गठन करें। तदनुरूप आकाशवाणी के सभी स्टेशनों/कार्यालयों में विभागीय शिकायत समिति का गठन किया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि उक्त विभागीय समिति की अध्यक्ष वरिष्ठ स्तरीय महिला अधिकारी होनी चाहिए और उसके सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

3. आधार सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) दिल्ली में आकाशवाणी निदेशालय और सभी कार्यालयों में प्रचालित की गई है, जिसमें दिल्ली में कार्यरत 2500 से अधिक कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया है। देशभर में अनेक आकाशवाणी केंद्रों में नई बायोमीट्रिक उपस्थिति मशीनें लगायी गई हैं। शेष केंद्रों पर ऐसी मशीनें लगाने की प्रक्रिया जारी है।

4. सरकार के निर्देशों के अनुसार, आकाशवाणी ने सामान और सेवाओं की खरीद के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का प्रयोग प्रारंभ किया है।

5. विभागीय कैंटीन में ठेकेदार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं, अनुशासन और सेवा-गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति वर्तमान दरों की भी समीक्षा करेगी और अपनी अनुशंसाएं देगी।

6. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध सुनिश्चित करने के लिए आकाशवाणी महानिदेशालय के निदेशकों, उपनिदेशकों और अनुभाग अधिकारियों के लिए 17.07.2015 को एक जागरूकता कार्यशाला, अध्यक्ष आईसीसी, आकाशवाणी महानिदेशालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। अधिनियम के कारगर अनुपालन के लिए कुछ मामलों का अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया।

मनाए गए दिवस

1. 2 अक्तूबर, 2014 : स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान देशभर में आकाशवाणी के कार्यालयों में मनाया गया। कल्याण अनुभाग द्वारा सभी केंद्रों को एयरनेट और सेटेलाइट संदेश के जरिए स्वच्छता की शपथ का प्रारूप अंग्रेजी और हिंदी में सम्प्रेषित किया गया। तदनुरूप देशभर में आकाशवाणी के सभी कर्मचारियों ने अपने कार्यालय प्रमुख के नेतृत्व में स्वच्छता की शपथ ली। हमें करीब 40 केंद्रों से तत्संबंधी रिपोर्टें/फोटोग्राफ/एलबम/सीडीज प्राप्त हुईं। तत्काल संदर्भ के लिए कुछ फोटोग्राफ संलग्न हैं।

2. 30 जनवरी, 2015 : देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी, 2015 को आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर दो मिनट का मौन रखा गया। तदनुरूप इस निदेशालय में भी महानिदेशक, आकाशवाणी की उपस्थिति में दो मिनट का मौन रखा गया।

3. 8 मार्च, 2015 : महिला दिवस - 8 मार्च, 2015 रविवार को पड़ने को देखते हुए आकाशवाणी महानिदेशालय में महिला दिवस 9 मार्च, 2015 (सोमवार) को मनाया गया। आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली के प्रथम तल पर कांफ्रेंस हाल में पूर्वाहन 11.30 बजे करीब 180-200 महिला कर्मचारियों ने निदेशालय के कल्याण अनुभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर वार्तालाप के दौरान महिला कर्मचारियों को आकाशवाणी महानिदेशालय में कार्य वातावरण में सुधार के लिए सुझाव देने और/या शिकायतें करने के लिए आगे आने को प्रोत्साहित किया गया।

4. 14 अप्रैल, 2015 : बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती : आकाशवाणी महानिदेशालय के कल्याण विभाग द्वारा आकाशवाणी के सभी केंद्रों को परिपत्र और सेटेलाइट संदेश भेजा गया कि वे 14 अप्रैल, 2015 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती मनाएं। डॉ. भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस निदेशालय में 14.04.2015 को 10.30 बजे महानिदेशक

के नेतृत्व में आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली के कांफ्रेंस हाल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

5. 21 मई, 2015 : आतंकवाद विरोधी दिवस : 21 मई को हर वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की एक महत्वपूर्ण विशेषता शपथ समारोह था जो 21.05.2015 को आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली के कांफ्रेंस हाल में आयोजित किया गया, जिसमें सभी अधिकारी और स्टाफ के सदस्य एकत्र हुए और महानिदेशक आकाशवाणी के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी शपथ ली।

6. 20 अगस्त, 2015 सद्‌भावना दिवस : इस वर्ष 20 अगस्त को आकाशवाणी के सभी केंद्रों में सद्‌भावना दिवस मनाया गया। इस अनुभाग ने 17.08.2015 को आवश्यक परिपत्र और सेटेलाइट संदेश जारी किया। सद्‌भावना दिवस का विषय सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्‌भाव बनाए रखना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था।

7. 19 नवम्बर से 25 नवम्बर, 2015 : सांप्रदायिक सद्‌भाव सप्ताह : कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता सप्ताह) 19 नवम्बर, 2015 से 25 नवम्बर, 2015 के बीच मनाया गया। यह दिवस हमारे देश में हर वर्ष 19 नवम्बर से 25 नवम्बर के बीच मनाया जाता है। इसका लक्ष्य राष्ट्र भक्ति, सांप्रदायिक सद्‌भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाना है। कौमी एकता सप्ताह 19 नवम्बर, 2015 को शपथ ग्रहण समारोह के साथ प्रारंभ हुआ। इस निदेशालय में कार्यरत सभी अधिकारी/स्टाफ के सदस्य 19.11.2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली के प्रथम तल पर कांफ्रेंस हाल में एकत्र हुए और महानिदेशक, आकाशवाणी के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता की शपथ ली।

इस निदेशालय में किए गए जीर्णोद्धार कार्य

1. विभागीय कैंटीन का जीर्णोद्धार : इस निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय कैंटीन का दौरा किया और पाया कि कैंटीन का जीर्णोद्धार त्तकाल आवश्यक है। तदनुरूप कैंटीन समिति के परामर्श के साथ इस निदेशालय के सीसीडब्ल्यू अनुभाग द्वारा विभागीय कैंटीन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

2. शौचालयों और कॉरीडोरों का जीर्णोद्धार : आकाशवाणी के सिविल कंस्ट्रक्शन विंग द्वारा आकाशवाणी भवन के शौचालयों और कॉरीडोर का जीर्णोद्धार कार्य भी किया जा रहा है।

3. स्वागत कक्ष का जीर्णोद्धार : आकाशवाणी भवन, प्रसारण भवन और नव-प्रसारण भवन के संयुक्त स्वागत कक्ष का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

4. डिस्प्ले बोर्ड : आकाशवाणी भवन के आसपास कुछ डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर आकाशवाणी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम डिस्प्ले किए जाते हैं।

6. महिला कर्मचारियों के कल्याण संबंधी गतिविधियां।

इस विषय में निम्नांकित बिंदु उल्लेखनीय हैं :

क) प्रसार भारती के स्वामित्व वाले भवनों में आकाशवाणी के अनेक कार्यालय स्थित हैं। इन भवनों में कर्मचारियों के बैठने, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है। स्टाफ के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध हैं और आवश्यकतानुसार महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालयों का प्रावधान किया गया है।

ख) कई स्थानों पर आकाशवाणी के स्वयं के स्टाफ क्वार्टर्स हैं। ये मकान आकाशवाणी (आवासीय क्वार्टर आवंटन) नियम के अनुसार स्टाफ को आवंटित किए जाते हैं।

ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार आकाशवाणी के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके निकट संबंधी, जिसमें मृतक के परिवार की महिला सदस्य भी शामिल है, को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रस्तावित की जाती है।

घ) तकनीशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, इंजीनियरी सहायक, वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक आदि आकाशवाणी स्टाफ को शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ समझा जाता है। उनके मामले में शिफ्ट ड्यूटी उनकी सेवा से संबद्ध है। देर रात शिफ्ट ड्यूटी और असुविधाजनक समय के दौरान महिला कर्मचारियों सहित स्टाफ के सदस्यों को लाने - ले जाने के लिए यथासंभव वाहन की व्यवस्था की जाती है।

ङ) स्टाफ (पुरुष और महिला कर्मचारियों को एक समान) को सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान दिए जाते हैं। आकाशवाणी कर्मचारियों (महिला कर्मचारियों सहित) को सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जाती है।

च) महिला कर्मचारियों सहित आकाशवाणी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान टर्मिनल लाभ दिए जाते हैं।

छ) जिन स्थानों पर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना उपलब्ध है, वहां आकाशवाणी कर्मचारी उसकी सेवाएं लेने के पात्र हैं। अन्य स्थानों पर आकाशवाणी कर्मचारियों को केंद्रीय

सेवाएं (मेडिकल अटेंडेंस) नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ दिए जाते हैं। इन नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट नियुक्त किया जाता है। अनुरोध के अनुसार महिलाओं के लिए पृथक अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट भी नियुक्त की जाती हैं।

ज) आकाशवाणी की अपने कर्मचारियों को उत्साहित करने और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने की एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत कार्यक्रमों और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए वार्षिक आकाशवाणी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महिलाओं को भी पुरस्कृत किया जाता है।

झ) महिला सशक्तिकरण समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए पुरस्कारों की एक नई श्रेणी, अर्थात् सर्वोत्कृष्ट महिला कार्यक्रम के लिए पुरस्कार, 2009 से आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत शामिल की गई। महिला कार्यक्रमों के अधिसंख्य निर्माता महिलाएं हैं। अतः इस नई श्रेणी के पुरस्कारों के जरिए अंत्तः महिलाओं को ही लाभ पहुंचता है।

7. कैट के निर्णयों/आदेशों का अनुपालन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015) के लिए कैट के निर्णयों/आदेशों के आकाशवाणी में कार्यान्वयन के संदर्भ में जानकारी नीचे दी गई है:–

क्रम संख्या	अनुभाग/स्टेशन/कार्यालय	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान लागू किए गए फैसलों/आदेशों की संख्या
1.	महानिदेशकः आकाशवाणी (अनुभाग/स्टेशन/ कार्यालय)	50	34

8. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

1. भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांगजनों सहित सभी के लिए स्पष्ट रूप से एक समावेशी समाज अधिदेशित करता है। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" बनाया है।
2. दिव्यांगजन अधिनियम 1996 से लागू हुआ। परंतु, समूह ग और घ पदों में सीधे भर्ती के मामले में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण काफी पहले नवम्बर, 1987 में ही लागू हो गया था। 1989 में इसे समूह ग और घ पदों की पदोन्नतियों के मामले में भी लागू किया गया। अधिनियम बनने के साथ दिव्यांगजनों को सीधे भर्ती के मामले में पहचान किए गए समूह क और ख पदों में भी आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने दिसम्बर, 2005 में इस विषय में समेकित अनुदेश जारी किए। इन अनुदेशों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अब सीधे भर्ती के मामले में सभी समूहों के पदों में उपलब्ध है। पदोन्नतियों के मामले में यह आरक्षण समूह घ से समूह ग में और समूह ग के भीतर पहचान किए गए पदों के संदर्भ में लागू होता है।
4. प्रसार भारती ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए सभी अपेक्षित उपाय किए हैं। डीओपी एंड टी द्वारा समय-समय पर जारी सभी सम्बद्ध नीति निर्णयों और अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।
5. आकाशवाणी देशभर में फैले अपने केंद्रों के जरिए दिव्यांगजनों के बारे में कार्यक्रम प्रसारित करता है। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं के अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को भी कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। कार्यक्रमों की विषयवस्तु इस तरह से डिजाइन की जाती है कि उससे दिव्यांगजनों को न केवल सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक जागरूकता की दृष्टि से यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और दिव्यांगजनों के प्रति समाज के निष्ठुर दृष्टिकोण को बदलने में भी उपयोगी है।
6. दिव्यांगजनों के लाभ के लिए निदेशालय में कोई विशेष बजट शीर्ष नहीं है, परंतु रैम्प बनाने, विशेष शौचालयों, विशेषकर ग्राउंड फ्लोर पर शौचालय बनाने जैसी सुविधाओं के लिए आकाशवाणी के सीसीडब्ल्यू अनुभाग के बजट शीर्ष 'छिटपुट कार्य' से धन की व्यवस्था की जाती है।

राजभाषा (हिंदी एकांश)

आकाशवाणी निदेशालय (मुख्यालय) का हिंदी एकांश भारतीय संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति समर्पित है और इस बारे में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को कार्यान्वित करने के निरंतर

प्रयास करता है। एकांश विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों/कार्यालयों में वार्षिक कार्यक्रमों में वर्णित लक्ष्यों को भी कार्यान्वित करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान हिंदी एकांश ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अलावा अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए उत्साहित करने हेतु निम्नांकित कार्यों को अंजाम दिया:–

वर्ष 2015-16 में हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा आयोजन की रिपोर्ट और अन्य विशेष कार्य

व्याख्यान मालाएं/कवयित्री सम्मेलनों का आयोजन

आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा 13 मई, 2015 को शाम छह बजे भारतीय विद्या भवन, कोपरनिकस लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में ''अखिल भारतीय कवयित्री सम्मेलन'' का आयोजन किया गया। राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ''श्री गिरिजा कुमार माथुर'' की स्मृति में 18.12.2015 को एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय संसद सदस्य श्री तरुण विजय व्याख्यान देंगे।

हिंदी सेमीनार

राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 3 और 4 सितम्बर, 2015 को महाराष्ट्र में स्थित आकाशवाणी केंद्रों/कार्यालयों के लिए नागपुर में हिंदी सेमीनार आयोजित किया गया।

2015-16 में हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा आयोजन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हर वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आकाशवाणी महानिदेशालय हमेशा यह आयोजन करने का प्रयास करता है। इस परम्परा को ध्यान में रखते हुए 14 सितम्बर, 2015 को हिंदी दिवस मनाया गया और 15.09.2015 से 30.09.2015 के बीच हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। ये आयोजन महानिदेशक श्री एफ. शहरयार के मार्गदर्शन के अंतर्गत आयोजित किया गया। विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और गृहमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा सीईओ, प्रसार भारती के संदेश इस अवसर पर पढ़ कर सुनाए गए।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी में 19 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई और उनके लिए अलग से हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। 114 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों के लिए चुना गया। इन पुरस्कारों पर कुल रुपये 1,99,500/– खर्च किए गए।

श्री अमिताभ शुक्ला, अपर महानिदेशक ने पुरस्कार वितरित किए। डीडीजी (ए एंड एफ), श्री राशिद अब्बास अंसारी नें भी पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी में काम करें ताकि उनके मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिले।

हिन्दी कार्यशाला

इस वर्ष अभी तक तीन हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें हिन्दी में काम–काज करते समय आने वाली समस्याओं के समाधान किए गए। ''कंम्प्यूटरों में यूनिकोड के इस्तेमाल'' के बारे में एक कार्यशाला 10.06.2015 को आयोजित की गई, जिसमें सहायक निदेशक श्री राजेश श्रीवास्तव ने कर्मचारियों को कंम्प्यूटरों में यूनिकोड के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। ''कार्यालयी टिप्पण/प्रारूपण में हिन्दी के इस्तेमाल'' के बारे में 12.06.2015 को आयोजित की गई, जिसमें श्री राकेश दूबे, (उपनिदेशक राजभाषा) ने हिन्दी में टिप्पण/प्रारूपण करते समय कर्मचारियों को आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की और उनके समाधान भी सुझाए। एक अन्य कार्याशाला 28.07.2015 को आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती रिचा बनर्जी, संयुक्त निदेशक राजभाषा ने ''भाषा की उपयोगिता और राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति के बारे में कार्यशाला में मौजूद कर्मचारियों के साथ विचार–विमर्श किया।''

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (केंद्र) का कार्य

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (केंद्र) के 150 कार्यालय/सदस्य हैं और आकाशवाणी के महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं। 17.04.2015 को 'श्री जयशंकर प्रसाद' की स्मृति में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जाने–माने कवि और लेखक श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

अखिल आकाशवाणी राजभाषा सम्मेलन

अखिल आकाशवाणी राजभाषा सम्मेलन 15 जनवरी, 2016 को दिल्ली में आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिसमें आकाशवाणी के सभी केंद्र/कार्यालय हिस्सा लेते हैं।

न्यू मीडिया विंग

1945 में स्थापित किए गए अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नाम बदलकर अब न्यू मीडिया विंग कर दिया गया है। यह सूचना व प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना प्रदान करने वाली इकाई के तौर पर कार्य करती हैं।

यह मंत्रालय के उपयोग के लिए इसकी मीडिया इकाइयों और जनसंचार से जुड़े अन्य लोगों को पृष्ठभूमि, संदर्भ और अनुसंधान सामग्री प्रदान करता है। 4 सितंबर, 2013 को जारी मंत्रालय की आदेश संख्या A50013/167/2013–के अनुसार न्यू मीडिया विंग मंत्रालय में नए स्थापित किए गए सोशल मीडिया सेल को कार्यात्मक और परिचालन सहायता प्रदान करता है। न्यू मीडिया सेल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (पी एंड ए) करते हैं। ओएसडी (सी) संयुक्त सचिव के सहायक के बतौर कार्य करते हैं। न्यू मीडिया विंग के बुनियादी ढांचे में

सभी मौजूदा कर्मचारी/अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग शामिल हैं। मंत्रालय के सोशल मीडिया सेल से जुड़े भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए तथा बी के अधिकारी न्यू मीडिया विंग को मजबूत बनाने के लिए इसके साथ भी जुड़े हैं। ये अधिकारी सीधे न्यू मीडिया विंग के अतिरिक्त निदेशक को रिपोर्ट करते हैं, जो कि बाद में मंत्रालय को रिपोर्ट करता है।

संगठनात्मक ढांचा

न्यू मीडिया विंग का मुख्यालय नई दिल्ली लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्पलेक्स के सूचना भवन में हैं। दो निदेशक और सहयोगी स्टाफ के साथ इसका नेतृतव अतिरिक्त निदेशक करते हैं।

मुख्य गतिविधियां

सोशल मीडिया

जून 2014 से 24X7 कार्यशैली के आधार पर प्रतिदिन मीडिया विंग मीडिया रिपोर्ट से संबंधित भेजी गई रिपोर्ट, संदर्भ विश्लेषण, ईएमएमसी की रिपोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री के दौरे की रिपोर्ट, बाढ़ और अन्य राष्ट्रीय घटनाओं की रिपोर्टों की जांच और देखरेख कर रही है और इन्हें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को उपलब्ध करा रही है।

भारत- एक संदर्भ वार्षिकी

केंद्रीय मंत्रियों, विभागों, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, स्वतंत्र इकाइयों के विकास और प्रगति के बारे में डिवीजन एक संदर्भ पुस्तक भारत– एक संदर्भ वार्षिकी को संकलित करती है। इसी के साथ यह हिंदी में भी भारत शीर्षक से प्रकाशित होती है। इस वर्ष की किताब–2016 का संकलन पूरा हो गया था और इसे प्रकाशन विभाग को प्रकाशन के लिए भेज दिया गया था।

घटनाओं की सूची

डिवीजन घटनाओं की एक पाक्षिक डायरी बनाता है। यह रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर केंद्रित है।

प्रमुख पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट

डिवीजन उन प्रमुख पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है, जिनका एफडीआई में शेयर होता है और जिन्हें सिर्फ कुछ खास विषयों पर भारत में प्रकाशन के लिए अनुमति है। इन पत्रिकाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाती है कि इनके प्रकाशक सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं या नहीं।

वक्तव्य/संदेश

जब भी जरूरी हो, तब माननीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय और इनके सचिव के लिए वक्तव्य/संदेश और बातचीत के मुद्दे तैयार किए जाते हैं।

संदर्भ पुरस्कालय

विभाग के पास एक सुगठित पुस्तकालय है। इसमें विभिन्न विषयों से जुड़े दस्तावेजों का बड़ा संकलन, चुनी गई पत्रिकाओं के जिल्दसहित अंक और मंत्रालयों, समितियों और संगठनों की विभिन्न रिपोर्ट्स हैं। इसके संकलन में पत्रकारिता, पब्लिक रिलेशन, विज्ञापन, ऑडियो–विज्युअल मीडिया, एनसाइक्लोपीडिया सीरीज इत्यादि विभिन्न विषयों और प्रासंगिक लेखों से जुड़ी किताबें हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ मान्यता प्राप्त विदेशी और भारतीय पत्रकार भी इस पुस्तकालय का लाभ ले सकते हैं।

tu lapkj ij jk"Vh; nLrkostdj.k dsaæ ¼,uMhlh,elh½

विभाग के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति की सिफारिश पर सन् 1976 में जन संचार पर राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र का गठन किया गया। इसका कार्य पत्र–पत्रिकाओं के जरिये जनसंचार से जुड़े चलन और घटनाओं के बारे में सूचना का संकलन, विश्लेषण और प्रसार करना था। एनडीसीएमसी मास मीडिया और संचार पर उपलब्ध मुख्य समाचार, लेखों और अन्य सूचनाओं का दस्तावेजीकरण करता है।

इसका वर्तमान कार्य सूचना के प्रसार के लिए संकलन से लेकर दस्तावेजीकरण तक है। संकलित की गई सूचना का प्रसार चयनित लेख के वर्तमान जागरूकता सेवा–एनोटेट सूचकांकय ग्रंथ सूची सेवा लेख का विषय सूचकांक एनोटेटय फिल्म उद्योग में विभिन्न घटनाओं का सार फिल्म के बुलेटिन, मास मीडिया के क्षेत्र में सामयिक हित के विषय पर संदर्भ जानकारी सेवा–पृष्ठभूमि पत्र, मास मीडिया में कौन क्या है– प्रमुख मीडिया व्यक्तिवों की आत्मकथा, जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कार – जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कारों का ब्योरा जैसी सेवाओं के जरिये करता है। इस दौरान केंद्र ने 31 ऐसी अन्य सेवाएं भी शुरू की।

सतर्कता गतिविधियां

1) मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालाओं में संगठन के लिए की गई सतर्कता गतिविधियों की जानकारी।

2) सूचना व प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं।

   i) इस दौरान निवारक सतर्कता गतिविधियां

   ii) इस दौरान नियमित निरीक्षण किए गए। इस दौरान किए गए औचक निरीक्षण

3) निगरानी और जांच गतिविधियां

   i) इस दौरान निगरानी के लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा।

   ii) न्यू मीडिया विंग एक छोटा अधीनस्थ कार्यालय है और नियम के अनुसार इसमें निगरानी के लिए सीमित गुंजाइश है।

निगरानी में रखने के लिए पाए गए व्यक्तियों की संख्या -कोई नहीं

4) दंडात्मक गतिविधियां (4(प) जव (ग) संख्या के खिलाफ संकेत (जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य है)

i) इस दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या। शून्य

ii) मामलों की संख्या में जिनमें प्रारंभिक जांच की गई शून्य

iii) मामलों की संख्या में जिनमें प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई शून्य

iv) जिन मामलों की संख्या जिनमें दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए। शून्य

v) वे मामले जिनमें मामूली दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए थे शून्य

vi) व्यक्तियों की संख्या जिन पर भारी जुर्माना लगाया गया था शून्य

vii) जिन पर मामूली जुर्माना लगाया गया था उन व्यक्तियों की संख्या शून्य

viii) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें निलंबन के अंतर्गत रखा गया शून्य

ix) उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर चेतावनी जारी करने जैसे कदम उठाए गए शून्य

x) व्यक्तियों की संख्या जो नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समय से पहले सेवानिवृत हुए शून्य

फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तार/कैट के आदेश

क्रमांक	मीडिया इकाइयां/विभाग	वर्ष 2014/15 के लिए कैट से प्राप्त किए ऑर्डर की संख्या	2014–15 के दौरान आए न्यायिक फैसलों की संख्या
1.	न्यू मीडिया विंग	शून्य	शून्य

न्यू मीडिया सेल

न्यू मीडिया सेल, ट्वीटर, यू–ट्यूब, फेसबुक, एमआईबी ब्लॉग, गूगल़ पेज और इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना के प्रसार द्वारा सरकार और जनता के बीच एक आभासी इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इन प्लेटफार्मों के उपयोग ने संवादात्मक रूप से प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलनों, जैसे संचार के परंपरागत रूपों के प्रसारण में मदद की है।

यह उत्साह सूचना व प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल @MIB_India, के जरिये भी प्रदर्शित होती है, जिसके 4,44,000 ट्वीटर फॉलोअर्स हैं। वहीं सचूना व प्रसारण मंत्रालय के फेसबुक पेज को 11,55,982 लाइक्स मिल चुके हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय का आधिकारिक यूट्यूब चैनल 4,333,716 बार देखा जा चुका है। वहीं इसके गूगल़ पर 1,212,931 फॉलोअर्स हैं। मंत्रालय के ब्लॉग http:www.inbministry.blogspot.in की भी 2,155,945 लोगों की दृश्यता दर्ज की जा चुकी है।

वर्ष 2015-16 के लिए नए मीडिया सेल की मुख्य विशेषताएं

- न्यू मीडिया सेल ने 67 वें गणतंत्र दिवस समारोह के एक भाग के रूप में सोशल मीडिया प्रतियोगिताएं जैसे फेसबुक पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, @MIB_India ट्वीटर प्रतियोगिता और ग्रैफिटी प्रतियोगिता का आयोजन किया। विजेताओं को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्हें सूचना व प्रसारण मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।
- इफ्फी–2015–8 टॉल्केथॉन्स की विशेष कवरेज करवाई गई, इफ्फी–2015 एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप के जरिये गोवा के पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। फिल्म सूची और सम्मान–पुरस्कार इत्यादि पर विशेष ग्राफिक प्लेट्स बनाई गईं और उद्घाटन व समापन समारोह की लाइव कवरेज की गई।
- साल 2015–16 के लिए न्यू मीडिया सेल द्वारा सुलभ भारत, सड़क सुरक्षा, बजट 2014–15, आईएफएफआई, गोवा, COP21 पर कुल 16 टॉल्केथॉन्स आयोजित की गईं। टॉल्केथॉन न्यू मीडिया सेल की एक अनोखी पहल है, जहां ट्वीटर पर पूछे गए सवालों के लाइव जवाब दिए जाते हैं।
- सरकार के एक साल पूरे होने के दौरान विभिन्न सरकारी पहलों की सफलता की कहानियों पर कार्टून स्ट्रीप और विशेष इंफोग्राफिक तैयार किए गए और एमआईबी के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया।
- 67वीं गणतंत्र दिवस परेड, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, साल एक शुरुआत अनेक, एकता दिवस, स्वच्छ भारत वर्षगांठ इत्यादि अवसरों की विशेष कवरेज और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के विशेष अवसर जैसे गोवा में भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, नॉर्थ–ईस्ट फिल्म फेस्टिवल इत्यादि भी न्यू मीडिया सेल द्वारा क्रियान्वित किए गए।

प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)

1. बेसिल का संक्षिप्त इतिहास

प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारत द्वारा ISO 9001:2008 मान्यता प्राप्त मिनी रत्न, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। संप्रेषण और उत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 24 मार्च, 1995

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस – 2016 के अवसर पर आयोजित सोशल मीडिया प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करते हुए श्री अरुण जेटली

को इसकी स्थापना की गई। इसमें स्थलीय और उपग्रही प्रसारण के विशेष क्षेत्र, केबल और विभिन्न आईटी संबंधी क्षेत्र जिसमें ऑडियो–वीडियो सिस्टम भी शामिल हैं, में विशेषज्ञ समाधान देना भी शामिल है।

बेसिल सभी प्रकार के प्रसारण और वितरण के स्टेशनों के संचालन और रखरखाव का कार्य भी करती है।

बेसिल के पास विशेषज्ञों का एक दल और प्रसारण के विभिन्न क्षेत्रों से शामिल किए गए विशेषज्ञों का समूह है। यह लगातार नवीनतम तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने कौशल में सुधार कर रही है। प्रोजेक्ट के कार्य और प्रसारण तंत्र के रखरखाव के साथ–साथ बीईसीआईएल तकनीक कुशल व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और रोज़गार भी उपलब्ध कराती है और सभी प्रकार के प्रसारण तंत्र के कार्य और विकास के लिए भारत के विभिन्न विभागों को विशेषज्ञ उपलब्ध कराती है।

बेसिल के ग्राहकों में सरकारी, अर्ध सरकारी, विदेशी और निजी संगठन तक शामिल हैं। इसे कई तरह की पहल करने का श्रेय जाता है। मसलन भारत में पहला टेलीपोर्ट, भारत में पहला बहुविकल्प एफएम प्रसारण तंत्र, जिसमें बंगलुरु में 7 एफ एम चैनल भी शामिल हैं। पहला लोकसभा टीवी और राष्ट्रपति सचिवालय के लिए एचडीटीवी स्टूडियो डिजाइन कराना।

2. कार्य के क्षेत्र तथा तरीके

- कार्य के क्षेत्र
- प्रसारण इंजीनियरिंग
- सूचना व प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना।
- कार्य के तरीके
- सलाह देना
- समाधान देना
- सिस्टम इंटीग्रेशन
- डिपोजिट वर्क

3. व्यावसायिक गतिविधि

- विशेषज्ञता के क्षेत्र
- सूचना व प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं देना।
- एफएम प्रसारण
- टीवी चैनलों की स्थापना
- टेलीपोर्ट्स की स्थापना
- डिजिटल न्यूज रूम सिस्टम का डिजाइन तैयार करना।
- डायरेक्ट टू होम सिस्टम
- भारतीय मानकों के अनुरूप वायर-लाइन प्रसारण नेटवर्क को पुख्ता करना।
- सैटेलाइट के जरिये दूरस्थ शिक्षा सुविधा
- सीसीटीवी, निगरानी और जांच योजना
- कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना
- ध्वनिकी, स्टेज प्रकाश, ध्वनि सुदृढीकरण प्रणाली

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह – 2015 के दौरान आयोजित टॉकाथन में सवालों का जवाब देते श्री श्याम बेनेगल

- वायरलाइन नेटवर्किंग में प्रशिक्षण
- सरकारी संगठनों को प्लेसमेंट सुविधा उपलब्ध कराना।

4. लक्ष्य

स्थलीय, केबल और भारत में और विदेशों में उपग्रह प्रसारण के माध्यम से आधुनिकीकरण और रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाना और उत्कृष्टता हासिल करना।

5. उद्देश्य

1 ग्राहकों की एक व्यापक श्रेणी को विशेष और अनुकूलित समाधान प्रदान करके बाजार में मौजूद हिस्सेदारी बढ़ाना

2 प्रसारण से जुड़ी नीति निर्माण और नियमन के लिए विभिन्न दस्तावेज तैयार करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना।

3 विदेशी बाजार में मौकों की तलाश

4 उत्पाद विकास के लिए बाजार शोध करना।

5 टीवी चैनलों और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के लिए सैटेलाइट अपलिंक और डाउनलिंक सिस्टम तैयार करना।

6 प्रसारण केंद्रों के कार्यप्रणाली की स्थापना और रखरखाव

7 प्रशिक्षण देकर प्रसारण पेशेवर उपलब्ध करवाया

8 विशेष प्रसारण उपकरणों का विकास, निर्माण और डिजाइन करना

पूरी की जा चुकी और की जा रही योजनाओं का सार

- योजना विशेष (चालू वर्ष)
- 24x7 राज्यसभा टीवी चैनल की स्थापना
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)का विस्तार
- झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रसारण उपकरणों की एसआईटीसी
- राष्ट्रपति भवन के लिए मल्टीमीडिया स्टूडियो का रखरखाव
- ईएमएमआरसी कालीकट और ईएमएमआरसी डिब्रूगढ़ में प्रसारण उपकरणों की एसआईटीसी
- नोएडा में खुले विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय संस्थान में एचडीटीवी स्टूडियो सेटअप।
- रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में टीवी स्टूडियो सेटअप की एसआईटीसी।

- 4 महानगरों और दूरदर्शन के 15 केंद्रों पर डीटीटी दूरदर्शन एंटिना की एसआईटीसी।
- आईडीएनसीए में प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति, परीक्षण और सौंपना।
- डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षण (डीएएस)।
- सोशल मीडिया संवाद केंद्र।
- बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए ध्वनि मुक्त कक्ष।
- कर्नाटक के सूचना विभाग में कार्य और रखरखाव के साथ बहुविकल्पीय टीवी चैनल प्रणाली का एसआईटीसी।
- आईआईएससी, बंगलुरु के जीएटीई विभाग में ऑडियो और वीडियो सुविधाओं के साथ बोर्ड रूम की व्यवस्था।
- चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय की तमिल वर्चुअल अकेडमी में ऑडिटोरियम, टीवी स्टूडियो और तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था।
- दूरदर्शन के लिए 5.1 साउंड प्रोजेक्ट।
- अहमदाबाद के डॉ. भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के लिए टीवी स्टूडियो और इंटरनेट रेडियो स्टूडियो की व्यवस्था।

क्रियान्वित की गई मुख्य योजनाएं

- आंतरिक सेवाओं के लिए एआईआर राजकोट और एआईआर चीनसुरह के लिए पूर्णतः ठोस अवस्था 1000 किलोवाट चालू डीआरएम की आपूर्ति, परीक्षण और चालू करने के साथ ही संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण।
- राज्यसभा टीवी के लिए राज्यसभा में आठ कैमरों के रोबोटिक सेटअप की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण।
- प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण और ढाका के बांग्लादेश टेलीविजन के लिए टीवी चैनल की स्थापना।
- एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और रक्षा विद्युत शोध प्रयोगशाला के लिए VMAS I & II to M/s. की आपूर्ति
- मालदीव राष्ट्रीय प्रसारण संस्था को सी–बैंड सैटेलाइट अपलिंक प्रोजेक्ट की आपूर्ति।
- आकाशवाणी प्रसार भारती को 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों के 6बे के 31 और 4बे 13 वीएचएफ के एफएम एंटीना सिस्टम और अतिरिक्त की आपूर्ति।
- लोकसभा टेलीविजन को प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति।
- मैसूर विश्वविद्यालय के क्रॉफोर्ड हॉल का ध्वनिक उपचार।
- इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में ई–कक्षाएं।
- जामिया मिलिया इस्लामिया में टीवी स्टूडियो का उन्नतिकरण।

सरकार का एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित टॉकाथन

- शैक्षिक सलाहकारों के सहायक संघ के लिए टीवी स्टूडियो सेटअप का, हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग रिसर्च केंद्र का, पटियाला, इंदौर, जोधपुर, रुड़की, मैसूर और चेन्नई का एसआईटीसी की स्थापना।
- केंद्रीय सचिवालय के लिए तीन गति आवधिक एंटीनाओं के तीन सेटों की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और शुरुआत।

7. बेसिल - प्रबंधन व संगठन

निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामांकित एक अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक (कार्य प्रणाली व विपणन), दो निदेशक और एक अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक शामिल होता है। निदेशक स्तर से नीचे महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबधक, और सहायक प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक शामिल हैं। परियोजना का काम आगे कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए सलाहकारों और परियोजना प्रबंधकों को सौंपा है।

वर्तमान में निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं–

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (प्रभारी) एवं पूर्णकालिक निदेशक : श्री जॉर्ज कुरुविला

सरकार द्वारा नामांकित निदेशक : श्री पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव (बी)

सरकार द्वारा नामांकित निदेशक : श्री विजय कुमार चौबे, सीसीए, सूचना व प्रसारण मंत्रालय

8. वित्तीय विशेषताएं

8.1 साल 2013–14 के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे दिया गया है–

(रुपये लाख में)

	fooj.k	o"k	o"k
		2014-15	**2013-14**
A	संचालन का परिणाम		
	संचालन से आय	8609.56	7270.73
	जमा कार्य का मूल्य	3995.22	4874.96
	साल के दौरान कुल व्यवसाय	**12604.78**	**12145.69**
	लागत (कुल जमा कार्य शामिल)	12112.12	11543.33
	संचालन लाभ/हानि	**492.66**	**602.36**
	वित्तीय लागत	520.92	410.31
	अवमूल्यन और परिशोधन	238.38	132.16
	संदिग्ध प्राप्तियों और अग्रिम के लिए भता	5.32	0
	पूर्व अवधि समायोजन और विशेष वस्तुएं	-14.77	8.39
	खर्च से पहले लाभ/(हानि) कर	**-257.19**	**51.50**
	आस्थगित कर	-118.40	39.66
	खर्च के बाद लाभ/(हानि) कर	**-138.79**	**11.84**
	प्रस्तावित लाभांश	0	0
	लाभांश पर कर	0	0
	जनरल रिजर्व के लिए स्थानांतरण	0.00	5.00
	प्रत्येक शेयर पर आय/हानि (रुपयों में)	**-102.00**	**9**
ख.	धननिधि का स्रोत		
	जारी सदस्यता और पूंजी रिजर्व और अधिशेष प्रदत	136.50	136.50

	fooj.k	o"k	o"k
		2014-15	**2013-14**
	आरक्षित और अधिशेष	2023.51	2163.79
	गैर–मौजूदा देनदारियां	1522.01	646.16
	मौजूदा देनदारियां	10938.12	9322.49
	कुल	**14620.14**	**12268.94**
	निधि का इस्तेमाल		
	अचल संपत्तियां	1237.53	1457.33
	वर्तमान संपत्तियां	9143.76	6187.82
	आस्थगित कर संपति (नेट)	456.03	337.63
	अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	3782.82	4286.16
	कुल	**14620.14**	**12268.94**
ग.	अन्य सूचना		
	अधिकृत पूंजी	**250.00**	**250.00**
	नियोजित पूंजी	2160.01	2300.29
	कुल मूल्य	1703.98	1962.66

8.2 शेयर पूंजी

बीईसीआईएल का 250 लाख की आधिकारिक पूंजी दी गई थी। 1995–96 के लिए प्रदत शेयर 25 लाख से बढ़कर 136.5 लाख हुए हैं। फिलहाल केंद्र सरकार के पास 100% इक्विटी शेयर पूंजी है। बीईसीआईएल को सरकार से किसी भी प्रकार का बजटीय सहयोग नहीं मिलता है।

8.3 प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष के दौरान बीईसीआईएल ने पिछले वर्ष की तुलना में डिपोजिट वर्क के अतिरिक्त अपने राजस्व में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की। हालांकि डिपोजिट वर्क से हुए राजस्व घाटे के कारण इस वर्ष के दौरान कुल लाभ सिर्फ 4% तक ही बढ़ सका। वित्तीय लागत और मूल्यह्रास और परिशोधन क्रमशः 27% और 80% की दर से बढ़ा है,जिसके नतीजे में 138.79 लाख रुपये का घाटा हुआ है। बीईसीआईएल ने द्वितीय अनुसूची के तहत निर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बताई गई अनुमानित अचल संपतियां के संदर्भ में मूल्यह्रास घनन पर दोबारा काम किया है। नतीजतन मूल्यह्रास के लिए कीमत 115.19 रुपये बढ़ी है।

9- वर्ष के दौरान प्रबंधन पहल और व्यापार गतिविधियां

वर्ष के दौरान समीक्षा के अंतर्गत बीईसीआईएल ने निम्नलिखित मुख्य योजनाओं पर कार्य किया –

9.1 राज्यसभा टीवी चैनल के संचालन के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल और दो मंजिलों की फर्निशिंग के कार्य सहित समाचार ऑटोमेशन सिस्टम

इस योजना के अंतर्गत बीईसीआईएल को निम्निलिखित कार्यों का पुरस्कार दिया गया :

- तालकटोरा स्टेडियम में राज्यसभा टीवी चैनल के लिए सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, फायर अलार्म और गैस फ्लडिंग सिस्टम का एसआईटीसी
- तालकटोरा स्टेडियम में न्यूज रूम के लिए फाइबर आधारित उपकरणों और सामान्य प्रयोजनों से जुड़ी सुविधा का एसआईटीसी
- खासतौर पर डाटा केंद्र के लिए राज्यसभा टीवी चैनल के केंद्रीय उपकरण कक्ष में प्रेसिशन एसी का एसआईटीसी
- स्वास्थ्य जांच के साथ तालकटोरा स्टेडियम में 3x20 केवीए सिस्टम तंत्र का एसआईटीसी

- राज्यसभा टीवी के लिए मनोरंजन के क्षेत्रों जैसे क्रैश वगैरह के विकास और इंटीरियर डिजाइन के लिए सलाह
- प्रशासनिक और तकनीकी सुविधाओं के साथ 10,000 स्क्वायर फिट माप की न्यूजरूप सुविधा तैयार करना
- राज्यसभा टीवी की सुविधा के लिए सिविल, एचवीएसी, आईटी एवं इलेक्ट्रिकल कार्य की व्यवस्था

9.2 600 टीवी चैनलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेटअप की स्थापना और शुरुआत

टीवी चैनलों की निगरानी के लिए मीडिया निगरानी सुविधा के विस्तार के लिए, दिल्ली के सूचना भवन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र में केंद्रीकृत एफएम निगरानी तंत्र में टर्नकी पार्टनर के रूप में जुड़ा है।

परियोजना में ईएमएमसी की निगरानी क्षमता 300 से 1500 उपग्रह टीवी चैनल तक बढ़ाना और एक केंद्रीकृत निगरानी एफएम सुविधा सेटअप करना शामिल है।

आलोच्य वर्ष के दौरान क्रियांवित हो रहे कार्यों में शामिल हैं–

a) नई दिल्ली सूचना भवन में दसवीं मंजिल पर ईएमएमसी लगाने का सिविल एवं इंटीरियर/प्लंबिंग/इलेक्ट्रीकल/एसवीएसी व आईटी नेटवर्किंग कार्य

b) 600 टीवी चैनलों के लिए आरएफ डाउनलिंक सिस्टम का एसआईटीसी।

c) 600 टीवी चैनलों और 400 रेडियो चैनलों के मीडिया निगरानी सेटअप का एसआईटीसी

9.3 लोकसभा टीवी चैनल का उन्नयन

बेसिल को संसद भवन परिसर में टेलीपोर्ट प्रणाली स्थापित करने और उसका रखरखाव करने के साथ ही संसद मार्ग पर लोकसभा टीवी चैनल के लिए सर्वर स्वचालन प्रणाली के उन्नयन का काम सौंपा गया है।

9-4 लोकसभा टेलीपोर्ट और एडुसेट, हरियाणा के लिए एएमसी

बेसिल को ऑडियो/वीडियो लॉगर, केंद्रीय भंडारण और इससे जुड़े संबंधित उपकरणों, के एएमसी का कार्य सौंपा गया है। इसमें शामिल है 320 केवीए डीजी सेट का एएमसी और 60 केवीए का एएमसी और हरियाणा में लोकसभा टेलीपोर्ट और एडुसेट के 40 केवीए यूपीएस सिस्टम का एएमसी

9-5 आकाशवाणी, प्रसार भारती की 18 साइट्स पर 16 पैनल एंटिना का एसआईटीसी

प्रसार भारती आकाशवाणी ने 18 साइट्स पर संबंधित उपकरणों के साथ 16 पैनल एंटीना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और इनकी शुरुआत के लिए ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से हासिल किया गया है।

इस योजना का आपूर्ति हिस्सा वर्ष 2014–15 के दौरान पूरा कर लिया गया। स्थापना, परीक्षण और इनकी शुरुआत की योजना सन् 2015–16 के लिए की गई है।

आपूर्ति किए गए वाइड बैंड एंटिना एफएम बैंड में कार्य करता है और इसमें 4 पैनलों के 4 हिस्सों का अपरचर है, जिससे 16 पैनल एंटिना तैयार होता है। टॉवर के गोलाकार हिस्से पर बढ़ाई गई व्यस्था के साथ सिस्टम का चक्रीय रूप से ध्रुवीकृत है। इस ऑर्डर में 3 इंच और 4 इंच आकार की आरएफ केबल और संबंधित उपकरण एंटीना, स्विच, रिजिड लाइन और डिहाइड्रेटरर भी शामिल है।

9.6 दूरदर्शन की तीन साइटों पर सुपरटर्नस्टाइल एंटिना का एसटीसी

बेसिल ने तीन साइटों पर वीएचएफ और यूएचएफ सुपरटर्नस्टाइल एंटीना की आपूर्ति, परीक्षण और इन्हें चालू कराने के लिए ऑर्डर हासिल कर लिया है। यह ऑर्डर वैश्विक निलामी प्रतियोगिता के जरिये हासिल किया गया। इस योजना का आपूर्ति हिस्सा वर्ष 2014–15 के दौरान पूरा कर लिया गया। परीक्षण और इसे चालू करने का कार्य दूरदर्शन द्वारा स्थापना किए जाने पर निर्भर करता है। इसे 2015–16 में पूरा करने की योजना है।

9.7 निगरानी और अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (एसएसीएमएस)

यह भारत में इस तरह की पहली योजना है।

यह उपभोक्ताओं की जरूरत और दूरस्थ निगरानी, एकीकृत नियंत्रण, और केंद्रीय सुरक्षा प्रबंधन उपलब्ध कराने वाले कोड्स के आधार पर दिल्ली की कुछ अहम इमारतों के डिजाइन, खरीद, स्थापना, एकीकरण, परीक्षण कमीशन और संबद्ध सेवाओं के बारे में है। एसएसीएमएस कड़े नियमों के आधार पर और सुरक्षा की अत्याधुनिक तकनीक, विश्वसनीयता के उच्चतम स्तर और इंट्रानेट, इंटरनेट, लैन, वैन जैसे नेटवर्किंग ढांचे के लिए एकीकृत और प्रतिबद्ध है। एसएसीएमएस में सभी इंटरेफस टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी पर आधारित हैं।

सुरक्षित डाटा ट्रांसमशिन नेटवर्क परियोजना (एसडीटीएन)

इस परियोजना की परकिल्पना पी 2 पी डाटा हस्तांतरण, आईपी टेलीफोनी, वीडियो आदि सेवाएं प्रदान करने वाले आईपी आधारित डाटा नेटवर्क के रूप में की गई है।

इस परियोजना से गोपनीयता का उच्चतम स्तर और गारंटी के साथ क्यूओएस जैसी विशेषताओं की उम्मीद की जाती हैं। जाहिर तौर पर किसी भी तरह के राष्ट्रीय स्तर के संकट पर काबू पाने और उसके प्रबंधन की दक्षता के लिए सही जानकारी का समय पर मिलना महत्वपूर्ण है। इस चुनौती का सामना एक विश्वसनीय, मजबूत, गतिशील और दुनिया के अग्रणी संचार नेटवर्क के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। 20 स्थानों पर सुरक्षित माहौल में हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर की सुविधा देने वाला

सिक्योर डाटा नेटवर्क सॉल्युशन वाइड एरयिा नेटवर्क में ओएफसी पर एसटीएम-1 कम्युनकिेशन चैनल के सहयोग से ऐसा करने में सक्षम है।

भू-आधारित एलिंट प्रणाली (जीबीईएस)

यह परियोजना 0.5 GHz से 18 GHz बैंड के भीतर रडार उत्सर्जन का पता लगाने, दिशा खोजने, विश्लेषण और वर्गीकरण के लिए है। यह डिजिटल रिसिवर्स पर आधारित स्पंदित और सत्त तरंग संकेतों के लिए आईबीडब्ल्यू सटीक पहचान और लक्ष्यों की खोज के भीतर अत्यंत उच्च संभावना के साथ संकट-सूचना देते हैं। इस सिस्टम में खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताएं, मिशन के दौरान एलिंट की प्रोसेसिंग करना या आगे के विश्लेषण के लिए डाटा रिकॉर्ड करना भी शामिल है।

बंगलुरु के टाउन हॉल में तकनीकी सुवधिाओं का नवीनीकरण

बृहत बंगलुरु महानगर पालकिा (बीबीएमपी) ने बेसिल को डीपीआर तैयार करने, परियोजना प्रबंधन, टाउनहॉल में तकनीकी सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए सलाह इत्यादि के लिए अपने साथ शामिल किया। टाउन हॉल बंगलुरु का राजसी शान और भव्यता का प्रतीक है। इस सभागार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तरह-तरह के आयोजनों के लिए आम जनता, शैक्षिक संस्थानों और सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है। बीबीएमपी ने इसे विश्व स्तरीय सभागार के रूप में तैयार करने के लिए इसके नवीनीकरण और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह व्यापक परियोजना रिपोर्ट सुविधाओं, डिजाइन, सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा, मात्रा के आंकलन के बिल, और टाउन हॉल को एक विश्व स्तरीय सभागार बनाने हेतू पूर्ण स्वचालन के साथ नवीकरण कार्य से जुड़े सभी आवश्यक मरम्मत कार्य लेने के लिए काम करता है।

हैदराबाद में सोसायटी फॉर आंध्र प्रदेश नेटवर्क (सेपनेट) के लिए माना टीवी और एचडी टीवी स्टूडियो की स्थापना

बेसलि ने हैदराबाद की सोसायटी फॉर आंध्र प्रदेश नेटवर्क (सेपनेट) के द्वारा टीवी स्टूडियो परिसर में अन्य तकनीकी सेटअप के साथ संयोजन शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण के लिए एचडीटीवी स्टूडियो लगाने की योजना का कार्य पूरा किया। अतिरिक्त मदों के साथ सौंपा गया काम समय सीमा के भीतर पूरा हो चुका है।

9.11 छतीसगढ़, रायपुर में मुख्यमंत्री आवास में टीवी स्टूडियो

बेसिल को छतीसगढ़, रायपुर में मुख्यमंत्री आवास में एचडीटीवी स्टूडियो और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए छतीसगढ़ संवाद द्वारा चुना गया। इस परियोजना में योजना बनाना, डिजाइन करना, आपूर्ति, स्थापना, टेस्टिंग और प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है। परियोजना समझौता ज्ञापन में उल्लेख की गई समय सीमा के भीतर पूरा किया गया।

बीएओयू इंटरनेट रेडियो और टीवी स्टूडियो

अहमदाबाद की डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने वहा एचडी टीवी स्टूडियो और इंटरनेट रेडियो स्टेशन लगाने के लिए बेसिल को चुना। इस योजना में एवीएसी कार्य, विद्युत कार्य, स्टूडियो लाइट, फायर अलार्म, टीवी स्टूडियो और इंटरनेट रेडियो स्टेशन और सीडीएन के जरिये ऑडियो व वीडियो कंटेंट की स्ट्रीमिंग और ध्वनिक उपचार इत्यादि का पूरा इंतजाम शामिल है। परियोजना समझौता ज्ञापन में उल्लेख की गई समय सीमा के भीतर पूरा किया गया। इसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

बंगलुरु में एचएएल सभागार के लिए ध्वनिक उपचार, पेशेवर ध्वनि सुदृढीकरण और ऑडियो/वीडियो और संबद्ध सुविधाएं प्रदान करना

बंगलुरु में एचएएल सभागार के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इंटीरियर और ऑडियो वीडियो सुविधाएं स्थापित करने के लिए निकाला गया टेंडर बेसलि ने हासिल किया। कार्य के ऑर्डर के मुताबकि बेसलि इस परियोजना पर कार्य कर रहा है।

- बंगलुरु की विधान सभा और विधान परिषद के लिए सीसीटीवी का नवीनीकरण

कर्नाटक सरकार ने बंगलुरु की विधानसभा और विधानपरिषद में सीसीटीवी के नवीनीकरण के लिए बेसलि को अपने साथ शामिल किया। कार्य आदेश में दिए गए समय के अनुसार ही यह परियोजना पूरी कर ली गई।

10. भविष्य की व्यावसायिक गतिविधि

भवष्यि में संभावित बेसलि की व्यावसायकि गतिविधि योजना निम्नलिखित है-

- टीवी कवरेज और महाराष्ट्र और कर्नाटक विधायकों की कार्यवाही का वितरण
- ऑडियो वीडियो फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना।
- एमआईबी के मिशन डिजिटाइजेशन परियोजना।
- परिवहन मंत्रालय के लिए राजमार्ग सलाहकार रेडियो।
- प्रकाशन विभाग और एमआईबी के टीवी और फिल्म समारोह निदेशालय के लिए वेब पोर्टल
- एफएम फेज–III (भाग-I) का क्रियांवयन.
- एनटीआरओ के लए आईटी ढांचा
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन (पीएमओ), सूरज के लिए आवाज पहचान और विश्लेषण प्रणाली

- डीसीएमई सिस्टम, जीएसएम सिस्टम और निदेशालय के सिग्नल इंटेलीजेंस के आईएफ रिकॉर्डर की एएमसी।
- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), बंगलुरु में 12 ई-कक्षाओं की स्थापना।
- बंगलुरु के बीएचईएल में सभागार का उन्नतिकरण और नवीनीकरण
- कर्नाटक के कासारगोड में सभागार की स्थापना।
- मंगलौर की मंगलौर यूनिवर्सिटी में सभागार के लिए ध्वनिक उपचार, पेशेवर ध्वनि सुदृढीकरण और संबद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराना।

11. मैसूर के सीएफटीआरआई के सभागार के लिए ध्वनिक उपचार, पेशेवर ध्वनि सुदृढ़ीकरण और संबद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराना।

- बंगलुरु के वर्था भवन में मीडिया सेंटर की स्थापना।
- बंगलुरु के एयरफोर्स के एएसटीई में सभागार की ध्वनि सुदृढ़ीकरण प्रदान करना
- सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ एमओयू।

  बेसलि ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बेसलि को 'ठीक' की टप्पिणी दी गई। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए बेसलि और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के के बीच किए गए संमझौते से इतर प्राप्त किए गए लक्ष्यों के स्वमूल्यांकन 'अच्छा' टिप्पणी दी है।

12. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास संपूर्ण प्रबंधन का अहम हिस्सा है। कंपनी की मूल्यवान संपति के तौर पर कर्मचारियों को बेसिल की फैकल्टी और बाहर से बुलाए ए विशेषज्ञों के जरिये नियमति रूप से तेजी से बदलती तकनीक के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी रैंकों के अधिकारियों में समझदारी से किए गए वरिष्ठ, मध्यम और युवा पेशेवरों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

कंपनी आरक्षण की नीतियों पर सरकार के दिशा-निर्देश/ निर्देशों का पालन करती है। इसी के आधार पर कंपनी में अल्पसंख्यकों की भर्ती और पदोन्नति करने के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मा्मले में आरक्षण के संदर्भ में सरकार के नीति-निर्देशों का ध्यान रखा जाता है। इन श्रेणियों के लिए तय किए गए आरक्षण कोटे के समुचित प्रक्षेपण के लिए नियम और निर्देशों के अनुसार कार्यसूची बनाई जाती है। एचआर अधिकारी द्वारा नियमित जांच और निरीक्षण किया जाता है और विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट और सुझावों दिये जाते हैं। आरक्षण नीतियों के क्रियांवयन और इसके संबंध में लिए गए फैसलों की आवधिक रिपोर्ट भी सूचना व प्रसारण मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य सरकारी विभागों को भेजी जाती है।

13. यौन उत्पीड़न

आलोच्य वर्ष के दौरान बेसिल में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और यौन उत्पीड़न से मुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए इसने आंतरकि शिकायत समिति बनाई। आलोच्य वर्ष के दौरान इस तरह की कोई शकियत समिति के सामने नहीं आई।

14. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और इनका प्रसार करने के लिए किसी भी तरह से प्राप्त सवालों और शंकाओं का समाधान समय रहते किया गया और उचित कदम भी उठाए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सेंट्रल पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) नियुक्त किया गया और सूचना के समय पर अनुपालन और प्रसार के लिए अत्यंस सावधानी बरती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 68 आवेदन प्राप्त किए और सभी पर तय समय सीमा के अंतर्गत प्रतिक्रिया भी दी गई। 31 मार्च 2015 तक आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत 4 आवेदनों पर प्रतिक्रिया लंबति थी।

15. हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

राजभाषा रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में की गई सिफारिशों पर बेसिल द्वारा किए गए अनुपालन की जरूरी कार्रवाई / अद्यतन स्थिति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। 12 सितंबर 2014 से 26 सितंबर 2014 तक बेसिल में हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा नीति ज्ञान, हिंदी निंबध और वादविवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शब्दकोष और तकनीकी शब्दावलियों जैसी जरूरी मदद सामग्री भी अधिकारियों व कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई ताकि उन्हें दफ्तर का कामकाज में हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

16. सतर्कता संबंधी गतिविधियां

बेसिल में सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता के सभी पहलुओं को मजबूत करने और बेसिल में अनुपालन के लिए नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर

नीति निर्देश और मानदंड जारी कर रहा है। आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही हैं और समय-समय पर औचक निरिक्षण और नियमित निगरानी के अलावा उचित जांच भी की जा रही है।

17. सामान्य

कंपनी को सरकारी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बजटीय सहायता नहीं मिली है। खुले बाजार में प्रतियोगी टेंडर प्रणाली के जरिये सुरक्षित किए गए रोज़गार और परामर्श कार्य संबंधी खर्च और प्राप्तियों के आंतरिक प्रक्षेपण से बेसिल ने अपना बजट तैयार किया है। कंपनी को महिलाओं, उत्तर पूर्व, रोज़गार देने वाली, ग्रामीण अंग, जनजातीय उपयोजना, विशेष योजना, स्वंयसेवा समूह, सूचना व प्रसार, अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना से नहीं जोड़ा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर

टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली अवांछनीय सामग्री से अपने नागरिकों की रक्षा करने के नियम का पालन विश्व के सभी प्रमुख लोकतंत्र करते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही सामग्री की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। ईएमएमसी विश्व के उन प्रमुख संगठनों में से एक है जोकि प्रसारण क्षेत्र और प्रसारकों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री की निगरानी करते हैं। केंद्र देश में सरकार के स्वामित्व वाली मीडिया इकाइयों में सबसे नवीन है।

यहां यह बताया जाना जरूरी है कि कंटेंट की निगरानी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टेलीविजन उद्योग में घटिया रियलिटी शो, टॉक शो, न्यूज, वृत्तचित्रों और सोप ऑपेरा के खिलाफ विभिन्न हलकों से शिकायतें आती हैं।

ईएमएमसी लगभग 600 चैनलों की सामग्री पर नजर रखता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है, जोकि भारतीय क्षेत्र में दिखाए जाते हैं जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत आने वाले नियम के उल्लंघन की जांच की जा सके। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के कई नियम हैं जिनका सभी प्रसारण संस्थाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए। भारतीय दर्शकों के लिए प्रसारित चैनलों के संशोधित अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग दिशानिर्देशों के लिए संभावित उल्लंघनों का निरीक्षण अपेक्षित है जिससे संबंधित उपाय किए जा सकें।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर लोक महत्व के मामलों को चिह्नित करता है और मंत्रालय को मूल्यांकन और कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, के लिए उनके संबंध में जानकारी देता है। ईएमएमसी सरकार द्वारा वांछित विषयों पर मंत्रालय के लिए विशेष रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करता है।

सफलता का एक उदाहरण स्थापित करते हुए ईएमएमसी ने 1 जनवरी, 2015 से रेडियो की निगरानी प्रारंभ की है। ईएमएमसी का नया विंग वर्तमान में संभावित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की निगरानी कर रहा है। वर्तमान में देश भर के 30 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की निगरानी यह देखने के लिए की जा रही है कि कहीं वे भारत सरकार और सामुदायिक रेडियो स्टेशन के बीच सामान्य समझौता(जीओपीए) और आकाशवाणी के कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का उल्लंघन करने वाले प्रसारण तो नहीं कर रहे। कम समय में सीआरएस की सामग्री में अनेक स्पष्ट उल्लंघन पाए गए जिनके संबंध में ईएमएमसी ने मंत्रालय को जानकारी दी। ये स्पष्ट उल्लंघन न केवल अश्लील और अभद्र कार्यक्रमों को लेकर हैं बल्कि ऐसी सामग्री के भी है जो मंत्रालय के सामान्य नियमों का उल्लंघन करती है।

ईएमएमसी कथित उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट, रिकॉर्डेड क्लिप के साथ समीक्षा समिति को सौंपता है जो उल्लंघनों की जांच करती है और अपने निष्कर्षों को अंतर-मंत्रालयी समिति और अन्य निकायों को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित करती है।

बढ़ती संख्या के कारण सभी चैनलों के बीच दर्शकों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा रहती है जिसके कारण अधिकांश एक बहुत पतली रेखा पर चलते हैं और अक्सर उस ग्रे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। नियामक दिशानिर्देशों के प्रति टीवी चैनलों का ढीला-ढाला रवैया बहुत हद तक चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर जब एक औसत भारतीय परिवार पहले से अधिक समय तक टीवी देखता है। टीवी देखने की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आया है क्योंकि टेलीविजन उद्योग पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़ा हो गया है। टेलीविजन शो भी लगातार विकसित हो रहे हैं और अधिक से अधिक दर्शकों को कब्जाने के उद्देश्य से कई बार अनुचित सामग्री का सहारा लेते हैं। यह देखा गया है कि कुछ टीवी शो युवा दर्शकों को प्रभावित करते हैं और यह एक समस्या बनता जा रहा है। टेलीविजन ने छोटे बच्चों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। घर पर ही बच्चे का संपर्क हिंसा और विषम संस्कृति से हो रहा है। मास मीडिया अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान कई बार जनहित दायित्व भूल जाते हैं।

विज्ञापन क्षेत्र भारतीय टेलीविजन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों पर टीवी मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ यह उपभोक्तावाद का एक उत्प्रेरक बन गया है। रचनात्मकता की गुंजाइश विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत अधिक है। लोगों को विज्ञापन इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये बाजार में नए उत्पादों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं और उन्हें जागरूक बनाते हैं। हमारा यह निर्णय कि क्या हम फलां उत्पाद को खरीदें, अक्सर संबंधित कंपनियों के प्रचार से

प्रभावित होता है। इसलिए व्यापार के अनुचित तरीकों, भ्रामक विज्ञापनों और तंबाकू और शराब जैसे अस्वास्थ्यकर उत्पादों के विज्ञापन के व्यापक प्रतिकूल प्रभाव के कारण भारत सरकार उचित कानूनों, आदेशों और निर्देशों के माध्यम से अंकुश लगाने या कम से कम उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल उत्पादों को प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्देश के फलस्वरूप शराब और तंबाकू बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने सरोगेट विज्ञापन का रास्ता अपनाया है। इन विज्ञापनों को दर्शकों को इसलिए दिखाया जाता है ताकि वे शराब और तंबाकू के ब्रांडों को भूल न जाएं क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना प्रतिबंधित है।

रियलिटी शोज के दौर के आगमन से भारतीय टीवी उद्योग में कई टीवी चैनलों ने काफी अच्छी टीआरपी हासिल की। जब हर दूसरा टीवी चैनल 'उधार के विचारों और मूल्यों पर आधारित रियलिटी कार्यक्रम' का अपना संस्करण लेकर आ रहा है, सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी

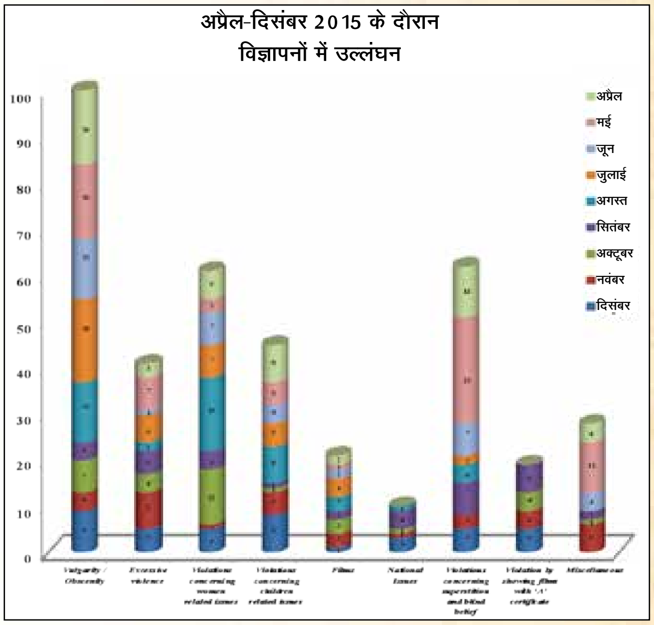

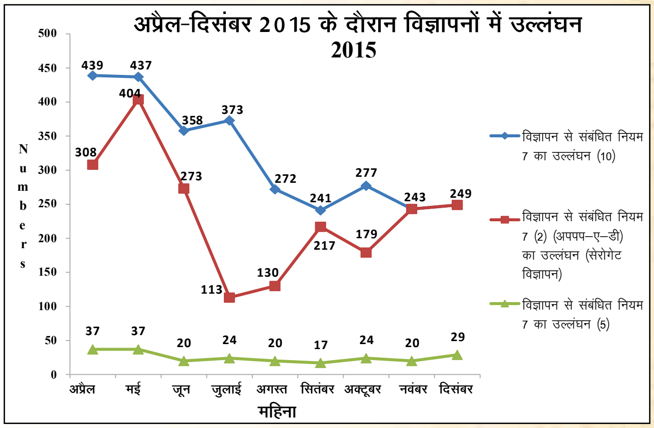

है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वे हमारे देश के युवाओं के मन के साथ न खेलें। अन्य टीवी कार्यक्रमों की तुलना में इस तरह के कार्यक्रमों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे वास्तविक जीवन स्थितियों की व्याख्या करते हैं। रियलिटी शो वयस्कों के लिए होते हैं और उचित ज्ञान, समझ और मार्गदर्शन के बिना इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को गुमराह कर सकते हैं। कुछ रियलिटी शो में बच्चे ही प्रतिभागी होते हैं जिन पर प्रदर्शन करने का जबरदस्त दबाव होता है। इसके अलावा बच्चे टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रमों को देखकर चकित होते हैं और स्वयं और अपने साथियों से उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद करने लगते हैं।

विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा एक अन्य आम उल्लंघन है- आध्यात्मिक कार्यक्रमों की आड़ में स्वयंभू बाबाओं और गुरुओं द्वारा पेश किए जाने वाले चमत्कारी समाधान। कुछ भ्रामक विज्ञापन उत्पादों के संबंध में निराधार दावे भी करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आगाह किया है कि विज्ञापनों को उत्पादों के ऐसे चमत्कारी गुणों के बारे में नहीं बताना चाहिए जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष और वास्तु, साथ ही गुरुओं और चिकित्सकों के प्रवचनों पर घंटों तक प्रसारण दिखाने से दर्शकों को ऐसा लगने लगता है कि वे विज्ञापन नहीं, कार्यक्रम देख रहे हैं। यह इस विज्ञापन संहिता का उल्लंघन है, विशेष रूप से केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत आने वाले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम के नियम 7 (5) का।

यह सरकार के लिए न तो संभव है और न ही वांछनीय कि वह कंटेंट की मात्रा और विविधता की निगरानी और उनका विनियमन करे, जोकि तेजी से स्थानीय होता जा रहा है। सरकार के हस्तक्षेप को संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में भी देखा जाता है। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत, भूमिका, गुंजाइश और प्रभाव के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त की जाने वाली चिंता के कारण कार्यक्रम और विज्ञापन सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की गई। सभी श्रेणियों के चैनलों और उसके कंटेंट में नियमों का उल्लंघन पाया गया। मनोरंजन चैनलों से संबंधित शिकायतों के विश्लेषण पर यह पाया गया है कि वे आम तौर पर महिलाओं और बच्चों को निम्न श्रेणी का दर्शाते हैं। बच्चों से संबंधित रियलिटी शो में शिकायतें अश्लीलता और अभद्रता से संबंधित हैं। अन्य शिकायतें कुछ कार्टून शो में प्रयुक्त भाषा और आयु से संबंधित दृश्यों से जुड़ी हुई हैं। कुछ टेली धारावाहिकों और रियलिटी शो में महिलाओं की शारीरिक बनावट या शरीर के अंग को इस तरह दिखाया जाता है जो अभद्र दिखता है और महिलाओं को अपमानजनक लगता है। कई बार ऐसे कार्यक्रमों की भी

शिकायत की जाती है जिसमें किसी जाति को इस प्रकार दर्शाया जाता है जोकि किसी समुदाय को अपमानजनक लग सकता है। टीवी द्वारा इस प्रकार के कंटेट के प्रसारण का सामाजिक मूल्यों, व्यवहार पैटर्न और रीति-रिवाज पर गहरा असर होता है।

तालिका 3 : फिल्मों और प्रोमो में उल्लंघन का ट्रेंड

श्रेणी/माह	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
विशेष संदर्भ	18	16	09	09	14	20	14	10	10
सीबीएफसी प्रमाणन के बिना फिल्में	103	117	102	94	123	108	118	100	85
सीबीएफसी प्रमाणन के बिना प्रोमो	691	613	550	675	651	501	418	329	343

चालू वित्त वर्ष में ईएमएमसी की प्रमुख उपलब्धियों में से कुछ इस प्रकार हैं: विभिन्न चैनलों के स्पष्ट उल्लंघनों से संबंधित मसलों को मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने और उनकी सूचना देने, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके, के अतिरिक्त ईएमएमसी ने कुछ अन्य कार्य भी किए जो निम्नलिखित हैं:

- बिहार विधानसभा चुनाव की निगरानी: ईएमएमसी ने बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रबंधन से संबंधित खबरों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज पर नजर रखी। मतदान और उससे एक दिन पहले होने वाली प्रमुख घटनाओं पर एसएमएस अलर्ट भी भारत के निर्वाचन आयोग को भेजे गए। ईएमएमसी ने ग्राउंड जीरो पर रहकर, राज्य में मतदान के दिन की स्थिति से आयोग को अवगत कराया। निर्वाचन आयोग ने राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रयास में ईएमएमसी की भूमिका की सराहना की।
- चेन्नई में बाढ़ की निगरानीरू ईएमएमसी ने चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति की निगरानी का काम अपनी समाचार टीम को सौंपा। राहत और बचाव कार्य सहित नवीनतम स्थिति पर मंत्रालय को हर घंटा रिपोर्ट भेजी गई। इस काम को राज्य में सामान्य स्थिति लौटने तक जारी रखा गया।
- केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन योजना में निर्णायक भूमिका: ईएमएमसी के एसएमएस अलर्ट गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं जिसके लिए कार्यालय में एक समर्पित रैक्स लाइन लगाई गई है। सरकार की नियंत्रण और प्रतिक्रिया प्रणाली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ईएमएमसी के विभागाध्यक्ष संकट प्रबंधन उपाय के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किए गए हैं।
- दैनिक कंटेंट की विश्लेषण रिपोर्ट: विभिन्न समाचार चैनल प्रधानमंत्री के रेडियो प्रसारण श्मन की बातश के विशेष प्रसारण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, मलयेशिया और सिंगापुर आदि देशों में दौरे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का भाषण आदि को कितनी कवरेज देते हैं, ईएमएमसी इसका तुलनात्मक विश्लेषण करता है। ईएमएमसी ने सरकार के नए कल्याणकारी कार्यक्रमों, पहल जैसे स्वच्छ भारत अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जन-धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से संबंधित न्यूज कवरेज पर रिपोर्ट तैयार की है।
- fnu d e[; lekpkj@cgl@ppk ij lekpkj fo'y"k.kkRed fjikVZ% ईएमएमसी ने विभिन्न समाचार चैनलों के प्राइम टाइम में दिखाए जाने वाले समाचारों और बहस/चर्चा पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट देनी शुरू की है। एक प्रभारी के नेतृत्व में निरीक्षकों की एक समर्पित टीम उच्च अधिकारियों को हर रोज शाम सात बजे चैनलों के प्राइम टाइम पर होने वाली चर्चा से संबंधित एसएमएस भेजती है। चर्चा पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट पायलट आधार पर तैयार की जाती है।

rduhdh voljpuk% 12 वीं योजना स्कीम ईएमएमसी का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत उद्देश्य यह है कि निजी एफएम चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) के लिए केंद्रीकृत निगरानी तंत्र की स्थापना के साथ-साथ 1500 टीवी चैनलों के लिए निगरानी क्षमता बढ़ाई जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईएमएमसी को अपने उपकरण, मशीनरी व अन्य तकनीकी सेटअप लगाने के लिए नई दिल्ली स्थित सूचना भवन की 10वीं और 11 वीं मंजिल दी गई हैं। वर्तमान में ईएमएमसी 900 उपग्रह टीवी चैनलों के विश्लेषण, निरीक्षण और रिकॉर्डिंग के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ईएमएमसी ने 15 डिश एंटीना कमीशन किया है जोकि देश में दिखाए जाने वाले विभिन्न उपग्रहों की तरफ ट्यून किए गए हैं। मॉनिटर चौबीसों घंटे टीवी चैनलों के रिकॉर्डेड और लाइव कंटेंट पर नजर रखते हैं। कंटेंट क्लिप 90 दिनों की अवधि के लिए स्टोर होते हैं और फिर फीफो आधार पर स्वत: हट हो जाते हैं।

lkekftd&lkL—frd xfrfof/k;k% ईएमएमसी ने अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान अपने कार्यालय में विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। हिंदी पखवाड़ा और सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह के दौरान रचनात्मक लेखन, नारा लेखन, प्रश्नोत्तरी, आशु भाषण, कवित्त पाठ, गीत, नाटक और प्रहसन आयोजित किए गए। ईएमएमसी के सभी कर्मचारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया और आयोजित कार्यक्रमों में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह

6 फिल्म क्षेत्र की गतिविधियां

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की कहानी इसके गठन या कहें कि देश की आजादी के बाद से विविध घटनाओं से परिपूर्ण रही है। बीते 67 साल से भी अधिक समय से फिल्म प्रभाग भारतीय जन-मानस के वृहत परिदृश्य को इस दृष्टिकोण से प्रोत्साहित कर रहा है कि उसकी राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। फिल्म प्रभाग के लक्ष्य और उद्देश्य देश के राष्ट्रीय स्वरूप पर केंद्रित हैं ताकि लोगों को शिक्षित और प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा सके। गरज यह भी है कि भारतीय और विदेशी दर्शकों के समक्ष भारत की समृद्ध विरासत वाली तस्वीर पेश की जा सके। फिल्म प्रभाग का एक लक्ष्य यह भी है कि देश के वृतचित्र आंदोलन को मजबूती और रफ्तार प्रदान की जाए क्योंकि यह देश के सूचना, संवाद और सौहार्द के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व रखता है।

फिल्म प्रभाग वृतचित्र, लघु फिल्में, एनिमेशन फिल्में और समाचार पत्रिकाएं तैयार करता है। प्रभाग देश भर के लगभग चार हजार सिनेमा घरों की जरूरतों को पूरा करता है और साथ ही देश के गैर-सिनेमाई क्षेत्रों जैसे कि जमीनी प्रचार, दूरदर्शन, शैक्षणिक संस्थाओं, फिल्म सोसायटियों और स्वैच्छिक संगठनों को भी जानकारी तथा निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है। फिल्म प्रभाग की विज्ञप्ति में नाट्य क्षेत्र में राज्य सरकारों के वृतचित्रों और समाचारों को भी जगह दी जाती है। फिल्म प्रभाग भारत के साथ-साथ विदेशों में भी वृतचित्रों और फिल्मों के वितरण अधिकार, उनके प्रिंट, स्टॉक शॉट और डीवीडी तथा वीसीडी बेचता है। फिल्म निर्माण के अलावा फिल्म प्रभाग फिल्म निर्माताओं को अपने रिकॉर्डिंग थियेटर, एडिटिंग कक्ष और अन्य सिने उपकरण किराए पर उपलब्ध कराता है।

फिल्म प्रभाग के विभिन्न स्कंध

यह संगठन मुख्य रूप से चार कार्य-समूहों में विभाजित हैः-

1. निर्माण, 2. वितरण, 3. अंतरराष्ट्रीय वृतचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म उत्सव और 4. प्रशासन।

1. निर्माण स्कंध

निर्माण स्कंध इन फिल्मों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैः 1. वृतचित्र, 2. विशेष रूप से ग्रामीण दर्शकों के लिए तैयार की जाने वाली छोटी फिल्में, 3. एनिमेशन फिल्म, 4. वीडियो फिल्में। मुंबई स्थित मुख्यालय के अलावा प्रभाग के तीन निर्माण केंद्र बंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली में हैं।

फिल्म प्रभाग द्वारा बनाए जाने वाले वृतचित्रों की विषयवस्तु खेती से लेकर कला और वास्तुशिल्प, उद्योग से लेकर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, खान-पान से लेकर उत्सव, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, विज्ञान, तकनीक, खेल, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, आदिवासी कल्याण और सामुदायिक विकास पर आधारित होती है।

आम तौर पर फिल्म प्रभाग अपने निर्माण का एक निश्चित कोटा स्वतंत्र फिल्मकारों के लिए आरक्षित रखता है। इसके पीछे विचार यह होता है कि स्वतंत्र प्रतिभाओं के साथ ही देश में वृतचित्र आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। अपने निर्माण कार्यक्रमों के अलावा फिल्म प्रभाग सरकार के विभिन्न विभागों और सभी मंत्रालयों को वृतचित्रों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन भी शामिल हैं।

फिल्म प्रभाग के समाचार फिल्म स्कंध का नेटवर्क देश के मुख्य शहरों, नगरों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क के माध्यम से यह स्कंध बड़े आयोजनों और नामचीन तथा अति महत्वपूर्ण हस्तियों की यात्राओं को कवर करता है। देश और विदेश में होने वाले इस तरह के आयोजनों और यात्राओं के अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसी अन्य घटनाओं को भी कवर किया जाता है। इस कवरेज का इस्तेमाल समाचार पत्रिकाओं के निर्माण और अभिलेखीय सामग्री के तौर पर किया जाता है।

फिल्म प्रभाग की कार्टून फिल्म इकाई कम्प्यूटर एनिमेशन के माध्यम से अब तकनीकी रूप से उन्नत हो गई है। कम्प्यूटर एनिमेशन ने इस विधा के पुराने तौर-तरीकों को स्थानापन्न कर दिया है। इस काम के लिए अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अपनी ही आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। अब इस इकाई में 2-डी, 3-डी और यूएस एनिमेशन का निर्माण ओपस, कॉन्सर्टो, हाई-एंड और माया जैसे आधुनिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाने लगा है।

2. वितरण स्कंध

फिल्म प्रभाग के वितरण स्कंध के अंतर्गत बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, तिरुअनंतपुरम और विजयवाड़ा स्थित 10 वितरण केंद्र आते हैं। ये शाखाएं सभी सिनेमाघरों को स्वीकृत फिल्में (केंद्रीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत) मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही इनका काम समझौतों का निष्पादन, फिल्म प्रभाग का प्रमाण पत्र जारी करना और प्रदर्शकों से 1 प्रतिशत किराया वसूल करना भी है। शाखा

इकाइयां सभी जन सूचना अभियानों और डीवीडी के विपणन कार्यों में भी हिस्सेदारी करती हैं। वितरण इकाइयां विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को फिल्म प्रभाग के चुनिंदा फिल्मी वीडियो और प्रिंट भी वितरित करती हैं। यह काम विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार विभाग की मदद से किया जाता है। यही नहीं स्टॉक शॉट, फिल्म के कुछ हिस्सों, वीडियो क्लिपिंग और रॉयल्टी के जरिए भी इस विभाग की आय होती है। वितरण स्कंध का प्रचार विभाग फिल्म प्रभाग की फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय समारोहों में दिखाने की व्यवस्था भी करता है।

फिल्म प्रभाग की फिल्म लायब्रेरी भारत के समकालीन इतिहास, इसकी समृद्ध विरासत और कलात्मक परंपराओं का बहुमूल्य अभिलेखीय संग्रह रखती है। इसीलिए फिल्म बनाने वाले विश्व भर के लोग इस विभाग का रुख करते हैं। फिल्म बनाने के लिए आवश्यक फुटेज उपलब्ध कराकर यह विभाग न केवल फिल्म निर्माताओं की सहायता करता है बल्कि स्टॉक फुटेज बेचकर राजस्व भी जुटाता है।

मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

3. अंतरराष्ट्रीय वृतचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म महोत्सव

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक परियोजना के अंतर्गत मुंबई में होने वाले द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय वृतचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म महोत्सव (मिफ्फ) के आयोजन की जिम्मेदारी फिल्म प्रभाग को सौंपी है। इस महोत्सव का उद्देश्य ऐसी वृतचित्र एवं फिल्मों का प्रसार करना है जिससे विश्व बिरादरी में परस्पर सौहार्द और ज्ञान के आदान-प्रदान का वातावरण तैयार हो सके। यह आयोजन फिल्म निर्माताओं, फिल्मकारों, वितरकों, प्रदर्शकों और समीक्षकों को एक दूसरे से मिलने और परस्पर विचार जानने-समझने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। फिल्म प्रभाग 1990 से मुंबई में इस स्पर्धात्मक महोत्सव का आयोजन कर रहा है। मुंबई समारोह के 14वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी, 2016 के बीच मुख्यालय परिसर और उसके आसपास के सिनेमाघरों में किया गया।

4. प्रशासनिक स्कंध

प्रशासनिक स्कंध के अंतर्गत वित्त, कार्मिक, स्टोर, अकाउंट, फैक्ट्री प्रबंधन और सामान्य प्रशासन आता है।

स्टाफ की संख्या का ब्योरा और 31 दिसंबर, 2015 तक फिल्म प्रभाग में कर्मियों की स्थिति:

Ø-l-	oxZ	Loh—r l[;k	fu;fDr;kW dh l[;k	fjDr in
ए	बी	सी	डी	ई
1.	ग्रुप-ए	44	17	27
2.	ग्रुप-बी	260	188	72
3.	ग्रुप-सी	509	396	113
	dqy	813	601	212

वर्ष की उपलब्धियां/झलकियां

➢ अपने वृतचित्रों और समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, समाज

के कमजोर तबकों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजनों को फिल्म प्रभाग अपने प्रचार तंत्र और संवाद से लगातार सहायता करता है। 1 अप्रैल, 2015 से लेकर 30 नवंबर, 2015 के बीच प्रभाग ने 45 वृतचित्रों का निर्माण किया। इनमें से 25 फिल्में अपने ही विभाग द्वारा बनाई गईं जबकि 20 फिल्में बाहरी निर्माताओं ने तैयार कीं।

- विभन्न संगठनों, संस्थानों और स्कूल-कॉलेजों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में फिल्म प्रभाग ने 19 विशेष स्क्रीनिंग में 105 फिल्में दिखाईं।
- फिल्म प्रभाग ने 27 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों में 143 फिल्में भेजीं और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय उत्सवों में 14 पुरस्कार जीते।
- शाखा कार्यालयों ने स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर 6 फिल्म उत्सवों का आयोजन किया जिनमें 59 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
- फिल्म निर्माण, एडिटिंग, एनिमेशन और इससे जुड़ी अन्य विधाओं की जानकारी के लिए 132 छात्र शैक्षणिक भ्रमण के तहत फिल्म प्रभाग आए।
- नई ध्वनि व्यवस्था और प्रोजेक्शन से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी सुधार किया जा रहा है।
- डीएलपी प्रोजेक्टर, डीवीडी डुप्लीकेटर और उन्नत वर्क स्टेशनों के जरिए अब फिल्म निर्माण और उनके संरक्षण का काम किया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2015 से 18 दिसंबर, 2015 के बीच सिनेमाघरों का कायाकल्प करके फिल्म प्रभाग ने 1,18,962 रुपये जमा किए हैं।

नई दिल्ली में 46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय समारोह के पोस्टर का विमोचन करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली

एफडी जोन

एफडी जोन फिल्म प्रभाग का ऐसा प्रयास है जिसमें स्वतंत्र फिल्मकार वृतचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन फिल्मों की नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। यहां कला के क्षेत्र में उभरने वाली नई प्रतिभाओं को अवसर दिया जाता है और साथ ही उद्देश्यपूर्ण सिनेमा को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। हरेक स्क्रीनिंग के लिए स्वतंत्र फिल्मकार स्वैच्छिक स्तर पर फिल्म प्रभाग तथा बाहर की फिल्मों को जमा करते हैं। बाहरी फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान उनसे जुड़े निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर या एडीटर, साउंड रिकॉर्डिस्ट तथा समूह के अन्य प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि दर्शकों से संवाद किया जा सके। ये स्क्रीनिंग निशुल्क होती है और सभी के लिए खुली रहती है।

एफडी जोन का गठन फिल्म क्लबों के अखिल भारतीय नेटवर्क के तौर पर किया गया है जिसमें देश के विभिन्न नगरों और शहरों के संगठन अथवा ऐसे लोग सक्रिय हैं जो वृतचित्रों, लघु फिल्मों, एनीमेशन फिल्मों के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही कला के क्षेत्र में उभरने वाले समूहों के लिए भी मौका दिया जा रहा है। एफडी जोन मुंबई में 14 जुलाई 2012 से सक्रिय है। साप्ताहिक रूप से हर शनिवार को शाम 4 और 6 बजे फिल्म की स्क्रीनिंग की जाती है। इन फिल्मों की स्क्रीनिंग का दस्तावेजीकरण किया जाता है और दर्शकों से संवाद के कुछ हिस्सों को यू-ट्यूब तथा फेसबुक पर भी डाला जाता है। मुंबई के अलावा एफडी जोन की गतिविधियां त्रिचूर (केरल), चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़ और वर्धा में भी जारी हैं। एफडी जोन ने पंजाब विश्वविद्यालय

के साथ मिलकर चंडीगढ़ और वर्धा में विशेष उत्सव का आयोजन भी किया था।

नई पहल

1. शानदार वेब पोर्टल और ई-कॉमर्स

वेब पोर्टल को अधिक आकर्षित और एक बेहतरीन संवाद का मंच बनाया गया है। इसमें फिल्मों की स्क्रीनिंग, किताबों, डीवीडी और सम-सामयिक कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी लोड की जाती है ताकि लोग लगातार जुड़े रहें।

- एक नए ई-कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की जहां से फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार फिल्में एचडी (हाई डेफिनिशन) प्रारूप में खरीदी जा सकती हैं। ये फिल्में डीवीडी और वीओडी में उपलब्ध होंगी।
- वीडियो को यू-ट्यूब पर लो रेजोल्यूशन में अपलोड करके फिल्म प्रभाग के अभिलेखागार को लोगों तक सहजता से पहुंचाना।
- फिल्म प्रभाग की तालिका को अपलोड करना जिसमें यहां उपलब्ध तमाम वीडियो सामग्री की जानकारी हो।

2. अभिलेखीय शोध केंद्र (एआरसी)

एआरसी शोध सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्रमुख केंद्र है जिसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2013 में की गई थी। यह सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई गई है ताकि फिल्मों से जुड़ी विपुल संपदा को साझा किया जा सके। एआरसी ने फिल्म प्रभाग के संपूर्ण अभिलेखागार को 15 शोध केंद्रों पर उपलब्ध कराया है। अनुसंधान इत्यादि के उद्देश्य से इन पंद्रह केंद्रों पर फिल्म प्रभाग का अभिलेखागार उपलब्ध रहेगा।

3. भारतीय सिनेमा का संग्रहालय

भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की अवधारणा एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सिनेमा के 100 साल के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी बहुत सी सामग्री उचित देख-रेख या संरक्षण के अभाव में या तो नष्ट या खराब हो गई है अथवा उपेक्षित है। इन सामग्री के लिए संग्रहालय जरूरी साबित होगी। चूंकि भारत में कोई फिल्म संग्रहालय नहीं है इसलिए यह संग्रहालय सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि फिल्मकारों, समीक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भारतीय सिनेमा के विकास क्रम को जानने के लिए भारत ही नहीं विश्व के लिए एक बड़ा खजाना साबित होगा। फिल्म संग्रहालय की कुल लागत 121.55 करोड़ रुपये होगी और यह दो अलग चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में यह संग्रहालय गुलशन महल के एक हिस्से में 6 हजार वर्ग फुट में फैला हुआ है। गुलशन महल का शुमार धरोहर भवन के रूप में है जिसका हाल ही में कायाकल्प किया गया है। संग्रहालय

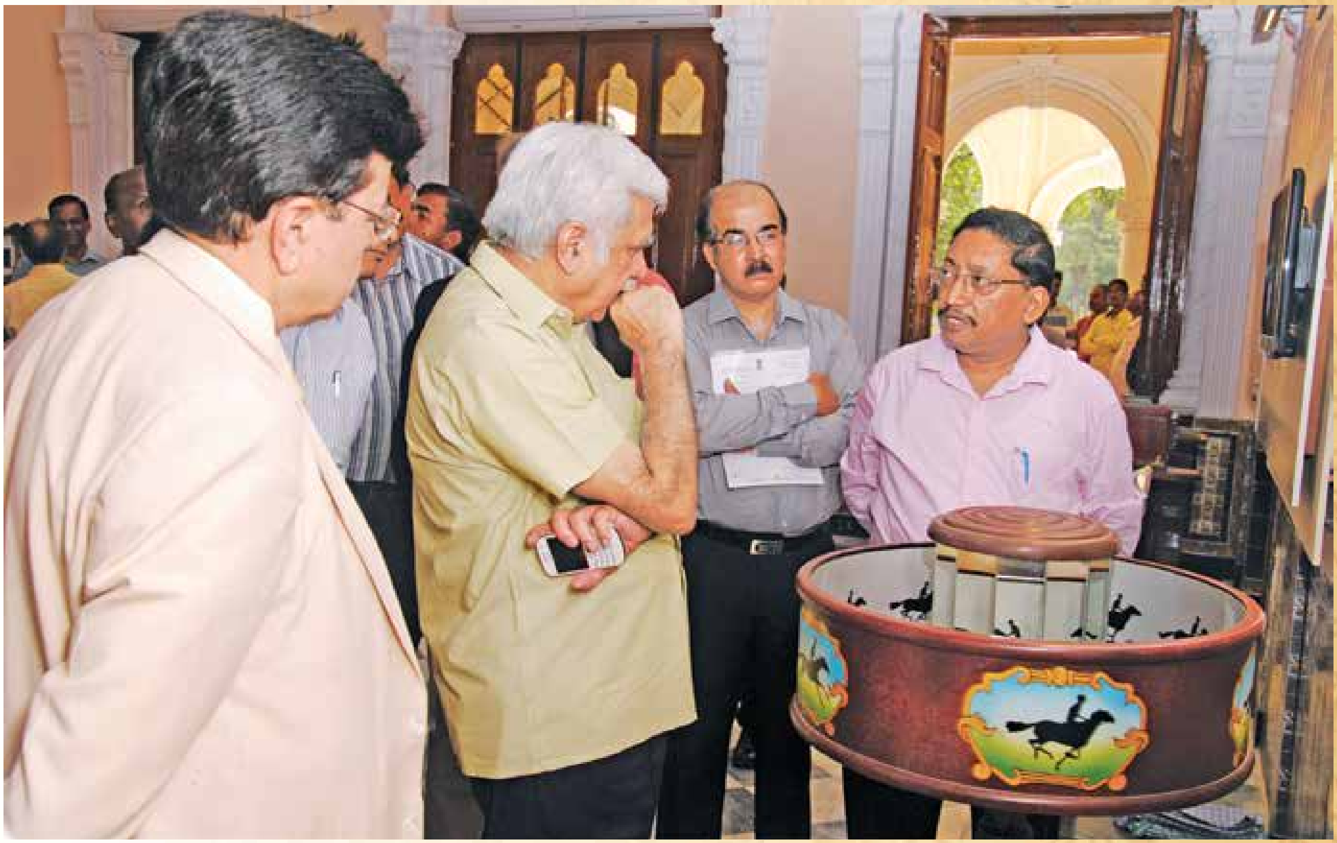

सूचना और प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा फिल्म प्रभाग, मुम्बई में

के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सौंपी गई है और प्राचीन कलाकृतियों को रखने के लिए तैयार की जाने वाली दीर्घाओं को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने किया है। संग्रहालय का पहला चरण संपन्न हो गया है जबकि दूसरे चरण का काम जारी है।

सेवाओं में अनुसूचित जाति/जन-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

सेवाओं में अनुसूचित जाति/जन-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व समय-समय पर आने वाले सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही किया जाता है फिल्म प्रभाग द्वारा वर्णित नियमों का भी पालन किया जाता है।

31 fnlcj] 2015 rd lokvk e vulfpr tkfr@tu&tkfr vkj vU; fiNMk ox rFkk efgykvk dh fLFkfr

leg	dy	v-tk-	v-tk- dk	v-t tk-	v-t tk- dk ifr'kr	vfio	vfio dk ifr'kr	efgyk,
		depkjh						
समूह ए	17	4	23.53	--	--	5	29.41	3
समूह बी	188	42	22.34	14	7.45	29	15.43	25
समूह सी	396	118	29.80	24	6.06	87	21.97	74
कुल	601	164	--	38	--	121	--	102

फिल्म प्रभाग में अनुसूचित जाति/जन-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 दिसंबर, 2015 तक रिक्तियां

क्रम	वर्ग	स्वीकृत	क्षमता	कर्मचारी	अजा	अजजा	अन्य पिछड़ा वर्ग
					रिक्तियां	रिक्तियां	1
1.	ए	44	17	27	0	2	1
2.	बी	260	188	72	5	0	11
3.	सी	509	396	113	3	1	11
	कुल	813	601	212	8	3	23

दिव्यांगों के लिए

मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग में भर्ती के लिए 26 जून, 1980 को जारी एक पत्र के माध्यम से निम्न वर्गों को चिन्हित किया है:

समूह सी	**समूह डी (सुधार के बाद अब 'सी')**
असिस्टेंट लेआउट आर्टिस्ट	चपरासी
आर्टिस्ट ग्रेड-1	पैकर
आर्टिस्ट ग्रेड-2	
असिस्टेंट एडिटर ग्रेड-1	
असिस्टेंट एडिटर ग्रेड-2	
असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट	
असिस्टेंट	
एलडीसी	

मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग में ग्रुप ए और बी में भर्ती के लिए दिव्यांगों वर्ग को चिन्हित नहीं किया है। दिव्यांग वर्ग से जिन पदों के लिए भर्तियां की जाएंगी उनका चयन सीधे होगा। इसके लिए आवश्यक जानकारी यहां उपलब्ध है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	चिन्हित पद	दृष्टि दिव्यांगता	श्रवण दिव्यांगता	शारीरिक दिव्यांगता
1	2	3	4	5	6
leg ,	17	.	.	.	.
leg ch	188	60	.	.	2
leg lh	396	131	.	.	4
dqy	601	191	.	.	6

शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग से भर्ती के लिए कोई रिक्त पद नहीं है। हालांकि इस वर्ग से 3 पदों (2 पद एलडीसी और 1 पद चपरासी) पर सीधे भर्ती की जाएगी। लोक निर्माण विभाग में विशेष भर्ती अभियान के तहत इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सिटीजन चार्टर

फिल्म प्रभाग ने पहले से ही अपनी सूचना विवरणिका तैयार की हुई है। यह www.filmsdivision.org वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके लिए प्रभाग ने एक अधिकारी की नियुक्ति भी की है। सिटीजन चार्टर के उचित तौर-तरीके से अमल के लिए इससे जुड़े अधिकारियों के सभा-सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है। सिटीजन चार्टर की सामग्री में नए दृष्टिकोण और स्थितियों के हिसाब से सुधार भी किया जाता है।

शिकायत निवारण तंत्र

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही एक जन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। फिल्म प्रभाग के लिए महानिदेशक को शिकायत निवारण अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। जन-शिकायतों के निवारण का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। यहां होने वाले काम की जानकारी मंत्रालय को लगातार भेजी जाती है।

हिंदी अनुभाग

हिंदी विभाग कार्यालय के पत्राचार में हिंदी (राजभाषा) का इस्तेमाल यह विभाग देखता है। फिल्म प्रभाग में केंद्र सरकार की सरकारी भाषा योजना लागू हो सके इसके लिए प्रभाग में कनिष्ठ अनुवादकों के 11 पद रखे गए हैं।

निगरानी गतिविधियां

फिल्म प्रभाग से जुड़े कर्मचारियों के अनुशासन संबंधी मामलों पर नजर रखने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ है। इसमें सहायक निदेशक की निगरानी में एक सुपरिंटेंडेंट तथा एक सहायक तथा एक यूडीसी काम करता है।

सूचना के अधिकार, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना के अधिकार, 2005 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार ही फिल्म प्रभाग ने उप महानिदेशक को बतौर अपील अधिकारी और निदेशक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के तौर पर नामित/नियुक्त किया है। मुख्यालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के साथ 14 सहायक जन सूचना अधिकारी भी होते हैं। इनमें से 13 अधिकारी बाहरी कार्यालयों पर नियुक्त होते हैं। 10 वितरण शाखा कार्यालय और 3 फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय निर्माण केंद्रों पर। एक सहायक सूचना अधिकारी की तैनाती मुख्यालय में सूचना अधिकारी की सहायता के लिए की गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले मामलों या आवेदनों को सूचना अधिकारी के साथ मिलकर देखने का काम सहायक सूचना अधिकारी करता है। समन्वय का काम भी सहायक सूचना अधिकारी ही करता है।

सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों को मुख्यालय में एक केंद्रीय विभाग में देखा जाता है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक जानकारी हासिल करने के लिए 81 अर्जियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 74 आवेदकों को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है और शेष 7 आवेदकों को जल्द मुहैया करा दी जाएगी। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हमें 2 निवेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। तमाम सूचनाओं को वेबसाइट पर लगातार अपलोड किया जाता है।

बाल चित्र समिति, भारत

परिचय

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन बाल चित्र समिति का गठन मई, 1955 में किया गया था। इसकी

सिफारिश तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के कहने पर फिल्म अन्वेषण समिति (1949) ने की थी। पंडित नेहरू का बच्चों से प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस संस्था का पंजीकरण 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (21) के अंतर्गत किया गया है। संस्था का प्रमुख उद्देश्य बच्चों और युवाओं को सिनेमा के माध्यम से मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।

इसका चेयरमैन सिनेमा के क्षेत्र का कोई नामी व्यक्ति होता है। वही व्यक्ति इसका मुखिया भी होता है। चेयरमैन कार्यकारी परिषद और सामान्य निकाय का प्रमुख भी होता है। इनके सदस्यों को भारत सरकार नामित करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसके अंतर्गत सभी विभागों के प्रमुख भी होते हैं, प्रशासन, निर्माण, मार्केटिंग और लेखा संबंधी दैनिक कामकाज संभालता है। बाल चित्र समिति का मुख्यालय मुंबई में है और नई दिल्ली तथा चेन्नई में इसकी शाखाएं हैं।

निर्माण गतिविधियां

पूरी हो चुकी फिल्में:

कीमाज लोड (मिजो), हैप्पी मदर्स डे (हिंदी) और मीनालम, चिल्ड्रन ऑफ रिद्म (मलयालम लघु फिल्म) नाम से तीन फिल्में अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच बनाई जा चुकी हैं।

निर्माणाधीन फिल्में:

गुरु, द जर्नी आफ करेज (हिंदी), पिंटी का साबुन (हिंदी), शानू (तेलुगु), ग्यापो (लेप्चा), ईशू (असमी) और समर हॉलीडे (मलयालम) नाम की छह फिल्में विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन हैं।

डबिंग:

तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं की 9 फिल्मों की डबिंग का काम विभिन्न स्तरों पर चल रहा है।

प्रिंट बनाना- 2 डीसीपी, 22 डीवीसी और 583 डीवीडी।

विपणन और वितरण संबंधी गतिविधियां

वितरण:

स्कूलों में बाल फिल्म सोसाइटी की फिल्मों के प्रदर्शन की योजना के तहत असम, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु में 333 सिनेमाई और गैर सिनेमाई शो (एलसीडी) किए गए। इन फिल्मों को 1,24,831 दर्शक मिले। मुंबई और दिल्ली में गैर सरकारी संगठनों की सहायता से व्यक्तिगत और छोटे उत्सवों के जरिए 251 शो किए गए। इनमें 12,800 दर्शकों की उपस्थिति दर्ज की गई।

विपणन:

- चुलबुली फिल्में चटपटी गपशप नाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 4 फिल्मों का प्रसारण किया गया। इससे 2.25 लाख रुपये की आय हुई।
- साल 2015 के दरम्यान बाल चित्र समिति की विभिन्न फिल्मों की 4501 डीवीडी और 02 वीसीडी बेची गईं जिससे 5.26 लाख रुपये की आमदनी हुई।
- वर्ष 2015 के दौरान कुल 55 लाख रुपये की आय हुई। बाल चित्र समिति के समझौते:
    - अल्ट्रा मीडिया एंटरटेनमेंट प्रा. लि. मुंबई- 7 साल के लिए 10 फिल्मों के सभी
    - अधिकार (भारतीय सिनेमाई छोड़कर)। कर सहित 21 लाख रुपये की आय। 7 साल के लिए 70 फिल्मों के डिजीटल अधिकार (सेटेलाइट, डीडी, सिनेमा और निजी प्रदर्शन छोड़कर), न्यूनतम गारंटी और राजस्व अंश, 25 लाख की आय।
    - मक्कल थोलाई थोडारपुकुझुमन लि. तमिलनाडु-5 साल के लिए 10 फिल्मों के बेसिक केबल, सेटेलाइट या डिजीटल, पे टेलीविजन, स्टैंडर्ड टेलीविजन, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, ओवर दि टॉप कंटेंट, (मल्टीपल टेलीकास्ट) करार से 4 लाख रुपये की आमदनी।
    - कलइगनार टीवी प्रा. लि. तमिलनाडु- 2 साल के लिए 10 फिल्मों के बेसिक केबल, सेटेलाइट या डिजीटल, पे टेलीविजन, स्टैंडर्ड टेलीविजन, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, ओवर दि टॉप कंटेंट, (मल्टीपल टेलीकास्ट) करार से 1.50 लाख रुपये की आय।

vrjjk"Vh; lekjkgk e Hkkxhnkjh% 34 देशों में संपन्न 67 अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सवों में बाल सोसाइटी की 8 फिल्मों की भागीदारी।

19वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, भारत 2015

तेलंगाना, हैदराबाद में 14 से 20 नवंबर के बीच भारत के अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें 40 देशों की 286 फिल्मों की हिस्सेदारी रही। इन फिल्मों का प्रदर्शन हैदराबाद और सिकंदराबाद के 13 सिनेमाघरों में किया गया जिन्हें देखने के लिए 1 लाख 75 हजार लोग आए। महोत्सव के दौरान जिला स्तर पर कुछ अलग तरह की फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इन्हें देखने के लिए 24 सिनेमाघरों में लाखों बच्चे पहुंचे। इस महोत्सव के लिए 80 देशों से 1204 ऑनलाइन आवेदन आए जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्मों का चयन 13 सदस्यों

19वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

की एक समिति ने किया जिसमें फिल्मकार, पत्रकार और नामी हस्तियां शामिल थीं।

इंदिरा प्रियदर्शनी सभागार में 450 दिव्यांग बच्चों के लिए 3 विशेष फिल्में दिखाई गईं। 5 कार्यशालाओं और 5 खुले मंचों का आयोजन किया गया। 83 राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और वयस्क प्रतिनिधियों के अलावा 427 बाल प्रतिनिधियों ने इस समारोह में हिस्सा लिया।

फिल्म उत्सव के थीम डिजिटल इंडिया पर एक विशेष आयोजन किया गया। यह आयोजन शिल्पकला वेदिका, हैदराबाद में महोत्सव के पहले दिन किया गया। महोत्सव की पारंपरिक शुरुआत से पहले ही बाल फिल्म सोसाइटी का एक मोबाइल ऐप भी लांच किया गया। मोबाइल प्लेटफार्म पर बाल फिल्म सोसाइटी की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए यह ऐप तैयार किया गया है। इससे कोई भी व्यक्ति शो की बुकिंग करा सकता है और साथ ही डीवीडी की खरीद तथा फिल्म निर्माण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी भी हासिल कर सकता है।

उद्घाटन समारोह 14 नवंबर, 2015 को शिलपरामम में हुआ। महोत्सव का उद्घाटन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, तेलंगाना सरकार के वाणिज्य कर सिनेमेटोग्राफी मंत्री श्री तलासानी श्रीनिवास यादव और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री सुनील अरोड़ा ने किया। विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर सिने तारिकाओं तब्बू, करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। उद्घाटन समारोह के बाद बाल फिल्म सोसाइटी की हालिया निर्मित फिल्म हैप्पी मदर्स डे को बतौर पहली फिल्म दर्शाया गया।

इसके बाद बाल और वयस्क श्रेणी की चुनिंदा फिल्मों को पुरस्कृत किया गया। चार निर्णायक मंडलों ने एक्शन और एनिमेशन जैसे विविध वर्गों में से इन फिल्मों का चयन किया था। महोत्सव को कवर करने के लिए एक मीडिया सेंटर बनाया गया था। इस महोत्सव की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर कवरेज हुई।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारत सरकार द्वारा भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना 1960 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। 1974 में इसमें टेलीविजन विंग या शाखा को जोड़ा गया। उसके बाद संस्थान को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नया नाम मिल गया।

अक्तूबर, 1974 में सोसाइटीज पंजीकरण कानून, 1860 के तहत संस्थान को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। एफटीआईआई सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति, संस्थान के पूर्व छात्र और पदेन सरकारी अधिकारी सदस्य शामिल हैं।

संस्थान का संचालन चेयरमैन की अगुवाई वाली संचालन परिषद द्वारा किया जाता है। संस्थान के मौजूदा चेयरमैन श्री गजेन्द्र चौहान हैं। संस्थान की शैक्षणिक नीतियां शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाई जाती है। वित्त से संबंधित मामले वित्त पर स्थायी समिति द्वारा देखे जाते हैं।

संस्थान मे दो विभाग या शाखाएं हैं- फिल्म और टेलीविजन। तीन साल के पाठ्यक्रम में निर्देशन, चलचित्रण, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड डिजाइनिंग तथा संपादन का स्नातकोतर

हैदराबाद में 19वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का उद्‌घाटन करते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

डिप्लोमा दिया जाता है। इसके अलावा संस्थान अभिनय और कलानिर्देशन तथा प्रोडक्शन डिजाइन में दो साल के स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। साथ में, यहां फीचर फिल्म पटकथा लेखन में भी एक साल का स्नातकोतर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम तथा एनिमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ साल का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम किया जा सकता है।

टेलीविजन पाठ्यक्रम के तहत संस्थान टेलीविजन में एक साल के स्नातकोतर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की पेशकश करता है। इसमें निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रण, वीडियो एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग तथा टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता शामिल है।

टेलीविजन उद्योग के तेजी से विकास की वजह से फिल्म में मुख्य डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रम का अद्यतनीकरण कर इसमें टेलीविजन के हिस्से को शामिल किया गया। इससे उक्त संस्थान के विद्यार्थी फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र के लिए जरूरी वैचारिक और तकनीकी कौशल में पारंगत होते हैं।

एफटीआईआई फिल्म निर्माण की कला और तकनीक तथा टेलीविजन प्रोडक्शन में उच्च स्तर की पेशेवर और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। 1974 से यह दूरदर्शन के सभी स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। दूरदर्शन कर्मचारियों, आईआईएस प्रोबेशनर्स के लिए विशेषीकृत क्षेत्रों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। एनएफएआई, पुणे के साथ सहयोग से हर साल गहन फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम की भी पेशकश करता है।

वर्ष की उपलब्धियां:

- कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोग से एफटीआईआई में 20 अप्रैल, 2015 को पूना सर्जिकल संस्थान, ब्लड बैंक द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
- 12 से 14 मई, 2015 तक एक फिल्म मूल्यांकन कार्यशाला का धर्मशाला में आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा, कला और संस्कृति विभाग ने किया। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर से 160 भागीदारों ने हिस्सा लिया।
- पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल 9 जून, 2015 को एफटीआईआई आए। वह यहां पंजाब सरकार के साथ इसी तरह का फिल्म संस्थान चंडीगढ़ में स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए आए।
- 11 जून, 2015 को प्रसिद्ध मेडिटेशनर डॉ. निखिल मेहता द्वारा मेडिटेशन या ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में करीब 50 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
- एफटीआईआई में 21 जनू, 2015 को 'योग दिवस' का आयोजन किया गया। योग क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती श्रीमती भट्ट ने योग के महत्व के बारे में बताया। इसमें स्टाफ सदस्यों ने काफी उत्साह से भाग लिया।
- एफटीआईआई और एनएफएआई द्वारा 40वें फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम का आयोजन 1 से 27 जनू, 2015 के दौरान किया गया।
- भारतीय सूचना सेवा के समूह क परिवीक्षाधानों, (प्रोबेशनर्स) के लिए दस दिन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एफटीआईआई में 22 से 31 जुलाई, 2015 के दौरान आयोजित किया गया।

फिल्म समारोह में एफटीआईआई की फिल्मों का चयन

- एफटीआईआई की डिप्लोमा फिल्मों सॉंग्स वी रोट (निर्देशक संधया सुंदरम), भूमिका (निर्देशक धीरज मेशराम), सदाबहार ब्रास बैंड (निर्देशक तुषार मोरे), यहीं कहीं नहीं (निर्देशक कर्मा तकाया), चैत की एक दुपहरी (निर्देशक राकेश शुक्ला), सीक एंड हाइड (निर्देशक मनोज कुमार निठारवाल), कामाक्षी (निर्देशक सतिदंर सिंह बेदी), का चयन अंतरराष्ट्रीय वृतचित्र एवं लघु फिल्म समारोह केरल-2015 के लिए हुआ।
- एफटीआईआई टीवी फाइनल फिक्शन फिल्मों-शैजे (निर्देशक राकेश कुमार पैकारा), वायर्ड (निर्देशक वरुणा टुटेजा), सेतु (निर्देशक शिवम शर्मा), मंगल (निर्देशक महेश कुमार मिश्रा) का चयन केरल के अंतरराष्ट्रीय वृतचित्र एवं लघु फिल्म समारोह-2015 के लिए हुआ।
- एफटीआईआई की डिप्लोमा फिल्म संयुक्ता शर्मा द्वारा निर्देशित 'ए ड्रीम एनिमल' का चयन 14वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म छात्र बैकाक समारोह डे सान सेबेस्टियन स्पेन-2015 के लिए हुआ।
- एफटीआईआई की डिप्लोमा फिल्म उधेड़बुन (निर्देशक सिद्धार्थ सिन्हा), को हैम्बर्ग, जर्मनी में कुर्जफिल्म एजेंवुर में इंडिया वीक में चुना गया।
- एफटीआईआई की डिप्लोमा फिल्म 'चावेर' (निर्देशक अभिलाष विजयन) को बीजिंग फिल्म अकादमी के 14वें अंतरराष्ट्रीय छात्र फिल्म एवं वीडियो समारोह के लिए चुना गया।
- एफटीआईआई की डिप्लोमा फिल्म पेनल्टी कार्नर (निर्देशक रंजीत कुमार औरोन), ज़ीरो (निर्देशक अभिषेक वर्मा), कामाक्षी (निर्देशक सतिंदर सिंह बेदी), क्रॉस रोड्स (निर्देशक अंकिता गुप्ता) को 9वें साइन जॉन अब्राहम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए केरल के लिए चुना गया।
- एफटीआईआई डिप्लोमा फिल्मों सदाबहार ब्रासबैंड (निर्देशक तुषार मोरे), सीक एंड हाइड (निर्देशक मनोज कुमार निठारवाल), कामाक्षी (निर्देशक सतिंदर सिंह बेदी) को 46वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह भारतीय पैनोरामा, गोवा के लिए चुना गया।
- एफटीआईआई डिप्लोमा फिल्मों कहानी (निर्देशक सार्थक भसीन), सदाबहार ब्रास बैड (निर्देशक तुषार मोरे), चैत की एक दुपहरी (निर्देशक राकेश शुक्ला) का

- चयन 13वें कल्पनिरझर अंतरराष्ट्रीय लघु फिक्शन फिल्म समारोह, कोलकाता के लिए किया गया।
- एफटीआईआई टीवी फाइनल फिक्शन फिल्मों मंगल (निर्देशक महेश कुमार मिश्रा) और एजोबंची पतंग (निर्देशक सौरभ खन्ना) को 13वें कल्पनिरझर अंतरराष्ट्रीय लघु काल्पनिक फिक्शन फिल्म समारोह, कोलकाता के लिए चुना गया।
- एफटीआईआई डिप्लोमा फिल्मों भूमिका (निर्देशक धीरज मेशराम) और क्रॉसरोड्स (निर्देशक अंकिता गुप्ता) का चयन 14वें थर्ड आई एशियाई फिल्म समारोह, मुंबई-2015 के लिए हुआ।
- एफटीआईआई के वृतचित्र फिल्मों परिवर्तन (निर्देशक महेश कुमार मिश्रा) और द बोहेमियन म्यूजिशियन (निर्देशक रोचक साहू) का चयन 8वें जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह-2016 के लिए हुआ।
- एफटीआईआई की फिल्मों को पुरस्कार
- सदाबहार ब्रास बैंड-तुषार मोरे, सम्यक लघु फिल्म समारोह पुणे में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में।
- सदाबहार ब्रास बैंड- तुषार मोरे, 13वें कल्पनिरझर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारो में सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रविष्टि के लिए पैटन अवार्ड।
- चैत की एक दुपहरी- राकेश शुक्ला, को 13वें कल्पनिरझर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, कोलकाता को विशेष उल्लेख श्रेणी में पुरस्कार।
- कहानी- सार्थक असीन को 13वें कल्पनिझर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, कोलकाता में विशेष उल्लेख श्रेणी में।
- कामाक्षी- सतिंदर सिंह बेदी को साइन जॉन अब्राहम राष्ट्रीय पुरस्कार को चित्र के 9वें संस्करण में फिक्शन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म।
- सीक एंड हाइड- मनोज निठरवाल को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार।
- कामाक्षी- सतिंदर सिंह बेदी 13वें अंतरराष्ट्रीय समारोह में सिंग्लस डे न्यूट, सारब्रूचेन, जर्मनी में (नाइट अवॉड्र्स)।
- कामाक्षी- सतिंदर सिंह बेदी स्टटगार्ट, जर्मनी में 12वें भारतीय फिल्म समारोह में लघु फिल्म श्रेणी में (ऑनरएबल मेंशन)।
- सीक एंड हाइड- मनोज निठरवाल-फिजी में 2015 में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म पुरस्कार।
- चावेर- अभिलाष विजयन-यूथ स्प्रिंग फिल्म समारोह, कालीकट भारत-2015 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म।
- चावेर- अभिलाष विजयन-को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह भारत-2015 में सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म सम्मान।

विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम

विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत एफटीआईआई के छात्र इन विदेशी फिल्म संस्थानों में गएः-

क्र.	छात्र और विशेषज्ञता	बैच	संस्थान	अवधि
1	समीरा हुसेयनोवा, एडिटिंग	2009	2009 एफएएमयू चेक गणराज्य	फरवरी 2014 से अप्रैल 2015
2	पीयूष शाह, साउंड रिकॉर्डिंग	2011	2011, फिल्म स्कूल कोलोन	5 सप्ताहः 1 जुलाई से 10 अगस्त, 2015
3	मकरंददेवडैंब हरे, एडिटिंग	2011	2011 ला फेमिस फ्रांस	5 सप्ताहः 20 अप्रैल से 23 जनू 2015
4	भूषण दिनकर इंगोल एडिटिंग	2012	2012 ला फेमिस फ्रांस	5 सप्ताह 20 अप्रैल से 23 जून

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

भारत सरकार ने वर्ष 1995 में सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की स्थापना एक स्वायत अकादमिक संस्थान के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत की थी। बाद में संस्थान को पश्चिम बंगाल सोसाइटीज पंजीकरण कानून, 1961 के तहत पंजीकृत कराया गया। संस्थान का नामकरण फिल्म क्षेत्र की महान हस्ती, सत्यजीत रे के नाम पर किया गया है। यह संस्थान फिल्म क्षेत्र प्रशिक्षण या शिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान है, जो छह क्षेत्रों-(1) निर्देशन और पटकथा लेखन (2) सिनेमेटोग्राफी (3) संपादन (4) साउंड रिकार्डिंग और डिजाइन (5) फिल्म एवं टेलीविजन के लिए निर्माण (यह पाठ्यक्रम 2012 में शुरू हुआ) और (6) एनिमेशन सिनेमा (पाठ्यक्रम 2015 से शुरू हुआ) में तीन साल के स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश करता है।

प्रबंधन और सांगठनिक रूपरेखा

इस संस्थान का संचालन भारत सरकार द्वारा गठित सोसाइटी द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष की अगुवाई वाली यह सोसाइटी संस्थान को एक संचालन परिषद द्वारा चलाती है। इसमें सिनेमा जगत के विशेषज्ञों के अलावा मंत्रालय और अन्य मीडिया इकाइयों के पदेन अधिकारियों के अलावा पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संचालन परिषद संस्थान की पूर्ण निगरानी और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है।

सोसाइटी, संचालन परिषद और वित्त पर स्थायी समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी पदेन सदस्यों के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। संचालन परिषद (जीसी) द्वारा गठित अकादमिक परिषद (एसी) में डीन और संस्थान के छह विभागीय प्रमुखों (एचओडी) के अलावा छह डोमेन विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा इसमें छात्रों और पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एसी को सभी अकादमिक और शिक्षण से संबंधित मामले देखने का अधिकार है। निदेशक संस्थान के मुख्य

कार्यकारी अधिकारी हैं जो जीसी की सलाह और निर्देशन में काम करते हैं। अकादमिक और प्रशासनिक कामकाज में क्रमशः डीन और रजिस्ट्रार उनका सहयोग करते हैं।

वर्ष की प्रमुख गतिविधियां

- संस्थान द्वारा एक विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम 'कोलकाता-फ्रॉम डान टिल डस्क' का संस्थान द्वारा 29 अप्रैल, 2015 का आयोजन किया गया। स्क्रीनिंग के बाद प्रश्नोतर (क्यू एंड ए) सत्र को आयोजन किया गया जिसमें पोलैंड के वृतचित्र कैमरामैन श्री जैकपिट्रयेकी ने सक्रियता से हिस्सा लिया।
- 3 मई, 2015 को आयोजित 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एसआरएफटीआई में सिल्वर लाइनिंग पुरस्कार मिला। इसका निर्देशन भाबनीतामुली ने किया।
- संस्थान के परिसर में एक पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निदेशक और अन्य अधिकारियों, फैकल्टी, स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों ने 200 से अधिक पौध का रोपण किया।
- भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के छात्रों के लिए 13 जुलाई से 6 सितंबर, 2015 तक फिल्म मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसआरएफटीआई ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली (एनएसडी) के विद्यार्थियों के लिए 21 जुलाई से 1 अगस्त, 2015 तक फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया।
- तटगांव फिल्म के निर्देशक और रेड कैमरा सेंसर के आविष्कारक श्री बेदाब्रातो पेन फिल्म निर्माण और टेलीविजन विभाग के विद्यार्थियों के साथ 12 अगस्त, 2015 को परिचर्चा सत्र में शामिल हुए।
- टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के बांग्ला समाचार पत्र ईआई समय के साथ सहयोग में 29 अगस्त, 2015 को 'द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा' पर एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रोजेक्ट 'आत्मादीप' के तहत किया गया जिसमें विभिन्न स्कूलों के कक्षा सात से दस के चयनित बच्चों को सिनेमा निर्माण के बारे में बताया गया।
- 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2015 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इसमें आधिकारिक भाषा में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
- इटली के प्रसिद्ध सितारवादक श्री लुगीएटाडिमो ने 24 नवंबर, 2015 को संस्थान ने मुख्य आडिटोरियम में

सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में पथेर पंचाली के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह

पारंपरिक गिटारवादन का प्रदर्शन किया।

संस्थान में 19-20 दिसंबर, 2015 को पाथेरपांचाली की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें मास्टर क्लास आन पाथेरपांचाली: हाऊ रेटल्स इट, जर्मनी के प्रो. माटिन थाउ पर परिचर्चा का आयोजन हुआ जिसमें प्रसिद्ध प्रोफेसर स्वप्न चक्रवर्ती, प्रो. अनिंदयो सेनगुप्ता, पो. सुप्रिया चौधरी और लेखक श्री सुब्रत मुखर्जी ने विषय पर चर्चा की: ह्यूमैनिस्ट नैरेटिव्स- टेक्स्ट टू मोशन इमेज पर एक पैनल चर्चा में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री शाहजी एन करुण, फिल्म निर्देशक श्री कमलेश्वर मुखर्जी, प्रसिद्ध फोटोग्राफी निर्देशक श्री शंकेन रमण, वृतचित्र निर्माता श्री सौरव सारंगी और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री शेखर दास ने इस विषय पर परिचर्चा में हिस्सा लिया। रे की विरासत, सिनेमा-फिल्म निर्माता का आयोजन किया गया। इसके अलावा, सत्यजीत रे की 'क्लासिक्स' भी दिखाई गईं।

वर्तमान विद्यार्थी

इस समय संस्थान में छह विदेशी छात्रों सहित कुल 146 विद्यार्थी स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की इस नई रूपरेखा को 2015 से अपनाया गया है। यह मॉड्यूलर क्रेडिट प्रणाली पर आधारित है। इसे डोमेन विशेषज्ञों और अकादमिक परिषद के सदस्यों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की समयसीमा का मजबूती से अनुपालन हो सके।

पिछले एक वर्ष में विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम:

i) आठ विद्यार्थियों और एक फैकल्टी सदस्य को चीन के शहरी जीवन पर फिल्म बनाने के लिए नॉर्मल विश्वविद्यालय, बीजिंग द्वारा आमंत्रित किया गया।

ii) एफएएमयू-चेक गणराज्य, और ग्रिफिथ विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के साथ एमओयू को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

iii) एसआरएफटीआई से बांग्लादेश सिनेमा एवं टेलीविजन संस्थान, ढाका ने एमओयू के लिए संपर्क किया है।

छात्रों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समारोह और पुरस्कार के लिए चयन

Øe l-	fQYe dk uke	ijLdkj] vrjjk"Vh; fQYe lekjkg e fgLlnkjh	funs'kd flueVkxkQj
1.	रॉन्ग कुचक	वेनिस, में कालोस्कारी लघु फिल्म समारोह-2015 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म वॉल्यूमिना अवार्ड	निर्देशक, डोमिनिक संगम
2.	रांडुकुरिप उकल (दो नोट्स)	21वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह-2015 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार	निर्देशक गिरीश कुमार के.
3.	गोइंग होम	अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह-तामपेरे	निर्देशक निरंजन कुजुर
4.	की स्कावयर	काफोस्कारी लघु फिल्म समारोह वेनिस-2015 के लिए चयन	निर्देशक एस. के. रक्षित
5.	गोइंग होम	आईडीएसएफएफ के लघु फिल्म समारोह-2015 के लिए चयन	निर्देशक निरंजन कुजुर
6.	क्षत्रप	आईडीएसएफएफ के लघु फिल्म समारोह-2015 के लिए चयन	निर्देशक सजल आनंद
7.	आंदोलन	34वें फिल्म स्कूल फेस्ट म्यूनिख, लघु फिल्म समारोह, म्यूनिख -2015 के लिए चयन	निर्देशक वैमन हिवासे
8.	गोइंग होम	बीजिंग फिल्म अकादमी के 14वें अंतरराष्ट्रीय छात्र फिल्म एवं वीडियो समारोह -2015 के लिए चयन	निर्देशक निरंजन कुजुर
9.	डैडी ग्रैंडपा एंड माई लेडी	आईएफएफआई समारोह 2015 के लिए चयन	निर्देशक किमजंग हुन
10.	गोइंग होम	एमआईएफएफ प्रिज्म फिल्म समारोह-2016 के लिए चयन	निर्देशक निरंजन कुजुर
11.	डैडी ग्रैंडपा एंड माई लेडी	एमआईएफएफ प्रिज्म फिल्म समारोह-2016 के लिए चयन	निर्देशक किमजंग हुन

नई पहल

एनिमेशन सिनेमा विभाग: पिछले कुछ साल में ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन में काफी बदलाव आया है। इस दौरान जो एक क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ है-वह एनिमेशन और मल्टी मीडिया से संबंधित एप्लिकेशन है। वेब संबंधित एप्लिकेशन और मल्टीमीडिया सीडी-रोम्स गेम्स डेवलपमेंट एक तेजी से बढ़ता संभावना वाला बाजार है। इसके अलावा एनिमेशन फिल्मों के जरिये क्रिएटिव तरीके से कोई कहानी पेश की जा सकती है। एनिमेशन संबंधित कार्य के लिए भारत पहले ही प्रमुख आउटसोर्सिंग गंतव्य बन चुका है। इस क्रिएटिव या सृजनात्मक उद्योग के लिए दक्ष श्रमबल की भारी मांग है। बदलते रुख और क्षेत्र में विशेषज्ञ श्रमबल

की कमी के मद्देनजर संस्थान 2015 एनिमेशन सिनेमा में तीन साल का स्नातकोतर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक बैच में 10 विद्यार्थी होंगे। पहला बैच सिर्फ आठ विद्यार्थियों का है।

अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की सरकार की पहल और फिल्म एवं टेलीविजन क्षेत्र में पूर्वोत्तर की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से मंत्रालय किसी भी पूर्वोत्तर राज्य में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की तर्ज पर फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। एसआईएफटीआई, कोलकाता को राज्यों में जाकर व्यावहार्यता अध्ययन करने और राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने का दायित्व सौंपा गया।

एसआरएफडीआई की टीम ने मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम का दौरा करने के बाद जोलिंग (जोट) ईटानगर-अरुणाचल प्रदेश और चिंगस्वू, इंफाल मणिपुर दो साइटों की प्रस्तावित संस्थान के लिए सिफारिश की है। माननीय वित्त मंत्री ने 2015-16 के बजट भाषाण के अनुरूप मंत्रालय अब अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एवं टीवी संस्थान के लिए काम कर रहा है। एसआरएफटीआई ने परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रपट सौंपी है। फिलहाल इसकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि के स्थानांतरण की औपचारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

अवलोकन

कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में फिल्म के संरक्षण की जरूरत को दुनिया भर में स्वीकार किया जा चुका है। सिनेमा के सभी रूपों और विविध भावों के संरक्षण का कार्य पर्याप्त संसाधन, स्थायी सेट-अप और स्थानीय फिल्म उद्योग की जानकारी रखने वाले राष्ट्रीय संगठन को सौंपा गया है।

इसलिए, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में स्थापित किया गया था।

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय सरकार की इस दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि फिल्में भी किताबों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरह ही मूल्यवान हैं और देश की भावी पीढ़ी के लिए फिल्मों को भी संरक्षित करने की जरूरत है।

भारतीय सिनेमा की विरासत के संरक्षण के प्राथमिक चार्टर के अलावा, अभिलेखागार का एक घोषित लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक मौजूदगी देश-दुनिया में ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शित हो। हर समाज की चलचित्र विरासत अहम है और उसकी सांस्कृतिक विरासत का खास हिस्सा भी है। चलचित्र विरासत संरक्षण को ज्यादातर देश में प्राथमिकता के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनेस्को का भी सहयोग शामिल है। भारत में एनएफएआई एकमात्र ऐसा संगठन है, जो भारत की विविध सिनेमाई विरासत को संरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है।

इसलिए सन् 1964 के फरवरी महीने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय फिल्म अभिलेखागार स्थापित किया गया था।

i) भावी पीढ़ी की विरासत की रक्षा के लिए विश्व सिनेमा की पहचान, अधिग्रहण और प्रतिनिधि संग्रहण।

ii) सिनेमा संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण और दस्तावेजीकरण, सिनेमा पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उसे प्रकाशित और वितरित करना।

iii देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना और देश और विदेश में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करना।

एनएफएआई की फिल्म अधिग्रहण नीति

- फिल्में जिन्हें भारत में प्रदेश फिल्म समारोह और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार दिया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा वर्ग में दिखाई गई फिल्में।
- बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रिय रहने वाली और देश-विदेश में ज्यादातर दर्शकों द्वारा देखी जाने वाली फिल्में।
- भारतीय और विदेशी दोनों स्तर पर प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के फिल्म रूपांतरण।
- भारतीय और विदेशी स्थलों पर शूट की गई या भारतीय या विदेशी नागरिकों द्वारा बनाई गई फिल्में।
- एनएफडीसी और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्तपोषित या निर्मित की गई सभी फिल्में।
- बाल फिल्मों के प्रतिनिधि उदाहरण।
- भारतीय और विदेशी प्रोडक्शन सेट अप द्वारा किया गया वास्तविकता सामग्री समाचार कवरेज।
- सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व के वृतचित्र ।

जयकर बंगला

''जयकर बंगला'' लॉ कॉलेज रोड पर एनएफएआई के मुख्य परिसर में बना है, इसे पुणे नगर निगम द्वारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी इमारत में बैरिस्टर मुकुल आर. जयकर रहा करते थे। बैरिस्टर मुकुल जयकर एक जाने-माने शिक्षाविद् और कानूनविद् थे। यह पुणे विश्वविद्यालय के पहले वाइसचांसलर भी थे। पुणे की समृद्ध विरासत में इनका अहम योगदान है। लकड़ी से बनी सीढ़ियों और खिड़कियों के साथ इस इमारत का ढांचा बेहद आकर्षक और मजबूत है। 1964 में पुणे के भारतीय फिल्म

संस्थान के परिसर में एक छोटे से दफ्तर से हुई शुरुआत के बाद एनएफएआई का दफ्तर मई, 1974 में जयकर बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया था। मार्च 1981 में एनएफएआई ने दो एकड़ अतिरिक्त जमीन के साथ जयकर बंगले को भारतीय कानून संस्थान से अधिग्रहित कर लिया था। जयकर बंगले में एनएफएआई का दफ्तर जनवरी 1994 तक रहा। इसके बाद यह इसी परिसर में एक नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। यहां अंतरराष्ट्रीय फिल्म संरक्षण मानकों के आधार पर फिल्म कक्ष और उपकरणों से लैस विभाग, किताबें, शोधपत्र, दस्तावेज केंद्र और पुस्तकालय डिजाइन कराया गया था। इसमें फिल्म पोस्टरों और फिल्म स्टिल्स का अनमोल संकलन भी शामिल है। इस अभिलेखागार में आम लोगों को फिल्म दिखाए जाने के लिए तीन सिनेमा ऑडिटोरियम भी हैं।

जयकार बंगला अपनी अमूल्य विरासत की वजह से देश के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसलिए भावी पीढ़ी के लिए इसका संरक्षण जरूरी है। भारत सरकार ने इसके लिए 9 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और जयकर बंगला को संरक्षित करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की इस योजना के लिए उपयुक्त संरक्षण कार्य और बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत है।

एक अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान एनएफएआई ने अपने संकलन में 334 से ज्यादा फिल्में (94 फ्रेंच, 5 डुप्लीकेट, एलटीएल आधार पर प्राप्त 235 फिल्में), 153 किताबें, 2358 फिल्म स्टिल्स, 360 गानों की किताबें, 150 पटकथा, 427 प्रेस क्लीपिंग और 1054 वॉल पोस्टर जोड़े हैं।

इस समय के दौरान कुछ अहम नए फिल्म शीर्षक भी अभिलेखागार में जोड़े गए हैं। इनकी जानकारी संलग्नक-ए में दी गई है।

हाल के दिनों में महत्वपूर्ण अधिग्रहण

जर्मनी से एक प्रतिनिधिमंडल, बर्लिन का द आर्सेनल-इंस्टीट्यूट फॉर फिल्म एंड वीडियो संस्थान, नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास में सांस्कृतिक अधिकारी मिस स्टेफनी शुले स्ट्राथस और लारा ब्रोडेनफ्लेड और अन्य सदस्यों ने डिजिटल रूप से संरक्षित की गई फिल्म घासीराम कोतवाल को डीसीपी प्रारूप और डीवीडी के सेट के रूप में 23 मार्च, 2015 को एनएफएआई को सौंपा। यह एक भारतीय फिल्म है, जो शुरुआती दौर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को दिखाती है।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को तेलुगु की 1947 में आई क्लासिक फिल्म पालांतियुद्धम का नाइट्रेट भी मिला है। इस फिल्म को गुडावल्लीरामाब्रह्म्म और एल.वी. प्रसाद ने हैदराबाद में निर्देशित किया था। 168 मिनट की इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का ऐतिहासिक महत्व है, इसमें पलांदू के युद्ध का वर्णन किया गया है। इस फिल्म में दादा साहब फाल्के अवॉर्ड प्राप्त एक्कीनेनीनागेश्वर राव के साथ गोविंद्राराजुलासुब्बाराव और पासुपुलेतिकन्नंबा अहम भूमिका में हैं। इसे श्रीश्रद्धा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को पी.सी.बरुआ की देवदास की एक डीवीडी प्रति भी प्राप्त हुई है। शरत चंद्र चटोपाध्याय के मशहूर उपन्यास देवदास पर आधारित यह फिल्म 1935 में बंगाली में बनाई गई थी। देश में इसका कोई अन्य प्रिंट उपलब्ध नहीं है। न्यू थियेटर प्रोडक्शन की इस फिल्म का एकमात्र उपलब्ध निगेटिव ढाका में बांग्लादेश फिल्म अभिनलेखागार को सौंपा गया था। बांग्लादेश सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव मुर्तजा अहमद की अध्यक्षता वाला बांग्लादेश हाइ कमीशन के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीवीडी की यह प्रति 17 अगस्त, 2015 को एनएफएआई को सौंपी। नई दिल्ली स्थित फ्रेंच दूतावास ने एनएफएआई को संरक्षण के लिए 63 फिल्में सौंपी।

कोलकाता के श्री भरत लक्ष्मी पिक्चर्स द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक फिल्मों के दुर्लभ निगेटिव्स (1930-40 के दशक) की लगभग 600 फिल्म रील हाल ही में अधिग्रहित की गई है। बंगाली, पंजाबी, हिंदी, तमिल, गुजराती और तेलुगु भाषा में अधिग्रहित की गई ये फिल्में देश की सिनेमाई विरासत का अहम हिस्सा हैं।

एनएफएआई में फिल्म भंडारण/संरक्षण सुविधाएं

एनएफएआई में वैश्विक मानकों और विशेषताओं से लैस लगभग 19 फिल्म संरक्षण कक्ष हैं। इन कक्षों में लगभग दो लाख फिल्म रीलों को संरक्षित करने की क्षमता है। मुख्य इमारत में तीन कक्ष हैं और पुणे के फेज-2 में 16 कक्षों की सुविधा है।

फिल्म कक्ष ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों, कलर फिल्मों और नाइट्रेट आधारित फिल्मों के लिए निम्नलिखित तापमानों पर व्यवस्थित किए जाते हैं।

फिल्म प्रकार	तापमान	सापेक्षिक आद्रता
नाइट्रेट फिल्म	14° C	40%
श्वेत श्याम फिल्म	14° C	40 to 50%
रंगीन फिल्म	2° C + - 1° C	24% + - 5%

फिल्म संस्कृति का प्रसार

(1) फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स

फिल्म संस्कृति के प्रसार के तहत एक महत्वपूर्ण गतिविधि ऐसी फिल्म शिक्षा योजना है, जिसमें भारत भर में विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जाने वाले दीर्घ या लघु अवधि के फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स, शामिल हैं।

फिल्म एप्रीसिएशन में 40वें वार्षिक कोर्स का आयोजन पुणे

में 1-27 जून 2015 के दौरान किया गया। देश भर से 73 प्रतिभागियों ने इस कोर्स में उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें गुवाहटी और डुलि यागम, असम से एक-एक प्रतिभागी शामिल था। मशहूर फिल्म निर्देशक कुंदन शाह ने इसके विदाई समारोह की शान बढ़ाई। यह कोर्स मुख्य रूप से फिल्म संबंधी प्रशिक्षकों जैसे फिल्म अध्ययन, संचार, पत्रकारिता के शिक्षक, फिल्म संस्था आयोजक, फिल्म आलोचक, शोधार्थी, फिल्म से संबंधित सरकारी अधिकारी, तकनीशियन और फिल्म में दिलचस्पी रखने वाले अन्य लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। एक लघु फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा दूसरे दर्जे के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को फिल्म एप्रीसिएशन के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने और देश भर में एक स्वस्थ फिल्म संस्कृति विकसित और प्रसारित करने की जरूरत की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से आठ अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों ने 13-17 जुलाई 2015 तक चले इस कोर्स में हिस्सा लिया। इस कोर्स का उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के निदेशक श्री प्रकाशमागदम और वरिष्ठ फिल्म अध्यापक श्री अनिल जनकार और श्री समर नखाटे द्वारा किया गया। इस कोर्स में महान पत्रकार और मीडिया आलोचक दिलीप पडगांकर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने आज के समय में समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों की बदलती भूमिका, पीआईओ के सामने आने वाली चुनौतियों और सरकार द्वारा विज्ञापन और अभियान चलाए जाने की जरूरत पर बात की। इस दौरान सवाल-जवाब के लिए भी एक सत्र आयोजित किया गया। श्री पडगांकर ने इस दौरान सर्टिफिकेट भी वितरित किए। फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया (महाराष्ट्र अध्याय), आशय फिल्म क्लब, वी शांताराम फाउंडेशन और एनएफएआई, पुणे के सहयोग से 6-11 सितंबर, 2015 के दौरान एनएफएआई में मराठी में एक लघु फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स का भी आयोजन किया गया। महाराष्ट्र भर से इसमें 105 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

मैसूर में भी कर्नाटक चलचित्र अकादमी और मैसूर विश्वविद्यालय के सहयोग से एक लघु फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एनएफएआई के निदेशक श्रीप्रकाशमागदम, पुरस्कार प्राप्त कन्नड़ फिल्म निर्देशक श्री.पी.शेशाद्री द्वारा किया गया। 80 प्रतिभागियों ने इस कोर्स में हिस्सा लिया।

(2) फिल्म तकनीकी कार्यशाला

29 जनवरी, 2015 को स्टाफ के सदस्यों के लिए फिल्म संरक्षण और संग्रहण पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के साथ एक व्याख्यान-सत्र-कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुंबई की रिलायंस मीडिया वर्क्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष और एनएफएआई के फिल्म संरक्षण अधिकारी समेत तीन अधिकारियों ने इस मौके पर व्याख्यान दिए। एफटीआईआई के तकनीकी स्टाफ ने भी इस कार्यशाला में उपस्थिति दर्ज कराई।

(3) भारत में फिल्म संरक्षण और संग्रहण स्कूल

22 फरवरी, 2015 से 28 फरवरी, 2015 तक मुंबई की फिल्म विरासत फाउंडेशन द्वारा मार्टिन स्कोरसे की द फिल्म फाउंडेशन और विश्व सिनेमा प्रोजेक्ट, स्निटेका डे बोलोग्ना, इमेजिनरित्रोविटा, बोलोग्ना और एफआईएएफ (इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव) के सहयोग से मुंबई की फिल्म डिवीजन में फिल्म संरक्षण और संग्रहण पर साप्ताहिक कोर्स का आयोजन किया गया। एनएफएआई से दो फिंल्म चेकर्स को कोर्स के लिए नियुक्त किया गया और फिल्म संरक्षण कार्यालय ने बतौर अतिथि तीन दिन के लिए कोर्स में उपस्थिति दर्ज कराई।

(4) एनएफएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फिल्मों का संचय

भारत में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एनएफएआई कई तरह की गतिविधियां आयोजित करता है। इसकी वितरण लाइब्रेरी के देश भर में 25 सक्रिय फिल्म क्लब/सदस्य हैं। यह अभिलेखागार देश भर में विभिन्न प्रदर्शनी कार्यक्रमों और फिल्म समारोहों के लिए फिल्में उपलब्ध कराता है।

इस साल के दौरान एनएफएआई ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न फिल्म समारोहों का आयोजन किया और फिल्म उपलब्ध कराए।

(5) विभिन्न फिल्म समारोहों में भागीदारी

13वें पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन महाराष्ट्र सरकार, पुणे फिल्म फाउंडेशन और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के सहयोग से 8 जनवरी-15 जनवरी, 2015 के दौरान किया गया। एनएफएआई ने 15 फिल्में और दो थियेटरों की व्यवस्था कराई। एक लॉ कॉलेज रोड और दूसरा कोथ्रुड के फेस-2 में।

- एनएफएआई ने गोवा में भारत के 46वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में 'पुनःनिर्मित क्लासिंक्स पर मल्टीमीडिया एक्जीबिशन' की व्यवस्था की। इसमें आइनॉक्स थियेटर में 80 पैनल और 25 ऑडियो विजुअल क्लिप्स लगाई गईं। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के उद्देश्यों को प्रदर्शित किया। यह प्रदर्शनी डीएवीपी, नई दिल्ली द्वारा प्रदर्शित की गई थी। अधिकांश प्रदर्शनी को फिल्म की कथा संप्रेषित करने और उसके मुख्य आकर्षण दिखाने के लिए पुनः निर्मित किया गया था। सभी प्रदर्शित फिल्मों में भारतीय सिनेमा के इतिहास में इन फिल्मों का महत्व बताने वाले सूचनापरक शीर्षक भी दिए गए थे। यहां हिंदी सिनेमा के साथ-साथ क्षेत्रीय सिनेमा को भी प्रदर्शित किया गया। पैनल्स के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने के कारण प्रदर्शनी ने भारतीय सिनेमा के इतिहास और विकास को प्रदर्शित किया। इस तरह यह प्रदर्शनी ऑडियो-विजुअल के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी थी। सभी तस्वीरें एनएफएआई के व्यापक संकलन से ली गई थीं।

- श्रेष्ठ फिल्म उपकरण जैसे ओल्ड कैमरा, प्रोजेक्टर, लकड़ी का पटला और ट्राइपॉड को भी प्रदर्शित किया गया। मुख्य आकर्षण बना 1885 का जादुई लालटेन। एनएफएचएम की एक प्रोमो फिल्म भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा थी। सेल्फी कॉर्नल और वॉल ऑफ फेम भी अतिरिक्त आकर्षण रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने किया। इस प्रदर्शनी के अलावा, एनएफएआई ने ईएससी (गोवा की एंटरटेनमेंट सोसाइटी) के सामने फुटपाथ पर लगभग 800 पोस्टर और तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी की शुरुआत कला अकादमी से हुई और इसे ईएसजी तक विस्तार दिया गया।

  इस प्रदर्शनी को भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया और यह 1913 में आई भारत की पहली फिल्म राजा हरश्चिंद्र से शुरू होकर साल 2014 तक के फिल्मों तक चली। यह प्रदर्शनी भारतीय सिनेमा की दृश्य यात्रा के रूप में सामने आई। इसके अलावा, यहां उत्तर-पूर्वी सिनेमा और भारतीय सिनेमा में संगीत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। प्रदर्शनी में अति विशिष्ट हस्तियों और प्रतिनिधियों के साथ इलैयाराजा, श्याम बेनेगल, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, कबीर खान, कुणाल कपूर, जैकी श्रॉफ, मंजू बोरा और अंतरराष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष शेखर कपूर जैसी कई फिल्मी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया।

- एनएफएआई ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन पर आधारित एक फिल्म की रिलीज के साथ गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिंल्म फेस्टिवल में उपस्थिति दर्ज कराई। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने 21 नवबंर, 2015 को आयोजित एक इवेंट में फिल्म रिलीज की। यह फिल्म, फिल्म संरक्षण की प्रक्रिया और इस अभियान के प्रसार के महत्व पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। तीन मिनट की यह फिल्म सिनेमा अमिट है, अगर इसे 'संरक्षित किया जाए' नामक थीम पर आधारित है। एनएफएआई ने 11 डीवीडी और 8 फिल्में भी इस फिल्म समारोह के लिए उपलब्ध कराईं।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और अन्य विशेष अवसरों के लिए भेजी गई फिल्में

लेबनान में भारतीय फिल्म फेस्टिवल के लिए बीआरडी फॉरमेट में एक फिल्म लाइट ऑफ एशिया बेरुत में भारतीय दूतावास के जरिये भेजी गई। जाने-माने फिल्मकार मृणालसेन की दो फिल्में कैलकट-71 और इंटरव्यू डीवीडी फॉरमेट में मई, 2015 में वेनिस बाइनेले फेस्टि्वल के लिए भेजी गईं।

पोस्टर प्रदर्शनी

एनएफएआई विभिन्न विषयों के तहत अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों के पुराने पोस्टर दिखाने के लिए पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजित करती है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2015 में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी देखते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन, 597.41 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, जिरसे सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवंबर 2014 में भारतीय फिल्म विरासत के संरक्षण और पुनःनिर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, जो कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल होगा। इस पहल को फिल्म उद्योग द्वारा सराहा जाएगा। इस नई योजना ने एनएफएआई और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अन्य मीडिया इकाइयों में उपलब्ध फिल्मों के डिजिटाइजेशन और पुनःनिर्माण की व्यवस्था की है। इस योजना का क्रियान्वयन कार्य भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे को दिया गया है। पहली उच्च स्तरीय कमेटी मीटिंग 26 जून, 2015 को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव (फिल्म), सीबीएफसी, एफटीआईआई, सीएफएसआई, एसआरएफटीआई और एनएफडीसी के अध्यक्ष, डीएफएफ के निदेशक की उपस्थिति में की गई। इस कमेटी में तीन सदस्य फिल्म उद्योग से भी शामिल हैं, इनमें फिल्म निर्देशक जहान बरुआ, सिआनेमेटोग्राफर श्री संतोष सिवान, पीएसबीटी के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राजीव मेहरोत्रा और एनएफएआई के निदेशक शामिल हैं। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए किसी संस्था की पहचान और उसे जोड़ने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति भी प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के उद्देश्य (एनएफएचएम)

(i) फिल्म संग्रह की फिल्म की स्थिति का मूल्यांकन करना और फिल्म की बाकी बची अवधि का पता लगाना।

(ii) 1,32,000 फिल्म रीलों का बचाव और संरक्षण।

(iii) 1086 खास फीचर फिल्मों और भारतीय सिनेमा के 1152 शॉर्ट्स 2के/4के चित्र एवं ध्वनि प्रतिपादन और प्रत्येक फिल्म के लिए नई तस्वीरों और साउंड इंटर-निंगेटि्व्स की रिकॉर्डिंग।

(iv) 1160 फीचर फिल्मों और 1660 शॉर्ट्स का डिजिटाइजेशन।

(v) एनएफएचएम के अंतर्गत प्रतिपादित सामग्री के पुणे स्थित एनएफएआई परिसर में धूल मुक्त और कम नमी, कम तापमान की स्थिति। में संरक्षण के लिए अभिलेखीय और संरक्षण सुविधाओं का निर्माण।

(vi) संरक्षण और संग्रहण के क्षेत्र में कार्यशालाओं और पाठ्यक्रम प्रशिक्षण और इस क्षेत्र में विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से संग्रहण करना।

रंगमंच सुविधाएं

एनएफएआई में तीन मल्टी पर्पस थियेटर हैं। मुख्य परिसर में 35 सीटों वाला एक प्रीव्यू थियेटर और 300 सीटों वाला मुख्य थियेटर और कोथ्रुड में 200 सीटों वाला स्टेट ऑफ द आर्ट थियेटर। एफटीआईआई की शैक्षिक प्रदर्शनी और एनएफएआई के अपने कार्यक्रमों के अलावा, यह सुविधाएं अन्य संस्थानों द्वारा भी प्रदर्शनी कार्यक्रमों, व्याख्यानों और गोष्ठियों के लिए उपयोग में ली जाती हैं।

मैक्स मुलर भवन, एलांयस फ्रेकैस और पुणे में ब्रिटिश काउंसिल ने भी अपने सदस्यों और एनएफएआई फिल्म सर्कल के सदस्यों के लाभ के लिए नियमित रूप से प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया। रिपोर्ट के अंतर्गत इस समय के दौरान मुख्य ऑडिटोरियम और प्रीव्यू थियेटर को 311 कार्यक्रमों के लिए किराये पर दिया गया।

निर्माताओं और कॉपीराइट मालिकों को सुविधाएं

एनएफएआई प्रसारण प्रयोजनों के लिए निर्माताओं और कॉपीराइट मालिकों को वास्तविक निगेटिव्स से फिल्मों को दुरुस्त करने और प्रसारण के उद्देश्य के लिए वीडियो नकल और डुप्लीकेट प्रतियां तैयार करने की सेवाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय और उपग्रह नेटवर्क पर प्रसारित किए जाने वाले सेल्यूलाइड क्लासिक्स इसी के संग्रह से एकत्र किए गए थे।

योजना और गैर-योजना कार्यक्रम

योजना परिव्यय

दो योजना कार्यक्रमों हेतु साल 2015-2016 के दौरान एनएफएआई का बजट प्रावधान छह करोड़ रुपये है। एक अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान एनएफएआई ने अपने संग्रहण में 334 से ज्यादा फिल्में जोड़ी हैं (94 वास्तविक, 5 डुप्लीकेट, 235 फिल्में एलटीएल आधार पर प्राप्त), 153 किताबें, 2358 स्टिल्स, 360 गानों की किताबें, 427 प्रेस क्लीपिंग, 150 स्क्रिप्ट और 1054 वॉल पोस्टर। 2015-16 के दौरान योजना प्रदर्शन का ब्योरा संलग्नक-2 में दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर के लिए बजट प्रावधान

एनएफएआई की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पूर्व क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर के लिए किसी भी तरह का बजट प्रावधान उपलब्ध कराना संभव नहीं समझा गया।

योजना और गैर-योजना के लिए बजट प्रावधान नीचे दिया गया है-

ctV vkdyu 2015&2016

(रुपये करोड़ में)

	योजना	**गैर–योजना**	**कुल**
प्रमुख शीर्ष "2220" - सूचना व प्रसार राजस्व विभाग व पूंजी **कुल**	**6.00**	**4.75**	**10.75**
संशोधित अनुमान 2015 - 2016			
प्रमुख शीर्ष "2220"-सूचना व प्रसार राजस्व विभाग व पूंजी	6.00	4.34	10.34
कुल	**6.00**	**4.34**	**10.34**
बजट आकलन 2016 – 2017			
प्रमुख शीर्ष "2220" - सूचना व प्रसार राजस्व विभाग व पूंजी	12.77	5.92	18.69

प्रशासन

संगठनात्मक ढांचा

पुणे में मुख्यालय के साथ-साथ एनएफएआई के तीन क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में भी हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का मुख्य कार्य फिल्म संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के जरिये फिल्म संस्कृति का अपने-अपने क्षेत्र में प्रसार करना है। क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज एनएफएआई निदेशक की देखरेख में होते हैं। तीन क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर एनएफएआई के कुल स्टाफ सदस्यों की संख्या 49 है। (26 प्रशासनिक विभाग में और 23 तकनीकी विभाग में)।

जनजातीय उप-योजना/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के संबंध में बजट प्रावधान

एनएफएआई की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह जनजातीय उप-योजना/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के संबंध में किसी भी तरह के बजट प्रावधान संभव नहीं माने गए थे।

एफआईएएफ

मई, 1969 से एनएफएआई फिल्म अभिलेखागार की इंटरनेशनल फेडरेशन का सदस्य है। एफआईएएफ की सदस्यता एनएफएआई को विशेषज्ञ सलाह, संरक्षण की तकनीकों की जानकारी, दस्तावेजीकरण और ग्रंथसूची हासिल करने में मदद करती है। यह अभिलेखीय विनिमय कार्यक्रमों के तहत अन्य अभिलेखागार के साथ दुर्लभ फिल्मों के आदान-प्रदान की सुविधा भी देता है।

एससी/एसटी/ओबीसी का कल्याण

समय-समय पर संशोधित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कर्मचारियों को लाभ और कल्याण प्रदान करने के लिए उचित देखभाल।

राजभाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल

राजभाषा पर संसद की एक दूसरी उप-समिति ने 15 जनवरी, 2015 को पुणे का दौरा किया और चार सरकारी विभागों के साथ-साथ राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में एनएफएआई के निरीक्षण का आयोजन किया। 22 सितंबर, 2015 को एक उद्घाटन समारोह के साथ हिंदी सप्ताह मनाया गया था। कवित्त पाठ प्रतियोगिता, हिंदी में श्रुतलेखन और अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसमें एनएफएआई के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया।

24 सितंबर, 2015 को पुणे में हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री राजेंद्र कुमार वर्मा ने हिंदी में दफ्तर का कार्य करने के तरीके पर कार्यशाला का आयोजन किया। पुरस्कार वितरण 24 सितंबर, 2015 को आयोजित किया गया और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

विभागीय लेखा

एनएफएआई ने 1976 में लाया गया विभागीय लेखा प्रणाली का पालन किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत एनएफएआई के लेखा-जोखा पीएओ, एफडी, मुंबई की तरफ से नियंत्रित किया गया। एनएफएआई के निदेशक को विभाग प्रमुख के तौर पर डीडीओ नियुक्त किया गया और एनएफएआई के प्रशासनिक अधिकारी को ये शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं।

लंबित लेखा-परीक्षा संबंधी आपत्तियां

मुंबई (मध्य) के लेखा परीक्षा महानिदेशक ने 15 से 28 मई 2015 तक एनएफएआई के खातों का लेखा परीक्षण किया। मई, 2015 में किए गए लेखा परीक्षण के दौरान तीन नये टिप्पणियां उठाए गए और दो शुरुआती टिप्पणियां को छोड़ दिया गया। यह सभी प्रयास बकाया लेखा परीक्षा टिप्पणियां को सही करने के लिए किए गए थे।

प्रतिनिधिमंडल/शिष्टमंडल

एनएफएआई के निदेशक ने सिडनी के कैनबेरा में 13-18 अप्रैल, 2015 के दौरान 71वीं एफआईएएफ कांग्रेस, संगोष्ठी और आम सभा में शिरकत की।

निर्णयों का कार्यान्वयन/कैट के आदेश

इस संदर्भ में एनएफएआई के बारे में सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत शून्य मानी गई, क्योंकि एनएफएआई द्वारा किसी भी तरह के निर्णय और कैट के आदेश प्राप्त नहीं किए गए।

आरटीआईएक्ट-2005

एनएफएआई ने भारत की सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है। 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान एनएफएआई द्वारा 14 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए, नियमों के अनुसार आवेदकों को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। इस अधिनियम से संगठन के कामकाज में पारदर्शिता आई है।

शिकायत प्रकोष्ठ

एनएफएआई के निदेशक को विभाग प्रमुख के तौर पर शिकायत प्रकोष्ठ का अधिकारी नियुक्त किया गया। सभी शिकायतों का सरकार के नियमों और मानदंडों के अनुसार निराकरण किया गया है।

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर एनएफएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नागरिक हमारी वेबसाइटः www.nfaipune.gov.in पर जा सकते हैं और जरूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक चार्टर पर जानकारी समय-समय पर अपडेट की जाती है।

कार्ययोजना का कार्यान्वयन

12 वीं पंचवर्षीय योजना ''जयकार बंगला सहित एनएफएआई के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए नई योजना स्कीम के लिए एसएफसी अनुमोदन 14 जून, 2013 को प्राप्त हुआ, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। सुरक्षा बेड़ा और फेज-2 में भीतरी सड़क का काम पूरा हो चुका है। डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम, फेज-1 के ऑडिटोरियम में कुर्सी और कारपेट उपलब्ध कराना और डीजी सेट का प्रतिस्थापन किया जा चुका है और कमरों और ऑडिटोरियम के लिए एयर कंडीशनिंग और अग्निशमन प्रणाली जैसे बिजली के काम प्रक्रिया में हैं।

आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस/ई-कॉमर्स

एनएफएआई एक सांस्कृतिक और अनुसंधान संगठन है और इसका मुख्य कार्य भारतीय सिनेमा की विरासत का संरक्षण और संग्रहण है। यह देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। आम जनता, सिनेमा के गंभीर छात्रों और देश के विभिन्न भागों से और दुनिया भर से शोधकर्ता इसकी वेबसाइट के

माध्यम से संग्रह और संग्रह की सेवाओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। फिल्म प्रशंसा पाठ्यक्रम और रिसर्च फेलोशिप योजनाओं के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जनता के सवालों का जवाब ज्यादातर म.उंपस (nfaipune@gmail.com) के जरिये दिया जाता है। एनएफएआई में इंटरनेट, फैक्स और स्कैनिंग की सुविधा है। इस संगठन का अपना फेसबुक पेज भी है।

सतर्कता संबंधी गतिविधियां

इस वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत सतर्कता गतिविधियों के बारे में जानकारी इस प्रकार हैः-

1. मुख्यालय पर और क्षेत्रीय कार्यालयों में संगठन की सतर्कता व्यवस्था का विवरणः-

   इस कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है। इस लिए विभाग के प्रमुख के रूप में निदेशक को सतर्कता अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है।

2. इस अवधि के दौरान निवारक सतर्कता गतिविधियांः
   - i. इस अवधि के दौरान आयोजित नियमित निरीक्षण की संख्याः 12
   - ii. इस अवधि के दौरान किए गए आकस्मिक निरीक्षण की संख्याः 9
3. इस अवधि के दौरान निगरानी और जांच गतिविधियांः
   - i. निगरानी रखने के लिए चयनित क्षेत्रों का विवरणः सुरक्षा और फिल्मों की नकल।
   - ii. निगरानी के तहत रखे जाने के लिए पहचान किए गए व्यक्तियों की संख्या- शून्य
4. दंडात्मक गतिविधियां (4 (प) से लेकर (ग) तक दिखाई गई संख्या, जहां नियोक्ता अधिकारी अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई दूसरा है।)
   - i. अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों/संदर्भ की संख्याः शून्य
   - ii. प्रारंभिक जांच में शामिल मामलों की संख्याः शून्य
   - iii- मामलों की संख्या जहां प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईः शून्य
   - iv. मामलों की संख्या जिनमें प्रमुख दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गएः शून्य
   - v. मामलों की संख्या जिनमें मामूली दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गएः शून्य
   - vi. व्यक्तियों की संख्या जिन पर भारी जुर्माना लगाया गयाः शून्य
   - vii. व्यक्तियों की संख्या जिन पर मामूली जुर्माना लगाया गयाः शून्य
   - viii. व्यक्तियों की संख्या जिन्हें निलंबित कर दिया गयाः शून्य
   - ix. व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जैसे, चेतावनी आदि जारी की गईः शून्य
   - x. व्यक्तियों की संख्या जो नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समय से पहले सेवानिवृत हुएः शून्य

रिपोर्ट के अंतर्गत इस अवधि के दौरान कुछ नए शीर्षकों को अभिलेखागार से जोड़ा गया

पलनती युद्धम	-	एल.वी. प्रसाद / तेलुगु / 1947
मंगियार थिलक्कम	-	एल.वी. प्रसाद / तमिल / 1955
नीलावुक्कु नीरांजा मांसु	-	के.सोमू / तमिल / 1960
सत्य हरिश्चंद्र	-	हुंसुर कृष्णमूर्ति / कन्नड़ / 1965
साबाश थांबी	-	जंबू / तमिल / 1967
बोमालातम	-	वी. श्रीनिवासन / तमिल / 1968
पेन्नाई वाझा विदुंगल	-	देवान / तमिल / 1969
वीतू	-	मैप्पिईलानी / तमिल / 1973
भक्ता कुंभारा	-	एच.कृष्णामूर्ति / कन्नड़ / 1974
उपासने	-	एस.आर.पी. कानागल / कन्नड़ / 1974
शंकर गुरु	-	वी. सोमेश्कर / कन्नड़ / 1978
हॉम्बीसुलु	-	गीताप्रिया / कन्नड़ / 1978
सुधारंगम	-	दुराई / तमिल / 1978
पूतानी एजेंट123	-	गीताप्रिया / कन्नड़ / 1979
बांकर मारगया	-	टी.एस नागाभ्राना / कन्नड़ / 1983
भीगारा पांड्या	-	के.बाबू ताओ / कन्नड़ / 1986
मटरु वातसल्या	-	एच.एन.शंकर / कन्नड़ / 1988
संग्या बाल्या	-	एस. कृष्णा उर्स / कन्नड़ / 1992
आक्समिका	-	टी.एस. नागाभ्राना / कन्नड़ / 1993
सुपर नोवा	-	एस. कृष्णा उर्स / कन्नड़ / 1994
क्रॉसिंग ब्रिज	-	एस.डी.थोंगडोक / अंग्रेजी / 2013
प्रकृति	-	पंचकेशरी / कन्नड़ / 2014
दिसंबर वन	-	पी. शेषाद्री / कन्नड़ / 2014
अजेयो	-	जहानुबरुआ / असमिया / 2014

अनुलग्नक-ख

31 दिसंबर, 2015 तक अभिलेखीय अधिग्रहण का ब्योरा

oLr|,i	31-03-2015 dk miyCèk	1-4-2015 ls 31-03-2015 dk miyCèk	31-12-2015 dk miyCèk
फिल्में	18,899	99	18,998
वीडियो कैसेट	2,798	--	2,798
डीवीडी	2,654	--	2,654
किताबें	28,663	153	28,816
स्क्रिप्ट	37,785	150	37,935
पहले से रिकॉर्ड की गई ऑडियो कैसेट	1,098	--	1,098
स्टिल्स	1,47,879	2,358	1,50,237
वॉल पोस्टर	24,653	1,054	25,707
गीत पुस्तिका	14,374	360	14,734
ऑडियो टेप (oral history)	191	--	191
प्रेस क्लीपिंग	2,05,619	427	2,06,046
पैम्फलेट	8,876	--	8,876
स्लाइड	8,576	--	8,576
डिस्क रिकॉर्ड	3,214	--	3,214
ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क	155	--	155
सहायक फिल्म सामग्री का डिजिटलीकरण	3,70,220	--	3,70,220

संलग्नक-ग

योजना प्रदर्शन 2014-2015

(रुपये करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	एसबीजी 2015-16	आर.ई. 2015-16	वास्तविक लागत 31.12.2015
नई योजना (1) अभिलेखीय फिल्मों के अधिग्रहण और फिल्म सामग्री। (2) जयकार बंगला सहित के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना। (3) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	2.00 4.00 6.00	2.00 4.00 4.50	1.28 4.00 0.80
कुल	**12.00**	**10.50**	**6.13**

संलग्नक घ

एनएफएआई की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंधों में विवरण

	रीलों की संख्या	
	16 mm	35 mm
1. फिल्मों की विस्तृत जांच	-	660
2. फिल्मों की नियमित जांच	-	8,002
fQYe lL–fr dk çlkj		
1. वितरण लाइब्रेरी सदस्य		25
2. वितरण लाइब्रेरी के सदस्यों को भेजी गईं फिल्मों की संख्या		20
3. खास अवसरों के लिए भेजी गईं फिल्में		25
4. संयुक्त प्रदर्शनियां		20
5. फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स के लिए भेजी गईं फिल्में		10
6. शोधार्थियों के लिए प्रदान की गईं सुविधाएं		10
7. शैक्षिक प्रदर्शनी के लिए एफटीआईआई को भेजी गई फिल्में		15
8. एनएफएआई में प्रदर्शित की गई फिल्मों की संख्या		50
9. पुस्तक पुस्तकालय सेवा का लाभ उठाने वाले पाठकों की संख्या है		1,215
10. प्रलेखन अनुभाग की सेवाओं का लाभ उठाने वाले अनुसंधान कार्यकर्ताओं की संख्या	-	600
11. एनएफएआई स्क्रीनिंग में भाग लेने वाले दर्शकों की संख्या		21,250

फिल्म समारोह निदेशालय

सार्थक सिनेमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) की स्थापना की गई थी। डीएफएफ विदेशी समारोहों में भारत की भागीदारी को सुगम बनाता है, भारत में विदेशी फिल्मों एवं विदेशों में भारतीय फिल्मों के कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक वाहक के रूप में डीएफएफ अंतरराष्ट्रीय मैत्री को बढ़ावा देता है, विश्व सिनेमा में नई प्रवृतियों को पहुंच प्रदान करता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया में भारतीय फिल्मों के स्तर में सुधार करने में मदद करता है। निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है:

- भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव।
- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और विदेशी अभियानों के माध्यम से भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन।
- भारतीय पैनोरमा का चयन।
- विदेशों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी।
- भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन।
- प्रिंट संग्रह और प्रलेखन।

भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत का 46वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), फिल्म प्रदर्शन, मास्टर क्लासेस, विचार विमर्श और अन्य घटनाओं की दस दिवसीय अवधि के पश्चात् 30 नवंबर, 2015 को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।

45 वें इफ्फी के दौरान 95 देशों की कुल 287 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इन फिल्मों का प्रदर्शन 4 आईनॉक्स थिएटरों, कला अकादमी, मैक्विनेज पैलेस एक और दो में किया गया।

व्यापक रूप से प्रशंसित भारतीय अभिनेता अनिल कपूर उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे।

इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ एवं गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर और भारतीय हस्तियां, सोनाक्षी सिन्हा, पालोमी घोष एवं कबीर खान भी उपस्थित थे।

इसके अतिरिक्त समारोह में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इस्राइली निर्देशक अमोस गितई और हॉलीवुड के प्रख्यात साउंड डिजाइनर और अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के निवर्तमान अध्यक्ष श्री मार्क मनगिनी भी उपस्थित थे।

अंतरराष्ट्रीय जूरी जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार श्री शेखर कपूर थे और जिसके अन्य सदस्यों में श्री माइकल

पणजी, गोवा में 46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन समारोह में संगीत प्रस्तुति

46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सूचना और प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा

46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

रेडफोर्ड (यूके), सुश्री जुलिया जेन्स्थ (जर्मनी), श्री जुआन क्यू-ह्वान (दक्षिण कोरिया) और सुश्री सुहा अराफ (फिलिस्तीन) शामिल थे, ने समारोह में मेहमानों की औपचारिक रूप से घोषणा की।

समारोह की उद्घाटन फिल्म मैथ्यू ब्राउन द्वारा निर्देशित 'द मैन हू न्यूइन्फिनिटी' थी।

46वें इफ्फी में कंट्री फोकस खंड में सात स्पेनिश फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस पैकेज में स्पेनिश सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से कुछ फिल्मों को प्रस्तुत किया गया जिसमें कार्लोस सौरा और पेड्रो अल्मादोवार जैसे मास्टर फिल्म निर्माताओं से लेकर एलेजांद्रो एमेनबार जैसे समकालीन फिल्म निर्माताओं की फिल्में शामिल थीं।

वर्ष की भारतीय फिल्मी हस्ती के लिए शताब्दी पुरस्कार भारतीय सिनेमा और संगीत में अद्वितीय योगदान देने वाले संगीतकार इलैय्याराजा को दिया गया।

लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रूस की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता निकिता मिखालकोव को प्रदान किया गया।

इफ्फी का समापन एक भव्य समारोह के साथ हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि ऑस्कर विजेता भारतीय संगीत निर्देशक ए. आर. रहमान थे।

पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार

'एंब्रेस ऑफ द सरपेंट'

निर्देशकः सिरो गुएरा

निर्माताः क्रिस्टीना गलेगो

सर्वश्रेष्ठ निदेशक रजत मयूर पुरस्कार

'आइसेस्टीन इन गुआनजुआटो' के लिए पीटर ग्रीनअवे

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) का रजत मयूर पुरस्कार

'द मेजर ऑफ अ मैन' के लिए विन्सेंट लिंडन

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला) का रजत मयूर पुरस्कार

यह पुरस्कार फिल्म 'मुस्तांग' के लिए सामूहिक रूप से पांच अभिनेत्रियों को दिया गया। ये अभिनेत्रियां हैं- गुन्ससेनसॉय, डोगा डोगूस्लू, तुगबा सुनगुरोग्लू, इलिटलस्कान और इलायडा ओकदोगान।

विशेष ज्यूरी - रजत मयूर पुरस्कार

जूलिया वर्गास न्यूमैन द्वारा निर्देशित 'सील कार्गो'

विशेष उल्लेख

गोरान रोदोवानोविक द्वारा निर्देशित 'एन्क्लेव'

आईसीएफटी - यूनेस्को फेलिनी पदक

देश में पहली बार के लिए, भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), 2015 ने पेरिस की अंतरराष्ट्रीय फिल्म, टीवी और दृश्य श्रव्य संचार परिषद (आईसीएफटी) के सहयोग से किसी फिल्म को यूनेस्को फेलिनी पदक से साथ विशेष आईसीएफटी पुरस्कार से सम्मानित किया जोकि यूनेस्को के आदर्शों को प्रदर्शित करती है।

सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा गोवा में 46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित करते हुए

46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में निर्देशक जूलिया वर्गस को विशेष जूरी पुरस्कार प्रदान करते हुए सूचना और प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा

भारतीय खंड और भारतीय पैनोरमा

भारतीय पैनोरमा में 26 फीचर फिल्मों और 21 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। 31 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार संस्कृत फिल्म 'प्रियमानसम' के साथ इस खंड का उद्घाटन किया गया।

विभिन्न श्रेणियों जैसे श्रद्धांजलि और सिंहावलोकन में 56 अन्य भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हैं जोकि सिनेमाई उत्कृष्टता को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ-साथ सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

3 मई, 1913 को पहली भारतीय फीचर फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' के प्रदर्शन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तदनुसार, 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 मई, 2015 को प्रदान किए गए।

वर्ष 2014 के लिए 62 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार चैतन्य तमहाने द्वारा निर्देशित फिल्म 'कोर्ट' (मराठी) ने जीता। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार उमंग कुमार निर्देशित फिल्म 'मैरीकॉम' (हिंदी) को दिया गया। विजय कुमार बी को फिल्म 'नानूअवैनाल्लाअवालु' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना राणौत को फिल्म 'क्वीन' (हिंदी) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तोर्शा बैनर्जी निर्देशित फिल्म 'टेंडर इज द साइट' को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 'साइलेंट सिनेमा' नामक पुस्तक को दिया गया जिसके लेखक पासुपुलेती पुर्णचंद्र राव हैं जबकि तनुल ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समालोचक का सम्मान दिया गया। भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए वर्ष 2014 का प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता और निर्माता श्री शशि कपूर को दिया गया।

62वीं पुरस्कार विजेता फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन 4-13 मई, 2015 के दौरान सिरी फोर्ट सभागार परिसर, नई दिल्ली में किया गया।

46वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पेनोरमा खंड के उद्घाटन के अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह

विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी

फिल्म समारोह निदेशालय ने 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया। कई फिल्मों की समीक्षकों ने प्रशंसा की। बांग्ला फिल्म 'चोद्देर छोबी' ने सार्क फिल्म महोत्सव, कोलंबो में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता।

22 से 26 सितंबर, 2015 के दौरान फुजौ में आयोजित सिल्क रोड अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 22 फिल्मों के पैकेज के साथ भारत फोकस देश था।

कान फिल्म महोत्सव में भागीदारी

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में पांच सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें फिल्म समारोह निदेशालय के तीन अधिकारी, श्री सी सेंथिल राजन, निदेशक (फिल्म समारोह निदेशालय), सुश्री तनु राय, उप निदेशक और श्री रिजवान अहमद, उप निदेशक शामिल थे, ने कान फिल्म महोत्सव के 68वें संस्करण में भाग लेने के लिए फ्रांस का दौरा किया।

शशि कपूर के फिल्म पोस्टरों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली

दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह के अवसर पर श्री अरुण जेटली संबोधित करते हुए

नई दिल्ली में पूर्वोत्तर फिल्म समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्‌घाटन करते हुए सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

खेल और युवा मामलों के राज्यमंत्री श्री सरबानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर फिल्म समारोह के अवसर पर

13 मई, 2015 को कान में भारतीय मंडप का उदघाटन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (सेवानिवृत) एवीएसएम ने किया। विश्वव्यापी फिल्म समुदाय में मौजूदा भारतीय सिनेमा के परिदृश्य को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय मंडप में दिलचस्प इंटरैक्टिव सत्र का भी आयोजन किया गया।

फिल्म समारोह निदेशालय ने मैसूर, भोपाल और शिलांग में भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह का आयोजन किया।

फिल्में प्रदान करने के माध्यम से फिल्म समारोह निदेशालय विभिन्न फिल्म निकायों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किए जाने वाले फिल्म समारोहों का भी सहयोग करता है।

उत्तर-पूर्व की सुगंध

उत्तर पूर्व फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन 21 से 23 अगस्त के दौरान सिरी फोर्ट सभागार में किया गया। यह महोत्सव समूचे उत्तर पूर्व को एकछत्र के नीचे लाने का कार्य करता है। इस अवसर पर फिल्मों के माध्यम से दिल्लीवासी उत्तर-पूर्व की कला और संस्कृति के नजदीक आते हैं। इस महोत्सव में उत्तर-पूर्वी राज्यों की कई प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत महोत्सव

सिंगापुर उच्चायोग के सहयोग से 13 से 16 अगस्त, 2015 के दौरान सिंगापुर फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सिंगापुर की संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

परिचय

1. फिल्म निर्माण और प्रदर्शन का संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इसे कलाओं का सर्वाधिक प्रशंसित और लोकतांत्रिक रूप माना गया है। फिल्में जनता की राय को आकार देने में और संस्कृति एवं विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को परंपराओं का ज्ञान और समझ प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में फीचर फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में किया जा रहा है।
2. हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी प्रदान करता है किंतु इसके साथ युक्तिसंगत सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। ये सीमाएं 'भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता, देश की सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता के हित में हैं और अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध को बढ़ावा देने से रोकने के लिए निर्धारित की गई है।' संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में निदेशक सिद्धांत तय किए गए हैं जिन्हें ध्यान में रख कर बोर्ड भारत में आम जनता के लिए फिल्मों को प्रमाणित कर सके। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 5 ख (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की उपयुक्तता निर्धारित की जा सके।
3. फिल्म सेंसर बोर्ड, जिसे 1 जून, 1983 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया नाम दिया गया, की स्थापना सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। बोर्ड का उद्देश्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देना है। वर्तमान बोर्ड के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 21 गैर आधिकारिक सदस्य हैं। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
4. बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की अध्यक्षता क्षेत्रीय अधिकारियों/अपर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। उनकी सहायता के लिए फिल्मों की परीक्षण संबंधी सलाहकार समितियां होती हैं। बोर्ड और सलाहकार समितियों के सदस्यों में समाज के सभी वर्गों और जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता, गृहणियां, फिल्मी हस्तियां, डॉक्टर, पत्रकार आदि शामिल किए गए हैं।
5. बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई फिल्मों को 'यू' प्रमाणपत्र दिया जाता है। बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता के निर्देश की आवश्यकता वाली फिल्मों को 'यू ए' प्रमाणपत्र दिया जाता है। केवल वयस्क व्यक्तियों के लिए उपयुक्त फिल्मों को 'ए' प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। आम लोगों के लिए अनुपयुक्त समझी गई लेकिन विशिष्ट दर्शकों जैसे डॉक्टरों आदि के लिए उपयुक्त समझी गई फिल्मों को 'एस' प्रमाणपत्र दिया जाता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझी गई फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता।

फिल्मों को प्रमाणपत्र

6. अप्रैल 2015 और दिसंबर 2015 के बीच की अवधि के दौरान बोर्ड ने कुल 13735 बोर्ड प्रमाणपत्र (15 सेल्यूलाइड फिल्में, 5020 वीडियो फिल्में और 8700 डिजिटल फिल्में) जारी किए। आलोच्य अवधि के दौरान 1 भारतीय फीचर फिल्म और 14 भारतीय लघु फिल्मों को सेल्यूलाइड श्रेणी के तहत प्रमाणित किया गया।

फीचर फिल्मों के अतिरिक्त 354 भारतीय फीचर फिल्मों, 488 विदेशी फीचर फिल्मों, 3828 भारतीय लघु फिल्मों, 340 विदेशी लघु फिल्मों, 10 भारतीय लंबी फीचर फिल्मों को वीडियो श्रेणी के तहत प्रमाणित किया गया।

डिजिटल श्रेणी के तहत 1475 भारतीय फीचर फिल्मों, 252 विदेशी फीचर फिल्मों, 6636 भारतीय लघु फिल्मों और 337 विदेशी लघु फिल्मों को प्रमाणित किया गया।

अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान प्रमाणित फिल्मों के प्रमाण पत्र-वार और श्रेणी-वार ब्योरे से संबंधित वक्तव्य अनुबंध-1 में दिया गया है।

7. दूरदर्शन और उपग्रह चैनलों पर दिखाए जाने के प्रयोजन

के लिए 'ए' से 'यू ए' अथवा 'यू' श्रेणी के प्रमाणपत्रों में परिवर्तन संबंधी आवेदन बोर्ड को प्राप्त होते रहे। वीडियो फार्मेट में पुनः संपादित संस्करण के परीक्षण के बाद बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र की श्रेणी में परिवर्तन की उपयुक्तता का निर्णय किया जाता है। बोर्ड ने वर्ष के दौरान वीडियो फार्मेट में दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए फिल्मी गीतों और ट्रेलरों के प्रमाणन का काम जारी रखा।

समिति की बैठक

8. इस अवधि के दौरान बोर्ड की बैठक 31 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई।

सलाहकार पैनल के लिए कार्यशालाएं

9. फिल्मों के प्रमाणन में सलाहकार पैनल के सदस्यों और परीक्षण अधिकारियों के लाभार्थ क्षेत्रीय कार्यालयों, जैसे मुंबई और कोलकाता में सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशालाओं में फिल्मों के परीक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आचरण और अनुशासन की संहिता की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

महत्वपूर्ण घटनाएं

10. मुंबई में 11 दिसंबर, 2015 को ऑनलाइन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए हितधारकों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रदर्शन के साथ-साथ बातचीत भी की गई।

शिकायतें

11. जनता से फिल्म प्रमाणन संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें मुख्य रूप से सेक्स और हिंसा के प्रदर्शन से संबंधित थीं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें सामान्य किस्म की थीं।

सेंसरशिप उल्लंघन

12. फिल्मों के प्रदर्शनी के स्तर पर सेंसरशिप उल्लंघन की घटनाएं इस साल बोर्ड में दर्ज की गईं। बोर्ड और केंद्र सरकार के समक्ष आए उल्लंघन संबंधी अधिकतर मामले फिल्मों में बाद में सामग्री डालने (इंटरपोलेशन) से संबंधित थे। सेंसरशिप उल्लंघन के मामले मुख्य रूप से पांच प्रकार के थेः-

(क) सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान ऐसे हिस्से शामिल किया जाना जिन्हें बोर्ड ने हटा दिया था।

(ख) किसी प्रमाणित फिल्म में ऐसे हिस्से शामिल करना जो बोर्ड को नहीं दिखाए गए थे।

(ग) प्रमाणित फिल्मों में ब्लू फिल्मों के अंश (बाइट्स) शामिल किया जाना।

(घ) जाली प्रमाणपत्रों के साथ बिना जांच की गई फिल्में प्रदर्शित करना।

(ङ) बिना सेंसर प्रमाणपत्र लिए फिल्म प्रदर्शित करना।

13 अप्रैल, 2015 और दिसंबर 2015 की अवधि में फिल्मों में प्रक्षेप के किसी मामले का पता नहीं चला।

सिनेकर्मी कल्याण कोष अधिनियम

सिनेकर्मी कल्याण कोष अधिनियम बोर्ड ने श्रम मंत्रालय की ओर से भारतीय फीचर फिल्मों पर सिने कार्यकर्ता कल्याण उप कर (सीडब्ल्यूडब्ल्यूसी) की वसूली जारी रखी। हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों पर 20,000 रुपये और सभी क्षेत्रीय फिल्मों पर 10,000 रुपये की दर से उप कर वसूला जाता है। बोर्ड ने 1,90,60000 रुपये वसूल किए।

प्रमाणन शुल्क

बोर्ड ने वर्ष के दौरान प्रमाणन शुल्क के रूप में 4,56,37499 रुपये वसूल किए।

अनुबंध-I

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बोर्ड द्वारा 1.4.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण

सेल्यूलाइड

	यू	यूए	ए	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	1	-	-	-	**1**
विदेशी फीचर फिल्में	-	-	-	-	**-**
भारतीय लघु फिल्में	14	-	-	-	**14**
विदेशी लघु फिल्में	-	-	-	-	**-**
लंबी अवधि की भारतीय फिल्में	1	-	-	-	**1**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त	-	-	-	-	**-**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त विदेशी लंबी अवधि की फिल्में	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल	**15**	**-**	**-**	**-**	**15**

वीडियो

	यू	यूए	ए	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	130	222	2	-	**354**
विदेशी फीचर फिल्में	121	353	14	-	**488**
भारतीय लघु फिल्में	2220	1552	56	-	**3828**
विदेशी लघु फिल्में	114	209	17	-	**340**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त लंबी अवधि की भारतीय फिल्में	10	-	-	-	**10**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त लंबी अवधि की विदेशी फिल्में	-	-	-	-	**-**
कुल	**2595**	**2336**	**89**	**-**	**5020**

डिजिटल

	यू	यूए	ए	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	621	547	307	-	**1475**
विदेशी फीचर फिल्में	36	134	82	-	**252**
भारतीय लघु फिल्में	5478	994	164	-	**6636**
विदेशी लघु फिल्में	72	249	16	-	**337**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त	-	-	-	-	**-**
भारतीय लंबी फिल्में	-	-	-	-	**-**
फीचर फिल्मों के अतिरिक्त विदेशी लंबी फिल्में	**6207**	**1924**	**569**	**-**	**8700**
कुल	**8817**	**4260**	**658**	**-**	**13735**
समग्र					

बोर्ड का वित्तपोषण

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधान के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय के रूप में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक फिल्मों के प्रदर्शन को विनियमित करता है। हालांकि, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए, बोर्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

बोर्ड का वित्तपोषण सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में प्रदान मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण शुल्क के संग्रह के माध्यम से किया जाता है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों में दिखाई जाने वाली फिल्मों से शुल्क लेता है। एक अप्रैल 2016 से 31 दिसंम्बर 2016 के दौरान कुल आय 663.13 लाख रुपये रही। प्राप्त राजस्व को भारत सरकार के समेकित कोष में जमा कराया गया। इस संबंध में बोर्ड का कोई बैंक अकाउंट नहीं है।

बजट आवंटन और व्यय

(लाख रुपये में)

	गैर-योजना (ब.आ.)	31 दिसंबर, 2015 तक व्यय (2015-2016)
वेतन	450.00	322.65
चिकित्सा	4.50	2.82
यात्रा व्यय	27.80	8.46
कार्यालयी व्यय	75.00	60.09
पीपीएसएस	165.00	112.43
सहायता अनुदान	0.05	0
समयोपरि भता	0.10	0
किराया दर और कर	11.00	4.21
अन्य प्रशासनिक व्यय	15.00	4.30
सूचना प्रौद्योगिकी	2.55	1.69
कुल	**751.00**	**516.65**

योजनागत स्कीम: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार

बोर्ड 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के दौरान 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार' स्कीम के अंतर्गत निम्न कार्य करेगा जिनके लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए 4.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(1) फिल्म आवेदन एवं प्रमाणन की ऑन लाइन प्रक्रिया के सॉफ्टवेयर का विकास।

(2) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और डिजिटल थिएटर।

(3) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता।

एसएफसी अनुमोदित नहीं किया गया। इसलिए कोई व्यय नहीं किया गया।

क्र. सं.	वर्ष 2015-2016 के लिए ब.अ. (लाख रुपये में)	31-12-2015 तक व्यय (लाख रुपये में)
1	400.00	252.47

2. योजनागत स्कीम: मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड वर्ष 2015-2016 के दौरान मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत निम्न कार्य करेगा:

(क) सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई में कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में परामर्शदाता समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण/कार्यशाला।

(ग) समूह 'क', 'ख' और 'ग' कर्मचारियों को प्रशासन, लेखा, बजटिंग, रिकार्ड रखरखाव, ई-गवर्नेंस, आईटी कौशल, सतर्कता और सूचना अधिकार अधिनियम मामलों का प्रशिक्षण।

एसबीजीः 2015-16ः 25.00 (लाख) रुपये।

31-12-2015 को व्ययः 6.17 (लाख) रुपये।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित लक्ष्यों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग के समेकित एवं प्रभावकारी विकास की योजना बनाना, उसे प्रोत्साहित करना और उसका संचालन करना है। 1980 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का पुनर्गठन करते हुए उसमें फिल्म वित्त निगम और भारतीय चलचित्र विकास निगम का विलय कर दिया गया। अपनी स्थापना के बाद से एनएफडीसी 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों का वित्त पोषण/निर्माण कर चुका है। इनमें से कई फिल्मों ने प्रसिद्धि प्राप्त की और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इसके अतिरिक्त फिल्मों के निर्माण से, एनएफडीसी भी सरकारी एजेंसियों को एकीकृत विपणन समाधान प्रदान करता है और विज्ञापनों, वृतचित्र, लघु फिल्मों, टीवी शृंखला, वेब विज्ञापन, रेडियो शृंखला और विषयगत संगीतमय गान का निर्माण करता है।

फिल्म विकास एजेंसी के रूप में एनएफडीसी फिल्म उद्योग के उन क्षेत्रों/विषयों में विकास के लिए जिम्मेदार है, जिनका सांस्कृतिक महत्व होते हुए भी वाणिज्यिक कारणों से निजी उद्यमियों द्वारा नहीं अपनाया जाता। निगम के प्रयासों से उद्योग के संतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते एनएफडीसी का यह दायित्व भी है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति भी दुरुस्त रखे। पुनर्गठन के एक वर्ष के भीतर - एनएफडीसी द्वारा लगातार तीन वित्तीय वर्षों- वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लाभ प्रदर्शित करते ही निगम को बीआरपीएसई (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड) द्वारा 1 नवंबर, 2013 को टर्नअराउंड अवार्ड दिया गया।

इस वर्ष के दौरान एनएफडीसी ने अपने ब्रांड सिनेमाज इंडिया के तहत उत्पादन और वितरण का कार्य आगे बढ़ाया। निगम ने विज्ञापनों, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए लघु एवं कॉरपोरेट फिल्मों का निर्माण किया, फिल्म प्रदर्शनी, ररखरखाव, फिल्म बाजार, डिजिटल नॉन लीनियर एडिटिंग में प्रशिक्षण, छायांकन, उपशीर्षक आदि का कार्य किया।

निर्माण

फिल्म निर्माण विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के तहत, 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण' शीर्षक के साथ भारतीय सिनेमा में विविधता को प्रतिबिंबित करने वाली फीचर फिल्मों का निर्माण और सह निर्माण करता है। उक्त स्कीम के तहत एनएफडीसी फिल्म निर्माण के लिए अपने मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत फिल्मों का निर्माण और सह निर्माण करता है। इसके जरिये निगम नवोदित फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पहली फिल्मों का 100 प्रतिशत निर्माण करता है और भारत एवं विदेशों में निजी कंपनियों की साझेदारी से अच्छी फिल्मों का सह-निर्माण करता है।

निर्माण विभाग के उद्देश्य कलात्मक फिल्मों के निर्माण के एनएफडीसी के लक्ष्य को सहयोग और बढ़ावा देना है जिससे

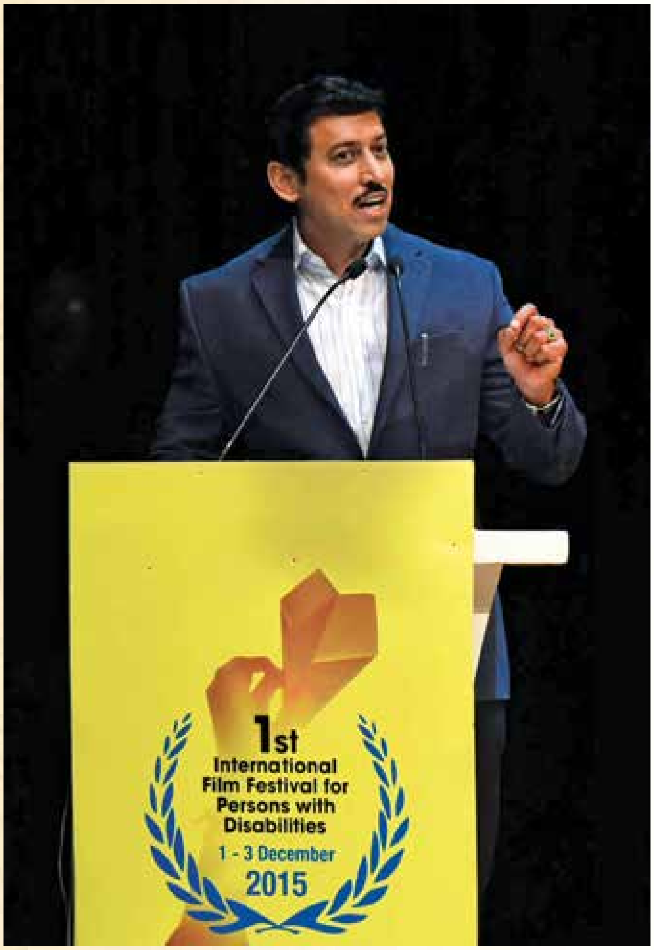

दिव्यांग जनों के लिए आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ संबोधित करते हुए

सिनेमा में उत्कृष्टता को पोषित किया जा सके और भारतीय फिल्मों के जरिये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। इस निर्देश के लिए, निर्माण विभाग ऐसी फिल्मों के निर्माण के अनुकूल लगातार एक वातावरण बना रहा है जोकि भारत की सबसे कल्पनाशील, विविध और जीवंत संस्कृति को दर्शाती हैं। निर्माण विभाग निर्माण और सहयोग के जरिये बहुमुखी और उभरते हुए फिल्म निर्माताओं को सहयोग देने का प्रयास कर रहा है, जोकि विविधतापूर्ण, नवीन और अनूठापन लिए हैं।

अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान, एनएफडीसी ने निम्नलिखित फिल्मों का उत्पादन/कार्य पूर्ण किया।

फिल्म का नाम	भाषा	निर्देशक	श्रेणी
चौथीकूट	पंजाबी	गुरविंदर सिंह	सह-निर्माण
आइलैंड सिटी	हिंदी	रुचि ओबरॉय	स्व निर्माण

ज्योति पाटिल द्वारा निर्देशित फिल्म 'यशोधरा एक काव्य' (मराठी) का निर्माण जारी है।

एनएफडीसी द्वारा निर्मित और सह-निर्मित फिल्मों की कुछ उत्कृष्ट उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :-

- एनएफडीसी द्वारा निर्मित और रुचिका ओबरॉय द्वारा निर्देशित फिल्म 'आइलैंड सिटी' को वेनिस फिल्म महोत्सव 2015 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर, वेनिस डे साइडबार से नवाजा गया।
- एनएफडीसी, फिल्म कैफे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कैथरीन दुसार्ट प्रोडक्शंस द्वारा सह निर्मित और गुरविंदर सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'चौथीकूट' को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2015 में गोल्डन गेटवे ऑफ इंडिया ट्रॉफी, सिंगापुर फिल्म महोत्सव 2015 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और बेलग्रेड ऑटियर फिल्म महोत्सव 2015 में ग्रां प्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- एनएफडीसी, इंडिपेंडेंट मूवीज प्राइवेट लिमिटेड और फ्रांस की डोल्से वीटा फिल्म्स द्वारा सह निर्मित तथा पार्थो सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म 'अरुणोदय' को 36 वें डर्बन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2015 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ छायांकन तथा एम्सटर्डम फैनटास्टिक फिल्म फेस्टिवल, 2015 में ब्लैक ट्यूलिप पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म) का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जयंती समारोह के अंग के रूप में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कमीशन तथा सुमन मुखोपाध्याय द्वारा निर्देशित फिल्म 'शेशेर कोबिता' को 7 अगस्त, 2015 को संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) और नागर विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा द्वारा जारी किया गया। एनएफडीसी फिल्म का कार्यकारी निर्माता था। फिल्म के मुख्य कलाकारों में राहुल बोस और कोंकणा सेन शर्मा शामिल हैं।
- 13 वें आईएफएफएलए फिल्म समारोह में फिल्म 'चौरंगा' का प्रदर्शन किया गया जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रांड ज्यूरी पुरस्कार जीता।
- फिल्म 'फिग फ्रूट एंड द वैस्प्स' को 17वें कैलगरी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और 5वें बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया।

फिल्म वितरण

सिनेमाघरों में रिलीज

- अग्रणी फिल्म वितरण स्टूडियो वायकॉम 18 के माध्यम से 'मांझी - द माउंटन मैन' को 21 अगस्त, 2015 को रिलीज किया गया।
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मलयालम भाषा की फिल्म 'कालियाचन' केरल राज्य में 25 सितंबर, 2015 को वितरक ईस्ट कोस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से रिलीज की गई।
- फिल्म के मार्केटिंग एजेंट के रूप में एनएफडीसी ने 7 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में संस्कृति मंत्रालय के निर्माण 'शेशेर कोबिता' को रिलीज किया।

घरेलू वीडियो

निम्नलिखित छह (6) फिल्मों को, भारत पैन दर्शकों के लिए उपलब्ध 99 फिल्मों के अतिरिक्त रिलीज किया गया है

फिल्म का नाम	भाषा	निर्देशक
आमोदिनी	बांग्ला	चिदानंद दासगुप्ता
उतोरन	बांग्ला	संदीप रे
तोकझा मिष्टी	बांग्ला	बासु चैटर्जी
हेमंतेर पाखी	बांग्ला	उर्मि चक्रवर्ती
देबशिशु	हिंदी	उत्पलेंदु चक्रवर्ती
कालियाचन	मलयालम	फारूक अब्दुल रहिमन

निम्नलिखित चार (4) फिल्में वित्तीय वर्ष 2015-16 में रिलीज के लिए डब्ल्यूआईपी में हैं:-

फिल्म का नाम	भाषा	निर्देशक
सोल किचन	जर्मन	फातिह अकिन
एज द रिवर फ्लोज	असमिया	बिद्युत कोतोकी
अंतरजली यात्रा	बांग्ला	गौतम घोष
मंसूर मियार घोड़ा	बांग्ला	नबेंदु चैटर्जी

वीडियो ऑन डिमांड- www.cinemasofindia.com:

एनएफडीसी के वीओडी मंच को 20 फरवरी, 2015 को 'किस्सा-द टेल ऑफ अ लोनली घोस्ट' के भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के साथ फिर से शुरू किया गया। इस पर पे पर व्यू और मासिक एवं वार्षिक सदस्यता के आधार पर फिल्में उपलब्ध हैं। स्ट्रीमिंग के लिए 160 फिल्में (प्राप्य और स्व शीर्षक) उपलब्ध हैं।

उभरते डिजिटल प्लेटफॉर्म

एनएफडीसी ने गूगल प्ले और आईट्यून्स पर एनएफडीसी फिल्मों की उपलब्धता के लिए कंटेंट एग्रीगेटर्स विस्टा इंडिया और फिल्म कैरावान के साथ समझौते किए हैं। 'कालियाचन' का वीओडी प्रीमियर 28 अक्टूबर, 2015 को टाइम्स इंटरनेट वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म boxtv.com पर किया गया था।

फिल्म क्लब और आउटरीच कार्यक्रम

- आईआईटी पवई में आयोजित कार्यक्रमों और फिल्म क्लबों के जरिए फिल्म प्रेमियों के लिए द लॉस्ट प्लॉट जैसी एनएफडीसी फिल्मों का प्रदर्शन।
- गांधी प्रार्थनायी केंद्र के माध्यम से 2 अक्टूबर, 2015 को चुने हुए सिनेमाघरों में गांधी (तमिल) की गैर वाणिज्यिक स्क्रीनिंग की गई।
- एनएफडीसी ने दर्शकों के लिए निगम की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक उभरती हुई फिल्म स्क्रीनिंग कंपनी 1018mb.com के साथ सहयोग किया और 'किस्सा' एवं 'जाने भी दो यारों' की हाउसफुल स्क्रीनिंग की।
- एनएफडीसी ने कोरियाई दूतावास के सहयोग से टैगोर फिल्म केंद्र, चेन्नई में भारत-कोरियाई फिल्म समारोह का आयोजन किया।

फिल्मबे-फिल्म संस्कृति केंद्र

मुंबई में एक अनूठे फिल्म सांस्कृतिक केंद्र के गठन के लिए, जोकि फिल्मांकन की कला, सौंदर्यशास्त्र, इतिहास और प्रौद्योगिकी की गहन समझ और सराहना को प्रोत्साहित करे और भारतीय एवं विश्व सिनेमा के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करे, एनएफडीसी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बीएमसी से तीन साल के पट्टे पर बांद्रा, मुंबई में एक थियेटर परिसर का अधिग्रहण किया है। फिल्मबे नामक यह केंद्र एक फिल्म सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त 100 सीटों वाला एक थिएटर, एक अनुसंधान केंद्र और पुस्तकालय, कैफेटेरिया, भारत एवं विदेश के फिल्मों से संबंधित कार्यों की अस्थायी प्रदर्शनी हेतु स्थान एवं आउटडोर थिएटर होगा।

इस प्रस्तावित केंद्र की प्रोग्रामिंग में भारतीय और विश्व सिनेमा का सम्मिश्रण होगा। इस नए थिएटर में स्थायी, पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन और प्रौद्योगिकी की बेजोड़ सुविधा होगी। एनएफडीसी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार थियेटर को रीमॉडल करेगा और फिल्मबे एक ऐसा स्थान बनेगा जहां सिने प्रेमियों, युवाओं और स्थानीय निवासियों को फिल्म प्रदर्शन, कार्यशालाओं, व्याख्यान, अनुसंधान सामग्री और फिल्म बिरादरी के साथ बातचीत जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रवासी संवर्धन और विपणन

भारतीय सिनेमा को विदेशों में बढ़ावा देने और निर्यात डिवीजन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एनएफडीसी अपनी नई फिल्मों की मार्केटिंग, मौजूदा सूची और विश्वव्यापी तंत्र में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास करता है। विदेशी बाजारों में फिल्मों की कमाई के अतिरिक्त विभाग भारतीय सिनेमा और विदेशों में भारतीय फिल्मकारों को बढ़ावा देने के विकासपरक कार्य करता है।

प्रवासी डिवीजन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाजारों में भारतीय सिनेमा की मौजूदगी कायम करने की दिशा में कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म समुदाय की भारतीय सिनेमा में बढ़ती रुचि के साथ विभाग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाजारों में भारतीय सिनेमा और भारतीय प्रतिभा को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने का कार्य मुख्य रूप से करता है। विभाग विश्व भर के निजी और सरकारी फिल्म संस्थानों के साथ साझेदारी भी करता है।

वर्ष 2015 में एनएफडीसी ने कान फिल्म समारोह, साराजेवो फिल्म महोत्सव, वेनिस फिल्म महोत्सव, लोकार्नो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और टोरंटो में अंतरराष्ट्रीय दक्षिण पूर्व फिल्म महोत्सव में भाग लिया।

फिल्म बाजार

एनएफडीसी का फिल्म बाजार दक्षिण एशिया के उभरते और स्थापित फिल्मकारों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे विभिन्न वितरकों, प्रोडक्शन हाउसों, महोत्सवों के आयोजकों, फिल्म क्यूरेटरों, बिक्री एजेंटों और बिरादरी के अन्य महत्वपूर्ण

मुंबई में फिल्म सुविधा केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

हितधारकों के साथ सहयोग कर सकें और उन्हें अपने काम दिखा सकें। वर्ष 2007 में एक मामूली शुरुआत (18 देशों के 204 मेहमान) के साथ, फिल्म बाजार दक्षिण एशियाई फिल्मकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म बिरादरी के समक्ष अपनी कहानियों को पेश करने का एक केंद्र बिन्दु बन गया। वर्ष 2015 में कनाडा के प्रतिनिधिमंडल सहित 38 देशों के 1102 प्रतिनिधियों ने फिल्म बाजार में भाग लिया। फिल्मकार और नई प्रतिभाएं फिल्म बाजार को फिल्मों की लॉन्चिग, सह निर्माण और वितरण के मुख्य मंच के रूप में देखने लगी हैं (महोत्सवों में भागीदारी सहित)।

अन्य आयोजन के अतिरिक्त इस वर्ष पर्यटन मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और एनएफडीसी के सहयोग से फिल्म पर्यटन पर फिल्म बाजार में चार दिवसीय एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के पहले दिन भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात व्यक्तियों ने सूचना और प्रसारण एवं पर्यटन मंत्रालयों से मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया। एनएफडीसी द्वारा संगोष्ठी के बाकी दिनों को कुछ इस तरह डिजाइन किया जिससे फिल्मकारों की समस्याओं पर चर्चा की जा सके और संगोष्ठी को फिल्म बिरादरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच संवाद के लिए एक मंच का रूप प्रदान किया। यह पहली बार है कि फिल्मांकन स्थल के रूप में भारत के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न लोगों के बीच संवाद स्थापित किया गया है।

पहली बार एनएफडीसी ने सरकारी अधिकारियों के लिए एक फिल्म पर्यटन कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें राज्य पर्यटन अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं को संचालित करने के लिए ऐसे डोमेन विशेषज्ञता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय और भारतीय वक्ताओं को आमंत्रित किया गया जोकि लोकेशनों को बढ़ावा देने और विदेशी शूटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि विश्व के देश किस प्रकार इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, भारत को कैसे एक फिल्म अनुकूल गंतव्य बनाया जा सकता है और फिल्म और पर्यटन क्षेत्र के इस भाग का लागत लाभ विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है।

वर्ष 2015 में बाल फिल्म लैब की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य भारत में बाल फिल्मों की कमी को देखते हुए बच्चों के लिए विशेष रूप से कंटेंट का विकास करना है। पहले वर्ष में लैब को 91 आवेदन मिले। फिर शॉर्टलिस्ट किए गए

21 आवेदनों में छह को चुना गया। फिल्म बाजार के दौरान इन्वेस्टर्स पिच सत्र में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों के समक्ष प्रतिभागियों ने अपनी पटकथाएं प्रस्तुत कीं। प्रतिभागियों को प्रख्यात फिल्मकारों जैसे राजकुमार हिरानी, प्रकाश झा, कबीर खान, अनुभव सिन्हा और विकास बहल से बातचीत करने और फिल्म निर्माण की वास्तविक सच्चाइयों को जानने का मौका मिला।

प्रशिक्षण और विकास

एनएफडीसी ने वर्ष 2012 में प्रशिक्षण एवं विकास विभाग का गठन किया है जोकि फिल्म क्षेत्र में मिड कैरियर प्रशिक्षण के अंतराल को कम करने के लिए बनाया गया है। ब्रांड एनएफडीसी लैब्स के तहत स्थापित यह विभाग भारतीय फिल्म समुदाय को एक प्रमुख आउटपुट प्रदान करता हैः व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, मुख्य विषयों- निर्देशन, लेखन, संपादन, छायांकन और निर्माण में कार्यशालाएं और मास्टर क्लास संचालित करना।

एनएफडीसी लैब्स ने दो भाग में एक कार्यक्रम- स्क्रीनराइटर्स लैब्स आयोजित किया, जोकि उसका नौवां संस्करण था। 248 आवेदनों में से छह लेखकों को इसमें भाग लेने के लिए चुना गया। लैब का पहला सत्र साराजेवो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सहयोग से साराजेवो में आयोजित किया गया और दूसरा सत्र गोवा के फिल्म बाजार से पहले और उसके दौरान आयोजित किया गया, जहां प्रतिभागियों ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फिल्मकारों के समक्ष अपनी पटकथाएं प्रस्तुत कीं।

एनएफडीसी लैब्स ने दो भाग में एक कार्यक्रम- रोमांस स्क्रिप्टराइटर्स का आयोजन किया और फिल्म बाजार 2015 में निर्माताओं, स्टूडियो और निवेशकों के समक्ष पटकथाएं पेश की गईं।

एनएफडीसी लैब्स ने दो भाग में एक कार्यक्रम- चिल्ड्रन्स स्क्रीनराइटर्स लैब के पहले संस्करण का आयोजन किया जिसके केंद्र में बच्चों की और बच्चों के लिए कहानियां थीं। फिल्म बाजार 2015 में निर्माताओं, स्टूडियो और निवेशकों के समक्ष पटकथाएं पेश की गईं। इनमें सागरिका बानिक की 'लॉटरी टिकट' और श्रेयस थाथाचारी की 'द एडवेंचर्स ऑफ काका एंड किकी' को माल्मो, स्वीडन में फिल्म फाइनेंसिंग फोरम में भाग लेने के लिए चुना गया।

वर्क इन प्रोसेस लैब का पुनर्गठन भी किया गया और एक नए प्रारूप को प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त दो लैब्स आयोजित किए गए है, पहला फिक्शन फिल्मों के लिए और दूसरा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए, प्रत्येक खंड में अतिरिक्त संपादन लैब भी था।

एनएफडीसी ने प्रोड्यूसर्स लैब का तीसरे वर्ष भी आयोजन किया जिसमें 37 निर्माताओं को निर्माण, विकास, बजट, वितरण और बिक्री के क्षेत्रों में विश्व भर के सर्वोतम तौर-तरीकों से अवगत कराया गया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों के मार्गदर्शन में निर्माताओं को भी अंतरराष्ट्रीय फिल्म पेशेवरों के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को पेश करने मौका मिला।

एनएफडीसी ने फिल्म बाजार 2015 के दौरान आयोजित सह निर्माण बाजार के लिए 19 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को क्यूरेट और प्रस्तुत किया। यह सह निर्माण बाजार अपने 9वें संस्करण में दक्षिण पूर्व एशिया में बनी फिल्मों को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित था।

विज्ञापन फिल्म निर्माण और संचार

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान एनएफडीसी ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एंड टू एंड संचार समाधान के प्रदाता के रूप में खुद को मजबूत बनाया। इस वर्ष के दौरान एनएफडीसी ने लंबे समय तक चलने वाले तीन प्रायोजित रेडियो कार्यक्रमों, 30 से अधिक ऑडियो-वीडियो विज्ञापनों और अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न फॉरमेट्स वाली 50 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। एनएफडीसी ने निगम के सामुदायिक लामबंदी अभियान का सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जिसमें देश के गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के नामांकन शिविर के बुनियादी ढांचे वाली 20 कस्टम मेड यात्री बसों की शुरुआत की गई।

एनएफडीसी की सबसे हाल ही की उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :- भारतीय सेना की 1965 भारत पाक युद्ध विजय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बने विज्ञापन, सुलभ भारत अभियान की हस्ताक्षर फिल्म, वर्ष 2015 की नौसेना दिवस फिल्म, माईगोव नामक कॉरपोरेट फिल्म, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बनी ब्रांड फिल्म और सेलेब्रिटी एंडोर्समेंट। एनएफडीसी ने समर्थन जुटाने के उद्देश्य से ऑडियो-विजुअल्स के निर्माण हेतु स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के साथ भागीदारी की है।

निगम ने अपनी कारोबारी इकाई को विज्ञापन एजेंसी के रूप में पुर्नगठित किया है जिसमें कारोबारी विकास, ग्राहक सेवा, रचनात्मक एवं निर्माण और मीडिया प्लानिंग और खरीद के लिए समर्पित टीम है जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा रही हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म सुविधा कार्यालय

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एनएफडीसी ने मंत्रालय में फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) के गठन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यालय एनएफडीसी में ही है और इसका उद्देश्य भारत को

फिल्मांकन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। एफएफओ भारतीय फिल्म उद्योग में उपलब्ध व्यापक प्रतिभा और संसाधनों को दोहन और भारतीय स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी फिल्मकारों को भारत में फिल्मांकन की अनुमित दिलाएगा। इससे देश में फीचर और गैर फीचर फिल्मों की शूटिंग करने के लिए अनुमति हासिल करना सहज होगा। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फिल्म बाजार 2015 में फिल्म

सुविधा कार्यालय के लोगो का अनावरण किया। इसकी टैगलाइन 'फिल्म इन इंडिया' भारत को विश्व भर के फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करती है। एफएफओ के कार्य इस प्रकार हैं-

- ➢ विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करते हुए उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से फिल्म की शूटिंग की अनुमति के लिए आवेदन की स्वीकृति सहित अपेक्षित अनुमति दिलाने में सहायत करना, प्रस्तुत दस्तावेजों की छानबीन करना, गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना, पटकथा का मूल्यांकन करने वालों द्वारा पटकथा का मूल्यांकन करवाना तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति पत्र जारी करने के लिए भेजना शामिल है। उचित प्रक्रियाओं की स्थापना के बाद भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- ➢ अन्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।
- ➢ राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना, जिससे एकल खिड़की मंजूरी को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें इसी प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने में सहायता दी जा सके।
- ➢ दीर्घावधि में, विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करना, जैसे विदेश मंत्रालय के साथ भारत में फिल्मांकन के लिए वीजा जारी करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करना, संस्कृति मंत्रालय (एएसआई) के साथ ऐसे दिशानिर्देश तैयार करना, जोकि फिल्मकारों के प्रति अधिक संवेदनशील हों और अतुल्य भारत के एक उप ब्रांड के तहत पर्यटन मंत्रालय के साथ विभिन्न शूटिंग स्थलों को बढ़ावा देना।
  - एक समर्पित वेब पोर्टल की स्थापना करना जिससे निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे:-
  - भारत में शूटिंग की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। यह पोर्टल भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोडक्शन/पोस्ट प्रोडक्शन और देश में शूटिंग से संबंधित सभी जरूरी सूचनाओं सहित शूटिंग स्थलों और उपलब्ध सुविधाओं की सूचना देगा।
- यह सूचनाओं के एक केंद्रीय भंडार के रूप में सेवा प्रदान करेगा और भारत में फिल्मांकन के ऑनलोकेशन की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही निर्माण कंपनियों को एकल खिड़की मंजूरी से लेकर केंद्रीय संपर्क बिंदु के माध्यम से प्री प्रोडक्शन सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- यह आवेदक को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही शूटिंग के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, सीमा शुल्क विभाग, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य सरकार और नगर निगम सहित स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य एजेंसियों से प्रस्तुतियां/मंजूरी/अनुमोदन हेतु आवश्यक ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
- पोर्टल पर आवेदक भारत में राज्यवार विभिन्न स्थानों को देख सकेंगे और प्रत्येक स्थान पर प्रासंगिक सूचनाओं की विस्तृत जानकारी होगी, साथ ही सहयोग स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की साइट्स के लिंक होंगे। इसे प्रारंभ में एनएफडीसी द्वारा विकसित किया जाएगा और निगम विभिन्न राज्य सरकारों के साथ स्थानों से संबंधित सूचना देने और उसे अद्यतन करने, नए स्थलों को जोड़ने और इन स्थानों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं की सूची देने के लिए समन्वय स्थापित करेगा।
- पोर्टल पर उन लाइन प्रोड्यूसरों के विवरण हैं जोकि विदेशी फिल्म प्रोडक्शंस में सक्षम हैं। साथ ही विभिन्न प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की जानकारी भी होगी।
- इस पर क्रू, प्रतिभाओं, सुविधाओं, चरणों, उपकरणों और सहायता सेवाओं, जिनमें पुस्तिकाओं, फॉर्मों, शूटिंग गाइड्स, निर्देश मैनुअल आदि का प्रकाशन से संबंधित लॉजिस्टिक सूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी। पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक अलग अनुभाग भी साइट में शामिल किया जाएगा।

'इफ्फी 2016' के उद्‌घाटन के अवसर पर श्री अरुण जेटली, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा श्री सुनील अरोड़ा

रूस के संचार एवं मास मीडिया मंत्री श्री निकोलाई निकीफोरोव नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से मिलते हुए

7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत और यूनेस्को

भारत संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक, यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जन संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, 1981 में यूनेस्को की आम सभा के 21वें सत्र में अंतरराष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत ने इस अवधारणा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आईपीडीसी का सदस्य बना। इसके अतिरिक्त, भारत आईपीडीसी की अंतर–सरकारी परिषद (आईजीसी) का भी सदस्य बना। भारत को सर्वसम्मति से संगठन की 35वीं आम सभा में वर्ष 2009–2013 की अवधि के लिए अंतर–सरकारी परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया।

श्रीमती आर. जया, संयुक्त सचिव (सूचना एवं प्रसारण) और श्री चैतन्य प्रसाद, ओएसडी ने 10 और 11 नवंबर, 2015 को पेरिस में यूनेस्को की आम सभा के 38वें सत्र में संचार उप आयोग की बैठक में भाग लिया। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिवेश को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया में बहुलवाद और भागीदारी को सहज बनाना और सतत एवं स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को सहयोग देना था।

विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों का लक्ष्य और उद्देश्य संबंधों को मजबूत बनाना और मास मीडिया, प्रसारण एवं फिल्मों के क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना भी है।

इन सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के तहत सूचना, प्रसारण और फिल्म में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।

वर्ष 2015–16 के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत और अन्य देशों जैसे जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, तुर्की आदि के बीच 17 मसौदा सीईपी प्रस्तावों को निष्पादन के लिए प्राप्त किया गया और ये मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

दक्षेस में भारत की भूमिका

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस अथवा सार्क) सूचना केंद्र इस क्षेत्र के देशों के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। दक्षेस सूचना केंद्र के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(क) दक्षेस और उसके सदस्य देशों के लिए सूचना एकत्र करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

(ख) प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए पेशेवर मामलों में एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रस्तुतियों में तालमेल, अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।

(घ) दक्षेस और उसके सदस्य देशों के लिए सूचना बैंक के रूप में कार्य करना।

(ङ) दक्षेस देशों के मीडिया के बीच सहयोग एवं तालमेल के लिए अंतर्क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना।

(च) दक्षेस ऑडियो–विजुअल आदान प्रदान (सेव), दक्षेस क्षेत्रीय केंद्रों, दक्षेस के शीर्ष और मान्यताप्राप्त निकायों के साथ विचार विमर्श और दक्षेस के अन्य कार्यक्रम के लिए समन्वय करना।

भारत दक्षेस का सक्रिय सदस्य है। इसके सदस्य देशों के सूचना मंत्री मीडिया से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठक करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरकारी कार्यकलापों में दक्षेस देशों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। केंद्र द्वारा इस क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यकलापों और कार्यक्रमों में अतीत में मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था किंतु वर्ष 2015–16 के दौरान, क्षेत्र में केंद्र द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मंत्रालय द्वारा 1.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नई योजना स्कीम 'मानव संसाधन विकास' को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के लिए 15 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस कार्यक्रम में मीडिया आदान प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त कार्यदल और सूचना

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राठौड़ ज़िंबाब्वे के राष्ट्रपति श्री राबर्ट गेब्रियल मुगाबे से मुलाकात कर उन्हें भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करते हुए

नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

एवं फिल्म क्षेत्र में सहयोग पर समझौता तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशालाएं शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- देशों के बीच बेहतर समझदारी को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना, मीडियाकर्मियों के बीच परस्पर संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय समन्वय में वृद्धि करना और एक दूसरे के बारे में सूचनाओं को प्रचारित करना।
- समाज में सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना।
- विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को पुष्ट करना और इसके लिए सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्रों में साझी इच्छा से प्रेरित बेहतर समझदारी को बढ़ावा देना। इस योजना का व्यापक उद्देश्य यह है कि सूचना और जन संचार के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित और विकसित हो सकें।
- भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- जनसंचार, प्रसारण और फिल्मों के क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
- उच्च श्रेणी मीडिया प्रशिक्षण।
- आपदा संचार।
- सामाजिक और बहुमीडिया प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित चित्र

8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

मंत्रालय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के अधिकारियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संबंधित विभागों और स्वंतत्र इकाइयों द्वारा पद–आधारित सूची भी तैयार की गई है।

2. सेवा व अन्य लाभों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के सख्ती से पालन के लिए सभी मीडिया इकाइयों में प्रचारित किया गया है।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के आधार पर 17.4.2015 को एक ओ.एम. जारी किया गया, इसमें 01.01.2015 तक एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व से जुड़ी जानकारी शामिल थी और इसे सूचना व प्रसारण मंत्रालय के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के यूआरएल 'rrcps.nic.in' पर अपलोड किया गया। यह संकलित आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

4. मंत्रालय और संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में 01.01.2015 तक कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत की तुलना–

Js.kh	leg ,	leg ch	leg lh ¼lQkbl deipkjh 'kkfey ugh½	leg lh ¼lQkbl deipkjh½	dqy
एससी	14.75%	15.02%	19.59%	52.63%	18.29%
एसटी	6.56%	4.57%	9.99%	0%	8.53%
ओबीसी	3.83%	14.47%	11.88%	0%	11.41%

5. साल 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के भर्ती का विवरण इस प्रकार है:

	31 ekpl 2015 rd dqy deipkfj;ksa dh la[;k	lky ds nkSjku Hkrhl fd, x, dqy deipkfj;ksa dh la[;k	bl lky ds nkSjku Hkrhl fd, x, vYila[;d deipkjh	31 ekpl 2015 rd dqy deipkfj;ksa dh la[;k	lky ds nkSjku Hkrhl fd, x, dqy deipkfj;ksa dh la[;k	lky ds nkSjku Hkrhl fd, x, vYila[;d deipkjh
	leg d			leg [k		
मंत्रालय/विभाग	87	11	2	416	20	1
संबंद्ध विभाग	462	24	9	503	44	1
कुल	549	35	11	919	64	2

	31 ekp] 2015 rd dy depkfj;k dh l[;k	lky d nkjku Hkrh fd, x, dy depkfj;k dh l[;k	bl lky d nkjku Hkrh fd, x, vYi l[;d depkjh	31 ekp] 2015 rd dy depkfj;k dh l[;k	lky d nkjku Hkrh fd, x, dy depkfj;k dh l[;k	lky d nkjku Hkrh fd, x, vYi l[;d depkjh
	leg x			leg ?k		
मंत्रालय/विभाग	130	6	1	0	0	0
संबंद्ध विभाग	3203	119	9	19	0	0
dy	**3333**	**125**	**10**	**19**	**0**	**0**

6. निदेशक/उप सचिव स्तर के एक संपर्क अधिकारी की देखरेख में सेल इस मंत्रालय और इससे संबंद्ध विभागों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकार्य आरक्षण नीति लागू करने और अन्य लंबित लाभों के कार्यान्वयन, समन्वयन और जांच के लिए कार्य कर रहा है।

	कुल कर्मचारी	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य
क	549	81(14.75)	36(6.56)	21(3.83))	411
ख	919	138(15.02)	42(4.57)	133(14.47)	606
ग (सफाई कर्मचारी शामिल नहीं)	3333	653(19.59)	333(9.99)	396(11.88)	1951
ग (सफाई कर्मचारी)	19	10(52.63)	0(0)	0(0)	9
dy	**4820**	**882(18.29)**	**411(8.53)**	**550(11.41)**	**2977**

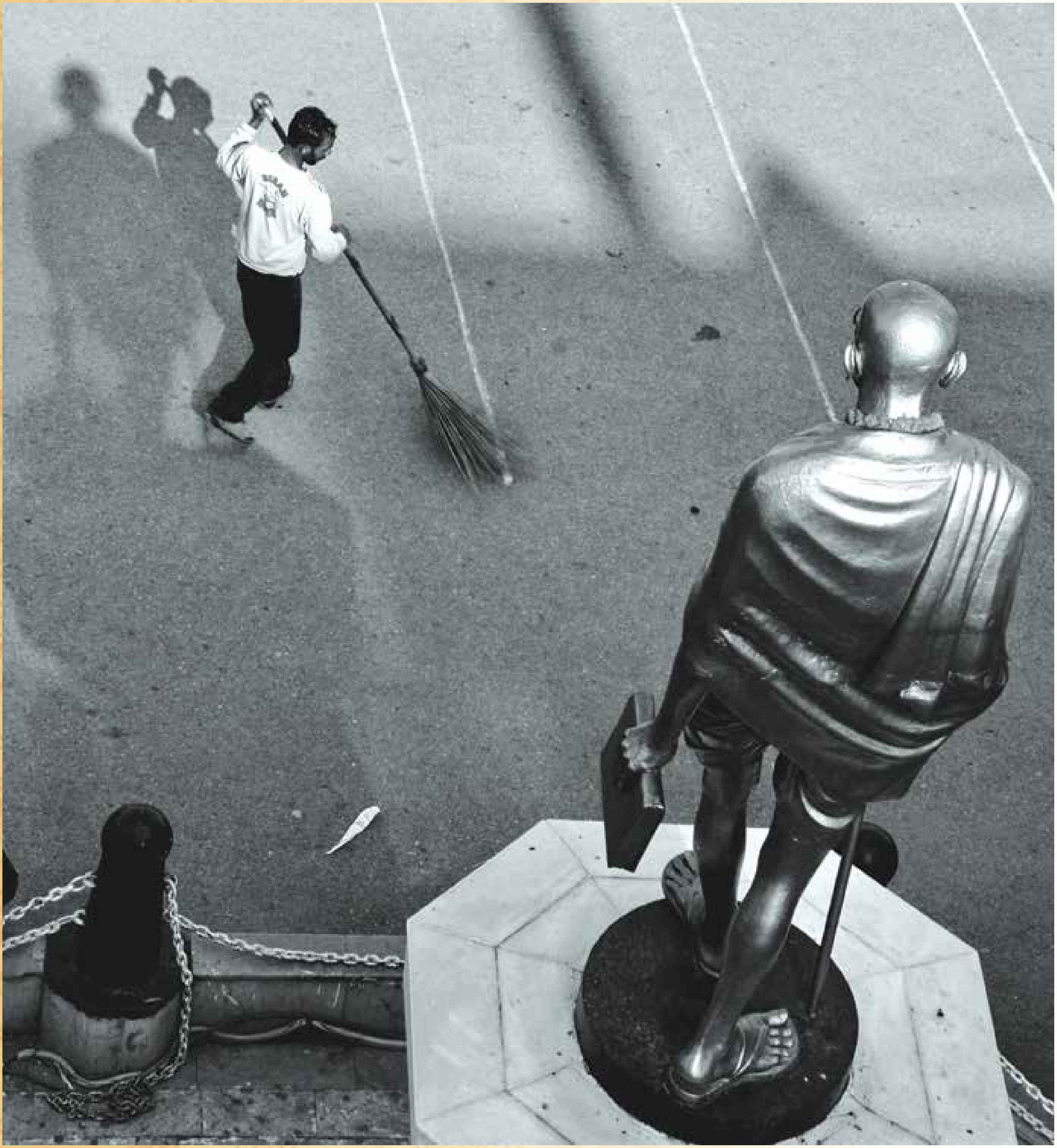

राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित

दिव्यांग जनों के लिए आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा श्री विवेक ओबरॉय

9 सेवाओं में दिव्यांग जनों का प्रतिनिधित्व

नोडल मंत्रालय और विभागों द्वारा समय–समय पर शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) लोगों के बारे में निर्देश और दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सभी मीडिया इकाइयों और प्रशासनिक विभागों को सख्ती से अनुपालन के लिए भेजा जाता है। मुख्य सचिवालय में दिव्यांग जनों के हितों को देखने के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप मंत्रालय में विशेष नियुक्ति अभियान चलाया जाता है जिससे दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरा जा सके। मंत्रालय में दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व के आंकड़े सालाना आधार पर एकत्रित किए जाते हैं और इन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा जाता है।

पीडब्लयूडी रिपोर्ट–1

सेवाओं में दिव्यांग जनों के प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक रिपोर्ट

(01.01.2016 तक)

मंत्रालय/विभाग – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

leg	de|pkfj;ksa dh la[;k				
	d|y	fpfàr inksa ij	oh,p	,p,p	vks,p
1.	2	3	4	5	6
समूह क	1228	80	06	01	03
समूह ख	7545	256	05	06	51
समूह ग	20628	872	31	07	140
समूह घ	3525	102	12	10	51
कुल	32926	1310	54	24	245

ukV1%
(i) वीएच से तात्पर्य दृष्टिहीनों से है। पूर्ण दृष्टिहीन या कम दृश्यता वाले।
(ii) एचएच से तात्पर्य बधिरों से है (सुन पाने में अक्षम लोग)।
(iii) ओएच से तात्पर्य आर्थोपेडिकल अपंगता से है (ऐसे व्यक्ति जो चलने–फिरने में असमर्थ हो या जो सेलेब्रल पाल्सी से पीड़ित हों)।

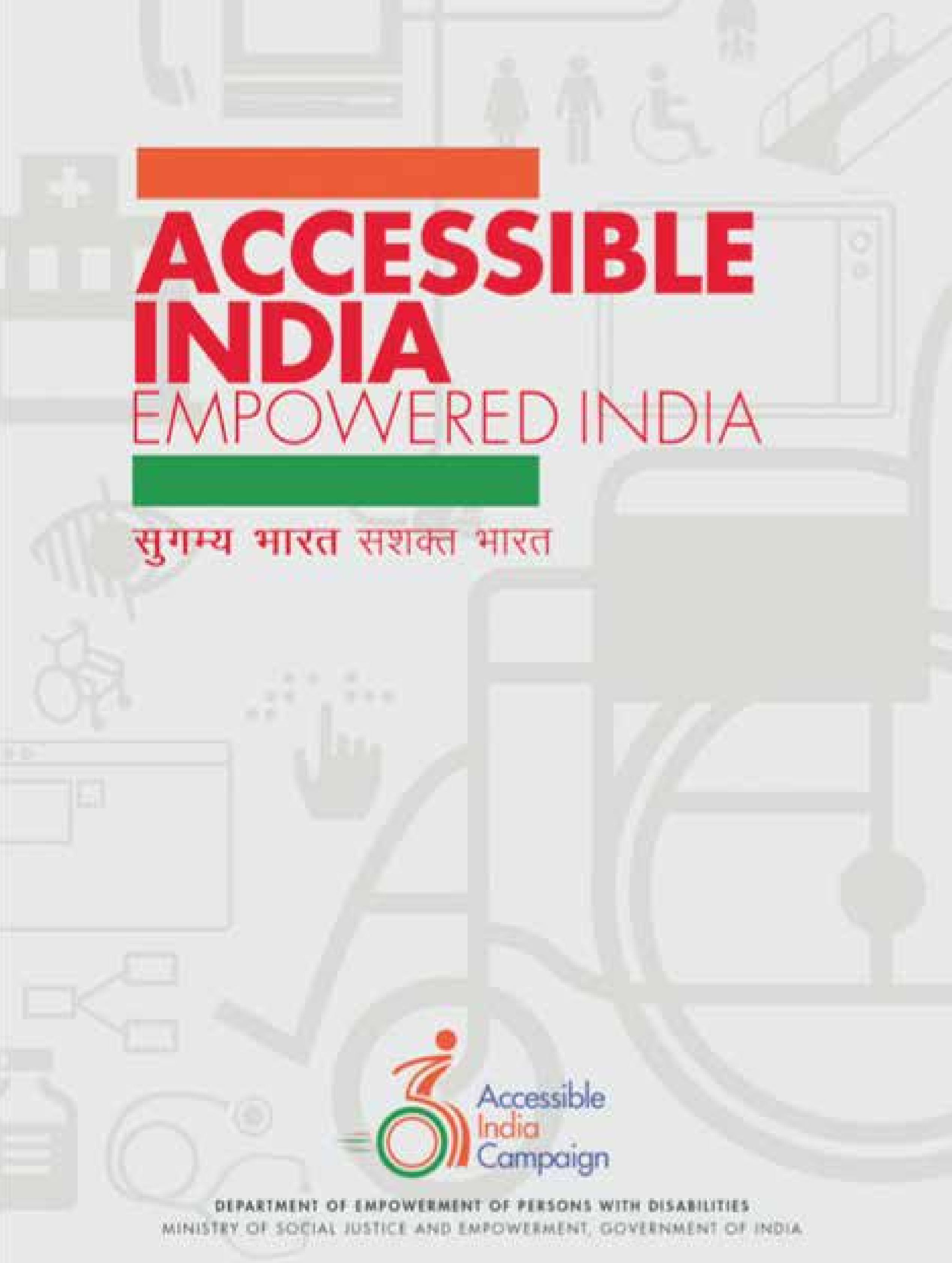

सुगम्य भारत अभियान

पीडब्लयूडी रिपोर्ट II
चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान नियुक्त दिव्यांग व्यक्ति
वर्ष : 2015

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

leg	iR;{k fu;fDr dkVk d rgr ihMCY;Mh d fy, vkjf{kr in			lh/kh Hkrh d rgr fu;fDr;k dh l[;k					inkUufr dkVk d rgr ihMCY;Mh d fy, vkjf{kr fjfDr;k			inkUufr dkVk d rgr dh xbZ fu;fDr;k dh l[;k				
	oh,p	,p,p	vk,p	dqy fu;fDr;k	ih MCY;Mh d fy, fpfàr inka ij fu;fDr;k	oh,p	,p,p	vk,p	oh,p	,p,p	vk,p	dqy fu;fDr;k	ihMCY;Mh d fy, fpfàr inka ij fu;fDr;k	oh,p	,p,p	vk,p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह क	01	01	04	07	03	01	01	01	00	00	00	01	00	00	00	00
समूह ख	01	04	03	07	05	01	02	02	00	00	00	04	00	00	00	00
समूह ग और घ	14	14	41	32	08	02	01	05	01	02	03	03	00	00	00	00
dqy	**16**	**19**	**48**	**46**	**16**	**04**	**04**	**08**	**01**	**02**	**03**	**08**	**00**	**00**	**00**	**00**

ukV l%

(i) वीएच से तात्पर्य दृष्टिहीनों से है। पूर्ण दृष्टिहीन या कम दृश्यता वाले।

(ii) एचएच से तात्पर्य बधिरों से है (सुन पाने में अक्षम लोग)।

(iii) ओएच से तात्पर्य आर्थोपेडिकल अपंगता से है।

(iv) ग्रुप क और ग्रुप ख के पदों पर पदोन्नति के लिए विकलांगों के लिए आरक्षण नहीं है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को इन पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है, बशर्त वे इन पदों के लिए पात्र हों।

नई दिल्ली में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अरुण जेटली

10 राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

हिंदी भारतीय संघ की राज भाषा है। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील इस्तेमाल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास एक सुविचारित नीति है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत यह मंत्रालय हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देता रहा है। मुख्य सचिवालय में मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) मुख्य सचिवालय और इससे जुड़े तमाम कार्यालयों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की निगरानी करती है। राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए वार्षिक कार्यक्रम के तहत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का स्तर और कार्यालय संबंधी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने वाले तरीकों और साधनों का स्तर जांचने के लिए मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं।

अनुवाद, कार्यान्वयन और भारत सरकार की राजभाषा नीति की निगरानी में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में एक निदेशक, एक उपनिदेशक, दो सहायक निदेशक, दो वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और दो कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति की गई है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी कागजों/दस्तावेजों का प्रकाशन द्विभाषी रूप में सुनिश्चित करने और हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों और हिंदी में ही हस्ताक्षर किए गए पत्रों का हिंदी में ही जवाब दिया जाना जरूरी बनाया गया था। इसके अलावा विभिन्न वर्गों और मीडिया इकाइयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और राजभाषा नीति के बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

फिल्म प्रभाग, मुंबई द्वारा हिंदी पखवाड़ा समारोह 2015 का आयोजन

कामकाज में हिंदी के उपयोग का प्रसार करने के लिए, 14–28 सितंबर 2015 तक मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध लेखन, कविता लेखन, अनुवाद, वाद–विवाद और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इनमें 82 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 50 अधिकारियों (हिंदी और हिंदीतर भाषी क्षेत्रों से) को नगद पुरस्कार दिए गए।

माननीय मंत्री जी ने अधिकारिक कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की। इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री और कैबिनेट सचिव द्वारा जारी की गई अपील भी इस अवसर पर वितरित की गई।

2015–16 के दौरान 10–12 सितंबर, 2015 को भोपाल (म.प्र.) में 16वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके लिए मंत्रालय से तीन अधिकारी निदेशक (रा.भा.), उपनिदेशक (रा.भा.) तथा एक सहा. निदेशक (रा.भा.) को भेजा गया।

साल 2015–16, के दौरान हिंदी सलाहकार समिति बनाई गई और इसकी पहली बैठक 10 नवंबर, 2015 को माननीय केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में की गई।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार मूल टिप्पणी और मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना अब भी चालू है। मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के नौ अधिकारियों को इस योजना के तहत 2014–15 के लिए नगद पुरस्कार दिए गए। कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल सुचारू बनाने के लिए, मंत्रालय में हर तिमाही हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इसके अधीनस्थ कार्यालयों को अपने–अपने संस्थानों में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भी कहा गया।

साल के दौरान राजभाषा पर बनाई गई संसद की दूसरी उप–समिति ने इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 13 कार्यालयों का निरीक्षण किया। समिति द्वारा दिए गए सुझावों का संज्ञान लेते हुए राजभाषा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उन पर उपचारात्मक कदम उठाए गए। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य 10 कार्यालयों का भी दौरा किया गया।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में धारोना गांव में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 'मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य' रैली

11 महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार महिलाओं की विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 1992 में मंत्रालय में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। बाद में 'विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य' मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों पर अमल करते हुए एक प्रकोष्ठ का 16 मई 2002 को पुनर्गठन किया गया ताकि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में शिकायत समिति के रूप में कार्य कर सके। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाहरी विशेषज्ञ को गैर–सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर महिला प्रकोष्ठ में शामिल किया गया।

बाद में, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, 25 अक्टूबर, 2013 को महिला सेल को 'आंतरिक शिकायत समिति' का नाम दिया गया।

इस समिति को परिपत्र संख्या बी–11020/17/2011 एडमिन. तीन के साथ 9 जनवरी, 2015 को पुनर्गठित किया गया है। सुश्री आर. जया, संयुक्त सचिव को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। इसके अतिरिक्त सुश्री पी. वसंती, निदेशक, सीएमएस, वाईडब्ल्यूसीए, भारत को बाहर से एक विशेषज्ञ के रूप में इस समिति के गैर–सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तीन अन्य महिला सदस्य और मंत्रालय के एक पुरुष सदस्य इसके आधिकारिक सदस्य हैं।

आंतरिक शिकायत समितियां भी संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों और मंत्रालय के स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य कर रही हैं। इस मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक सेवा (आचरण) नियम, 1964 के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन– कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश सभी मीडिया इकाइयों को जारी कर दिए गए हैं।

सभी समितियों की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही हैं।

राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार प्राप्त चित्र

12 सतर्कता संबंधी मामले

मंत्रालय का सतर्कता संगठन पूरी तरह सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव के मार्गदर्शन में कार्य करता है। मंत्रालय के सतर्कता विंग की अगुवाई मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) संयुक्त सचिव के स्तर पर की जाती है। जिसे केंद्रीय सतर्कता समिति (सीवीसी) द्वारा मंत्रालय के ब्यूरो प्रमुखों में से चुना जाता है। सीवीसी को इसमें उपसचिव, (सतर्कता) और अपर सचिव सतर्कता का सहयोग प्राप्त होता है। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय और इसके संबंध कार्यालयों और सीवीसी के साथ–साथ सीबीआई के बीच एक सेतु का काम करता है। सीवीसी की मंजूरी से प्रसार भारती के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की सतर्कता गतिविधियों का निरिक्षण करता है। अन्य संबंधित कार्यालयों, सार्वजनिक विभागों और पंजीकृत संस्थाओं में भी अलग सतर्कता संगठन स्थापित किए गए हैं। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय का सीवीओ संबंधित कार्यालयों, मंत्रालय के सार्वजनिक वर्गों की सतर्कता गतिविधियों का समायोजन करता है।

भ्रष्टाचार कम करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए कदम उठाए गए थे। संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मियों के बारी–बारी स्थानांतरण करने के प्रयास किए गए। नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए गए। एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान, 55 नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए गए। इसके अलावा, इस मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में 41 क्षेत्रों को निगरानी में रखने के लिए चयनित किया गया है। सूचना एवं प्रसारण और उसकी मीडिया इकाइयों द्वारा 26 अक्टूबर–31 अक्टूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2015 के दौरान 185 नई शिकायतें मंत्रालय और उसकी इकाइयों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुईं। इनकी जांच की गई और सात मामलों में शुरुआती जांच भी की गई। इस दौरान 7 मामलों के संबंध में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। आठ मामलों में नियमित विभागीय कार्यवाही के लिए बड़ा जुर्माना और तीन मामलों में कम जुर्माना लगाया गया। इस दौरान छह मामलों में बड़ा जुर्माना और एक मामले में कम जुर्माना लगाया गया। इस दौरान रिपोर्ट एक के अंतर्गत अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। तीन मामलों में नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कदम उठाए गए।

इस अवधि के दौरान 9 दोषी अधिकारियों के संबंध में प्रासंगिक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अनुसरण की मंजूरी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई।

फिल्म सुविधा कार्यालय की शुरुआत

13 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा अनुमोदित इस मंत्रालय के 'नागरिक/ग्राहक चार्टर' को मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.nic.in पर अपलोड किया गया है। चार्टर में निम्नलिखित 12 मुख्य सेवाओं/कार्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें मंत्रालय द्वारा अपने हितधारकों को सीधे तौर पर उपलब्ध कराया जाता है :

1. भावी लाइसेंसधारकों को डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करना,
2. मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी करना,
3. भावी लाइसेंसधारकों को हेडेंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करना,
4. टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का भारत में कामकाज के लिए पंजीकरण करना,
5. टेलीविजन चैनलों द्वारा अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टेलीपोर्ट स्थापित करना,
6. भारत से अपलिंक किए जाने वाले टेलीविजन चैनलों को अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति देना,
7. विदेश से अपलिंक किए गए चैनलों की डाउनलिंकिंग की अनुमति देना,
8. गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों/संस्थानों द्वारा सामुदायिक रेडियों केंद्रों की स्थापना,
9. विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश वाले प्रतिष्ठानों को विदेशी पत्रिकाओं/जर्नल्स/आवधिक पत्र–पत्रिकाओं/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने के लिए अनुमोदन पत्र जारी करना,
10. विदेशी निवेश वाले/बिना विदेशी निवेश वाले किसी प्रतिष्ठान द्वारा समाचार और सामयिक मामलों/समाचार पत्रों वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण/विदेशी समाचार पत्रों के स्वानुरूप संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करना,
11. शिकायत निवारण तंत्र, और
12. विदेशी निर्माताओं को टेलीविजन/सिनेमा के लिए फीचर फिल्मों और रिएलिटी शो/व्यावसायिक टीवी सीरियलों की शूटिंग करने के लिए अनुमति पत्र जारी करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय में प्राप्त शिकायत याचिकाओं को कंप्यूटरीकृत केंद्रीय जन–शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है और उन पर कार्रवाई होती है। उसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार प्राप्त सभी याचिकाओं की पावती भेजी जाती है। पावती पत्र पर शिकायत की पंजीकरण संख्या, निपटान का संभावित समय और संपर्क व्यक्ति का ब्योरा दिया जाता है। शिकायत याचिकाओं को संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालय/प्रभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है और नियमानुसार अंतिम निपटारा करके शिकायतकर्ता को अंतिम जवाब देने के निर्देश जारी किए जाते हैं। शिकायतों के निपटारे पर नजर रखने के लिए संबद्ध कार्यालयों/विभागों को अनुस्मारक भेजकर तथा समीक्षा बैठकें इत्यादि बुलाकर उनकी नियमित तौर पर निगरानी की जाती है। सभी मीडिया इकाइयों में सामान्य रूप से संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव के स्तर के अधिकारी को इकाई विशेष का जन–शिकायत अधिकारी नामित किया जाता है। महत्वपूर्ण और जरूरी मामलों में संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी को मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए चर्चा के लिए बुलाया जाता है। याचिकाओं के अंतिम निपटान की स्थिति के बारे में प्राधिकारी/संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाता है, जिससे शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित व्यक्तियों को यह सूचना डाक या सीपीजीआरएएमएस द्वारा भेजी जाती है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि से जन–शिकायतों के निपटान के लिए कार्यप्रणाली को सक्रिय बनाने के बारे में समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देश इस मंत्रालय के तहत काम करने वाली सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्तशासी निकायों आदि को भेजे जाते हैं। मंत्रालय में शिकायतों के निवारण की निगरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा भी की जाती है।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी ऐसी ही कार्य–प्रणाली लागू है।

कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने अपने शिकायत निवारण–तंत्र के लिए ''सेवोत्तम अनुपालन प्रणाली दिशा–निर्देश अपनाए हैं और कार्रवाई की रिपोर्ट को आकलन के लिए कैबिनेट सचिवालय भेजा है।

शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित समय–सीमा

Ø-l-	fo"k;	le;
01.	शिकायतकर्ताओं को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
02.	शिकायतों/याचिकाओं को संबंधित अधिकारी को भेजना	7 दिन
03.	संबद्ध मंत्रालय/विभाग/राज्य द्वारा स्थानांतरित/भेजे गये मामलों का अंतिम निपटान और परिणाम की स्थिति के बारे में सूचित करने की समय–सीमा	2 महीने

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के साथ श्री सुनील अरोड़ा, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
साथ में हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री बिमल जुल्का

उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्पण के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने तथा संबंधित प्रासंगिक मामलों के बारे में सरकारी अधिकारियों से जनहित की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अधिकार का अर्थ है, ऐसी सूचना तक पहुंच का अधिकार, जो किसी सरकारी अधिकारी के अंतर्गत या नियंत्रण में हो। इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं–

1. कार्य, दस्तावेज, रिकार्ड का निरीक्षण।
2. टिप्पणियां, सारांश, दस्तावेजों या रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना।
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना।
4. सीडी अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रानिक मोड में या मुद्रित रूप में सूचना प्राप्त करना, जहां ऐसी सूचनाएं कंप्यूटर अथवा किस अन्य उपकरण में स्टोर की गई हों।

मुख्य सचिवालय में आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन

प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय अनुपालन में मंत्रालय द्वारा सूचना एवं सुविधा काउंटर की स्थापना 4 जुलाई, 1997 को की गई।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय और उसके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपील और मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्णय सूचना केंद्र (आईएफसी) में प्राप्त होते हैं। अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने और अपीलकर्ता द्वारा दाखिल की गई अपील के बारे में निर्णय के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 27 मुख्य जनसूचना अधिकारी और 17 अपील प्राधिकारी नामित किए गए हैं। इनकी सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान आईएफसी में 1870 आवेदन और 244 अपील प्राप्त हुईं और सभी आवेदकों को आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित उचित उत्तर दिए गए। कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2013 में http://rtionline.gov.in नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया गया। मंत्रालय को 888 ऑनलाइन आवेदन और 138 अपील प्राप्त हुईं जोकि 1870 आवेदन और 244 अपील में शामिल हैं। डाक के माध्यम से प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों को 1 सितंबर, 2014 से आरटीआई के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार/निरीक्षण प्रभार के रूप में 25,502 रुपयों की धनराशि प्राप्त हुई है। भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 1300 आगंतुकों को आईएफसी द्वारा सेवा प्रदान की गई है। उन्होंने आमतौर पर टीवी चैनलों, केबल टीवी आदि के बारे में जानकारी मांगी थी।

सूचना और सुविधा केंद्र संगठन के ग्राहकों/उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है–

(क) संगठन द्वारा दी गई सेवाओं, कार्यक्रमों और उसके द्वारा समर्थित योजनाओं तथा संबद्ध नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ब्रोशर, फोल्डरों आदि के माध्यम से प्रदान की गई।

(ख) संगठन की सेवाएं अनुकूल ढंग से, समय पर, सक्षमतापूर्वक, पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में ग्राहक/उपभोक्ता को सुविधाएं प्रदान करना और सार्वजनिक उपयोग के लिए अपेक्षित प्रपत्र आदि उपलब्ध कराना।

(ग) संगठन की सेवाओं/योजनाओं/कार्य प्रणाली के संदर्भ में संगठन द्वारा विकसित सेवा गुणवत्ता मानकों, समय संबंधी मानदंड आदि के बारे में सूचना देना।

(घ) संगठन के जनशिकायत निवारण तंत्र के बारे में श्रेणीबद्ध व्यवस्था की जानकारी देना, और

(ङ) शिकायतों/आवेदनों/अनुरोधों/प्रपत्र (संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में) को प्राप्त करना, उनकी पावती देना और उन्हें संगठन में संबद्ध प्राधिकारी को अग्रसारित करना और उनकी स्थिति/निपटान के बारे में सूचना प्रदान करना।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत एक सूचना नियमावली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, जो सूचना और सुविधा काउंटर पर उपलब्ध है।

लगातार जांच एवं समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम में निहित प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।

आरटीआई आवेदनों के निपटारे संबंधी व्यवस्था

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अनुभाग में प्राप्त सभी आवेदनों की छंटनी की जाती है। जिन आरटीआई आवेदनों का संबंध इस मंत्रालय से नहीं होता, उन्हें संबद्ध मंत्रालय के सीपीआईओ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन आरटीआई रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद संबद्ध सीपीआईओ को अग्रसारित कर दिए जाते हैं।

बकाया आवेदनों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था के रूप में सीपीआईओ को 'कलर कोडेड रिमाइंडर' जारी किए जाते हैं, अर्थात 15 दिनों के बाद नीले कागज पर और 25 दिनों के बाद गुलाबी कागज पर क्रमशः अनुस्मरण पत्र भेजा जाता है ताकि आवेदक को निर्धारित 30 दिनों की अवधि में सूचना प्रदान किए जाने में कोई भी कोताही नहीं होने पाए।

आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आरटीआई आवेदन और अपीलों को मंत्रालय के संबंधित सीपीआईओ/एए को अग्रसारित कर दिया जाता है। सभी सीपीआईओ और एए को आवेदन/अपील की स्थिति की जांच और ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया गया है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का क्रियान्वयन

मंत्रालय ने धारा 4 (ख) (i) और 4 (ख) (ii) के तहत सरकारी प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना को बिना मांगे ही जनता को उपलब्ध कराने और उसे वेबसाइट पर डालने का दायित्व पूरा कर दिया है। आरटीआई आवेदन, अपील और उनके उत्तर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आंकड़ों की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से सीआईसी वेबसाइट पर अंतरित की जाती है जिनमें प्राप्त, रद्द की गई, स्थानांतरित आवेदनों/अपीलों के आंकड़े दिए जाते हैं।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

इस मंत्रालय के तहत सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों और स्वायत्त निकायों द्वारा सीपीआईओ और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस बारे में डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार प्राप्त एक फोटो

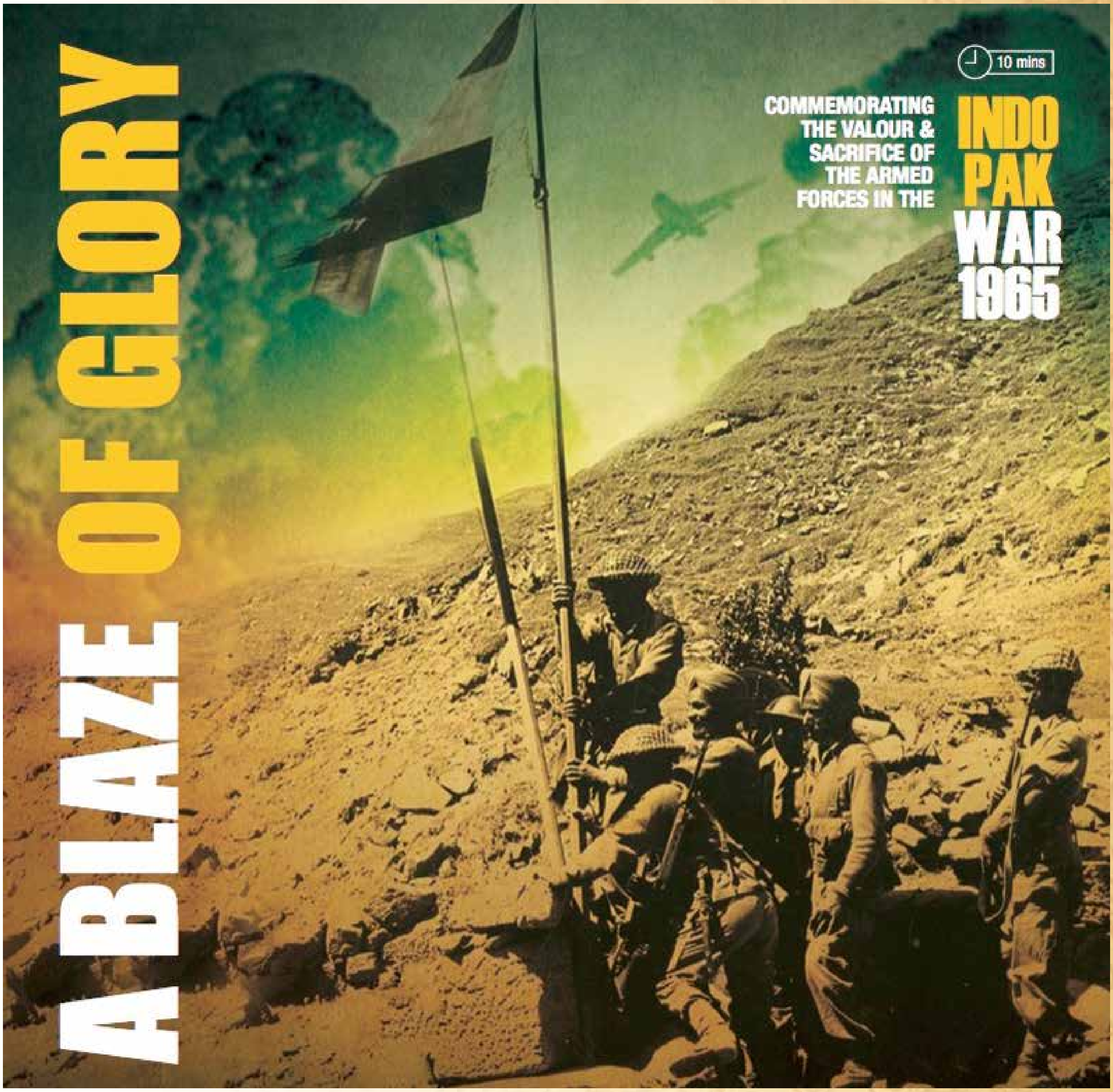

एनएफडीसी फिल्म 'इन्डो–पाक वार 1965' के युद्ध में साहस और त्याग का स्मरण

15 लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं। वह अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के सहयोग से यह दायित्व निभाते हैं।

मुख्य लेखा नियंत्रक लेखांकन संगठन के प्रशासनिक प्रमुख हैं। वह अपना कार्य लेखा नियंत्रक, उप लेखा निरीक्षक और 14 वेतन एवं लेखा अधिकारियों की मदद से संपन्न करते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, लखनऊ, नागपुर एवं गुवाहाटी में हैं।

मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं:

- मंत्रालय का वार्षिक बजट तैयार करना और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लेखा और उससे संबंधित मामलों का लेखा तैयार करना।
- मंत्रालय की प्राप्तियों की समयबद्ध वसूली की निगरानी।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित वेतन एवं लेखा अधिकारियों और संवितरण अधिकारियों की मदद के जरिए भुगतान तथा लेखा प्रणाली का प्रबंधन।
- केंद्रीय लेन-देन विवरण, विनियोग लेखा, केंद्रीय वित्तीय लेखा और प्राप्ति बजट तैयार करना और उन्हें वित्त मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को पहुंचाना।
- वर्षभर के लेखा-विवरण (एकाउंट्स एट् ए ग्लांस) का प्रकाशन।
- आंतरिक लेखा परीक्षण दलों को सामान्य दिशा–निर्देश देना और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) कार्यालय से संपर्क बनाए रखना।
- विभिन्न अनुदानों, सहायता, ऋणों और बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना तथा इनके पुनर्भुगतान और उपयोग प्रमाण पत्रों पर निगरानी रखना।
- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, जनरल प्राविडेंट फंड और निजी दावों के अन्य मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करना।
- लेखा संगठन के विभागाध्यक्ष के रूप में मिले अधिकारों का समुचित उपयोग और लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, तबादलों, पदोन्नति, छुट्टियों, सर्तकता और अनुशासन संबंधी मामलों का निपटान
- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) के आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना।

भुगतान और लेखांकन प्रणाली

मंत्रालय से संबद्ध भुगतान नामित वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाते हैं। मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय में गर्वनमेंट इलेक्ट्रानिक पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर के जरिए ई-भुगतान प्रणाली सफलता के साथ लागू की गई है। इस तरह प्राप्तकर्ताओं को देय राशि अब सीधे उनके खाते में जमा हो जाती है।

मंत्रालय के मासिक खाते और वार्षिक विनियोग खाते सीजीए द्वारा निर्धारित प्रारूप में और समय पर तैयार किए जाते हैं। सभी भुगतान सीजीए द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से विकसित 'कॉम्पैक्ट' सॉफ्टवेयर के जरिये किए जाते हैं। इन आंकड़ों को सिविल लेखा संगठन के इलेक्ट्रानिक भुगतान और लेखा सॉफ्टवेयर प्रणाली–'ई-लेखा' में अपलोड कर दिया जाता है। ई-लेखा प्रणाली दैनिक, मासिक और वार्षिक लेखा प्रक्रिया की रिपोर्टिंग और निगरानी की मुख्य प्रणाली है। वेतन और लेखा अधिकारी अपना मासिक लेखा प्रधान लेखा कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं जहां से मंत्रालय के लिए मासिक लेखाओं का संकलन किया जाता है और इसे ई-लेखा मॉड्यूल के तहत महालेखा नियंत्रक को भेज दिया जाता है।

इस प्रणाली के परिणामस्वरूप निचले से निचले स्तर पर बजट आवंटन के समानांतर व्यय की रोजाना रिपोर्टिंग की जा सकती है। इस तरह केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागों की सामाजिक परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है।

मंत्रालय की प्राप्तियों और भुगतानों का मासिक सारांश तथा पिछले वर्ष उसी अवधि के आंकड़ों का सार-संक्षेप मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

इर्ला (इंडिविजुअल रनिंग लेजर एकाउंट)

यह कार्यालय अन्य मंत्रालयों के विभाग–केंद्रित वेतन और लेखा कार्यालयों के साथ ही विकसित किया गया है। इर्ला प्रणाली का उद्देश्य सेवा और भुगतानों का एक केंद्रीय तंत्र बनाना है ताकि मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के अधिकारी, पूरे देश में तबादले वाली सेवाएं होने के बावजूद, आसानी से अपना वेतन पा सकें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती की देशभर में फैली लगभग 50 मीडिया इकाइयों के सेवा और वेतन संबंधी रिकॉर्ड इर्ला में रखे जाते हैं। यही दफ्तर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के लगभग 1,200 सेवारत अधिकारियों और करीब 12,000 सेवानिवृत अधिकारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान का प्रबंध करता है। लेखा नियंत्रक इस कार्यालय के प्रमुख हैं जिनके अधीन 4 लेखा अधिकारी और 8 सहायक लेखा अधिकारी हैं। अधिकारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रणाली को समुन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आंतरिक लेखा

आंतरिक लेखा–परीक्षा सरकारी वित्त प्रबंधन का अभिन्न अंग है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकारी रकम की उचित तरीके से और नियमानुसार प्राप्ति और भुगतान हो सके। आंतरिक लेखा–परीक्षा के जरिये लेखा रिकॉर्डों के स्तर की भी रिपोर्टिंग होती है ताकि सरकारी कोष को लेखा दस्तावेजों में सही तरीके से दिखाया जाए। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों में आंतरिक लेखा का कार्य, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा निर्धारित कार्य आवंटन नियमों के तहत लेखा महानियंत्रक द्वारा किया जाता है। इन नियमों के आइटम 6(ग) में, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह कहा गया है कि मुख्य लेखा नियंत्रक 'केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के उचित मानक सुनिश्चित करेंगे'। यह काफी हद तक अनुपालन ऑडिट पर केंद्रीय मंत्रालयों की आंतरिक लेखा शाखाओं पर प्रकाश डालता है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वित्तीय सलाहकारों को संशोधित चार्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों के नियंत्रण और निगरानी में आंतरिक लेखा स्कंध मात्र सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों की सही व्यवस्था लागू करने और इसके नियमन तक ही सीमित न रहें बल्कि इसके आगे भी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन, और विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों में आंतरिक नियंत्रणों का सुचारु रूप से संचालन तथा वित्तीय एवं लेखा संबंधी रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
- जोखिम वाले घटकों (जिसमें आउटकम बजट में शामिल कारक भी हैं) की पहचान और निगरानी।
- सेवा डिलीवरी प्रणाली में किफायत, कुशलता और इसके कारगर होने का आकलन ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो और
- प्रक्रियाओं के चलने के दौरान भी समय–समय पर कारगर तरीके से उनकी निगरानी।

इस तरह संशोधित चार्टर में आंतरिक लेखा परीक्षण का दायरा बढ़ गया है। अब इसमें मात्र यही शामिल नहीं है कि लेखा और वित्तीय मामलों में नियमों और प्रावधानों का ठीक से पालन सुनिश्चित हो रहा है या नहीं, बल्कि अब इसमें विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन, आंतरिक नियंत्रण के कारगर होने की पड़ताल और जोखिम वाले घटकों तथा कार्यकुशलता आदि पर निगरानी रखना भी शामिल हो गया है। आंतरिक लेखा परीक्षण का दायरा बढ़ाने की वर्तमान नीतियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही प्रयासों के अनुरूप हैं। विश्व भर में अब लेखा प्रणाली

में सरकारी कार्यों के आर्थिक और सामाजिक पक्षों की विस्तृत समीक्षा भी शामिल हो गई है। इसे अक्सर 'धन के सही उपयोग' (वैल्यू फॉर मनी) अथवा कार्यान्वयन ऑडिट कहा जाता है जो अब तक मात्र कायदे–कानूनों का ठीक से लागू हो जाना (कम्प्लाएंस ऑडिट) सुनिश्चित करने तक सीमित था। इस नए माहौल में, आंतरिक लेखा परीक्षक कार्यक्रमों को आंतरिक नियंत्रणों और उनकी कार्यकुशलता तथा व्यापकता के दायरे में परखते हैं और इस तरह इन कार्यक्रमों के प्रबंधकों की मदद करते हैं। इस प्रक्रिया से कार्यक्रमों के जारी रहने के दौरान भी उनमें सुधार संभव हो सकता है।

आंतरिक लेखा स्कंध वित्तीय सलाहकार के निर्देशन में कार्य करता है। इसके अंतर्गत कारगर आंतरिक लेखा प्रणाली सुनिश्चित करते हुए सरकारी अवसंरचनाओं, क्षमता निर्माण और उपयुक्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया गया है।

निरीक्षण दलों का मुख्य कार्य देश भर में 725 इकाइयों में (प्रसार भारती–622, अन्य–103) आहरण और संवितरण अधिकारियों की मदद करना है ताकि वे अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को सही तरीके से संपन्न कर सकें। आर्थिक और कार्यप्रणाली की सुविधा तथा किफायत के मद्देनजर, नई दिल्ली, चेन्नै, मुंबई और कोलकता में क्षेत्रीय आंतरिक लेखा पार्टियां गठित की गईं हैं। ये ऑडिट पार्टियां अपने क्षेत्र की लेखा रिपोर्टों का आकलन करके, उन्हें जांच तथा जरूरी मंजूरियां हासिल करने के लिए लेखा परीक्षा मुख्यालय भेजती हैं। मुख्यालय में इनकी समीक्षा की जाती है और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक द्वारा विभागीय प्रमुखों के साथ चर्चा के बाद इनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाता है।

2014–15 के दौरान आंतरिक लेखा पार्टियों ने 40 (प्रसार भारती तथा अन्य) इकाइयों की लेखा परीक्षा की। इस दौरान सरकारी बकाया राशियों की जल्दी वसूली, नुकसान/गैर जरूरी खर्च रोकने, अग्रिम राशियों के समायोजन, लेखा नीतियों और नियमों के पालन और सरकारी पैसे की समय से वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समग्र वित्तीय निहितार्थ लगभग 1188.14 लाख रुपये था।

महत्वपूर्ण अनियमितताओं के सारांश के अनुच्छेद और उसमें शामिल कुल राशि निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिखाई गई हैः

Ø-l-	vfu;ferrkvksa dh izÑfr	vuqPNsnksa dh la[;k	dqy jkf'k ¼yk[k #i;s esa½
1	केंद्र सरकार के विभागों/राज्य सरकार/सरकारी निकाय/निजी पार्टियों से सरकारी बकाये की गैर वसूली	4	561.71
2	अधिक भुगतान	5	14.61
3	निष्क्रिय मशीनरी/अतिरिक्त भंडार	1	3.98
4	घाटा/लाभदायक व्यय	4	30.97
5	अनियमित व्यय	13	111.38
6	अनियमित खरीद	9	207.64
7	अग्रिम राशि का गैर समायोजन		
	आकस्मिक अग्रिम	3	166.65
	टीए अग्रिम	6	44.66
	एलटीसी अग्रिम	1	4.02
8	सरकारी धन रोकना	3	37.58
9	गैर लेखाकृत महंगे भंडार/सरकारी धन	0	0.00
10	विशेष प्रकृति की अन्य मद	2	4.94
	dqy	**51**	**1188.14**

चौथे राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार विजेता

16 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)

Ø-la-	fjiksVZ la[;k ,oa o"kZ	fVIi.kh la[;k	fo"k; dk fooj.k
1.	2015 का 18 (स्वीकृत लेखा परीक्षण)	10.1	मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए समय से पहले धनराशि जारी करना। मार्च 2010 से मार्च 2011 के दौरान एनबीसीसी को जारी कुल 88.11 करोड़ रुपये में से सिर्फ 36.72 करोड़ का ही इस्तेमाल किया जा सका, इससे पर्याप्त धनराशि एनबीसीसी के पास ब्लॉक हो गई।
2.	2015 का 18 (स्वीकृत लेखा परीक्षण)	10.2	समय रहते 100 मी एफएम टावर को ठीक न करवाने के कारण यह ढह गया और परिणामस्वरूप इस पर 84.92 लाख का खर्च हुआ–प्रसार भारती

एफटीआईआई, पुणे में तीसरा राष्ट्रीय छात्र फिल्म पुरस्कार

17 कैट के फैसलों/आदेशों का पालन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग निर्देशों के अनुरूप कैट के विभिन्न फैसलों आदेशों के बारे में मीडिया इकाइयों तथा मंत्रालय के मुख्य सचिवालय से प्राप्त की गई वर्ष 2013–14 की स्थिति निम्नलिखित है :–

Ø-l-	ehfM;k bdkbZ	o"kZ 2014&2015 ds nkSjku dSV ls izkIr vkns'kksa dh la[;k	2014&2015 ds nkSjku QSlyksa ds vkns'kksa dk dk;kZUo;u
1	मुख्य सचिवालय*	5	1**
2	महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	0	0
3	प्रकाशन विभाग	0	0
4	पत्र सूचना कार्यालय	4	3
5	गीत और नाटक प्रभाग	1	1
6	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	4	4
7	समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय	0	0
8	फोटो डिवीजन	0	0
9	न्यू मीडिया विंग	0	0
10	भारतीय प्रेस परिषद	0	0
11	भारतीय जनसंचार संस्थान	0	0
12	आकाशवाणी महानिदेशालय (सीसीडब्ल्यू सहित)	**60**	**42**
13	दूरदर्शन महानिदेशालय	**53**	**35**
14	बेसिल	0	0
15	सीबीएफसी	#	#
16	एसआरएफटीआई	#	#
17	एफटीआईआई	#	#
18	फिल्म प्रभाग	#	#
19	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0
20	राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	0	0
21	सीएफएसआई	0	0
22	फिल्म समारोह निदेशालय	#	#
23	पीएओ	#	#
24	इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर	0	0
	dqy	**128**	**87**

* मुख्य सचिवालय से संबंधित जानकारी में एमयूसी/प्रशा–III इनसेट/बी(डी)/बीए–ई/बीए–पी/एफटीआई/एफ(सी)/एफए/एफ/फिर–II के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

** 2014–15 के दौरान आईआईएस अनुभाग में दो आदेश मिले। एक मंत्रालय के पक्ष में रद्द हो गया, दूसरे में कैट दिल्ली के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है।

डेटा प्राप्त नहीं हुआ

राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्राप्त एक फोटो

18 योजना परिव्यय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का योजनागत स्कीमों के लिए 2015–16 का योजना परिव्यय 1114.53 करोड़ रुपये (914.53 करोड़ जीबीएस और 200 करोड़ रुपये आईईबीआर) है। विवरण निम्नलिखित है–

(करोड़ रुपये में)

Ø-l-	{k=	thch,l	vkbZbZchvkj	dqy
1	सूचना क्षेत्र	70.65	0.00	70.65
2	फिल्म क्षेत्र	208.55	0.00	208.55
3	प्रसारण क्षेत्र	635.33	200.00	835.33
	dqy	**914.53**	**200.00**	**1114.53**

2. 2015–16 की वार्षिक योजना के लिए मीडिया–वार और स्कीम–वार विवरण अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 में दिए गए हैं।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 92.00 करोड़ रुपये का प्रावधान कुल योजना प्रावधान (जीबीएस) 914.53 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर घटक का विवरण इस प्रकार है–

(करोड़ रुपये में)

lwpuk {k=	
पत्र सूचना कार्यालय	2.00
डीएवीपी	6.00
आईआईएमसी	2.00
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	0.40
फिल्म क्षेत्र	
मुख्य सचिवालय (फिल्म विंग स्कीमें)	3.00
izlkj.k {k=	
आकाशवाणी	44.40
njn'kZu	33.20
मुख्य सचिवालय (प्रसारण)	1.00
dqy ;ksx	**92.00**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2015–16 (योजना–वार)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कुल योजना प्रावधान (2016-16)	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए प्रावधान (2015-16)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2015-16)
	l|puk {k=			
d	tkjh ;kstuk,a			
1	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना (पीआईबी)	0.00	0.00	0.00
2	आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उन्नयन (आईआईएमसी)	5.00	0.00	5.00
3	सूचना भवन का निर्माण (मुख्य सचिवालय)	0.00	0.00	0.00
	d|y	**5.00**	**0.00**	**5.00**
[k	ubZ ;kstuk,a			
4	ehfM;k volajpuk fodkl dk;Øe			
4.1	डीएवीपी को नया स्वरूप देना (डीएवीपी)	3.00	0.00	3.00
4.2	पीआईबी का आधुनिकीकरण (पीआईबी)	4.00	0.00	4.00
4.3	आईआईएमसी के नये क्षेत्रीय केंद्र खोलना (आईआईएमसी)	10.00	2.00	8.00
4.4	प्रकाशन विभाग तथा एम्पलाइमेंट न्यूज का पुनरुद्धार, उन्नयन और आधुनिकीकरण (प्रकाशन विभाग)	4.50	0.00	4.50
4.5	नेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान (फोटो प्रभाग)	0.52	0.00	0.52
4.6	आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण (आरएनआई)	0.20	0.00	0.20
4.7	राज्यों में केंद्रीय सूचना सदन (डीएफपी)*	0.00	0.00	0.00
4.8	पूर्वोत्तर/जम्मू और कश्मीर तथा अन्य चिन्हित क्षेत्रों को विकास सहयोग*	0.00	0.00	0.00
	d|y	**22.22**	**2.00**	**20.22**
5	fodkl lapkj vkSj lwpuk izlkj			
5.1	विकास संचार के जरिये लोक सशक्तिकरण			
	(धारणा तथा प्रसार) (डीएवीपी)	20.00	6.00	14.00
5.2	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष			
	आयोजनों का प्रचार (पीआईबी)	8.00	2.00	6.00
5.3	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा सीधा संपर्क कार्यक्रम (डीएफपी)	3.38	0.40	2.98
5.4	जीवंत कला और संस्कृति (एस एंड डीडी)	3.00	0.00	3.00
5.5	सोशल मीडिया प्लेटफार्म (मुख्य सचिवालय)	5.15	0.00	5.15
	d|y	**39.53**	**8.40**	**31.13**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2015–16 (योजना–वार)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कुल योजना प्रावधान (2016-16)	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए प्रावधान (2015-16)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2015-16)
6	ekuo llkèku fodkl			
6.1	मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण (प्रसार भारती के अलावा) (मुख्य सचिवालय)	2.00	0.00	2.00
6.2	अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम (मुख्य सचिवालय)	0.15	0.00	0.15
6.3	सभी तीन क्षेत्रों के लिए (प्रसार भारती को छोड़कर) नीतिगत अध्ययन, सेमिनार और आकलन आदि (मुख्य सचिवालय)	0.25	0.00	0.25
	फिल्म मीडिया इकाइयों के लिए मानव संसाधन विकास (मु.स.)	1.00	0.00	1.00
	प्रोफेशनल सेवाओं का भुगतान (मुख्य सचिवालय)	0.50	0.00	0.50
	dqy	**3.90**	**0.00**	**3.90**
	;kx ¼lpuk {k=½	**70.65**	**10.40**	**60.25**
	dqy ¼py jgh ;kstuk,a½	**5.00**	**0.00**	**5.00**
	dqy ubZ ;kstuk,a	**65.65**	**10.40**	**55.25**
	fQYe {k=			
d	tkjh Ldhe			
7	भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एफडी)	0.50	0.00	0.50
8	एसआरएफटीआई को अनुदान सहायता (एसआरएफटीआई)	0.00	0.00	0.00
	dqy	**0.50**	**0.00**	**0.50**
[k	ubZ Ldhe			
9	fQYe {k= ls lacfèkr volajpuk fodkl dk;Øe			
9.1	सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार (सीबीएफसी)	4.00	0.00	4.00
9.2	सीरीफोर्ट परिसर का उन्नयन (डीएफएफ)	2.00	0.00	2.00
9.3	फिल्म प्रभाग की भवन अवसंरचना का उन्नयन (एफडी)	2.50	0.00	2.50
9.4	जयकर बंगले सहित एनएफएआई की अवसंरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी बनाना (एनएफएआई)	4.00	0.00	4.00
9.5	एफटीआईआई को अनुदान सहायता–एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण (एफटीआईआई)	20.00	0.00	20.00
9.6	एसआरएफटीआई का अवसंरचनात्मक विकास (एसआरएफटीआई)	10.00	0.00	10.00
	dqy	42.50	0.00	42.50

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2015–16 (योजना–वार)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कुल योजना प्रावधान (2016-16)	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए प्रावधान (2015-16)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2015-16)
10	fodkl lpkj vkj fQYe lkexh dk ilkj			
10.1	देश विदेश में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिये भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना (मुख्य सचिवालय)	15.00	2.00	13.00
10.2	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्त चित्रों का निर्माण (मुख्य सचिवालय)	10.00	1.00	9.00
10.3	भारतीय सिनेमा शताब्दी समारोह (मुख्य सचिवालय)	0.00	0.00	0.00
10.4	फिल्म संग्रहालय की वेबकास्टिंग (फिल्म प्रभाग)	1.00	0.00	1.00
10.5	अभिलेखीय महत्व की फिल्मों और फिल्म सामग्री हासिल करना (एनएफएआई)	2.00	0.00	2.00
	dy	**28.00**	**3.00**	**25.00**
	fe'ku@fo'k"k ifj;kstuk,			
11	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय)	137.00	0.00	137.00
12	एंटी पाइरेसी पहल (मुख्य सचिवालय)	0.05	0.00	0.05
13	एनीमेशन, गेमिंग और वीएचएक्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	0.50	0.00	0.50
	dy	**137.55**	**0.00**	**137.55**
	महायोग (फिल्म क्षेत्र)	208.55	3.00	205.55
	कुल–जारी स्कीमें	0.50	0.00	0.50
	dy&ubZ Ldhe	**208.05**	**3.00**	**205.05**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2015–16 (योजना–वार)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कुल योजना प्रावधान (2016-16)	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए प्रावधान (2015-16)	बजट आकलन में दर्शाए गए प्रावधान (2015-16)
	i|lkj.k {k=			
d	e|[; lfpoky;			
14	इलेक्टॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र में बेहतर सुविधाएं (ईएमएमसी)	21.00	0.00	21.00
15	भारत में सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देना	6.30	1.00	5.30
16	डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आईईसी गतिविधियां*	0.00	0.00	0.00
17	मंत्रालय में डिजिटाइजेशन सपोर्ट सेल में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना (नया नाम – डिजिटाइजेशन मिशन)	2.00	0.00	2.00
18	डिजिटल वायर लाइन प्रसारण में केवल टीवी उद्योग कार्मिकों का क्षमता निर्माण	0.00	0.00	0.00
19	प्रसारण विंग का ऑटोमेशन*	1.00	0.00	1.00
	d|y ¼e|[; lfpoky;½	**30.30**	**1.00**	**29.30**
[k	i|lkj Hkkjrh			
i)	प्रसार भारती	560.03	77.60	482.43
ii)	किसान चैनल	45.00	0.00	45.00
	d|y i|lkj Hkkjrh	**605.03**	**77.60**	**527.43**
	d|y & i|lkj.k {k=	**635.33**	**78.60**	**556.73**
	ubl lkexh dk fodkl ¼l|puk $ fQYe $ i|lkj.k½	**914.53**	**92.00**	**822.53**
20	नई सामग्री का विकास प्रसार भारती के आईईबीआर से वित्त पोषित			
	आकाशवाणी	75.00	0.00	75.00
	दूरदर्शन	125.00	0.00	125.00
	mi&;kx	**200.00**	**0.00**	**200.00**
	l|i.k ;ktuk vkdkj	**1114.53**	**92.00**	**1022.53**

नोट 1: * 12वीं योजना के दौरान स्कीमें छोड़ दी गईं

नोट 2: विकास संचार के माध्यम से लोगों के सशक्तिकरण के लिए कुल योजना प्रावधान (विचार और सूचना प्रसार) 151.00 करोड़ रुपये है। इसमें से 20.00 करोड़ रुपये दर्शाया गया है अर्थात् बाकी 131.00 करोड़ रुपये एनएफएचएम के तहत रखा गया है। आरसीई/ईएफसी के अनुमोदन के बाद पुनर्विनियोजन किया जाएगा।

46वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में 'एंब्रेस ऑफ द सरपेंट' के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान करते सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

19

मीडिया इकाई–वार बजट

मीडिया इकाई वार बजट

मांग सं. 53 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय									(हजार रुपये में)
मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2015-16			संशोधित अनुमान 2015-16			बजट अनुमान 2016-17		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड									
मुख्य शीर्ष-'2251'-सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ और निजी एफएम रेडियो स्टेशन समेत)	1769000	583300	2352300	428400	486000	914400	0	703200	703200
मुख्य शीर्ष-'2205'-आर्ट एंड कल्चर सर्टिफिकेशन									
ऑफ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स फॉर पब्लिक									
2. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	75100	75100	0	65870	65870	0	90000	90000
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	0	1700	1700	0	7730	7730	0	3200	3200
कुल मुख्य शीर्ष '2205'	**0**	**76800**	**76800**	**0**	**73600**	**73600**	**0**	**93200**	**93200**
मुख्य शीर्ष-'2220'-सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	10000	431000	441000	10000	404700	414700	10000	594600	604600
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	124300	124300	0	113200	113200	0	131200	131200
6. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	47500	67500	20000	43400	63400	20000	59200	79200
7. सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान	100000	123700	223700	90000	121400	211400	70000	134700	204700
8. भारतीय बाल फिल्म समिति (सीएफएसआई) को सहायता अनुदान	0	29800	29800	0	29800	29800	0	31000	31000
9. फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता अनुदान	200000	220600	420600	180000	215800	395800	200000	246600	446600
10. फिल्म सोसाइटी को सहायता अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. फिल्म स्कंध योजना स्कीम	0	0	0	0	0	0	639100	0	639100
12. सूचना स्कंध योजना स्कीम	0	0	0	0	0	0	78000	0	78000
13. प्रसारण स्कंध योजना स्कीम	0	0	0	0	0	0	133000	0	133000
14. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	90000	14100	104100	90000	10400	100400	100000	14200	114200
15. न्यू मीडिया विंग (पर्व में गवेषणा संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग)	0	23100	23100	0	18700	18700	0	29400	29400
16. आईआईएमसी को सहायता अनुदान	130000	109500	239500	75000	118200	193200	170000	133700	303700
17. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	170000	740200	910200	1480000	669990	2149990	1153500	845600	1999100
18. पत्र सूचना कार्यालय	100000	548100	648100	93700	509500	603200	110000	704100	814100
19. भारतीय प्रेस परिषद को सहायता अनुदान	0	66300	66300	0	64700	64700	0	73800	73800
20. प्रोफेशनल और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	10	10	0	100	100
21. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	29800	532800	562600	26000	512500	538500	35000	679600	714600
22. गीत एवं नाटक प्रभाग : वोटेड	30000	247800	277800	20000	243000	263000	20000	427000	447000
22. (ए) गीत एवं नाटक प्रभाग : चार्ज्ड	0	0	0	0	737000	737000	0	0	0
23. प्रकाशन विभाग	45000	285400	330400	50600	303200	353800	50000	371500	421500
24. एंप्लायमेंट न्यूज	0	242100	242100	0	198500	198500	0	223500	223500
25. भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार	2000	52200	54200	5000	49900	54900	5000	73600	78600
26. फोटो प्रभाग	5200	41700	46900	17000	36800	53800	10700	54700	65400
27. निजी एफएम रेडियो स्टेशन	0	0	0	0	0	0	0	38500	38500
28. संचार विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) हेतु अंशदान	0	1700	1700	0	1700	1700	0	2100	2100
29. एशिया पेसिफिक इंस्ट्रीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) के लिए अंशदान	0	2500	2500	0	2600	2600	0	2600	2600
कुल मुख्य शीर्ष '2220'	**932000**	**3884500**	**4816500**	**2157300**	**4405000**	**6562300**	**2804300**	**4871300**	**7675600**
कुल मुख्य शीर्ष '2220' 2251 और 2205	**2701000**	**4544600**	**7245600**	**2585700**	**4964600**	**7550300**	**2804300**	**5667700**	**8472000**

(हजार रुपये में)

ehfM;k bdkb@xfrfof/k dk uke	ctV vkdyu 2015&16			l'kkf/kr vkdyu 2015&16			ctV vkdyu 2016&17		
	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy
iz lkj.k ¼eq[; 'kh"kZ&2221½									
/ofu izlkj.k ¼mi eq[; 'kh"kZ½									
funs'ku vkSj iz'kklu ¼y?kq 'kh"kZ½									
वेतन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vsyhfotu ¼mi eq[; 'kh"kZ½ osru									
वेतन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lkekU; ¼mi eq[; 'kh"kZ½									
izlkj Hkkjrh ¼y?kq 'kh"kZ½									
सहायता–अनुदान	5274300	23421200	28695500	3924200	23421200	27345400	3920000	27168600	31088600
dqy izlkj.k	**5274300**	**23421200**	**28695500**	**3924200**	**23421200**	**27345400**	**3920000**	**27168600**	**31088600**
पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (मुख्य शीर्ष 2552)	920000	0	920000	750000	0	750000	800000	0	800000
dqy jktLo [kM	**8895300**	**27965800**	**36861100**	**7259900**	**28385800**	**35645700**	**7524300**	**32836300**	**40360600**
dqy jktLo % okLrfod	**8895300**	**27965800**	**36861100**	**7259900**	**276488000**	**283747900**	**7524300**	**32836300**	**40360600**
dqy jktLo % pkTM	**0**	**0**	**0**	**0**	**737000**	**737000**	**0**	**0**	**0**

ehfM;k bdkbZ dk uke	ctV vkdyu 2015&16			l'kkf/kr vkdyu 2015&16			ctV vkdyu 2016&17		
	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy
iwath [kaM									
1. फिल्म प्रभाग के लिए उपकरणों की खरीद	5000	0	5000	7000	0	7000	2800	0	2800
2. पीआईबी के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. गीत एवं नाटक प्रभाग के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. फोटो प्रभाग के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. आईआईएमसी के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. एसआरएफटी, कोलकाता के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. jk"Vªh; fQYe fojklr fe'ku&e'khujh vkSj midj.k	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
10. एफटीआई, पुणे के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. सीबीएफसी में कंप्यूटराइज्ड प्रबंधन प्रणाली और प्रमाणन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए उपकरणों की खरीद	20000	0	20000	14000	0	14000	30000	0	30000
12. फिल्म समारोह परिसर मरम्मत और बदलाव–मशीनरी और उपकरण	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर–मशीनरी और उपकरण	75000	0	75000	75000	0	75000	100	0	100
14. प्रकाशन विभाग के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. रोजगार समाचार के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[kaM Hkou									
16. फिल्म प्रभाग के भवन अवसंरचना का उन्नयन–मुख्य कार्य	20000	0	20000	16000	0	16000	14000	0	14000
17. म्यूजियम ऑफ मूविंग इमेजेस (एफडी) की स्थापना–मुख्य कार्य	5000	0	5000	3100	0	3100	286900	0	286900
18. एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. जयकर बंगला और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना समेत एनएफआई अवसंरचना का उन्नयन	40000	0	40000	40000	0	40000	50000	0	50000
20. फिल्म समारोह परिसर–मरम्मत और बदलाव–मुख्य कार्य	19900	0	19900	19900	0	19900	9900	0	9900
21. एसआरएफटीआई में अवसंरचना विकास	0	0	0		0	0	0	0	0
22. सूचना भवन–मुख्य कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय राज्यों में केंद्रीय सूचना भवन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. jk"Vªh; fQYe fojklr fe'ku&eq[; dk;Z	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
25. पत्र सूचना कार्यालय के लिए राष्ट्रीय प्रेस सेंटर और मिनी मीडिया सेंटर की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. सीबीएफसी की अवसंरचना का उन्नयन तथा विस्तार	20000	0	20000	20000	0	20000	10000	0	10000
27. आईआईएमसी की भवन और आवास परियोजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टॉवर लगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. मास मीडिया इंस्टिट्यूट (एफडी) की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र–मुख्य स्थापना	45000	0	45000	45000	0	45000	19900	0	19900
fuos'k	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dqy & jktLo i{kfjr eq[; 'kh"kZ '4220'	**250000**	**0**	**250000**	**240100**	**0**	**240100**	**475700**	**0**	**475700**

(हजार रुपये में)

ehfM;k bdkbZ dk uke	ctV vkdyu 2015&16			la'kksf/kr vkdyu 2015&16			ctV vkdyu 2016&17		
	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy
lwpuk vkSj izlkj.k ds fy, _.k ¼eq[; 'kh"kZ&6220½									
फिल्म (उप मुख्य शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र तथा उपक्रमों के लिए ऋण									
¼y?kq 'kh"kZ½									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
izlkj.k ds fy, _.k ¼eq[; 'kh"kZ&6221½									
lkoZtfud {ks= rFkk vU; miØeksa ds fy, _.k									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय और अन्य व्यय									
पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के विकास की योजना/स्कीमों आदि के लिए पूंजी परिव्यय (मुख्य शीर्ष–4552)									
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आईआईएमसी के लिए उपकरणों की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vkbZvkbZ,elh dk u, {ks=h; dsUnz [kksyuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lhch,Qlh dh vfHkys[kksa dk fMftVyhdj.k vkSj fodkl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल मुख्य शीर्ष 4552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के विकास की								0	0
योजना/स्कीमों आदि के लिए पूंजी परिव्यय								0	0
और सिक्किम (मुख्य शीर्ष–6552)								0	0
प्रसार भारती	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dqy & iwath [kaM	250000	0	250000	240100	0	240100	475700	0	475700
dqy & ekax la[;k 53	9145300	27965800	37111100	7500000	28385800	35885800	8000000	32836300	40836300
dqy ;ksx% okLrfod	9145300	27965800	37111100	7500000	27648800	35148800	8000000	32836300	40836300
dqy ;ksx% pktZ	0	0	0	0	737000	737000	0	0	0

20 सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

- lxBukRed pkV
- inuke
- oclkbV ir

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक चार्ट

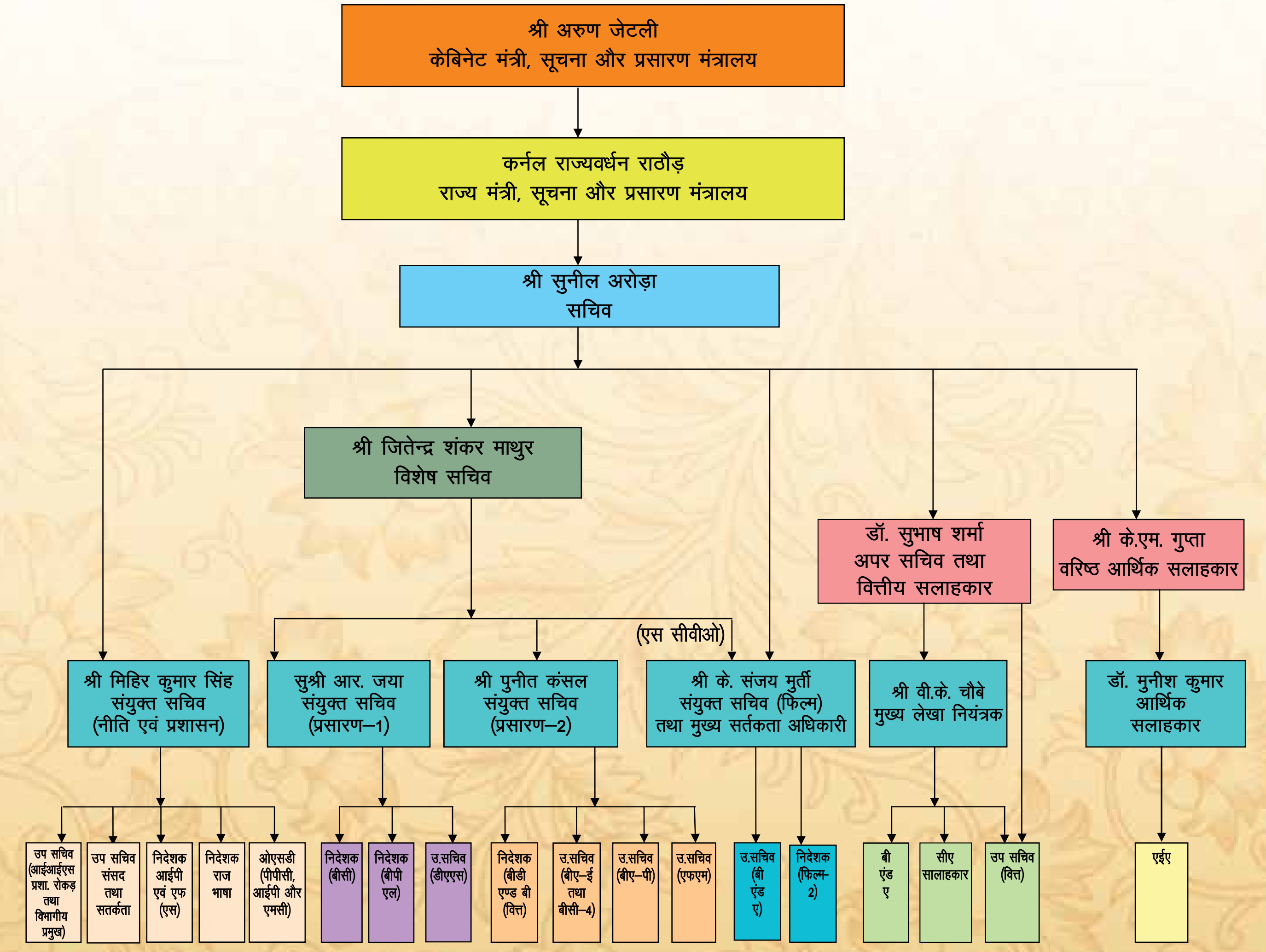

मंत्रालय के पदनाम

lfpo	lfpo
अप.स./वि.स.	अपर सचिव (एएसी द्वारा अस्थाई तौर पर वर्तमान पदस्थ तक अपग्रेडेड
अप.स. तथा वि.स.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
व. आर्थिक सलाहकार	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
सं.स. (नी. तथा प्रशा.)	संयुक्त सचिव (नीति तथा प्रशासन)
सं.स. (प्रसा.-I)	संयुक्त सचिव (प्रसारण-I)
सं.स. (फि.)	संयुक्त सचिव (फिल्म)
सं.स. (प्रसा.-II)	संयुक्त सचिव (प्रसारण-II)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
मु.ले.नि.	मुख्य लेखा नियंत्रक
निदेशक (फिल्म-I)	निदेशक (फिल्म-I)
निदेशक (प्र.सा.)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक (प्र.नी. एवं वि.)	निदेशक (प्रसारण नीति एवं विधिक मामले)
निदेशक (प्र.वि. तथा प्र. वित्त)	निदेशक (प्रसारण विकास तथा प्रसारण वित्त)
निदेशक (सू.नी. एवं फि.सो.)	निदेशक (सूचना नीति एवं फिल्म सोसायटी)
निदेशक (रा.भा.)	निदेशक (राजभाषा)
निदेशक (फिल्म-II)	निदेशक (फिल्म-II)
उप सचिव (वित्त)	उप सचिव (वित्त)
उप सचिव (बीएपी)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम)
अप.आ.स.	अपर आर्थिक सलाहकार
वि.का.अ. (स.)	विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय)
उ.स. (भा.सू.से.रो. एवं वि.मु.)	उप सचिव (भारतीय सूचना सेवा, रोकड़ और विभागीय प्रमुख)
उ.स. (डी.ए.एस.)	उप सचिव (डिजीटल एड्रेसेबल प्रणाली)
उ.स. (एफ.एम.)	उप सचिव (फ्रीक्वेन्सी मॉड्यूलेशन)
उ.स. (सतर्कता एवं संसद)	उप सचिव (सतर्कता तथा संसद)
उ.स. (प्र.प्रशा.अभि. एवं अ.)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासनिक अभियांत्रिकी) + प्रसारण सामग्री–IV
उ.स. (ब.ले.)	उप सचिव (बजट एवं लेखा)
ले.नि.	लेखा नियंत्रक
अ.स. (मी.इ.स.)	अवर सचिव (मीडिया इकाई समन्वय)
अ.स. (प्रेस)	अवर सचिव (प्रेस)
अ.स. (एफ.एस.)	अवर सचिव (फिल्म सोसायटी)
अ.स. (प्र. 2 एवं 4)	अवर सचिव (प्रशासन 2 एवं 4)

अ.स. (प्र. 1 एवं 3)	अवर सचिव (प्रशासन 1 एवं 3)
अ.स. (स.)	अवर सचिव (सतर्कता)
अ.स. (भा.सू.से.रो., सं. एवं का.प्र.)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा, रोकड़, संसद एवं कार्यालय प्रमुख)
अ.स. (न्यू.मी.सो. एवं न्यू.मी.वि.)	अवर सचिव (न्यू मीडिया सेल + न्यू मीडिया विंग)
अ.स. (नी.यो.प्र., सू.स. एवं मी.स.)	अवर सचिव (नीति योजना प्रकोष्ठ, सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय)
अ.स. (प्र. 1, 2 एवं 3)	अवर सचिव (प्रसारण 1, 2 एवं 3)
अ.स. (इंसेट)	अवर सचिव (भारतीय सेटेलाइट टेलीविजन)
अ.स. (डीएएस)	अवर सचिव (डिजिटल एडरेस्बल सिस्टम)
अ.स. (प्र.नी. एवं वि.)	अवर सचिव (प्रसारण नीति एवं विधिक मामले)
अ.स. (प्र.वि. एवं प्र. वित्त)	अवर सचिव (प्रसारण विकास एवं प्रसारण वित्त)
अ.स. (प्र.प्र. का–1)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम–1)
अ.स. (प्र.प्र. का–2)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम–2)
अ.स. (प्र.प्र.अ.)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी)
अ.स. (प्र.वि.–4)	अवर सचिव (प्रसारण विकास–4)
अ.स. (वित्त–I एवं III)	अवर सचिव (वित्त–I एवं III)
अ.स. (वित्त–II)	अवर सचिव (वित्त–II)
अ.स. (ब. एवं ले.)	अवर सचिव (बजट एवं लेखा)
अ.स. (फि.स. एवं फि. एवं टे.सं.)	अवर सचिव (फिल्म प्रशा. एवं सार्वजनिक फिल्म उपक्रम एवं टेलीविजन संस्थान)
अ.स. (फि.उ. एवं फि.प्र.)	अवर सचिव (फिल्म उद्योग एवं फिल्म एवं प्रमाणन)
अ.स. (फि.सो.)	अवर सचिव (फिल्म सोसायटी)
अ.स.नि. (आ.शा.)	उपनिदेशक (आर्थिक शाखा) और आईएफसी
उ.स.नि. (रा.भ.)	उपनिदेशक (राजभाषा)
स.नि. (रा.भ.–1)	सहायक निदेशक (राजभाषा–1)
स.नि. (रा.भ.–2)	सहायक निदेशक (राजभाषा–2)
उ.नि. (स.रे.के.)	उपनिदेशक (समुदाय रेडिया केन्द्र)
उ.ले.नि.	उप लेखा नियंत्रक
प्र. 1	प्रशासन 1
प्र. 2	प्रशासन 2
प्र. 3	प्रशासन 3
प्र. 4	प्रशासन 4
रोकड़	रोकड़
संसद	संसद
मी.इ.प्र.	मीडिया इकाई प्रकोष्ठ

फि.सो.	फिल्म (सोसायटी)
रा.भा.ई.	राजभाषा इकाई
सतर्कता	सतर्कता
सू.नी. एवं मी.स.	सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय
नी.नि.प्र.	नीति नियोजन प्रकोष्ठ
प्रेस	प्रेस
भा.सू.रे.	भारतीय सूचना सेवा
फि. (स.)	फिल्म (समारोह)
फि. (फि. एवं टेली. सं.)	फिल्म (फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान)
फि. (प्र.)	फिल्म (प्रशासन)
फि. (प्रमा.)	फिल्म (प्रमाणन)
फि. (उ.)	फिल्म (उद्योग)
फि. (पीएसयू)	फि. (पीएसयू) फिल्म पब्लिक सेक्टर यूनिट
प्र.वि.व.–1	प्रसारण विषय वस्तु–1
प्र.वि.व.–2	प्रसारण विषय वस्तु–2
प्र.वि.व.–3	प्रसारण विषय वस्तु–3
प्र.वि.व.–4	प्रसारण विषय वस्तु–4
प्र.(वि.)	प्रसारण (विकास)
प्र.(वि.)	प्रसारण (वित्त)
प्र.नी. एवं वि.	प्रसारण नीति एवं विधिक मामले
प्र.प्र.–का.	प्रसारण प्रशासन–कार्यक्रम
एफ. एम. प्र.	फ्रीक्वेन्सी मॉड्यूलेशन प्रकोष्ठ
सा.रे.के. प्र.	समुदाय रेडिया केंद्र प्रकोष्ठ
इन्सेट–टीवी	भारतीय सेटेलाइट टेलीविजन
प्र.प्र.–अ.	प्रसारण प्रशासन–अभियांत्रिकी
वित्त–1 एवं 3	वित्त–1 एवं 3
वित्त–2	वित्त–2
यो.स.प्र.	योजना समन्वय प्रकोष्ठ
ब. एवं ले.	बजट एवं लेखा
का.प्र.अ.	कार्यकुशलता प्रबंधन अनुभाग
एनएमसी	नया मीडिया प्रकोष्ठ
वे. एवं ले. अधि.	वेतन एवं लेखा अधिकारी
सू.सु.का.	सूचना सुविधा काउंटर

मीडिया इकाइयों के वेबसाइट पते

Ø-l-	ehfM;k bdkbl	oc lkbV
1	पत्र सूचना कार्यालय	www.pib.nic.in
2	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	www.davp.nic.in
3	प्रकाशन विभाग	www.publicationsdivision.nic.in
4	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय	www.rni.nic.in
5	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	www.dfp.nic.in
6	फोटो प्रभाग	www.photodivision.gov.in
7	भारतीय जन संचार संस्थान	www.iimc.nic.in
8	भारतीय प्रेस परिषद	www.presscouncil.nic.in
9	न्यू मीडिया विंग	
10	प्रसार भारती (i) दूरदर्शन (ii) आकाशवाणी	www.prasarbharati.gov.in www.ddindia.gov.in www.allindiaradio.gov.in
11	गीत तथा नाटक विभाग	
12	फिल्म समारोह निदेशालय	www.dff.nic.in
13	ब्रॉडकॉस्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	www.becil.com
14	फिल्म प्रभाग	www.filmsdivision.org
15	बाल चित्र समिति, भारत	www.cfsindia.org
16	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	www.ftiindia.com
17	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	www.nfdcindia.com
18	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	www.cbfcindia.gov.in
19	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	www.srfti.gov.in
20	राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	www.nfaipune.gov.in
21.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र	www.emmc.gov.in

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 का प्रकाशन रोका जाना

लोकसभा सचिवालय के ओ.एम. संख्या 61/2/ईसी/2009 दिनांक 18.12.2009 द्वारा सूचित संसदीय प्राक्कलन समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 का प्रकाशन वर्ष 2009–10 से बंद कर दिया गया है।

हालांकि यह मंत्रालय की वेबसाइट **www.mib.gov.in** या **www.mib.nic.in** पर उसी प्रारूप में उपलब्ध है, जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 में पहले प्रकाशित किया जाता था।